तुर्दश माला, खंड 9, अंक 29

सोमवार, 2 मई, 2005
12 वैशाख, 1927 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

**चौथा सत्र**
**(चौदहवीं लोक सभा)**

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 3/2/06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]*

**अंक 29, सोमवार, 2 मई, 2005/12 वैशाख, 1927 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **निधन संबंधी उल्लेख** | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 503, 505, 506 और 508 | 2–39 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 504, 507 और 509 से 520 | 39–97 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 5392 और 5441 और 5443 से 5621 | 97–405 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 405–409 |
| **राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक** | 409 |
| **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** | 409–412 |
| (एक) कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री शरद पवार | 409–410 |
| (दो) वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के पैसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन | 410–412 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | |
| खेलों के संवर्धन और खेल परिसरों के विकास के लिए और अधिक अवसंरचना सृजित किए जाने की आवश्यकता | 412–428 |
| श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर | 417–421 |
| श्री सुनील दत्त | 412–416 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 421–422 |
| श्री निखिल कुमार | 423 |
| मोहम्मद सलीम | 423–428 |
| **बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005** | 428–432 |
| **सदस्य द्वारा निवेदन** | 432–433, 434–435 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **भारतीय वायुसेना की वी आई पी/वी वी आई पी उड़ानों के उपयोग को अधिशासित करने वाले दिशानिर्देशों के दिसम्बर 2003 में कथित उल्लंघन के बारे में** | 437–449 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | |
| (एक) गुजरात में वलसाड और खेरगांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की रेल क्रासिंग पर एक पुल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री किसनभाई वी. पटेल | 438 |
| (दो) राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-फरीदाबाद खंड को चौड़ा करने और बदरपुर-फरीदाबाद-नोएडा फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री अवतार सिंह भडाना | 439 |
| (तीन) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 का पालक्काड तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एस.के. खारवेनथन | 439–440 |
| (चार) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता | |
| श्री हरिसिंह चावड़ा | 440 |
| (पांच) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में भूकंप के संभावित खतरे से निपटने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता | |
| प्रो. चन्द्र कुमार | 440–441 |
| (छह) देश से आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाये जाने की आवश्यकता | |
| डा. राजेश मिश्रा | 441 |
| (सात) उत्तर प्रदेश में आनंदनगर रेल जंक्शन से महाराजगंज और धुंधली रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए नई रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री पंकज चौधरी | 441–442 |
| (आठ) केन्द्रीय विद्यालय के 327 प्रधानाचार्यों को पुनः नियुक्त किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री जी. करुणाकर रेड्डी | 442 |
| (नौ) ''भूदान आंदोलन'' के अंतर्गत दान में प्राप्त भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में बांटे जाने की आवश्यकता | |
| श्री हरिभाऊ राठौड़ | 442–443 |
| (दस) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खेजरामाफी और बहादुरपुर के बीच एक सड़क के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री वीरेन्द्र कुमार | 443 |
| (ग्यारह) कर्नाटक में नेलोमंगला और तुमकुर के बीच नवनिर्मित सड़क पर स्थानीय लोगों द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने में आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एस. मल्लिकार्जुनैया | 443–444 |
| (बारह) पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम और पुरूलिया के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रूपचन्द मुर्मू | 444 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| (तेरह) ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड अथवा बाढ़ की घटनाओं के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराकर उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री हरिकेवल प्रसाद | 444–445 |
| (चौदह) बिहार के पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर और निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रामकृपाल यादव | 445 |
| (पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता | |
| श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद | 446 |
| (सोलह) मनमाड और तिरूपति के बीच एक नई रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने के अलावा मनमाड-काचीगुडा रेल खंड पर अजंता और एलोरा एक्सप्रेस रेल सेवा बहाल किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील | 446 |
| (सत्रह) उड़ीसा के कटक में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता | |
| श्री भर्तृहरि महताब | 447 |
| (अठारह) दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता | |
| डा. एम. जगन्नाथ | 447–448 |
| (उन्नीस) गोमो रेलवे स्टेशन को नेताजी रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री बीर सिंह महतो | 448 |
| (बीस) मिजोरम के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए ए आई आर कार्यक्रम सुन सकने के लिए एफ एम टावर आइजवाल से ए आई आर कार्यक्रम रिले किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री वनलाल जावमा | 448–449 |
| **वित्त विधेयक, 2005** | |
| **विचार करने के लिए प्रस्ताव** | 449–584 |
| प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा | 449–465 |
| श्री पवन कुमार बंसल | 465–478 |
| श्री भर्तृहरि महताब | 478–481 |
| श्री विजयेन्द्र पाल सिंह | 481–484 |
| श्री के.एस. राव | 484–488 |
| श्री प्रभुनाथ सिंह | 488–492 |
| श्री रेवती रमन सिंह | 492–494 |
| श्री किन्जरपु येरननायडु | 494–502 |

| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| | श्री वीरचन्द्र पासवान | 502–506 |
| | श्री अनंत गंगाराम गीते | 506–513 |
| | कुंवर मानवेन्द्र सिंह | 514–519 |
| | श्रीमती वी. राधिका सेलवी | 519–521 |
| | श्री उदय सिंह | 521–525 |
| | कुमारी ममता बैनर्जी | 525–528 |
| | श्री पी. चिदम्बरम | 528–559 |
| | खंड 2 से 124 और 1 | 559–578 |
| | पारित करने के लिए प्रस्ताव | 584 |
| **अनुबंध-1** | | |
| | तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 585 |
| | अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 586–592 |
| **अनुबंध-2** | | |
| | तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 593–594 |
| | अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 593–594 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

## लोक सभा

**सोमवार, 2 मई, 2005/12 वैशाख, 1927 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

## निधन संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री अकबर अली खांदोकर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री अकबर अली खांदोकर 1998 से 2004 तक बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे उन्होंने पश्चिम बंगाल के सेरमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री खांदोकर 1996 से 1998 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य थे।

एक सक्षम सांसद, श्री खांदोकर बारहवीं लोक सभा के दौरान शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी और शहरी विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य थे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान वह परिवहन तथा पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री खांदोकर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वह काफी लोकप्रिय सदस्य थे।

श्री अकबर अली खांदोकर का 24 अप्रैल, 2005 को, 48 वर्ष की आयु में, नई दिल्ली में निधन हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।*

---

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि वित्त विधेयक पर चर्चा में विपक्ष भाग लेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है।

अब, सभा प्र.सं. 501, पर चर्चा करेगी। श्रीमती अनुराधा चौधरी,-उपस्थित नहीं।

मोहम्मद शाहिद।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[हिन्दी]*

**दलहनों तथा तिलहनों के विकास के लिए योजनाएं**

***501. मोहम्मद शाहिद:**
**श्रीमती अनुराधा चौधरी:**

**क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दलहनों तथा तिलहनों के विकास के लिए और जलस्तर को और नीचे जाने से रोकने के लिए वैकल्पिक फसलों के विकास के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी फसलों की खेती करने के लिए कृषि संस्थानों के जरिए किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने दलहनों और तिलहनों की खेती के लिए किन्हीं नई तकनीकों का विकास तथा परीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) सरकार देश में तिलहन एवं दलहन का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देने की दृष्टि से दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का की केन्द्रीय

प्रायोजित एकीकृत/समेकित स्कीम (आइसोपाम) कार्यान्वित कर रही है। ये फसलें चावल, गन्ना तथा अन्य अनाजों जैसी अधिक पानी की जरूरत वाली परम्परागत फसलों की तुलना में कम पानी की खपत करने वाली फसलें हैं। आईसोपाम के अधीन, किसानों तथा विस्तार कार्मिकों को उन्नत फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। ये कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, किसानों में नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन एवं समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से फ्रंटलाईन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने तिलहन और दलहन की अधिक उपज वाली किस्में, संकर किस्में, सूखा सहिष्णु किस्में विकसित की हैं। इसके अलावा, देश में तिलहन तथा दलहन का उत्पादन और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्यारी खेती, मेंड पर पौध रोपण, फसल अवशेषों/पालिथिन का उपयोग करके मल्चिंग तकनीकें, संसाधनों के कुशल उपयोग की फसल प्रणालियां, समेकित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम.), समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) जैसी उन्नत उत्पादन एवं फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप दलहन और तिलहन के अधीन उत्पादकता, उत्पादन और क्षेत्र कवरेज में सुधार हुआ है।

(ङ) भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिपारिशों के आधार पर प्रति वर्ष मुख्य तिलहनों एवं दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करती है जिससे तिलहन एवं दलहन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराए जा सकें। जब भी इन फसलों के मण्डी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड), केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में देश में मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के तहत दलहन और तिलहन का प्रापण करता है।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद शाहिद:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब के ''क'' भाग में कहा है कि कार्मिकों को उन्नत फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है, उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है और उससे किसानों को कितना लाभ पहुंचा है? इसी तरह उत्तर के ''ग'' एवं ''घ'' भाग में बताया गया है कि इसके परिणामस्वरूप दलहन और तिलहन के अधीन उत्पादकता, उत्पादन और क्षेत्र कवरेज में सुधार हुआ है, लेकिन इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है कि दलहन और तिलहन की खेती में कितना सुधार हुआ है और जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका किसानों को कितना फायदा हुआ है? इस संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी ने बताया है कि भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सी.ए.सी.पी. की सिफारिशों के आधार पर प्रतिवर्ष मुख्य तिलहनों एवं दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

उनकी सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन किन आइटम्स के रेट बढ़ाये गए हैं, 2004-2005 का कोई ब्यौरा इस सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं कराया गया है। मेरा अनुरोध है कि पूरा ब्यौरा इस सदन में उपलब्ध कराया जाये।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें अपने अन्य प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। आप ब्यौरा चाहते हैं। ब्यौरा कैसे दिया जा सकता है?

*[हिन्दी]*

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** जहां तक पलसेज के एरिया और प्रोजक्शन में वृद्धि का प्रश्न है, 1989-90 में टोटल प्रोडक्शन पलसेज का देश में 12.86 मिलियन टन था, जो 2003-2004 में 14.94 मिलियन टन हो गया। इसी तरह क्षेत्र जो 1989-90 में 23.41 मिलियन हैक्टेयर था, वह 2003-2004 में 24.45 मिलियन हैक्टेयर हो गया। जहां तक आयलसीड्स के प्रोडक्शन का प्रश्न है, 1985-86 में यह 10.83 मिलियन टन प्रोडक्शन था, जो 2003-2004 में 10 मिलियन टन से बढ़कर 25.29 मिलियन टन तक पहुंच गया। जहां तक आयलसीड्स के क्षेत्र का प्रश्न है, वह 1985-86 में टोटल 19.2 मिलियन हैक्टेयर था, 2003-2004 में 23.44 मिलियन हैक्टेयर हो गया।

दूसरा सवाल यहां पूछा गया कि राज्य सरकार की क्या मदद की गई है-यहां सभी राज्यों का बहुत बड़ा स्टेटमेंट मेरे पास है। आपको स्पेसिफिक कौन सी स्टेट की इन्फोर्मेशन चाहिए, वह मैं दे दूंगा, नहीं तो पूरी इन्फोर्मेशन काफी बड़ी है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश को टोटल 7.85 करोड़ रुपये इस साल दे दिये हैं। जहां तक एम.एस.पी. का सवाल आपने पूछा है, ग्राउण्ड नट की 2004-2005 में 1520 रुपये कीमत तय हुई है, मस्टर्ड के लिए 1700 रुपए हुई है, सनफ्लावर के लिए 1500 रुपए हुई है,

सोयाबीन की ब्लैक वैरायटी के लिए 900 रुपये हुई है और येलो वैरीयटी के लिए 1010 रुपये तय हुई है। शेसाम के लिए 1550 रुपये कीमत हो गई है। ग्राम के लिए अभी तक कीमत तय नहीं हुई है। अरहर के लिए 1400 रुपये हो गई है। मूंग के लिए 1520 रुपये हो गई है और उड़द के लिए 1520 रुपये हो गई है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** पूछिये, आपको दूसरा प्रश्न पूछने का हक है।

**मोहम्मद शाहिद:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जितना हमारा आयल प्रोडक्शन है, जो खेती हमारे यहां हो रही है, क्या घरेलू यूज के लिए, हमारी कंट्री के लिए जितनी जरूरत है, उतनी पूरी पैदावार हो रही है? यदि नहीं, तो हम कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं और उस इम्पोर्ट को रोकने के लिए, कब तक हम अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इम्पोर्ट करने की जरूरत हमारी कब तक खत्म हो सकती है, इस सम्बन्ध में कृपया मंत्री जी और जानकारी दें?

**श्री शरद पवार:** आज जो देश की जरूरत है

*[अनुवाद]*

खाद्य तेलों की घरेलू मांग लगभग 10 मिलियन टन है और पिछले वर्ष तक इनका उत्पादन 7.5 मिलियन टन रहा था।

*[हिन्दी]*

यानी इसमें 2.5 मिलियन टन का गैप है। इस गैप को भरने के लिए ही प्रोग्राम लिया गया है, मगर आज 2.5 मिलियन टन हम विदेश से इम्पोर्ट करते हैं।

**मोहम्मद शाहिद:** अपनी रिक्वायरमैंट कब तक पूरा करने का गवर्नमेंट का अनुमान है?

**अध्यक्ष महोदय:** आपके दोनों प्रश्न हो गये, आपने पांच प्रश्न पूछे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बी. विनोद कुमार:** महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, दालों और तिलहनों की कमी है। यह त्रुटिपूर्ण योजनाओं के कारण हुई है; और हम इनका आयात कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि पूर्ववर्ती योजनाओं का पुनरूद्धार किया गया है और एक नई योजना 1 अप्रैल, 2004 से कार्यान्वित की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या नई योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

**श्री शरद पवार:** यह विशेष योजना सभी राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई है।

4 या 5 योजनाएं थीं। वे सभी योजनाएं, तिलहनों, दालों, पाम आयल और मक्का (आईसोपोम) की एकीकृत योजना के अंतर्गत विलय कर दी गई हैं। पिछले वर्ष भी, एक योजना लागू की गई थी। इसमें कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। दालों के संबंध में, निश्चित रूप से दो मिलियन टन की कमी है, जिसका हम आयात कर रहे हैं। हमारी इच्छा यह है कि हम यह आयात बंद करें और इसमें आत्मनिर्भर बनें। खाद्य तेलों के संबंध में 2.5 मिलियन टन की कमी है। यहीं भी, हमारी यह इच्छा है कि हम इसका आयात बंद करें और इसमें आत्मनिर्भर बनें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, केरल में नारियल की कृषि में आजकल संकट आया हुआ है। नारियल में ''कोकोनट माइट'' नामक बीमारी लगी हुई है। इसका परिणाम यह है कि ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह चर्चा दालों और तिलहनों से संबंधित है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** नारियल एक तिलहन है। अब प्रश्न यह है कि ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जी हां, मैंने इसे स्वीकार किया है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** अब, यदि पत्तियां मुरझाती हैं तो अन्ततः वृक्ष भी मुरझा जाएगा। नारियल की कृषि केवल केरल तक ही सीमित नहीं है अपितु यह अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी पैदा किया जाता है। अब, इस प्रकार से पत्तियों के मुरझाने के लिए कोई प्रभावी औषधि अथवा उपचार नहीं है और वृक्ष को काटकर उसकी जगह फिर से पौधा लगाना ही एक मात्र उपचार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बीमारी के लिए किसी प्रभावी उपचार का पता लगाने हेतु भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार हमारे देश में नारियल के किसानों को किस सीमा तक क्षतिपूर्ति कर सकती है। अतः मैं पुनः यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई योजना है।

**श्री शरद पवार:** महोदय, जिस किसी भी योजना के विषय में हम इस सभा में चर्चा कर रहे हैं नारियल उसका भाग नहीं है। वस्तुतः यह तिलहनों के अंतर्गत नहीं आता है। यह एक अलग

चीज है। यदि आप इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे अलग से सूचना देने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह एक गंभीर समस्या है। इसने केरल को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।

इस विशेष बीमारी से निपटने के लिए उस विशेष राज्य को पर्याप्त धनराशि दी गई है। एक सुझाव यह भी है कि पेड़ों को काटकर नए पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री छेवांग थुपस्तन:** अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी जिक्र किया कि आयल सीड और पलसिज के लिए नये सीड इजाद किए जा रहे हैं और नई तकनीक का विकास किया जा रहा है, लेकिन जो भी आपका रिसर्च और स्टडी होता है, वह लद्दाख पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वहां का इकोलाजिकल जोन और क्लाइमैटिक कंडिशन्स बिल्कुल अलग हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लद्दाख जैसे इकोलाजिकल जोन और क्लाइमैटिक कंडिशन वाले क्षेत्र के लिए अलग से रिसर्च या स्टडी करवाने के लिए क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपकी स्टडी का जो भी नतीजा होगा, यह लद्दाख पर अप्लाई नहीं होगा।

**श्री शरद पवार:** जो इम्प्रूवड वैरायटी का विकास किया गया है, वह कई सालों में किया गया है और वे अलग-अलग किस्म की हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग तीन सौ से भी ज्यादा है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** वह यह जानना चाहते है कि क्या लद्दाख के लिए कोई विशेष पैकेज है।

**श्री शरद पवार:** लद्दाख के विषय में मेरे पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। मैं अवश्य ही जानकारी एकत्रित कर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

**प्रो. एम. रामदास:** महोदय, माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि देश में उत्पादन लक्ष्य खपत के स्तर से कम हो गया है। 20 लाख टन तिलहन तथा दालों की कमी है। यदि हम घरेलू खपत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निश्चित ही उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तिलहन अथवा दालों की पैदावार के क्षेत्रफल को बढ़ा कर अथवा उत्पादकता बढ़ाकर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही हालत में किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सबसे अच्छा प्रोत्साहन लाभकारी मूल्य देकर दिया जा सकता है।

अब लाभकारी मूल्य के प्रश्न पर माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि सरकार ने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर दी है। आमतौर पर हमें किसानों से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि आयोग द्वारा तय किए गए मूल्य इस मायने में लाभकारी नहीं होते हैं कि वे आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं होते हैं। अब, मैं माननीय मंत्री से वह आधार तथा मानदण्ड जानना चाहता हूं जिस पर आयोग मूल्य तय करता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए खेती की वर्तमान लागत अथवा पिछले तीन या चार वर्षों की खेती की औसत लागत पर विचार किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह किसानों को पर्याप्त आर्थिक लाभ देता है तथा क्या यह किसानों को अधिक क्षेत्रफल पर तिलहन तथा दालों की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है।

**श्री शरद पवार:** महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा अध्ययन किए जाने वाले कारक हैं:

- उत्पादन लागत
- आगत मूल्यों में परिवर्तन
- आगत-निर्गत मूल्यों में समानता
- बाजार मूल्यों का रूझान
- मांग तथा आपूर्ति
- अंतर कृषि मूल्य समानता
- औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव
- जीवनयापन लागत पर प्रभाव
- सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की स्थिति
- किसानों द्वारा प्रदत्त तथा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता
- जारी मूल्यों तथा राजसहायता पर प्रभाव।

इसलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने हेतु 12 मानदण्डों का अध्ययन किया जाता है। जहां तक किसान को दिए जाने वाले लाभकारी मूल्य का संबंध है। मैं केवल एक उदाहरण दे सकता हूं। तिलहनों के लिए हाल ही में, घोषित किए गए

मूल्यों का स्वागत हुआ है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष तक सरसों की खरीद लगभग 4 लाख टन थी लेकिन इस वर्ष तक इसकी खरीद 12 लाख टन तक पहुंच गई है इसलिए इसमें काफी उछाल आया है इससे पता चलता है कि किसानों का रुख अनुकूल है।

*[हिन्दी]*

**चौधरी लाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, दलहन, खासकर राजमां, हमारे यहां मारवा और बाड़वन दशन के कुछ एरियाज में दुनिया की सबसे बढ़िया किस्म के होते हैं। उसे और डैवलप करने की जरूरत है। थोड़े से बढ़िया राजमां में आजकल घटिया राजमां मिलाकर बेचे जाते हैं। मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे इलाकों को, खासकर डोडा, ऊधमपुर, राजौरी और पुंछ को, स्पेशल तरजीह देंगे ताकि उनमें राजमां की फसल को और डैवलप किया जा सके?

**अध्यक्ष महोदय:** क्या राजमां भी आयल सीड्स में आता है?

**श्री शरद पवार:** अध्यक्ष महोदय, इस विषय में क्या रिसर्च हुआ, इसकी इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखेंगे तो इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिस्ट्स से बातचीत करके, खासकर डोडा और जम्मू क्षेत्र की समस्या हल करने की कोशिश की जाएगी।

**प्रो. राम गोपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इस प्रश्न के 'ई' भाग से संबंधित है, किसानों के लाभकारी मूल्य से संबंधित है और किसानों के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। मंत्री महोदय जानते होंगे कि राज्यों से एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज, इकोनामिस्ट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलकर हर वर्ष मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रिकमैंडेशन करते हैं, जिसमें वे यह इंगित करते हैं कि अमुक वस्तु का लागत मूल्य इतना है और इतना सपोर्ट प्राइस दिया जाए। लेकिन मेरी जानकारी में आया है और यह सत्य भी है कि राज्यों द्वारा जो सिफारिश की जाती हैं, उसमें जो लागत मूल्य आता है, उससे भी कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां कमीशन तय करता है। क्या मंत्री जी लागत मूल्य से ज्यादा देने के लिए, क्योंकि लाभकारी मूल्य तभी कहा जा सकता है, जब किसानों को लागत मूल्य से ज्यादा मिले, इसका कोई इंतजाम करेंगे और राज्य सरकारों की रिपोर्ट पर गौर करेंगे?

**श्री शरद पवार:** अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि कई राज्य सरकारों की तरफ से जो सिफारिशें आई हैं, उनमें राज्य-राज्य में कास्ट आफ कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही अंतर है। इसलिए इसकी डिटेल में जाकर, हर आइटम की जांच करके ही सीएसीपी अंतिम निर्णय लेती है। यह बात सच है कि राज्य सरकारों ने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें टोटली स्वीकार करना मुश्किल होता है। इसीलिए फर्क होता है। लेकिन जहां तक पल्सेज और आयल सीड्स का सवाल है, उनका टोटल इम्पोर्ट रोकने के लिए और किसानों को एनकरेज करने के लिए ज्यादा कीमत देने की आवश्यकता है। इसे सरकार ने भी स्वीकार किया है। इसलिए इस साल जो कीमत तय की गई है, उसमें इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाए गए हैं। इसमें किसानों का रिस्पौंस अच्छा मिल रहा है।

*[अनुवाद]*

**श्री ई. पोन्नुस्वामी:** धन्यवाद महोदय। जैसाकि मेरे साथियों ने पहले ही कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना ही किसानों को दिया जाने वाला सर्वोत्तम प्रोत्साहन है।

तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, चिदंबरम में, किसानों ने वैकल्पिक फसल जैसे चना दाल, काली उड़द तथा जिंजली तिलहन उगाए लेकिन भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण सब नष्ट हो गया तथा तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, किसानों को सहायता हेतु राज्य सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम उठाने हेतु अनुदेश देने पर विचार कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय:** इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

*[अनुवाद]*

## भू-जल संसाधनों में कमी

***502. +श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2002 के दौरान भू-जल संसाधनों में कमी के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति में सुधार हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

जी, हां। सरकार को वार्षिक साझा (एनुआल पार्टनर्स) बैठक, 2002 के दौरान भारत में भूजल संसाधनों की गिरावट के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है। इस रिपोर्ट में गिरावट, लवणीकरण और प्रदूषण की तीन प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया गया है, जिसमें व्यापक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव हुए हैं तथा संसाधन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है:

(क) **सूचना प्रणाली और संसाधन आयोजना:** नियमित आधार पर भूजल मानीटरिंग के लिए उपयुक्त प्रणालियों के माध्यम से भूजल संसाधन को समझना और इस संसाधन के उपयोग की आयोजना करने में मानीटरिंग आंकड़ों को शामिल करना। इसके साथ ही भूजल के संवर्धन और प्रबंधन के प्राप्ति, उपयोग और तरीकों पर क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अनसुंधान शुरू करना।

(ख) **मांग आधारित प्रबंधन:** परमिट अथवा लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ताओं का पंजीकरण; उपयुक्त कानून तथा नियामक तंत्र; मूल्य निर्धारित प्रणाली, संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना; सुनिश्चित सिंचाई और जल बचत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों तथा दृष्टिकोण आदि सहित स्थाई स्तरों की निकासी का विनियमन करने के लिए प्रभावी प्रणाली।

(ग) **आपूर्ति आधारित प्रबंधन:** समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमों, पुनर्भरण के लिए सतही जल उपयोग को अधिकतम करना और जल संरक्षण तथा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रोत्साहन में सुधार लाते हुए भूजल पुनर्भरण का संवर्धन।

(घ) **नदी बेसिन के संबंध में भूजल प्रबंधन:** भूजल संसाधन की आयोजना और प्रबंधन अधिकतम बेसिन स्तर की क्षमता के आधार पर करनी होगी जिसमें पुनर्भरण के लिए बेसिक पार प्रवाह अथवा सुनिश्चित सतही जल प्रणाली शामिल हो।

"जल" राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों की गिरावट की स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

**सूचना प्रणाली और संसाधन आयोजना के संबंध में उठाए गए कदम:**

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(2) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) लगभग 15,000 राष्ट्रीय मानीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में भूजल स्तरों की मानीटरी करता है।

(3) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाईट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबी.एनईटी) की शुरूआत करना।

(4) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजना।

(5) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

**मांग आधारित प्रबंधन के संबंध में उठाए गए कदम:**

(1) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में एक माडल बिल का परिचालन किया जिसे 1992 और 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें। भूजल के विकास और प्रबंधन और विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित मांडल बिल, 2005 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: परिचालित किया गया है।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल संसाधनों के अति दोहन को ध्यान में रखते हुए 11 नाजुक क्षेत्रों और भूजल संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 32 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

(3) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण उद्योगों/परियोजनाओं के द्वारा भूजल की निकासी का विनियमन कर रहा है। इन गंभीर क्षेत्रों की सूची राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को परिचालित कर दी गई है जो अनुमति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के नए उद्योगों/परियोजनाओं से संबंधित है।

**आपूर्ति आधारित प्रबंधन के संबंध में उठाए गए कदम:**

(1) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(3) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(4) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 1800 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(5) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिल्ली में 100 वर्गमीटर और उससे अधिक से भूखंडों पर सभी नये भवनों में वर्षा जल सहित जल अपवाह के भंडारण के माध्यम से जल संचयन संबंधी प्रावधान करते हुए भवन उप-नियम, 1983 में संशोधन किया है। इसी प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने विशेष मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।

(6) नौवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(7) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम विचाराधीन है।

**नदी बेसिन के संदर्भ में भूजल प्रबंधन के संबंध में उठाए गए कदम:**

(1) ग्रामीण बेसिन मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) और कृषि मंत्रालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिसके तहत, मृदा और जल संरक्षण कार्य सहित, विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि आबंटित की जाती है। तथापि, भूजल में गिरावट, जो कि वाटरशेड क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए नमी संरक्षण संबंधी कार्यकलापों की परिणामस्वरूप नहीं है, के लिए विशेष रूप से निधि आबंटित नहीं की जाती है।

(2) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर योजना" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त मानसून अपवाह के 36453 मिलियन घनमीटर की मात्रा का पुनर्भरण किए जाने की योजना है।

*अनुबंध*

*नौवीं योजना के दौरान "भूजल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" विषयक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | अनुमोदित परियोजनाओं की लागत (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10 | 54.55 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 20.00 |
| 3. | असम | 1 | 63.50 |
| 4. | बिहार | 2 | 10.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | चंडीगढ़ | 7 | 64.23 |
| 6. | दिल्ली | 18 | 96.07 |
| 7. | गुजरात | 3 | 20.05 |
| 8. | हरियाणा | 8 | 107.17 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 6 | 81.65 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 8 | 78.96 |
| 11. | झारखंड | 5 | 25.73 |
| 12. | कर्नाटक | 2 | 43.30 |
| 13. | केरल | 13 | 88.18 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5 | 53.85 |
| 15. | महाराष्ट्र | 4 | 126.63 |
| 16. | मेघालय | 1 | 20.32 |
| 17. | मिजोरम | 1 | 28.00 |
| 18. | नागालैंड | 3 | 116.43 |
| 19. | उड़ीसा | 8 | 1508.29 |
| 20. | पंजाब | 17 | 361.92 |
| 21. | राजस्थान | 18 | 122.80 |
| 22. | तमिलनाडु | 10 | 161.14 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 10 | 139.07 |
| 24. | उत्तरांचल | 1 | 2.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 7 | 154.09 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3 | 12.92 |
| 27. | लक्षद्वीप | 2 | 19.85 |
| | कुल | 174 | 3581.22 |

*[हिन्दी]*

**श्री किसनभाई वी. पटेल:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि देश के अधिकांश भागों में वर्षा जल व्यर्थ जा रहा है, इसीलिए सारे देश में भूजल में गिरावट आई है। देश के सभी पहाड़ी एरियाज, खासकर गुजरात के दक्षिण एरियाज के बलसाड डांग में भूजल से सिंचाई के लिए योजना चल रही है। उसमें बेसिन भूजल के संबंध में तालाब, चैकडैम, बोरीबंद छोटे डिजाइन में चल रहे हैं। देश के पहाड़ी एरियाज और दक्षिण गुजरात में भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से वर्षा जल तेजी से गारा-मिट्टी लेकर आता है इसलिए तालाब और चैकडैम सिलटेज से डैमेज हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप प्रश्न पूछिये।

**श्री किसनभाई वी. पटेल:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश के पहाड़ी इलाकों और गुजरात के बलसाड डांग में तालाब, चैकडैम के बड़े डिजाइन बनाने और आवंटित धनराशि बचाने के लिए सरकार क्या करना चाहती है?

**जल संसाधन मंत्री ( श्री प्रियरंजन दासमुंशी ):** अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का सवाल गुजरात से संबंधित है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने काफी चैकडैम के प्रबन्ध किये हैं। कुछ दिन पहले मैं सूरत में गुजरात के वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर के साथ मिला था। उन्होंने हमें ब्यौरा दिया कि इसमें काफी तरक्की आई है। लेकिन जहां तक भूजल की स्थिति को इम्प्रूव करने, यानी रीचार्जिंग करने का सवाल है, उसमें हमारी योजना के तहत गुजरात सरकार की तीन स्कीम्स को सैंक्शन किया गया है। उन तीनों स्कीम्स के लिए हम उनको 20 लाख रुपये दे चुके हैं। अगर उनके लिए और अधिक धनराशि की जरूरत होगी, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उन्होंने जो 175 लाख रुपये रीचार्जिंग के लिए मांगे हैं, उसमें प्लानिंग कमीशन की हमें सहमति मिल गयी है। अभी हम कैबिनेट कमेटी आन इकोनामिक अफेयर्स में जा रहे हैं। यदि वहां से कुछ पैसा आयेगा तो वह हम अगली योजना हेतु दे सकते हैं।

**श्री किसनभाई वी. पटेल:** अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने 54 तालुकाओं में भूजल के लिए नये ट्यूबवैल लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे 54 तालुकाएं कौन से हैं जहां प्रतिबंध लगाया गया है?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति गुजरात में नहीं, पूरे भारत में है। हमारे 643 ऐसे तालुकाएं या ब्लाक्स हैं, जिनमें यह खतरा है, यानी वे ओवर एक्सप्लायट जोन हो गये है। हमारे 400 से अधिक डार्क जोन बन गये हैं। सारे देश को इन 643 तालुका या ब्लाक्स के अंदर गुजरात सरकार ने किन-किन जगहों पर इसे शुरू किया गया है, उसकी सूचना हम गुजरात सरकार से लाकर माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री पटेल, मैं आपके द्वारा डाले गए पहले व्यवधान पर आपको बधाई देता हूं।

**श्री सुरेश कुरूप:** महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कोका-कोला ने देश के विभिन्न भागों में संयंत्र स्थापित किए हैं जहां पहले से ही पानी की बहुत कमी है। वे भारी मात्रा में पानी का उपयोग करते है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को पानी से वंचित होना पड़ता है।

**अध्यक्ष महोदय:** इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

**श्री सुरेश कुरूप:** महोदय, उदाहरण के तौर पर, केरल तथा राजस्थान में, इन कंपनियों द्वारा भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध शुरू हो गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल भेजेगी।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** प्रत्येक राज्य में भूमिगत जल पर आधारित किसी औद्योगिक गतिविधि की अनुमति देने हेतु मानक मानदण्ड निर्धारित हैं। यह संबंधित राज्य सरकार की संतुष्टि पर निर्भर करता है कि वे केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की जानकारी के अध्यधीन अमुक कंपनी को अनुमति अथवा लाइसेंस देंगे या नहीं।

जहां तक केरल तथा राजस्थान में स्थित कोका-कोला संयंत्र का संबंध हैं तथा जैसा कि मेरा विचार था वे न्यायालय चले गए तथा दोनों पार्टियां न्यायालय चली गई हैं। भूमिगत जल स्तर की मात्रा की जांच करने के पश्चात् तत्कालीन संबंधित राज्य सरकार के स्पष्ट अनुमोदन से यह किया गया था। तथापि, केरल के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा गहरा रोष प्रकट किया गया तथा हमने इसमें दखल नहीं दिया। चूंकि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है तथा इस मामले को न्यायालय में भी उठाया गया है।

जहां तक राजस्थान का संबंध है, हमने उसके लिए भी यही मानदण्ड लागू किया है। अब बुनियादी बात यह है कि विभिन्न राज्यों से अतिशय निकासी वाले क्षेत्र और 'डार्क जोन' को रोकने के संबंध में विधान बनाने के लिए हमने एक आदर्श विधेयक भेजा है। कुछ राज्यों के विधान अधिनियमित कर दिया है और कुछ राज्य इसे अधिनियमित करने पर विचार कर रहे हैं। मैं सहमत हूं कि अधिनियमन प्रक्रिया बहुत धीमी है। राज्य सरकारों को वर्ष 1970, 1992 और 1996 से इस विधान के अधिनियमन के लिए बार-बार अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इसे शीघ्र ही अधिनियमित किया जाएगा। इसी बीच मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने एक दृढ़ निश्चय किया है। जिसमें यह स्पष्ट है कि जहां भी भूजल की अतिशय निकासी की जाती है अथवा जहां 'डार्क जोन' हैं वहां ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक केन्द्रीय भूजल बोर्ड इसकी जांच न कर लें। केरल और राजस्थान में स्थिति का और अध्ययन करने के लिए एक दल को वहां भेजने के आपके सुझाव के संबंध में मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं ऐसा करूंगा।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री:** महोदय, 'जल' राज्य का विषय है और माननीय मंत्री ने गुजरात के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। सम्पूर्ण गुजरात राज्य अत्यधिक कमी मुख्यत: भूजल के नि:शेषण की समस्या से जूझ रहा है। यद्यपि केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा काफी धनराशि उपलब्ध करा रही है परंतु गुजरात के विभिन्न भागों में जल संबंधी दंगे हमेशा होते रहते हैं। लोगों की हत्या हो रही है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि संघ सरकार के पास भूजल का स्तर बढ़ाने तथा जल संबंधी परियोजना को पूरा करने के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों की राज्य में निगरानी करने के लिए किस प्रकार का तंत्र है। यदि वे राज्य भूजल संबंधी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लंघन करते हैं तो संघ सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** सर्वप्रथम, मैं यह बताना चाहूंगा कि हम राज्य सरकारों की निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकारें हमसे या हमारे स्टेशनों से जो भी तकनीकी समर्थन चाहते हैं हम हमेशा उन्हें वह उपलब्ध कराते हैं।

जहां तक ऐसे किसी मानदण्ड के उल्लंघन का संबंध है, केन्द्र सरकार कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है। ऐसे मामले में राज्य सरकारें सख्त कार्रवाई करती हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री रेवती रमन सिंह:** अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व एक सर्वे हुआ था जिससे यह ज्ञात हुआ कि देश के 23 प्रदेशों के 316 जिलों में पानी का स्तर नीचे चला गया है, जिसकी वजह से हर वर्ष पानी का स्तर 20 सेन्टीमीटर नीचे चला जाता है। महोदय, यह पिछले दस सालों का रिकार्ड है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है, जिसके तहत समयबद्ध तरीके से पानी के स्तर को ऊपर लाया जा सके? अगर इसके लिए तत्काल कोई कार्रवाई न की गयी तो इलाहाबाद जनपद की चार तहसीलों-मेजा, बारा,

करछना और कोरावं के गरीब 250 गांवों में, जहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, पेयजल का घोर संकट खड़ा हो जाएगा।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में आज भूजल की स्थिति में पिछले 20 सालों में जिस तेजी से गिरावट आई है, अगर उसका कोई सही टेक्नोलाजिकल इलाज नहीं खोजा गया तो आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अभी फिलहाल हमारे देश में 673 ऐसे ब्लाक्स हैं, जहां से पानी की ज्यादा निकासी हुई है और 400 से अधिक ऐसे ब्लाक्स हैं, जिन्हें डार्क जोन घोषित करना पड़ा है, जहां से एक निश्चित सीमा से अधिक भूजल निकालना संभव नहीं है।

जहां तक योजना की बात है, मैं माननीय सदस्य को इतनी ही सूचना देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल रिचार्जिंग सिस्टम के अलावा एक नई योजना लागू की गई है, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना कहते हैं। इसमें मानसून का रनअप वाटर रूफ टाप पर इकट्ठा किया जाता है। इस योजना का हमने हर राज्य को माडल लेजिस्लेशन का प्रोसीजर भेजा है, ताकि बड़े-बड़े मकान और भवन बनाने के समय इसे भी शामिल किया जाए। काफी राज्य इसमें सहायता भी कर रहे हैं। मैं उन सभी राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिसियल रिचार्जिंग की बात है, नौवीं योजना में यह योजना अच्छी तरह से चली। लेकिन दसवीं योजना की शुरूआत में पैसा उपलब्ध नहीं हुआ। अभी हमने 175 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है, जिसे योजहना आयोग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जल्दी ही यह राशि उपलब्ध हो जाएगी, जिससे बाकी योजना को पूरा करने के लिए इस साल के अंत तक हम और तेजी से कदम उठाएंगे। जहां तक क्रिटिकल एरियाज हैं, हमने देश में ऐसे 11 इलाकों का चयन किया है, जिसमें दिल्ली का स्थान काफी खतरे में है। पंजाब और दिल्ली को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी दो-तीन पाकेट्स को चिन्हित किया गया है। उसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ कांस्टेंट मानिटरिंग कर रहे हैं, ताकि हमारी योजना कामयाब हो।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे लगता है कि माननीय मंत्री को वर्षाजल संचयन में संसद सदस्यों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** ठीक है।

*[हिन्दी]*

**श्री राजाराम पाल:** अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान द्वारा 2002 में गिरते हुए जल स्तर के बारे में चिंता जताई गई है। उससे हम सभी सांसद भी चिंतित हैं कि आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होगा तो वह पानी को लेकर होगा। मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर में गंगा बैराज है। उसका निर्माण कानपुर जैसे एक करोड़ की आबादी वाले महानगर की पानी की समस्या को हल करने के लिए किया गया था। लेकिन उस इलाके में जल स्तर काफी गिर गया है, जिससे वहां पेयजल संकट पैदा हो गया है। गंगा बैराज के साथ-साथ कानपुर जनपद में रिन्द नदी और पांडव नदी के आसपास हजारों गांव बसे हुए हैं। उन गांवों में भी जल स्तर काफी नीचे चला गया है। प्राकृतिक साधनों पर हमारी खेती निर्भर करती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह रिन्द नदी और पांडव नदी पर चैक डैम बनाकर जल स्तर को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाएगी?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या यह केन्द्र का मामला है? यह केन्द्र का मामला नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** यह राज्य सरकार के दायरे में आता है। हम उन्हें केवल टैक्नीकल सहयोग दे सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचंद पाल:** मकानों की छत पर वर्षा जल संचयन की नई आधुनिक और प्रभावी अवधारणा के संबंध में जो प्रचार अभियान शुरू हुआ है उसके संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या 100 मीटर से ऊंची नई इमारतों पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया गया है, क्या बहुमंजिला इमारतों जैसे संसद सदस्यों के फ्लैटों, बंगलों और महत्वपूर्ण मंत्रियों के बंगलों को इस प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है और जनता को इसके प्रति जागरूक बनाया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह किस प्रयोजनार्थ है?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारे मंत्रालय की इमारतों सहित अनेक उच्च माध्यमिक विद्यालयों ने इस तरीके को पहले ही अपना लिया है। तथापि जहां तक संसद सदस्यों के फ्लैटों और बंगलों का संबंध है मैं सी.पी.डब्ल्यू.डी. और संबंधित विभाग को इस अच्छे सुझाव

की जानकारी दे दूंगा। ताकि भविष्य में हम उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकें।

### बाढ़ नियंत्रण हेतु योजना

***503. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्थायी रूप से बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

*[हिन्दी]*

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) पूरे विश्व में बाढ़ को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका प्रबंधन स्थान दर स्थान की समस्या की तकनीकी कुशलता के आधार पर करना होगा। तथापि, बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस मामले पर विशेष ध्यान दिया।

तथापि, केन्द्र सरकार बाढ़ के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिए विभिन्न उपाय भी करती रही है। बाढ़ की समस्या की जांच करने तथा इस संबंध में सुधारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों, जिनके आधार पर देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यनीति के लिए रूपरेखा तैयार की गई, को कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। बाढ़ तथा इसके प्रबंधन से संबंधित समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई अन्य विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया गया था जिनकी सिफारिशें भी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं। गंगा बेसिन राज्यों के लिए वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन के संबंध में व्यापक योजनाएं तैयार की। इसी प्रकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जिसने वर्ष 1982 में गुवाहाटी में अपना कार्य प्रारंभ किया, ने ब्रह्मपुत्र, बराक और इसकी वितरिकाओं के लिए बाढ़ प्रबंधन के संबंध में मास्टर योजनाएं तैयार की। इन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

वर्ष 2004 के दौरान, भारत सरकार ने असम और पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ और कटाव की समस्या की जांच करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता, में राज्य सरकारों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा सदस्य के रूप में विशेषज्ञों सहित, बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी एक कार्य बल का गठन किया था। इस कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थायी/दीर्घ कालिक उपायों के रूप में जलाशय परियोजनाएं प्रारंभ करने की सिफारिश की है।

भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाती रही है। सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना तथा सनकोसी भण्डारण-सह-डाइवर्सन स्कीम के सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल के साथ एक समझौता हुआ था। जिसके लिए अगस्त, 2004 में नेपाल में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय खोला जा चुका है। इस परियोजना से होने वाले महत्वपूर्ण लाभों में बाढ़ नियंत्रण एक बड़ा लाभ है। नेपाल भी इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं का पता लगाने के वास्ते कमला का संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन तथा बागमती बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन करने पर सहमत हो गया है ताकि इसका उपयुक्त ढंग से समाधान किया जा सके।

जहां तक पूर्वोत्तर का संबध है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की समस्या का संतोषप्रद और धैर्यपूर्वक समाधान बेसिन में, वह भी बेसिन के ऊपरी भाग में, बड़े भण्डारण बांध का निर्माण करने के पश्चात ही किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए दो अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजनाएं नामत: सियांग (दिहंग) बांध परियोजना तथा सुबनसिरी बांध परियोजनाओं का अन्वेषण किया गया तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं। ये परियोजनाएं जिन्हें प्रत्येक को अब तीन चरणों में प्रारंभ किया जाना है, को विस्तृत अन्वेषण और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) को हस्तांतरित किया जा चुका है। बराक नदी पर तिपाइमुख बहुउद्देशीय परियोजना नामक दूसरी प्रमुख परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है जिस से अन्य बातों के साथ-साथ बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण लाभ प्राप्त होंगे। भारत सरकार ने 542.90 करोड़ रुपये की लागत से (संशोधित अनंतिम लागत 1069.40 करोड़ रुपये) वर्ष 2001 में असम में पगलादिया बहुउद्देशीय परियोजना

के कार्यान्वयन को भी अनुमोदित कर दिया है जिससे बाढ़ नियंत्रण का बड़ा लाभ हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार गंभीर कटावरोधी/बाढ़ प्रबंधन कार्य प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता भी प्रदान करती रही है। गंगा बेसिन राज्यों के लिए 10वीं योजना के दौरान 136.17 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से सहित 178.85 करोड़ रुपये की राशि की एक स्कीम अनुमोदित की गई थी। इसी प्रकार सिक्किम, उत्तर बंगाल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपये की एक स्कीम अनुमोदित की गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 21.91 करोड़ रुपये की लागत से कटावरोधी कार्यों का निष्पादन भी किया है। माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित की जाने वाली 41.28 करोड़ रुपये की दूसरी स्कीम अनुमोदित की गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों को गंडक और कोसी तटबंधों (नेपाल का हिस्सा) के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसे वे बाढ़ के प्रत्येक मौसम के पश्चात निष्पादित करते हैं। ''लालबकिया, कमला, बागमती और खांडो नदियों के तटबंधों के विस्तार, ऊंचा उठाने तथा सुदृढ़ीकरण नामक स्कीम के लिए बिहार को सहायता मुहैया कराई जा रही है''।

*[अनुवाद]*

**श्री सनत कुमार मंडल:** अध्यक्ष महोदय यह राष्ट्र की विडम्बना है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान देश के कुछ भागों में भंयकर सूखा पड़ता है और देश के कुछ भाग विनाशकारी बाढ़ का सामना करते हैं। बाढ और सूखे की बार-बार उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं और इनके कार्यान्वयन पर काफी धनराशि खर्च करने के बाद भी कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलते। तथापि प्रत्येक वर्ष ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति अवश्य होती है। इसे देखते हुए मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरबन नदी के तटबंध को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष कोई मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है। यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है।

**जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** जहां तक बाढ़ का संबंध है सुन्दरवन के मुद्दे पर बात करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही संवैधानिक प्रणाली में, केन्द्र और राज्यों के योजनागत हिस्से के आधार पर, यह सारा तन्त्र राज्य सरकारों को सौंपा गया है। हाल ही में आई बाढ़ में, विशेषकर असम, ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, विध्वंस की मात्रा पर विचार करते हुए यू.पी.ए. सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस पर बल दिया है। यह ठीक है कि यह राज्य का विषय है परन्तु इसे राष्ट्रीय महत्व देने के लिए हमने एक कार्य बल बनाया है जिसने दिसम्बर, 2004 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसकी सिफारिशें बड़ी-बड़ी हैं जिसके लिए हमें लम्बी अवधि और अल्पावधि के लिए बड़ी धनराशि अर्थात् 5,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उस कार्य बल में हमने सुन्दरबन और ईच्छामत्ती क्षेत्र भी शामिल किए हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि इन सिफारिशों में, मामले का वह हिस्सा भी शामिल है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और उसके प्रतिनिधियों ने कार्यबल के समक्ष साक्ष्य दिया था। उन्होंने पूरे कार्य हेतु समर्थन की मांग करने के अलावा मूलत: दसवीं योजना और शेष ग्यारहवीं योजना के लिए आवश्यक एक समेकित धनराशि अर्थात् 5,000 करोड़ रु. की मांग की। इस संबंध में एक व्यापक, निर्णायक और स्पष्ट मास्टर प्लान योजना आयोग के समक्ष नहीं रखा गया है परन्तु इसे कार्य बल के समक्ष रखा गया था। हम इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि नदी के कटाव के संबंध में अल्पावधि उपाय के रूप में हमने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है और गंगा बेसिन और महानदी बेसिन में कार्य शुरू कर दिया है। जैसे ही हम योजना आयोग से निधियों संबंधी स्थिति और सुंदरबन्स और इच्छामती संबंधी अन्य ब्यौरों के बारे में निर्णायक रूप सूचना प्राप्त कर लेंगे, हम कार्यवाही शुरू कर देंगे।

**श्री सनत कुमार मंडल:** मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया है।

**श्री सनत कुमार मंडल:** धन्यवाद, मंत्री महोदय। क्या आने वाली वर्षा ऋतु जो वर्ष की बाढ़ प्रवण अवधि है में आपदा से निपटने की तैयारी हेतु कोई व्यापक योजना बनाई गई है ताकि बाढ़ के कारण होने वाले विनाश को कम से कम किया जा सके? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** मुझे यह सूचित करते हुये खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले दो माह से कुछ केन्द्रीय-प्रायोजित योजनाओं, जिन पर पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष पहले ही सहमति हो गई थी, को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है और उनमें से कुछ योजनायें पूरी होने को हैं। मुझे आशा है कि 30 जून तक उनमें से कुछ योजनायें पूरी हो जायेंगी। जैसा कि मैंने बताया है, गंगा बेसिन में भूमि कटाव रोधी उपायों के बारे में हमारे कार्य दल की लघु-अवधि सिफारिशों का संबंध है, हमने मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्रों में कार्य शुरू कर दिया है। आशा है कि यह भी 30 जून से पहले काफी हद तक पूरा हो जायेगा।

जहां तक अन्य कार्यक्रमों का संबंध है मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मानसून से पहले उन पर कार्य होगा। जहां तक विनाश का संबंध है यू.पी.ए. सरकार बहुत जल्द सभा में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विधेयक ला रही है जिसमें आपदा पीड़ितों का ध्यान रखा जायेगा।

**श्री अनवर हुसैन:** मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तथ्य को जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने असम का दौरा करते समय असम में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिये किसी समुचित संस्थानिक व्यवस्था के न होने पर 21 नवम्बर, 2004 को गुवाहाटी में आश्चर्य व्यक्त किया था? उन्होंने असम के लोगों को भी आश्वस्त किया था कि बाढ़ नियंत्रण संबंधी इतने बड़े कार्य को करने के लिये एक नये संस्थान के बारे में सोचने का यही समय है। मेरा प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

**श्री अनवर हुसैन:** अभी तक असम में इस बृहत् बाढ़ समस्या से निपटने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वायदा किया गया है। सरकार कब तक एक समुचित संस्थानिक व्यवस्था कायम करने का कार्य पूरा करेगी।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, माननीय प्रधानमंत्री की अपील के उत्तर में, उनके निर्देश पर, जैसाकि मैंने पहले बताया है कि हमने एक कार्यबल नियुक्त किया है जिसने दिसम्बर, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जहां तक विशेष रूप में असम का संबंध है, संपूर्ण असम की बाढ़ की स्थिति केवल असम तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है और अरूणाचल प्रदेश में से होकर बहती है। जब तक कि सियांग परियोजना और सुबनसिरी परियोजना संबंधी दोनों व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता है तब तक यह बता पाना मुश्किल होगा कि भविष्य में बाढ़ की विभीषिका कितनी कम होगी। इन परियोजनाओं को एन.एच.पी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया है और उन्होंने निचली (लोअर) सुबनसिरी परियोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। सुबनसिरी नदी पर अन्य दो परियोजनाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक रिट-याचिका दाखिल है। हम इस संबंध में अंतिम राय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्यथा, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

जहां तक ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि कई अन्य परियोजनायें अभिलिखित हैं। उनमें से एक बराक घाटी के लिये तिपाईमुख परियोजना है। जहां तक ब्रह्मपुत्र घाटी का संबंध है, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के अन्तर्गत कार्यबल में हम पूर्वोत्तर नदी घाटी प्राधिकरण हेतु एक नई अवधारणा बना रहे हैं। अरूणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्यों ने सहमति दे दी है। जैसे ही मुझे अरूणाचल प्रदेश की सहमति मिल जाती है। मैं पूर्वोत्तर नदी घाटी प्राधिकरण हेतु विधेयक लेकर आऊंगा।

**श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन:** धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। काफी समय से हम दक्षिण स्थित कावेरी नदी के साथ उत्तर स्थित गंगा नदी को जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या इस वृहद् परियोजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि इससे बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी और राष्ट्रीय अखण्डता को बनाये रखने में भी मदद मिलेगी।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** मेरे विचार से यह बाढ़ संबंधी मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि नदियों को जोड़ने संबंधी अवधारणा हेतु राष्ट्र की राजनैतिक आम सहमति प्राप्त करने के लिये और अधिक समय अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय यह एक सर्वथा भिन्न मामला है।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बात कही है कि खास तौर पर बिहार और असम बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे हर वर्ष करोड़ों रुपए और जान-माल की क्षति होती है। सब लोग इसे लेकर चिन्तित हैं कि कैसे परमानैंट साल्यूशन निकालकर बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 2004 के दौरान भारत सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण होने वाले भू-कटाव की समस्या की जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग का गठन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए जो जल आयोग गठित किया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े जो राज्य जैसे असम है उनके बारे में, खास तौर पर बिहार के बारे में वह आयोग कब तक पूरी रिपोर्ट दे देगा और नेपाल से इस बारे में बातचीत करके क्या कार्रवाई की है?

आपने नेपाल में दफ्तर खोलने की चर्चा की है। बिहार में बाढ़ की समस्या का कब तक पूरे तौर पर स्थायी समाधान निकाला जाएगा, इसके लिए कौन सी कार्रवाई की जा रही है और इसका स्वरूप कब तक सामने आएगा ताकि बिहार के लोगों का कल्याण हो।

**अध्यक्ष महोदय:** सब प्रान्तों का कल्याण होना चाहिए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिहार की बाढ़ का सवाल है, स्थिति बहुत गम्भीर है। इसके बारे में काफी समय से सदन में चर्चा हो रही है। सरकार ने इस बारे में काफी कदम उठाए लेकिन असली बात यह है कि नेपाल की सीमा में, जहां से बिहार की बाढ़ की त्रासदी होती है, हम जब तक योजनाबद्ध तरीके से उसकी रोकथाम नहीं करेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। मैं खुशी के साथ इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार बनने के तीन महीने के अन्दर हमने इस विषय को इतनी प्राथमिकता दी कि पहली बार, इतने दिनों के बाद, सनकोसी, सप्तकोसी की योजना पर दोनों देश सहमत हो गए और भारत सरकार ने डीपीआर पर काम करने की इजाजत दे दी जिसके अनुसार नेपाल में हमारा आफिस भी खुल गया। ये दोनों काम जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, जिससे लोग एक बड़ी त्रासदी से बचेंगे। जहां तक ज्वाइंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट का सवाल है, दोनों नदियों कमला और बागमति की मल्टी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए दोनों देश सहमत हो गए। हमने नेपाल के प्रधान मंत्री के दौरे के समय इसके बारे में सहमति भी जतायी, लेकिन अभी वहां स्थिति गम्भीर है। हम इस पर आगे कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह:** जैसा कि आपको पता है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों विशेषकर दक्षिणी भागों में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये की गई थी।

परन्तु यह सफल नहीं हो सका और यह बर्धमान, हुगली, हावड़ा और गंगा के सभी निचले क्षेत्रों में आम जनता के लिये दु:ख का कारण बन गया। निचली (लोअर) दामोदर परियोजना को भी पूरा नहीं किया गया।

इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये निचली दामोदर परियोजना को पूरा करने के लिये कौन से कदम उठायेगी।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** सबसे पहले मैं बता दूं कि यह सरकारी परियोजना नहीं है।

दूसरे, जहां तक निचली दामोदर का संबंध है, मैं इस समस्या के बारे में पूरी तरह जानता हूं और मैं माननीय सदस्य की चिंता में शामिल हूं। मैं जानता हूं कि मानसून के दौरान स्थिति किस प्रकार की होती है। मूलभूत समस्या ज्यादा गाद भर जाना है और गाद भर जाने से ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे जल भण्डार में अपेक्षित जल उपलब्धता मानसून के दौरान कभी-कभार क्षमता से अधिक हो जाती है। इसीलिये जल छोड़ने के लिये बराज सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिये जिसके कारण लोग प्रभावित होते हैं। इस संबंध में मुझे माननीय सदस्य को सूचित करना होगा कि मैं उस बैठक में माननीय सदस्य के विचारों से सहमत था कि जून माह में डी.वी.सी. प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई डेस्क हो रही है और फरक्का प्राधिकरण की एक बैठक हो रही है जिसमें झारखंड सरकार को भी शामिल किया है जिसमें इस दृष्टि से जल छोड़ने संबंधी एक व्यापक तंत्र तैयार किया जाएगा और गाद निकालने संबंधी योजना तैयार की जाएगी कि इसे अपनाया जा सकता है या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री शैलेन्द्र कुमार। कृपया उसी प्रश्न को मत दोहराइये।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच में 120 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। वहां प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ के कारण काफी जल भराव हो जाता है और अनेकों गांव डूब जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इन सभी 'अनुपूरकों' के साथ उदार रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या ऐसे स्थानों को भी इसमें चयनित किया गया है और जो गांव डूबते हैं, क्या आपने उनके लिए कोई कार्य योजना तैयार की है?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूं कि टास्क फोर्स का गठन हुआ था और पैसा प्लानिंग कमीशन से मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसका पहले ही उत्तर दे दिया गया है। अत:, आपको इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. चन्द्र कुमार:** हिमालय की नदियों में विशेषकर पूरे उत्तरी भारत में काफी बाढ़ आती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार के पास इन नदियों को चैनेलाइज करने संबंधी कोई संदर्शी योजना है ताकि बाढ़ नियंत्रण के लिये इन नदियों के जिनमें पड़ने वाली भूमि को पुन: उपजाऊ बनाया जा सके।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है। मूल समस्या पारिछू नदी में हाल ही में आई आकस्मिक बाढ़ के आने से जुड़ी हुई है। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने चीन के साथ विचार-विमर्श किया है। जहां तक संभव होगा चीन, पारिछू नदी की झील के जल को नियंत्रित करने के लिये सहमत है ताकि हिमाचल प्रदेश में कोई आकस्मिक बाढ़ न आए। जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, हमने उसे हिमाचल सरकार के साथ उठाया है।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सुग्रीव सिंह-उपस्थित नहीं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल-उपस्थित नहीं।

## बाढ़ नियंत्रण के संबंध में भारत और चीन के बीच समझौता

***505. +श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच नदी जल बंटवारे और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीन से निकलने वाली तथा देश से होकर बहने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या दोनों देश बाढ़ नियंत्रण हेतु सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वे जल संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए भी सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

*[हिन्दी]*

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

चीन से निकलने वाली और भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, लोहित, सुबनसिरी और सिंधु हैं। वर्तमान में, नदी जल के बंटवारे के संबंध में चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

तथापि, बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों के संबंध में सहयोग जारी है। इस संबंध में जनवरी, 2002 में भारत और चीन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें चीन द्वारा भारत को बाढ़ मौसम में प्रत्येक वर्ष 1 जून से 15 अक्तूबर तक तीन केन्द्रों अर्थात नुगेशा, यांगकुन और नुक्सिया के संबंध में ब्रह्मपुत्र (यालूजांग्बो) नदी पर जल वैज्ञानिक सूचना अर्थात वर्षा, जल स्तर निस्सरण और अन्य संगत सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चीनी पक्ष ने जून, 2002 से उपयुक्त उल्लिखित तीन केन्द्रों के लिए भारत को आंकड़े संप्रेषित करना प्रारंभ कर दिया है। चीन के माननीय प्रधानमंत्री के अप्रैल, 2005 के दौरे के दौरान सतलुज (लैंगक्वे जंग्बो) पर जल वैज्ञानिक आंकड़ों के प्रावधान के संबंध में भी एक समझौता किया गया जिसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, चीन की तरफ से जल स्तर में किसी असामान्य उत्थान/गिरावट/निस्सरण संबंधी सूचना और अन्य सूचना उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की गई है जिसके कारण मौजूदा मानीटरी और वास्तविक समय आधार पर आंकड़ा संग्रहण सुविधाओं के आधार पर अचानक बाढ़ आ सकती है। पारलुंग जंग्बो और लोहित (जायु क्यू) नदियां (जो ब्रह्मपुत्र की वितरिकाएं हैं) के लिए समान व्यवस्था करने हेतु किसी द्विपक्षीय विचार-विमर्श शुरू करने के लिए किसी शीघ्र तारीख के निर्धारण करने के लिए भी दोनों तरफ से सहमति हुई।

इसके अतिरिक्त, भूस्खलन बांध के कारण चीन में पारिछु नदी पर वर्ष 2004 में बनी कृत्रिम झील के संबंध में सचिव स्तरीय शिष्टमंडल के दौरे के दौरान मार्च, 2005 में बीजिंग में तथा अप्रैल, 2005 में भारत में चीन के प्रधानमंत्री के चालू दौरे के दौरान विचार-विमर्श किये गए थे। स्थितियां अनुकूल होते ही चीन की तरफ से भूस्खलन बांध के संचित जल को नियंत्रित रूप से जारी करने के संबंध में उपाय प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

*[अनुवाद]*

**श्री रायापति सांबासिवा राव:** माननीय मंत्री ने बताया कि माननीय चीनी प्रधानमंत्री के हाल ही की यात्रा के दौरान उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत चीनी सरकार भारत सरकार को सभी आवश्यक जानकारी देगी ताकि चीन

से निकलने वाली नदियों से भारत में आने वाले बाढ़ से नुकसान को रोकने हेतु एहतियाती उपाय किए जा सकें।

दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या दोनों देश विशेषज्ञ समितियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु राजी हो गए हैं जिससे कि स्थिति पर नजर रखी जा सके और चीन से आने वाली नदियों में बाढ़ से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

**अध्यक्ष महोदय:** इससे आपके दोनों अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।

**जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** उत्तर स्पष्ट और विस्तृत है। इसके बावजूद मैं बताना चाहूंगा कि भारत-चीन 2002 में ब्रह्मपुत्र से जुड़े जल-विज्ञान संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने पर सहमत हो गए थे और विशेषकर चीन के माननीय प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान हम सतलज नदी से जुड़े जल-विज्ञान संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान पर भी सहमत हो गए हैं।

अंत में मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक समझौते का संबंध है, चीन जानकारी देने पर सहमत हो गया है। जहां तक जल के बंटवारे का संबंध है ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। परन्तु जहां जानकारी आदान-प्रदान करने का प्रश्न है ऐसी सहमति हो चुकी है। मेरे विचार से इस जून से इस संबंध में कार्यवाही आरंभ हो जाएगी और देखते हैं क्या प्रगति होती है।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रो. महादेवराव शिवनकर-उपस्थित नहीं।

**श्री रायापति सांबासिवा राव:** महोदय, कृपया मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, आपने दो प्रश्न पूछ लिए हैं। मैं भविष्य में ऐसा नहीं होने दूंगा। पूर्ण उत्तर दे दिए गए हैं। अनुपूरक पूछने मात्र के लिए प्रश्न मत करिए। हमें समय का भी ध्यान रखना है।

## प्लास्टिक से बनी थैलियों पर प्रतिबन्ध

*506. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा रसायन विकसित कर लिया गया है जिसे प्लास्टिक के साथ मिलाने पर यह आसानी से नष्ट हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नष्ट न होने वाली प्लास्टिक से बनी थैलियों के स्थान पर सूक्ष्म जीवों, उष्मा, प्रकाश, विकिरण या इन सभी कारकों के सम्मिलित प्रभाव से नष्ट होने वाली प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो नष्ट न होने वाली प्लास्टिक से बनी थैलियों पर कब तक प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा तथा इनके स्थान पर नष्ट होने वाली थैलियों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा):** (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

### *विवरण*

(क) और (ख) प्लास्टिक की सामग्रियों को विशिष्ट योज्य एवं स्टार्च के उपयोग से अवक्रमणीय बनाया जा सकता है। विकास के अधीन कुछ जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक सामग्रियां इस प्रकार हैं: (1) पी एच ए एस (पालीहाइड्रोक्सीलकोनेट्स) (2) पालीलैक्टाइड्स (3) एलिफैटिक पालिस्टर्स (4) पालिसैकराइडस (5) को पालीमर और/या उपर्युक्त ब्लेंडस।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर; राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे और केन्द्रीय ट्यूबर क्राप्स अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम में अवक्रमणीय प्लास्टिकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास किया जा रहा है। सभी प्रौद्योगिकियां शुरूआती दौर में हैं और अभी इन्हें वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध करवाया जाना है। गैर अवक्रमणीय प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध अथवा उनके प्रतिस्थापन पर तभी विचार किया जा सकता है जब वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हों।

उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल दिल्ली सरकार द्वारा दिसम्बर, 2004 में दिल्ली प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, बिक्री और उपयोग और गैर जैव अवक्रमणीय कूड़ाकरकट नियंत्रण) अधिनियम, 2001 में संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भीतर अवक्रमणीय प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को शुरू करने के लिए कार्रवाई की गयी है। 2004 का संशोधन अभी लागू किया जाना है।

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, हालांकि प्लास्टिक ने हमारे जीवन शैली में क्रांति ला दी है परन्तु इससे पर्यावरण को भी व्यापक नुकसान हुआ है। हम देखते हैं कि लगभग सभी शहरों में, तथा गांवों में भी, रेल लाइन, मार्गों, पार्कों और सड़क के किनारे प्लास्टिक बैग बिखरे पड़े रहते हैं। आप देखेंगे कि कुड़ेदानों में भी प्लास्टिक के थैलों की भरमार रहती है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप क्या जानना चाहते हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल:** हमें इस संबंध में प्लास्टिक बैगों की मोटाई को 20 माइक्रोन तक सीमित रखने या इनके रिसाइक्लिंग पर रोक लगाए जाने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि नष्ट हो जाने वाले प्लास्टिक बैगों के उत्पादन हेतु अर्थक्षम प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध होने की स्थिति में नष्ट न होने वाले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने या इनके स्थान पर किसी अन्य सामग्री से बने बैगों के उपयोग पर विचार किया जाएगा, यह केवल आनुषांगिक है, मूल मुद्दा वहीं का वहीं है। मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहूंगा।

प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने हेतु हम क्या उपाय करेंगे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लास्टिक बैग पर्यावरण को हानि न पहुंचाए जैसा कि अब हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय:** जब इसके विकल्प का आविष्कार कर लिया जाएगा तब वह ऐसा करेंगे। मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री नमोनारायन मीना:** महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक की अनुमानित मांग प्रति वर्ष 46,000 टन है और बढ़कर यह 2007 तक 96,000 टन होने की उम्मीद है। देश में प्लास्टिक की वर्तमान खपत आज चार मिलियन किलो टन है और 2010 तक इसके 12 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसकी 50 प्रतिशत खपत पैकेजिंग क्षेत्र में है। यह देश की आवश्यकता है। जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक बैगों के लिए देश में कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। देश में परीक्षण की व्यवस्था नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय:** न तो कोई इसका पालन करता है।

**श्री नमोनारायन मीना:** महोदय, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना कठिन होगा प्लास्टिक अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। इसलिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं होगा।

**अध्यक्ष महोदय:** आप इसके उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, बड़े पैमाने पर पैकेजिंग हेतु प्लास्टिक के उपयोग की बात समझ में आती है। मेरी चिंता इसके दैनिक जीवन पर कुप्रभाव, शहरों में जीवन स्तर की गुणवत्ता, 'रिसाइक्लिड' प्लास्टिक बैग या जो 20 माइक्रोन से भी अधिक मोटे है तथा जिनका उपयोग अनियंत्रित रूप से हो रहा है, से है। हम इस संबंध में क्या करेंगे? जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक से संबंधित मेरा प्रश्न एक अनुपूरक के तौर पर था जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम इस बारे में कुछ करें। परन्तु, समस्या फिर भी विद्यमान है। हम इस बारे में क्या करेंगे?

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय, आप इस बारे में क्या करेंगे?

**श्री नमोनारायन मीना:** प्लास्टिक कचरे का समाधान सर्वप्रथम इसके उपयोग को कम करना है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप पटसन बैग का उपयोग करें।

**श्री नमोनारायन मीना:** इनको इकट्ठा करके रिसाइक्लिड करना ही समाधान है।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, इस पर प्रतिबंध है।

मेरी जानकारी के अनुसार, सरकार ने 'रिसाइक्लिंग' पर प्रतिबंध लगा रखा है। 'रिसाइकिल' किए गए प्लास्टिक पर प्रतिबंध है।

**अध्यक्ष महोदय:** इसको लागू नहीं किया जा रहा है।

**श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश:** महोदय, प्लास्टिक कचरा एक समस्या है और आवारा पशुओं के लिए भी एक खतरा है, विशेषकर हजारों गाएं तथा भैंसे इन प्लास्टिक बैग को खा जाती हैं और कई टन प्लास्टिक बैग उनके पेट से निकाले गए हैं। यह एक अमानवीय प्रवृत्ति है। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में प्लास्टिक कचरे के फैंके जाने को रोकने हेतु विशेष कानून बनाना आवश्यक है। हाल ही में मैं बानरागट्टा पार्क, जो बंगलौर शहर में विख्यात है, वहां गई थी जहां प्लास्टिक के उपयोग को कड़ाई से रोका जा रहा है। लाचार पशुओं को हमें इस खतरे से बचाना ही होगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** लोग उन्हें फेंकना बंद क्यों नहीं करते?

**श्री नमोनारायन मीना:** महोदय, प्लास्टिक बैगों का यहां वहां फेंका जाना एक समस्या है। प्लास्टिक बैगों को यहां-वहां फेंकने से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे नालियों का बंद होना, मवेशियों द्वारा उन्हें खाना जिससे कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

**अध्यक्ष महोदय:** मवेशियों को भी गलियों में इधर-उधर घूमने से रोकना चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि पर्यावरण प्रदूषण और जहरीले पदार्थ के खतरे के कारण प्लास्टिक

इस्तेमाल की इजाजत नहीं है मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि चूंकि अब जूट का पर्याप्त विविधीकरण हो गया है तो क्या जूट पैकेजिंग सामग्री के विकल्प के रूप में विकास किया जा रहा है। खाद्यान्नों के मामले में जूट की पैकेजिंग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है पर चीनी के मामले में इसका 90 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्वरकों और सीमेंट के मामले में जूट पैकेजिंग का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। जूट को अब पहनने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप बाजार में दिन प्रतिदिन की खरीदों के लिए जूट के बैगों का प्रयोग करने के बारे में कह रहे हैं।

**श्री वसुदेव आचार्य:** मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्रतिदिन की खरीद सामग्री ले जाने और अन्य प्रयोजनार्थ जूट के थैलों के प्रयोग को बिना किसी ढिलाई के अनिवार्य बनाने के लिए विचार करेगी।

**श्री नमोनारायन मीना:** महोदय, पुन:चक्रण प्लास्टिक विनिर्माता और प्रयोग नियम, 1999 जिसे 2003 में संशोधित किया गया था, के अन्तर्गत पुन:चक्रण प्लास्टिक बैगों के भण्डारण, लाने ले जाने, खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है। इसमें 8×10 इंच के आकार और मोटाई में 20 माइक्रोन से कम के पुन:चक्रण प्लास्टिक से बने कैरी बैगों के विनिर्माण, संग्रह, वितरण और बेचने पर भी रोक लगाई गई है। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रघुराज सिंह शाक्य:** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि जब से प्लास्टिक की थैलियां चली हैं, पूरे देश में इन्हें खाने से जानवरों की मृत्यु हो रही है और कहीं भी डालने पर ये प्लास्टिक की थैलियां नष्ट नहीं होती हैं। इनके प्रयोग में आने से बेरोजगारी भी बढ़ी है। पहले लोग गांवों में ही कागज की थैलियां बनाते थे। उससे तमाम लोगों को रोजगार मिलता था और वे अपना जीवनयापन कर लेते थे। जब से प्लास्टिक की थैलियां आई हैं, इससे देश को नुकसान हुआ है। नालियां भी इनसे बंद होती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कानून बनाना चाहेंगे, जिससे पूरे देश में जो प्लास्टिक की थैलियां बन रही हैं, उन्हें बंद किया जाए? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कानून को कौन मानता है?

*[अनुवाद]*

कोई इसका पालन नहीं करता।

*[हिन्दी]*

**श्री नमोनारायन मीना:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूं। वैसे प्लास्टिक हार्मफुल नहीं है, यह मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन जनरल अवेयरनैस जब तक जनता में नहीं आएगी, तब तक इसे बैन किया जाना संभव नहीं है। *...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** ऐसा कहना प्लास्टिक के प्रयोग को एनकरेज करता है। *...(व्यवधान)* हमें माहौल ऐसा बनाना है ताकि यह एनकरेज नहीं हो। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम इस पर पूर्ण चर्चा कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

*...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** इस पर आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप इस पर पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न सं. 507 श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी–अनुपस्थित। श्री गणेश कनोडीया—उपस्थित नहीं।

**कृषि जैव प्रौद्योगिकी कृतिक बल की रिपोर्ट**

***508. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी कृतिक बल की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

*[हिन्दी]*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) सरकार ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर कृतिक बल की रिपोर्ट की जांच की है और क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। व्यापक प्रभाव वाली कुछ अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान और विकास हेतु निदेश देने, कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण, जैनेटिक विविधता केन्द्रों के संरक्षण और सुरक्षा, जैव कृषि क्षेत्रों का संवर्धन, प्रत्येक राज्य में जैव प्रौद्योगिकी पार्कों के सृजन, विनियामक/अनुमोदन तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर सिफारिश करना शामिल है ताकि उत्पादों के मूल्यांकन और निर्मुक्ति, दायित्व और क्षतिपूर्ति, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर जन जागरूकता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ कृतिक बल की सिफारिशों पर अंत:मंत्रालयीय परामर्श के आधार पर सरकार ने कार्यान्वयन के लिए 10 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। ब्यौरा अनुबंध-1 में संलग्न है।

***अनुबंध***

*कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिकताएं*

1. जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति को अंतिम रूप देना।
2. प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन कृतिक बल द्वारा यथा सुझाए गए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुमोदन प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।
3. उत्तर क्षेत्र हेतु बी.टी. कपास किस्मों की निर्मुक्ति।
4. कृषि एवं सहकारिता विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मुक्ति पश्चात मानिटरिंग शुरू किया जाना।
5. निर्मुक्ति पश्चात मानिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण।
6. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य वैज्ञानिक संगठनों/संस्थानों के सहयोग से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया जाना।
7. गैर अनुमोदित बी.टी. कपास के लिए संयुक्त कार्य नीति को अंतिम रूप देना।
8. जेनेटिकली संशोधित बीजों हेतु परीक्षण सुविधाओं का विकास करना।
9. राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति में कृषि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित घटकों के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना।
10. जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के उपयोग के लिए फसलों और उनकी विशेषताओं की पहचान।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री प्रबोध पाण्डा, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपका प्रश्न पूछा जाएगा। क्या आप अपने अनुपूरक प्रश्नों के साथ तैयार हैं या आप अनुपूरक प्रश्न अगली बार पूछेंगे।

**श्री प्रबोध पाण्डा:** जी हां, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय:** आप तैयार हैं।

**श्री प्रबोध पाण्डा:** मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सभी कृषि विश्वविद्यालयों और आई आई टी में जैव प्रौद्योगिकी कार्य बल स्थापित किए गए हैं या नहीं ताकि उनसे काफी सहायता मिल सके।

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** महोदय, मुझे प्रश्न समझ नहीं आया।

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने पूछा है कि क्या सभी कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि जैव प्रौद्योगिकी कार्य बल स्थापित किए गए हैं।

**श्री शरद पवार:** महोदय, देश की जैव प्रौद्योगिकी नीति को अंतिम रूप देने के लिए इस कार्यबल की स्थापना की गई थी। हमने कुछ सुझाव स्वीकार किए हैं और वे विश्वविद्यालयों सहित सभी राज्यों पर लागू होंगे।

**श्री प्रबोध पाण्डा:** महोदय, मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आपको माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना है या आप अभी इस बारे में विचार ही कर रहे हैं?

**श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या सरकार किसानों को इस मामले पर जागरूक करने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो मैं इस मुद्दे के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

**श्री शरद पवार:** महोदय, निश्चित तौर पर ऐसा किया जा रहा है। की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश कृषक समुदाय में आगरूकता उत्पन्न करने के बारे में थी और संभवत: इस पर गौर किया जा रहा है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### कृषि क्षेत्र में कम निवेश की प्रवृत्ति

*504. **श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि अनुसंधान एवं विस्तार के लिए धनराशि में वृद्धि करके तथा किसानों को अधिक ऋण देकर कृषि क्षेत्र में घटते निवेश को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2004-2005 तक 2005-2006 के दौरान कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 31 मार्च, 2005 तक किसानों के लिए निर्धारित धनराशि तथा उपयोग की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे सहित सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित की गई ऋण संबंधी राहत का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (ग) जी, हां। विस्तार सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए योजना परिव्यय वर्ष 2004-05 में 1000 करोड़ रु. से 15% बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 1,150 करोड़ रु. कर दिया गया है। यद्यपि सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के संबंध में आकलित संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि में निवेश वास्तव में वर्ष 1993-94 के 15,249 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 24,186 करोड़ रु. (1993-94 के मूल्यों पर) हो गया है तथापि इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में सकल पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) 1.8 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत रह गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए पूरे परिव्यय को राजस्व घटक के अधीन श्रेणीबद्ध किया जाता है जिसकी गणना केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित जी.सी.एफ. के आंकड़ों के संबंध में आकलित निवेश के भाग के रूप में नहीं की जाती है। चूंकि ऊपर संदर्भित जी.सी.एफ. में कमी लगभग पूर्ण रूप से कृषि में सार्वजनिक निवेश में कमी के कारण है जो कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए सिंचाई में अनिवार्य निवेश है, अत: कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की तुरंत जरूरत है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) संबंधी परिव्यय को वर्ष 2004-05 के 2,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 4,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट 2005-06 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जहां तक ऋण का संबंध है, 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कृषि और संवर्गी क्षेत्रों की ओर सभी एजेंसियों द्वारा किया गया ऋण प्रवाह 1,15,243 करोड़ रुपये है जो कि कृषि क्षेत्र की ओर 1,05,000 करोड़ रु. के लक्षित ऋण प्रवाह का लगभग 110 प्रतिशत है। वर्ष 2003-04 के दौरान 86,981 करोड़ रु. के वास्तविक संवितरण की तुलना में वर्ष 2004-05 में ऋण प्रवाह में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 50 लाख किसानों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 66.32 लाख नये किसानों का वित्तपोषण किया गया है। इसके अलावा सहकारी बैंकों द्वारा लगभग 12.52 लाख नए किसान वित्तपोषित किए गए हैं। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ने 2.24 लाख नए किसानों को वित्तपोषण किया है। जैसा कि वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में उल्लेख किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा वर्ष 2004-05 में संवितरित ऋण के मुकाबले वर्ष 2005-06 में ऋण प्रवाह 30% बढ़ाना अपेक्षित है।

(घ) सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को एक व्यापक ऋण नीति की घोषणा की गई है जिसमें अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह को दुगुना करने के उपाय तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को ऋण राहत का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2004-05 के

लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 1,05,000 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था और मार्च, 2005 तक उपलब्धियां 1,15,242.81 करोड़ रु. की रहीं। किसान क्रेडिट कार्डों का क्षेत्र विस्तार और वित्त पैमाना निर्धारित करने के लिए प्रतिमानों में संशोधन जैसी कई नीतिगत पहलें (इनीशिएटिव्स) की गई ताकि किसानों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विपदाग्रस्त और बकायेदार किसानों की ऋण पुनर्संरचना की व्यवस्था करने के लिए एक पैकेज लागू किया गया है जिसमें दो वर्षों के ऋण संस्थगन सहित पांच वर्षों की अवधि के लिए बकाया ऋणों के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था की गई है। छोटे और सीमान्त किसानों के पुराने और चिरकालिक ऋण खातों के निपटान हेतु एकबारगी निपटान स्कीम के क्रियान्वयन तथा साथ ही निजी साहूकारों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है। कृषि ऋणों पर ब्याज की दरों को कम करने के कदम भी उठाये गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों से 50,000 रु. तक के फसल ऋणों पर 9% प्रति वर्ष पर ब्याज दर को स्थिर रखना इस दिशा में सकारात्मक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। सरकार निर्बाध ढंग से वहनीय ब्याज दर पर किसानों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को प्रेरित करती रही है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में बाधाओं को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि 50,000 रु. तक के कृषि ऋणों तथा 5 लाख रु. तक के एग्री-बिजनेस और एग्री-क्लीनक ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूमि संबंधी अपेक्षाओं में छूट दें। विपदाग्रस्त/बकायेदार किसानों के लिए ऋण पुन: संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान 10,953.61 करोड़ रु. तक के ऋणों के पुनर्निर्धारण/परिवर्तन की अनुमति दी। इसी प्रकार इन बैंकों ने मिलकर वर्ष 2004-05 के दौरान एकबारगी निपटान स्कीम के अंतर्गत 756.83 करोड़ रु. की धनराशि का निपटान किया है। वाणिज्यिक बैंकों ने साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से ऋणग्रस्त 16,758 किसानों को ऋणमुक्त करने के लिए ऋण दिए हैं तथा 31 मार्च, 2005 तक लगभग 57 करोड़ रु. का ऋण दिया है।

जहां तक कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण के ब्यौरे का संबंध है वर्ष 2004-05 हेतु ऋण संवितरण पर केवल अभिकरण-वार (एजेंसी-वार) कार्यनिष्पादन उपलब्ध है जो विवरण-1 में दिया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित ऋण के राज्य-वार आंकड़े विवरण-2 में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*वर्ष 2003-04 के दौरान वास्तविक संवितरण की तुलना में अभिकरण-वार कार्य निष्पादन*

(करोड़ रुपये में)

| अभिकरण | वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरण | वर्ष 2004-05 के दौरान संवितरण | %वृद्धि |
|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक और निजी) | 52,441 | 72,886.26 | 39% |
| सहकारी बैंक | 26,959 | 30,638.38 | 14% |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 7,581 | 11,718.17 | 55% |
| कुल | 86,981 | 1,15,242.81 | 32% |

***विवरण II***

| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | वाणिज्यक बैंक | सहकारी बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| चण्डीगढ़ | 37240 | 5 | – | 37245 |
| नई दिल्ली | 242073 | 294 | – | 242367 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | 229804 | 356937 | 41879 | 628620 |
| हिमाचल प्रदेश | 25725 | 8881 | 3626 | 38232 |
| जम्मू और कश्मीर | 2578 | 2268 | 1773 | 6619 |
| पंजाब | 505089 | 380037 | 29664 | 914790 |
| राजस्थान | 144956 | 128362 | 40678 | 313996 |
| उत्तरी क्षेत्र | 1187465 | 876784 | 117620 | 2181869 |
| अरूणाचल प्रदेश | 234 | 125 | 31 | 390 |
| असम | 16202 | 310 | 2617 | 19129 |
| मणिपुर | 152 | 233 | 195 | 580 |
| मेघालय | 4799 | 173 | 212 | 5184 |
| मिजोरम | 342 | 80 | 122 | 544 |
| नागालैण्ड | 476 | 223 | 43 | 742 |
| त्रिपुरा | 2077 | 225 | 698 | 3000 |
| सिक्किम | 381 | 44 | – | 425 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 24663 | 1413 | 3918 | 29994 |
| बिहार | 65574 | 56111 | 20487 | 142172 |
| झारखण्ड | 18187 | 0 | 3274 | 21461 |
| उड़ीसा | 38579 | 72434 | 16765 | 12778 |
| पश्चिम बंगाल | 157017 | 47172 | 8755 | 212944 |
| अंडमान और निकोबार | 230 | 155 | – | 385 |
| पूर्वी क्षेत्र | 279587 | 175872 | 49281 | 504740 |
| मध्य प्रदेश | 151066 | 148309 | 43560 | 342935 |
| छत्तीसगढ़ | 17341 | 30036 | 5000 | 52377 |
| उत्तर प्रदेश | 356845 | 280817 | 173171 | 810833 |
| उत्तरांचल | 21301 | 17690 | 3598 | 42589 |
| मध्य क्षेत्र | 546553 | 476852 | 225329 | 1248734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 229967 | 222894 | 26961 | 479822 |
| गोवा | 3285 | 653 | – | 3938 |
| महाराष्ट्र | 285173 | 233791 | 9523 | 528487 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 518425 | 457338 | 36484 | 1012247 |
| आन्ध्र प्रदेश | 580940 | 283600 | 136884 | 1001424 |
| कर्नाटक | 329670 | 123030 | 79900 | 532600 |
| केरल | 180313 | 121691 | 75498 | 377502 |
| लक्षद्वीप | 78 | – | 0 | 78 |
| पांडिचेरी | 6099 | 871 | – | 6970 |
| तमिलनाडु | 483537 | 178428 | 33201 | 695166 |
| दक्षिण क्षेत्र | 1580637 | 707620 | 325483 | 2613740 |
| कुल | 4137330 | 2695879 | 758115 | 7591324 |
| निजी क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंक | 1023008 | – | – | 1023008 |
| आर.आई.डी.एफ. | 83747 | – | – | 83747 |
| कुल योग | 5244085 | 2695879 | 758115 | 8698079 |

*[हिन्दी]*

**लकड़ी की चोरी**

*507. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
**श्री महेश कनोडीया:**

**क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक वनों से लकड़ी की चोरी अभी भी अबाध रूप से जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु कुछ उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि लकड़ी की चोरी (अवैध रूप से वृक्षों की कटाई) की घटनाएं देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर होती हैं, लेकिन ये अबाध रूप से नहीं चल रही हैं। कुल मिलाकर देश के वनावरण में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दो वर्ष के चक्र में प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार कुल मिलाकर देश में वनावरण में वृद्धि का रुख रहा है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई और लकड़ी की चोरी को रोकने के लिये किये गए उपाय निम्न प्रकार हैं:

(1) कानूनी उपाय जैसे भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 और इसके तहत नियम और दिशा निर्देश।

(2) अनुमोदित कार्य योजनाओं, वन विकास अभिकरणों और संयुक्त वन प्रबंधन के अनुसार वन कार्य जैसे प्रबंधन उपाय।

(3) वित्तीय उपाय जैसे केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और बाह्य सहाय्यित परियोजनाओं के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम" के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को प्राथमिकता रूप से वनों की अवैध रूप से कटाई, आग, अतिक्रमण आदि से बचाने के लिए अवसंरचना को मजबूत करने हेतु निधियां प्रदान की गई थीं।

(4) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

**कृषि विपणन प्रणाली में परिवर्तन**

***509. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विपणन का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों और ब्रोकरों की प्रणाली समाप्त कर कृषि विपणन प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने हेतु क्या व्यवस्थाएं की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धता प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र को सुचारू रूप से कार्य करने वाली मंडियों की जरूरत है। कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, (एपीएमसी एक्ट) जो वर्तमान में कृषि मण्डियों से संबंधित विद्यमान कानून है, के अन्तर्गत केवल राज्य सरकार को ही अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के लिए मण्डियों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रसंस्करण उद्योग किसानों से सीधे खरीद नहीं कर सकता। किसान किसी विनिर्माता से सीधे अनुबन्ध (कांट्रेक्ट) करने से प्रतिबंधित है क्योंकि उत्पाद को लाइसेंसधारी व्यापारियों और विनियमित मण्डियों के माध्यम से कैनेलाईज किए जाने की जरूरत है। ये प्रतिबंध किसानों, व्यापार और उद्योग को हतोत्साहित करते हैं। अत: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे एपीएमसी अधिनियम में सुधार लाए ताकि सीधे विपणन और अनुबंधित खेती तथा प्रतियोगी मण्डियों की स्थापना की अनुमति मिल सके। निजी और सहकारी क्षेत्रों में वैकल्पिक प्रतियोगी मण्डियों के विकास से किसानों को अपने उत्पाद मण्डियों में बेहतर मूल्यों/सेवाओं में बेचने के लिए स्वतंत्रता मिलेगी।

कृषि मंत्रालय द्वारा एक माडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम सभी राज्यों को परिचालित किया गया है ताकि किसानों द्वारा सीधे विपणन पर सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें दिशा-निर्देश मिल सकें। मंत्रालय ने विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए एक नई सुधार से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का कार्यान्वयन भी किया है। इस स्कीम के अन्तर्गत कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए निवेश राजसहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत केवल उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राजसहायता दी जाएगी जो माडल अधिनियम में सुझाई गई रूपरेखा के आधार पर जहां कहीं अपेक्षित हो, एपीएमसी अधिनियम का संशोधन करते है।

(ग) और (घ) कृषि विपणन में सुधार पर दिनांक 07.01.2004 को दिल्ली में और दिनांक 19.11.2004 को बंगलौर में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया जिसमें सभी राज्यों ने कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम में संशोधन पर सहमति जताई। कई राज्यों ने संशोधनों के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

*[अनुवाद]*

**समेकित फसल प्रबंधन का कार्यान्वयन**

***510. श्री टी.के. हमजा:**
**श्री अनन्त नायक:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की फसल उत्पादकता में सुधार लाने हेतु समेकित फसल प्रबंधन को कार्यान्वित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा समेकित फसल प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) सरकार चावल आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल), गेहूं आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-गेहूं), मोटे अनाज आधारित फसलन क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-मोटे अनाज) और गन्ना आधारित फसलन पद्धति का सतत विकास (एसयूबीएसीएस) जिसे कृषि एवं सहकारिता विभाग के बृहत प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जैसी फसलोत्पादन उन्मुख स्कीमों के माध्यम से फसल उत्पादकता सुधारने के लिए समेकित फसल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है।

इसके अलावा, कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), समेकित तिलहन, दलहन, आयालपाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम) और विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (एसजेडीपी), जैसी स्कीमें फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों, समेकित कीट प्रबंध (आईपीएम) और समेकित पोषण तत्व प्रबंध (आईएनएम) प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रही हैं।

(ग) और (घ) गन्ना आधारित फसलन प्रणाली के सतत विकास की स्कीमें (एसयूबीएसीएस), मोटे अनाज पर आधारित फसलन प्रणाली के क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-मोटे अनाज), कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (एसजेडीपी), तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी), त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी) आदि और आईसीडीपी-चावल, आईसीडीपी-गेहूं और आईसीडीपी-मोटे अनाज के तहत आयोजित अग्रणी प्रदर्शनों पर मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गये हैं।

मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि इन कार्यक्रमों से किसानों के मध्य उन्नत किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता आई है, नवीनतम बीज किस्मों को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली है, कृषि उपस्करों और मशीनों के प्रयोग, समेकित कीट प्रबंध (आईपीएम), संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों आदि को अपनाने में सुधार हुआ है। किसानों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के परिणामस्वरूप फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

*[हिन्दी]*

**बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए योजना**

***511. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय की योजना का ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर खर्च की गई निधियों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) तथा स्टेट फार्मस कार्पोरेशन आफ इंडिया (एसएफसीआई) का पुनर्गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए मूल सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित स्कीमें दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. बीजों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध।
2. पूर्वोत्तर राज्यों आदि को बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता (सब्सिडी)।
3. बीज बैंक की स्थापना और रखरखाव।
4. गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण।
5. राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम को ऋण तथा अग्रिम।

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

*विवरण*

**(1) बीजों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध**

इस स्कीम का उद्देश्य बीजों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधों का सुदृढ़ीकरण करना है ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलना सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों, राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, बीज विकास कार्यक्रमों में कार्यरत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण तथा केंद्रीय बीज टेस्टिंग प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायक अनुदान दिया जाता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को निधियों की निर्मुक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | राज्य | निर्मुक्त राशि लाख रुपए में | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.50 | – | 15.00 |
| 2. | असम | 0.50 | 15.00 | – |
| 3. | अंडमान | 0.50 | – | – |
| 4. | अरूणाचल प्रदेश | – | 0.50 | – |
| 5. | बिहार | – | – | – |
| 6. | चंडीगढ़ | – | – | – |
| 7. | छत्तीसगढ़ | – | 15.00 | 15.50 |
| 8. | दिल्ली | – | – | – |
| 9. | दादर व नागर हवेली | – | – | – |
| 10. | दमन एवं दीव | – | – | – |
| 11. | गुजरात | 0.50 | – | 15.50 |
| 12. | गोवा | – | – | – |
| 13. | हरियाणा | 0.50 | 15.00 | 0.50 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 0.50 | – | – |
| 15. | जम्मू व कश्मीर | – | 0.50 | 15.50 |
| 16. | झारखंड | – | – | 15.00 |
| 17. | कर्नाटक | 1.00 | 15.00 | – |
| 18. | केरल | 0.50 | 0.50 | 15.50 |
| 19. | लक्षद्वीप | – | – | – |
| 20. | मध्य प्रदेश | – | 0.50 | 15.00 |
| 21. | मेघालय | 0.50 | 0.50 | 15.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 22. | महाराष्ट्र | – | 15.00 | 30.50 |
| 23. | मणिपुर | – | 0.50 | 0.50 |
| 24. | मिजोरम | 0.50 | 15.00 | – |
| 25. | नागालैंड | – | 0.50 | – |
| 26. | उड़ीसा | 0.50 | 0.50 | 15.50 |
| 27. | पंजाब | 0.50 | – | 0.50 |
| 28. | पांडिचेरी | – | – | – |
| 29. | राजस्थान | – | 15.50 | – |
| 30. | सिक्किम | – | 0.50 | – |
| 31. | तमिलनाडु | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32. | त्रिपुरा | – | 15.50 | 0.50 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 0.50 | 15.00 | 15.00 |
| 34. | उत्तरांचल | 15.50 | 0.50 | 30.50 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | – | 0.50 | 15.50 |

**(2) बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता**

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलाकृतिक स्थिति तथा जलवायु संबंधी परिस्थिति बीजों के उत्पादन के लिए सहायक न होने के कारण बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता संबंधी एक केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों के किसानों को उचित दरों पर बीज समय पर उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों के बाहर से इन चिन्हित राज्यों की राजधानी/जिला मुख्यालय तक बीजों के संचलन के लिए रेल और सड़क परिवहन प्रभारों के बीच अंतर की शत-प्रतिशत मात्रा की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार, राज्य की राजधानी/जिला मुख्यालय से राज्य के भीतर राज्य के बिक्री केंद्रों/बिक्री काउन्टरों तक बीजों के संचलन की वास्तविक लागत, 60/-रुपये प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा तक प्रतिबंधित, जो भी कम हो, की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त/प्रतिपूर्ति की गई राशि निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपए)

| क्र.सं. | राज्य/एजेंसी | प्रतिपूर्ति की गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | नागालैंड | 1.06 | 7.53 | 2.90 |
| 2. | मिजोरम | 6.53 | – | 14.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | सिक्किम | 2.19 | 4.67 | 5.76 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 19.69 | 9.30 | 11.86 |
| 5. | उत्तरांचल | – | 14.45 | 10.11 |
| 6. | राष्ट्रीय बीज निगम | 54.67 | 27.10 | 34.47 |
| 7. | पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम | 5.38 | 0.38 | – |
| 8. | भारतीय राज्य फार्म निगम (एसएफसीआई) | 8.10 | 0.12 | 0.42 |
| 9. | असम बीज निगम | 66.39 | 90.82 | 131.06 |
| 10. | उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ | – | 2.18 | 2.20 |

**(3) बीज बैंक की स्थापना और रख-रखाव**

यह स्कीम प्राकृतिक आपदा के दौरान बीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के मूल उद्देश्य और बीज के भण्डारण के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए आरंभ की गई थी। यह स्कीम राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और कई राज्यों के राज्य बीज निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत चिन्हित फसलों/किस्मों के प्रमाणित और आधारी बीजों के रख-रखाव के संबंध में सहभागी राज्य बीज निगमों को व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और बीजों की अधिप्राप्ति के लिए रिवाल्विंग फण्ड की लागत को वहन करने तथा भण्डारण सुविधाओं के सृजन के लिए तथा एक डाटा बैंक और सूचना प्रणाली की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त/प्रतिपूर्ति राशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | निर्मुक्ति का वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | 42.00 | 30.89 |
| 2. | असम | 10.50 | 23.32 | 65.41 |
| 3. | गुजरात | 40.63 | 3.30 | 3.51 |
| 4. | हरियाणा | 64.58 | – | 15.40 |
| 5. | कर्नाटक | 101.15 | 47.17 | 31.56 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 39.71 | 0.32 | 49.84 |
| 7. | महाराष्ट्र | 41.29 | – | 22.45 |
| 8. | उड़ीसा | 25.14 | 13.56 | 25.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | पंजाब | 3.50 | – | 25.00 |
| 10. | राजस्थान | 25.00 | – | – |
| 11. | उत्तर प्रदेश | – | 30.60 | 5.00 |
| 12. | उत्तरांचल | 40.50 | 83.78 | 54.80 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | – | 25.00 | 17.65 |
| 14. | एनएससी | 214.52 | 306.39 | 280.33 |
| 15. | एसएफसीआई | 93.48 | 108.66 | 153.07 |

**(4) गुणवत्ता प्राप्त बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम:**

यह एक पुन:संरचित स्कीम है, जिसमें उपरोक्त तीन स्कीमों को भी समाहित कर दिया गया है और कुछ नए घटक जोड़े गए हैं। 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए यह स्कीम हाल ही में स्वीकृत की गई है। इसे वर्ष 2005-06 और 2006-07 में कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नए घटक हैं:

**4.1 बीज ग्राम स्कीम**

किसान द्वारा बचाए गए बीज की क्वालिटी के उन्नयन के लिए यह प्रस्ताव है कि केवल प्रमाणित/क्वालिटी बीजों के उत्पादन के लिए फसलों के बीज की लागत 50% पर आधारी/प्रमाणित बीज के वितरण हेतु और किसानों को बीज उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। किसानों को उनके द्वारा अपने फार्मों पर उत्पादित बीज के भण्डारण के लिए भण्डारण धानियों (बिन) के लिए किसानों को सहायता भी दी जाएगी।

**4.2 गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और संवितरण की बुनियादी सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता**

नवनिर्मित राज्यों/नवसृजित राज्य बीज निगमों के लिए गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और संवितरण के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से बीज की सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैंकिंग और बीज भण्डारण सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विद्यमान बीज निगमों के सुदृढ़ीकरण के लिए मामले दर मामले के आधार पर सहायता दिए जाने का भी प्रस्ताव है।

**4.3 निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता**

बीज बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना लागत के 25% लेकिन प्रति इकाई अधिकतम 10.00 लाख रुपए तक "क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड कैपिटल सब्सिडी" दिए जाने का प्रस्ताव है। यह स्कीम वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। यह सहायता केवल बीजों की सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, बीज उपचार, पैकेजिंग और भण्डारण इकाईयों और बीज परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए ही दी जाएगी।

**4.4 मानव संसाधन विकास**

यह घटक किसानों को बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण, राज्य बीज निगमों और राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों को बीज विकास कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए सहायता का समर्थन करता है।

**4.5 बीज निर्यात हेतु सहायता**

भारतीय बीज उद्योग का विकास तथा बीज के निर्यात का संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) और आर्थिक सहकारिता तथा विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सहायता।

**4.6 कृषि में बायो-प्रौद्योगिकी का संवर्धन**

स्कीम का यह घटक राज्य कृषि विभागों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम)

फसलों की निर्मुक्ति पश्चात मानिटरिंग के लिए निधियां प्रदान की जाएंगी। जीएम बीजों के परीक्षण के लिए राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा, जनजागरूकता, संवर्धन भी इस स्कीम का भाग है। टिश्यू कल्चर प्रौद्योगिकी का संवर्धन भी किए जाने का प्रस्ताव है।

**4.7 चावल के लिए संकर बीज के प्रयोग का संवर्द्धन करना**

संकर चावल के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए दो तरह की नीति (टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी) का प्रस्ताव किया गया है। बीज निगमों/राज्य कृषि विभागों को उत्पादन सब्सिडी प्रति किग्रा 20/-रुपए की दर से दी जाएगी जबकि संकर चावल बीज का वितरण राज्य कृषि विभागों द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उनको प्रति किग्रा 25/-रुपये की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

**4.8 विकास एवं समीक्षा**

स्कीम के सभी घटकों का गहराई से विकास एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा 10वीं योजना के अंत तक करा लिया जाएगा।

**5. राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम को ऋण तथा अग्रिम देना**

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''एसएफसीआई/एनएससी को ऋण'' स्कीम शुरू की गई थी जिसमें एसएफसीआई के लिए 1175 लाख रुपए का अनुमोदित परिव्यय था। एसएफसीआई को योजना अवधि के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में राशि निर्मुक्त की गई थी। यह स्कीम 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलती रही और एसएफसीआई और एन एस सी को ऋण के रूप में मुख्य रूप से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम और सांविधिक दायित्वों आदि को पूरा करने के लिए राशि निर्मुक्त की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण के रूप में एसएफसीआई/एनएससी को निर्मुक्त राशि निम्न प्रकार से है:

*पिछले 3 वर्षों के दौरान एसएफसीआई/एनएससी को ऋण और अग्रिम*

(लाख रुपए में)

| संगठन का नाम | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| एनएससी | – | 228.00 | – |
| एसएफसीआई | 100.00 | 495.00 | 67.00 |

*[अनुवाद]*

**खाद्यान्न घोटाला**

***512. श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
**श्री रघुनाथ झा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि योजना आयोग द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को दिया जाने वाला 50 प्रतिशत खाद्यान्न लक्षित लोगों तक नहीं पहुंचता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन से यह भी संकेत मिले हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को मिलने वाले लाभों का गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोगों (एपीएल) द्वारा उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी भ्रष्टाचार की गतिविधियां सामने आई हैं; और

(च) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (च) योजना आयोग ने 28 अप्रैल, 2005 को यह सूचित किया है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 1999 में किए गए अनुरोध पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट मुद्रित की जा रही है जिसकी प्रतियां यथा समय उपलब्ध करा दी जाएंगी।

अत: अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित उत्तर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

**वनरोपण के अन्तर्गत लक्ष्य**

***513. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की जानकारी है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 2012 तक देश 33 प्रतिशत भाग को वनाच्छादन के अन्तर्गत लाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और लक्ष्यों को कम किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है और इस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) देश में वनाच्छादन का राज्य-वार वर्तमान प्रतिशत कितना है;

(घ) इस संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उनकी उपलब्धि क्या है;

(ङ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन-कौन से राज्य पिछड़ रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(च) वनाच्छादन के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को लाने के लिए दसवीं योजना में राज्य-वार कुल कितना आवंटन किया गया है और कितना खर्च किया गया है; और

(छ) निर्धारित समय के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीना ):** (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, योजना आयोग ने कहा कि वन/वृक्ष आवरण में अपेक्षित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन अपर्याप्त रहे हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संसाधनों की अपर्याप्तता के बारे में योजना आयोग के विचार से सहमत है।

(ग) वन और वृक्ष आवरण का राज्यवार प्रतिशत विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वन और वृक्ष आवरण (एफ टी सी) के लक्ष्य समूचे देश के लिए हैं। तथापि, वृक्ष रोपण के राज्यवार लक्ष्य 20-सूत्री कार्यक्रम, 1986 के अंतर्गत वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जो वन और वृक्ष आवरण वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। दसवीं योजना की अवधि में अब तक (वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान) वृक्ष रोपण के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां तथा वर्ष 2005-06 के लक्ष्य विवरण-2 में दिए गए हैं। लक्ष्यों के दो घटक हैं अर्थात् 16-क (निजी भूमियों पर वृक्ष रोपण, पौद-लाखों में) और 16-ख (शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक और वन भूमियां, हेक्टेयर में)। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर, 2004 तक मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान तथा दादर और नगर हवेली द्वारा 16-क और 16-ख, दोनों के अंतर्गत, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश द्वारा 16-क के अंतर्गत और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा और चंडीगढ़ द्वारा केवल 16-ख के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। लक्ष्यों को पूरा करने में जो कमियां रहीं उनके लिए निधियों का अभाव, भूमि उपलब्ध न होना, प्रतिकूल जलवायु दशाएं और कुछ अन्य कारण जिम्मेदार थे।

(च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम (एन ए पी) के अन्तर्गत दसवीं योजना (2002-03 से 2004-05) के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियां विवरण-3 में दी गई हैं।

(छ) निर्धारित समय के अंदर लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) 5-6 अगस्त, 2004 को आयोजित वन मंत्री सम्मेलन सहित राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासनों के साथ परामर्श किया गया है ताकि वृक्ष रोपण के बढ़े हुए लक्ष्यों के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके।

(2) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श किया गया है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों (इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार के विजेता) के मत प्राप्त किए गए हैं।

(3) गैर-वन निजी भूमियों पर उगाई गई वृक्ष प्रजातियों की कटाई और पारगमन विनियमों को तर्कसंगत बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(4) वृक्ष रोपण के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासनों से मीडिया प्लान बनाने और उसे कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

(5) राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि के स्वामित्व वाले सभी विभागों और अन्य संबंधित विभागों को शामिल करके मुख्य सचिव स्तरीय समिति का गठन करें ताकि उन्हें वृक्ष रोपण कार्यकलापों में शामिल किया जा सके।

(6) देश में वन सीमा पर स्थित सभी 1.73 लाख गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में एक नया घटक जोड़ा गया है।

(7) योजना आयोग ने, नेशनल मिशन आन बैम्बू टेक्नोलाजी एंड ट्रेड डेवलपमेंट के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया है।

## विवरण I

*वन स्थिति रिपोर्ट, 2001 के अनुसार राज्यवार वन एवं वृक्षावरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | वनावरण (क्षेत्र वर्ग कि. मी.) | प्रतिशत (क्षेत्र वर्ग कि.मी.) | वनावरण | प्रतिशत (क्षेत्र वर्ग कि. मी.) | वनावरण | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 44637 | 16.23 | 9011 | 3.28 | 53648. | 19.50 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 68045 | 81.25 | 478 | 0.57 | 68523 | 81.83 |
| 3. | असम | 27714 | 35.33 | 1942 | 2.48 | 29656 | 37.81 |
| 4. | बिहार | 5720 | 6.07 | 3693 | 3.92 | 9413 | 10.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 56448 | 41.75 | 3535 | 2.62 | 59983 | 44.37 |
| 6. | दिल्ली | 111 | 7.51 | 40 | 2.69 | 151 | 10.18 |
| 7. | गोवा | 2095 | 56.59 | 62 | 1.68 | 2157 | 58.27 |
| 8. | गुजरात | 15152 | 7.73 | 4036 | 2.06 | 19188 | 9.79 |
| 9. | हरियाणा | 1754 | 3.97 | 1526 | 3.45 | 3280 | 7.42 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 14360 | 25.79 | 397 | 0.71 | 14757 | 26.51 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | 21237 | 9.56 | 2217 | 1.00 | 23454 | 10.55 |
| 12. | झारखंड | 22637 | 28.40 | 2694 | 3.38 | 25331 | 31.78 |
| 13. | कर्नाटक | 36991 | 19.29 | 7446 | 3.88 | 44437 | 23.17 |
| 14. | केरल | 15560 | 40.04 | 1146 | 2.95 | 16706 | 42.99 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 77265 | 25.07 | 5751 | 1.87 | 83016 | 26.93 |
| 16. | महाराष्ट्र | 47482 | 15.43 | 8269 | 2.69 | 55751 | 18.12 |
| 17. | मणिपुर | 16926 | 75.81 | 95 | 0.43 | 17021 | 76.24 |
| 18. | मेघालय | 15584 | 69.48 | 140 | 0.62 | 15724 | 70.11 |
| 19. | मिजोरम | 17494 | 82.98 | 95 | 0.45 | 17589 | 83.44 |
| 20. | नागालैंड | 13345 | 80.49 | 70 | 0.42 | 13415 | 80.92 |
| 21. | उड़ीसा | 48838 | 31.36 | 4364 | 2.80 | 53202 | 34.17 |
| 22. | पंजाब | 2432 | 4.83 | 1634 | 3.24 | 4066 | 8.07 |
| 23. | राजस्थान | 16367 | 4.78 | 5286 | 1.54 | 21653 | 6.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | सिक्किम | 3193 | 45.00 | 14 | 0.20 | 3207 | 45.19 |
| 25. | तमिलनाडु | 21482 | 16.52 | 6054 | 4.65 | 27536 | 21.17 |
| 26. | त्रिपुरा | 7065 | 67.38 | 68 | 0.65 | 7133 | 68.02 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 13746 | 5.71 | 7545 | 3.13 | 21291 | 8.84 |
| 28. | उत्तरांचल | 23938 | 44.76 | 448 | 0.84 | 24386 | 45.60 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 10693 | 12.05 | 3264 | 3.68 | 13957 | 15.73 |
| 30. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 6930 | 84.01 | 83 | 1.01 | 7013 | 85.02 |
| 31. | चंडीगढ़ | 9 | 7.51 | 2 | 1.63 | 11 | 9.65 |
| 32. | दादर एवं नागर हवेली | 219 | 44.60 | 27 | 5.54 | 246 | 50.10 |
| 33. | दमन और द्वीव | 6 | 5.53 | 4 | 3.29 | 10 | 8.93 |
| 34. | लक्षद्वीप | 27 | 85.91 | 0 | 0.27 | 27 | 84.38 |
| 35. | पांडिचेरी | 36 | 7.45 | 35 | 7.19 | 71 | 14.79 |
| | कुल योग | 675538 | 20.55 | 81,472 | 2.48 | 757,010 | 23.03 |

***विवरण II***

*बिन्दु सं. 16 क: निजी भूमियों पर वृक्ष पौधरोपण (इकाईयां: पौद लाख में)*

*बिन्दु सं. 16 ख: शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि (इकाईयां: क्षेत्र हेक्टेयर में)*

| | | लक्ष्य 2002-05 | | उपलब्धियां 2002-05* | | लक्ष्य 2005-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | बिन्दु सं. 16 क | बिन्दु सं. 16 ख | बिन्दु सं. 16 क | बिन्दु सं. 16 ख | बिन्दु सं. 16 क | बिन्दु सं. 16 ख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10000.00 | 720000.00 | 7326.61 | 392972.00 | 3000.00 | 250000.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 16.00 | 18500.00 | 5.51 | 6547.00 | 6.00 | 7000.00 |
| 3. | असम | 120.00 | 57500.00 | 61.14 | 6677.00 | 60.00 | 30000.00 |
| 4. | बिहार | 550.00 | 55000.00 | 273.84 | 16480.00 | 125.00 | 40000.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 650.00 | 115000.00 | 437.54 | 138680.00 | 175.00 | 100000.00 |
| 6. | गोवा | 35.00 | 3200.00 | 23.85 | 1475.00 | 10.00 | 900.00 |
| 7. | गुजरात | 4700.00 | 190000.00 | 4189.16 | 169105.00 | 2000.00 | 85000.00 |
| 8. | हरियाणा | 805.00 | 65000.00 | 907.40 | 51835.00 | 375.00 | 26000.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 60.00 | 55000.00 | 73.89 | 44040.00 | 25.00 | 25000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 70.00 | 65000.00 | 149.68 | 35555.00 | 30.00 | 30000.00 |
| 11. | झारखंड | 500.00 | 160000.00 | 6.53 | 32585.00 | 200.00 | 65000.00 |
| 12. | कर्नाटक | 1550.00 | 170000.00 | 916.66 | 89372.00 | 350.00 | 65000.00 |
| 13. | केरल | 40.00 | 18000.00 | 10.05 | 12288.00 | 10.00 | 20000.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1000.00 | 425000.00 | 1000.25 | 442558.00 | 450.00 | 200000.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3600.00 | 230000.00 | 1210.40 | 95795.00 | 2000.00 | 100000.00 |
| 16. | मणिपुर | 45.00 | 19000.00 | 1.56 | 1973.00 | 10.00 | 7500.00 |
| 17. | मेघालय | 105.00 | 15000.00 | 63.41 | 3237.00 | 15.00 | 5000.00 |
| 18. | मिजोरम | 72.00 | 23500.00 | 69.55 | 17492.00 | 20.00 | 8500.00 |
| 19. | नागालैंड | 105.00 | 25000.00 | 637.80 | 50021.00 | 100.00 | 25000.00 |
| 20. | उड़ीसा | 950.00 | 141510.00 | 596.41 | 148517.00 | 250.00 | 60000.00 |
| 21. | पंजाब | 90.00 | 55000.00 | 63.36 | 29142.00 | 30.00 | 25000.00 |
| 22. | राजस्थान | 300.00 | 37500.00 | 303.49 | 73082.00 | 80.00 | 45000.00 |
| 23. | सिक्किम | 66.00 | 23000.00 | 6.70 | 1129.00 | 15.00 | 12000.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 390.00 | 320000.00 | 353.07 | 180390.00 | 200.00 | 115000.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 105.00 | 23500.00 | 83.74 | 25987.00 | 25.00 | 15000.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 3500.00 | 170000.00 | 4252.52 | 116679.00 | 2500.00 | 100000.00 |
| 27. | उत्तरांचल | 500.00 | 320000.00 | 397.45 | 247693.00 | 175.00 | 125000.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 800.00 | 80000.00 | 206.30 | 25796.00 | 300.00 | 40000.00 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 5.50 | 10500.00 | 4.05 | 5394.00 | 3.00 | 2000.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 2.50 | 430.00 | 0.90 | 470.00 | 1.00 | 125.00 |
| 31. | दादर एवं नागर हवेली | 15.00 | 1050.00 | 19.22 | 1057.00 | 7.00 | 300.00 |
| 32. | दमन और द्वीव | 2.50 | 90.00 | 0.37 | 70.00 | 1.00 | 30.00 |
| 33. | दिल्ली | 44.00 | 750.00 | 23.67 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 3.00 | 225.00 | 0.00 | 24.00 | 1.00 | 20.00 |
| 35. | पांडिचेरी | 9.00 | 225.00 | 5.92 | 97.00 | 1.00 | 100.00 |
| | कुल | 30805.50 | 3613480.00 | 23682.00 | 2464214.00 | 12560.00 | 1629475.00 |

*वर्ष 2004-05 के लिए लक्ष्य उपलब्धियां दिसंबर 2004 तक।

*विवरण III*

*गत तीन वर्षों (2002-2003 से 2004-05) में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास अभिकरणों को जारी निधियां*

| क्र.सं. | राज्य | जारी की गई (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 33.00 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 33.59 |
| 3. | गुजरात | 15.84 |
| 4. | हरियाणा | 25.80 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 18.15 |
| 6. | जम्मू एवं कश्मीर | 16.22 |
| 7. | कर्नाटक | 52.41 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 41.91 |
| 9. | महाराष्ट्र | 29.90 |
| 10. | उड़ीसा | 30.36 |
| 11. | पंजाब | 2.13 |
| 12. | राजस्थान | 14.81 |
| 13. | तमिलनाडु | 36.52 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 59.51 |
| 15. | उत्तरांचल | 18.69 |
| 16. | गोवा | 0.64 |
| 17. | झारखंड | 19.29 |
| 18. | बिहार | 4.62 |
| 19. | केरल | 5.57 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 13.84 |
| | कुल (अन्य राज्य) | 472.80 |
| 21. | अरूणाचल प्रदेश | 8.01 |
| 22. | असम | 13.57 |
| 23. | मणिपुर | 12.91 |
| 24. | नागालैंड | 23.05 |
| 25. | सिक्किम | 11.76 |
| 26. | त्रिपुरा | 11.78 |
| 27. | मिजोरम | 35.91 |
| 28. | मेघालय | 2.45 |
| | **कुल (पूर्वोत्तर राज्य)** | **119.44** |
| | **कुल योग** | **592.24** |

2005-06 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित आबंटन 280.85 करोड़ रु. है।

**बेरोजगारी की दर**

***514. श्री चाडिगा रामकृष्णा:**
**श्री गुरूदास कामत:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्रों में नौकरियों की कमी के कारण बेरोजगारी की दर में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका सकल घरेलू उत्पाद, क्षेत्रीय असंतुलन तथा गरीब तथा घनी आबादी वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) से (घ) रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण 1999-2000 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर देश में बेरोजगारी दर 1993-94 में लगभग 6.03 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 7.32 प्रतिशत हो गई।

उपलब्ध सूचनानुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार 2001 में 2.77 करोड़ से घटकर 2003 में 2.70 करोड़ रह गया।

संगठित क्षेत्र में रोजगार देश के कुल रोजगार का केवल 7% के लगभग है। संगठित क्षेत्र में रोजगार में नगण्य कमी से सकल घरेलू उत्पाद, क्षेत्रीय असंतुलन तथा निर्धन व घनी आबादी वाले

राज्यों की अर्थव्यवस्था में सर्वांगीण वृद्धि सहित समान बेरोजगारी दर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु सरकार अनेक पहलुओं पर प्रयास कर रही है। इस तथ्य के मद्देनजर कि संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन की अधिक संभावना नहीं है, सरकार ने दसवीं योजनावधि के दौरान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, उद्यान कृषि, लघु व मझौले उद्यम, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा अन्य सेवाओं जैसे श्रम सघन क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है। देश के चुनिंदा पिछड़े जिलों में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम पहले ही आरंभ किया जा चुका है।

**खतरनाक अपशिष्ट वाली इकाइयां**

***515. श्री अधीर चौधरी:**
**श्री निखिल कुमार:**

**क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों को खतरनाक अपशिष्ट वाली इकाइयों संबंधी इसके आदेशों के क्रियान्वयन के बारे में अपनी रिपोर्टें भेजने हेतु निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खतरनाक और अपशिष्ट वाली इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा उन पर कोई समुचित नियंत्रण नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा खतरनाक अपशिष्ट वाली इकाइयों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा ):** (क) और (ख) मंत्रालय ने खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.10.2003 के आदेशों के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) और संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को 10 नवम्बर, 2003 को लिखा था।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अनुसार देश में 13011 इकाइयां खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं।

(ग) और (घ) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधित नियम, 2003 में खतरनाक अपशिष्ट की नई परिभाषा के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली सभी इकाइयों को अभिनिर्धारित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

यह आशा है कि परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधन नियम, 2003 में दी गई खतरनाक अपशिष्ट की नई परिभाषा के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाईयों की संख्या बढ़ सकती है।

विनियमों के अलावा नए और नवीन पहलू जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और हरित उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और नियमित किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय उद्यानों में पेड़ों की अवैध कटाई**

***516. श्री राजेन गोहेन:**
**श्री हेमलाल मुर्मू:**

**क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में लाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमालयन चिपको फाउन्डेशन तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार का ध्यान वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की ओर आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा टिहरी-गढ़वाल जिले में नियमों का उल्लंघन करते हुए कई हजार पेड़ों की कटाई कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई की गई है; और

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान तथा मार्च, 2005 तक पेड़ों की कटाई के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गए तथा कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीना ):** (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय में वन संरक्षण से संबंधित मामलों के बारे में गैर सरकारी संगठनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे अभ्यावेदनों पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) से (छ) उत्तरांचल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के धोलखंड रेंज में 1712 वृक्षों की अवैध कटाई की गई थी। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा एक रेंज अधिकारी, एक वनपाल और दो वन गार्डों को निलम्बित किया गया। प्रशासनिक सुधार के रुप में व्यापक गश्ती और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए धोलखंड रेंज को दो भागों में विभाजित किया गया है।

(ज) पिछले तीन वर्षों और 31 मार्च, 2005 तक विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों से 4249 विकासात्मक परियोजना प्रस्ताव वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त हुए थे। इनमें से 2965 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी प्रदान की गई। राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। चूंकि विकासात्मक परियोजना प्रस्तावों में पावर परियोजनाओं (जल विद्युत, ताप विद्युत, ट्रांसमिशन लाइन आदि) का निर्माण, रेलवे लाइनें, सड़कें, सिंचाई परियोजनाएं, रक्षा परियोजनाएं, विद्यालय, पेयजल आपूर्ति स्कीमें आदि भी शामिल होती हैं इसलिए ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृक्षों की कटाई निश्चित रूप से शामिल होती है।

*विवरण 1*

(01.01.2002 से 31.03.2005)

| क्र.सं. | प्रस्ताव का नाम | राज्य | जिला | वनेतर प्रयोग क्षेत्र (हैक्टेयर) | लगाया गया दण्ड सीए (हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | असीफाबाद में सर्वे नं. 138, कम्पार्टमेंट नं. 502 और 503 में चूना पत्थर खनन के लिए खनन पट्टा | आंध्र प्रदेश | अदीलाबाद | 13.75 | 21 |
| 2. | मैसर्स सिंगरीनी कालारी कं. का एस एस सी एल के पक्ष में खनन पट्टा | आंध्र प्रदेश | अदीलाबाद | 253 | 307.7 |
| 3. | वरदहपलीय से टाडा आर एण्ड बी रोड से गोल्डन सिटी अस्पताल और लैक्चर हाल तक पहुंच रोड बिदाना | आंध्र प्रदेश | चित्तौर | 0.13 | 0.26 |
| 4. | एन सी एल उद्योग के पक्ष में खान से फैक्टरी तक सड़क | आंध्र प्रदेश | नालगोण्डा | 2.71 | 1.598 |
| 5. | मैसर्स चाणक्य सीमेंट के पक्ष में कम्पार्टमेंट नं. 29 का पासुपुलाबोदु ब्लाक का नालगोन्डा वन डिवीजन | आंध्र प्रदेश | नालगोण्डा | 162.56 | 2.96 |
| 6. | मैसर्स प्रसाद सीड्स लि. के पक्ष के मार्ग के प्रयोग का अधिकार | आंध्र प्रदेश | रंगा रेड्डी | 0.48 | 0.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | नामचिक नामफुक कोल फील्डस में कोयला खनन के लिए ए सी एम डी टी सी एल को खनन पट्टा | अरूणाचल प्रदेश | चंगलंग | 128.97 | 18.2 |
| 8. | डिरांग मनडेला रोड का निर्माण चौड़ा करना और सुधार | अरूणाचल प्रदेश | दिवांग वेली | 42 | 252 |
| 9. | मिगनिंग टूटिंग सड़क का निर्माण | अरूणाचल प्रदेश | पूर्वी सिंयाग | 37 | 222 |
| 10. | बी आर टी एफ द्वारा डिटि-डिमी-मिगनिंग सड़क | अरूणाचल प्रदेश | पूर्वी सियांग | 152 | 304 |
| 11. | नामसाई में ई एस टी बी का औद्योगिक इस्टेट | अरूणाचल प्रदेश | लोहित | 34 | 136 |
| 12. | औद्योगिक इस्टेट की स्थापना | अरूणाचल प्रदेश | लोहित | 34 | 136 |
| 13. | इटानगर-गोहपुर रोड चरण-1 का निर्माण, चौड़ा करना और सुधार | अरूणाचल प्रदेश | पाम्पेर | 30.98 | 57.08 |
| 14. | देयोमली में औद्योगिक इस्टेट की स्थापना | अरूणाचल प्रदेश | तिराप | 38 | 25.2 |
| 15. | बी आर टी एफ द्वारा जांग से रामसपार रोड | अरूणाचल प्रदेश | टोवांग | 48 | 96 |
| 16. | बी आर टी एफ द्वारा नाचो टी सी सी (नाचो-तमचुंग चुंग) का निर्माण | अरूणाचल प्रदेश | अपर सवर्नश्री | 57.43 | 574.3 |
| 17. | केइंग टाटो रोड का निर्माण | अरूणाचल प्रदेश | पश्चिम सियांग | 73.6 | 147.2 |
| 18. | नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. द्वारा 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर एच ई पी | अरूणाचल प्रदेश | पश्चिम सियांग | 3999.3 | 2.2 |
| 19. | एन एच डी सी द्वारा 2000 मैगावाट सुबनसिरी लोअर एच ई पी | असम | धेमाजी | 571.3 | 2.2 |
| 20. | कसरटीडा लघु सिंचाई परियोजना | छत्तीसगढ़ | बस्तर | 668.09 | 1336.18 |
| 21. | पी वी 103 टैंक परियोजना | छत्तीसगढ़ | बस्तर | 95.93 | 191.86 |
| 22. | चापी लघु सिंचाई परियोजना | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 256.745 | 26.726 |
| 23. | अपर खुजी सिंचाई परियोजना | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 66.2 | 132.4 |
| 24. | कामठी टैंक परियोजना | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 37.59 | 75.18 |
| 25. | गांव बरबासपुर में अलोट अयस्क के खनन के लिए श्री जीवन लाल जैन के पक्ष में खनन पट्टा | छत्तीसगढ़ | कांके | 14.714 | 2.428 |
| 26. | 11 के वी टी एल | छत्तीसगढ़ | कोयरा | 1.54 | 3.08 |
| 27. | गोहाल नाला टैंक परियोजना | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 37.6 | 75.2 |
| 28. | पी डब्ल्यू डी के पक्ष में नहर का निर्माण | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | 14.52 | 29.04 |
| 29. | हैदर कासिक खान के पक्ष में खनन पट्टा 10/52 | गोवा | दक्षिण गोवा | 12.466 | 4.4932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | डा. प्रफुल्ल आर हीडी के पक्ष में खनन पट्टा 30/50 | गोवा | दक्षिण गोवा | 30.5688 | 10.48 |
| 31. | जी एन अग्रवाल के पक्ष में खनन पट्टा 8/41 | गोवा | दक्षिण गोवा | 66.719 | 0.24 |
| 32. | नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन के पक्ष में डैम्पिंग के लिए वनेतर प्रयोग | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 48.1304 | 44.8273 |
| 33. | सी सी एल को कावेरी ओपन कास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | बोकारो | 77.43 | 109.06 |
| 34. | सी सी एल का एमलो ओपन कास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | बोकारो | 222.324 | 275 |
| 35. | सी सी एल का खनन पट्टा | झारखण्ड | बोकारो | 148.167 | 296.334 |
| 36. | सी सी एल का खासमहल ओपनकाट खनन पट्टा | झारखण्ड | बोकारो | 174.48 | 179.6 |
| 37. | सी सी एल की छोरी ओपनकास्ट परियोजना | झारखण्ड | गिरीडीह | 69.183 | 25 |
| 38. | धनसिंह टैंक परियोजना | झारखण्ड | गुमला | 53.26 | 106.52 |
| 39. | सी सी एल का झारखंड ओपनकास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 96.28 | 192.56 |
| 40. | सी सी एल के पक्ष में तपिन नार्थ ओपनकास्ट परियोजना | झारखण्ड | हजारीबाग | 55.69 | 2.72 |
| 41. | सी सी एल का सिरका ओपनकास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 50.8 | 42.28 |
| 42. | सी सी एल का सिरका अन्डरग्राउण्ड खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 78.59 | 68.28 |
| 43. | सी सी एल का अरगदा ओपनकास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 90.1 | 4.54 |
| 44. | सी सी एल का टोपा ओपनकास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 77.3 | 154.6 |
| 45. | सी सी एल का अरा ओपनकाट परियोजना का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 166.9 | 109.58 |
| 46. | सी सी एल का राजरप्पा ओपनकास्ट परियोजना का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 510.82 | 1021.64 |
| 47. | सी सी एल का रीलीगारा ओपनकास्ट पारि परियोजना का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 135.66 | 43 |
| 48. | सी सी एल का गिडडी सी ओपनकास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 237.3 | 4.78 |
| 49. | सी सी एल का पुन्डी ओपनकास्ट खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 52.97 | 6.48 |
| 50. | केडला ओ सी पी के लिए सी सी एल का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 168.5 | 224.2 |
| 51. | मैसर्स सी सी एल का उरीमरी सी सी एल पारि परियोजना का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 91.04 | 182.04 |
| 52. | मैसर्स सी सी एल का कुजु पारि सी सी का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 115 | 26.84 |
| 53. | कर्मा ओपन कास्ट खनन परि के लिए मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. का खनन पट्टा | झारखण्ड | हजारीबाग | 132.28 | 77.68 |
| 54. | मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. के पक्ष में सायल डी पारि | झारखण्ड | हजारीबाग | 192.32 | 12.424 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. | सी सी एल का गिड्डी ए खनन पट्टा | झारखण्ड | रांची | 232.42 | 59.3 |
| 56. | सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. को दोहरी खास अण्डरग्राऊण्ड खनन पट्टा | झारखण्ड | रांची | 172.2 | 82.2 |
| 57. | देविका वीलजी के आयरन एण्ड खनिज खनन पट्टे का नवीकरण | झारखण्ड | पश्चिम सिंहभूम | 32.416 | 29.26 |
| 58. | नरेन्द्रा (हुबली-1) टी/एल | कर्नाटक | बंगलौर (शहरी) | 27.72 | 55.44 |
| 59. | मार्कन्डे एम आई पी | कर्नाटक | बेलगाम | 334.17 | 16 |
| 60. | सतवाब को खनन पट्टा | कर्नाटक | बेलारी | 24.72 | 49.44 |
| 61. | मैसर्स मैसूर मिनरल लि. को खनन पट्टा नं. 2002 | कर्नाटक | बेलारी | 176.724 | 23 |
| 62. | मुनराबाद के सर्वे सं. 25 में पाइन की पाइप लाइन बिछाना, ब्रेक प्रैशर टैंक और 11 के वी लाइन | कर्नाटक | रायचूर | 0.9755 | 1.951 |
| 63. | मुण्डिया खीरा टैंक | मध्य प्रदेश | बालाघाट | 79.037 | 158.074 |
| 64. | अपर चान्दिया सिंचाई परियोजना का निर्माण | मध्य प्रदेश | छत्तरपुर | 149.288 | 298.576 |
| 65. | जमघाट्टी टैंक परियोजना | मध्य प्रदेश | खड़गांव | 59.66 | 119.32 |
| 66. | हीरा खनन के लिए एन एम डी सी को खनन पट्टा | मध्य प्रदेश | पन्ना | 74.018 | 444.108 |
| 67. | सटना टैंक परियोजना | मध्य प्रदेश | सतना | 27 | 1.64 |
| 68. | अपरवेन गंगा सिंचाई परियोजना | मध्य प्रदेश | सोनी एवं बेलाघाट | 923.187 | 1800.276 |
| 69. | बुल्हार पी टी का निर्माण | महाराष्ट्र | अहमदनगर | 3.65 | 7.3 |
| 70. | मैसर्स मैग्नीशिया ओर (आई) लि. का खनन पट्टा | महाराष्ट्र | बांद्रा | 34.43 | 68.86 |
| 71. | सरसाला लघु सिंचाई परियोजना-2 | महाराष्ट्र | बांद्रा | 47.5 | 95 |
| 72. | गुदरू सिंचाई लघु टैंक का निर्माण | महाराष्ट्र | बांद्रा | 8.33 | 16.66 |
| 73. | दुर्गापुर ओपन कास्ट खनन परियोजना के लिए मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का खनन पट्टा | महाराष्ट्र | चन्द्रपुर | 172.54 | 345.08 |
| 74. | महासदी-2 पर पी टी का निर्माण | महाराष्ट्र | धुले | 2.5 | 5 |
| 75. | शैलखुजी पी टी | महाराष्ट्र | धुले | 4.38 | 8.76 |
| 76. | भमबानपुर लघु सिंचाई परियोजना | महाराष्ट्र | गढ़चिरोली | 47.98 | 95.96 |
| 77. | जमराती परियोजना का निर्माण | महाराष्ट्र | जलगांव | 14.3 | 28.6 |
| 78. | नाग्या साक्या परियोजना | महाराष्ट्र | नासिक | 141.36 | 282.72 |
| 79. | खडकोहल पी टी | महाराष्ट्र | नासिक | 4.1 | 8.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80. | धुलघाट पी पी | महाराष्ट्र | नासिक | 1.9 | 3.8 |
| 81. | कछोरपाड पी टी | महाराष्ट्र | नासिक | 2.8 | 5.6 |
| 82. | पोगारवाड़ी फाटा से आरी डारा खन्डी रोड | मिजोरम | सतारा | 3.3 | 6.6 |
| 83. | भारत बंगला देश सीमा सड़क का निर्माण | उड़ीसा | लंगलई | 140A | 224 |
| 84. | महानदी कोलफील्ड लि. के पक्ष में अनन्ता एक्सटेंशन ओपनकास्ट परियोजना | उड़ीसा | अंगूल | 62.67 | 125.34 |
| 85. | प्र.मं.ग्रा.सं.यो के अंतर्गत नालम तालापाड़ा सड़क | उड़ीसा | अंगूल | 0.A | 1 |
| 86. | जे पी के पी झुंझुनवाला की तालाबस्तर फायर क्ले खान | उड़ीसा | कटक | 19.62 | 39.24 |
| 87. | मंजानगर बांध के लिए स्पल वे और पहुंच सड़क | उड़ीसा | गंजम | 0.43 | 1 |
| 88. | ओ एम सी लि. को खनन पट्टा | उड़ीसा | जजपुर | 142.73 | 285.46 |
| 89. | गुआल अलौह खान डी सी जैन को खनन पट्टा | उड़ीसा | क्योंझार | 42.417 | 84.834 |
| 90. | डी सी जैन को खनन पट्टा | उड़ीसा | क्योंझार | 16.464 | 32.928 |
| 91. | एस्सल खनन उद्योग को खनन पट्टा | उड़ीसा | क्योंझार | 152.229 | 167.76 |
| 92. | रूंगता खनन लिमिटेड का खनन पट्टा | उड़ीसा | सुन्दरगढ़ | 15.95 | 31.9 |
| 93. | ए एम टी सी (पी) लिमिटेड को खनन पट्टा | उड़ीसा | सुन्दरगढ़ | 244.327 | 120 |
| 94. | मैसर्स रूंगता माइन्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा | उड़ीसा | सुन्दरगढ़ | 53.55 | 0.1 |
| 95. | 11 एल/एच के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा | राजस्थान | अलवर | 7.5999 | 7.888 |
| 96. | सतीश मोहनगुप्ता के पक्ष में फायरक्ले का खनन पट्टा | राजस्थान | अलवर | 3.746 | 3.15 |
| 97. | लक्ष्मीनारायण मीना के पक्ष में 3 एल/एच के लिए मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा | राजस्थान | अलवर | 2.742 | 5.28 |
| 98. | मैसर्स रामनारायण एण्ड ब्रदर्स | राजस्थान | अलवर | 8.315 | 11.02 |
| 99. | के सी व्यास और पी एल व्यास के पक्ष में लाइमस्टोन का खनन पट्टा | राजस्थान | अलवर | 6.355 | 3.06 |
| 100. | 7 एल एच के पक्ष में मार्बल स्टोन का खनन पट्टा | राजस्थान | बांसवाड़ा | 3.401 | 6.4 |
| 101. | ओरिएन्टल टैल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लि. को खनन पट्टा | राजस्थान | बांसवाड़ा | 36.6107 | 30.3826 |
| 102. | नागरिन ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा | राजस्थान | बरमर | 1 | 2 |
| 103. | मैसर्स मदन लाल पुरोहित के पक्ष में सिलिका सैन्ड का खनन पट्टा | राजस्थान | भरतपुर | 2.3638 | 4.7376 |
| 104. | उदयपुर मिनरल्स डैवलपेंट डाइडीकेट को खनन पट्टा | राजस्थान | भिलवाड़ा | 641.86 | 1283.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105. | देवरी नेलाब सिंचाई परियोजना | राजस्थान | भिलवाड़ा | 20.12 | 40.24 |
| 106. | राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को खनन पट्टा | राजस्थान | बिकानेर | 102.6136 | 31.97 |
| 107. | 5 एल/एच सी के पक्ष में सैंडस्टोन का खनन पट्टा | राजस्थान | बंदी | 4.9577 | 9.9 |
| 108. | 35 पट्टा धारकों को खनन पट्टा | राजस्थान | बंदी | 38.04 | 76.08 |
| 109. | 31 पट्टा धारकों को खनन पट्टा | राजस्थान | दुंगापुर | 30.7 | 99.48 |
| 110. | आर एस एम डी सी-ए के पक्ष में फ्लोरस्पार का खनन पट्टा | राजस्थान | दुंगापुर | 16.44 | 9.04 |
| 111. | एम आर मीना के पक्ष में चीजा स्टोन के लिए खनन पट्टा | राजस्थान | जयपुर | 0.5935 | 0.67 |
| 112. | आर एस एम डी सी को खनन पट्टा | राजस्थान | जलोर | 5.788 | 23.152 |
| 113. | 7 एलएच के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा | राजस्थान | जलोर | 14.478 | 10 |
| 114. | 5 एल एच के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा | राजस्थान | जलोर | 5.279 | 7.2 |
| 115. | 4 पट्टा धारकों को खनन पट्टा | राजस्थान | झलवार | 14.4006 | 57.6024 |
| 116. | 4 एल/एच के पक्ष में चीजा स्टोन को खनन पट्टा | राजस्थान | सिकार | 3.6849 | 7.2 |
| 117. | महावीर ट्रेडिंग कम्पनी को खनन पट्टा | राजस्थान | उदयपुर | 34.22 | 28.44 |
| 118. | श्रीमती सामरथदेवी के पक्ष में सर्पेटाइन के लिए खनन पट्टा | राजस्थान | उदयपुर | 2.0256 | 0.82 |
| 119. | रेडिया एस्ट्रोनामी सेन्टर | तमिलनाडु | निलगिरी | 27.51 | 7.8 |
| 120. | पैथूर आर एफ बिट-1, 2, 3 में ब्लैक ग्रेनाइट का उत्खनन | तमिलनाडु | सलेम | 11.84 | 60 |
| 121. | एम के पुरा रोड के लिए आई वी वी वालखाली | त्रिपुरा | धलाई | 126.5 | 549 |
| 122. | लालचेरा पर 9वीं एनएचक्यूआर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की स्थापना | त्रिपुरा | धलाई | 55 | 110 |
| 123. | ढलाई कांथालवारी विशनपुर कारनगीचेरा से आई वी वी सड़क का निर्माण | त्रिपुरा | त्रिपुरा (उत्तर) | 24.29 | 48.58 |
| 124. | वाईशानावपुर पर वी एस एफख् वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (उत्तर) | 2.2 | 4.4 |
| 125. | चामरावस्ती पर वी एस एफ बी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (उत्तर) | 1.3 | 2.6 |
| 126. | कथालोहोरी पर वी सी एफ बी ओ पी स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (उत्तर) | 1.215 | 2.43 |
| 127. | सान्तीपुर से सरमोन्टीला तक पी डब्ल्यू द्वारा सड़क का निर्माण | त्रिपुरा | त्रिपुरा (उत्तर) | 3.468 | 6.936 |
| 128. | पचहास्थाल पर पोलाइड स्टेशन और स्टाफ क्वार्टर की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (उत्तर) | 1.218 | 2.436 |
| 129. | डुलुमा पर पांचवें वी एन आफ टी एस आर की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 51.82 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130. | त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के बटालियन हैडक्वार्टर की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 51.82 | 10 |
| 131. | राधानगर में आई वी वी सड़क का निर्माण | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 29.6 | 59.2 |
| 132. | डाइक-4 गुमती पर वी एस एफ वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 0.75 | 1.5 |
| 133. | रायशायबारी पर सी सी एफ वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 0.336 | 0.672 |
| 134. | हारबरेलियन पर वी एस एफ बी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 1 | 2 |
| 135. | मागरूम पर वी एस एफ वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 1.52 | 3.04 |
| 136. | हिच्चाचेरी पर 7वीं वी एन त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 42.461 | 84.922 |
| 137. | अगरतला से सबरूम तक सड़क चौड़ी करनी | त्रिपुरा | त्रिपुरा (दक्षिण) | 1.129 | 2.258 |
| 138. | कुलुवारी से निदाया तक आई वी वी रोड का निर्माण | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 0.42 | 0.84 |
| 139. | खेनगराईवारी पर वी एस एफ वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 0.93 | 3.72 |
| 140. | भाटिचावरी पर वी एस एफ वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.215 | 4.86 |
| 141. | चापलिनचेरा वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.15 | 4.6 |
| 142. | जालयसी वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.3 | 5.2 |
| 143. | महान पर वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.25 | 5 |
| 144. | थालचेरा वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.25 | 5 |
| 145. | बहादुर वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.25 | 5 |
| 146. | गर्जनपासा वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.25 | 5 |
| 147. | तुलपानरी वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.25 | 5 |
| 148. | साइट वी एस एस पी पर ड्रिल साइट एप्रोच रोड का निर्माण | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.73 | 6.92 |
| 149. | साईट एम एन-डी-ए (रोखिआ) पर ड्रिल साइट का निर्माण | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 2.148 | 8.992 |
| 150. | मानड्रीमा पर वी एस एफ बी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.215 | 4.86 |
| 151. | अमर वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.215 | 4.86 |
| 152. | बिजोय वी एफ एप वी ओ पी की स्थापना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 1.215 | 4.86 |
| 153. | तेलियामुरा से जिरानिया तक रेलवे लाइन बिछाना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 54.08 | 4 |
| 154. | खवई केरानगीचेरा आई वी वी रोड का निर्माण और बाड़ लगाना | त्रिपुरा | त्रिपुरा (पश्चिम) | 12.5 | 25 |
| 155. | मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि. गोला के पक्ष में पट्टे का नवीकरण | उत्तर प्रदेश | लखीमपुर खीरी | 3.144 | 6.288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156. | मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि. गोला गोरखनाथ के पक्ष में पट्टे का नवीकरण | उत्तर प्रदेश | लखीमपुर खीरी | 7.8375 | 15.38 |
| 157. | मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि. के पक्ष में पट्टे का नवीकरण | उत्तर प्रदेश | लखीमपुर खीरी | 0.9919 | 2 |
| 158. | लाचूरा बांध का आधुनिकीकरण | उत्तर प्रदेश | महोवा | 48.212 | 16.94 |
| 159. | गरूडावंज भट्टकननया हल्के वाहन मोटर रोड | उत्तरांचल | अल्मोड़ा | 4.723 | 9.446 |
| 160. | सेनगढ़ पंतगाव चम्पाडक्कन मोटर रोड | उत्तरांचल | अल्मोड़ा | 4.4513 | 12.0225 |
| 161. | मासी गेर खेत-सराए खेत मोटर रोड | उत्तरांचल | अल्मोड़ा | 24.03986 | 6.5 |
| 162. | जालीखान उत्तमलाइन नौबारा धौला बजान सिन्नर मोटर मार्ग का निर्माण | उत्तरांचल | अल्मोड़ा | 5.0231 | 10.05 |
| 163. | गाजियाबाद झुमकाखेत एल वी मार्ग का निर्माण | उत्तरांचल | चमोली | 0.11 | 0.22 |
| 164. | गैरसैन पाजीआना मोटर रोड का निर्माण | उत्तरांचल | चमोली | 1.078 | 2.156 |
| 165. | लीजा फैक्टरी से डाक्रेक्टर (डब्ल्यू एल) आफिस लाइट व्हीकल रोड | उत्तरांचल | चमोली | 1.903 | 3.806 |
| 166. | गर्वनमेंट इन्टर कालेज तागंसा के निर्माण के लिए वनेतर प्रयोग | उत्तरांचल | चमोली | 4 | 8 |
| 167. | धुधुखान सौद मोटर रोड का निर्माण | उत्तरांचल | नैनीताल | 1.224 | 2.448 |
| 168. | डार परेव पटकोट मोटर रोड का निर्माण | उत्तरांचल | नैनीताल | 4.56 | 9.12 |
| 169. | पदमपुरी हीराखान काठगोदाम मोटर रोड | उत्तरांचल | नैनीताल | 42.93 | 128.79 |
| 170. | चामगढ़ बांध तक एप्रोच रोड का निर्माण | उत्तरांचल | पिथौरागढ़ | 1.254 | 5 |
| 171. | बनकोट धारी धुमला कोट लाइट व्हीकल रोड | उत्तरांचल | पिथौरागढ़ | 3.6 | 7 |
| 172. | केम्पटी थाईथूर मोटर रोड का निर्माण | उत्तरांचल | टेहरी गढ़वाल | 3.408 | 6.816 |
| 173. | नद खुली के नाल | उत्तरांचल | चम्पावत | 0.343 | 0.686 |
| 174. | मैसर्स हल्दवानी स्टोन कम्पनी ओलालकौन के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण | उत्तरांचल | नैनीताल | 8.9 | 17.8 |
| 175. | श्री कोट गंगनाली पर क्टान्क्यू देवाड में स्टोन सैड का खनन | उत्तरांचल | पौड़ी गढ़वाल | 1.61 | 3.22 |
| 176. | मोरा केनाल का निर्माण | उत्तरांचल | उत्तर काशी | 0.03 | 0.12 |
| 177. | साला केनाल | उत्तरांचल | उत्तर काशी | 0.546 | 2.184 |

*विवरण II*

(01.01.2002 को 31.03.2005)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 18 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 188 | 95 |
| अरूणाचल प्रदेश | 50 | 41 |
| असम | 39 | 29 |
| बिहार | 17 | 11 |
| चण्डीगढ़ | 11 | 8 |
| छत्तीसगढ़ | 132 | 68 |
| दादर एवं नागर हवेली | 92 | 38 |
| दमन एवं द्वीव | 1 | 0 |
| दिल्ली | 2 | 2 |
| गोवा | 26 | 19 |
| गुजरात | 286 | 208 |
| हरियाणा | 172 | 116 |
| हिमाचल प्रदेश | 382 | 268 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 0 |
| झारखण्ड | 87 | 58 |
| कर्नाटक | 233 | 141 |
| केरल | 55 | 25 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 184 | 99 |
| महाराष्ट्र | 333 | 224 |
| मणिपुर | 3 | 3 |
| मेघालय | 18 | 16 |
| मिजोरम | 7 | 6 |
| नागालैंड | 0 | 0 |
| उड़ीसा | 122 | 82 |
| पांडिचेरी | 1 | 1 |
| पंजाब | 795 | 646 |
| राजस्थान | 128 | 100 |
| सिक्किम | 47 | 39 |
| तमिलनाडु | 89 | 56 |
| त्रिपुरा | 64 | 48 |
| उत्तर प्रदेश | 135 | 101 |
| उत्तरांचल | 523 | 407 |
| पश्चिम बंगाल | 9 | 4 |
| कुल | 4249 | 2965 |

*[अनुवाद]*

**कल्याणकारी योजनाओं हेतु स्टाक**

***517. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का बफर स्टाक रखने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) दसवीं योजना के दौरान किन-किन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का बफर स्टाक निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या अंत्योदय अन्न योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) फसल खराब होने अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के दौरान उचित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) 10वीं योजनावधि के लिए 1 अप्रैल, 2005 से केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक रखने हेतु न्यूनतम बफर मानदंड निम्नानुसार हैं:

| | गेहूं | चावल | जोड़ |
|---|---|---|---|
| पहली अप्रैल | 40 | 122 | 162 |
| पहली जुलाई | 171 | 98 | 269 |
| पहली अक्तूबर | 110 | 52 | 162 |
| पहली जनवरी | 82 | 118 | 200 |

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा, जिन विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए 10वीं योजनावधि हेतु खाद्यान्नों का बफर स्टाक निर्धारित किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

(1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (विशेष घटक)

(3) मध्याह्न भोजन योजना

(4) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(ग) से (ङ) 10वीं योजना के लिए बफर मानदंड तैयार करते समय अंत्योदय अन्न योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (विशेष घटक), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम और रेलवे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ईष्टतम व्यवहार्य स्तर पर प्रत्येक माह अपेक्षित संख्या में खाद्यान्नों के रेकों की योजना बनाने तथा उनको भेजने और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशेष आवश्यकता का ध्यान रखने हेतु रेकों के संचलन की प्राथमिकता तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

(च) फसल खराब होने अथवा प्राकृतिक आपदा होने के कारण उत्पन्न आपातिक स्थितियों की कृषि मंत्रालय के अधीन अंतर मंत्रालयीय समूह अथवा गृह मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा मानीटरिंग की जाती है। क्षति तथा खाद्यान्नों की आवश्यकता आदि का केन्द्रीय दलों द्वारा तत्काल आकलन किया जाता है और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवश्यक अतिरिक्त आवंटन किया जाता है ताकि उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

*[हिन्दी]*

## बंद औद्योगिक इकाइयों के कामगार

***518. श्री रामदास आठवले:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप दिल्ली में बंद की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे कामगारों के हितों की रक्षा के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कामगारों के हितों की रक्षा के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) से (च) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 07.05.2004 के निर्णय द्वारा (1) दिल्ली के मुख्य सचिव (2) पुलिस आयुक्त, दिल्ली (3) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम और (4) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को शामिल करके एक अनुवीक्षण समिति की नियुक्ति की है। यह समिति गैर-कानूनी औद्योगिक क्रियाकलाप को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। तथापि, अनुवीक्षण समिति के उपर्युक्त सदस्य निर्णय में समाविष्ट निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और निगरानी रखने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे। तथापि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2004 के आदेश में श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। यह मामला आवासीय/असंगत क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाकलाप के मुद्दे से संबंधित था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ तथा अन्यों के मामले में दिल्ली से एच श्रेणी की इकाईयों (जोखिमकारी/अनिष्टकर औद्योगिक इकाइयां) को बंद करने/स्थानांतरित करने के मामले में अपने दिनांक 06,09.1996 तथा 26.11.1996 के आदेश में निदेश दिया था कि इन उद्योगों में नियोजित कामगार निम्न रूप से दर्शाए गए अनुसार अधिकारों और लाभों के हकदार होंगे:

(1) कामगार की नए नगर में और उद्योग के स्थानांतरित किए जाने वाले स्थान पर रोजगार की निरंतरता बनी रहेगी। उनके नियोजन की निबंधन और शर्तें उनके लिए अहितकर रूप में नहीं बदली जाएंगी;

(2) दिल्ली में उद्योग के बंद होने और दूसरे स्थान पर इसके पुन: शुरू होने के बीच की अवधि को सक्रिय नियोजन के रूप में माना जाएगा और कामगार को सेवा की निरंतरता के साथ उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा;

(3) उन सभी कामगारों को, जो उद्योग के साथ स्थान परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं, नए स्थान पर उनको व्यवस्थित करने में मदद के लिए स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग) बोनस के रूप में एक वर्ष की मजदूरी दी जाएगी;

(4) ऐसे उद्योगों में नियोजित कामगार, जो अन्यत्र स्थान निर्धारित करने में असफल रहता है और ऐसे कामगार जो अन्यत्र स्थापित उद्योगों में स्थानांतरित नहीं होना चाहते, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार छंटनीशुदा माना जाएगा। इन कामगारों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में एक वर्ष की मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा।

(5) किसी कामगार को भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों और मौजूदा कानूनों की शर्तों के अनुसार, दिल्ली में बंद होने वाली औद्योगिक इकाईयों में तैनात कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

*[अनुवाद]*

**पर्यटन उद्योग का विकास**

***519. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग तीस लाख थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह संख्या अन्य विकसित देशों और मलेशिया तथा मारीशस जैसे देशों की भी तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या दीर्घकालिक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वे राज्य कौन से हैं जिनमें पर्यटन उद्योग के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) वर्ष 2004 के दौरान लगभग 3.37 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आये।

(ख) विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू टी ओ) से प्राप्त अनंतिम अनुमान के अनुसार कुछ विकसित देशों तथा मलेशिया/मारिशस में वर्ष 2003 और 2004 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन नीचे लिखे अनुसार था:

(मिलियन में)

| देश/वर्ष | 2003 | 2004 |
|---|---|---|
| फ्रांस | 75.05 | 75.12 |
| स्पेन | 51.83 | 53.59 |
| यू.एस.ए. | 41.21 | 46.12 |
| मलेशिया | 10.58 | 16.47 |
| मारिशस | 0.70 | 0.71 |

(ग) पर्यटन क्षेत्र को प्रतिबाधित करने वाले मुख्य घटकों में विमान-सीटों की कमी, हवाई यात्रा के ऊंचे किराये, होटल आवास की कमी तथा ऊंची होटल दरें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता, अनेक प्रकार के एवं ऊंची दर वाले कर, राज्य सरकारों की सीमित भूमि उपयोग संबंधी नीतियां आदि शामिल हैं।

(घ) भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक दीर्घावधिक एवं लघु अवधि के उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली गतिविधि के रूप में अवस्थित करना और कायम रखना;

* पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और उसे कायम रखना;

* भारत के मौजूदा पर्यटन उत्पादों को बेहतर बनाना और नई बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उनका विस्तार करना;

* विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना;

* ग्रामीण एवं लघु क्षेत्र के पर्यटन पर विशेष ध्यान देना;

* सभ्यता, नागरिक प्रशासन, उत्तम प्रशासन तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना; तथा

* एकीकृत पर्यटन परिपथों का विकास करना।

इसके अतिरिक्त, भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय भी कर रही है:

* ''इन्क्रेडिबल इंडिया'' अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना।

* विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना।

* केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान।

* विदेशों में एयरलाइनों, टूअर आपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना।

* उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।

* व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।

* सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना।

* इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना।

* पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।

* विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर आपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

(ङ) भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसके पास व्यापक पर्यटन संबंधी परिसंपत्तियां हैं जो पारिस्थितिकीय तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से समुन्नत हैं। इसके पास प्रकृति की विशाल संपदा है-भव्य पर्वत, मनमोहक समुद्रतट, अदभुत वन्यजीव तथा आकर्षक पक्षी अभ्यारण्य और इसके साथ-साथ कला, वास्तुकला तथा दर्शन शास्त्र की अपूर्व संपदा। भारत का प्रत्येक राज्य अपने आप में अनोखा है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसके पास कुछ न कुछ भिन्न आकर्षण हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का वर्तमान स्तर अपनी क्षमता से कम है। भारत में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटन के संवर्धन के लिए, सभी संभव उपाय प्रभावकारी रूप से किए जा रहे हैं।

## दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार

*520. **श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंटिग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जारी किए गए धन का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है जिससे नानआपरेशन फ्लड एरिया के डेयरी क्षेत्र में विकास की गति धीमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) देश के उन गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) नामक योजना स्कीम 1993-94 में शुरू की गई थी जिनमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता नहीं थी अथवा बहुत कम क्षमता थी। कुछ क्षेत्रों में क्रियान्वयन की गति मुख्यतया इस कारण से धीमी रही कि कवर किए गए क्षेत्र बहुत ही पिछड़े, पहाड़ी तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले हैं और वहां पारंपरिक डेयरी उद्योग नहीं था। योजना के क्रियान्वयन में मूल्यांकन अध्ययनों ने जो कुछ कमियां बताई थी उन्हें योजना को संशोधित करते समय दूर कर दिया गया है। योजना की शुरूआत से, 26 राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश में कुल 334.09 करोड़ रुपए के परिव्यय से 62 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। योजना ने 7.12 लाख फार्म परिवारों को लगभग 11,600 ग्राम स्तरीय उन डेयरी सहकारी समितियों में संगठित करके लाभ पहुंचाया है जो 31 दिसम्बर, 2004 की तारीख तक प्रतिदिन लगभग 6.45 लाख लीटर दूध की खरीद कर रही हैं।

(ग) आई डी डी पी का संशोधित भाग, सघन डेयरी विकास कार्यक्रम में दूध उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों को तकनीकी आदान-प्रदान करने के लिए प्रावधान है। भारत सरकार देश में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है:

(1) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना।

(2) गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

(3) आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(4) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष।

*[हिन्दी]*

**उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन**

**5392. श्री बालेश्वर यादव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश वन विभाग के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने उत्तर प्रदेश विशेषकर ललितपुर जिले में वन क्षेत्रों में चल रही अवैध उत्खनन की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उत्तर प्रदेश में उल्लंघन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे उल्लंघन को रोकने और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** (क) और (ख) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय जोन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में खनन पट्टों के संबंध में मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में वन क्षेत्र में अवैध खनन पर टिप्पणी की गई है और ऐसी खानों के प्रचालनों के तुरन्त रोकने की सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) वन क्षेत्रों में खनन, अन्य बातों के साथ-साथ, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक उल्लंघन भी है। अवैध खनन के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) अपराधियों के विरुद्ध मामले पंजीकृत किए गए और अवैध खनन को रोक दिया गया।

(2) अवैध खनन को रोकने के लिए वन अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से नियमित चैकिंग और गश्त की जाती है।

**जापान से राजस्थान के लिए सहायता**

**5393. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार मौजूदा लघु सिंचाई प्रणाली और किसानों की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान को 481 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है, जैसा कि दिनांक 30 मार्च, 2005 के 'राजस्थान पत्रिका' के कोटा संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ऋण से किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (ग) जी, हां। जापान सरकार राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना के लिए 11,555 मिलियन येन अर्थात 481.45 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मुहैया कराने पर सहमत हो गयी है। इस सम्बन्ध में जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी) और भारत सरकार के बीच 31 मार्च, 2005 को टोकियो में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना में राजस्थान में मौजूदा लघु सिंचाई सुविधाओं की पुनर्स्थापना कर तथा जल प्रबन्धन और कृषि प्रयासों में सुधार लाकर कृषिगत उत्पादन में वृद्धि लाने की योजना है। इसमें प्रस्तावित कार्यों में सिविल कार्य, तकनीकी तथा संस्थागत सहायता और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं। इस परियोजना को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने की आशा है।

*[अनुवाद]*

**औषधि उद्योग का अस्तित्व**

**5394. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थोक औषधि के उत्पादन को उद्योगों तथा जल और प्रदूषण अधिनियम की रेड कैटेगरी में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल प्रोडक्टेविटी काउन्सिल द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में औषधि उद्योग के अस्तित्व में बने रहने के लिए जल और वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत स्वच्छ, सस्ती, व्यावहारिक और पर्यावरण अनुकूल योजनाओं की न तो पहचान हो पायी है और न ही सुझाव दे पाए हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और देश में चीन को अपनी औषधियों की कच्ची सामग्री का आयात करने की अनुमति प्राप्त है, ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीना ):** (क) और (ख) थोक औषधि उत्पादन की प्रक्रिया को खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट और वायु उत्सर्जन पैदा होता है जिनमें चिर स्थाई और विषैले रसायन होते हैं। नेशनल प्रोडक्टेविटी काउन्सिल द्वारा किए गए अध्ययनों ने खतरनाक अपशिष्ट, अपशिष्ट न्यूनीकरण और बहि: स्राव शोधन के प्रबन्धन हेतु विकल्पों की सिफारिश की है।

(ग) औषधियों के लिए कच्ची सामग्री का आयात खतरनाक रसायन के विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 और इसके बाद के संशोधनों के रहत शामिल प्रावधानों सहित विभिन्न कानूनों द्वारा अधिशासित किया जाता है।

*[हिन्दी]*

## विदेशों से फूड पार्कों के प्रस्ताव

**5395. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों से भारत में फूड पार्क स्थापित करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय लेने/स्वीकृति देने को कब तक अंतिम रूप प्रदान किये जाने की संभावना है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ):** (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत, खाद्य पार्कों की स्थापना समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए विदेशों से कोई प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने इस संबंध में एक अध्ययन आयोजित करने के लिए इटली के एक उद्योग संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग

**5396. श्री सुव्रत बोस:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आयोग को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्री ( श्री के. चन्द्रशेखर राव ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के विविध उपबंधों का प्रवर्त्तन संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है। इसके अलावा, संबंधित बाल श्रमिक बहुल राज्य सरकारें राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के एक अंग के रूप में, कामकाजी बच्चों के लाभार्थ आवश्यक पुनर्वास उपाय भी लागू करती रही हैं। अत: राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

## दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ( डी.एस.पी. ) द्वारा आर.ई.सी. दुर्गापुर को भूमि का अंतरण

**5397. श्री सुनील खां:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.) से 186.87 एकड़ भूमि को खरीदने का प्रस्ताव किया था ताकि उस भूमि का आर.ई.सी., दुर्गापुर को अंतरण किया जा सके जिससे वह अपने परिसर की स्थापना कर सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भूमि-क्षेत्र अंतरित की जा चुकी है और कितनी भूमि को इस संबंध में अंतरित किये जाने की संभावना है; और

(ग) शेष भूमि-क्षेत्र को कब तक संबंधित प्राधिकारियों को अंतरित किये जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री राम विलास पासवान ):** (क) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (आरईसी), दुर्गापुर की स्थापना करने के लिए 1959 में पश्चिम बंगाल सरकार को 186.87 एकड़ भूमि (डीएसपी के दखल में) अंतरित की गई थी/ छोड़ी गई थी।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध के अनुसार सम्पूर्ण 186.87 एकड़ भूमि अंतरित कर दी गई है। उक्त अंतरण पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि और भूमि सुधार विभाग के दिनांक 2.9.83 के आदेश संख्या 1187-एलआर/आईएल-48/83 तथा 9.12.86 के संख्या 5792-एलए (2) के अनुसरण में किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र**

**5398. श्री अतीक अहमद:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के कार्य की प्रगति की स्थिति क्या है; और

(ख) केन्द्र द्वारा कब तक इस कार्य को आरंभ कर दिया जायेगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) सिविल कार्य लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बिजली लगाने से संबंधित कार्य अभी किया जाना शेष है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान इस केन्द्र द्वारा अपना कार्य शुरू किए जाने की सम्भावना है।

*[अनुवाद]*

**यूरिया का वितरण**

**5399. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में यूरिया का समय पर वितरण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष मालभाड़ा प्रतिपूर्ति योजना वापस ले ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, हां।

(ख) राज्य की मांग का आकलन राज्य सरकार और कृषि एवं सहकारिता विभाग के परामर्श से क्षेत्रीय सम्मेलन में किया गया है। विभिन्न उत्पादकों द्वारा राज्य को किए जाने वाले आबंटन को दर्शाने वाली आपूर्ति योजना राज्य सरकार और कृषि एवं सहकारिता विभाग के परामर्श से तैयार की गई है। मांग एवं आपूर्ति योजना के अनुसार राज्य को यूरिया भेजी जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कपास पिकर का विकास**

**5400. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के वैज्ञानिकों ने नागपुर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में स्वचालित कपास पिकर का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. ने खेतों में इस मशीन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कपास उत्पादकों को कब तक यह मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी) के तहत एक दो पंक्ति वाले जान डीरे स्वचालित कपास पिकर को आयात किया गया है। इस मशीन का कपास की नौ अलग-अलग किस्मों पर खेत मूल्यांकन किया गया था।

(घ) और (ङ) कपास की वर्तमान किस्मों को यांत्रिक पिकिंग के लिए इस कपास पिंकर द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया। कपास की उपयुक्त किस्मों की पहचान/विकास करने की आवश्यकता है तथा इस पिकर द्वारा तुड़ाई करने के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास/पहचान पर कार्य केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर में किया जा रहा है।

**प्लास्टिक ग्रीन हाउसों का विकास**

**5401. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी फसलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की उपज और पैदावार को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक से बने ग्रीन हाउसों का विकास करने/लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या ऐसे ग्रीन हाउसों को स्थापित करने वाले लोगों को राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (1) कृषि का वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण; तथा (2) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें सब्जियों, फूलों तथा सजावटी पौधों सहित बागवानी फसलों की उपज व उत्पादकता बढ़ाने के लिए ग्रीन हाऊस कल्टिवेशन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों अर्थात पाली हाऊस कल्टिवेशन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों अर्थात पाली हाऊस एवं ग्रीन हाऊस में हाई-टेक खेती सहित वाणिज्यिक बागवानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) उत्पादन और फसलोपरान्त प्रबन्धन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास संबंधी एन.एच.बी. की स्कीम के अन्तर्गत ग्रीन हाऊस खेती सहित वाणिज्यिक बागवानी संबंधी उन परियोजनाओं के लिए पश्च अन्त पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, जो तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाई जाती हैं।

*[हिन्दी]*

**जैविक कृषि**

**5402. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा निर्यात किए खाद्यान्नों को उनमें कीटनाशकों की उपस्थिति के कारण लौटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मनुष्यों और पर्यावरण पर रासायनिक उर्वरकों के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संकेन्द्रित जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में संकेन्द्रित जैविक कृषि के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी नहीं, सरकार केन्द्रीय पूल से केवल निर्यात के उद्देश्यों के लिए एफ.ए.ओ. के (उचित औसत गुणवत्ता) वाले खाद्यान्नों की निर्मुक्ति करती है।

(ग) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान 57.05 करोड़ रु. के परिव्यय से हाल ही में एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना स्कीम, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना का अनुमोदन किया है, ताकि जैविक खेती का उत्पादन, संवर्धन, प्रमाणीकरण और मंडी विकास किया जा सके। इन स्कीमों के निम्नलिखित घटक हैं:

(1) जैविक उत्पाद के प्रमाणन की एक प्रणाली का शुरू किया जाना।

(2) सेवा प्रदाताओं के जरिए क्षमता निर्माण।

(3) जैविक आदनों जैसे-फल एवं सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट के उत्पादन, जैव उर्वरक उत्पादन और वर्मीकल्चर हेतु हैचरीज के लिए वाणिज्यिक उत्पादन ईकाईयों के लिए वित्तीय सहायता।

(4) प्रशिक्षण, क्षेत्र प्रदर्शन, संवर्धन और मंडी विकास।

इसके अलावा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने जैविक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरूआत की है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, जैविक खेती के बढ़ते महत्व को देखते हुए देश में जैविक खेती के तहत लगभग 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र का आकलन किया गया है और इस क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है।

*[अनुवाद]*

**जल संरक्षण संबंधी अभिसमय**

**5403. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जल संरक्षण संबंधी अभिसमय आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभिसमय में कौन-कौन सी सिफारिशें की गई; और

(ग) किन सिफारिशों को सरकार ने माना और कार्यान्वित किया?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जी, हां। दसवां राष्ट्रीय जल सम्मेलन 5-7 नवम्बर, 2003 के दौरान भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया था। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जल संरक्षण इस सम्मेलन के मुख्य विषयों में से एक था।

(ख) इस सम्मेलन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) ये सिफारिशें आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

***विवरण***

*भुवनेश्वर में 5-7 नवम्बर, 2003 को आयोजित दसवें राष्ट्रीय जल सम्मेलन-2003 की सिफारिशें*

1. एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन (आई डब्ल्यू आर डी एम) के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें शामिल मुद्दों पर तीन स्तरों अर्थात्, राष्ट्रीय, बेसिन और वाटरशेड पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. बड़े और छोटे भंडारण जलाशयों के द्वारा जल का संवर्धन और संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, एकीकृत जल विभाजक विकास, खराब जल का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग, सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, जल जमाव और लवणीय क्षेत्रों का सुधार मुख्य कार्यनीतियां हैं जिन्हें नदी बेसिन स्तर पर समेकित रूप से अपनाया जाना है।

3. भावी जल की मांग को संयुक्त रूप से आपूर्ति मांग प्रबंधन के साथ उचित जल संरक्षण के द्वारा कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में मांग आधारित प्रबंधन के जरिए मुख्यत: पूरा किया जा सकता है। सभी प्रयोक्ताओं द्वारा नियमित जल लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और जल संरक्षण उपायों को तैयार करके अपनाया जाना चाहिए।

4. जल के सभी व्यवहार्य स्रोतों अर्थात झीलों और तालाबों सहित स्थानीय रूप से संरक्षित वर्षा जल, भूजल, सतही जल संसाधनों को एक-दूसरे के साथ मिलाकर और सभी दावाधारकों को शामिल करके समुचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

5. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक आधुनिक तकनीकों को अपनाना। चाहे यह जलाशयों की समेकित प्रचालन प्रणाली हो अथवा नदी बेसिनों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के स्थापन पर रखा जाना हो अथवा ग्रामीण स्तर पर भूजल प्रणाली की साधारण आयोजना और कार्यान्वयन हो, अध्ययनों से यह पता चला है कि आधुनिक तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सकता है।

6. इस समय सिंचाई क्षेत्र में जल की काफी खपत होती है। भविष्य में शहरी जल आपूर्ति और उपयोग जैसे अन्य क्षेत्रों में जल की मांगों में वृद्धि होगी। सिंचाई में फैलाव अथवा अन्य प्राथमिकता उपयोगों के लिए इसे सुलभ कराने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण में जल अनुप्रयोग पद्धतियों सहित दक्षता सुधार और उपयुक्त फसल पद्धति को अपनाने में अभी बहुत कुछ करना है।

7. इस समय जल की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों को और अधिक गंभीर जल संकट का सामना किए जाने की संभावना है। संबद्ध अन्य लाभों के साथ जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए राज्य तथा अंतर्राज्यीय सहित जल का अंतर्बेसिन हस्तांतरण करना अनिवार्य और व्यवहार्य होगा।

8. जल के उपयोग में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनमें जल संरक्षण की जागरूकता के सृजन की जरूरतों पर बल दिये जाने की आवश्यकता है।

9. तटीय मुद्दे जल संसाधनों के एकीकृत विकास और प्रबंध के साथ उचित ढंग से जुड़े होने चाहिए।

10. गांव के पुराने टैंक और प्रणालियां जो अपनी भंडारण क्षमता और उपयोगिता खो चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। टैंकों के जन प्रसार क्षेत्रों में सभी अतिक्रमण की जांच किए जाने की जरूरत है और टैंकों के क्षेत्र अथवा शोरलाइनों में वानिकी कार्यकलाप सक्रिय रूप से किए जाने चाहिए ताकि और अतिक्रमण को रोका जा सके।

11. उद्योगों और नगरीय निकायों में बहि:स्रावों का तृतीयक सुधार सुनिश्चित किया जाए ताकि वांछित स्तर पर जल निकायों की गुणवत्ता बनाए रखी जाये।

12. महत्वपूर्ण रूप से सिंचाई प्रणालियों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन में काफी कुछ किया जाना है। सरकारों के सक्रिय सहयोग से सिंचाई प्रणालियों के भाग का प्रबंधन करने के लिए किसान संघों की स्थापना करने के लिए कुछ राज्यों ने पहले से कानून अधिनियमित किए हैं। किसान संघों के निष्पादन का अध्ययन किया जाना चाहिए और अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

13. दृष्टिकोण में प्रतिमान परिवर्तन, नीति परिवर्तन, उपयुक्त विधिक इंस्ट्रूमेंट का अधिनियमन और कार्यान्वयन आवश्यक है।

14. स्थायित्व के लिए प्रचालन एवं रखरखाव प्रभावों की वसूली के लिए जल का उचित मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करना होगा।

15. आईडब्ल्यूआरडीएम जटिल मुद्दा होने के कारण, इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण आवश्यक है। संबंधित संगठनों में उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

## खाद्यान्न आपूर्ति

**5404. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराते समय संबंधित राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटन मांग पर आधारित नहीं होता है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों के आधार पर अथवा वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के राज्य-वार गरीबी अनुमानों तथा 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर, जो भी कम हो, करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रारम्भ से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहूं का आवंटन उनकी आहार आदतों के अनुसार किया जाता है। तथापि, यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से खाद्यान्नों के आवंटन में चावल और गेहूं के अनुपात संशोधन करने का सुझाव प्राप्त होता है तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्यान्नों के समूचे आवंटन के अंदर केंद्र सरकार इससे सहमत हो जाती है।

## कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि

**5405. श्री सुरेश चन्देल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (टी.आर.आई.पी.एस.) के स्थान पर पेटेन्ट अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन को कार्यान्वित किये जाने के कारण कीटनाशकों के मूल्यों में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कीटनाशकों के मूल्य में वृद्धि के कारण किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने किसानों को सस्ते मूल्य पर कीटनाशकों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (घ) भारतीय बाजार में पहले से उपलब्ध

अधिकांश कीटनाशक पेटेंट-रहित हैं और उनकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीटनाशकों के उत्पादन और मूल्य-निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

*[अनुवाद]*

**पानी के आबंटन के लिए दिशा-निर्देश**

**5406. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से तटवर्ती राज्यों को अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के आबंटन के लिए दिशा-निर्देश करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (ग) जी नहीं। तथापि राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे/वितरण के लिए तैयार राष्ट्रीय नीति मार्गदर्शकों की जांच करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित कार्य दल में सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार एक सदस्य हैं।

*[हिन्दी]*

**जल संसाधन की उपलब्धता**

**5407. डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल संसाधनों की कुल कितनी उपलब्धता है तथा कितने पानी का उपयोग पीने और सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जाता है और कितना अप्रयुक्त पानी समुद्र में बह जाता है; और

(ख) गत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में किस सीमा तक वृद्धि हुई है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर आंकी गई है। इसमें से प्रयोज्य जल संसाधन 1122 बीसीएम है (690 बीसीएम सतही जल तथा 432 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल है)। सिंचाई के लिए 524 बीसीएम तथा घरेलू उद्देश्यों के लिए 30 बीसीएम जल सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 629 बीसीएम जल का प्रयोग किया जा रहा है शेष जल को समुद्र में प्रवाहित माना जा सकता है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, पिछले 10 वर्षों के दौरान सृजित क्षमता तथा किया गया व्यय निम्न प्रकार से है:

| वर्ष | सृजित क्षमता (लाख हेक्टे.) | व्यय (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 1995-96 | 0.32 | 248.32 |
| 1996-97 | 0.22 | 246.46 |
| 1997-98 | 0.14 | 329.80 |
| 1998-99 | 0.18 | 299.01 |
| 1999-00 | 0.11 | 367.27 |
| 2000-01 | 0.31 | 483.82 |
| 2001-02 | 0.49 | 488.11 |
| 2002-03 | 0.20 | 658.36 |
| 2003-04 | 0.60 | 740.21 |
| 2004-05 | 0.77 | 991.51 |
| कुल | 3.34 | 4852.87 |

**उर्वरक संयंत्र**

**5408. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ये राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या उक्त संयंत्रों और साथ ही सरकार द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त संयंत्रों में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्हें मान्यता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) वर्तमान में सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की अवस्थिति एवं राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की अवस्थिति एवं उनके राज्यवार ब्यौरे*

| क्र.सं. | संयंत्र का नाम एवं अवस्थिति | राज्य का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल): नामरूप-3 | असम |
| 2. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल): नांगल-2 | पंजाब |
| 3. | एनएफएल: भटिंडा | |
| 4. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल)): चेन्नई | तमिलनाडु |
| 5. | सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. (स्पिक): तूतीकोरिन | |
| 6. | कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि. (सीएफएल): एन्नोर | |
| 7. | तूतीकोरिन एलकली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (टीएसी): तूतीकोरिन | |
| 8. | फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफएसीटी): उद्योगमंडल | केरल |
| 9. | एफएसीटी: कोचीन-2 | |
| 10. | जुआरी इंडस्ट्री लि. (जैडआईएल): गोवा | गोवा |
| 11. | राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ): ट्राम्बे | महाराष्ट्र |
| 12. | आरसीएफ ट्राम्बे-4 | |
| 13. | आरसीएफ-ट्राम्बे-5* | |
| 14. | आरसीएफ: थाल | |
| 15. | दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकस कारपोरेशन लि. (डीएफपीसीएल): तालोजा | |
| 16. | मंगलौर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ): मंगलौर | कर्नाटक |
| 17. | एनएफएल: विजयपुर | मध्य प्रदेश |
| 18. | एनएफएल: विजयपुर विस्तार | |
| 19. | चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (सीएफसीएल): गडेपन-1 | राजस्थान |
| 20. | सीएफसीएल: गडेपन-2 | |
| 21. | श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (एसएफसी): कोटा | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको): कांडला | गुजरात |
| 23. | इफको: कलोल | |
| 24. | कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको): हजीरा | |
| 25. | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जीएसएफसी): वडोदरा | |
| 26. | जीएसएफसी: सिक्का-1 | |
| 27. | जीएसएफसी: सिक्का-2 | |
| 28. | गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स को. लि. (जीएनएफसी): भरुच | |
| 29. | हिंडालको इंडिया लि.: दाहेज | |
| 30. | कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जीएफसीएल): काकीनाड़ा | आध्र प्रदेश |
| 31. | गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (एनएफसीएल): काकीनाड़ा-1 | |
| 32. | नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (एनएफसीएल) काकीनाडा-2 | |
| 33. | एनएफसीएल: काकीनाड़ा-2 | |
| 34. | इफको: फूलपुर-1 | उत्तर प्रदेश |
| 35. | इफको: फूलपुर-2 | |
| 36. | इफको: आवला-1 | |
| 37. | इफको: आवला-2 | |
| 38. | इंकम्स इंडस्ट्रीज लि. (डीआईएल): कानपुर* | |
| 39. | इंडोगल्फ फर्टिलाइजर्स लि. (आईजीएफएल): जगदीशपुर | |
| 40. | टाटा कैमिकस लि. (टीसीएल): बबराला | |
| 41. | ओसीएफ: शाहजहांपुर | |
| 42. | एनएफएल: पानीपत | हरियाणा |
| 43. | ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (ओसीएफ): पारादीप | उड़ीसा |
| 44. | पारादीप फास्फेट्स लि. (पीपीएल): पारादीप | |
| 45. | टाटा कैमिकल्स लि. (टीसीएल): हल्दिया | पश्चिम बंगाल |

*उत्पादन अस्थायी रूप से बंद है।

*[अनुवाद]*

**कृषि क्षेत्र में भारत-नेपाल का संयुक्त उद्यम**

**5409. श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने हाल ही में कृषि और चाय क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम में भागीदारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**दुकानदारों को लाइसेंस**

**5410. श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुकानदारों को बीज बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीज बेचने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी हां। बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की धारा 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बीजों की बिक्री, निर्यात अथवा आयात का कारोबार नहीं करेगा, सिवाय इस आदेश के अधीन उसे दिए गए लाइसेंस के निबन्धों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार।

(ख) और (ग) बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों को व्यापक बीज विधेयक, 2004 में उपयुक्त रूप से समाहित कर लिया गया है जिसे पहले ही राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है और अब कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। इस बीज विधेयक, 2004 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बीज की बिक्री, बिक्री हेतु धारित करने, बिक्री हेतु प्रस्तुत करने, वस्तु विनिमय, आयात अथवा निर्यात या अन्यथा आपूर्ति का कारोबार करने की इच्छा रखता है, को राज्य सरकार से बीजों में एक व्यौहारी (डीलर) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

*[अनुवाद]*

**उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण**

**5411. श्री गिरिधर गमांग:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार ने महानदी और अन्य नदियों में बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और नदियों में बाढ़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है।

उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 1954 से केन्द्र और राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नीति मामलों का अध्ययन करने तथा उस पर सलाह देने तथा सामान्य रूप से तथा उपर्युक्त सुधारात्मक उपाय विकसित करने के लिए महानदी नदी सहित विशेष क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या की जांच करने के लिए भी कई समितियों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए), इसका गठन भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1976 में देश में बाढ़ की समस्या के व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए किया गया था, ने महानदी नदी सहित देश की नदी में बाढ़ की समस्या पर अध्ययन किया था और महानदी के संबंध में विशेष सुझाव दिए थे।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई रंगाचारी समिति ने महानदी में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इसकी वितरिकाओं पर कई छोटे बांधों की तुलना में हीराकुंड की अनुप्रवाह में महानदी पर एक दूसरे एकल बांध के विकल्प की भी जांच की थी और यह सिफारिश की थी कि पर्याप्त भंडारण तथा मुख्य उद्देश्य के रूप में बाढ़ नियंत्रण सहित महानदी पर एक दूसरा बड़ा बांध आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इसने यह भी सुझाव दिया था कि डेल्टा क्षेत्र में वर्तमान तटबंधों को भी आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

**बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कर लगाया जाना**

**5412. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ प्रवण राज्यों में आपातिक बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के लिए परिक्रामी कोष के गठन के लिए

सड़कों, भवनों और विद्युत संयंत्रों जैसी नई बुनियादी सुविधाओं पर एक से दो प्रतिशत की दर पर कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य बल जिसका गठन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किया गया था, ने यह सिफारिश की है कि बाढ़ मौसम के अंत विशेष में आपातिक बाढ़ नियन्त्र स्कीमें प्रारंभ करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को 50.00 करोड़ रुपये का रिवोल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाए तथा इस हेतु संसाधन जुटाने के लिए बाढ़ प्रवण राज्यों में सड़क, भवन, विद्युत संयंत्र आदि जैसे सभी नये अवसंरचना कार्यों पर 1 से 2 प्रतिशत के ''बाढ़ उपकर'' की वसूरी की जा सकती है।

(ग) हालांकि बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है, फिर भी केन्द्र सरकार गंभीर कटावरोधी/बाढ़ प्रबंधन स्कीमें प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान करती है। वर्ष 2005-06 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के लिए बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के वास्ते 339.63 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

## बालिका श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

**5413. श्री मधु गौड़ यास्खी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गये अपने नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में यह पाया कि देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बालिका श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बालिका श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला बाल श्रमिकों की संख्या में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## डी ए पी और यूरिया की आपूर्ति का संकट

**5414. श्री निहाल चन्द:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डी ए पी और यूरिया की आपूर्ति का संकट है, जैसाकि दिनांक 17 अप्रैल, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस समस्या के समाधान के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) जी, नहीं। डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) उत्पादक फास्फोरिक एसिड की प्राप्ति या तो विदेश स्थित अपने संयुक्त उद्यमों या फास्फोरिक एसिड के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं से उनके द्वारा तय किए गए मूल्य और शर्तों पर कर रहे हैं। फास्फोरिक उर्वरक उत्पादकों द्वारा गठित फास्फोरिक एसिड उपभोक्ता समूह (पीएसीजी) अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ वार्षिक आधार पर फास्फोरिक एसिड की मात्रा एवं मूल्य के बारे में सौदा करता है। पी ए सी जी ने वर्ष 2005-06 के दौरान फास्फोरिक एसिड की प्राप्ति के लिए पहले ही बातचीत करनी शुरू कर दी है।

*[अनुवाद]*

## समुद्रतट पर्यटन

**5415. श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु को समुद्रतट पर्यटन के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई और इसके लिए चयन किये गये और विकसित किये गये समुद्रतटों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु राज्य में पर्यटन के विकास हेतु 4061.25 लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसमें उस राज्य में समुद्रतट पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं सम्मिलित थी:

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | राशि (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|
| (क) | महाबलीपुरम में 5-रथों का विकास | 299.93 |
| (ख) | महाबलीपुरम में शोर टेम्पल के पास पार्क का विकास | 328.58 |
| (ग) | मट्टन समुद्रतट थेकुरिचि समुद्रतट का विकास | 150.00 |
| (घ) | महाबलीपुरम-चरण-2 का गंतव्य विकास | 432.00 |
| | कुल | 1210.51 |

**जेनरिक दवाओं की बिक्री**

**5416. श्री किशन सिंह सांगवान:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेईमान दवा निर्माता, जेनरिक दवाओं को ब्रांडिड दवाओं की दरों पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें कौन-कौन सी कंपनियां लिप्त रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करती है। सूचीबद्ध फार्मूलेशन के अनुमोदित/अधिसूचित मूल्य के उल्लंघन के मामले में डी पी सी ओ, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

गैर-सूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य, विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्धारित किए जाते हैं।

सरकार/राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधों के मूल्यों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती हैं और सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अव्यावहारिक मूल्य वृद्धि मामलों में उचित हस्तक्षेप किया जाता है।

**जैविक कपास का उत्पादन**

**5417. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैविक कपास की मांग है तथा कपास का उत्पादन करने वाले भारतीय किसानों के लिए यह एक अच्छा अवसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा जैविक कपास के उत्पादन के लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(घ) इस संबंध में किसानों को प्रति एकड़ कितना प्रोत्साहन दिया जाता है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2003-04 में, भारत ने यूरोप को 26 मिट्रिक टन प्रमाणित आर्गेनिक कपास का निर्यात किया।

(ग) और (घ) सरकार ने "राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना" नामक एक नई स्कीम शुरू की है ताकि आर्गेनिक फार्मिंग पद्धति पर फसलों, जिसमें कपास शामिल है, का उत्पादन, संवर्धन प्रमाणीकरण और विपणन का, विकास किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत, निम्नलिखित घटकों के लिए सहायता उपलब्ध है:

(1) आर्गेनिक उत्पाद के प्रमाणीकरण की प्रणाली को व्यवस्थित करना।

(2) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण।

(3) आर्गेनिक आदानों जैसे फल तथा सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट के उत्पादन, बायो-उर्वरक उत्पादन तथा वर्मीकल्चर के लिए हैचरियों हेतु वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता।

(4) प्रशिक्षण, फील्ड प्रदर्शन, संवर्धन तथा मण्डी विकास।

**ईएसटी दिशानिर्देशों का दुरूपयोग**

**5418. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्तेमाल किए गए/बेकार तेल के पुनर्चक्रण/पुन: शोधन के कार्य में लगी फर्मों द्वारा इन्वायरमेंटली साऊण्ड टेक्नोलोजी (ईएसटी) का प्रयोग एच डब्ल्यू नियमों के नियम 21 (1) के अनुसार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) की वेबसाइट पर ईएसटी के मसौदा दिशानिर्देशों के बारे में कतिपय जन-प्रतिनिधियों तथा उद्योगों से कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा पंजीकरण का दुरूपयोग करने वाली इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायण मीना ):** (क) से (घ) 2003 में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 के नियम 21 (1) के अनुसार री-रिफाइनरों और पुन: चक्रणकर्त्ताओं को अपशिष्ट आयल अथवा प्रयोग किए गए आयल का क्रमश: पुन: चक्रण और री-रिफाइनिंग करते समय केवल पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना अपेक्षित है। प्रयोग किए गए आयल के मामले में एसिड क्ले प्रक्रिया अथवा शोधित एसिड प्रक्रिया का प्रयोग करने वाले री-रिफाइनरों को परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) संशोधित नियम, 2003 के नियम 21 (1) (क) से 21 (1) (घ) के अन्तर्गत दी गई अन्य पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना अपेक्षित है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपशिष्ट आयल के पुन: चक्रण और प्रयोग किए गए आयल की री-रिफाइनिंग के लिए इसके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप मार्गनिर्देशों पर अभ्यावेदन प्राप्त होने के बारे में सूचित किया है। इसमें निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण शामिल हैं:

(1) प्रयोग किए गए आयल की री-रिफाइनिंग के लिए निरन्तर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का प्रयोग;

(2) बैच प्रक्रिया आधारित री-रिफाइनिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और

(3) अपशिष्ट आयल पुन: चक्रण और प्रयोग किए गए आयल की री-रिफाइनिंग नियमों में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी के अनुसार होगी।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभ्यावेदनों के विचारार्थ गठित विशेषज्ञ समिति ने समर्थन किया है कि:

(1) प्रयोग किए गए आयल की री-रिफाइनिंग फ्रैक्शनल आसवन नहीं है;

(2) प्रयोग किया गया आयल पहले ही लुब्रीकेटिंग आयल फ्रैक्शन है और इसे केवल री-रिफाइन्ड करना अपेक्षित है; और

(3) नियम 21 (1) (क), 21 (1) (ख), 21 (1) (ग) और 21 (1) (घ) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रौद्योगिकियां प्रयोग किए गए आयल की री-रिफाइनिंग के लिए है।

प्रयोग किए गए और अपशिष्ट आयल के लिए पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति द्वारा एस सी एम सी की एक उप समिति गठित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। पंजीकरण के दुरूपयोग के मामले में यूनिटों के विरुद्ध परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

**गैर-बासमती चावल का निर्यात**

**5419. श्री वाई.जी. महाजन:**
**श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से बड़ी मात्रा में गैर-बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए गैर-बासमती चावल की मात्रा और कीमत निम्नानुसार है:

| वर्ष | मात्रा (टन में) | कीमत (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| 2002-03 | 4076347 | 363408 |
| 2003-04 | 2601471 | 214216 |
| 2004-05 (अनंतिम) | 2248387 | 238270 |

(घ) गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

*[अनुवाद]*

## मूंगफली का मूल्य निर्धारण

**5420. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 से थोक बाजार में मूंगफली के मूल्य में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मूंगफली के रिकार्ड किए गए खुदरा मूल्य का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में मूंगफली उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) वर्ष 2001 से 2005 तक मूंगफली (छिलके सहित) के माह अन्त के थोक मूल्यों का वार्षिक औसत नीचे दिया गया है।

*तालिका I*

*वार्षिक औसत थोक मूल्य*

(रुपये प्रति क्विंटल)

| वर्ष | मूंगफली (छिलके सहित) | |
|---|---|---|
| | राजकोट (गुजरात) | हाथरस (उत्तर प्रदेश) |
| 2001 | 1218 | 1740 |
| 2002 | 1472 | 1725 |
| 2003 | 1875 | 1765 |
| 2004 | 1836 | 1725 |
| 2005* | 1780 | 1665 |

*जनवरी से मार्च 2005 का औसत।

मूंगफली के लिए खुदरा मूल्य संबंधी सांख्यिकी का संकलन नहीं किया जाता। चूंकि खुदरा मूल्य मूंगफली के तेल के संगत हैं, अहमदाबाद और लखनऊ में मूंगफली के तेल के माह अन्त के खुदरा मूल्यों के वार्षिक औसत के रुख नीचे दिए गए हैं:

*तालिका II*

*वार्षिक औसत खुदरा मूल्य*

(रुपये प्रति कि.ग्रा.)

| वर्ष | मूंगफली का तेल | |
|---|---|---|
| | अहमदाबाद (गुजरात) | लखनऊ (उत्तर प्रदेश) |
| 2001 | 40.83 | 60.00 |
| 2002 | 47.44 | 67.50 |
| 2003 | 58.00 | 76.42 |
| 2004 | 55.04 | 79.25 |
| 2005* | 54.13 | 80.00 |

*जनवरी से अप्रैल 2005 का औसत।

जिन्सों के मूल्य आपूर्ति और मांग पर निर्भर करते हैं और आपूर्ति की तुलना में मांग में कमी बेशी से मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। विपत्ति में बिक्री से किसानों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार

प्रमुख फसलों के लिए प्रत्येक मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) की घोषणा करती रही है, जिसमें मूंगफली सहित अनाज, दलहन और तिलहन कवर किए जाते हैं। एम.एस.पी. की घोषणा के बाद नामित एजेन्सियों द्वारा खरीद की जाती है, ताकि एम.एस.पी. की तुलना में मूल्यों में गिरावट की अवधियों के दौरान किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

**सुनामी से प्रभावित महिलाओं के लिए दक्षता विकास परियोजना**

**5421. श्री डी. विट्टल राव:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सुनामी से प्रभावित महिलाओं के लिए एक दक्षता विकास परियोजना की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या तौर-तरीके तय किए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दक्षिण भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित समूहों हेतु कौशल प्रशिक्षण सहित संतुलित आय-सृजक कार्यकलाप उपलब्ध करवाने के लिए नियोक्ताओं तथा कामगारों के संगठनों के साथ कार्य कर रहा है। ऐसा ही एक कार्यकलाप चेन्नई के निकट कलपक्कम में ग्रामीण कामगारों की ट्रेड यूनियन, "भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम परिसंघ (आई एन आर एल एफ)" के साथ आरंभ किया गया था। 100 महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण में प्रशिक्षित किया गया। 75 महिलाओं के एक अन्य बैच द्वारा मई, 2005 के प्रथम सप्ताह से प्रशिक्षण लिए जाने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंतरिक संसाधन भी लघु-पैमाने के शीघ्र प्रभावी प्रयासों के समर्थन के लिए लगाए गए थे।

**कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत संस्थाएं/कामगार**

**5422. श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत राज्यवार, विशेषकर बिहार में कितनी संस्थाएं तथा कामगार हैं;

(ख) राज्यवार, विशेषकर बिहार में ऐसे कामगारों की संख्या कितनी है जिनके दावे लंबित हैं; और

(ग) इनके दावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) हर प्रकार के पूर्ण दावों को प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटाया जाना होता है। तथापि, प्रतिष्ठान द्वारा विवरण न देने/बकाया न जमा कराने के कारण कतिपय दावों में विलंब हो जाता है।

***विवरण I***

*28.02.2005 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में शामिल प्रतिष्ठान व श्रमिक*

| क्षेत्र | प्रतिष्ठानों की संख्या | | | सदस्यों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | छूट प्राप्त | गैर-छूट प्राप्त | कुल | छूट प्राप्त | गैर-छूट प्राप्त | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 103 | 36,902 | 37005 | 245,668 | 2,858,937 | 3,104,605 |
| बिहार | 52 | 3,392 | 3444 | 59,990 | 167,363 | 227,353 |
| चंडीगढ़ | 6 | 3,964 | 3970 | 57,000 | 250,921 | 307,921 |
| दिल्ली | 225 | 26,996 | 27221 | 357,157 | 1,843,182 | 2,200,339 |
| गोवा | 10 | 1,652 | 1662 | 7,865 | 273,377 | 281,242 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 87 | 35,195 | 35282 | 214,664 | 3,504,510 | 3,719,174 |
| हिमाचल प्रदेश | 21 | 3,162 | 3183 | 5,146 | 201,347 | 206,493 |
| हरियाणा | 31 | 17,047 | 17078 | 61,997 | 1,474,905 | 1,536,902 |
| झारखंड | 68 | 5,798 | 5866 | 236,004 | 533,335 | 769,339 |
| कर्नाटक | 118 | 26,759 | 26877 | 349,043 | 3,222,725 | 3,571,768 |
| केरल | 76 | 13,175 | 13251 | 26,688 | 1,181,467 | 1,208,155 |
| महाराष्ट्र | 446 | 60,519 | 60965 | 695,167 | 7,130,261 | 7,825,428 |
| मध्य प्रदेश | 47 | 11,332 | 11379 | 43,091 | 1,401,764 | 1,444,855 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 18 | 4,387 | 4405 | 30,634 | 174,897 | 205,531 |
| उड़ीसा | 58 | 7,064 | 7122 | 84,140 | 650,602 | 734,742 |
| पंजाब | 24 | 21,136 | 21160 | 31,381 | 2,556,228 | 2,587,609 |
| राजस्थान | 41 | 10,844 | 10885 | 100,577 | 1,271,986 | 1,372,563 |
| तमिलनाडु | 155 | 48,795 | 48950 | 255,919 | 4,860,495 | 5,116,414 |
| उत्तरांचल | 30 | 2,555 | 2585 | 71,364 | 117,052 | 188,416 |
| उत्तर प्रदेश | 167 | 28,135 | 28302 | 177,674 | 1,370,414 | 1,548,088 |
| पश्चिम बंगाल | 646 | 29,820 | 30466 | 789,427 | 1,945,227 | 2,734,654 |
| कुल | 2429 | 3,98,629 | 401058 | 3,900,596 | 36,990,995 | 40,891,591 |

*विवरण 2*

*28.02.2005 की स्थिति के अनुसार लंबित दावे*

| क्षेत्र | दावों का संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 18,417 |
| बिहार | 757 |
| चंडीगढ़ | 7,728 |
| दिल्ली | 29,620 |
| गोवा | 1,647 |
| गुजरात | 34,276 |
| हिमाचल प्रदेश | 401 |
| हरियाणा | 11,775 |
| झारखंड | 2,219 |
| कर्नाटक | 50,255 |
| केरल | 7,175 |
| महाराष्ट्र | 84,600 |
| मध्य प्रदेश | 6,209 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 1,326 |
| उड़ीसा | 2,425 |
| पंजाब | 7,863 |
| राजस्थान | 9 |
| तमिलनाडु | 31,247 |
| उत्तरांचल | 729 |
| उत्तर प्रदेश | 4,296 |
| पश्चिम बंगाल | 43,893 |
| कुल | 3,46,867 |

**आदिवासी सांस्कृतिक पर्यटन**

**5423. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आदिवासी सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, मंत्रालय की सामान्य योजनाओं के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों तथा सांस्कृतिक पर्यटन के विकास, संवर्धन और मार्केटिंग के लिए, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं का समर्थन करता है।

*[अनुवाद]*

**पेयजल की गुणवत्ता**

**5424. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल गुणवत्ता मानिटरिंग तथा निगरानी प्रणाली को संस्थागत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सभी जिला मुख्यालयों में स्थायी तथा मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा/महाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई इस प्रकार की प्रयोगशालाओं तथा केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा जल के नमूनों की भौतिक, रासायनिक तथा माइक्रोबियल गुणवत्ता के नियमित विश्लेषण हेतु राज्य सरकारों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जी, हां। देश में सभी पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला और राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं को शामिल करते हुए ग्रामीण जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग को सभी स्तरों पर जल गुणवत्ता निगरानी और संयुक्त स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यकलापों के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

(ख) विद्यमान मानकों के अनुसार, केन्द्र सरकार नये जिला स्तर गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए 4 लाख रुपये तक सहायता प्रदान करती है। अभी कोई चल प्रयोगशाला स्वीकृत नहीं की जा रही है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता से उड़ीसा में 18 जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं में से 17 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मार्च, 2005 के दौरान दूसरी किस्त के रूप में 36 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

महाराष्ट्र में, पिछले 3 वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा कोई जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ) मई, 1990 में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन मैन्युअल और कार्यकारी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यह www.ddws.in.nic पर वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**सुनामी पीड़ितों के लिए राहत कार्ड**

**5425. श्री लोगाप्पन नम्बाडन:**
**श्री पी.सी. थामस:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "भोजन के अधिकार" से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आयुक्त ने सुनामी पीड़ितों को अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए "विशेष राहत कार्ड" जारी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) आयुक्त द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय के "भोजन का अधिकार" संबंधी आयुक्त ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सुनामी प्रभावित जीवित व्यक्तियों को एक माह के अंदर "विशेष राहत कार्ड" जारी किए जाएं। उन्होंने कहा है कि इन कार्डों के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इनसे अंत्योदय राशन कार्डों की पात्रता के समतुल्य राशन दिया जाना चाहिए, चाहे सामान्य काल में इन व्यक्तियों की पात्रता कुछ भी रही हो।

सुनामी प्रभावित जीवित व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन शामिल करने के केंद्र सरकार के निर्णय से पूर्व यह निर्णय किया गया था किर उच्चतम न्यायालय के आयुक्त की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने से पहले ऐसे प्रभावित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाया जाए। इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए सभी प्रभावित राज्यों से अभी तक अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आयुक्त द्वारा कोई अन्य सिफारिश नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

## उझ नदी पर बांध का निर्माण

**5426. चौधरी लाल सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विद्युत उत्पादन हेतु बांधों के निर्माण के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोक निर्माण विभाग के योजना एवं डिजाइन स्कंध के निदेशक ने सी बी आई एण्ड पी जी ओ आई से परामर्श के बाद उझ नदी पर बांध के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को कोई परियोजना रिपोर्ट सौंपी है; और

(घ) यदि हां, तो बांध के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि इसमें विद्युत उत्पादन के लिए ऐसे बांधों के निर्माण की योजना है जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य हैं तथा जिनमें सिंधु जल संधि के क्षेत्राधिकार के अंदर निर्मित किए जाने की अनुमति है तथा अब तक भंडारण रूपी बांध के साथ निर्माण के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की योजना हैं:

| | |
|---|---|
| सावलकोट परियोजना | 190 मी. ऊंचा आरसीसी बांध |
| उझ स्तर-1 | 120 मीटर ऊंचा राकफिल बांध |
| शितकारी कुलान | 76 मीटर ऊंचा राकफिल बांध |

(ग) और (घ) केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईएण्डजी) ने सूचित किया है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित ने सूचित किया है कि उन्होंने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुरोध पर स्थलाकृति अध्ययन के आधार पर 280 मे.वा. वाली उझ जल विद्युत परियोजना के लिए व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट तैयार कर ली है। जम्मू व कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर जम्मू व कश्मीर के लोक निर्माण विभाग के आयोजना एवं अभिकल्प स्कंध द्वारा वर्ष 1966 में ऊझ बांध के निर्माण के लिए स्कीम तैयार की गई थी और जम्मू व कश्मीर के अभिकल्प निदेशालय द्वारा वर्ष 1966 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी। राज्य सरकार के अनुसार नदी में अत्यधिक गाद के प्रभाव के भण्डारण में असुविधा होने के कारण उक्त योजना को शुरू नहीं किया जा सका तथा ऐसी समस्या से निपटने के लिए अब उपलब्ध उन्नत तकनीक को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण योजनाओं को तैयार करने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं/एजेंसियों को लगाने के उपाय किए गए हैं। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श लेने हेतु केन्द्रीय जल आयोग को उझ भंडारण परियोजना के संबंध में एक प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**किसानों की उपज के लिए नेशनल इलैक्ट्रानिक कमोडिटी स्पाट एक्सचेंज**

**5427. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों की उपज के लिए एक नेशनल इलैक्ट्रोनिक कमोडिटी स्पाट एक्सचेंज की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इन्डिया (एम.सी.एक्स.), फाइनेन्शियल टैक्नोलोजीस (इन्डिया) लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने कृषि उत्पाद के लिए नैशनल स्पाट एक्सचेंज की स्थापना हेतु एक संयुक्त उद्यम बनाने पर समझौता किया है, जिससे समूचे देश में सहभागियों को एक दूसरे के साथ इलैक्ट्रिानिक तरीके से व्यापार करने और एन.एस.ई.ए.पी. के समर्थन और विनियमों के अधीन अपने व्यापार का निपटान करने की सुविधा होगी। यह संयुक्त उद्यम 10 फरवरी 2005 को आरम्भ किया गया था और 2005-06 की दूसरी अर्ध अवधि के दौरान लाईव ट्रेडिंग के शुरू होने की प्रत्याशा है।

**आरक्षित कोटे को भरना**

**5428. श्री लालमणि प्रसाद:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न विभागों में "क", "ख", "ग" तथा "घ" वर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित कोटे को भर लिया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित कोटे को भर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इनके कब तक भर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या कोटा न भरने के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अनु.जा., अनु.जन.जा. और अ.पि.व. के विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:

| | अनु.जा. | अनु.जन.जा. | अ.पि.व. |
|---|---|---|---|
| समूह "क" | 9 | 3 | 3 |
| समूह "ख" | 21 | 4 | 2 |
| समूह "ग" | 27 | 2 | 2 |
| समूह "घ" | 46 | 1 | 4 |
| कुल | 103 | 10 | 11 |

(ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और उर्वरक विभाग में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" श्रेणी में कार्यरत अनु.जा., अनु.जन.जा. और अ.पि.व. की संख्या निम्न प्रकार है:

| | रसायन और पेट्रोरसायन विभाग | | | उर्वरक विभाग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनु.जा. | अनु.जन.जा. | अ.पि.व. | अनु.जा. | अनु.जन.जा. | अ.पि.व. |
| समूह "क" | 5 | 1 | – | 4 | 2 | – |
| समूह "ख" | 8 | – | 3 | 13 | 4 | – |
| समूह "ग" | 8 | – | – | 19 | 2 | 2 |
| समूह "घ" | 23 | 1 | – | 23 | - | 4 |
| कुल | 44 | 2 | 3 | 59 | 8 | 6 |

(ग) से (छ) अ.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. का आरक्षण कोटा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है और मंत्रालय/विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता है। हालांकि आरक्षण कोटा का भरा जाना ग्रेड विशेष में रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा सीधी भरी जाने वाली रिक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण मंत्रालय द्वारा आरक्षित कोटे में अपूर्त रिक्तियों को पूरा किया जाना संभव नहीं हुआ है। तथापि, मंत्रालय अपूर्त रिक्तियों को आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों अनुसार जब कभी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, अपूर्त रिक्तियां भरने के लिए वचनबद्ध है।

**गोदाम के निर्माण के लिए राजसहायता**

**5429. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोदामों के निर्माण के लिए 2003-2004 के दौरान राजसहायता प्रदान करने हेतु एक योजना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ग) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में उक्त योजना को क्रियान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां। ग्रामीण गोदामों का निर्माण/नवीकरण की योजना वर्ष 2001-2002 में क्रियान्वयन हेतु लागू की गई थी। इस योजना के अधीन ग्रामीण गोदामों का निर्माण/नवीकरण करने के लिए 2003-2004 के दौरान भी राजसहायता प्रदान की गई थी।

(ख) इस योजना के प्रारम्भ से 31.3.2005 तक इस योजना के अधीन प्रदान की गई राजसहायता निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| 2001-02 | - | 20.00 करोड़ रुपये |
| 2002-03 | - | 64.86 करोड़ रुपये |
| 2003-04 | - | 79.82 करोड़ रुयये |
| 2004-05 | - | 100.00 करोड़ रुपये |
| जोड़ | - | 264.68 करोड़ रुपये |

(ग) इस योजना के अधीन 31.12.2004 तक नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. द्वारा 127 लाख टन भंडारण क्षमता मंजूर की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। यह योजना मार्च, 2007 तक क्रियान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि आगामी वर्षों में 130.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 36.00 लाख टन नई भंडारण क्षमता का सृजन और सहकारी भंडारण परियोजनाओं की 4.00 लाख टन क्षमता के नवीकरण का लक्ष्य हासिल किया जाए।

*[अनुवाद]*

**मोरों का संरक्षण**

**5430. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के बंकापुर किला क्षेत्र को मोर संरक्षण रिजर्व घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान सरकार मोरों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) जी हां। जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

(ख) खाई द्वारा घिरे हुए ऐतिहासिक बंकापुर किले के अंदर लगभग 139 एकड़ क्षेत्र।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**यूरिया संयंत्रों का पुनरुद्धार**

**5431. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
**मोहम्मद शाहिद:**
**प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री मो. ताहिर:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चल रहे यूरिया संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) देश में इस समय यूरिया का भंडार कितना है;

(ग) इस समय बन्द पड़े यूरिया संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ)) उक्त संयंत्रों के बन्द हो जाने के कारण यूरिया के उत्पादन का कितने टन अनुमानित नुकसान हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बन्द बड़े यूरिया संयंत्रों का पुनरुद्धार करने का है जैसा कि दिनांक 23 मार्च, 2005 को 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो स्थान-वार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) नए संयंत्रों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है;

(ज) इसके परिणामस्वरूप यूरिया के भंडार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(झ) सरकार द्वारा नए संयंत्रों को संभावित रूप से दी जाने वाली राजसहायता का प्रतिशत कितना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) वर्तमान में देश में संचालित यूरिया संयंत्रों का ब्यौरा और स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दिनांक 15-4-2005 तक यूरिया का स्टाक लगभग 14.11 लाख मी. टन था।

(ग) वर्तमान में कम्पनियों के निम्नलिखित 11 यूरिया संयंत्र विभिन्न कारणों से बन्द हैं।

| क्र.सं. | कम्पनी/इकाई का नाम | वार्षिक स्थापित क्षमता (लाख मी. टन में) | बन्द करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | एफ सी आई: गोरखपुर | 2.85 | 10.06.1990 |
| 2. | एफ सी आई: रामागुण्डम | 4.95 | 1.04.1999 |
| 3. | एफ सी आई: तालचर | 4.95 | 1.04.1999 |
| 4. | एफ सी आई: सिंदरी | 3.30 | 16.03.2002 |
| 5. | एफ सी आई: नामरूप-2 | 3.30 | 1.04.1994 |
| 6. | एफ सी आई: दुर्गापुर | 3.30 | 1.07.1997 |
| 7. | एफ सी आई: बरोनी | 3.30 | 1.01.1999 |
| 8. | आर सी एफ: ट्राम्बे-1 | 0.98 | 1.05.1995 |
| 9. | एन एल सी: नवेली | 1.53 | 31.3.2002 |
| 10. | डी आई एल: कानपुर | 7.22 | 1.04.2002 |
| 11. | फैक्ट: कोचीन-1 | 3.30 | 15.05.2001 |
| | योग | 38.98 | |

(घ) उपर्युक्त संयंत्रों के बन्द होने के कारण यूरिया के उत्पादन से लगभग 38.98 लाख मी. टन वार्षिक अनुमानित हानि हुई है।

(ङ) और (च) इकाइयों का पुनरुद्धार उनकी वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा।

(छ) डी आई एल-कानपुर संयंत्र में उत्पादन जून, 2005 में शुरू होने की संभावना है।

(ज) डी आई एल-कानपुर द्वारा प्रचालन प्रारम्भ करने पर यूरिया के उत्पादन में प्रतिवर्ष 7.22 लाख मी. टन की वृद्धि होने की संभावना है।

(ङ) नए यूरिया संयंत्रों, जब कभी उन्हें स्थापित किया जाएगा, को देय राजसहायता की राशि उनकी उत्पादन लागत तथा रियायत की दर पर निर्भर करेगी जिसे दीर्घकालिक औसत लागत (एलआरएसी) के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

*विवरण*

*देश में संचालित यूरिया संयंत्रों का ब्यौरा और अवस्थिति*

| क्र.सं. | अवस्थिति सहित संयंत्र | स्थापित क्षमता (000 मी. टन) | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1. | ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल): नामरूप-3 | 315.0 | असम |
| 2. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल): नांगल-2 | 478.5 | पंजाब |
| 3. | एनएफएल: भटिंडा | 511.5 | |
| 4. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल)): चेन्नई | 486.8 | तमिलनाडु |
| 5. | सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. (स्पिक): तूतीकोरिन | 620.0 | |
| 6. | जुआरी इंडस्ट्री लि. (जैडआईएल): गोवा | 399.3 | गोवा |
| 7. | राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ): थाल | 1706.8 | महाराष्ट्र |
| 8. | मंगलौर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ): मंगलौर | 380.0 | कर्नाटक |
| 9. | एनएफएल: विजयपुर | 864.6 | मध्य प्रदेश |
| 10. | एनएफएल: विजयपुर विस्तार | 864.6 | |
| 11. | चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (सीएफसीएल): गडेपन-1 | 864.6 | |
| 12. | श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (एसएफसी): कोटा | 379.0 | राजस्थान |
| 13. | सीएफसीएल: गडेपन-2 | 864.6 | |
| 14. | इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको): कलोल | 544.5 | |
| 15. | कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको): हजीरा | 1729.2 | |
| 16. | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जीएसएफसी): वडोदरा | 370.6 | गुजरात |
| 17. | गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स को. लि. (जीएनएफसी): भरुच | 636.0 | |
| 18. | नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (एनएफसीएल): काकीनाड़ा-1 | 597.3 | आंध्र प्रदेश |
| 19. | एनएफसीएल: काकीनाड़ा-2 | 597.3 | |
| 20. | इफको: फूलपुर-1 | 551.3 | |
| 21. | इफको: फूलपुर-2 | 864.6 | |
| 22. | इफको: आवला-1 | 864.6 | |
| 23. | इफको: आवला-2 | 864.6 | उत्तर प्रदेश |
| 24. | इंडोगल्फ फर्टिलाइजर्स लि. (आईजीएफएल): जगदीशपुर | 864.6 | |
| 25. | टाटा कैमिकल्स लि. (टीसीएल): बबराला | 864.6 | |
| 26. | ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (ओसीएफ) शाहजहांपुर | 864.6 | |
| 27. | एनएफएल: पानीपत | 511.5 | हरियाणा |

**वनों को बचाने हेतु पृथक निधि**

**5432. श्री संतोष गंगवार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वनों के बचाव हेतु पृथक निधि की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निधि की स्थापना कब तक हो जायेगी और इसके अंतर्गत आबंटित की जाने वाली निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) से (ग) भारत सरकार देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। तथापि, बारहवें वित्त आयोग ने वनों के रखरखाव के लिए 2005-10 तक विस्तारित अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की संस्तुति की है। सभी 28 राज्य अतिरिक्त सहायता से लाभान्वित हुए हैं। वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*वनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान*

| राज्य | वन क्षेत्र (वर्ग. कि.मी.) | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2005-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आंध्र प्रदेश | 44637 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 65.00 |
| अरूणाचल प्रदेश | 68045 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| असम | 27714 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 800 | 8.00 | 40.00 |
| बिहार | 5720 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| छत्तीसगढ़ | 56448 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 85.00 |
| गोवा | 2095 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.00 |
| गुजरात | 15152 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| हरियाणा | 1754 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 14360 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 21237 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| झारखंड | 22637 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| कर्नाटक | 36991 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 55.00 |
| केरल | 15560 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| मध्य प्रदेश | 77265 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 115.00 |
| महाराष्ट्र | 47482 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 70.00 |
| मणिपुर | 16926 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मेघालय | 15584 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| मिजोरम | 17494 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| नागालैंड | 13345 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| उड़ीसा | 48838 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 75.00 |
| पंजाब | 2432 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.00 |
| राजस्थान | 16367 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| सिक्किम | 3193 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 8.00 |
| तमिलनाडु | 21482 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| त्रिपुरा | 7065 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 |
| उत्तर प्रदेश | 13746 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
| उत्तरांचल | 23938 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 35.00 |
| पश्चिम बंगाल | 10693 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 |
| कुल राज्य | 668200 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1000.00 |

**एन एम डी सी द्वारा लौह अयस्क का निर्यात**

**5433. श्री प्रदीप गांधी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) द्वारा कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) एन एम डी सी का निर्यात ठेका कब तक समाप्त हो जाएगा;

(ग) क्या एन एम डी सी निर्यात की तुलना में छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की आवश्यकता की पूर्ति करने को प्राथमिकता देगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी) द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा नीचे दी गई है:

| | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05* |
|---|---|---|---|
| निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा (मात्रा दस लाख टन) | 8.2 | 7.1 | 7.5 |

*अनन्तिम

चालू वर्ष 2005-06 अभी शुरू हुआ है।

(ख) एन एम डी सी के दीर्घकालीन निर्यात करार 31.3.06 को समाप्त हो रहे हैं।

(ग) और (घ) नीति के रूप में एन एम डी सी निर्यात की तुलना में घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देती है। तदनुसार, छत्तीसगढ़

स्थित संयंत्रों को भी प्राथमिकता मिलेगी। वर्ष 2003-04 के दौरान छत्तीसगढ़ में स्थित स्पंज लोहा इकाइयों को 1.4 लाख टन मात्रा की पेशकश की गई थी परन्तु उन्होंने केवल 0.65 लाख टन माल ही उठाया। वर्ष 2004-05 के लिए इस राज्य के उद्योगों को 5.6 लाख टन मात्रा की पेशकश की गई थी जिसमें से केवल लगभग 1.4 लाख टन माल ही उठाया गया।

**हिमाचल प्रदेश के लंबित प्रस्ताव**

**5434. श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयोजनार्थ वर्षा जल का संचयन करके कृषि प्रणाली में विविधता लाने और विदेशी वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान करने संबंधी हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कीटों और महामारियों से फसलों को बचाने और वर्ष 1991-92 से 1997-98 के खातों के निपटान के लिए और वर्ष 1998-1999 से 2002-2003 की देय राशि का भुगतान करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देय राशियों का भुगतान करने हेतु मंजूरी प्रदान करने का भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो यह अनुरोध किस तिथि को प्राप्त हुआ;

(घ) इन्हें लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेशी वित्तीय सहायता हेतु दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं यथा वृद्धित फार्म आय के लिए विविधिकृत कृषि और सतत जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध, जिससे राज्य में महिलाओं के जीवन-निर्वाह का स्तर बढ़ाया जा सके। तकनीकी दृष्टि से ये प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) हिमाचल प्रदेश में 'सी' श्रेणी के 78,495 मीटरी टन सेबों की 325/-रुपए प्रति क्विंटल के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर खरीद हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम 1998-99 के दौरान कार्यान्वित की गई थी। हानि के केन्द्रीय हिस्से की 10.90 करोड़ रुपए की राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है।

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए हिमाचल प्रदेश में मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत सेबों की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर इस विभाग द्वारा विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं था। अत: इस स्कीम के अन्तर्गत किसी हानि की देय राशि के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**प्राणी उद्यानों में पशुओं की सुरक्षा**

**5435. श्री उदय सिंह:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर दिल्ली में प्राणी उद्यानों में पशु सुरक्षित नहीं हैं जैसा कि दिनांक 04 अप्रैल, 2005 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38 (ञ) का प्राणी उद्यानों में आने वाले दर्शकों द्वारा भारी उल्लंघन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने में प्राणी उद्यानों के प्राधिकारियों की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्राणी उद्यानों विशेषकर दिल्ली के प्राणी उद्यान में पशुओं की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) और (ख) जानवरों के बेहतर स्वास्थ्य तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के चिड़ियाघरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तथापि, चूंकि चिड़ियाघर खुले बाड़ों में जानवरों का प्रदर्शन कर रहे हैं अत: पर्यटकों द्वारा बर्बरता की कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चिड़ियाघर मान्यता नियमावली, 1992 के तहत चिड़ियाघरों में रखे गए जानवरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किया जाना अनिवार्य है। देश में चिड़ियाघरों के चारों तरफ सुरक्षा बाड़ को मजबूत बनाने, जानवरों के बाड़ों के इर्द-गिर्द स्टैंड-आफ अवरोधक प्रदान करवाने, चेतावनी सूचक बोर्ड प्रदान करवाने तथा क्लोज सर्किट टेलीविजन और वाकी-टाकी सैटों जैसे संचार उपकरण प्रदान करवाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

## आलू की मांग और पूर्ति

**5436. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक आलू की मांग और पूर्ति की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान आलू की घरेलू मांग का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आलू की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) प्रति वर्ष आलू की घरेलू मांग लगभग 23-24 मिलियन टन आंकी गई है। गत दो वर्षों का उत्पादन निम्नानुसार है:

| वर्ष | उत्पादन मिलियन टन में |
|---|---|
| 2003-04 | 23.55 |
| 2004-05 | 24.15 |

(घ) सरकार "कृषि में वृहद् प्रबन्धन-कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें आलू के उत्पादन पर भी एक कार्यक्रम शामिल है।

## बीड़ी वर्करों को चिकित्सा सुविधाएं

**5437. श्री बीर सिंह महतो:**
**श्री गिरिधारी यादव:**
**श्री देविदास पिंगले:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी वर्करों हेतु उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में बीड़ी वर्करों के अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कई बीड़ी वर्करों की मौतें हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने बीड़ी वर्करों की मौतें हुई हैं;

(घ) दवाओं और कर्मचारियों की कमी वाले अस्पताल कौन-कौन से हैं और गत एक वर्ष के दौरान बीड़ी वर्करों के अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने की संभावना है;

(ङ) क्या बीड़ी वर्करों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) देश में सिर्फ बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए कर्मा (झारखंड), मैसूर (कर्नाटक), गुरूसहायगंज (उत्तर प्रदेश) और धूलियां (पश्चिम बंगाल) में चार अस्पातल और 206 अचल-सह-चल औषधालय हैं। बिहार शरीफ (बिहार), मुक्कुदल (तमिलनाडु) और सागर (मध्य प्रदेश) में बीड़ी कामगारों के लिए अन्य तीन अस्पतालों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तथापि, कुछ औषधालयों और अस्पतालों में डाक्टरों की कुछ कमी है। ऐसे मामलों में डाक्टरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है।

(ङ) और (च) बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी वर्तमान आधारिक संरचना का निर्माण या विस्तार करने की इच्छुक राज्य सरकारों/ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/सामूहिक भवन सोसाइटियों/केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों/औषधालयों को 2.00 करोड़ रुपये तक या चिकित्सा उपकरणों सहित निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.00 करोड़ रुपये तक की एम्बुलैंस/मोबाइल वैन के वास्तविक मूल्य का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो या कम से कम 15 बिस्तरों वाले

अस्पताल के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 10.00 लाख रुपये या दवाइयों के वास्तविक मूल्य का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों को मौजूदा अस्पतालों और औषधालयों द्वारा कवर नहीं किया गया है उन क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने और स्वास्थ्य संबंधी शिविरों का आयोजन किया गया है। ये अस्पताल और औषधालय आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। बीड़ी कामगारों को गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारी और गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए इलाज की लागत की प्रतिपूर्ति करने संबंधी स्कीमें भी उपलब्ध हैं। टी.बी. के मरीजों के लिए टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण, आवासीय इलाज के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

*[हिन्दी]*

## ग्रीन हाऊस का निर्माण

**5438. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि में व्यापक प्रबंधन की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में साथ देने के लिए ग्रीन हाऊस के निर्माण हेतु किसानों को सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन और नाहन सिरमौर जिलों में योजना के अंतर्गत किन-किन व्यक्तियों को और कौन-कौन सी तारीखों पर धनराशियां दी गई तथा ऐसी कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "कृषि का वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाऊस के निर्माण के लिए अधिक से अधिक 500 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु कुल लागत की अधिकतम 25% के लिए 200/-रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन तथा नाहन (सिरमौर) जिलों में इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रीन हाऊसों के निर्माण के लिए जिन लोगों को सहायता दी गई, उनके नाम तथा जिस तिथि को धनराशि प्रदान की गई, का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन तथा नाहन (सिरमौर) जिले में "कृषि का वृहद प्रबंध" स्कीम के अन्तर्गत ग्रीन हाऊसों के निर्माण के लिए वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक निर्गत धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपये)

| वर्ष | शिमला | सोलन | सिरमौर |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 0.09 | 0.38 | - |
| 2001-02 | 0.49 | 0.21 | 0.27 |
| 2002-03 | 1.21 | - | 0.56 |
| 2003-04 | - | - | 1.20 |

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बागवानी फसलों की ग्रीन हाऊसों में खेती सहित बागवानी विकास से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 2003-04 से मिशन पद्धति दृष्टिकोण से किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को क्रमश: 6.50 करोड़ रुपये तथा 13.00 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गयी, जिसमें से 1.16 करोड़ रुपये की राशि ग्रीन हाऊसों की स्थापना हेतु आवंटित की गई है।

*[अनुवाद]*

## विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र

**5439. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
**श्री रघुनाथ झा:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 18.53 मिलियन विकलांग व्यक्तियों के लिए केवल 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ही चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इनमें से अधिकांश व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में होटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो इन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में होटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने विकलांग पुरुषों/महिलाओं का पुनर्वास किया गया?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, गोवा, नागालैंड, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में सात व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तीन केन्द्रों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(ङ) और (च) वर्तमान में, पांच व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा यह निर्णय लिया गया कि जब भी व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों हेतु सरकारी भवनों का निर्माण किया जाए तो छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(छ) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा पुनर्वासित विकलांग व्यक्तियों के राज्य-वार तथा पुरुष-स्त्री-वार ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं।

*विवरण*

*निम्नलिखित वर्षों के दौरान पुनर्वासित विकलांग पुरुष/महिलाओं की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी*

| राज्य | व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र का स्थान | 2002 | | 2003 | | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| त्रिपुरा | अगरतल्ला | 126 | 44 | 125 | 36 | 139 | 46 |
| गुजरात | अहमदाबाद | 587 | 137 | 638 | 131 | 795 | 205 |
| कर्नाटक | बंगलौर | 434 | 98 | 477 | 102 | 467 | 123 |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर | 230 | 101 | 539 | 96 | 471 | 266 |
| तमिलनाडु | चेन्नई | 406 | 170 | 547 | 145 | 759 | 246 |
| दिल्ली | दिल्ली | 319 | 76 | 342 | 60 | 287 | 68 |
| असम | गुवाहाटी | 60 | 28 | 313 | 139 | 673 | 219 |
| आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | 1213 | 355 | 1288 | 361 | 1079 | 324 |
| मध्य प्रदेश | जबलपुर | 395 | 110 | 413 | 95 | 357 | 71 |
| राजस्थान | जयपुर | 337 | 6 | 354 | 16 | 324 | 2 |
| उत्तर प्रदेश | कानपुर | 492 | 98 | 497 | 81 | 547 | 87 |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 347 | 59 | 428 | 69 | 496 | 92 |
| पंजाब | लुधियाना | 173 | 73 | 174 | 72 | 246 | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | मुम्बई | 714 | 142 | 839 | 111 | 771 | 126 |
| बिहार | पटना | 400 | 52 | 399 | 43 | 391 | 30 |
| केरल | तिरूवनन्तपुरम | 452 | 141 | 366 | 240 | 409 | 163 |
| गुजरात | *वडोदरा | – | 128 | – | 158 | – | 152 |
| | | 6685 | 1818 | 7739 | 1955 | 8211 | 2279 |

*केवल महिलाओं हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

**कृष्णा जल विवाद अधिकरण**

**5440. श्री एम. शिवन्ना:**
**श्री ए. वेंकटेश नायक:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने कार्य करना आरंभ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार ने जल प्रवाह के ऊपरी कृष्णा उप बेसिन से ऊपरी भीमा उपबेसिन की तरफ मोड़ दिया है;

(ग) क्या इससे अलमत्ती जलाशय के अंतर्वाहों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के की धारा 3 के तहत दिनांक 25 सितम्बर, 2002 के अपने शिकायती पत्र में केन्द्र सरकार को उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा बेसिन में 560 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए निर्माण कार्य आरंभ कर दिए है। जिसमें अपने हिस्से के परे अधिशेष जल का प्रयोग करने और अधिशेष जल के हिस्से को रोकने की क्षमता हो। उपरोक्त शिकायत में अलमाटी बांध पर अन्तर्वाह संबंधी ऐसे सृजन के प्रभाव के साथ-साथ 560 टीएमसी बेसिन-वार कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का ब्यौरा नहीं दिया गया है। तथापि आंध्र प्रदेश ने रिपोर्ट दी है कि महाराष्ट्र राज्य केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय के अनुमोदन न होने के बावजूद ऊपरी कृष्णा उप बेसिन में लगभग 51 टीएमसी के उपयोग के लिए वल्केवाड़ी, कुदाली, जिहे-कठापुर, लिफ्ट, उरमोदी, तराली, चिकोत्रा, मोरना, टेम्भू लिफ्ट सिंचाई स्कीम जैसी परियोजनाओं का गैर कानूनी ढंग से निर्माण कर रहा है। केन्द्र सरकार ने 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) का गठन किया और कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से प्राप्त शिकायती पत्रों को उनमें उठाए गए विवादों के अधिनिर्णय के लिए इस अधिकरण के पास भेज दिया। अधिकरण ने 13 अप्रैल, 2005 को बुलाई गई अपनी बैठक में अन्तर्राज्यीय जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) नियमावली, 1959 के नियम 4 के अधीन बेसिन राज्यों को नोटिस जारी कर निदेश दिए ताकि वे अधिकरण के समक्ष अपने मामलों का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 19 मई 2005 या उससे पूर्व अपने प्रतिनिधि नामित कर सकें।

**चैत्य भूमि का सौंदर्यीकरण**

**5441. श्रीमती निवेदिता माने:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्री हरिभाऊ राठौड़:**
**श्री बालासाहिब विखे पाटील:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से चैत्य भूमि के सौंदर्यीकरण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**"नए गोदामों का निर्माण**

**5443. श्री सूरज सिंह:**
**श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नए गोदामों का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है और उनके विस्तार की योजनाएं क्या हैं; और

(ग) चालू और अगले वर्ष के दौरान निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित नए गोदामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने जिन नए गोदामों का निर्माण किया है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार 50% के उपयोग प्रतिशत के साथ भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 261.21 लाख टन (अपनी/किराये की और ढकी हुई/कैप) भंडारण क्षमता है।

मौजूदा भंडारण क्षमता के उपयोग के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम वर्ष 2005-06 से सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर सहित केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए गोदामों का निर्माण करेगा। तथापि, इस समय चल रही गोदाम निर्माण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा।

मौजूदा वित्तीय वर्ष (2005-06) के दौरान पूरे किए जाने वाले गोदामो का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। जहां तक 2006-07 का संबंध है, अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व नए गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा।

***विवरण***

| क्र.सं. | केन्द्र/राज्य | निर्मित क्षमता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | *उत्तर जोन* | | |
| 1. | मलौत/पंजाब | 5,000 | – | – |
| 2. | कारगिल/जम्मू व कश्मीर | 2,500 | – | – |
| 3. | लेह/जम्मू व कश्मीर | 2,500 | – | – |
| 4. | चम्बा/हिमाचल प्रदेश | 1,670 | – | – |
| 5. | किश्तवाड़/जम्मू व कश्मीर | 2,500 | – | – |
| 6. | हनुमानगढ़/राजस्थान | 15,000 | – | – |
| 7. | बाड़न/राजस्थान | 5,000 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | सिरसा/हरियाणा | – | 16,670 | 10,000 |
| 9. | एन.जी. टांडा/पंजाब | – | 23,340 | – |
| 10. | रायबरेली/उत्तर प्रदेश | – | 20,000 | – |
| 11. | व्यासनगर/उत्तर प्रदेश | – | – | 13,340 |
| | | *दक्षिण जोन* | | |
| 1. | नालगोंडा/आंध्र प्रदेश | 10,000 | – | – |
| 2. | मिरयालगुडा/आंध्र प्रदेश | 10,000 | – | – |
| 3. | नेल्लोर फेज-2/आंध्र प्रदेश | 10,000 | – | – |
| 4. | काजीपेट/आंध्र प्रदेश | 10,000 | – | – |
| 5. | डिचपल्ली/आंध्र प्रदेश | 5,000 | 5,000 | – |
| 6. | हनुमान जंक्शन/आंध्र प्रदेश | – | 10,000 | – |
| 7. | नेल्लोर फेज-3/आंध्र प्रदेश | – | – | 15,000 |
| 8. | सेवुर/तमिलनाडु | 5,000 | – | – |
| 9. | सलेम/तमिलनाडु | – | 3,340 | 3,340 |
| 10. | मैसूर/कर्नाटक | 2,800 | – | – |
| 11. | मद्दुर/कर्नाटक | 5,000 | – | – |
| 12. | शिमोगा/कर्नाटक | – | 15,000 | – |
| 13. | कोप्पल/कर्नाटक | – | – | 10,000 |
| 14. | तुमकूर/कर्नाटक | – | – | 5,000 |
| | | *पश्चिम जोन* | | |
| 1. | मनमाड/महाराष्ट्र | – | 6,680 | 11,920 |
| 2. | गोधरा/गुजरात | – | 15,000 | 10,000 |
| 3. | तिल्दा/छत्तीसगढ़ | – | – | 13,340 |
| | | *पूर्व जोन* | | |
| 1. | अंगुल/उड़ीसा | – | 5,000 | – |
| 2. | धेनकनाल/उड़ीसा | – | 2,500 | – |
| 3. | क्योंझर/उड़ीसा | – | 2,500 | – |
| 4. | फूलबनी/उड़ीसा | – | 2,500 | – |
| 5. | नवरंगपुर/उड़ीसा | – | 2,500 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | *उत्तर पूर्व जोन (सिक्किम सहित)* | | |
| 1. | रंगपू/सिक्किम | 2,500 | – | – |
| 2. | अगरतला/त्रिपुरा | – | 2,500 | – |
| 3. | जीरीबाम/मणिपुर | – | – | 2,500 |
| 4. | दीमापुर/नागालैंड | – | – | 2,500 |
| | जोड़ | 94,470 | 1,32,530 | 96,940 |

***विवरण II***

*वर्तमान वित्तीय वर्ष (2006-06) के दौरान पूरे किए गोदामों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:*

| केन्द्र/राज्य का नाम | क्षमता (टन में) |
|---|---|
| लेह/जम्मू व कश्मीर | 10,000 |
| बड़गाम/जम्मू व कश्मीर | 2,500 |
| कुपवाड़ा/जम्मू व कश्मीर | 5,000 |
| सलेम/तमिलनाडु | 3,340 |
| तुमकूर/कर्नाटक | 10,000 |
| केलांग/हिमाचल प्रदेश | 2,500 |
| लुंगलेई/मिजोरम | 2,900 |
| लुगतालेई/मिजोरम | 3,340 |
| जोड़ | 39,580 |

*[अनुवाद]*

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**

**5444. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राज्य-वार अनुमान क्या थे;

(ख) सीमांत किसान, मध्यम किसान और बड़ी जोतों वाले किसानों के संबंध में औसत प्रति व्यक्ति आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आय की पर्याप्तता का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) कृषि से सकल घरेलू उत्पाद के स्थिर (1993-94) तथा वर्तमान मूल्यों दोनों पर राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) मार्जिनल, मध्यम और बड़ी जोतों वाले किसानों के संबंध में प्रति व्यक्ति औसत आय संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। चूंकि कृषि में संलग्न व्यक्ति ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग है, ग्रामीण क्षेत्र में 'खाद्य', 'अखाद्य' तथा 'कुल' के संबंध में उपभोक्ता व्यय की प्रमुख श्रेणियों में प्रति व्यक्ति औसत व्यय का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) अधिकतर भारतीय किसान संसाधन विहीन हैं। लगभग 62% किसान 1 हैक्टेयर से कम की मार्जिनल जोत प्रचालित करते हैं जबकि लगभग 19% 1 से 2 हैक्टेयर के बीच की जोतों का प्रचालन करते हैं। अत: सरकार, प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने, फसल हानि के लिए क्षतिपूर्ति, राजसहायता प्राप्त आदानों आदि के उद्देश्य से कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिसमें मूल्य समर्थन को कवर किया जाता है। अनुभव से पता चलता है कि भारतीय किसानों की खराब आर्थिक दशा में योगदान करने वाले कारकों में खराब विपणन अवसंरचना, सिंचाई में निवेश के निम्न स्तर और कृषि को ऋण का अपर्याप्त

प्रवाह शामिल हैं। अत: 2005-06 के केन्द्रीय बजट में सिंचाई के लिए उच्चतर आवंटन प्रदान किए गए हैं, कृषि के लिए ऋण प्रवाह में और अधिक वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है तथा बागवानी और विपणन संवर्धन के लिए नई स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

(1) **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.):** चल रही परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता के माध्यम से पूरा करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1996-97 में इसे आरम्भ किया गया था। हाल ही में इसकी समीक्षा की गई है और लगभग पूरी हो गई परियोजनाओं को पूरा करने पर संकेन्द्रण किया गया है। वर्ष 2004-05 में 2800 करोड़ रुपए की तुलना में कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2005-06 में 4800 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

(2) **सूक्ष्म सिंचाई:** जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2005-06 में ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के संवर्धन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(3) **कृषि ऋण:** बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, ने वर्ष 2004-05 में 108,500 करोड़ रुपए का संवितरण किया जिसे वर्ष 2005-06 में 30% बढ़ाया जाना है।

(4) **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** अनुसंधान, उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण तथा विपणन के एक समेकित तरीके से संवर्धन के लिए 630 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(5) **कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण:** कृषि मण्डियों की स्थापना, श्रेणीकरण, मानकीकरण जैसी विपणन और समर्थन सेवाओं आदि के लिए निजी और सहकारी क्षेत्रों से अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए 72 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(6) **कृषि अनुसंधान:** वर्ष 2004-05 में 1000 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2005-06 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 1150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

***विवरण I***

*कृषि से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राज्यवार अनुमान वर्तमान स्थिर (1993-94) मूल्यों पर*

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3673378 | 3687600 | 3424900 | 4019100 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 54064 | 51430 | 56320 | उपलब्ध नहीं |
| 3. | असम | 999071 | 1042251 | 1072476 | 1177287 |
| 4. | बिहार | 1677219 | 1609342 | 1802066 | 1740392 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 409452 | 632798 | 445042 | उपलब्ध नहीं |
| 6. | गोवा | 40848 | 42105 | 49990 | उपलब्ध नहीं |
| 7. | गुजरात | 1474600 | 1819900 | 1749000 | 3024400 |
| 8. | हरियाणा | 1672480 | 1685401 | 1735179 | 1937926 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 281311 | 325506 | 320579 | उपलब्ध नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 371815 | 394839 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 11. | झारखण्ड | 404846 | 419330 | 434333 | उपलब्ध नहीं |
| 12. | कर्नाटक | 2737277 | 2302705 | 2317363 | उपलब्ध नहीं |
| 13. | केरल | 1116493 | 1074685 | 1088911 | 1087478 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1814128 | 2358272 | 1957512 | 2936932 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3291547 | 3610661 | 3604180 | 3477480 |
| 16. | मणिपुर | 78606 | 82895 | 87418 | 92188 |
| 17. | मेघालय | 85138 | 85396 | 92687 | उपलब्ध नहीं |
| 18. | मिजोरम | 44914 | 43945 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 19. | नागालैण्ड | 94717 | 116678 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 20. | उड़ीसा | 1006284 | 1164360 | 1088328 | 1512544 |
| 21. | पंजाब | 2663862 | 2768228 | 2682438 | 2988437 |
| 22. | राजस्थान | 1938208 | 2344737 | 1773394 | 2685316 |
| 23. | सिक्किम | 23597 | 24520 | 24806 | 25094 |
| 24. | तमिलनाडु | 2042674 | 2056270 | 1657724 | 1750167 |
| 25. | त्रिपुरा | 115298 | 127271 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 5783139 | 5995668 | 6049979 | उपलब्ध नहीं |
| 27. | उत्तरांचल | 413853 | 388532 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3496531 | 3800947 | 3738505 | उपलब्ध नहीं |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 19711 | 24768 | 26702 | उपलब्ध नहीं |
| 30. | चंडीगढ़ | 4933 | 5371 | 5932 | 6651 |
| 31. | दिल्ली | 77886 | 80060 | 82263 | उपलब्ध नहीं |
| 32. | पांडिचेरी | 15195 | 14318 | 14106 | 13954 |

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

टिप्पणी: राज्यों से 28 फरवरी 2005 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

कृषि से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राज्यवार अनुमान वर्तमान मूल्यों पर

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2216075 | 2189500 | 1887100 | 2132800 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 31476 | 27688 | 30344 | उपलब्ध नहीं |
| 3. | असम | 524397 | 549553 | 576829 | 570908 |
| 4. | बिहार | 1397987 | 1165334 | 1453507 | 1182511 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 242553 | 369553 | 250204 | उपलब्ध नहीं |
| 6. | गोवा | 27382 | 30106 | 33362 | उपलब्ध नहीं |
| 7. | गुजरात | 992600 | 1304900 | 1109200 | 1963100 |
| 8. | हरियाणा | 1064861 | 1067378 | 1065780 | 1160772 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 132073 | 1040079 | 137902 | उपलब्ध नहीं |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 236513 | 249279 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 11. | झारखण्ड | 445399 | 467669 | 491052 | उपलब्ध नहीं |
| 12. | कर्नाटक | 1940690 | 1634604 | 1584250 | उपलब्ध नहीं |
| 13. | केरल | 576701 | 562236 | 569124 | 547472 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1205921 | 1489563 | 1170917 | 1705538 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2239488 | 2377667 | 2335165 | 2162100 |
| 16. | मणिपुर | 45318 | 46777 | 48283 | 49837 |
| 17. | मेघालय | 54306 | 54298 | 55567 | उपलब्ध नहीं |
| 18. | मिजोरम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 19. | नागालैण्ड | 67919 | 79819 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 20. | उड़ीसा | 544278 | 652914 | 508824 | 679281 |
| 21. | पंजाब | 1635349 | 1651942 | 1589542 | 1701729 |
| 22. | राजस्थान | 1236318 | 1549699 | 1093874 | 1588039 |
| 23. | सिक्किम | 12881 | 13156 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 24. | तमिलनाडु | 1457810 | 1457329 | 1103252 | 1128193 |
| 25. | त्रिपुरा | 63802 | 65447 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | उत्तर प्रदेश | 3593034 | 3680959 | 3385953 | उपलब्ध नहीं |
| 27. | उत्तरांचल | 233854 | 225582 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1933240 | 2084825 | 2036296 | उपलब्ध नहीं |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 13432 | 14282 | 14613 | उपलब्ध नहीं |
| 30. | चंडीगढ़ | 3002 | 3067 | 3187 | 3348 |
| 31. | दिल्ली | 52108 | 51145 | 50441 | उपलब्ध नहीं |
| 32. | पांडिचेरी | 9780 | 8477 | 7931 | 13954 |

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
टिप्पणी: राज्यों से 28 फरवरी 2005 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

## *विवरण II*

*चुनिन्दा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खपत के बड़े समूहों द्वारा प्रति 30 दिवस प्रति व्यक्ति औसत व्यय (रुपए)*

(ग्रामीण)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | खाद्यान्न | अखाद्यान्न | सभी किस्में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 307.47 | 267.45 | 574.92 |
| 2. | असम | 340.95 | 190.72 | 531.67 |
| 3. | बिहार | 260.57 | 163.00 | 423.57 |
| 4. | गुजरात | 325.19 | 265.01 | 590.20 |
| 5. | हरियाणा | 371.37 | 331.26 | 702.63 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 423.11 | 363.44 | 786.55 |
| 7. | झारखण्ड | 245.34 | 145.39 | 390.73 |
| 8. | कर्नाटक | 274.25 | 238.57 | 512.82 |
| 9. | केरल | 442.59 | 437.98 | 880.57 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 234.25 | 202.03 | 436.28 |
| 11. | महाराष्ट्र | 281.16 | 263.41 | 544.57 |
| 12. | उड़ीसा | 229.27 | 161.21 | 390.48 |
| 13. | पंजाब | 372.59 | 415.59 | 788.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | राजस्थान | 321.46 | 252.86 | 574.32 |
| 15. | तमिलनाडु | 299.11 | 243.02 | 542.13 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 263.31 | 223.05 | 486.36 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 300.12 | 192.67 | 492.79 |
| 18. | उत्तर-पूर्वी राज्य | 352.44 | 401.59 | 754.03 |
| 19. | संघ शासित क्षेत्रों के ग्रुप | 400.95 | 401.59 | 80.254 |
| 20. | अखिल भारत | 292.27 | 239.21 | 531.48 |

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस. का 58वां दौर): 2002-03

**समुद्री परियोजनाएं**

**5445. डा. के.एस. मनोज:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा समुद्री पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नई समुद्री पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरल में नई अलप्पुझा समुद्री पर्यटन परियोजना को स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) विदेश में क्रूज गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(1) पर्यटन मंत्रालय ने दुबई स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से 6 से 8 दिसंबर, 2004 तक दुबई में सीट्रेड मिडिल ईस्ट, समुद्री प्रदर्शनी में भाग लिया। बंदरगाह अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रर्दशनी में भाग लिया। समुद्री पर्यटन पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नए कोलेटरल्स तथा प्रचार सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने समुद्री पर्यटन के संबंध में भारत में हो रहे विकास पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण पेश किया।

(2) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर 12.02.2005 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने समुद्री पर्यटन पर, इमरजिंग ट्रेंड्स-इंडिया एंड दी वर्ल्ड नामक एक प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सचिव, शिपिंग ने क्रूज शिपिंग पालिसी के विकास पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

(3) पर्यटन मंत्रालय ने न्यूयार्क स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से 14 से 17 मार्च, 2005 को मियामी में सीट्रेड क्रूज कांफ्रेस में भाग लिया। बंदरगाह अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रदर्शनी में भाग लिया।

(4) पर्यटन मंत्रालय ने समुद्री पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार के नए पहलों के संबंध में संपूर्ण विश्व में प्रमुख क्रूज आपरेटरों को लिखा है।

(5) कोचीन के रास्ते गोवा से लक्षद्वीप तक क्रूज सेवाओं के संचालन हेतु मेसर्स ओशन क्रूजेज प्रा.लि. को पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**प्राणी उद्यान के पशु-चिकित्सकों हेतु पोस्टमार्टम संबंधी मूलभूत अपेक्षाएं**

**5446. श्री जी.वी. हर्षकुमार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (सी जेड ए) ने देश भर में चिड़ियाघर पशुचिकित्सकों हेतु पोस्टमार्टम संबंधी मूलभूत अपेक्षाओं के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जैसाकि दिनांक 28 जनवरी, 2005 के 'दि हिंदू' में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमो नारायन मीना ):** (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों के पशुचिकित्सकों के लिए पोस्टमार्टम संबंधी मूलभूत अपेक्षाओं के संबंध में एक प्रकाशन निकाला है। यह प्रकाशन मद्रास पशुचिकित्सा कालेज, चेन्नई के पशु चिकित्सकों के एक दल द्वारा तैयार किया गया है।

यह प्रकाशन देश में सभी चिड़ियाघरों में प्रचालित किया गया है ताकि चिड़ियाघरों द्वारा वन्य पशुओं के पोस्टमार्टम की जांच करते समय उपुयक्त विधि को अंगीकृत किया जा सके।

## कृषि भूमि में लवणता

**5447. श्री जुएल ओराम:**
**श्री अनन्त नायक:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तटीय राज्यों में लवणता में वृद्धि के कारण कृषि भूमि को हो रही क्षति में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके द्वारा उड़ीसा में कितने तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(घ) लवणता के कारण तटीय कृषि योग्य भूमि को और अधिक अपक्षण से बचाने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य-वार क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि निर्धारित और आवंटित की गई?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) और (ख) जी, हां। तटवर्ती लवणयुक्त अनुमानित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| राज्य | तटवर्ती लवणयुक्त मृदा का क्षेत्र (लाख है. में) |
|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 8.20 |
| गुजरात | 8.20 |
| उड़ीसा | 4.00 |
| आंध्र प्रदेश | 2.76 |
| तमिलनाडु | 1.00 |
| कर्नाटक | 1.95 |
| महाराष्ट्र | 0.63 |
| केरल | 0.26 |
| गोवा | 0.18 |
| पांडिचेरी | 0.01 |
| अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.15 |
| कुल | 27.34 |

(ग) इस राज्य में लवणयुक्त क्षेत्र सामान्यत: 445 किलोमीटर लंबी संकरी पट्टी में पाया जाता है, जो तटवर्ती जिलों अर्थात बालासोर, कटक, पुरी तथा गंजम के निकट है।

(घ) और (ङ) लवणता की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु सरकार ने कार्रवाई की है। राज्य के कृषि, सिंचाई एवं वानिकी विभागों के तकनीकी कर्मचारियों में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा प्रदत्त जानकारी का प्रचार-प्रसार किया गया है। देश में लवणयुक्त मृदा के सुधार के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के पास कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित ''कृषि का बृहद प्रबंध'' स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वर्ष के दौरान राज्य के लिए कुल आबंटन के 10% तक कोई भी नया कार्यक्रम प्रस्तावित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

*[हिन्दी]*

## बाघों की स्थिति के संबंध में सी बी आई जांच

**5448. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
**श्री अधीर चौधरी:**
**श्री राजेन गोहेन:**
**श्री दलपत सिंह परस्ते:**
**श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
**श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
**श्री निखिल कुमार:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक वन्य जीव अभयारण्य/टाइगर रिजर्व में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक बाघ पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों/टाइगर रिजर्वों में बाघों की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच रिपोर्ट के अनुसार बाघों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सी बी आई ने यह भी पता लगाया है कि अवैध शिकारी अभ्यारण्यों में खुले आम घूम रहे हैं और वन क्षेत्रों के उचित संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(च) यदि हां, तो वन क्षेत्रों के संरक्षण और अवैध शिकारियों को पकड़ने तथा बाघों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस योजनाएं बनाई जाएंगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) वर्ष 2001-02 में किए गए पिछले अखिल भारतीय बाघ आकलन के दौरान राज्यों द्वारा राज्यवार/बाघ रिजर्व-वार सूचित बाघों की संख्या संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है। अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यानवार बाघों के अनुमानित आंकड़े भारत सरकार स्तर पर एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ख) बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बाघ रिजर्व वाले राज्यों को बाघ परियोजना मार्गनिर्देशों के सामान्य घेरे में रिजर्व विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के आधार पर उनसे प्राप्त प्रचालन की वार्षिक योजना के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है न कि रिजर्व में बाघों की संख्या के अनुसार। पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बाघ के लुप्त होने के बारे में प्राथमिक मूल्यांकन केवल राजस्थान के सरिस्का बाघ रिजर्व में किया था न कि विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों/बाघ रिजर्वों में।

(घ) से (च) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी प्राथमिक मूल्यांकन रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि सरिस्का में बाघों के होने का कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा लगता है कि बाघों की पूरी संख्या मुख्यत: अवैध शिकार के कारण लुप्त हो गई है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जुलाई, 2002 से अवैध शिकारियों के 2-3 संगठित नेटवर्क बाघ रिजर्वों में बाघों एवं चीतों के अवैध शिकार में शामिल थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने पूर्व के निर्देशों को दोहराते हुए राज्य को उचित सुधार के माध्यम से बाघ संरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान को स्टाफ के क्षमता निर्माण सहित एक डाटाबेस तैयार करने के अलावा वन्यजीवों की स्थिति का पता लगाने के लिए, बाघ रिजर्व पर संसाधन निर्भरता का मूल्यांकन करने के लिए सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में एक विस्तृत पारिस्थितिकीय अध्ययन आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी प्राथमिक मूल्यांकन रिपोर्ट में कतिपय लघु अवधि और दीर्घ अवधि की सिफारिशों का सुझाव दिया है जो विवरण-4 में दी गई हैं।

***विवरण I***

*राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2001-02** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 192 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 61*** |
| 3. | असम | 354 |
| 4. | बिहार | 76 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 227 |
| 6. | दिल्ली | शून्य |
| 7. | गोवा | 5 |
| 8. | गुजरात | शून्य |
| 9. | हरियाणा | शून्य |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | शून्य |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | शून्य |
| 12. | झारखण्ड | 34 |
| 13. | कर्नाटक | 401 |
| 14. | केरल | 71 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 710 |
| 16. | महाराष्ट्र | 238 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | मणिपुर | शून्य |
| 18. | मेघालय | 47 |
| 19. | मिजोरम | 28 |
| 20. | नागालैण्ड | 23× |
| 21. | उड़ीसा | 173 |
| 22. | पंजाब | शून्य |
| 23. | राजस्थान | 58 |
| 24. | सिक्किम | एन आर |
| 25. | तमिलनाडु | 60 |
| 26. | त्रिपुरा | एन आर |
| 27. | उत्तरांचल | 251 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 284 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 349 |
| | कुल | 3642 |

एन आर राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई
* बाघों की गणना नहीं की गई
** संकलन/जांच के अधीन
*** केवल नामदाफा बाघ रिजर्व के लिए
**** आंकड़ों में अविभाजित राज्य शामिल है।
× संपूर्ण राज्य शामिल नहीं है।

*विवरण II*

*राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या*

| क्र.सं. | रिजर्व का नाम | 2001-02 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बान्दीपुर (कर्नाटक) | 82 |
| 2. | बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश) | 56 |
| 3. | भद्रा (कर्नाटक) | 35 |
| 4. | बोरी-सतपुरा पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) | 35 |
| 5. | बक्सा (पश्चिम बंगाल) | 31 |
| 6. | कोरबेट (उत्तर प्रदेश) | 137 |
| 7. | दाम्फा (मिजोरम) | 4 |
| 8. | दुधवा (उत्तर प्रदेश) | 76* |
| 9. | इन्द्रावती (मध्य प्रदेश) | 29 |
| 10. | कान्हा (मध्य प्रदेश) | 127 |
| 11. | कालाकड़ (तमिलनाडु) | 27 |
| 12. | मानस (असम) | 65* |
| 13. | मेलघाट (महाराष्ट्र) | 73 |
| 14. | नागार्जुन सागर (आन्ध्र प्रदेश) | 67 |
| 15. | नामदाफा (अरूणाचल प्रदेश) | 61 |
| 16. | नामेरी (असम) | 26 |
| 17. | पाखुई (अरूणाचल प्रदेश) | – |
| 18. | पलामु (बिहार) | 32 |
| 19. | पन्ना (मध्य प्रदेश) | 31 |
| 20. | पेरियार (केरल) | 36 |
| 21. | पेंच (मध्य प्रदेश) | 40 |
| 22. | पेंच (महाराष्ट्र) | 14 |
| 23. | रणथम्भौर (राजस्थान) | 35 |
| 24. | सरिस्का (राजस्थान) | 22 |
| 25. | सिमलीपाल (उड़ीसा) | 99 |
| 26. | सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) | 245 |
| 27. | ताड़ोबा (महाराष्ट्र) | 38 |
| 28. | वाल्मिकी (बिहार) | 53 |
| | कुल | 1576 |

*संकलन/जांच के अंतर्गत
एन आर: राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई

*विवरण III*

*वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 के दौरान बाघ परियोजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता दर्शाता विवरण*

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | बाघ रिजर्व रेंज राज्य का नाम | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21.10 | 22.89 | 15.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 35.875 | 68.75 | 35.00 |
| 3. | असम | 65.70 | 75.00 | – |
| 4. | बिहार | 25.00 | 50.00 | 85.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 32.48 | 80.25 | 27.75 |
| 6. | कर्नाटक | 289.56 | 269.32 | 486.292 |
| 7. | केरल | 63.75 | 120.68 | 105.75 |
| 8. | झारखण्ड | 18.00 | 135.9915 | 72.5005 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 786.44 | 1103.414 | 582.43 |
| 10. | महाराष्ट्र | 621.79 | 228.45 | 323.013 |
| 11. | मिजोरम | 98.32 | 67.56 | 119.69 |
| 12. | उड़ीसा | 32.88 | 151.91 | 116.4395 |
| 13. | राजस्थान | 294.92 | 158.330 | 75.00 |
| 14. | तमिलनाडु | 125.00 | 35.00 | 80.00 |
| 15. | उत्तरांचल | 168.00 | 200.91 | 200.12 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 32.75 | 173.585 | 175.215 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 168.33 | 225.17 | 325.49 |
| | कुल | 2879.895 | 3067.2105 | 2824.69 |

*विवरण IV*

*केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशें*

**लघु अवधि**

(1) राजस्थान और दिल्ली राज्य की सहमति से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, सरिस्का बाघ रिजर्व अपराध संख्या 11/91, दिनांक 15.3.2005, 45/91, दिनांक, 11.3.2005, 11/92 दिनांक 15.3.2005, 11/93 दिनांक 15.3.2005, और कमला मार्किट थाना, नई दिल्ली एफ आई आर संख्या 82/2005, दिनांक 31.1.2005 की तत्काल जांच कार्य शुरू करनी चाहिए। अवैध शिकार की घटना से उठने वाले किसी अन्य मामले को भी रजिस्टर किया जाना चाहिए और सी बी आई द्वारा जांच की जानी

चाहिए जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा सामान्य सहमति दी जानी चाहिए।

(2) बाघ रिजर्व क्षेत्र के भीतर के सभी गांवों की अवैध शिकार में प्रयोग किए जाने वाले लोहे के ट्रैप, बन्दूक अथवा अन्य उपस्करों को पकड़ने के लिए गहन खोज की जानी चाहिए।

(3) अवैध शिकारियों के कार्य करने के तरीके के बारे में और ऐसे लोहे के ट्रैपों की बरामदी, जहां कहीं संभव हो, के लिए सभी बाघ रिजर्वों को सजग रहने के आदेश जारी करने चाहिए।

(4) उन सभी संभव स्थानों की खोज की जानी चाहिए जहां लोहे के ट्रैपों को बनाया जाता है और अवैध शिकारियों को सप्लाई किया जाता है।

(5) स्थानीय पुलिस को भी संवेदी बनाया जाना चाहिए और अवैध शिकार रोधी प्रवर्तन कार्यों में वन विभाग स्टाफ के साथ सहयोग में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(6) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 के उपबंधों, जिसमें अभ्यारण्य क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले प्रत्येक बन्दूक लाइसेंसधारी को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को आवेदन करने को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

(7) सरिस्का बाघ रिजर्व के स्टाफ की कार्य प्रणाली का विश्लेषण किया जाना चाहिए और जो स्टाफ काफी लम्बे समय से वहां तैनात है अथवा जिसने निहित स्वार्थ बना लिया है उनके स्थानान्तरण आदेश दिए जाने चाहिए।

(8) वन गार्डों को उचित यूनिफार्म, लाठियां और अन्य आवश्यक उपस्कर सप्लाई किए जाने चाहिएं।

(9) प्रत्येक रेंज में अवैध शिकार रोधी दस्तों का गठन किया जाना चाहिए और जिसमें कम से कम एक चौथाई नियमित सशस्त्र पुलिस मैन होने चाहिए।

**दीर्घ अवधि**

(10) सरिस्का बाघ रिजर्व के प्रशासन को युवा फील्ड स्टाफ भर्ती करके और स्टाफ को प्रवर्तन कार्य कलापों में प्रशिक्षित करके सुधारा जाए।

(11) बाघ रिजर्व के 50% से भी अधिक कर्मचारी कार्य प्रभार कर्मचारी हैं जिन्हें मूलत: वृक्षारोपण के लिए दिहाड़ी मजदूरों के रूप में भर्ती किया गया है। बाघ रिजर्व के नियमित कर्मचारियों की संख्या और अधिक संख्या में वन गार्डों की भर्ती करके बढ़ाया जाए ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच हो सके और साथ ही निरन्तर मानव हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रभावी चौकसी बनी रहे।

(12) पर्यटकों की संख्या और वाहन ट्रैफिक को नियंत्रित और नियमित किए जाने की आवश्यकता है। निदेशक, बाघ परियोजना के दिनांक 9.4.2003 के पत्र के तहत पहले ही खुली जीपों और छोटे वाहनों के स्थान पर मध्यम आकार की बंद और खुलने वाली खिड़कियों वाली बसों का यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

(13) राज्य राजमार्ग सं. 13 पर बढ़ते वाहन ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से निर्मित बाय-पास के प्रयोग के संबंध में अनुकूल न्यायिक आदेश प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

(14) राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के भीतर गांवों को पुन: स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना जबकि पुन:स्थापित ग्रामवालों को मूल निवास स्थान क्षेत्रों में वापिस आने से रोकना चाहिए।

(15) सरिस्का में बाघों की संख्या न होने और किसी अन्य बाघ पर्यावास के साथ सम्पर्क के अभाव में बाघों को पुन: स्थापित करने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर सुझाए गए लघु अवधि उपायों के कार्यान्वयन के बाद बाघों को वहां पुन: रखने का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए जिसे वैज्ञानिक निकाय की निगरानी में निष्पादित किया जाना चाहिए।

(16) एस आई टी ने यह पाया कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक निगरानी कार्यक्रम नहीं है जिसके कारण उद्यान प्राधिकरण कम होती हुई संख्या पर नजर रख सकती है। अत: यह सिफारिश की जाती है कि वासस्थलों, शिकार और जीवभक्षी पशुओं के संबंध में वैज्ञानिक निगरानी प्रोटोकोल को लागू किया जाना चाहिए। उद्यान प्रबंधन के रिकार्ड किए गए सभी आंकड़ों का कम से कम द्विमासिक आधार पर आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए।

**प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का उल्लंघन**

5449. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
**श्री गुरूदास दासगुप्त:**
**श्री अविनाश राय खन्ना:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितनी गरीब महिला कर्मकार हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर असंगठित क्षेत्र में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उल्लंघन की अनगिनत शिकायतें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) वर्ष 2001 में भारत की जनगणना के अनुसार कुल 127220248 महिला कामगारों में से 72857170 मुख्य महिला कामगार हैं और 54363078 सीमांत महिला कामगार हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) से (घ) असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला कामगार और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले अधिकतर महिला कामगार राज्य क्षेत्र में आती हैं अत: राज्य सरकारें इस प्रकार की शिकायतों पर अपने स्तर पर कार्रवाई करती हैं।

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कुल कामगार | मुख्य कामगार | सीमांत कामगार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | 1073874 | 381710 | 692164 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 1305803 | 630521 | 675282 |
| 3. | पंजाब | 2167261 | 1409704 | 757557 |
| 4. | चंडीगढ़ | 56003 | 51939 | 4064 |
| 5. | उत्तरांचल | 1137859 | 683105 | 454754 |
| 6. | हरियाणा | 2661940 | 1308320 | 1353620 |
| 7. | दिल्ली | 585133 | 523171 | 61962 |
| 8. | राजस्थान | 9070853 | 4595570 | 4475283 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 13002266 | 4999389 | 8002877 |
| 10. | बिहार | 7491603 | 35418571 | 3949746 |
| 11. | सिक्किम | 97327 | 66363 | 30964 |
| 12. | अरूणाचल प्रदेश | 189290 | 147623 | 41667 |
| 13. | नागालैंड | 358828 | 279166 | 79662 |
| 14. | मणिपुर | 417997 | 229137 | 188860 |
| 15. | मिजोरम | 204151 | 137022 | 67129 |
| 16. | त्रिपुरा | 328215 | 170238 | 157977 |
| 17. | मेघालय | 401655 | 271317 | 130338 |
| 18. | असम | 2667631 | 1265065 | 1402566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | पश्चिम बंगाल | 7093646 | 3528612 | 3565034 |
| 20. | झारखंड | 3449174 | 1312715 | 2136459 |
| 21. | उड़ीसा | 4474482 | 1584529 | 2889953 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 4148012 | 2311660 | 1836352 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 9599151 | 5046293 | 4552858 |
| 24. | गुजरात | 6778235 | 3544508 | 3233727 |
| 25. | दमन और दीव | 12222 | 8648 | 3574 |
| 26. | दादर और नागर हवेली | 38287 | 25028 | 13259 |
| 27. | महाराष्ट्र | 14321256 | 10331758 | 3989498 |
| 28. | आन्ध्र प्रदेश | 13231667 | 9585381 | 3646286 |
| 29. | कर्नाटक | 8299436 | 5467914 | 2831522 |
| 30. | गोवा | 147637 | 98312 | 49325 |
| 31. | लक्षद्वीप | 2150 | 1422 | 728 |
| 32. | केरल | 2518242 | 1776280 | 741962 |
| 33. | तमिलनाडु | 9777885 | 7454473 | 2323412 |
| 34. | पांडिचेरी | 83985 | 72162 | 11823 |
| 35. | अंडमान और निकोबार | 27092 | 16258 | 108834 |

**सरसों का उत्पादन**

**5450. योगी आदित्यनाथ:**
**श्री राजनरायन बुधौलिया:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरसों का वर्षवार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में सरसों का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान रेपसीड/सरसों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

(उत्पादन: लाख मी. टन)

| फसल | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| रेपसीड/सरसों | 50.83 | 38.80 | 61.98 |

(ख) सरसों की मांग का अलग-अलग आकलन नहीं किया गया है। बहरहाल, समग्र रूप से तिलहन की मांग इसके उत्पादन से अधिक है। खाद्य तेलों की मांग तथा इनके घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर की पूर्ति आयात से की जाती है।

(ग) और (घ) सरसों सहित तिलहन के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए तिलहन की खेती वाले 14 प्रमुख राज्यों में भारत सरकार द्वारा "तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का

संबंधी समेकित स्कीम'' (आईसोपाम) कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशियों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टिरिया, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव यंत्रों तथा जल वाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रखण्ड प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, राज्यों को अपने वित्तीय आबंटन के 10% तक कोई नया उपाय अथवा कोई विशेष घटक लागू करने तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन अर्थात बीज उत्पादन, आदानों की आपूर्ति, विस्तार सहायता, ब्लाक एवं फ्रंट लाइन प्रदर्शनों में 15% की वित्तीय सीमा तक निजी क्षेत्र को भी सहभागी बनाने की सुविधा प्रदान की गई है।

रेपसीड/सरसों बीज सहित तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अन्य फसलों खास तौर से अनाज की तुलना में तिलहन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

*[अनुवाद]*

## उर्वरकों पर राजसहायता

**5451. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक राजसहायताओं को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान):** (क) और (ख) उर्वरकों से संबंधित राजसहायता को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन इकाई विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर यूरिया इकाइयों के लिए दिनांक 1-4-2003 से नई मूल्य निर्धारण योजना लागू की गई थी। नई मूल्य निर्धारण योजना का उद्देश्य यूरिया इकाइयों को राजसहायता प्रदान करने में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और कार्यक्षमता लाना तथा उन्हें लागत में कमी करने वाले उपायों को स्वयं अपनाने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करना है।

## तिलहन उत्पादन हेतु सहायता

**5452. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ग) क्या इस योजना में राज्यों के सभी जिले सम्मिलित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) देश में तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा था। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का विलय अब केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम (आइसोपाम)'' में कर दिया गया है और इसका कार्यान्वयन वर्ष 2004-05 से आंध्र प्रदेश सहित तिलहन की खेती वाले 14 प्रमुख राज्यों में किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टिरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव यंत्रों एवं जल वाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता दी जाती है। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रखण्ड प्रदर्शन एवं समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रदत्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

देश में वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान तिलहन उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा तिलहन उत्पादन की क्षमता वाले जिलों में किया जाता है।

*विवरण I*

*तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता*

(लाख रुपए में)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 928.75 | 760.00 | 1218.00 |
| बिहार | – | – | 28.00 |
| छत्तीसगढ़ | 157.00 | 70.00 | 46.00 |
| गोवा | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| गुजरात | 850.00 | 615.00 | 732.00 |
| हरियाणा | 183.00 | 130.00 | 178.00 |
| हिमाचल प्रदेश | – | 15.05 | 10.00 |
| जम्मू व कश्मीर | – | 5.00 | 12.00 |
| झारखंड | 30.00 | 5.00 | 9.00 |
| कर्नाटक | 535.00 | 456.95 | 522.00 |
| केरल | 35.00 | 25.00 | 9.00 |
| मध्य प्रदेश | 1207.00 | 675.00 | 1060.00 |
| महाराष्ट्र | 825.00 | 575.00 | 642.00 |
| उड़ीसा | 131.25 | 25.00 | 205.00 |
| पंजाब | – | – | 30.00 |
| राजस्थान | 910.00 | 315.00 | 369.00 |
| तमिलनाडु | 470.00 | 420.00 | 347.00 |
| उत्तर प्रदेश | 100.00 | 100.00 | 297.00 |
| उत्तरांचल | 50.00 | 25.00 | 18.00 |
| पश्चिम बंगाल | 190.00 | 95.00 | 130.00 |
| अरूणाचल प्रदेश | – | 15.00 | 21.00 |
| असम | 150.00 | 110.00 | 104.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मणिपुर | 56.00 | 72.00 | 72.00 |
| मेघालय | – | 24.00 | 24.00 |
| मिजोरम | 190.00 | 79.00 | 79.00 |
| नागालैंड | 136.00 | 90.00 | 90.00 |
| त्रिपुरा | 115.00 | 60.00 | 60.00 |
| सिक्किम | 69.00 | 50.00 | 50.00 |
| कुल | 7323.00 | 5315.00 | 6866.00 |

*विवरण II*

*वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान तिलहन फसलों का राज्यवार उत्पादन*

उत्पादन (लाख मी. टन में)

| राज्य | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 16.14 | 12.56 | 16.15 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| असम | 1.56 | 1.49 | 1.58 |
| बिहार | 1.20 | 1.04 | 1.25 |
| छत्तीसगढ़ | 1.12 | 1.01 | 1.19 |
| गोवा | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| गुजरात | 36.35 | 16.83 | 56.65 |
| हरियाणा | 8.07 | 7.12 | 9.90 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| जम्मू व कश्मीर | 0.42 | 0.27 | 0.41 |
| झारखंड | 0.28 | 0.08 | 0.08 |
| कर्नाटक | 10.20 | 10.74 | 10.39 |
| केरल | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| मध्य प्रदेश | 45.68 | 31.44 | 55.86 |
| महाराष्ट्र | 22.26 | 23.56 | 29.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मणिपुर | – | 0.01 | 0.01 |
| मेघालय | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| मिजोरम | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| नागालैंड | 0.53 | 0.74 | 0.50 |
| उड़ीसा | 1.37 | 0.94 | 1.57 |
| पंजाब | 0.83 | 0.91 | 1.02 |
| राजस्थान | 31.29 | 17.55 | 39.95 |
| सिक्किम | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| तमिलनाडु | 13.13 | 7.60 | 10.00 |
| त्रिपुरा | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| उत्तर प्रदेश | 10.34 | 8.81 | 9.28 |
| उत्तरांचल | 0.18 | 0.23 | 0.34 |
| पश्चिम बंगाल | 4.95 | 4.76 | 6.51 |
| दादर नगर हवेली | 0.03 | 0.01 | – |
| दिल्ली | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| पांडिचेरी | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| अखिल भारत | 206.62 | 148.38 | 252.90 |

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन देने हेतु नीति**

**5453. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पारिवारिक पेंशन देने हेतु कोई नीति/मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो नीति लागू होने की तिथि दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और ग्रामीण बैंकों के मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मौजूदा नीति की समीक्षा करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) और (ख) सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 जो 16.11.1995 को लागू हुई, के पैरा 16 के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

(ग) जी नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए ग्रामीण बैंकों के

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा मृत कर्मचारियों के सदस्यों को परिवार पेंशन, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रावधान की गयी परिवार पेंशन की धनराशि में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 जैसी परिभाषित अंशदान तथा परिभाषित लाभ योजना में लाभ में कोई बढ़ोत्तरी, योजना की दीर्घावधि तक चलने की क्षमता के बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर ही की जानी चाहिए।

*[हिन्दी]*

## औषधीय पौधों की कृषि

**5454. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोई नए औषधीय पौधे लगाए गए हैं और बीज विकसित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) आगामी वर्षों में औषधीय पौधे की कृषि का विकास करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्वर्शिया चिराता नामक एक नया औषधीय पौधा चिन्हित किया है, जिसके लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है।

(ग) यह मंत्रालय कृषि में बृहद प्रबंधन-कार्य योजना के माध्यम से राज्य प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम आरंभ करने की छूट प्राप्त है, जिसमें औषधीय और सुगंधीदायक पौधों का विकास शामिल है। इसके अलावा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड औषधीय पौधों की गुणवत्ता प्राप्त रोपण सामग्री के उत्पादन तथा आपूर्ति, क्षेत्र विस्तार, मूल्यवर्धन और अनुबन्धित खेती के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

*[अनुवाद]*

## जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास

**5455. श्री मदन लाल शर्मा:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) जी, हां। जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन का संवर्धन करना केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का प्रयास है। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के लिए एक विशेष पुनर्निर्माण योजना तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) पूरे राज्य में 50 पर्यटक गांवों की स्थापना करना।

(2) पटनीटाप, भादेरवाह, किश्तवार, पूंछ, राजौरी, लखनपुर-सरथाल, पहलगाम, गुलमर्ग, कोकेरनाग, सोनामार्ग, लेह और कारगिल में 12 पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए वित्तीय सहायता देना।

(3) लखनपुर-बसोली-बनी-भादेरवाह-किश्तवार-सिनथान-श्रीनगर को कवर करते हुए एक नए पर्यटक परिपथ की स्थापना करना।

(4) बिक्री-सह-अध्ययन टूअरों के लिए समर्थन के रूप में विपणन के लिए यात्रा अभिकर्ताओं को सहायता देना तथा विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, ब्रोशरों का मुद्रण करना, विदेशों में सम्मेलनों/प्रस्तुतियों का आयोजन करना, व्यापार मेलों आदि में भागीदारी करना, और वर्तमान केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत संयुक्त विज्ञापन देना।

(5) होटल प्रबंध संस्थान, श्रीनगर के माध्यम से पर्यटन उद्योग कार्मिकों को, उनकी क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

(6) पर्यटन उद्योग में रोजगार/स्व-रोजगार के लिए होटल प्रबंध संस्थान, श्रीनगर द्वारा प्रदत्त एक-वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से युवाओं की दक्षता का विकास करना।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्ताव अनुमानित खर्च, परस्पर

प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

**लघु वन**

**5456. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में लघु वनों की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीना ):** (क) यह मंत्रालय देश में लघु वनों की योजना नहीं बना रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**दवाइयों का आयात**

**5457. श्री मुनव्वर हसन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दवाइयों और उन पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान दवाइयों के आयात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) से (घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान औषधीय एवं भेषज उत्पादों का आयात निम्नानुसार रहा है:

| वर्ष | औषधीय एवं भेषज उत्पादों का आयात (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2002-03 | 2865.20 |
| 2003-04 | 2955.63 (अनंतिम) |
| 2004-05 | यह सूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। |

चूंकि वर्ष 2004-05 के लिए आयात आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि वर्ष 2004-05 के दौरान आयात में कमी रही या नहीं। देश अधिकांश औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आयात, देश में उत्पादन की कमी से संबद्ध नहीं है क्योंकि विनिर्माताओं द्वारा आयात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती औषधियों की उपलब्धता सहित विभिन्न कारणों से विदेशों में स्थित मुख्य कंपनियों से प्राप्ति आदि से संबद्ध होते हैं।

*[अनुवाद]*

**गोदामों और शीतागारों का निर्माण**

**5458. श्री रूपचन्द्र मुर्मू:**
**श्री तापिर गाव:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भंडारण गोदामों और शीतागारों के निर्माण हेतु निजी पार्टियों को कोई अतिरिक्त रियायतें दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में राज्यवार कितने शीतागार स्थापित किए गए और उनकी क्षमता कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में शीतागारों की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर अरूणाचल प्रदेश में और अधिक शीतागार स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) जी, हां।

(ख) सरकार भण्डारण गोदामों और शीतागारों के निर्माण की दो स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, जिनके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों को और परियोजना के स्थान पर निर्भर करते हुए परियोजना की पूंजीगत लागत के 15% से 33.33% की दर पर राजसहायता दी जाती है। किसी शीतागार परियोजना के लिए उपलब्ध अधिकतम राजसहायता सामान्य श्रेणी के लिए 50 लाख रुपए और

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 60 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ग्रामीण गोदामों के मामले में, किसी परियोजना के लिए उपलब्ध अधिकतम राजसहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए 50 लाख रुपए; किसानों, कृषि स्नातकों, राज्य भाण्डागार निगमों के लिए 37.50 लाख रुपए; और कंपनियों तथा निगमों के लिए 22.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ये दोनों स्कीमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) स्वीकृत शीतागारों/परियोजनाओं की संख्या कुल सृजित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सहायता/राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। देश में कहीं भी शीतागार परियोजनाएं शुरू करने के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं। निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है। वर्ष 2005-06 के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 26.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

(ङ) से (छ) चूंकि यह स्कीम मांग/उद्यमी चालित है, सरकार शीतागारों का सीधा निर्माण/स्थापना नहीं करती। यदि अरूणाचल प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर इस स्कीम के स्वीकृत प्रचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर राजसहायता स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में 4000 टन क्षमता वाले एक शीतागार के निर्माण के लिए 53.33 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है।

***विवरण I***

*31-12-2004 की स्थिति अनुसार शीतागारों का क्षेत्रवार वितरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | निजी क्षेत्र | | सहकारी क्षेत्र | | सार्वजनिक क्षेत्र | | कुल सं. | कुल क्षमता मी. टन में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सं. | क्षमता | सं. | क्षमता | सं. | क्षमता | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी) | 01 | 170 | 00 | 00 | 01 | 40 | 02 | 210 |
| 2. | आंध्र प्रदेश* | 213 | 556147 | 13 | 9270 | 08 | 1190 | 234 | 566607 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 01 | 5000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 5000 |
| 4. | असम | 18 | 68796 | 02 | 6000 | 54 | 1120 | 24 | 75916 |
| 5. | बिहार | 220 | 833382 | 18 | 77200 | 00 | 00 | 238 | 910582 |
| 6. | चंडीगढ़ | 05 | 11216 | 01 | 1000 | 00 | 00 | 06 | 12216 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 66 | 360974 | 01 | 29 | 01 | 41 | 68 | 361044 |
| 8. | दिल्ली | 74 | 103180 | 02 | 5201 | 16 | 17680 | 92 | 126061 |
| 9. | गुजरात* | 324 | 845581 | 19 | 21543 | 08 | 7739 | 351 | 874863 |
| 10. | गोवा | 24 | 5875 | 00 | 00 | 00 | 00 | 24 | 5875 |
| 11. | हरियाणा | 227 | 365291 | 04 | 3403 | 06 | 11399 | 237 | 380093 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 08 | 11413 | 02 | 767 | 07 | 6195 | 17 | 18375 |
| 13. | जम्मू व कश्मीर | 15 | 40689 | 03 | 2134 | 01 | 46 | 19 | 42869 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | झारखण्ड | 17 | 53210 | 08 | 27415 | 00 | 00 | 25 | 80625 |
| 15. | केरल | 135 | 27450 | 06 | 1080 | 09 | 1540 | 150 | 30070 |
| 16. | कर्नाटक | 79 | 122566 | 18 | 6689 | 17 | 9594 | 114 | 138849 |
| 17. | लक्षद्वीप (यूटी)* | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 36 | 01 | 36 |
| 18. | महाराष्ट्र | 343 | 420270 | 53 | 19839 | 29 | 7851 | 425 | 447960 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 143 | 631430 | 19 | 98848 | 05 | 2434 | 167 | 732712 |
| 20. | मणिपुर | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 21. | मेघालय | 01 | 1200 | 00 | 00 | 02 | 2000 | 03 | 3200 |
| 22. | मिजोरम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 23. | नागालैंड | 01 | 5000 | 01 | 1150 | 00 | 00 | 02 | 6150 |
| 24. | उड़ीसा | 80 | 223135 | 24 | 51040 | 00 | 00 | 104 | 274175 |
| 25. | पांडिचेरी (यूटी)* | 02 | 115 | 01 | 50 | 02 | 35 | 05 | 200 |
| 26. | पंजाब | 364 | 1192593 | 18 | 39092 | 00 | 00 | 382 | 1231685 |
| 27. | राजस्थान | 83 | 268776 | 09 | 3832 | 01 | 14 | 93 | 272622 |
| 28. | सिक्किम | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 29. | तमिलनाडु | 96 | 149448 | 13 | 7462 | 04 | 4162 | 113 | 161072 |
| 30. | त्रिपुरा | 02 | 7750 | 01 | 5000 | 05 | 5700 | 08 | 18450 |
| 31. | यूपी व उत्तरांचल | 1320 | 7933688 | 87 | 281480 | 03 | 8000 | 1410 | 8258813 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 317 | 4105177 | 69 | 297800 | 00 | 00 | 386 | 4402977 |
| | कुल | 4179 | 18349522 | 392 | 967324 | 180 | 86816 | 4701 | 19439307 |

*31.12.2003 की स्थिति के अनुसार

*विवरण II*

*वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 'बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों के भण्डारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण की पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम'' के अंतर्गत स्वीकृत शीतागार परियोजनाओं की स्थिति*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | परियोजनाओं की संख्या | क्षमता (मी. टन) | पात्र राजसहायता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पंजाब | 34 | 82004.98 | 674.91 |
| 2. | हरियाणा | 15 | 34480.41 | 284.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | तमिलनाडु | 12 | 40058.40 | 371.06 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 600.00 | 3.49 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 319 | 1750546.63 | 9361.84 |
| 6. | महाराष्ट्र | 124 | 147274.12 | 1222.08 |
| 7. | राजस्थान | 16 | 47342.00 | 402.26 |
| 8. | कर्नाटक | 9 | 32752.00 | 320.41 |
| 9. | गुजरात | 158 | 175377.90 | 1027.08 |
| 10. | उड़ीसा | 9 | 47690.00 | 431.23 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 25 | 84470.14 | 497.88 |
| 12. | छत्तीसगढ़ | 9 | 51189.00 | 363.57 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 22 | 88182.00 | 799.30 |
| 14. | आंध्र प्रदेश | 11 | 44707.00 | 240.55 |
| 15. | असम | 4 | 16360.00 | 194.45 |
| 16. | बिहार | 46 | 178376.82 | 1243.15 |
| 17. | झारखण्ड | 14 | 57947.00 | 453.70 |
| 18. | त्रिपुरा | 1 | 5000.00 | 60.00 |
| 19. | दिल्ली | 2 | 1530.00 | 6.33 |
| 20. | नागालैंड | 1 | 5000.00 | 60.00 |
| 21. | गोवा | 1 | 3633.00 | 36.33 |
| 22. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 4000.00 | 53.33 |
| | कुल | 834 | 2898521.00 | 18107.03 |

*[हिन्दी]*

**उद्योगों को वानिकी नियमों में छूट**

**5459. श्री वी.के. ठुम्मर:**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय उद्योगों को वनों से संबंधित नियमों में कोई छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में गुजरात सहित देश में ऐसी छूट प्रदान किये जाने वाले उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी छूट प्रदान करने के बाद इस संबंध में कोई पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी उद्योग को वन संबंधी कानूनों के अन्तर्गत ऐसी कोई छूट नहीं दी गई।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**कृषि नीति की पुनरीक्षा**

**5460. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समृद्ध किसानों को फायदा पहुंचाने वाले खाद्यान्नों के पक्ष में नीति में भारी पक्षपात को दूर करने के लिए कृषि नीति की पुनरीक्षा तथा संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) नई या विचारार्थ नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) मौजूदा कृषि नीति में कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल तथा अनुवांशिक विरासत के तकनीकी रूप से सुदृढ़, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण की दृष्टि से गैर अवक्रमणीय तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपयोग को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस नीति में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण खाद्यान्न की बढ़ती मांग एवं कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार के लिए कच्चे माल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फसलों की उत्पादकता व उत्पादन में भी वृद्धि करने का प्रावधान है। तथापि, इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि की क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए कृषि-शस्य, जलवायु तथा पर्यावरण से संबंधित स्थितियों पर समुचित ध्यान देकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए भिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा खाद्यान्न की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए इसमें वर्षा सिंचित तथा सिंचित बागवानी, पुष्पकृषि, कन्द एवं मूल, रोपण फसलों, सुगंधित तथा औषधीय पौधों, मधुमक्खी पालन व रेशम कीट पालन के विकास पर भी बल दिया गया है।

उपर्युक्त नीति के उद्देश्यों के अनुसरण में सरकार ने पारम्परिक खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ तिलहन, दलहन आदि की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की है। इसमें समृद्ध किसानों के पक्ष में कोई पक्षपात नहीं है।

**कृषि अनुसंधान में गैर-सरकारी संगठन**

**5461. श्री पी. करूणाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कुछ गैर-सरकारी संगठन कृषि अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) बयासी गैर-सरकारी संगठन (आन्ध्र प्रदेश-8, असम-4, गुजरात-4, हरियाणा-2, जम्मू व कश्मीर-1, झारखंड-4, कर्नाटक-5, केरल-9, महाराष्ट्र-19, मणिपुर-2, राजस्थान-5, तमिलनाडु-9, त्रिपुरा-1, उत्तर प्रदेश-6, पश्चिम बंगाल-3) किसानों के लिए उन्नत फार्म प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सात गैर-सरकारी संगठन 16 लघु अवधि की तदर्थ/अखिल भारतीय समन्वित/सर्वेक्षण/संरक्षण अनुसंधान परियोजनाओं का निष्पादन कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**जल संसाधनों को बढ़ावा**

**5462. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय तथा सूखा संभावित क्षेत्रों में जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए नई योजना क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) चला रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (घ) पूरा होने वाली वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ

किया गया था। वर्ष 1999-2000 से एआईबीपी के अंतर्गत दी जाने वाली सीएलए पूर्वोत्तर एवं सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के पहाड़ी राज्यों तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों सहित विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों के लिए भी दी जाती है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 70% ऋण और 30% अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10% ऋण और 90% अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2004 से एआईबीपी में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने 16 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ एआईबीपी के अंतर्गत जनजातीय एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले सामान्य श्रेणी राज्यों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों को शामिल करने के लिए अनुमोदित कर दिया है।

*[अनुवाद]*

## लघु उद्वह सिंचाई योजना

**5463. श्री ए.वी. वेल्लारमिन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश में लघु उद्वह सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान इन योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) क्या इन योजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय सिंचाई परिषदों को शामिल करते हुए सीधे केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) मिनी लिफ्ट सिंचाई सहित लघु सिंचाई स्कीम राज्य सरकारों द्वारा अपने ही बजट के संसाधनों से तैयार, वित्तपोषित और कार्यान्वित की जाती है। तथापि, भारत सरकार भी उनके प्रयासों में सहयोग दे रही है। मिनी लिफ्ट सिंचाई सहित लघु सिंचाई के विकास के लिए वर्ष 2005-06 हेतु राज्य क्षेत्र के तहत अनुमोदित राज्यवार परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा के के.बी.के. जिलों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तरांचल में लघु सिंचाई विकास में तेजी लाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्र सरकार की "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" (ए.आई.बी.पी.) के तहत केंद्रीय ऋण सहायता प्रदान की जाती है, ताकि लिफ्ट सिंचाई सहित लघु सिंचाई स्कीम के जरिए जल संसाधन को प्रयोग में लाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा सके।

इसके अलावा, भारत सरकार वर्ष 2002-03 से उत्तर प्रदेश (पूर्वी), बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में "पूर्वोत्तर भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन" नामक एक स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से बैंकों के जरिए कृषि का ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंक बैक एंडेड राजसहायता आधार के रूप में यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के तहत उथले ट्यूबवेलों, जो लिफ्ट सिंचाई प्वाइंटों, पंपिंग सेटों और खुदे कुओं के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2005-06 के लिए 25 करोड़ रुपये का आबंटन प्रदान किया गया है।

***विवरण***

*वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लघु सिंचाई के लिए स्वीकृत परिव्यय*

| क्र.सं. | राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम | परिव्यय (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | * |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | * |
| 3. | असम | * |
| 4. | बिहार | * |
| 5. | छत्तीसगढ़ | * |
| 6. | गोवा | * |
| 7. | गुजरात | 208.72 |
| 8. | हरियाणा | * |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | * |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | * |
| 11. | झारखण्ड | 70.00 |
| 12. | कर्नाटक | * |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | केरल | * |
| 14. | मध्य प्रदेश | 255.31 |
| 15. | महाराष्ट्र | 249.45 |
| 16. | मणिपुर | * |
| 17. | मेघालय | * |
| 18. | मिजोरम | * |
| 19. | नागालैंड | * |
| 20. | उड़ीसा | 46.29 |
| 21. | पंजाब | * |
| 22. | राजस्थान | * |
| 23. | सिक्किम | * |
| 24. | तमिलनाडु | * |
| 25. | त्रिपुरा | * |
| 26. | उत्तर प्रदेश | * |
| 27. | उत्तरांचल | * |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 48.08 |
| 29. | चंडीगढ़ | 4.35 |
| 30. | दादर व नगर हवेली | 0.78 |
| 31. | दमन व दीव | 0.14 |

*अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

**पानी ले जाने पर रिपोर्ट**

**5464. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को दावनगेरे, जगालूर तथा हारापनाहल्ली क्षेत्रों में पानी की समस्या के समाधान के लिए इन क्षेत्रों में लघु सिंचाई टैकों को भरने के लिए हरिहर तालुक में राजनहल्ली के पास तुंगभद्रा नदी से पानी ले जाने पर प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावित लागत कितनी है; और

(ग) राज्य सरकार को धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी तथा इसे पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गयी हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देवांगेर, जगालुर तथा हरपनहल्ली में लघु सिंचाई टैंकों को भरने के लिए हरिहर तालुक में राजनहल्ली के निकट तुंगभद्रा नदी से जल निकालने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**टाईगर रिजर्वों के चारों ओर बाड़ लगाना**

**5465. श्री के.सी. सिंह "बाबा":** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 50 प्रतिशत से अधिक वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के बाहर पाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के बाहर पाए जाने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रोजेक्ट टाईगर स्कीम के तहत जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व सहित कतिपय टाईगर रिजर्व अलग-थलग नहीं है तथा आरक्षित क्षेत्रों से बाघ बाहर निकल जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा बाघों को आरक्षित क्षेत्रों से बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा टाईगर रिजर्वों के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) जी हां।

(ख) संरक्षित क्षेत्रों के अलावा नियमित वनों की कार्ययोजनाओं में ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश हैं।

(ग) तराई क्षेत्रों में कार्बेट बाघ रिजर्व और संलग्न वन क्षेत्रों के बीच अच्छा सम्पर्क मार्ग है। तथापि बाघ रिजर्वों और संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास कुछ क्षेत्रों में, जहां वन्य प्राणी घूमते हैं, पर्यावास विखंडन देखा जा सकता है।

(घ) यह न तो वांछनीय है न ही सम्भव कि बाघ रिजर्व अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघों के आने जाने पर रोक लगा दी जाए चूंकि ऐसा जीन प्रवाह के लिए आवश्यक भी है। तथापि संरक्षित क्षेत्र/बाघ रिजर्वों और अन्य वनों के आस-पास वन्य प्राणियों की बढ़ी संख्या के लिए जन समर्थन प्राप्त करके प्रतिपूरक पर्यावास और संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए पारि-विकास के साथ ही साथ संयुक्त वन प्रबंध किया जा रहा है।

बाघ रिजर्वों में बाड़ लगाने के लिए राज्यों को कोई विशेष निधीयन सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि बाघ परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

*विवरण*

*वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान बाघ परियोजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता*

**राज्यवार जारी धनराशि**

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | बाघ रिजर्व रेंज राज्य का नाम | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21.10 | 22.89 | 15.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 35.875 | 68.75 | 35.00 |
| 3. | असम | 65.70 | 75.00 | – |
| 4. | बिहार | 25.00 | 50.00 | 85.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 32.48 | 80.25 | 27.75 |
| 6. | कर्नाटक | 289.56 | 269.32 | 486.292 |
| 7. | केरल | 63.75 | 120.68 | 105.75 |
| 8. | झारखण्ड | 18.00 | 35.9915 | 72.5005 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 786.44 | 1103.414 | 582.43 |
| 10. | महाराष्ट्र | 621.79 | 228.45 | 323.013 |
| 11. | मिजोरम | 98.32 | 67.56 | 119.69 |
| 12. | उड़ीसा | 32.88 | 151.91 | 116.4395 |
| 13. | राजस्थान | 294.92 | 158.330 | 75.00 |
| 14. | तमिलनाडु | 125.00 | 35.00 | 80.00 |
| 15. | उत्तरांचल | 168.00 | 200.91 | 200.12 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 32.75 | 173.585 | 175.215 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 168.33 | 225.17 | 325.49 |
| | कुल | 2979.895 | 3067.2105 | 2824.69 |

**आर.ए.एम.एस.ए.आर. स्थल**

**5466. प्रो. चन्द्र कुमार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में आर ए एम एस ए आर (अंतर्राष्ट्रीय नमभूमि स्थल) स्थलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या आर ए एम एस ए आर स्थलों को सुधारने के लिए कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थलों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीना ):** (क) भारत में इस समय 19 अदद रामसर स्थल (अंतरराष्ट्रीय नमभूमि स्थल) है। इसमें तीन स्थल पंजाब से, तीन केरल से, दो जम्मू एवं कश्मीर से, दो उड़ीसा से, दो राजस्थान से, एक मणिपुर से, एक हिमाचल प्रदेश से, एक पश्चिम बंगाल से, एक तमिलनाडु से, एक असम से, एक आन्ध्र प्रदेश से और एक मध्य प्रदेश से शामिल है।

(ख) और (ग) इन रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए विभिन्न राज्य सरकार के नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अब तक 3351 लाख रुपये की राशि जारी की गई है:

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | अब तक जारी की गई धनराशि (लाख रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | पंजाब | 355.79 |
| 2. | केरल | 109.60 |
| 3. | जम्मू एवं कश्मीर | 311.43 |
| 4. | उड़ीसा | 732.37 |
| 5. | राजस्थान | 368.42 |
| 6. | मणिपुर | 707.82 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 170.95 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 9.50 |
| 9. | तमिलनाडु | 108.88 |
| 10. | असम | 229.58 |
| 11. | आन्ध्र प्रदेश | 40.20 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 206.31 |
| | कुल | 3351.00 |

**रेल दुर्घटनाओं में बाघों की मृत्यु**

**5467. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिससे रेल लाइन गुजरती है में बाघ का आसान शिकार बन गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इसमें रेल दुर्घटनाओं में मारे गए बाघों सहित कुल कितने बाघ मारे गए; और

(ग) प्रोजेक्ट टाईगर के शुरू होने के बाद उक्त उद्यान में बाघों की संख्या किस सीमा तक घटी है तथा बाघों को अवैध शिकारियों/अन्य दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एवं संकट में पड़ी प्रजाति के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीना ):** (क) उत्तर प्रदेश का करनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य, जो दुधवा बाघ रिजर्व का हिस्सा है, में रेल दुर्घटना के कारण 22.3.2005 को बाघिन के मारे जाने की घटना के बारे में सूचना मिली है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटना के कारण मारे गए बाघों सहित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में मारे गए बाघों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) दुधवा बाघ रिजर्व में बाघ संख्या की अनुमानित आंकड़े, जब से बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं और बाघों को अवैध शिकार और दुर्घटना से बचाने के लिए किए गए उपाय विवरण III में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*राज्य द्वारा यथासूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान दुधवा बाघ रिजर्व में मारे गए बाघों का विवरण*

| क्र.सं. | वर्ष | मामलों का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2002-03 | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ का सड़ा गला अस्थिपंजर पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि यह प्राकृतिक मृत्यु का मामला है। |
| 2. | 2003-04 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | 2004-05 | 1. दुधवा बाघ रिजर्व के तीन संरक्षित क्षेत्रों में से एक कटरनियाघाट वन्यजीव अभ्यारण में एक बाघिन का अस्थिपंजर 1 फरवरी, 2005 को पाया गया था। |
| | | 2. दुधवा बाघ रिजर्व के तीन संरक्षित क्षेत्रों में से एक कटरनियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य में 22 मार्च, 2005 को एक बाघिन की रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई। |

*विवरण II*

*राज्य द्वारा यथासूचित दुधवा बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या*

| क्र.सं. | रिजर्व का नाम | 1972 | 1979 | 1984 | 1989 | 1993 | 1995 | 1997 | 2001-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दुधवा (उत्तर प्रदेश) | – | – | – | 90 | 94 | 98 | 104 | 76* |
| | कुल | – | – | – | 90 | 94 | 98 | 104 | 76* |

*एकत्र/जांच किए जा रहे हैं।

*विवरण III*

*दुधवा बाघ रिजर्व में बाघों को अवैध शिकारों/अन्य दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उठाए गए कदम*

(1) गश्त, पगमार्क की निगरानी और वायरलैस दूरसंचार के माध्यम से चौकसी।

(2) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अन्तर्गत बाघों के शिकार और वाणिज्यक दोहन सहित वन्यजीवों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।

**बासमती चावल**

**5468. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात में विशेष उपलब्धि हासिल करने तथा देश के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले बासमती चावल की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उत्पादकों/किसानों को क्या प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार बासमती चावल के निर्यात के लिए इसके उत्तम क्वालिटी के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। देश में बासमती चावल सहित चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कृषि के वृहत प्रबंधन मोड के जरिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आई.सी.डी.पी.-चावल) कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरांचल राज्यों में प्रत्येक में एक-एक, तीन कृषि-निर्यात जोनो (ए.ई.जेड.) को अधिसूचित किया गया है।

भौगोलिक रूप से संगत क्षेत्र में उत्पादित उत्पाद के समग्र विकास के लिए कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जैड.) अवधारणा एक समग्रतावादी दृष्टिकोण है। कृषि निर्यात जोन के तहत राज्य सरकार किसानों और कृषि आर्थिक पद्धतियों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करती है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा बताये गये संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा कराये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, किसान कृषि-निर्यात जोन के तहत आदानों के लिए सरल ऋण भी प्राप्त करते हैं। इससे उनको अच्छे गुणवत्ता वाले आदानों के प्रयोग में मदद मिलती है और इस प्रकार, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कृषि-निर्यात जोन अवधारणा के तहत संगत अनुसंधान और विकास पर भी बल दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उत्पाद का समग्र सुधार करना है। अच्छे मूल्यों पर मंडी पहुंच के माध्यम से किसान भी लाभान्वित होते हैं।

**महाराष्ट्र में पर्यटन विकास**

5469. **श्री अनंत गुढे:**
**श्री देविदास पिंगले:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से कितनी सहायता की मांग की गई है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) से (ग) जी नहीं। पर्यटक स्थानों/स्थलों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से देश में पर्यटक रुचि के स्थानों का अभिनिर्धारण करता है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन मंत्रालय प्राथमिकता और धनों की उपलब्धता के आधार पर उनकी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए 16.00 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनायें स्वीकृत की गई थीं।

*[हिन्दी]*

**नदी के किनारों का संरक्षण**

5470. **श्री देविदास पिंगले:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों ने नदी के किनारों का संरक्षण करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को मांगी गई सहायता प्रदान कर दी गई है या किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सहायता कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** (क) जी हां।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**एस.यू.आर.सी.ई.पी.एच. को सहायता**

5471. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के कोडाईकुनाल स्थित सूरियाज रीहबिलिटेशन सेन्टर फार फिजिकली हैण्डीकैप (एस.यू.आर.सी.ई. पी.एच.) ने सरकार से किसी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सेन्टर को कोई सहायता प्रदान कर दी गई है या किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विकलांगों के लिए स्कीमों के अंतर्गत कोड़यकनाल, तमिलनाडु में सूरिया रीहेबिलिटेशन सेन्टर फार फिजिकली हैण्डीकैप से सहायता अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दूध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता**

5472. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान दूध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में डेयरी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) यद्यपि यह राज्य का विषय है, फिर भी पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है:-

(क) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना।

(ख) सघन डेयरी विकास परियोजना (समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम का संशोधित रूप)।

(ग) सहकारिताओं को सहायता।

(घ) पशु रोग नियंत्रण, आदि के लिए राज्यों को सहायता।

(ङ) आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I से IV में दिया गया है। इसके अलावा, विगत वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत में ''डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष'' नामक एक नई योजना शुरू की गई है किन्तु कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। उक्त योजनाओं के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक किसी भी राज्य को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) ''गैर आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीम के तहत उड़ीसा के 13 जिलों में क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार से जनवरी, 2005 में 33.99 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से डेयरी विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि योजना में संशोधन किया जा रहा था और संशोधित योजना मार्च, 2005 में ही स्वीकृत हुई थी। उसके बाद, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह संशोधित योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्ताव को फिर से तैयार करें।

***विवरण I***

*विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत जारी राज्यवार धनराशि*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 934.5700 | 718.1800 | 858.3600 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | | | 151.3000 |
| 3. | असम | | | 129.5000 |
| 4. | बिहार | | | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | | 98.0000 | 100.0000 |
| 6. | गुजरात | | 40.0000 | 279.7000 |
| 7. | गोवा | | 58.7100 | 97.2900 |
| 8. | हरियाणा | | | 454.0000 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 220.0000 | 100.0000 | 270.2000 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | | | 135.9100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | झारखण्ड | | | |
| 12. | कर्नाटक | | 465.0000 | 394.2900 |
| 13. | केरल | 230.0000 | 220.0000 | 801.9490 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 300.0000 | 360.0000 | 661.5400 |
| 15. | महाराष्ट्र | | 860.0000 | |
| 16. | मणिपुर | | 17.3600 | |
| 17. | मेघालय | | 65.6400 | |
| 18. | मिजोरम | 17.9700 | 40.0000 | 71.0000 |
| 19. | नागालैंड | 96.0000 | 182.0000 | 159.6700 |
| 20. | उड़ीसा | 551.6000 | | 485.0000 |
| 21. | पंजाब | 120.8300 | | 111.2700 |
| 22. | राजस्थान | | | |
| 23. | सिक्किम | | | |
| 24. | तमिलनाडु | 570.0000 | | 204.8200 |
| 25. | त्रिपुरा | | 95.0000 | 96.6700 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1063.0000 | | 841.1510 |
| 27. | उत्तरांचल | | 275.0000 | 84.8000 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | | | 353.1000 |
| 29. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | | | |
| 30. | चण्डीगढ़ | | | |
| 31. | दादर एवं नागर हवेली | | | 27.7600 |
| 32. | दिल्ली | | | |
| 33. | लक्षद्वीप | | | |
| 34. | पांडिचेरी | | | 18.1500 |
| 35. | दमन एवं दीव | | | |
| | अन्य | — | | 7.5160 |
| | कुल | 4103.9700 | 3594.8900 | 6794.9460 |

*विवरण II*

*आईडीडीपी के तहत निर्मुक्तियां*

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत का वर्ष | स्वीकृत परिव्यय | राशि निर्मुक्त 2002-03 तक | राशि कुल निर्मुक्त 2003-04 तक | राशि निर्मुक्त 2004-05 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 1995-96 | 239.41 | 25-00 | 22.00 | |
| | सा.प्रा. द्वारा वास्तविक उपयोग | | | | | |
| 2. | आंध्रा-I | 1995-96 | 447.32 | | | |
| | आंध्रा-II | 2000-01 | 934.28 | | 150.0 | |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 1993-94 | 458.50 | | 14.20 | |
| 4. | असम-I | 1994-95 | 1260.76 | | | 110.17 |
| | असम-II | 2004-05 | 588.35 | | | 185.87 |
| 5. | बिहार-I | 1994-95 | 158.61 | | | |
| | बिहार-II | 1995-96 | 364.50 | | 50.25 | |
| | बिहार-III कैमूर | 1997-98 | 67.25 | | | |
| | बिहार-IV मधुबनी | 1997-98 | 66.30 | | | |
| | बिहार-V नालंदा | 2000-01 | 447.73 | 56-711 | 411-75 | |
| | बिहार VI | 2001-02 | 279.78 | | | |
| 6. | झारखण्ड | 1995-96 | 364.50 | 160.00 | 911.111 | |
| 7. | गुजरात | 1993-94 | 679.95 | | | |
| 8. | हरियाणा | 1995-96 | 203.75 | | | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश-I | 1997-98 | 605.95 | 100.00 | 50-75 | |
| | हिमाचल प्रदेश-II | 2004-05 | 699.12 | | | 160.17 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर-जम्मू | 1995-96 | 635.12 | 25.00 | | 148.42 |
| | जम्मू एवं कश्मीर | 1995-96 | 608.17 | 15.00 | | 32.31 |
| 11. | केरल | 2004-05 | 288.15 | | | 57.63 |
| 12. | मध्य प्रदेश I और II | 1993-94 | 494.06 | 989.32 | | |
| | मध्य प्रदेश IV | 1995-96 | 599.85 | | | |
| | मध्य प्रदेश III एवं एम | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | छत्तीसगढ़-I | 1993-94 | 287.00 | 29-52 | | |
| | छत्तीसगढ़-II | 2001-02 | 700.63 | | | |
| | छत्तीसगढ़-III | 2001-02 | 849.16 | | | |
| 14. | महाराष्ट्र-I | 1995-96 | 1985.24 | | | |
| | महाराष्ट्र-II | 1997-98 | 1941.55 | 200.00 | | |
| 15. | मणिपुर | 1993-94 | 224.10 | | | |
| 16. | मेघालय-I | 1994-95 | 141.29 | | | |
| | मेघालय-II | 2000-01 | 472.52 | | | |
| 17. | मिजोरम-I | 1993-94 | 367.99 | | | |
| | मिजोरम-II | 1995-96 | 349.19 | | | |
| | मिजोरम-III | 2001-02 | 199.41 | 72.41 | | 43.54 |
| | मिजोरम-IV | 2004-05 | 254.98 | | | 85.28 |
| 18. | नागालैंड-I | 1993-94 | 668.22 | | | |
| | नागालैंड-II | 1998-99 | 347.49 | | | |
| | नागालैंड-III | 2004-05 | 597.30 | | | 72.59 |
| 19. | उड़ीसा-I | 1993-94 | 631.00 | | | |
| | उड़ीसा-II | 1994-95 | 443.21 | | | |
| | उड़ीसा-III | 1998-99 | 621.84 | 200.00 | 128.01 | |
| | उड़ीसा-IV | 2000-01 | 784.53 | 88.21 | | 167.00 |
| 20. | राजस्थान | 2004-05 | 590.50 | | | 118.10 |
| 21. | सिक्किम-I और II | 1993-94 | 678.47 | | | |
| | सिक्किम-III | 2000-01 | 388.18 | 90.82 | | 51.73 |
| | सिक्किम-IV | 2003-04 | 1007.43 | | 324.10 | |
| 22. | तमिलनाडु-I | 1995-96 | 336.63 | | | |
| | तमिलनाडु-II | 2004-05 | 312.15 | | | 55.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | त्रिपुरा-I | 1993-94 | | | | |
| | त्रिपुरा-II | 1994-95 | | | | |
| 24. | उ.प्र. | 1993-94 | | | | |
| 25. | उत्तरांचल-I | 2002-03 | | | | |
| | उत्तरांचल-II | 2004-05 | | | | |
| 26. | पश्चिम बंगाल-I | 1994-95 | | | | |
| | पश्चिम बंगाल-II | 1998-99 | | | | |
| | पश्चिम बंगाल-III | 2004-05 | | | | |
| | कुल | | | | | |

*विवरण III*

*सहकारिताओं को सहायता नामक योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जारी धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
| 1. | मध्य प्रदेश | 348.41 | – | 191.59 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 20.00 | – | 10.00 |
| 3. | कर्नाटक | 90.00 | – | – |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 351.04 | 46.00 | 443.41 |
| 5. | केरल | 31.10 | – | – |
| 6. | महाराष्ट्र | 159.45 | 25.00 | 30.00 |
| 7. | पश्चिम बंगाल | 75.00 | – | 50.00 |
| 8. | असम | 210.00 | – | – |
| 9. | नागालैंड | 5.24 | – | – |
| 10. | तमिलनाडु | 375.00 | 200.00 | 75.00 |
| 11. | पंजाब | – | – | 181.50 |

चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान सहकारिताओं को सहायता नामक योजना के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

*विवरण IV*

*पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के तहत 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान जारी राज्यवार धनराशि*

| क्र.सं. | राज्यों के नाम/संघ शासित प्रदेश | 2002-03 के दौरान जारी धनराशि | 2003-04 के दौरान जारी धनराशि | 2004-05 के दौरान जारी धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8.84 | 184.00 | 216.12 |
| 2. | बिहार | 6.72 | 253.188 | 0.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 6.00 | 46.33 | 174.50 |
| 4. | गोवा | 19.83 | 8.00 | 24.33 |
| 5. | गुजरात | 44.77 | 246.715 | 439.37 |
| 6. | हरियाणा | 36.96 | 211.247 | 327.86 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 24.50 | 67.16 | 75.60 |
| 8. | जम्मू एवं कश्मीर | 0.00 | 74.55 | 203.20 |
| 9. | झारखण्ड | 5.96 | 141.58 | 6.37 |
| 10. | कर्नाटक | 160.90 | 74.00 | 451.30 |
| 11. | केरल | 362.00 | 80.00 | 0.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 0.00 | 6.00 | 234.15 |
| 13. | महाराष्ट्र | 50.00 | 91.20 | 665.65 |
| 14. | उड़ीसा | 11.00 | 210.25 | 330.00 |
| 15. | पंजाब | 64.91 | 32.00 | 156.05 |
| 16. | राजस्थान | 53.23 | 87.57 | 204.42 |
| 17. | तमिलनाडु | 154.83 | 60.60 | 300.42 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 403.26 | 414.15 | 263.33 |
| 19. | उत्तरांचल | 10.51 | 11.06 | 124.71 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 99.00 | 105.40 | 464.97 |
| 21. | अरूणाचल प्रदेश | 4.40 | -15.00 | 50.40 |
| 22. | असम | 0.00 | 247.24 | 0.00 |
| 23. | मणिपुर | 24.20 | 64.65 | 104.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | मेघालय | 11.47 | 42.10 | 23.34 |
| 25. | मिजोरम | 75.00 | 101.05 | 168.87 |
| 26. | नागालैंड | 0.00 | 176.24 | 315.00 |
| 27. | सिक्किम | 2.00 | 32.09 | 0.00 |
| 28. | त्रिपुरा | 124.33 | 154.23 | 43.33 |
| 29. | दिल्ली रा. राजधानी क्षेत्र | 15.00 | 35.20 | 48.30 |
| 30. | पाण्डिचेरी | 8.00 | 4.00 | 11.70 |
| 31. | अण्ड. व नि. द्वीप समूह | 17.80 | 7.20 | 4.67 |
| 32. | चण्डीगढ़ | 2.00 | 6.00 | 4.10 |
| 33. | दादर एवं नगर हवेली | – | 0.20 | 0.33 |
| 34. | दमन एवं दीव | – | 0.20 | 0.33 |
| 35. | लक्षद्वीप | 6.20 | 3.60 | 13.24 |
| | कुल | 1814.80 | 3327.00 | 5450,08 |

"वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय महत्व के पशुधन रोगों का क्रमिक नियंत्रण, खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशु रोग निगरानी के लिए धनराशि जारी की गई थी।

*विवरण V*

*आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत विगत तीन वर्षों 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार जारी धनराशि*

(कुल लाख रुपए में)

| राज्य | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कर्नाटक | 38.55 | 25.00 | 9.50 |
| मिजोरम | 30.00 | 39.525 | 112.50 |
| महाराष्ट्र | – | 8.44 | 46.525 |
| केरल | – | – | 90.00 |
| नागालैंड | 20.00 | 27.575 | 112.50 |
| उत्तर प्रदेश | – | – | 337.658 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| पंजाब | | 20.00 | – | – |
| हिमाचल प्रदेश | | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| त्रिपुरा | | – | 57.46 | 50.00 |
| सिक्किम | | – | – | 57.65 |
| जम्मू एवं कश्मीर | | 55.50 | – | – |
| अरूणाचल प्रदेश | | – | – | 99.00 |
| राजस्थान | | – | 40.00 | 26.32 |
| छत्तीसगढ़ | | 100.00 | – | – |
| उत्तरांचल | | 76.75 | – | – |
| छत्तीसगढ़ | | – | – | 25.00 |
| झारखण्ड | | – | – | 150.00 |
| असम | | – | – | 68.35 |
| कुल | | 341.80 | 200.00 | 1190.003 |

**नेफेड की बंद पड़ी इकाइयां**

**5473. डा. के. धनराजू:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेफेड ने दिल्ली में तथा देश के कुछ अन्य भागों में अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां बेहतर कार्य कर रही हैं तथा सरकारी इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा नेफेड की बंद पड़ी इकाइयों को कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (ङ) नेफेड ने प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्माण/व्यापार के लिए वर्ष 1977 में दिल्ली में नेफेड प्रसंस्कृत खाद्य यूनिट की स्थापना की थी। इसकी स्थापना से ही इसे हो रहे लगातार और भारी घाटे के कारण, नेफेड के निदेशक मंडल ने दिनांक 15.9.98 को हुई बैठक में नेफेड प्रसंस्कृत खाद्यों के उत्पादन कार्यकलापों को बंद करने और एक आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना द्वारा कार्यबल कम करने का निर्णय लिया। नेफेड ने नेफेड प्रसंस्कृत खाद्य यूनिट के संयंत्र और मशीनरी का निपटान पहले ही कर दिया है और इसके परिसर में मालगोदाम कार्यकलाप शुरू किए हैं। नेफेड बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक शीर्ष स्वायत्त सहकारी संगठन है और इसका बोर्ड घाटे में चल रही यूनिट/यूनिटों को बंद करने, विविधीकृत कार्यकलाप शुरू करने आदि जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। निजी क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के लाभ/घाटे के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

**दक्षिण कोरिया की कंपनी द्वारा उड़ीसा में स्टील संयंत्र की स्थापना**

**5474. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
**श्री गुरूदास दासगुप्त:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी द्वारा भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उड़ीसा में स्टील संयंत्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से उड़ीसा में 12 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक पत्तन आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने में रूचि दर्शाई है। 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के पहले मोड्यूल के 2009 में पूरा होने की उम्मीद है। इसके पश्चात क्षमता में प्रत्येक दो वर्ष में 3 मिलियन टन वार्षिक की वृद्धि की जाएगी ताकि 12 मिलियन टन वार्षिक की पूर्ण क्षमता हासिल की जा सके। दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी के प्रस्ताव के संबंध में उड़ीसा सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

**केरल में वनीला की कीमतों में कमी**

**5475. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में वनीला की कीमतों में कमी केन्द्र सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में वनीला उत्पादकों की सहायता करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) केरल में वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक वैनिला (ग्रीन फ्रूट) के मूल्यों के रूझान का जिलावार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

(रुपये/कि.ग्रा.)

| जिला | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|---|---|
| कोट्टायम | 800 | 1100 | 3650 | 600* |
| इडुक्की | 660 | 1612 | 2900 | 250 |
| पालक्कड | 720 | 1100 | 3500 | 275 |
| कोझीकोड | 600 | 1200 | 3600 | 250 |
| वायनाड | 1000 | 1300 | 3000 | 275 |
| कण्णूर | 650 | 900 | 3000 | 260 |

*नवम्बर, 2004 के बाद वैनिला का मूल्य घटकर 958 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।

(ख) और (ग) सरकार बागवानी जिन्सों, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) स्कीम में कवर नहीं किया गया है, के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) कार्यान्वित करती है। बहुत अधिक फसल होने पर बागवानी जिन्सों की खेती करने वाले किसानों को मजबूरी में अपने उत्पाद की बिक्री में संरक्षण देने के लिए उस राज्य सरकार के अनुरोध पर, जो इस स्कीम के कार्यान्वयन का 50% घाटा (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%), यदि हो, वहन करने के लिए सहमत हो, जिन्स विशेष के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) कार्यान्वित की जाती है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड द्वारा भी वैनिला बीन्स के उपचार, इनके भण्डारण तथा लाभदायक मूल्य पर इनके विपणन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है।

**दुग्ध उत्पादन**

**5476. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुग्ध परिसंघ और अन्य स्रोतों द्वारा देश में प्रतिदिन दुग्ध की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाता है;

(ख) इस समय देश में राज्यवार दुग्ध की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ग) अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों द्वारा अधिक दुग्ध के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में इस प्रकार के अधिक उत्पादन से खराब हो जाने वाले दुग्ध का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) वर्ष 2003-04 के दौरान देश में उत्पादित दूध की कुल अनुमानित मात्रा प्रतिदिन 241 हजार टन है।

(ख) देश में राज्यवार दूध की कुल मात्रा की आवश्यकता के संबंध में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) (1) अधिशेष दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्य अपने अधिशेष दूध को या तो दूध का कम उत्पादन करने वाले राज्यों को देते हैं या फिर उसका दुग्ध उत्पाद बना लेते हैं।

(2) सहकारिता क्षेत्र के लिए उपलब्ध, दुग्ध खरीद तथा बिक्री (तरल दुग्ध) संबंधी आंकड़ों के अनुसार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान आदि जैसे राज्य दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों को भारी मात्रा में राज्य के बाहर भेज रहे हैं।

(घ) अत्यधिक उत्पादन से देश में दूध के बर्बाद होने से संबंधित कोई रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

## जैव-विविधता प्रबन्धन में लिंग आयाम (जेन्डर डायमेंशन)

**5477. श्री पी.सी. थामस:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जैव विविधता प्रबन्धन में लिंग आयाम (जेंडर डायमेंशन) एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदमों या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित जैवविविधता नियम 2004 के नियम 22 में प्रावधान बनाया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करते समय उसमें महिला सदस्यों की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए। वानिकी कार्मिकों के विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में जैवविविधता प्रबंधन में महिलाओं और पुरुषों के लिए निवेश सन्निहित है।

*[हिन्दी]*

## समुद्री प्रदूषण

**5478. श्री सीताराम सिंह:**
**श्री वाई.जी. महाजन:**
**श्री राजनरायन बुधौलिया:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री पानी में अत्यधिक प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में मछलियां मर जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है या कारगर कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## मछुआरों के लिए घरों का निर्माण

**5479. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 2004-05 के दौरान मछुआरों के लिए आदर्श गांवों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बेघर मछुआरों के लिए घरों के निर्माण की योजना जारी रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो बकाया केन्द्रीय सहायता के हिस्से को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) विशेष रूप से केरल सहित राज्यों को बकाया हिस्सा कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां। गृह निर्माण के लिए अधिक सहायता प्रदान करने तथा मछुआरों को पेयजल जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए "आदर्श मछुआरा गांव का विकास" को

एक घटक के रूप में शामिल करके सरकार ने वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना जारी रखी।

(ख) और (ग) मछुआरों घरों के निर्माण के लिए 40,000 रुपए की यूनिट की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन की जाती है। इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता केरल सहित सभी राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किश्तों में जारी की जाती है। 2002-03 में केरल राज्य के लिए 600 लाख रुपए की कुल लागत से 1500 घर स्वीकृत किए गए थे जिसमें 300 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी भी शामिल थी जिसमें से 200 लाख रुपए प्रथम किश्त के रूप में जारी किए गए थे। उसके बाद 50 लाख रुपए 2003-04 में केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किश्त के रूप में जारी किए गए थे। चूंकि राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट 29.3.2005 को भेजी थी, अत: 2004-05 में धन की कमी के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तथापि, 50 लाख रुपए की शेष केन्द्रीय हिस्सेदारी 2005-06 में जारी होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**विशेष कृषि फसल योजना**

**5480. श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपायों के एक भाग के रूप में फूलों, फलों, सब्जियों तथा छोटे वन उत्पादों के अतिरिक्त मुर्गी पालन तथा दुग्ध उत्पादों को विशेष कृषि फसल योजना में शामिल करके इसे आगे बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष व्यापार नियमों के अंतर्गत आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी है; और

(घ) निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए नए पैकेजों के सरलीकरण तथा उन्नत लाइसेंसिंग योजना के लिए क्या सुझाव/उपाय करने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को जारी एवं दिनांक 1.4.2005 से अद्यतित विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट में "डेयरी, कुक्कुट एवं उनके मूल्य वर्धित उत्पादों" के निर्यात को भी "विशेष कृषि उपज योजना (स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम)" के अंतर्गत लाभार्थ शामिल कर दिया गया है।

(ग) प्रक्रियाओं का सरलीकरण एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को जारी विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट में विदेश व्यापार नीति में विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए "आयात निर्यात फार्म" के रूप में एक ही आवेदन प्रपत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई.डी.आई.) इनीशिएटिव्ज को नियमित तौर पर अद्यतन बनाया जाता है।

(घ) इस समय निर्यातोन्मुखी इकाईयों एवं अग्रिम अनुज्ञप्ति स्कीमों के अंतर्गत कोई नया पैकेज सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*[अनुवाद]*

**सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अन्य जीव उत्पादों को जब्त करना**

**5481. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**
**श्री अनन्त गायक:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 तथा 2005 के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई बाघ की खालों, तेंदुए की खालें, हाथीदांत, स्टार कछुओं, सांपों आदि की अलग-अलग संख्या और उनकी कीमत कितनी-कितनी है;

(ख) इस विभाग के अधिकारियों को वन्य जीव तथा वन्यजीव उत्पादों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकारियों को वन्यजीव तथा वन्य जीव उत्पादों में दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2004 के दौरान उन केन्द्रों की सूची क्या है जहां इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था;

(ङ) क्या वर्तमान में सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन**

**5482. श्री नवीन जिन्दल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में मेरिट प्रोमोशन स्कीम (एमपीएस) के अध्यापकों के शेष (लेफ्ट ओवर) वेतनमानों के संशोधन के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में इस निर्णय को कार्यान्वित करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रिमण्डल के निर्णय को कार्यान्वित न करने से एमपीएस अध्यापकों की पदोन्नति के रास्ते हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के रास्ते खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एम पी एस के अध्यापकों के शेष (लेफ्ट ओवर) वेतनमानों को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं। मंत्रिमंडल ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित मेरिट प्रोमोशन स्कीम के अध्यापकों के शेष वेतनमानों के संशोधन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**आपदा प्रबंधन नीति**

**5483. प्रो. एम. रामदास:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूखे के संबंध में सरकार की नई आपदा प्रबंधन नीति की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सूखे के लिए राहत के संबंध में बारहवें वित्त आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) बारहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की है। इसने विद्यमान नीति के जारी रखने की सिफारिश की है, जिसमें आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) के माध्यम से आपदा प्रबंधन किया जाना निहित है। सूखे के लिए, आदान राजसहायता, रोजगार सृजन, अनुपूरक पोषण, अनुदान राहत, पेयजल, स्वास्थ्य तथा चारे के लिए राहत सहायता अनुज्ञेय है।

**भूमिहीन श्रमिक**

**5484. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं का समाधान के बारे में विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनके लिए एक बीमा योजना शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) और (ख) भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कई उपाय प्रारम्भ किए हैं। इन श्रमिकों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न श्रम कानून भी लागू होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे और उससे थोड़ा सा ऊपर के भूमिहीन श्रमिकों सहित ग्रामीण और शहरी गरीब व्यक्तियों को जनश्री बीमा योजना, जीवन बीमा संरक्षण प्रदान करती है। हाल ही में, सरकार ने सवर्जन स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ की है, जो कि इन श्रमिकों पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कई प्रकार की कल्याण और रोजगार उन्मुख योजनाएं और कार्यक्रम भी लागू कर रही है। इस प्रकार की कुछ योजनाएं, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि हैं। सरकार ने संसद के पिछले सत्र

के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक भी पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य परिसम्पत्ति सृजन लोक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है।

(ग) और (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश में भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ङ) और (च) तथापि कई राज्य सरकारें अर्थात् गुजरात, केरल अपने राज्यों में कृषि कामगारों के लिए बीमा योजनाएं लागू कर रही हैं।

**चावल का निर्यात**

**5485. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल के निर्यात में पिछले वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2004-2005 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में देश से चावल के निर्यात में गिरावट आई है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

(आंकड़े टन में)

| वर्ष | निर्यात |
|---|---|
| 2004-05 | 31,58,194 |
| 2003-04 | 33,72,235 |
| 2002-03 | 47,86,639 |

निर्यात के प्रयोजनार्थ केंद्रीय पूल से चावल के नए आवंटन को अगस्त, 2003 से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण चावल के निर्यात में गिरावट हुई है।

(ग) केंद्रीय पूल से निर्यात हेतु चावल और गेहूं की बिक्री वर्ष 2000 में एकत्र हुए अत्यधिक स्टाक का निपटान करने के मूल उद्देश्य से शुरू की गई थी। चूंकि यह उद्देश्य पूरा हो गया है इसलिए केंद्रीय पूल से चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने की और जरूरत नहीं है।

**राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2005**

**5486. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री टी.के. हमजा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2005 का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या किसानों को उनकी अतिरिक्त फसल से प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु क्षेत्रवार विशिष्ट फसल खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है और इस प्रयोजन हेतु मसौदा नीति तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल वातावरण का सृजन, बुनियादी सुविधा विकास, खेती प्रणाली के साथ संयोजन आदि की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित मसौदा नीति में मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने की परिकल्पना नहीं की गई है। मसौदा नीति में बरबादी में कमी लाने, प्रसंस्करण के स्तर में बढ़ोत्तरी करने, मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी करने, रोजगार के सृजन आदि का भी उल्लेख है।

(ग) और (घ) स्थानीय रूप से पैदा होने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने तथा व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी एक स्कीम पहले ही कार्यान्वित की गई है। यह स्कीम परियोजना विशिष्ट है न कि

क्षेत्र/राज्य विशिष्ट। एकल उत्पाद लाइन केंद्र की स्थापना के लिए अस्थायी पूंजीगत लागत के रूप में 2.00 लाख रुपये और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 1.00 लाख रुपये और बहु उत्पाद लाइन केंद्र के लिए स्थायी पूंजीगत लागत के रूप में 7.50 लाख रुपये और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 2.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। गैर-सरकारी संगठन, सहकारिताओं, निजी फर्मों, सरकारी और अर्ध-सरकारी एजेंसियों को इन केंद्रों की स्थापना हेतु सहायता दी जा सकती है।

**पेट्रोरसायनों संबंधी राष्ट्रीय नीति**

5487. **श्री बी. विनोद कुमार:**
**श्री सुकदेव पासवान:**
**श्री राम कृपाल यादव:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
**श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोरसायनों संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) से (ग) पेट्रोरसायनों पर एक राष्ट्रीय नीति को इस विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय नीति में प्रस्तावित नीतिगत उपायों पर नीति को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व अन्य विभागों/मंत्रालयों से चर्चा की जानी है। इस पूरी प्रक्रिया को इस कैलेंडर वर्ष के भीतर पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं। यद्यपि, इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है, इस अवस्था में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

**औषधियों के मूल्य संबंधी समिति की रिपोर्ट**

5488. **श्री बसुदेव आचार्य:**
**श्रीमती मेनका गांधी:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** 21 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मूल्य नियंत्रण की अवधि की जांच करने के लिए गठित समिति की कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) से (ग) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या (सी) 3668/2003 पर सर्वोच्च न्यायालय के मत के आलोक में मूल्य नियंत्रण (ट्रेड मार्जिन सहित) की सीमा की जांच करने और उचित मूल्यों पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ चयनित बास्केट (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003) के उन सभी औषधों जो मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, की गहन मानिटरिंग, औषधों के ट्रेड मार्जिन की सीमा, नए पेटेंटशुदा औषधों के मूल्य सौदों का एक तंत्र, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए विशेष योजनाएं, विनिर्माताओं से औषधों की थोक खरीद और उन्हें कम दाम पर बेचने के लिए लाइफ लाइन फ्ल्यूड स्टोर्स (मेडिकेयर सोसायटियों द्वारा चालित अस्पताल फार्मेसी स्टोर्स) के राजस्थान माडल का प्रचालन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड, कर्नाटक के माडल पर सभी राज्यों में डीपीसीओ प्रकोष्ठों की स्थापना, जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास, सरकार और एनपीपीए के फैसलों और नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि शामिल हैं। समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

**नए उद्योगों के लिए लचीले कानून**

5489. **श्री अजीत जोगी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नए उद्योगों के लिए लचीले कानून बनाने के लिए कोई नई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न उद्योगों में कृतक बल की सुरक्षा हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या इस संबंध में प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री ( श्री के. चन्द्रशेखर राव ):** (क) इस समय, नए उद्योगों के लिए अलग से श्रम कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता**

**5490. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री ( श्री के. चन्द्रशेखर राव ):** (क) से (ग) विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 68 यह अनुबंधित करती है कि "उपयुक्त सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के भीतर विशेष, रोजगार कार्यालय में दो वर्ष से अधिक से पंजीकृत तथा जिन्हें किसी लाभप्रद व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जा सकता ऐसे विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु अधिसूचना के माध्यम से एक योजना तैयार करेंगी।" चूंकि बेरोजगारी भत्ते के भुगतान संबंधी विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, अत: इस प्रावधान को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। कुछ राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही हैं। जिनकी दरें 50 रुपये से 500 रुपये तक हैं। विभिन्न राज्यों ने बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड अपनाएं हैं। विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की दरों को दर्शाने वाली विवरणी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

***विवरण***

*राज्यों/संघ शासित प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | बेरोजगारी भत्ते की दर | प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन की दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 75/- रु. प्रति माह | 75 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | |
| 3. | असम | शून्य | |
| 4. | बिहार | शून्य | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | शून्य | 150 |
| 6. | दिल्ली | उपलब्ध नहीं | 300 |
| 7. | गोवा | उपलब्ध नहीं | 500 |
| 8. | गुजरात | शून्य | 200 और 100 |
| 9. | हरियाणा | योजना राज्य में चालू है। | 200 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | शून्य | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | जम्मू व कश्मीर | शून्य | 300 |
| 12. | झारखंड | शून्य | |
| 13. | कर्नाटक | शून्य | 125 |
| 14. | केरल | विकलांग व्यक्तियों हेतु कोई पृथक योजना नहीं है। | 150 |
| 15. | मध्य प्रदेश | शून्य | |
| 16. | महाराष्ट्र | | 250 |
| 17. | मणिपुर | शून्य | |
| 18. | मेघालय | 50/- रु. प्रति माह | 100 |
| 19. | मिजोरम | 100/- रु. प्रति माह | |
| 20. | नागालैंड | शून्य | 100 |
| 21. | उड़ीसा | शून्य | 100 |
| 22. | पंजाब | 150/- रु. से 400/- रु. तक | 200 |
| 23. | राजस्थान | शून्य | 200 |
| 24. | सिक्किम | 500/- रु. प्रति माह (दिनांक 19.11.04, आदेश संख्या 11/एस जे ई के अनुसार) | 200 |
| 25. | तमिलनाडु | 200/- रु. से 300/- रु. तक | 200 |
| 26. | त्रिपुरा | हां, 500/- रु. | 125 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | शून्य | 125 |
| 28. | उत्तरांचल | शून्य | 125 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | हां, प्रदान किए जाते हैं। | 500 |
| **संघ शासित प्रदेश** | | | |
| 1. | अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 100/- रु. प्रति माह | 200 |
| 2. | चंडीगढ़ | 150/- रु. से 400/- रु. प्रति माह तक | 60 |
| 3. | दादर व नगर हवेली | शून्य | 60 |
| 4. | लक्षद्वीप | शून्य | 100 |
| 5. | दमन व दीव | बेरोजगारी भत्ते हेतु योजना तैयार कर ली गई है। | 400 तथा 500 |
| 6. | पांडिचेरी | 400/- रु. प्रति माह और 500/- रु. प्रति माह | |

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा की गई खरीदों में अनियमितताएं**

**5491. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल तथा अगस्त 2004 के बीच संयुक्त राज्य अमरीका के बाजारों में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा की गई तत्काल खरीदों के संबंध में कुछ अनियमितताएं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई, यदि कोई है तो, की गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जांच चल रही है।

*[हिन्दी]*

**गायों की तस्करी**

**5492. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में दूध न देने वाली गायों, बछड़ों तथा बैलों को मारने के उद्देश्य से तस्करी करके सीमा पार ले जाते समय उनके झुण्ड को जब्त करने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा 30 अप्रैल, 2005 तक राज्यवार सामने आए जब्त किए जाने तथा गोजातीय जब्ती के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राजस्व तथा सूचना निदेशालय, सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य सरकारों को गोजातीय तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देश वर्तमान में लागू हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) अवैध बूचड़खानों में ले जाने वाले गोपशुओं सहित अधिक लदान द्वारा अवैध ढुलाई से पकड़े गए गोपशुओं को "बचाए गए गोपशुओं का पुनर्वास" नामक योजना के तहत रख-रखाव के लिए पशु कल्याण संगठनों को भेजा जाता है।

(ख) बचाए गए पशुओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने सभी सीमावर्ती राज्यों, सीमा सुरक्षा बल, नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (राजस्व विभाग) को निर्देश दिए हैं कि वे भारत-बंगलादेश सीमा पर सभी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए अधिक सतर्क रहें।

***विवरण***

*बचाए गए गोपशुओं का ब्यौरा*

| राज्यों के नाम | गोपशुओं की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 124 | 608 | 421 | शून्य |
| कर्नाटक | 290 | 645 | शून्य | शून्य |
| बिहार | शून्य | 43 | 90 | शून्य |
| उत्तर प्रदेश | 2988 | 1420 | 1898 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 43 | 1147 | 523 | शून्य |
| महाराष्ट्र | 110 | 148 | 148 | शून्य |
| हरियाणा | 243 | 858 | 619 | शून्य |
| राजस्थान | 546 | 741 | 1145 | शून्य |
| नई दिल्ली | 190 | 1478 | शून्य | शून्य |
| उड़ीसा | शून्य | 74 | शून्य | शून्य |
| पंजाब | – | 1481 | – | – |
| मध्य प्रदेश | 276 | 2365 | 3389 | – |
| कुल | 4810 | 11008 | 8233 | – |

**नदियों के जल की बर्बादी**

**5493. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बहने वाली काली सिंध तथा पार्वती नदियों का जल बिना उपयोग किए बर्बाद चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन नदियों को जोड़ने तथा सिंचाई हेतु राजस्थान में चम्बल नदी पर निर्मित राणा प्रताप सागर बांध तक इन नदियों के अतिरिक्त जल को ले जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के जल संतुलन अध्ययनों के अनुसार पारबती और कालीसिंध उपबेसिनों को संबंधित बेसिन में अनुमानित मांगों की गणना के पश्चात् उन्हें अधिशेष जल वाले बेसिनों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ख) और (ग) पारबती-कालीसिंध-चंबल संपर्क नहर में कोटा बैराज के चंबल प्रणाली अनुप्रवाह के नए क्षेत्रों में आने वाले तथा मौजूदा कमान में सिंचाई के लिए चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध/राणाप्रताप सागर बांध में पारबती और कालीसिंध उप-बेसिनों के अधिशेष जल को व्यपवर्तित करने की योजना है। वर्ष 2002-03 के मूल्य स्तर पर संपर्क परियोजना की अनन्तिम अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है। इस संपर्क का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच होने वाली सहमति पर निर्भर करता है।

*[अनुवाद]*

**जल प्रबंधन कार्यक्रम**

**5494. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा असम में कोई जल प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बायोएजेन्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना**

**5495. श्री रामदास आठवले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से बायो एजेन्ट प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो बायो एजेन्ट प्रयोगशालाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 8 बायो-एजेन्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव भेजे हैं। ये सभी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं और तदनुसार महाराष्ट्र सरकार को निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं। इन बायो-एजेन्ट प्रयोगशालाओं ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से भी बायो-एजेंट प्रयोगशालाओं की स्थापना/संवर्धन हेतु प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे, जिनके लिए भारत सरकार ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निधियां स्वीकृत कर दी है:-

| क्र.सं. | राज्य कृषि विश्वविद्यालय | स्वीकृत राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी | 18.36 |
| 2. | डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला | 20.00 |
| 3. | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, जलगांव | 20.00 |
| 4. | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी | 24.92 |
| 5. | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, धुले | 24.92 |

भारत सरकार ने एक नई जैव-नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए 45.00 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है।

*[अनुवाद]*

**न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने के तरीके**

**5496. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) की गणना करने के तरीकों को उन्नत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एमएसपी की गणना करने की विद्यमान प्रणाली किसानों के अनुकूल नहीं पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि उत्पादों के एमएसपी की गणना करने के तरीके के उन्नयन से किसानों को उनके उत्पादों के लिए अच्छे दाम मिलने में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) फिलहाल सरकार के पास कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की गणना करने के तरीकों को उन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 2002 में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में प्रणालीगत मुद्दों के बारे में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार की प्रणालीगत और संबंधित सिफारिशों की जांच करने के लिए प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड का कार्यकरण**

**5497. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड पशुचिकित्सा अस्पतालों को पशुओं के उपचार तथा रेबीज-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत कतिपय गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनको दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बोर्ड के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (ए डब्ल्यू बी आई) द्वारा पशुओं के इलाज के लिए सरकारी पशु चिकित्सालयों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। रेबीज-रोधी कार्यक्रम आवारा कुत्तों की जन्म दर को नियंत्रित करने और टीकाकरण स्कीम का हिस्सा है जिसके तहत ए.डब्ल्यू.बी.आई. द्वारा गैर सरकारी संगठनों और नगर पालिका निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आवारा कुत्तों की जन्म दर को नियंत्रित करने और टीकाकरण के लिए मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(धनराशि रुपये में)

| राज्य का नाम | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | * | * | 17,08,000.00 |
| दिल्ली | * | * | 28,97,500.00 |
| गोवा | * | * | 12,40,780.00 |
| गुजरात | * | * | 1,70,000.00 |
| महाराष्ट्र | * | * | 20,28,000.00 |
| उड़ीसा | * | * | 2,22,500.00 |
| राजस्थान | * | * | 4,29,445.00 |
| तमिलनाडु | * | * | 38,85,000.00 |
| उत्तर प्रदेश | * | * | 34,000.00 |
| पश्चिम बंगाल | * | * | 11,60,750.00 |
| कुल | * | * | 1,37,75,975.00 |

*2004-2005 के दौरान स्कीम ए.डब्ल्यू.बी.आई. को स्थानान्तरित कर दी गई।

(ग) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

* भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पशु कल्याण की स्कीमों के क्रियान्वयन का कार्य स्थानांतरित किया गया है।
* बजट प्रावधान में वृद्धि की गई है।
* निधियों के व्यय में आर्थिक मानदंडों का अनुसरण करने के लिए ए.डब्ल्यू.बी.आई. को निदेश जारी किए गए हैं।
* जो गैर-सरकारी संगठन बोर्ड के भी सदस्य हैं उन्हें सहायता-अनुदान जारी करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।
* निरीक्षण कर रहे अभिकरणों के पैनल को बढ़ाया गया।
* निधियों की उपयोगिता को मानीटर करने के लिए राज्यों के पशु-पालन विभागों को ए.डब्ल्यू.बी.आई. के साथ सम्मिलित करना।
* पशु कल्याण से संबंधित अधिनियमों और नियमों के क्रियान्वयन में ए.डब्ल्यू.बी.आई. को सहयोग देने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति और राज्य पशु कल्याण बोर्डों (एस.ए.डब्ल्यू.बी.) गठित करना।
* पशुओं के इलाज को सुनिश्चित करने के लिए ए.डब्ल्यू.बी.आई. द्वारा गौशालाओं और पिन्जरपोलों के साथ परस्पर संबंध बनाए रखना।

**विजन डाक्यूमेंट-2005**

**5498. श्री बालेश्वर यादव:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफ पी आई) को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए "विजन डाक्यूमेंट-2005" तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस दस्तावेज को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (ग) सरकार द्वारा हाल ही में जारी विजन डाक्यूमेंट-2015 में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने का उल्लेख है ताकि किसानों की आय बढ़े, रोजगार के अवसर सृजित हों तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% तथा विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1% से बढ़ाकर 3% करके समग्र राष्ट्रीय वृद्धि में योगदान दिया जाए।

**सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु विशेष अनुमति**

**5499. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार के सुनामी पीड़ितों के पुनर्वास हेतु जंगल काटने की विशेष अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 33 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों में लंबित सिंचाई परियोजनाओं हेतु ऐसी विशेष अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा):** (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.01.2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 1995 का 202 के तहत अन्तरिम उपाय के रूप में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में भूकम्प और सुनामी लहरों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दिनांक 7.5.02 के अपने पूर्व आदेश में सीमित सीमा तक छूट देते हुए वृक्षों को काटने की और छः महीने की अवधि के लिए कार्य योजना को अनुमोदित करवाए बिना घरों के पुनर्निर्माण/मरम्मत राहत कैम्पों की स्थापना, जैट्टी मरम्मत, पुलों, सार्वजनिक भवनों और अन्य संबंधित कार्यों के लिए कतिपय शर्तों पर तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटने और इमारती लकड़ी और गैर-इमारती लकड़ी लेने की अनुमति प्रदान की है। माननीय न्यायालय के उपर्युक्त के अनुपालन में इस उद्देश्य के लिए केवल वनवर्धनीय रूप से उपलब्ध वृक्षों को काटना निर्धारित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच**

**5500. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्नों की ही वसूली करता है। इस प्रयोजनार्थ मंडियों में योग्यताप्राप्त और सुप्रशिक्षित तकनीकी सहायक मंडियों में तैनात किए जाते हैं ताकि खाद्यान्नों की वसूली के दौरान गुणवत्ता संबंधी जांच की जा सके। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् सहायक प्रबंधक (गु.नि.)/उप-प्रबंधक/उप-प्रबंधक (गु.नि.)/जिला/क्षेत्रीय/आंचलिक अधिकारी तथा भारतीय खाद्य निगम और मंत्रालय के अधिकारियों के संयुक्त दल भी विभिन्न वसूली प्रचालनों का निरीक्षण/देख-रेख करने तथा वसूल किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता मालूम करने के लिए मंडियों का दौरा करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**पोस्त की खेती**

**5501. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में शुष्क भूमि पर पोस्त की खेती करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को पोस्त की खेती के लिए पहले ही लाइसेंस दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**प्रदूषण स्तर पर नासा द्वारा अध्ययन**

**5502. श्री राजेन गोहेन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के पर्यावरणीय प्रदूषण वाले राज्यों विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों और मुख्य शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर वायु प्रदूषण स्तर की जांच कर रहे नासा के अनुसंधान दल व अन्य दलों ने देश के कई राज्यों के ऊपर भारी प्रदूषण का जाल पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों के प्रदूषण स्तर को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान खाना पकाने और अन्य घरेलू इस्तेमाल हेतु विविध प्रकार के जैव ईंधन का सही ढंग से नहीं जलाया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा):** (क) विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न

प्रदूषण के उपशमन के लिए, कुछ उपाय किये गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

(1) सामान्य और स्रोत विशिष्ट मानदंडों पर अधिसूचना जारी करना और उनका प्रवर्तन करना,

(2) निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए निरंतर मानीटरी,

(3) बेहतर प्रौद्योगिकियों और स्वच्छतर ईंधनों को बढ़ावा देना,

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के लिए चूककर्त्ता इकाइयों को नोटिस/निदेश जारी करना, और

(5) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु कारपोरेट उत्तरदायित्व पर चार्टर का क्रियान्वयन।

(ख) और (ग) नेशनल एयरोनाटिकल एण्ड स्पेस एडमिन्स्ट्रेशन (नासा), संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) द्वारा प्राप्त किए गए उपग्रह डाटा के विश्लेषण के आधार पर अनुसंधानकर्त्ताओं ने सूचित किया है कि भारत-गंगा मैदानी क्षेत्र के ऊपर, जहां सर्दियों के दौरान मौसम व स्थलाकृति के कारण प्रदूषण रोके रखने की अनुकूल स्थिति होती है, वहां सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कणों का जाल देखा गया है।

(घ) इस अध्ययन से पता चलता है कि प्रदूषण का बड़ा स्रोत-खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल किये जा रहे जैविक-ईंधनों (मुख्यतया ईंधन लकड़ी, गोबर के उपले और फसल का व्यर्थ भाग) को सही ढंग से नहीं जलाया जाना, उपयोगिताओं और उद्योगों के लिए कोयले का प्रयोग और परिवहन के लिए डीजल आयल का उपयोग किया जाना है।

(ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वाहनों, उद्योगों, घरेलू प्रयोजनों के लिए ईंधन को जलाया जाना इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से पैदा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना सहित कई कदम उठाए हैं।

### बाघ गणना में लगे गैर-सरकारी संगठन

**5503. श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के "टाइगर रिजर्व क्षेत्रों" में बाघों और तेंदुओं की गणना कितने-कितने समय के बाद की जाती है; और

(ख) वर्ष 2004 के दौरान इनकी गणना हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र के जिन वन्य जीव संगठनों ने वन अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य किया और उनकी सहायता की उनका राज्यवार और टाइगर रिजर्व-वार ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** (क) राज्य अपने बाघ रिजर्वों के बाघों, चीतों और वन्य जीवों का वार्षिक और द्विवार्षिक आकलन करते हैं। अखिल भारत बाघ गणना चार वर्ष में एक बार की जाती है और ऐसा पिछला आकलन वर्ष 2001-02 के दौरान किया गया था।

(ख) कुछ राज्य सरकारें बाघों की गणना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करती हैं और ऐसे ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते।

### टमाटर की पोषक गुणवत्ता में सुधार

**5504. श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने टमाटर की जिनोम श्रृंखला तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार टमाटर की पोषक गुणवत्ता में सुधार हेतु इस में आगे अनुसंधान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) छोटे किसानों को ऐसे अनुसंधान कार्यों का लाभ किस प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) किसी देश ने भी टमाटर की जिनोम श्रृंखला तैयार नहीं की है।

(ख) जी, हां।

(ग) टमाटर की पोषणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टमाटर संरचनात्मक व क्रियात्मक जिनोमिक्स पर एक नेटवर्क परियोजना स्वीकृत की गई है। भारत टमाटर जिनोम श्रृंखला व क्रियात्मक जिनोमिक्स संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य भी है।

(घ) जैसे ही उन्नत पोषणिक गुणवत्तायुक्त पराजीनी टमाटर की किस्में विकसित करके जारी की जाएंगी वैसे ही इन्हें कृषक समुदाय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**पारिस्थितिकी पर्यटन**

**5505. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) जी, हां.

(ख) सभी प्रकार से पूर्ण, प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, प्रस्तावों के गुण-दोष निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, उनकी पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*[अनुवाद]*

**बल्क ड्रग और भेष उद्योग के प्रबंधन पर सम्मेलन**

**5506. श्री अधीर चौधरी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 जनवरी, 2005 को बड़ोदरा में "आइडेन्टीफीकेशन आफ वेस्ट स्ट्रीम्स, इट्स कैरेक्टराइसजेशन एंड मैनेजमेंट इन बल्क ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज" विषय पर एक वैचारिक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के निष्कर्ष सारांश, वास्तविक और उपभोक्ता हितैषी नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), दिल्ली ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन पी सी) को "प्रपुंज औषधों तथा भेषज उद्योगों में खतरनाक अपशिष्ट धाराओं की पहचान, उनके लक्षण चित्रण तथा अपशिष्ट न्यूनीकरण विकल्पों" पर एक परियोजना सौंपी। एन.पी.सी. ने सी.पी.सी.बी. के परामर्श से चिन्हित चुनी हुई औद्योगिक इकाइयों (विभिन्न प्रकार के प्रपुंज औषधों वाले) में व्यापक प्रक्रिया अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों पर उद्योग के साथ विचार करने तथा उनके विचारों/सुझावों को प्राप्त करने हेतु सी.पी.सी.बी., दिल्ली ने औद्योगिक इकाइयों तथा उनके संघों के साथ सी.पी.सी.बी. के बड़ोदरा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 5 जनवरी, 2005 को एक परिसंवाद बैठक आयोजित की।

(ख) इस बैठक में एन.पी.सी. तथा सी.पी.सी.बी. ने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

(ग) उद्योग प्रतिनिधियों ने अध्ययन की सराहना करते हुए कुछ सुझाव दिए।

(घ) उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा अध्ययन के निष्कर्षों को प्राय: स्वीकार कर लिया गया। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर यथोचित विचार कर उसे अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया गया जिसे फरवरी 2005 में सी.पी.सी.बी., दिल्ली को प्रस्तुत किया गया।

**तीस्ता बराज परियोजना**

**5507. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तीस्ता बराज परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मूल व वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना (फेज-1 का उप-चरण-1, चरण-1) की वास्तविक अनुमानित लागत 69.72 करोड़ रुपये थी तथा परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत (2002 के मूल्य स्तर पर) 2068 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार के अनुसार, निष्पादन के अग्रिम चरण में परियोजना के विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त घटकों के पूर्ण होने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2008 तय की गई है।

*[हिन्दी]*

**कृषि उत्पाद निर्यातकों को राजसहायता**

**5508. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
**मो. शाहिद:**
**श्री मो. ताहिर:**
**श्री मुन्शी राम:**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पाद निर्यातकों को दी जा रही राजसहायता कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका निर्यातकों के व्यापार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में वैकल्पिक उपाय भी करने पर विचार कर रही है;

(ङ) उन कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार राजसहायता दे रही है और इन पर राजसहायता का प्रतिशत कितना है;

(च) उक्त राजसहायता बंद करने से प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कितनी राशि बचाए जाने का अनुमान है;

(छ) क्या सरकार राज्यों से कृषि उत्पादों के केन्द्रीकृत खरीद की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (च) सरकार कृषि उत्पादों पर निर्यात राजसहायता नहीं देती है। हैन्डलिंग, उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और माल तथा आंतरिक परिवहन तथा कृषि उत्पादों के निर्यातों पर वहन-शुल्क सहित विपणन पर वहन किए गए खर्चों की क्षतिपूर्ति को समय-समय पर अनुमति दी जाती है। सेन्ट्रल पूल स्टाक्स से निर्यातित गेहूं और चावल पर ऐसे भुगतानों की मात्रा निम्नलिखित थी:-

| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|
| 1368 करोड़ | 5743 करोड़ | 3621 करोड़ |

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अभिज्ञात पुष्पकृषि, बागवानी, डेयरी तथा पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात पर परिवहन सहायता प्रदान की जाती है। यह वर्ष 2002-03 में 4.65 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 10.77 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 11.84 करोड़ रुपये बनता है।

(छ) और (ज) राज्यों से कृषि उत्पादों की केन्द्रीकृत खरीद हेतु नई स्कीम के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में कृषि उत्पादों की खरीद विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत की जाती है।

**आरक्षित पद**

**5509. श्री लालमणि प्रसाद:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न विभागों में ''क'', ''ख'', ''ग'' और ''घ'' समूहों में कार्यरत अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के कर्मियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण कोटा को भरा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या कोटा को नहीं भरने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक में मगडी झील का संरक्षण**

**5510. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गडक जिले में मगडी झील के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इसको स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु जापान से कोई सहायता मांगी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना):** (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कर्नाटक राज्य सरकार से गडक जिले में मगडी नमभूमि के संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव को पूरी तरह स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया था। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को पुन: तैयार करके प्रस्तुत किया है और उसकी जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**धार्मिक पर्यटन**

**5511. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानों/स्थलों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) से (घ) पर्यटक स्थलों/गंतव्यों के अभिनिर्धारण, विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय, 10वीं योजना अवधि के दौरान, पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों की उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत, अवसंरचना के विकास हेतु, परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, परियोजना के गुणदोष पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकारों की सहायता करता रहा है। योजना के क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन से संबंधित स्थान/स्थल भी सम्मिलित हैं।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को प्रशिक्षण**

**5512. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
**प्रो. महादेव राव शिवनकर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत वर्षों के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इस पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आया;

(घ) क्या उक्त केन्द्र प्रशिक्षित किसानों को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य राज्यों के किसानों को प्रशिक्षण देने की संख्या, राज्य संगठनों/किसानों द्वारा प्रायोजित एवं निधिकरण से संबंधित है। जनवरी, 2003 से आज तक लाभान्वित होने वालों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

| राज्य का नाम | किसानों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| बिहार | 185 |
| दिल्ली | 12 |
| हरियाणा | 2506 |
| हिमाचल प्रदेश | 771 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | 5 |
| महाराष्ट्र | 15 |
| पंजाब | 73 |
| राजस्थान | 3 |
| उत्तर प्रदेश | 26 |
| उत्तरांचल | 104 |
| छत्तीसगढ़ | 1 |
| जम्मू व कश्मीर | 1 |
| कुल | 3702 |

**खर्च किया गया वार्षिक व्यय:**

हरियाणा (जिला करनाल) के संबंध में भोजन व्यवस्था एवं आवास पर 85,486/- रुपये का व्यय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा वहन किया गया था जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिदेश के अनुसार किया था जहां कृषि विज्ञान केन्द्र, करनाल स्थित है।

करनाल जिले के अलावा अन्य किसानों के लिए महाराष्ट्र के मामले को छोड़कर प्रायोजित करने वाले संगठनों/किसानों द्वारा स्वयं व्यय वहन किया गया था जो विशेष मामले के तहत दिनांक 29.3.2005 से 7.4.2005 तक ग्राम बचत समूह की 15 महिला कार्यकर्त्ताओं के लिए आयोजित किया गया था तथा इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 10,550/- रु. का व्यय किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**एनएमडीसी का व्यापारावर्त्त**

**5513. श्री प्रदीप गांधी: क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में लौह अयस्क के खनन से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) का कुल व्यापारावर्त्त कितना है और इसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एनएमडीसी द्वारा सरकार को दिए गए निगम कर व लाभांश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएमडीसी का लौह अयस्क कारोबार निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | लौह अयस्क कारोबार | छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क कारोबार |
|---|---|---|
| 2002-03 | 1177.28 | 900.81 |
| 2003-04 | 1411.39 | 1062.53 |
| 2004-05 (अंतिम) | 2108.17 | 1578.03 |

चालू वर्ष 2005-06 अभी शुरू हुआ है।

(ख) निगमित कर और दिया गया लाभांश निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | कुल निगमित कर | लाभांश (लाभांश कर के अतिरिक्त) | सरकार की हिस्सेदारी |
|---|---|---|---|
| 2002-03 | 107.98 | 39.65 | 39.00 |
| 2003-04 | 183.39 | 46.25 | 45.50 |
| 2004-05 (अंतिम) | 419.80 | 50.88* | 50.06* |

*अंतरिम लाभांश दे दिया गया है और अंतिम लाभांश का निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को दी गई रायल्टी निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | रायल्टी |
|---|---|
| 2002-03 | 25.04 |
| 2003-04 | 25.94 |
| 2004-05 | 31.20 |

*[अनुवाद]*

**सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान**

**5514. श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री आनन्द राव विठोबा अडसूल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कृषि क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि क्षेत्र द्वारा कितने प्रतिशत आबादी को आसरा मिलता है;

(ग) क्या देश में पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं के अभाव, अपर्याप्त भण्डारण और परिवहन सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन में भारी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) में वानिकी और जल भराव व मात्स्यिकी के संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि का योगदान वर्ष 1993-94 मूल्यों पर वर्ष 2003-04 में 21.7% की तुलना में वर्ष 2004-05 में 20.5% था। विवरण संलग्न है।

(ख) कृषि क्षेत्र से देश की दो तिहाई आबादी को सहायता मिलती है। जनसंख्या जनगणना, 2001 के अनुसार, किसानों और कृषि श्रमिकों को जोड़कर कृषि कार्मिकों की संख्या देश में कुल कार्य बल का 58% है।

(ग) से (ङ) यह अनुमान लगाया गया है कि फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी की कमी और समेकित परिवहन भण्डारण और विपणन सुविधाएं न होने के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 20 मिलियन टन खाद्यान्नों की क्षति हो जाती है जिसकी लागत अनुमानत: 15000 करोड़ रुपये है। इसी तरह यह अनुमान लगाया गया है कि फलों और सब्जियों के मामले में उत्पाद, मौसम और उत्पादन स्थल (उत्पादन/अनुप्रापण केन्द्रों) से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई किए जाने वाले सामान में कवर की गई दूरी पर निर्भर रहते हुए 25 से 30% तक की हानि होती है। हानि को न्यूनतम करने, मूल्य वर्धन को अधिकतम करने तथा खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाईफ बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कई स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और इनके आधुनिकीकरण, अवसंरचना सृजन, मानव संसाधन विकास सहित अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, विशेषकर बागवानी उत्पादों की हानि को कम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सहायता की दर है-सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 50 लाख रुपये की शर्त पर पौध एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की 25% तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे समस्या वाले क्षेत्रों में अधिकतम 75 लाख रुपये की शर्त पर परियोजना लागत की 33.33% है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग हानि और उत्पाद गुण ह्रास को कम करने के लिए "ग्रामीण भण्डारण योजना" की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण के माध्यम से देश में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाता है। प्रवर्तकों को स्कीम के अधीन ग्रामीण गोदामों का निर्माण करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रवर्तकों की विभिन्न श्रेणियों को परियोजना लागत की 15% या 25% अथवा 33.33% की दर पर ऋण संबद्ध राजसहायता मुहैया कराई जाती है।

***विवरण***

*सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों (1993-94) पर संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि का योगदान*

(प्रतिशत में)

| वर्ष | संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि | कृषि (सस्य पालन एवं पशुधन) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1993-94 | 30.97 | 28.39 |
| 1994-95 | 30.32 | 27.82 |
| 1995-96 | 28.00 | 25.62 |
| 1996-97 | 28.46 | 26.16 |
| 1997-98 | 26.50 | 24.26 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1998-99 | 26.42 | 24.34 |
| 1999-2000 | 24.99 | 22.92 |
| 2000-01 | 23.92 | 21.88 |
| 2001-02 | 24.03 | 22.01 |
| 2002-03 | 21.50 | 19.48 |
| 2003-04 | 21.71 | 19.81 |
| 2004-05 | 20.53 | उपलब्ध नहीं |

नोट: स्रोत सी.एस.ओ.

**बेरोजगारी लाभ योजना**

**5515. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री जुएल ओराम:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां सबसे पहले राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक बेरोजगारी लाभ योजना शुरू की गई है; और

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान शामिल किए जाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) और (ख) उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, दिनांक 1.4.2005 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक एक बेरोजगारी हितलाभ योजना आरम्भ की गई है।

**पूर्वोत्तर घाटी प्राधिकरण**

**5516. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर घाटी प्राधिकरण की स्थापना करने की व्यवहार्यता की जांच हेतु विशेष समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा के मैदानों में बाढ़ की समस्या पर उचित समिति द्वारा किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों के लाभार्थ जल संग्रहण योजनाओं को सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (ग) भारत सरकार ने अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन तथा कटाव नियंत्रण संबंधी एक कार्यबल का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस कार्यबल ने पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है। कार्यबल की अन्य प्रमुख सिफारिशें बाढ़ प्रबंधन के लिए योजना निधि में बढ़ोत्तरी, तटबंधों को अनुरक्षण में सहायता प्रदान करना, आपात कार्यों तथा संस्थागत प्रबंधों को शुरू करने के लिए 50.00 करोड़ रुपए की रिवाल्विंग निधि का प्रावधान करना तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए तात्कालिक, लघु अवधि तथा दीर्घावधि उपायों की रूपरेखा बनाना है।

(घ) और (ङ) 175.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष बचे दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन" नामक एक स्कीम विचाराधीन है।

**कृषि हेतु आबंटन**

**5517. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
**श्री सुव्रत बोस:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र हेतु आबंटन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या कृषि उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और 2005-06 के लिए कृषि क्षेत्र हेतु आबंटन का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल**

**भूरिया**): (क) जी, नहीं। वस्तुतः कृषि एवं सहकारिता विभाग को किया गया योजना आवंटन वर्ष 2003-04 से उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) प्रश्नगत अवधि के दौरान किए गए योजना आवंटन इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये)

| | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
|---|---|---|---|---|
| बजट अनुमान | 2167.00 | 2167.00 | 2650.00 | 4179.32 |
| संशोधित अनुमान | 1667.00 | 2120.00 | 2945.00 | - |

*[हिन्दी]*

**समुद्र तटों पर पेड़ तथा झाड़ियां लगाना**

**5518. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
**श्री महेश कनोडीया:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन और झाड़ियां सुनामी जैसी आपदाओं के समय सहायक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए समुद्र तटों पर पेड़ तथा झाड़ियां लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना)**: (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशिष्ट रूप से सूनामी जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किसी वनीकरण योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**गुजरात में जल स्तर में गिरावट**

**5519. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल एण्ड नेचुरल गैस कंपनी (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा तेल व गैस के कुंओं की गहरी खुदाई के कारण उत्तर गुजरात में भू-जल स्तर में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव)**: (क) उत्तरी गुजरात में घटते हुए भूजल स्तर के लिए तेल तथा गैस कुंओं की गहरी खुदाई को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता क्योंकि ये कुएं काफी गहरे हैं (भू तल से 1000 मी. से अधिक नीचे), सीवनहीन स्टील पाइपों से ढके हैं तथा ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सीमेंटड हैं जिससे कि भू-जल क्षेत्र पर कोई प्रभाव न पड़े।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**लघु (माइक्रो) सिंचाई प्रोत्साहन हेतु योजना**

**5520. श्री टी.के. हमजा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु सिंचाई प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव)**: (क) और (ख) जी हां, कृषि मंत्रालय ने 7600 करोड़ रुपये की लागत से दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली लघु सिंचाई पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है जिसमें केन्द्र का हिस्सा लगभग 3000 करोड़ रुपये (40%) हो सकता है। स्कीम से 2.0 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना है (1.5 मिलियन हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई से तथा 0.50 मिलियन हेक्टेयर छिड़काव सिंचाई से)। हालांकि प्रस्तावित स्कीम को वित्त मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होना है।

**कर्नाटक में दुग्ध उत्पादन**

**5521. श्री एम. शिवन्ना:**
**श्री प्रहलाद जोशी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में प्रतिदिन कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है;

(ख) क्या राज्य में दुग्ध उत्पादन तेजी से बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त दुग्ध का निपटान करने हेतु कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ नवम्बर, 2004 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या एनडीडीबी इस परियोजना की 30 प्रतिशत लागत का भुगतान करने पर सहमत हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) कर्नाटक में अद्यतन उपलब्ध वर्ष 2003-04 के लिए प्रतिदिन अनुमानित दुग्ध उत्पादन 10560 टन था।

(ख) वर्ष 2001-02 तक दुग्ध उत्पादन बढ़ता रहा है जबकि वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कम हुआ है। वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक पिछले चार वर्षों के दौरान दूध का उत्पादन क्रमश: 4599, 4797, 4539 तथा 3857 हजार टन प्रतिवर्ष था।

(ग) जी, हां।

(घ) एन.डी.डी.बी. तथा कर्नाटक दुग्ध परिसंघ के बीच समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

पहले से स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

(क) कर्नाटक दुग्ध परिसंघ (के एम एफ) के नियंत्रण में 70 करोड़ रुपए की लागत से चन्नानयापटना के नजदीक हासन जिले में 30 मी. टन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र स्थापित करना।

(ख) के एम एफ के अधीन 20 करोड़ रुपए की लागत से मदर डेयरी संयंत्र का विस्तार करना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. *राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड*

(क) कर्नाटक के दुग्ध संघ और परिसंघों को पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार और क्रियान्वित करने तथा कर्नाटक डेयरी विकास की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए वित्तीय और तकनीकी समर्थन देगा।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दुग्ध उत्पादों का निर्माण करने के लिए अत्युन्नत डेयरी संयंत्रों की स्थापना करने में मदद करेगा; इनमें से एक हसन जिले में चनारायणपटना के समीप होगा जिसका स्वामित्व और प्रबंधन के एम एफ द्वारा किया जाएगा तथा दूसरा संयंत्र बंगलौर के निकट होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अथवा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इस संयंत्र का स्वामित्व और प्रबंधन देखेगी।

(ग) बंगलौर और कोलार दुग्ध संघों के क्षेत्रों में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण परियोजना के क्रियान्वयन को वित्त पोषण और सहायता देगा।

(घ) के एम एफ/संघों के साथ तकनीकी आर्थिक अध्ययन करेगा जिनके आधार पर परियोजना क्रियान्वित करने से पहले परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाएंगी।

2. *कर्नाटक सरकार*

(क) इस बात का सुनिश्चय करेगी कि उक्त परियोजनाओं का प्रचालन करने के लिए अपेक्षित विद्युत, जल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। ऊपर उल्लिखित दो उत्पाद संयंत्रों के चालू होने के समय से 5 वर्ष की अवधि के लिए कर रियायतें देगी।

(ख) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण परियोजना को क्रियान्वित करने तथा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से सहायता देने के लिए पशु रोग अधिनियम में संशोधन करेगी।

(ग) पूर्व प्रतिबद्धताओं के अनुसार सफल नीलामी बाजार के लिए इस प्रकार का सभी समर्थन और सुविधाएं देगी।

उक्त कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपनी नीतियों के अनुसार 250 करोड़ रुपए जारी करेगा।

*[हिन्दी]*

**दूध उत्पादन**

**5522. श्री सूरज सिंह:**
**श्री रामचन्द्र पासवान:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूध का वास्तविक उत्पादन इसकी मांग से कम है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उत्पादन, खपत और इसकी आपूर्ति में कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगरों में दूध की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या महानगरों के उपभोक्ताओं को दुग्ध-चूर्ण की बिक्री की जा रही है;

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु उपयोग किए जा रहे दुग्ध चूर्ण की गुणवत्ता कैसी है;

(छ) क्या दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई परीक्षण और इसके अवैध कारोबार (मिलावटी दूध/कृत्रिम दूध) के बारे में छानबीन की गई है; और

(ज) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) और (ख) देश में दुग्ध उत्पादन 1950-51 में 17 मिलियन टन से बढ़कर 2003-04 में 88.1 मिलियन टन हो गया है। देश में अनुमानित दुध उत्पादन तथा 2003-04 के लिए राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 124 ग्राम/दिन (1950-51) से बढ़कर 231 ग्राम/दिन (2003-04) हो गई है। वर्ष 2004-05 के दौरान भारत सरकार को किसी भी राज्य से दूध की कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) देश में उपभोक्ताओं द्वारा स्किम्ड दुग्ध चूर्ण, सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण, डेयरी ह्वाइटर आदि जैसे विभिन्न रूपों में दुग्ध चूर्ण नियमित रूप से बेचा जाता है तथा उसे विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए खरीदा जाता है। महानगरों में दुग्ध चूर्ण की बिक्री के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(छ) और (ज) दूध सहित किसी भी खाद्य पदार्थ में अपमिश्रण की जांच खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम (पी एफ ए) संबंधी प्रावधानों के तहत की जाती है। इसका प्रशासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 के क्रियान्वयन के लिए तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के लिए जिम्मेवार हैं जो खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 के तहत दूध का नमूना एकत्र करते हैं। अभी तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए तथा अपमिश्रित पाए गए दूध के नमूनों की संख्या इस प्रकार है:-

| वर्ष | जांच किए गए दुग्ध नमूनों की संख्या | अपमिश्रित पाए गए/मिसब्रांडेड दुग्ध नमूनों की संख्या |
|---|---|---|
| 2000 | 5331 | 1597 |
| 2001 | 6372 | 2111 |
| 2002 | 6199 | 2066 |

जिन उल्लंघनकर्त्ताओं के पास नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाए जाते हैं उनके विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 तथा नियमों संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

***विवरण***

*अनुमानित दुग्ध उत्पादन 2003-04*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 2003-04 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6959 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 46 |
| 3. | असम | 727 |
| 4. | बिहार | 3180 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | गोवा | 48 |
| 6. | गुजरात | 6421 |
| 7. | हरियाणा | 5221 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 786 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 1414 |
| 10. | कर्नाटक | 3857 |
| 11. | केरल | 2111 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 5388 |
| 13. | महाराष्ट्र | 6379 |
| 14. | मणिपुर | 71 |
| 15. | मेघालय | 69 |
| 16. | मिजोरम | 15 |
| 17. | नागालैंड | 63 |
| 18. | उड़ीसा | 997 |
| 19. | पंजाब | 8391 |
| 20. | राजस्थान | 8054 |
| 21. | सिक्किम | 48 |
| 22. | तमिलनाडु | 4752 |
| 23. | त्रिपुरा | 84 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 15943 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3686 |
| 26. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 25 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 44 |
| 28. | दादर एवं नगर हवेली | 8 |
| 29. | दमन एवं दीव | 1 |
| 30. | दिल्ली | 299 |
| 31. | लक्षद्वीप | 1 |
| 32. | पांडिचेरी | 40 |
| 33. | छत्तीसगढ़ | 812 |
| 34. | उत्तरांचल | 1188 |
| 35. | झारखंड | 954 |
| | अखिल भारत | 88082 |

*[अनुवाद]*

**डी.ए.पी. का मूल्य**

**5523. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी ए पी का मूल्य आगामी खरीफ फसलों की खेती के मद्देनजर रखते हुए निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीफ फसलों हेतु डीएपी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डीएपी के विक्रेताओं ने इस उर्वरक की आपूर्ति को पूरा करने में अक्षमता प्रदर्शित की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) सरकार रियायत योजना के अंतर्गत डी ए पी का सांकेतिक अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) घोषित करती है। डी ए पी का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य 9350 रुपए प्रति मी. टन है जो 12.3.2003 से लागू है।

(ग) और (घ) जी, हां। खरीफ 2005 के लिए डी.ए.पी. की आवश्यकता का अनुमान 33.44 लाख मी. टन लगाया गया है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं, तथापि डी.ए.पी. एक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है और इसकी उपलब्धता मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है।

**अभ्यारण्यों का दोहन**

**5524. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय कृषक चंडीगढ़ के अबोहर स्थित ब्लैक बक्स के अभ्यारण्यों का बड़े पैमाने पर दोहन कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 3 जनवरी, 2005 के ''दि हिन्दू'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में अभ्यारण्य के दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कतिपय कृषकों द्वारा अबोहर स्थित ब्लैक बक्स अभ्यारण्य का बड़े पैमाने पर दोहन किए जाने के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस अभ्यारण्य को दोहन से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) कर्मचारियों द्वारा रात-दिन कड़ी चौकसी।

(2) संवेदनशील समय के दौरान कड़ी निवारक गश्त लगाना।

(3) समुदाय द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा।

**गुजरात में मछली उत्पादन में गिरावट**

**5525. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में मछली उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य में विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी की व्यापक संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कृषि क्षेत्र में आवधिक अनुसंधान**

**5526. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि क्षेत्र में कोई आवधिक अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुसंधानों का कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) और (ख) देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की सभी चालू योजना स्कीमों में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान किया जा रहा है। सभी अनुसंधान परियोजनाओं पर स्टाफ अनुसंधान परिषद, अनुसंधान सलाहकार समिति और संस्थान प्रबंध समिति की बैठकों में समय-समय पर परियोजनाओं की उपलब्धियों और कमियों, प्राथमिकता, सुधार, पहचाने गए प्रबलित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ में विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने संस्थानों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (ए आई सी आर पी) के अनुसंधान कार्यक्रमों की मानीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए एक अतिरिक्त समय वाली परीक्षित यान्त्रिकी के रूप में पंचवर्षीय समीक्षा करती है।

सावधिक अनुसंधान के जरिए अनाजों, दलहनों, तिलहनों आदि में अधिक उपज देने वाली किस्में तथा संकर किस्में विकसित की गई हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि अकेले खाद्यान्नों की उत्पादकता 1950-51 के दौरान 522 कि.ग्रा./हैक्टर की तुलना में बढ़कर 2001-2002 में 1734 कि.ग्रा./हैक्टर हो गई। गेहूं की एकल किस्म पी बी डब्ल्यू-343 देश के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में करीब 70 लाख हैक्टर में उगाई जाती है। इसी प्रकार मौजूदा किस्मों में संकर चावल की एक टन से अधिक पैदावार हो सकती है जो कि इस समय देश में करीब 5.5 लाख हैक्टर उगाई जाती है। वर्ष 1983-84 में दुग्ध उत्पाद 38.8 मिलियन टन

था जो कि 2001-02 में बढ़कर 84.8 मिलियन टन हो गया। इसी अवधि के दौरान अंडों की संख्या (1983-84 में) 12.8 बिलियन से बढ़कर (2001-02 में) 39.1 बिलियन हो गई। मत्स्य उत्पादन (1950-51 में) 7.52 लाख टन से उत्कृष्ट वृद्धि के साथ (2001-02 में) 59.56 लाख टन हो गया।

**बाढ़ प्रवण क्षेत्र**

**5527. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण विभिन्न राज्यों में कितनी सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को कितनी क्षति हुई है; और

(ङ) उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (बाढ़ संबंधी राष्ट्रीय आयोग) ने देश में बाढ़ के लिए संभावित कुल 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का आकलन किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी दल को राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र 45.65 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) बाढ़ से प्रभावित सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

***विवरण***

*बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | आरबीए द्वारा किए गए आकलन के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र (मि. हेक्टेयर में) | दसवीं योजना संबंधी कार्यदल को राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र (मि. हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अरूणाचल प्रदेश | 1.39 | 3.48 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | – | 0.12 |
| 3. | असम | 3.15 | 3.82 |
| 4. | बिहार | 4.26 | 6.88 |
| 5. | गुजरात | 1.39 | 2.05 |
| 6. | हरियाणा | 2.35 | 2.35 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 0.23 | 0.48 |
| 8. | जम्मू एवं कश्मीर | 0.08 | 0.51 |
| 9. | कर्नाटक | 0.02 | 0.90 |
| 10. | केरल | 0.87 | 1.47 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 0.26 | 0.34 |
| 12. | महाराष्ट्र | 0.23 | 0.33 |
| 13. | मणिपुर | 0.08 | 0.08 |
| 14. | मेघालय | 0.02 | 0.10 |
| 15. | मिजोरम | – | 0.05 |
| 16. | नागालैंड | – | 0.01 |
| 17. | उड़ीसा | 1.40 | 3.34 |
| 18. | पंजाब | 3.70 | 4.05 |
| 19. | राजस्थान | 3.26 | 3.26 |
| 20. | सिक्किम | – | 0.02 |
| 21. | तमिलनाडु | 0.45 | 0.45 |
| 22. | त्रिपुरा | 0.33 | 0.33 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 7.34 | 7.34 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 2.65 | 3.77 |
| 25. | दिल्ली | 0.05 | 0.07 |
| 26. | पांडिचेरी | 0.01 | 0.05 |
| | कुल | 33.52 | 45.65 |
| | अर्थात | 34.00* | 45.65 |

*उपर्युक्त तालिका से देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | राज्यों में बाढ़ प्रवण क्षेत्र | 34.0 मि. हेक्टेयर |
| (ख) | तब तक राज्यों में सुरक्षित क्षेत्र | 10.0 मि. हेक्टेयर |
| | सुरक्षा कार्यों की विफलता के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिन्हें सूचित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (परिकल्पित) में शामिल किया जा सकता था | (-) 4.00 मि. हेक्टेयर |
| | देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र | 40.00 मि. हेक्टेयर |

*[हिन्दी]*

**दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध उत्पादों की चोरी**

**5528. श्री राजेश पाठक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध उत्पादों की चोरी की कई घटनाओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) अब तक कितने लोगों/कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) में दुग्ध उत्पादों की चोरी की किसी घटना का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डेयरी से चोरी आदि की किसी घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा प्रणाली मौजूद है।

**सोयाबीन/सरसों के उत्पादन में कमी**

**5529. श्री वाई.जी. महाजन:**
**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोयाबीन और सरसों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सोयाबीन और सरसों की खेती को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में सोयाबीन, तोरिया तथा सरसों का उत्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इन दो फसलों, जो सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हुईं, थी का उत्पादन वर्ष 2002-03 में कम रहा। इसके पश्चात् अनुकूल वर्षा से वर्ष 2003-04 में सोयाबीन तथा सरसों दोनों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

(उत्पादन लाख टन में)

| फसल | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 59.63 | 46.55 | 78.63 |
| सरसों एवं तोरिया | 50.83 | 38.80 | 61.98 |

(ग) से (ङ) भारत सरकार सोयाबीन तथा सरसों सहित तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादक 14 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात् "समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम" (आईसोपाम) कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को बड़े पैमाने पर तिलहन उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशकों, रिजोवियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिसम/पाइराइट लाइमिंग/डोलोमाइट की आपूर्ति, स्प्रिकलर सैटों और जलवाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों संबंधी सूचना के प्रसार के लिए राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन और समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के माध्यम से फ्रंटलाईन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, वित्तीय आवंटन के 10% की सीमा तक 15% के वित्तीय कवच के कार्यक्रम के कार्यान्वयन अर्थात् बीज उत्पादन, आदानों की आपूर्ति, विस्तार समर्थन, ब्लाक एवं फ्रंटलाईन प्रदर्शनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नए उपाय या कोई विशेष घटक शुरू करने और निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान किया है।

*[अनुवाद]*

**कृषि उत्पादन में वृद्धि**

**5530. श्री मदन लाल शर्मा:**
**श्री अनंत गुढ़े:**
**श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसानों द्वारा कृषि आवकों को प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को केरल के किसानों से धान की खरीद करने वाली कापरेटिव सोसायटियों से धान एकत्रित करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ग) कृषि आदान प्राप्त करने हेतु किसानों को सहायता प्रदान करने सहित कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी स्कीमों का उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। इससे संबंधित स्कीमें/हस्तक्षेप निम्नवत् हैं:-

* वृहत् कृषि प्रबंध
* पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु खेत पर जल प्रबंध
* तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का की समेकित स्कीम
* जैव कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय परियोजना
* उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को बीज लाने ले जाने पर परिवहन राजसहायता
* प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तंत्र को बढ़ावा देना और सुदृढ़ीकरण
* भारत में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण
* कपास प्रौद्योगिकी मिशन
* शीतागारों और ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु स्कीमें
* सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम को खरीफ विपणन मौसम 2004-05 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के एक भाग के रूप में किसानों से धान की खरीद के लिए केरल में अपेक्षित संख्या में धान खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच अनुवर्ती बैठकें की जा रही हैं।

## गुजरात में फार्मेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना

**5531. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में फार्मेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को गुजरात सरकार से 2002 में राष्ट्रीय भेषज शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, ताकि गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश के पश्चिमी हिस्से के विनिर्माताओं की भेषज, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, औषध सिंथेसिस आदि के क्षेत्रों में उनके कौशल उन्नयन हेतु मदद की जा सके तथा उन्हें भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने हेतु तैयार करने में ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सहायता भी प्रदान की जा सके।

प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली, चूंकि यह महसूस किया गया कि पूरी तरह कार्यसक्षम हो जाने के पश्चात् नाइपर अनुसंधान और विकास तथा नई औषधों आदि के विशेष संदर्भ के साथ देश में भेषज उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा।

*[हिन्दी]*

## फूड पार्क

**5532. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
**श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेगा फूड पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पार्कों को स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इन पार्कों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन पार्कों को कब तक स्थापित करने की संभावना है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य पार्कों में शीतागार, खाद्य जांच तथा विश्लेषण प्रयोगशाला, बहिस्राव उपचार संयंत्र, सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं, बिजली, जल आपूर्ति आदि जैसी सामान्य बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता देता है। यह मंत्रालय स्वयं खाद्य पार्कों की स्थापना नहीं करता। मंत्रालय मेगा खाद्य पार्कों संबंधी एक स्कीम तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर चुका है जिनका लक्ष्य संभावी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को गुणवत्तायुक्त बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है।

**रिक्त पद**

**5533. श्री मुनव्वर हसन:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (घ) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

*विवरण*

| पद का नाम | रिक्तियों की संख्या | खाली होने की तारीख | खाली होने का कारण | रिक्तियों को कब भरे जाने की संभावना है? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | समूह "क" | |
| आर्थिक सलाहकार | 1 | 8.9.2004 | अर्थिक मामलों संबंधी विभाग (डीईए) द्वारा नामित किए जाने के आधार पर भरी जानी है। | डीईए ने सूचित किया है कि रिक्ति को शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है। |
| संयुक्त औद्योगिक सलाहकार | 1 | 2.6.2004 | यूपीएससी के पास प्रस्ताव लंबित। | पद को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। |
| निदेशक | 1 | 24.2.2005 (अपराह्न) | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से प्रतीक्षित नामांकन। | डीओपीटी से एक उपयुक्त उम्मीदवार नामित करने हेतु अनुरोध किया गया है। |
| अवर सचिव | 1 | 1.10.2004 | दिनांक 25.11.2004 को डीओपीटी द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उन्हें अभी कार्यभार ग्रहण करना है। | नामित अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करते ही रिक्ति को भर दिया जाएगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | समूह "ख" | |
| अनुभाग अधिकारी | 17 | 21.10.2002 (1)<br>21.7.2003 (1)<br>1.8.2003 (1)<br>25.3.2004 (12)<br>30.9.2004 (1)<br>18.2.2004 (1) | एक मामले को छोड़कर डीओपीटी द्वारा नामांकन प्रतीक्षित। | इन सभी रिक्तियां की सूचना डीओपीटी को भेज दी गई है। उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते ही रिक्तियां भर दी जाएंगी। एक मामले में, एक अधिकारी को नामित किया गया है जो शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण कर लेगा। |
| निजी सचिव | 2 | 31.7.1996 (1)<br>31.5.2001 (1) | डीओपीटी द्वारा नामांकन प्रतीक्षित। | इन सभी रिक्तियां की सूचना डीओपीटी को भेज दी गई है। उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते ही रिक्तियां भर दी जाएंगी। |
| सहायक | 16 | 5.11.2002 (1)<br>10.3.2004 (1)<br>25.3.2004 (10)<br>20.1.2005 (2)<br>25.2.2005 (2) | -वही- | -वही- |
| | | | समूह "ग" | |
| कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | 1 | 2.2.2005 | राजभाषा विभाग से नामांकन प्रतीक्षित। | रिक्ति की सूचना राजभाषा विभाग को भेज दी गई है। उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध होते ही रिक्ति भर दी जाएगी। |
| उच्च श्रेणी लिपिक | 1 | 24.3.2004 | -वही- | -वही- |
| आशुलिपिक ग्रेड "घ" | 3 | 19.10.2001 (1)<br>6.10.2003 (1)<br>30.7.2004 (1) | -वही- | -वही- |
| अवर श्रेणी लिपिक | 1 | 3.6.2002 | -वही- | -वही- |
| योग | 44 | | | |

मई, 2003 में विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात संगठन (इस्पात मंत्रालय का संलग्न कार्यालय) बंद कर दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के अधीन कोई अन्य केन्द्र सरकार का कार्यालय नहीं है।

## पशुधन में वृद्धि

**5534. मोहम्मद शाहिद:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने हेतु पशुधन में बढ़ोत्तरी संबंधी कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान इसकी प्रतिशता में वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(च) क्या वर्ष 2003-04 की तुलना में 2004-05 के दौरान मांस और मांस उत्पादों के निर्यात में कमी आई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2003-04 में सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन क्षेत्र का 5.2% योगदान है।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 के लिए पशुधन क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद का कोई अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ङ) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) के लिए पशु उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य लगभग 2024.81 करोड़ रुपए तथा 1974.25 करोड़ रुपए था।

(च) और (छ) वर्ष 2003-04 के दौरान मीट और मीट उत्पादों का निर्यात 1683.78 करोड़ रुपए था तथा 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) में यह 1460.79 करोड़ रुपए था। तथापि, 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) में निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1333.42 करोड़ रुपए के निर्यात से अधिक है।

**विदेशों में पर्यटन कार्यालय खोलना**

**5535. श्री वी.के. दुग्मर:**
**श्री एम. अंजन कुमार यादव:**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विदेशों में संचालित हो रहे पर्यटन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या इनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशों में और अधिक संख्या में उक्त कार्यालयों को खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे देश कौन से हैं जिनमें ये कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) वर्तमान में विदेशों में 13 भारत पर्यटन कार्यालय संचालित हो रहे हैं। ये कार्यालय न्यूयार्क, लास ऐंजिल्स, टोरंटो, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एमस्टरडम, मिलान, दुबई, जोहान्सबर्ग, टोक्यो, सिडनी और सिंगापुर में स्थित हैं।

(ख) से (घ) ये कार्यालय संवर्धन कार्यकलापों की एक रेंज के माध्यम से, विदेशों में स्थित मार्केटों में पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने तथा मार्केट करने के लिए, अपने अपेक्षित कार्यों को प्रभावकारी रूप से कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मार्केटों में भारतीय पर्यटन उत्पाद पहले से अधिक देखा गया है और देश में विदेशी पर्यटक आगमनों में तथा विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) चीन, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड में केवल प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**प्याज और आलू का उत्पादन**

**5536. श्री जुएल ओराम:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 के दौरान प्याज और आलू के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्याज और आलू के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्याज और आलू के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या औने-पौने दाम पर की जा रही बिक्री को रोकने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) वर्ष 2004-05 के दौरान प्याज और आलू के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत् हैं:-

(मि. टन में)

| फसल | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|
| प्याज | 6.00 | 5.94 |
| आलू | 25.00 | 24.15 |

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) सरकार प्याज और आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए फसल खरीद हेतु "मंडी हस्तक्षेप स्कीम" क्रियान्वित कर रही है। यह स्कीम व्यस्ततम अवधि में भरपूर फसल होने की स्थिति में जब मूल्यों में आर्थिक स्तर से नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है तब किसानों को मजबूरन बिक्री से संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर क्रियान्वित की जाती है।

**तटीय पर्यटन**

**5537. श्री पी. करूणाकरन:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तटीय पर्यटन के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, 10वीं योजना अवधि के दौरान, पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों की उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत, अवसंरचना के विकास हेतु, परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रस्ताव के गुण-दोष पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकारों की सहायता करता रहा है। योजना के क्षेत्र में तटीय पर्यटन का विकास भी सम्मिलित है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने मालाबार क्षेत्र में पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे 636.48 लाख रुपयों की रिलीज के साथ 795.56 लाख रुपयों की राशि हेतु स्वीकृत किया गया। इस परिपथ में तटीय क्षेत्रों का विकास भी कवर होता है।

**आंध्र प्रदेश द्वारा वंशधारा नदी पर निर्माण**

**5538. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार वर्ष 1962 में उड़ीसा के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करते हुए अन्तर्राज्यीय वंशधारा नदी पर कतिपय निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निरीक्षण हेतु स्थल पर कोई दल भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1962 में उड़ीसा के साथ हस्ताक्षरित समझौते के उल्लंघन में वंशधारा नदी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वंशधारा परियोजना की स्थिति पर राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग से एक केन्द्रीय दल को अप्रैल, 2005 में हैदराबाद तथा भुवनेश्वर भेजा गया था। दल ने राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दल की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि दोनों राज्यों के अधिकारी सभी संबंधित मुद्दों को तकनीकी समिति की बैठक में सुलझाने पर सहमत हो गए हैं जिस समिति में दोनों राज्यों से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं तथा जिसका गठन 24 फरवरी, 2005 को एक मंत्री स्तरीय बैठक में हुआ था।

**एम.सी.डी.सी. का कार्यान्वयन**

**5539. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र कारपोरेशन डेवलपमेंट काऊंसिल द्वारा राज्य में नेशनल कापरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.सी.डी.सी. ने अपने कार्यक्रमों की राज्यों में क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में इसका कितना उपयोग किया गया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) विभिन्न राज्यों में अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान एन.सी.डी.सी. ने सहकारी क्षेत्र के विकास की अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1507.26 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है तथा 1060.01 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 2004-05 के दौरान एन.सी.डी.सी. ने महाराष्ट्र राज्य को 165.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 112.13 करोड़ रु. निर्मुक्त किए जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं हेतु पूर्णतया उपयोग कर ली थी।

*[हिन्दी]*

**बिहार में फसलों के उत्पादन में वृद्धि संबंधी कार्यक्रम**

**5540. श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मगही पान, लोटस सीड, केला और लीची के उत्पादन में वृद्धि करने और इनके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उत्पादों का निर्यात करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को अन्य किन उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु सहायता दी जाती है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु कार्यक्रम सहित "कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में मगही पान, लोटस बीज, केला और लीची भी शामिल किए जाते हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, बिहार और तमिलनाडु राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अधीन राष्ट्रीय लीची, मगही पान एवं केला अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। लोटस बीज के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) बागवानी जिंसों के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, लीची और सब्जियों के लिए विशेष रूप से इन जिंसों के निर्यात के लिए कृषि निर्यात जोन स्थापित किये गये हैं।

(घ) कृषि में वृहत् प्रबंध स्कीम के अंतर्गत सरकारी सहायता अन्य फसलों जैसे अमरूद, आम, अनन्नास, औषधीय एवं सुगंधित पौधों, पुष्प कृषि और मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदान की जाती है।

*[अनुवाद]*

**संकटापन्न वन्यजीव का प्रजनन**

**5541. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल जू आथारिटी ने बाघ सहित कई दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के प्रजनन हेतु योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी संकल्पना कब की गई थी;

(ग) योजना को क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना को बिना किसी और विलंब के क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में उन संकटापन्न प्रजातियों की पहचान करने के लिए जिन्हें संरक्षण प्रजनन द्वारा बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है और अन्य तरीके सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक पांच सदस्यीय टीम बनाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतिभागी चिड़ियाघरों तथा प्रजाति समन्वयकों सहित पात्र प्रजातियों की पहचान कर लिए जाने के पश्चात् केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता सभी आवश्यक सहायता प्रदान कराएगा।

## मत्स्यन का विकास

**5542. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान की भागीदारी से पर्वतीय क्षेत्रों में शीत जल मत्स्यन और जलचर पालन के विकास और जलचर पालन हेतु अंतर्देशीय लवणयुक्त/क्षारीय मृदा के उपयोग की प्रायोगिक परियोजना का क्रियान्वयन करने संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) पहाड़ी क्षेत्रों में मात्स्यिकी तथा जलकृषि संबंधी पायलट योजना को 2001-2002 के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल तथा सिक्किम जैसे राज्यों में क्रियान्वित किया गया था जिसके लिए जल निकायों का सर्वेक्षण का कार्य आरंभ करने, फार्मों के निर्माण/पुन:संरचना तथा अन्य आवश्यक आदानों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शत प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया था। जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय अंतर जलक्षेत्र के लाभकारी उपयोग के लिए इसी तरह की एक योजना वर्ष 2001-02 के दौरान भारत सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित की गई है।

(ख) पायलट योजनाओं के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर शीतल जल मात्स्यिकी तथा जलकृषि संबंधी घटक को आरंभ करने तथा जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय जल के लाभकारी उपयोग के लिए अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 10वीं योजना के दौरान प्रावधान किए गए हैं। राज्य उक्त उद्देश्यों के लिए इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा विकास संबंधी क्रियाकलापों में होने वाले व्यय में भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 75:25 की भागीदारी होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## समुद्र तट के निकट संवेदनशील रेखा

**5543. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समुद्र तट के निकट संवेदनशील रेखा खींचने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विकसित देशों में विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप होगा; और

(घ) यदि हां, तो संवेदनशील रेखा को कब तक अंतिम रूप देने और इसे कब तक लागू करने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) जी, हां।

(ख) प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में उत्तोलन, भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, समुद्र तल प्रवृत्ति, तटीय रेखा विस्थापन, ज्वारीय उतार-चढ़ाव और लहरों की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील रेखा के सीमांकन की सिफारिश की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय स्थितियों के लिए संवेदनशील रेखा सीमांकन के लिए कार्य प्रणाली में उपर्युक्त सूचीबद्ध पैरामीटरों की गहन जांच और इनके भूमि पर सीमांकन करने से पूर्व विभिन्न तटीय राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करना अपेक्षित है।

*[हिन्दी]*

## नासिक में अंगूर का उत्पादन

**5544. श्री देविदास पिंगले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में स्थित नासिक अंगूर उत्पादक जिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादन, संग्रहण में वृद्धि करने, प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने और देश के अन्य हिस्सों में बुलाई करने हेतु कोई तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अंगूर के उत्पादन और निर्यात की संभावना का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों का एक समूह भेजने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार बृहत कृषि प्रबंधन-कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को उनके द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए लचीलापन प्राप्त है। अंगूर सहित फलों का विकास इस स्कीम के घटकों में से एक है जिसके अधीन फसलों के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान बागवानी विकास हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार को 2265.00 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वाणिज्यिक बागवानी विकास और पूंजी निवेश राजसहायता से संबंधित अपनी स्कीम के अंतर्गत नासिक जिले को 95.75 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है जिसके अधीन बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) अंगूर उत्पादन और निर्यात क्षमता के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ दल भेजने की सरकार की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) विदेश में अपेडा द्वारा प्रायोजित अथवा आयोजित अध्ययन दौरे करने के लिए अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे दौरों में ऐसे कार्यकलापों जिनका निर्यात से संबंध है पर सहायता यात्रा तथा अध्ययन सामग्री के वितरण की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है।

*[अनुवाद]*

**नदियों और झीलों की सफाई के लिए धनराशि जुटाना**

**5545. श्री एस.के. खारवेलथन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में नोय्यल नदी सहित देश में सभी प्रमुख नदियों और झीलों की सफाई कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/नदी/झील-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी लागत अंतर्ग्रस्त है;

(ग) देश की प्रत्येक नदी और झील में पानी की गुणवत्ता सुधारने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आवश्यक व्यय को जुटाने हेतु योजना आयोग के समक्ष मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) निर्धारित समय के भीतर नदियों और झीलों की सफाई का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का 18 राज्यों में फैली 31 नदियों के प्रदूषित भागों के किनारे के 157 शहरों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों की अनुमोदित लागत का राज्यवार/शहरवार/नदीवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। तमिलनाडु की कोय्यल नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अलावा, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना नामक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ रुपए की लागत से 36 झीलों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित लागत के साथ परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) गंगा नदी की जल गुणता में 1986 के पूर्व गंगा कार्य योजना गुणता की तुलना में सुधार हुआ है जबकि कार्य योजना के कार्य पूरे हो गए हैं। नदियों के किनारे बढ़ती शहरी आबादी के बावजूद गंगा और यमुना नदियों की जल गुणता में सापेक्षित अर्थ में कार्बनिक प्रदूषण (जैव रसायन आक्सीजन मांग) में कमी

आयी है और कुछ भागों में जैव रसायन आक्सीजन मांग मानक (3 मि.ग्रा. प्रति लीटर) से अधिक है। डाटा से यह स्पष्ट है कि कानपुर में गंगा में जैव रसायन आक्सीजन मांग 1986 से लेकर 2004 तक की अवधि के दौरान 8.6 मि.ग्रा. प्रति लीटर से कम होकर 5.7 मि.ग्रा. प्रति लीटर हो गयी है जबकि इस अवधि में कानपुर के उर्ध्वप्रवाह में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी बढ़ी है।

(घ) और (ङ) दसवीं योजना में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 1417 करोड़ रुपए है जो चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश की प्रमुख नदियों और झीलों की सफाई के लिए व्यापक निधि अपेक्षित है। इस मामले को योजना आयोग के समक्ष उठाया गया है। योजना आयोग ने दसवीं योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा के समय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना/राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के परिव्यय की पुनरीक्षा करने के लिए अपनी सहमति दी है।

(च) नदियों और झीलों की सफाई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों में सीवेज का अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय, नदी तटाग्र विकास, शवदाहगृह की स्थापना आदि और झील की सफाई के स्वस्थाने उपायों जैसे गाद निकालना, खरपतवार निकालना, जैव सुधार एवं कैचमेंट क्षेत्र शोधन आदि शामिल हैं। चूंकि नदियों और झीलों की सफाई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत अधिक निधि अपेक्षित है इसलिए यह उपलब्धि निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

***विवरण I***

*राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 157 शहरों में अनुमोदित लागत का राज्यवार, शहरवार और नदीवार ब्यौरा*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/नदी | शहरों की संख्या | शहर | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | आंध्र प्रदेश | | | |
| | 1. गोदावरी | 1. | भद्राचलम | 294.36 |
| | | 2. | मंचरियाल | 456.72 |
| | | 3. | राजमुन्द्री | 2391.12 |
| | | 4. | रामागुंडम | 1961.13 |
| | 2. मूसी | 5. | हैदराबाद | 34408.00 |
| | उप योग: | | | 39511.33 |
| II. | बिहार | | | |
| | 3. गंगा | 6. | आरा | 255.20 |
| | | 7. | बड़हिया | 41.26 |
| | | 8. | बाढ़ | 68.69 |
| | | 9. | भागलपुर | 516.77 |
| | | 10. | बक्सर | 76.14 |
| | | 11. | छपरा | 167.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 12. | फतुवा | 66.56 |
| | | 13. | हाजीपुर | 292.63 |
| | | 14. | कहलगांव | 206.92 |
| | | 15. | मोकामा | 176.68 |
| | | 16. | मुंगेर | 116.38 |
| | | 17. | पटना | 1163.57 |
| | | 18. | सुल्तानगंज | 93.81 |
| | उप योग: | | | 3242.23 |
| III. | **दिल्ली** | | | |
| | 4. यमुना | 19. | दिल्ली | 18656.42 |
| | | | यमुना कार्य योजना-II | 38717.00 |
| | उप योग: | | | 57373.42 |
| IV. | **गोवा** | | | |
| | 5. मंडोवी | 20. | पणजी | 1409.52 |
| | उप योग: | | | 1409.52 |
| V. | **गुजरात** | | | |
| | 6. साबरमती | 21. | अहमदाबाद | 9383.39 |
| | उप योग: | | | 9383.39 |
| VI. | **हरियाणा** | | | |
| | यमुना | 22. | छिछरौली | 102.54 |
| | | 23. | फरीदाबाद | 7804.26 |
| | | 24. | घरौंदा | 173.37 |
| | | 25. | गोहाना | 335.60 |
| | | 26. | गुड़गांव | 2681.75 |
| | | 27. | इन्द्री | 128.15 |
| | | 28. | करनाल | 2729.62 |
| | | 29. | पलवल | 1056.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 30. | पानीपत | 4392.59 |
| | | 31. | रादौर | 181.09 |
| | | 32. | सोनीपत | 2403.51 |
| | | 33. | यमुनानगर | 2867.23 |
| | | | यमुना कार्य योजना-II | 6250.00 |
| | उप योग: | | | 31105.89 |
| VII. | **झारखण्ड** | | | |
| | 7. सुबर्णरेखा | 34. | घाटशिला | 196.86 |
| | | 35. | जमशेदपुर | 1705.42 |
| | | 36. | रांची | 1161.81 |
| | 8. दामोदर | 37. | बोकारो-कांगली | 115.46 |
| | | 38. | चिकुन्डा | 172.12 |
| | | 39. | दुग्धा | 123.80 |
| | | 40. | झरिया | 193.35 |
| | | 41. | रामगढ़ | 295.38 |
| | | 42. | साहेबगंज | 47.50 |
| | | 43. | सिन्दरी | 0.85 |
| | | 44. | सुदामाडीह | 99.83 |
| | | 45. | तेलमुमोचु | 21.27 |
| | उप योग: | | | 4133.65 |
| VIII. | **कर्नाटक** | | | |
| | 9. भद्रा | 46. | भद्रावती | 459.49 |
| | 10. कावेरी | 47. | के.आर. नगर | 80.36 |
| | | 48. | श्रीरंगपत्तन | 183.97 |
| | 11. पेन्नर | 49. | बंगलौर | 4627.00 |
| | 12. तुंगा | 50. | शिमोगा | 708.93 |
| | 13. तुंगभद्रा | 51. | देवनगिरि | 644.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 52. | हरिहर | 249.60 |
| | | 53. | कोलेगल | 70.65 |
| | | 54. | नंनजागुड | 175.23 |
| | उप योग: | | | 7199.70 |
| IX. | केरल | | | |
| | 14. पम्बा | 55. | पम्बा | 1845.00 |
| | उप योग: | | | 1845.00 |
| X. | मध्य प्रदेश | | | |
| | 15. बेतवा | 56. | भोपाल | 234.77 |
| | | 57. | मंडीदीप | 165.24 |
| | | 58. | विदिशा | 463.87 |
| | 16. चम्बल | 59. | नाग्दा | 372.10 |
| | 17. खान | 60. | इंदौर | 4219.08 |
| | 18. क्षिप्रा | 61. | उज्जैन | 2492.13 |
| | 19. नर्मदा | 62. | जबलपुर | 1380.77 |
| | 20. ताप्ती | 63. | बुरहानपुर | 525.79 |
| | 21. वैनगंगा | 64. | छपरा | 58.71 |
| | | 65. | केलरी | 77.57 |
| | | 66. | सिउनी | 129.23 |
| | उप योग: | | | 10119.26 |
| XI. | महाराष्ट्र | | | |
| | गोदावारी | 67. | नांदेड | 1449.79 |
| | | 68. | नासिक | 6889.19 |
| | | 69. | त्रिम्बकेश्वर | 1164.00 |
| | 22. कृष्णा | 70. | कराड़ | 1330.64 |
| | | 71. | सांगली | 1483.73 |
| | उप योग: | | | 12317.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| XII. | उड़ीसा | | | |
| | 23. ब्राह्मणी | 72. | चांदबाली | 97.36 |
| | | 73. | धर्मशाला | 220.32 |
| | | 74. | तलचर | 676.62 |
| | 24. महानदरी | 75. | कटक | 1404.00 |
| | तटीय क्षेत्र | 76. | पुरी | 4829.00 |
| | उप योग: | | | 7227.30 |
| XIII. | पंजाब | | | |
| | 25. सतलुज | 77. | जालंधर | 5454.86 |
| | | 78. | लुधियाना | 15715.54 |
| | | 79. | फगवाड़ा | 715.98 |
| | | 80. | फिल्लौर | 74.98 |
| | | 81. | कपूरथला | 1256.26 |
| | | 82. | सुल्तानपुर लोधी | 240.74 |
| | उप योग: | | | 23458.36 |
| XIV. | राजस्थान | | | |
| | चम्बल | 83. | केशोरायपट्टा | 76.39 |
| | | 84. | कोटा | 1244.61 |
| | उप योग: | | | 1321.00 |
| XV. | तमिलनाडु | | | |
| | 26, 27 अड्यार, क्यूम, कावेरी | 85. | चेन्नई | 49152.00 |
| | | 86. | भवानी | 349.73 |
| | | 87. | इरोड | 1488.60 |
| | | 88. | कुमारपलायम | 593.85 |
| | | 89. | पल्लीपलायम | 540.76 |
| | | 90. | त्रिची | 654.81 |
| | | 91. | करूरी | 3850.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 92. | कुम्बकोनम | 5060.00 |
| | | 93. | मालादुथुरई | 4620.00 |
| | | 94. | तिरूचिरापल्ली | 13200.00 |
| | 28. ताम्रबरनी | 95. | तिरूनेलवेला | 6600.00 |
| | 29. वैगई | 96. | मदुरई | 16500.00 |
| | 30. वेन्नार | 97. | थन्जावुर | 7700.00 |
| | उप योग: | | | 110309.75 |
| XVI. | **उत्तर प्रदेश** | | | |
| | गंगा | 98. | इलाहाबाद | 3272.36 |
| | | 99. | अनुपशहर | 549.07 |
| | | 100. | बिजनौर | 718.20 |
| | | 101. | चुनार | 468.30 |
| | | 102. | फरूखाबाद | 51.02 |
| | | 103. | गढ़मुक्तेश्वर | 153.90 |
| | | 104. | गाजीपुर | 771.78 |
| | | 105. | कानपुर | 8573.88 |
| | | 106. | मिर्जापुर | 369.60 |
| | | 107. | मुगलसराय | 409.02 |
| | | 108. | सैदपुर | 61.62 |
| | | 109. | वाराणसी | 4505.97 |
| | 31. गोमती | 110. | जौनपुर | 566.38 |
| | | 111. | लखनऊ | 31100.96 |
| | | 112. | सुल्तानपुर | 470.03 |
| | यमुना | 113. | आगरा | 7463.23 |
| | | 114. | इटावा | 943.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 115. | गाजियाबाद | 9172.24 |
| | | 116. | मथुरा | 2798.87 |
| | | 117. | मुजफ्फरनगर | 1282.90 |
| | | 118. | नोएडा | 2814.79 |
| | | 119. | सहारनपुर | 2551.54 |
| | | 120. | वृन्दावन | 961.58 |
| | | | यमुना कार्य योजना-II | 12413.00 |
| | उप योग: | | | 92443.33 |
| XVII. | उत्तरांचल | | | |
| | गंगा | 121. | बद्रीनाथ | 67.54 |
| | | 122. | देवप्रयाग | 381.19 |
| | | 123. | गोपेश्वर | 97.42 |
| | | 124. | हरिद्वार एवं ऋषिकेश | 648.00 |
| | | 125. | जोशीमठ | 43.82 |
| | | 126. | कर्णप्रयाग | 29.23 |
| | | 127. | रानीपुर | 746.09 |
| | | 128. | रूद्रप्रयाग | 209.38 |
| | | 129. | श्रीनगर | 707.85 |
| | | 130. | उत्तरकाशी | 918.08 |
| | उप योग: | | | 3848.60 |
| XVIII. | पश्चिम बंगाल | | | |
| | दामोदर | 131. | अंडाल | 141.34 |
| | | 132. | आसनसोल | 761.42 |
| | | 133. | दुर्गापुर | 161.51 |
| | | 134. | रिसरा | 1191.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | गंगा | 135. | भद्रेश्वर एवं चम्पदानी | 3378.84 |
| | | 136. | वैधावती | 1291.11 |
| | | 137. | बांसबेरिया | 2680.59 |
| | | 138. | बैरकपुर | 2395.18 |
| | | 139. | बज-बज | 985.37 |
| | | 140. | चकदाह | 235.06 |
| | | 141. | सरकुलर कनाल | 901.82 |
| | | 142. | धूलिया | 371.05 |
| | | 143. | डायमण्ड हार्बर | 342.53 |
| | | 144. | गरूलिया | 1035.82 |
| | | 145. | जांगीपुर | 335.09 |
| | | 146. | जीजगंज अजीमगंज | 556.54 |
| | | 147. | कटवां | 357.61 |
| | | 148. | खरदा (विस्तार) | 986.17 |
| | | 149. | कोन्नागर | 1486.50 |
| | | 150. | महेशतला | 1275.72 |
| | | 151. | मुर्शिदाबाद | 488.65 |
| | | 152. | नैहाटी | 2322.05 |
| | | 153. | उत्तरी बैरकपोर | 1922.23 |
| | | 154. | रानीगंज | 154.91 |
| | | 155. | टोलीज नल्लाह | 3545.36 |
| | | 156. | उत्तरपारा कोट्रंग | 1069.93 |
| | | 157. | गोयेसपुर, हालीशर एवं कंचनपारा | 2591.60 |
| | उप योग: | | | 32965.24 |
| | योग : (18 राज्य): | | | 449214.32 |
| | सीईटीपी, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) | | | 6500.00 |
| | ईएसटीटी एंड आर एंड डी | | | 13072.52 |
| | कुल योग: | | | 468786.84 |

*विवरण II*

*राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत का राज्यवार ब्यौरा*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | झीलों की संख्या | झीलों का नाम | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1 | बंजारा | 2.75 |
| | उप योग: | 1 | | 2.75 |
| 2. | महाराष्ट्र | 1 | पोवई | 6.62 |
| | | 9 | थाणे जिले में 9 झीलें | 2.53 |
| | | 1 | महालक्ष्मी, बड़गांव | 1.85 |
| | उप योग: | 11 | | 11.00 |
| 3. | तमिलनाडु | 1 | ऊटी | 1.95 |
| | | 1 | कोडईकनाल | 6.33 |
| | उप योग: | 2 | | 8.28 |
| 4. | कर्नाटक | 4 | वेंगाईकिरी कामाक्षीपलंया नागवारा एवं जरगनाहाली | 12.32 |
| | | 1 | बेलनदुर | 5.54 |
| | | 1 | कोटेकिरी | 5.64 |
| | | 1 | भीष्मा | 2.50 |
| | | 1 | लाल बाग | 1.66 |
| | | 1 | चन्नापटना, हसन | 4.97 |
| | | 1 | शरनभासवेशवरा | 4.89 |
| | | 1 | अक्कमहादेवी, हवेरी | 2.64 |
| | उप योग: | 11 | | 40.16 |
| 5. | उत्तरांचल | 4 | नैनीताल जिले की झीलें | 16.85 |
| | | 1 | नैनीताल झील | 47.97 |
| | उप योग: | 5 | | 64.82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | राजस्थान | 1 | मनसागर | 24.72 |
| | उप योग: | 1 | | 24.72 |
| 7. | पश्चिम बंगाल | 1 | रबिन्द्र सरोवर | 6.96 |
| | | 1 | मिरिक | 4.00 |
| | उप योग: | 2 | | 10.96 |
| 8. | त्रिपुरा | 3 | अगरतला | 2.02 |
| | उप योग: | 3 | | 2.02 |
| | कुल योग: | 36 | | 164.71 |

**प्रमुख तिलहन फसल के रूप में सरसों**

**5546. श्री डी. विट्टल राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरसों को प्रमुख तिलहन फसल के रूप में प्रोत्साहन देने पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई बैठक आयोजित की है;

(ग) यदि हां, तो इसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (घ) भारत सरकार ने सरसों सहित तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विशिष्ट कार्यनीतियां तैयार करने हेतु बैठकें आयोजित की हैं। तदनुसार सरसों सहित तिलहन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकरों तथा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के ब्यौरे वाली राज्य विशिष्ट मार्गदर्शी पुस्तिका (स्टेट स्पेस्फिक एडवाइजरीज) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान संस्थानों के परामर्श से तैयार की गई हैं तथा देश में सरसों सहित तिलहन फसलों से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

**नदी जल का विपथन**

**5547. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम में बहने वाली महादायी नदी के जल का विपथन मालप्रभा नदी में करने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने अप्रैल, 2002 में कालसा और बांदुरीनल्ला स्कीमों के कार्यान्वयन के जरिए मादेई बेसिन से मालप्रभा बेसिन में 7.56 टीएमसी जल को व्यपवर्तित करने के लिए अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था ताकि हुबली/धारवाड़ शहरों की पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय ने 30 अप्रैल, 2002 को जल उपलब्धता दृष्टिकोण से हुबली/धारवाड़ की पेयजल की जरूरतों को पूरा करने संबंधी प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान कर दी है। गोवा सरकार ने जुलाई, 2002 में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त इस स्वीकृति पर कड़ी आपत्ति की थी और इस विवाद के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन का अनुरोध किया था। इसको ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टि से मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 'सैद्धांतिक' स्वीकृति को सितम्बर, 2002 में आस्थगित रखा गया ताकि दोनों राज्यों के बीच समझौते द्वारा मामले को हल किया जा सके। ऐसा न होने पर इस अधिकरण के एक पंचाट द्वारा मामले को हल किया जाएगा। मादेई नदी के जल के बंटवारे के संबंध में दोनों राज्यों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

**चारागाह भूमि की कमी**

**5548. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मौजूद पशुधन आबादी पर ध्यान रखते हुए देश में चारागाह भूमि की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो चारागाह और घास भूमि विकास के अंतर्गत देश में अतिरिक्त क्षेत्र को लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चारागाह भूमि के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने आठवीं तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान "बायोमास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिल्वी पाश्चर प्रणाली स्थापित करने" और "घास रिजर्वों सहित चारागाह का विकास" घटकों को शामिल करते हुए "आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित किया था। इन योजना अवधियों के दौरान विभिन्न राज्यों को 938.20 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया गया था।

(ग) से (ङ) चूंकि 2002-03 से इस योजना को बंद कर दिया गया था, अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। चारा विकास पर एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसमें एक घटक के रूप में घास रिजर्वों सहित चारागाह का विकास शामिल है 100% केन्द्रीय अनुदान सहित 2005-06 से कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस घटक के लिए 700 लाख रुपए रखे गए हैं।

**दूषित जल के लिए योजना**

**5549. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के उपयोग हेतु दूषित जल के पुन: चक्रण हेतु वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना/प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) भारत सरकार फसल उत्पादन हेतु दूषित जल को पुन: उपयोगात्मक बनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की कोई विशिष्ट स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रही है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दूषित जल/सीवर के पानी को खेती में उपयोगी बनाने हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित की है। सीवर के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग की संभावना का तीन फसल प्रणालियों अर्थात् अकेले खाद्यान्न उत्पादन (चावल-गेहूं) अथवा कृषि वानिकी पोपलर, वानस्पतिक उत्पादन (फूल गोभी-भिण्डी-पालक) के साथ, चावल-गेहूं और चारा उत्पादन (बरसीम-सोरघम) प्रणालियों में फसल उत्पादन पर आकलन किया गया था। अध्ययन में दर्शाया गया है कि नलकूप जल सिंचाई की तुलना में सीवर पानी (सीवेज) जल के अधीन धान (14%), गेहूं (4%) और फूल गोभी (23%) की अधिक उपज हुई।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्न वितरण हेतु वैकल्पिक योजना**

**5550. श्री थावरचन्द गेहलोत:**
**श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
**श्री रघुवीर सिंह कौशल:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विस्तार जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्नों के वितरण हेतु "फूड स्टाम्प" या "फूड क्रेडिट कार्ड" जैसी कोई वैकल्पिक योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ राज्यों द्वारा ऐसी योजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी उपलब्धि हासिल की गई।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य क्रेडिट कार्डों पर पायलट परियोजना

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, केरल के एर्नाकुलम और मध्य प्रदेश के विदिशा जिलों में चल रही है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कूपन प्रणाली पहले ही लागू कर दी है और वे उनके द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर कृष्णा जिले में ''बार कोडिड'' कूपन जारी करने जा रहे हैं। ''बार कोडिड'' कूपनों में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे:-

(1) जिला कोड

(2) मंडल कोड

(3) उचित दर दुकान कोड

(4) कार्ड में सदस्यों/यूनिटों की संख्या

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश में दलहन की खेती के क्षेत्रों हेतु परियोजना**

**5551. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में दलहन की खेती वाले क्षेत्रों को बढ़ाने हेतु कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए परियोजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई और इसे किस तरह से व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) भारत सरकार देश में दलहन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सहित दलहन उत्पादक 14 मुख्य राज्यों में ''समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम'' आईसोपाम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत, किसानों को दलहन उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशकों के वितरण रिजोबियम कल्चर/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराईट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों और जल वाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

आंध्र प्रदेश में वर्ष 2004-05 के दौरान क्षेत्र कवरेज और उत्पादन क्रमश: 17.65 लाख हैक्टेयर और 11.54 लाख टन हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान दलहन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 110.976 लाख रु. की राशि उपयोग की गई है।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए आईसोपाम के अधीन आंध्र प्रदेश को 2650 लाख रु. के आबंटन का प्रस्ताव किया है। इस राशि का उपयोग राज्य द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आईसोपाम के अधीन तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।

**ग्रेनाइट खदान मजदूर**

**5552. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेनाइट खदान मजदूरों और तम्बाकू मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के चीमाकुर्थी में ई.एस.आई. अस्पताल शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों की ओर बकाया राशि**

**5553. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
**श्री रघुनाथ झा:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 39.7 करोड़ ठोस कार्यबल में से सिर्फ 4.01 करोड़ कामगारों को ही अब तक कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक एकल पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उन प्रतिष्ठानों के संदर्भ में अलग रिकार्ड रखा जाता है जो भविष्य निधि राशि नहीं जमा करा रहे हैं जबकि वे अपने कर्मचारियों की मजदूरी से राशि की कटौती कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों की ओर कितनी राशि बकाया है; और

(च) चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों से बकाया राशि की वसूली हेतु उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**श्रम और रोजगार मंत्री ( श्री के. चन्द्रशेखर राव ):** (क) और (ख) दिनांक 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत 4.09 करोड़ कामगारों को दायरे में लिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 में कवरेज के लिए अनुसूची क्रियाकलाप के भीतर आने वाले 20 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के कानूनी पंजीकरण का प्रावधान है। इसके अलावा, कर्मचारियों की संख्या अथवा उद्योग की अनुसूची को ध्यान में रखे बिना अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण का भी प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय कर्मचारियों के हिस्से के प्रेषण में चूक करने वाले प्रतिष्ठानों का पता लगाने और पहचान करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। तथापि, प्रतिष्ठानों के अनुपालन का कम्प्यूटरीकृत अनुपालन ट्रैंकिंग प्रणाली (सी सी टी एस) के माध्यम से नियमित रूप में अनुवीक्षण किया जाता है और कर्मचारियों के हिस्से के प्रेषण सहित किसी चूक की इस प्रणाली के माध्यम से पहचान की जाती है।

(ङ) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों के पास 1862.80 करोड़ रुपए बकाया थे, जबकि दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार 2105.37 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(च) चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों से बकाया देय राशियों की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। इसमें अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करना, सम्पत्तियों/बैंक खातों की कुर्की तथा चूककर्त्ताओं की गिरफ्तारी शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रत्येक क्षेत्रों में वसूली के लिए विशेष दस्ते बनाकर और कानून के अंतर्गत अवपीड़न की कार्रवाई में तेजी लाकर बकाया राशियों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया है।

*[हिन्दी]*

**दलहन और तिलहन के उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु योजना**

**5554. श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
**श्री मो. ताहिर:**
**श्री मुन्शी राम:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य राजसहायता को न्यूनतम स्तर तक लाने हेतु किसी योजना पर काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दलहन और तिलहन जैसी फसलों को उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति-तंत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार प्रमुख खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कोई सीमा निर्धारित करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) सरकार राजसहायता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खाद्यान्न की विकेन्द्रीकृत खरीद और वितरण; भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऋण लेने पर ब्याज की दर में कमी; ढुलाई लागत को कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाक के निर्धारण आदि को बढ़ावा दे रही है।

(ख) और (ग) भारत सरकार देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 14 मुख्य तिलहन और दलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अधीन तिलहन और दलहन उगाने के लिए किसानों को बढ़ावा देने हेतु प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिटों, पादप रक्षण रसायनों और उपकरणों, खरपतवार नाशियों, जिप्सम/

पाइराईट/लाइमिंग/डोलोमाइट, स्प्रिंकलर सेटों और जल वाहक पाईपों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट विलायक बैक्टीरिया आदि की आपूर्ति के लिए सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) फिलहाल सरकार के पास मुख्य खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर सीलिंग लगाने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि अन्य फसलों के बदले दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने, जिसके लिए घरेलू मांग आपूर्ति पाटने के लिए भारत आयातों पर निर्भर करता है, के आवश्यक मूल्य संकेत देने के लिए सरकार अन्य फसलों, खासकर अनाजों की तुलना में दलहन और तिलहन हेतु अपेक्षाकृत उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती रही है।

*[अनुवाद]*

**धान का उत्पादन**

**5555. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर कर्नाटक में धान का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में, विशेषकर कर्नाटक में धान के उत्पादन के लिए खेती योग्य भूमि में वर्ष-दर-वर्ष कमी आती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्षा की कमी और भण्डारण की अल्प सुविधा के परिणामस्वरूप धान का उत्पादन कम हुआ;

(घ) यदि हां, तो धान के कम उत्पादन के अन्य प्रमुख कारण क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में किसानों को कितनी हानि हुई; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में, विशेषकर कर्नाटक में धान उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के लिए कर्नाटक और साथ ही अखिल भारत में धान की खेती के अधीन क्षेत्र और धान का उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

क्षेत्र-मिलियन हैक्टेयर में
उत्पादन-मिलियन टन में

| वर्ष | मद | अखिल भारत | कर्नाटक |
|---|---|---|---|
| 2001-02 | क्षेत्र | 44.90 | 1.42 |
| | उत्पादन | 140.01 | 4.85 |
| 2002-03 | क्षेत्र | 41.18 | 1.15 |
| | उत्पादन | 107.73 | 3.59 |
| 2003-04 | क्षेत्र | 42.50 | 1.15 |
| | उत्पादन | 132.42 | 3.77 |

कर्नाटक में धान के क्षेत्र और उत्पादन में पिछले तीन वर्षों की तुलना में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है:

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में संलग्न विवरण में दर्शाई गई वर्षा की स्थिति प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में कर्नाटक में मानसून अवधि के दौरान वर्षा लगातार सामान्य से कम थी।

इस अवधि के दौरान जलाशयों में जल की उपलब्धता भी अपर्याप्त थी। हालांकि पर्याप्त जल की उपलब्धता मुख्य कारक हैं जो धान उत्पादन को प्रभावित करती है तथापि उपयुक्त तापमान, उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, उत्पाद का मंडी मूल्य आदि अन्य कारक हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमिक सूखे के कारण कर्नाटक में धान के उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। परिणामस्वरूप किसान वर्षा सिंचित धान के स्थान पर मक्का और सोयाबीन जैसी अन्य लाभकारी फसलों की खेती करने लगे हैं जिसके कारण धान के क्षेत्र और धान के उत्पादन में कमी आई है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में किसानों को उत्पादन में हुई हानि (पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कमी) निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है।

(मिलियन टन)

| वर्ष | खाद्यान्न | तिलहन | गन्ना | कपास* |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 2.29 | 0.52 | 9.91 | 0.24 |
| 2002-03 | 2.03 | 0.00 | 0.053 | 0.28 |
| 2003-04 | 0.03 | 0.04 | 166.85 | 0.01 |

*170 किग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठे

राज्य में सिंचाई के लिए जल की कमी को पूरा करने के लिए धान की खेती की चावल गहनीकरण प्रणाली को लोकप्रिय एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को दलहन, तिलहन, कपास आदि जैसी अन्य लाभकारी फसलों को बढ़ाने की भी सलाह दी जा रही है।

*विवरण*

*पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में वर्षा आंकड़े*

| वर्षा मिमी. में | वर्ष | मानसून | मानसून पश्चात् | शीत | मानसून पूर्व |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्तविक | 2001-02 | 771.6 | 179.0 | 15.3 | 117.4 |
| सामान्य | | 847.1 | 186.9 | 5.4 | 132.5 |
| वास्तावेक | 2002-03 | 603.7 | 204.7 | 3.4 | 60.8 |
| सामान्य | | 958.1 | 191.9 | 4.5 | 139.5 |
| वास्तविक | 2003-04 | 732.9 | 174.4 | 2.5 | 246.7 |
| सामान्य | | 897.3 | 188.1 | 4.9 | 136.7 |

**बाढ़ नियंत्रण**

**5556. श्री रूपचन्द मुर्मू:**
**श्रीमती जयाप्रदा:**
**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की कुछ नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश को बाढ़ से मुक्त करने और प्रत्येक वर्ष से बाढ़ हो रही क्षति से बचने हेतु कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बाढ़ के फालतू पानी की मात्रा का अनुमान लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी औसत मात्रा कितनी है और ऐसे जल का राज्य-वार किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने की संभावना है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) निम्नलिखित कुछ प्रमुख नदियां बाढ़ प्रवण हैं:

ब्रह्मपुत्र नदी, बराक और उनकी वितरिकाओं में बाढ़ से पूर्वोत्तर राज्य (अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा), सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग प्रभावित होते हैं। गंगा नदी एवं इसकी वितरिकाओं में बाढ़ आने से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य एवं उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग प्रभावित होते हैं। महानदी नदी और इसकी वितरिकाओं की बाढ़ से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य प्रभावित होते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी की बाढ़ से आंध्र प्रदेश प्रभावित होता है।

(ग) और (घ) यद्यपि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है फिर भी केन्द्र सरकार ने भी बाढ़ प्रबंधन संबंधी विस्तृत नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बाढ़ संबंधी समस्या की देख-रेख करने एवं उस पर उपचारात्मक उपायों के लिए सुझाव देने के वास्ते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें जिसमें देश में बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य नीति का एक ढांचा तैयार किया गया है, को कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा गया था। बाढ़ और इसके प्रबंधन से जुड़ी समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई अन्य विशेषज्ञ समितियों का गठन भी किया गया। इसकी सिफारिशों को भी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया था। गंगा बेसिन राज्यों के लिए वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की

सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो वर्ष 1982 से गुवाहाटी में कार्य कर रहा है, ने ब्रह्मपुत्र, बराक एवं इसकी प्रमुख वितरिकाओं के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया था।

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन संबंधी मास्टर योजना की जरूरत, जहां व्यवहार्य हो, जल भण्डारण, परियोजनाओं में उपयुक्त बाढ़ कुशल के प्रावधान, बेहतर बाढ़ प्रबंधन मुहैया कराने, बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी, बाढ़ प्लेन जोनिंग जैसी गैर-संरचनात्मक उपायों पर अत्यधिक बल देने और क्षति को कम करने के लिए बाढ़ रोधन तथा बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों के आधुनिकीकरण के साथ बाढ़ प्लेन क्षेत्रों में पुनर्वास एवं आर्थिक गतिविधियों के कड़ाई से विनियमन की व्यवस्था है।

वर्ष 2004 के दौरान, असम और पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ और कटाव समस्या की जांच करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी एक कार्य बल गठित किया गया है जिसमें राज्य सरकारों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ सदस्य हैं। कार्य बल ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों की सिफारिश की है। कार्य बल की रिपोर्ट को विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

(ङ) और (च) बाढ़ के रूप में औसत वार्षिक अतिरिक्त जल के प्रवाह के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग देश की प्रमुख नदी बेसिनों में 173 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों को प्रचालित कर रहा है। इन केन्द्रों पर प्रत्येक के लिए खतरे का निशान निर्धारित किया गया है। नदी में जब प्रवाह खतरे के निशान के ऊपर चला जाता है तो इससे क्षेत्र में नुकसान होने की संभावना रहती है।

**कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में गिरावट**

5557. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
**श्री वी.के. थुम्मर:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि में सरकारी निवेश में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कृषि में विकास बढ़ाने हेतु और अधिक निवेश किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) सकल पूंजी निर्माण के आंकड़ों के संबंध में वानिकी व जल भरण और मात्स्यिकी सहित कृषि में सार्वजनिक निवेश जो कि वर्ष 1994-95 में 5369 करोड़ रु. था ने वर्ष 1998 में 4444 करोड़ रु. पर तीव्र गिरावट दर्ज की। बाद के वर्षों में सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्ति में वृद्धि और वैकल्पिक वर्षों में कमी दर्ज की गई। ब्यौरा अनुबंध में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) अनुभव दर्शाता है कि भारतीय कृषि के कम निष्पादन में सहायक घटकों में कमजोर विपणन अवसंरचना, सिंचाई में निवेश के कम स्तर तथा कृषि की ओर ऋण का अपर्याप्त प्रवाह शामिल है। अत: वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में सिंचाई के लिए अधिक आवंटन का प्रावधान किया गया है और कृषि की ओर ऋण प्रवाह में और सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है, और बागवानी तथा विपणन के संवर्धन के लिए नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित स्कीमों को महत्व दिया गया है।

(1) **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** इस स्कीम के लिए 630 करोड़ रु. की राशि मुहैया कराई गई है जिसका लक्ष्य समेकित तरीके से अनुसंधान उत्पादन, फसल कटाई पश्चात प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए अग्र और पश्च लिंकेज का सर्वांगीण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

(2) **कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण:** इस स्कीम के लिए 72 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है जिसका उद्देश्य कृषि मंडियों, विपणन अवसंरचना और ग्रेडिंग, मानकीकरण आदि जैसी समर्थन सेवाओं की स्थापना के लिए निजी और सहकारी क्षेत्रों से बड़ा निवेश शामिल करना है।

(3) **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):** इसे केन्द्रीय ऋण सहायता के माध्यम से चल रहीं सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1996-97 में शुरू किया गया था। इसकी पुनरीक्षा हाल में ही की गई है और इसमें लास्ट माईल परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित रहा है। इस कार्यक्रम में वर्ष 2003-04 तक 181 मुख्य/मीडियम सिंचाई परियोजनाओं या परियोजनाओं के घटकों और 3810 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को

कवर किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन मार्च, 2004 के अंत तक मुख्य/मीडियम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 2.7 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई संभावनाओं का सृजन किया गया था जबकि इसी अवधि के दौरान सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 80,000 हैक्टेयर की सिंचाई संभावना सृजित की गई थी। वर्ष 2004-05 के 2800 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2005-06 में कार्यान्वयन की प्रगति में सुधार करने के लिए 4800 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(4) **सूक्ष्म सिंचाई:** आशा है कि सूक्ष्म सिंचाई स्कीम भारतीय कृषि में जल उपयोग कुशलता को बढ़ाएगी। अब तक सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लगभग 1.2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 10वीं योजना के अंत तक 3 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तक कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव है। तदनुसार स्कीम के लिए 400 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है जिसका उद्देश्य है-वर्ष 2005-06 में बड़े पैमाने पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को शामिल करते हुए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना। अब तक सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 1.2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कवर कर लिया गया है और 10वीं योजना के अंत तक 3 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तक कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(5) **कृषि ऋण:** बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, ने वर्ष 2004-05 में 108,500 करोड़ रु. वितरित किए, जिसे वर्ष 2005-06 में 30% तक बढ़ाया जाना है।

***विवरण***

*वानिकी व जल भरण और मात्स्यिकी सहित कृषि में निवेश की प्रवृत्ति (सकल पूंजी निर्माण)*

(1993-94 मूल्यों पर करोड़ रु. में)

| वर्ष | सार्वजनिक | जीडीपी में % अंश | निजी | जीडीपी में % अंश | कुल | जीडीपी में % अंश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 4918 | 0.57 | 10331 | 1.20 | 15249 | 1.77 |
| 1994-95 | 5369 | 0.58 | 11416 | 1.24 | 16785 | 1.82 |
| 1995-96 | 5322 | 0.54 | 12367 | 1.24 | 17689 | 1.78 |
| 1996-97 | 5150 | 0.48 | 13176 | 1.23 | 18326 | 1.72 |
| 1997-98 | 4503 | 0.40 | 13791 | 1.24 | 18294 | 1.64 |
| 1998-99 | 4444 | 0.38 | 13126 | 1.11 | 17570 | 1.49 |
| 1999-2000 | 4756 | 0.38 | 15268 | 1.21 | 20024 | 1.58 |
| 2000-01 | 4435 | 0.34 | 15374 | 1.17 | 19809 | 1.51 |
| 2001-02 | 5488 | 0.40 | 14872 | 1.07 | 20360 | 1.47 |
| 2002-03 | 4760 | 0.33 | 16740 | 1.16 | 21500 | 1.49 |
| 2003-04 | 5699 | 0.36 | 18487 | 1.18 | 24186 | 1.55 |

**टिस्को के लिए जापानी सहायता**

**5558. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
**श्री सुग्रीव सिंह:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), जमशेदपुर में 'ब्लास्ट फर्नेस हाट स्टोव वेस्ट गैस'' से निकलने वाले ताप के समुचित उपयोग हेतु आदर्श परियोजना के लिए 'ग्रीन ऐड प्लान' के अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए जापान द्वारा अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) जी, हां।

(ख) ग्रीन ऐड प्लान (जीएपी) जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक संगठन न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टैक्नोलोजी डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (एनईडीओ) का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जीएपी में कोई निधियन घटक शामिल नहीं है और यह तकनीकी सहयोग की प्रकृति का कार्यक्रम है। ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में इस्पात से संबंधित परियोजनाओं पर आमतौर पर विचार किया जाता है।

माडल परियोजना की योजना के तहत एनईडीओ प्रापक संगठन को प्रमुख उपस्कर उपलब्ध करवाता है और प्रापक संगठनों को इन उपस्करों के आयात पर देय सीमा शुल्क, इन उपस्करों को कार्यस्थल तक ले जाने की लागत वहन करनी होती है तथा इनकी स्थापना और इनका प्रचालन ये संगठन करते हैं। परियोजना स्थल पर इन उपस्करों को चालू किए जाने के बाद भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय को जापान से प्राप्त हुई प्रौद्योगिकी के परिणामों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना है।

(ग) टिस्को को जापान से प्राप्त हुए उपस्करों को टिस्को के जमशेदपुर कारखाने में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है और ये दक्षतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इस्पात मंत्रालय की सलाह पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और एनईडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन में हुई सहमति के अनुसार प्रौद्योगिकी के परिणामों का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक सेमिनार का भी आयोजन किया है। इस सेमिनार में भारत के सभी प्रमुख धमन भट्टी आपरेटरों, परामर्शदाताओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि ने भाग लिया और इस प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त की।

*[हिन्दी]*

**उत्तर प्रदेश में प्रवासी पक्षियों का शिकार**

**5559. श्री अतीक अहमद: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में ब्रजघाट (गढ़ मुक्तेश्वर) में प्रवासी पक्षियों के आगमन और उनके बड़े पैमाने पर शिकार किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पक्षियों के शिकार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ब्रजघाट को पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) प्रवासी पक्षी प्रजघाट में आते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन पक्षियों के शिकार की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्रजघाट को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान**

**5560. श्री बी. विनोद कुमार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान'' की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या संस्थान में पशु प्रशिक्षकों आदि से भालू जैसे जंगली पशु के नि:शुल्क पुनर्वास की स्थापना हेतु कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) और (ख) सरकार ने सीकरी गांव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान (एन आई ए डब्ल्यू) स्थापित किया है जिसका उद्देश्य पशु कल्याण में शिक्षा और प्रशिक्षण देना है जो पशु प्रबंधन, व्यवहार और आचार आदि जैसे पहलुओं को देख रहा है। इसका उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त पर्यावरण का सृजन करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**ई.पी.एफ. और एम.पी. अधिनियम में संशोधन**

**5561. श्री मधु गौड यास्खी:**
**श्री के.एस. राव:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम और रोजगार मंत्री ( श्री के. चन्द्रशेखर राव ):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**प्याज हस्तक्षेप योजना**

**5562. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्याज हस्तक्षेप योजना, 2000 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा हानि में 50:50 आधार पर भागीदारी के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी योजना के अंतर्गत अन्य फसलों पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कवर न की गयी शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी और कृषि जिंसों की खरीद हेतु मण्डी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करती है। मण्डी हस्तक्षेप स्कीम शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी और कृषि जिन्सों के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए भर-पूर फसल तथा व्यस्ततम आगमन अवधि के दौरान अति उत्पादन की स्थिति में जब मूल्यों में आर्थिक स्तर से नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें मजबूरन बिक्री से बचाने के लिए क्रियान्वित की जाती है। खरीद एजेंसियों द्वारा वहन की गई हानि, यादि कोई हो, केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर शेयर की जाती है (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25)।

*[हिन्दी]*

**जल संचयन के लिए प्रोत्साहन**

**5563. श्री अजीत जोगी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल संचयन को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जय प्रकाश नारायण यादव ):** (क) और (ख) "जल" राज्य का विषय होने के कारण जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक स्कीम कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है।

(2) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की डिजाइन पर तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया करा रहा है।

(3) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने उन लोगों को सम्पत्ति कर में छूट दी है जिन्होंने छत पर वर्षा जल संचयन को अपनाया है।

(4) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूएएस)/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिए जाने को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वित्तीय सहायता से एक स्कीम तैयार की है जिसके तहत परियोजना की कुल लागत का 50% अधिकतम 50,000/- रुपये अनुदान के रूप में ऐसे आरडब्ल्यूएएस/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को दिए जा रहे हैं जिन्होंने वर्षा जल संचयन को अपनाया है।

**बहि:स्राव उपचार संयंत्रों के लिए सहायता अनुदान**

**5564. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सामान्य बहि:स्रावी उपचार संयंत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान किए गए सहायता अनुदान का वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली भी चलाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है जहां ये प्रणालियां स्थापित की गयी हैं और उक्त अवधि के दौरान इन प्रणालियों पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार और प्रणाली-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बढ़ाने और अन्य सहायक योजनाओं संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी की शर्तों के अनुसार साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई धनराशि के बराबर सहायता अनुदान दिया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों के लिए तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों को वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमश: 2.47 करोड़ रु., 5.47 करोड़ रुपए और 3.95 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में 313 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानिटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं और तीन वायु गुणवत्ता मानिटरिंग स्टेशन दिल्ली में नियमित चल रहे हैं। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान परिवेशी वायु गुणवत्ता मानिटरिंग नेटवर्क पर खर्च की गई धनराशि क्रमश: 2.35 करोड़ रु., 2.13 करोड़ रु. और 1.76 करोड़ रु. थी।

(ङ) और (च) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानिटरिंग स्टेशनों को बढ़ाने और 16 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता स्टेशनों को भी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ लागत में हिस्सेदारी आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

*[अनुवाद]*

**निगरानी पैनल की स्थापना**

**5565. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए निगरानी पैनल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा योजना को कार्यान्वित नहीं किए जाने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, नहीं।

(ख) यह लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) असम राज्य राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को इसके आरंभ से ही क्रियान्वित कर रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। असम में पिछले दस फसल मौसमों (अर्थात् रबी

1999-2000 से खरीफ 2004) के दौरान 30649 हैक्टेयर क्षेत्र के 39079 किसानों को कवर किया गया है तथा राज्य में 51.67 लाख रुपये के दावे किसानों को देय हो गए हैं।

**हुडा कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि**

**5566. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, करनाल के पास अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की राशि जमा कराने के मामले में चूककर्ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हुडा कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की कितनी राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अब तक नहीं जमा कराई गई है;

(घ) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, करनाल द्वारा हुडा प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों की ई.पी.एफ. राशि को जमा कराने की कोई समय सीमा की घोषणा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा हुडा के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ई.पी.एफ. बचतों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी, हां।

(ख) प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 से छूट प्रदान की गयी है। तथापि, आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करने के कारण निधियों का अंतरण नहीं हो सका है।

(ग) हुडा द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंशदान और नुकसान के बकाये के तौर पर आकलित 30.87 करोड़ रु. की राशि देनी है।

(घ) राशि जमा करने के लिए हुडा को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, करनाल द्वारा पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।

(ङ) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, हुडा के निवर्तमान कर्मचारियों से प्राप्त दावे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, करनाल द्वारा निपटाए जा रहे हैं। आदिनांक कोई मामला लंबित नहीं है।

*[हिन्दी]*

**प्रकृति और परिवर्तन कार्यक्रम**

**5567. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ज्ञान विज्ञान समिति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से "प्रकृति और परिवर्तन" नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसमें भाग लेने वाले लोगों के नाम क्या हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सहयोग से लोक नृत्यु, स्ट्रीट थियेटर और स्टेज प्ले के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण जागरूकता फैलाने के लिए दिनांक 18 से 22 फरवरी, 2005 तक मावलंकर आडिटोरियम और कान्सूटिट्यूशन क्लब लान्स, रफी मार्ग नई दिल्ली में "प्रकृति और पर्यावरण" नामक पर्यावरण थियेटर उत्सव का आयोजन किया था।

(ग) प्रतिभागियों का एक ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

***विवरण***

*प्रतिभागियों की सूची*

थियेटर ग्रुप

1. कोरस रिपरटोरी, इम्फाल
2. इंडियन पीपल्स थियेर एसोसिएशन, पटना
3. भूमिका क्रिएटिव डान्स सेन्टर, नई दिल्ली
4. कलाक्षेत्र, मणिपुर
5. नया थियेटर, भोपाल
6. केरल शास्त्र साहित्य परिषद, केरल
7. समुदाय, कर्नाटक
8. प्रयोग, नई दिल्ली

लोक नृत्य ग्रुप

निम्नलिखित राज्यों से लोक नृत्य ग्रुपों ने भाग लिया

1. राजस्थान
2. छत्तीसगढ़
3. गुजरात
4. मध्य प्रदेश
5. झारखंड
6. मिजोरम
7. दमन

**खाद्यान्नों की बर्बादी**

**5568. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) तथा केन्द्रीय भांडागार निगम (सी.बी.सी.) अपने खराब अनाजों को निजी फर्मों को बेच देते हैं जो इसी अनाज को खुले बाजार में बेच देते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी फर्मों का गोदामवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फर्मों द्वारा ऐसे अन्न भंडार को मानव उपभोग हेतु बेचने पर प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस अनाज और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों में अंतर करने के हेतु कोई पहचान चिह्न लगाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम तथा केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न राज्य के उन वास्तविक विभागों/एजेंसियों को ही बेचे जाते हैं जो क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का उपयोग करती हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न ऐसी अन्य वास्तविक पंजीकृत पार्टियों को भी बेचे जाते हैं जिन्हें उक्त स्टाक को खुले बाजार में अथवा मानव खपत के लिए दोबारा बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) और (ङ) क्षतिग्रस्त स्टाक को एकदम अलग किया जाता है और भंडारण गोदामों में पृथक चट्टों में रखा जाता है। स्टाक को मानव खपत के लिए क्षतिग्रस्त तथा अनुपयुक्त दर्शाने के लिए सही ढंग से पहचान चिह्नों को भी लगाया जाता है।

### पी.सी.ओ. मशीनों की जांच

**5569. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पी.सी.ओ. द्वारा टेलीफोन काल की मीटरिंग हेतु प्रयुक्त मशीनों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन):** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के तहत टेलीफोन पी.सी.ओ. मीटरों के सत्यापन हेतु एक प्रस्ताव भेजा था।

(ग) पी.सी.ओ. मीटरों को बाट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987 की अनुसूचियों में शामिल नहीं किया गया है। अत: उक्त अधिनियम के उपबंध इन उपकरणों पर लागू नहीं होते।

*[अनुवाद]*

### मनुष्य के स्वास्थ्य पर जहरीली हवा का प्रभाव

**5570. श्री अधीर चौधरी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों और नगरों सहित अनेक शहरों में हवा सिर्फ प्रदूषित ही नहीं बल्कि जहरीली भी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि नवजात शिशुओं को भी दिल की बीमारी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार भावी आसन्न आपदा से बचने हेतु क्या प्रभावी कदम उठा रही है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मुख्य नगरों और शहरों में सल्फर डायक्साइड और नाइट्रोजन आक्सीजन वार्षिक औसत आधार पर निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की सीमा में है। यद्यपि रेसीपीरेबल सस्पेंडिड पार्टी कुलेट मैटर (आर एस पी एम) का परिवेशी स्तर कुछ नगरों और शहरों में निर्धारित स्तर से अधिक है।

(ग) और (घ) इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि वायु प्रदूषण से हृदय रोग होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति और उपायों में उन्नत आटोफ्यूल आपूर्ति, वाहनों और उद्योगों के उत्सर्जन मानकों को कड़ा बनाना, विशिष्ट उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बनाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, वायु गुणता निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, वायु प्रदूषण भार का आकलन और स्रोत विनियोग अध्ययन, मुख्य शहरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

### स्पंज लौह संयंत्र

**5571. श्री अनन्त नायक:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अब तक स्थापित किए गए स्पंज लौह संयंत्रों (मध्य और वृहत) की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक संयंत्र द्वारा सरकार को कितने राजस्व का भुगतान किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक द्वारा कितना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में 22 इकाइयां स्पंज लोहे के उत्पादन में लगी हुई है।

(ख) स्पंज लोहा इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए राजस्व से संबंधित सूचना इस्पात मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में हुआ स्पंज लोहे का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(इकाई: टन)

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 (अप्रैल-दिसम्बर, 04) (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|---|
| उत्पादन | 537403 | 786448 | 836793 | 846128 |

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

## फूड एंड न्यूट्रिशन वाच

**5572. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
**श्री रायापति सांबासिवा राव:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने फूड एंड न्यूट्रिशन वाच स्थापित करने का सुझाव दिया है जो खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा तथा भूख उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या पोषण सुरक्षा संबंधी समिति ने पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक उपायों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रमों को अपनाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) योजना आयोग को फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाच की स्थापना करने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाच के संघटन को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। तथापि, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाच को खाद्य और पोषाहार के प्रमुख कार्यक्रम अपने दायरे में लेने चाहिए, जो 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैठते हैं, और इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, आई.सी.डी.एस. और मध्याह्न भोजन योजना को कवर किया जाना चाहिए। वर्ष के अंत में फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाच निम्नलिखित पर राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:-

* देश में खाद्यान्न और उपलब्धता स्थिति।
* खाद्यान्नों की पहुंच की स्थिति (सार्वजनिक वितरण प्रणाली/काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रभाव)।
* पोषाहार सुरक्षा तथा विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पर मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव।
* बच्चों की पोषाहार सुरक्षा पर आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का प्रभाव।
* देश के वे जोखिम वाले क्षेत्र जहां विशेष रूप से खाद्य असुरक्षा मौजूद है।
* खाद्य सुरक्षा पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम और एन.आर.ई.जी.ए. का प्रभाव।

(ग) जी, हां। सचिव (योजना आयोग) की अध्यक्षता में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा पर अगस्त, 2004 में गठित अंतरमंत्रालयीय कार्य दल ने अपनी हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट में पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

*[हिन्दी]*

## अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु आरक्षण

**5573. श्री लालमणि प्रसाद:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल संसाधन मंत्रालय में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न विभागों में क, ख, ग और घ समूहों में कार्यरत अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के कर्मियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण कोटा को भरा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या कोटा को नहीं भरने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन**

**5574. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
**श्री सीता राम यादव:**
**श्री रविन्दर कुमार राणा:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारखाना अधिनियम, 1948 को श्रमिक अनुकूल बनाने हेतु इसमें संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधनों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संशोधन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

*[हिन्दी]*

**चीनी की कालाबाजारी**

**5575. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
**श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
**श्री महेश कनोडीया:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी की कालाबाजारी रोकने तथा उचित मूल्य पर इसकी आपूर्ति हेतु कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार देश में चीनी के मूल्य की सूक्ष्मता से तथा निरन्तर मानिटरिंग करती है और यथावंछित आवश्यक वित्तीय/गैर-वित्तीय उपाय करती है।

*[अनुवाद]*

**ईंधन के रूप में जैव-डीजल**

**5576. श्री टी.के. हमजा:**
**श्री तथागत सत्पथी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने जैव-डीजल को भावी ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु किए जा रहे नए परीक्षणों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि मंत्रालय के पास टी बार्न आयल (टी.बी.ओ.), बीज पौधरोपण को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना है जिनका प्रयोग जैव-डीजल के उत्पादन हेतु किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के वाहनों में जटरोफा करकस सहित तिलहन से उत्पादित बायो-डीजल के साथ डीजल के विभिन्न मिश्रणों के प्रयोग कर

रही है। सरकार इन प्रयोगों के परिणामों को शेयर करने के लिए आटोमोबायल उद्योग के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रही है।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय वनस्पति तेल विकास बोर्ड के जरिए जटरोफा करकस और करंजा सहित "वृक्ष मूल तिलहन समेकित विकास" की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। जटरोफा करकस और करंजा का तेल बायो-डीजल के उत्पादन के उपयुक्त पाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में वृक्ष मूल के तिलहन के विकास के लिए नर्सरी लगाने, वाणिज्यिक बनाना, बीज अधिप्राप्ति और तेल निकासी केन्द्रों की स्थापना, प्रसंस्करण पूर्व और प्रसंस्करण उपस्करों की स्थापना, सर्वोत्कृष्ट पौध रोपण सामग्री और बागानों के विकास और प्रौद्योगिकी अंतरण आदि के लिए सहायता दी जाती है।

**जल शुल्क नीति**

5577. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
**श्री वाडिगा रामकृष्णा:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौ चालू वृहत सिंचाई परियोजनाओं को जल प्रशुल्क नीति से जोड़ने का है जैसा कि 4 अप्रैल, 2005 के 'एशियन एज' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में जल शुल्क में कोई वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) समाचार पत्र में उल्लिखित चल रही नौ वृहद सिंचाई परियोजनाएं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रही हैं। जल संसाधन मंत्रालय के पास इन परियोजनाओं को जल दर नीति से जोड़ने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**आयल पाम हेतु आबंटन**

5578. **श्री एम. शिवन्ना:**
**श्री वेंकटेश ए. नायक:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 हेतु कर्नाटक में आयल पाम विकास के लिए बजट में आबंटित की गई धनराशि जारी की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस धनराशि को कब तक जारी करने का है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के दौरान तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक को 2155 लाख रु. की धनराशि केन्द्रीय शेयर के रूप में पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अनुसार आयलपाम विकास कार्यक्रम हेतु इस कुल आवंटन में से पिछले वर्ष के अव्ययित शेष सहित 431.16 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उत्पादन**

5579. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:**
**श्री ई. पोन्नुस्वामी:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के भौतिक मिश्रण में गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के लिए कोई एजेन्सी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में उर्वरक उत्पादक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा कुल कितनी मात्रा में भौतिक मिश्रण तैयार किए गए हैं;

(ङ) क्या उपलब्ध मिट्टी और फसलों के प्रकारों के अनुरूप उर्वरक मिश्रण का उपयोग करने के बारे में राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** (क) और (ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में देश में उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे उर्वरक या उर्वरक के मिश्रण को बेचने/उत्पादन करने की अनुमति नहीं है जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप न हों। उर्वरकों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए देश में 67 उर्वरक नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से भारत सरकार की चार प्रयोगशालाएं फरीदाबाद, मुम्बई, चेन्नई और कल्याणी में हैं। भारत सरकार द्वारा भौतिक मिश्रणों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई पृथक एजेंसी गठित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) उर्वरक उत्पादन करने वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम है जो उर्वरकों के भौतिक मिश्रण का उत्पादन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मेसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा उत्पादित भौतिक मिश्रणों की कुल मात्रा इस प्रकार है:-

| वर्ष | मात्रा (मी. टन में) |
|---|---|
| 2002-2003 | 18847 |
| 2003-2004 | 14141 |
| 2004-2005 | 11415 |

(ङ) और (च) भारत सरकार मृदा परीक्षण सिफारिश और फसलों की जरूरतों के आधार पर पोषकतत्वों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अनपेक्षित श्रेणी के मिश्रित उर्वरकों की अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने मिश्रित उर्वरकों की श्रेणी को विनियमित करने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। तथापि, इन दिशानिर्देशों का प्रयोग 22 जुलाई, 2005 तक स्थगित कर दिया गया है।

## दिल्ली प्राणी उद्यान में दर्शकों की संख्या में गिरावट

**5580. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्राणी उद्यान में आने वाले दर्शकों की संख्या में सतत गिरावट आयी है जैसा कि दिनांक 11 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली प्राणी उद्यान के प्रति और अधिक दर्शकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** (क) जी, नहीं। इसके विपरीत नीचे दिया गया दर्शकों का आंकड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई है:-

| क्र.सं. | वर्ष | दर्शकों की संख्या (लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | 2002-03 | 12.73 |
| 2. | 2003-04 | 13.35 |
| 3. | 2004-05 | 13.44 |

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने पहले ही लोक सुविधाओं का अर्थात् विश्राम बैंचों की पर्याप्त मात्रा में लगाने, जन सुविधाएं पेय जल (वाटर वेडिंग मशीन) सुविधाएं, बैट्री चालित ट्रालियां खरीदकर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर परिवहन सुविधा में सुधार आदि उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ा दी हैं। चिड़ियाघर में और अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीव सप्ताह, वन महोत्सव, संगोष्ठियां, प्राचार्य/अध्यापक पुनश्चर्या कार्यक्रम, गाइडिड टूर्स, जू क्लब आदि दर्शक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

## गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संचयन

**5581. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संचयन करने हेतु गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता दिए जाने का विचार है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल संसाधन मंत्रालय में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**गंगा नदी बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में क्षरण-रोधी कार्य**

**5582. श्री राजेन गोहेन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर गंगा नदी बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में क्षरण-रोधी कार्य हेतु आबंटित और जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और अन्यों ने निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत क्षरण-रोधी योजनाओं को पूरा करने हेतु संबधित राज्य सरकारों से परामर्श करके एक समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क), (घ) और (ङ) दसवीं योजना में वर्ष 2004-2005 से वर्ष 2006-2007 के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्यों" के संबंध में गंगा बेसिन राज्यों में कटावरोधी कार्यों के लिए आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | दसवीं योजना (2004-07) के दौरान आबंटित निधि | 2004-05 के दौरान जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 28.45 | 12.58 | 14.39 |
| 2. | उत्तरांचल | 4.00 | 1.00 | 1.35 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 2.32 | 1.00 | शून्य |
| 4. | बिहार | 40.00 | 19.42 | 12.22 |
| 5. | झारखंड | 2.30 | शून्य | शून्य |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 5.100 | 15.00 | 4.58 |

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों से सदस्यों सहित अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की अध्यक्षता में स्कीमों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसे दसवीं योजना के दौरान उपर्युक्त निर्माणाधीन केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल किया जा सकता है। मूल्यांकन के लिए जीएफसीसी को संबंधित स्कीमें प्रस्तुत की जाती हैं और तत्पश्चात् यह केन्द्रीय निधि जारी करने की सिफारिश करती है। जीएफसीसी इन स्कीमों के कार्यान्वयन की मानीटरी भी करता है।

**जल-निकास प्रणाली**

**5583. श्री रामदास आठवले:**
**श्री राजेश पाठक:**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जल-निकास प्रणाली पर भारी दबाव की जानकारी है;

(ख) क्या इस दबाव के कारण दिल्ली में जल-भराव और बाढ़ की स्थिति होती है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक रूप से जल-भराव के कारण दिल्ली सहित अन्य राज्यों के कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(घ) जल-निकास प्रणाली पर भारी दबाव होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) जल निकास संकुलता एवं उसके परिणामस्वरूप जल जमाव या तो सतही आप्लावन अथवा जल स्तर में वृद्धि के कारण हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप बाहिर्वाह की तुलना में अंतर्वाह का अधिकता हो जाती है जो या तो वर्षा की अधिकता अथवा अधिक सिंचाई से हो सकता है। विभिन्न अभिकरणों/समितियों/आयोगों ने जल निकास संकुलता/जल जमाव का अध्ययन किया है और देश में जल जमाव के अंतर्गत मूल्यांकन/आकलन किया है। सिंचाई आयोग (1972) ने देश में कुल 4.84 मिलियन हेक्टेयर जल जमाव क्षेत्र का आकलन किया है। कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग (1976) ने 6 मिलियन के कुल जल जमाव ग्रस्त क्षेत्र का आकलन किया है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल राज्य का अधिकांशत: 3.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आप्लावित बताया जाता है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में शेष भाग अधिकांशत: सिंचित क्षेत्र में आता है। कृषि मंत्रालय ने जल निकास संकुलता और जल जमाव क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र की 1984-85 में समीक्षा की और इस प्राक्कलन को 8.53 मिलियन हेक्टेयर के रूप में संशोधित किया। राज्यों द्वारा सूचित किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सहित जल जमाव/जल निकास संकुलता के लिए कुल प्रवण क्षेत्र 9 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,483 वर्ग कि.मी. है। दिल्ली की स्थलाकृति अधिकांशत: समतल है। हरियाणा से लगे हुए दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित नजफगढ़ झील में एक बड़ा गड्ढा है। इस क्षेत्र को राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों से लगे क्षेत्रों से जल निकास जल प्राप्त होता है जिसके लिए मुख्य निकास नजफगढ़ नाला है जो यमुना नदी में गिरता है। दिल्ली में तेजी से शहरीकरण के कारण समीपवर्ती राज्यों में जल निकास सुधार किए जा रहे हैं, नजफगढ़ नाले में निरंतर प्रवाह में वृद्धि हुई है। यह नाला तीव्र प्रवाहों का निस्सरण करने में सक्षम नहीं है जिससे वितरिका नालों और समीपवर्ती क्षेत्रों में जल निकास संकुलता में वृद्धि हुई है। शाहदरा की यमुना पार कालोनियों में, कुछ निचले क्षेत्र हैं जो यमुना में अधिक प्रवाह के दौरान जल निकास संकुलता प्रवण हो जाते हैं।

(ग) संबंधित राज्य राजस्व प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2002-04 के दौरान बाढ़ द्वारा प्रभावित राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिये गए हैं। जल जमाव के कारण प्रभावित क्षेत्र संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जल निकास प्रणाली पर दबाव बढ़ने के मुख्य कारण जनसंख्या, शहरीकरण में वृद्धि, निचले क्षेत्रों/गड्ढों में सुधार, बाढ़ मैदानों का अतिक्रमण, जल निकास प्रणाली का खराब रखरखाव है।

(ङ) बाढ़ प्रबंधन राज्यों के क्षेत्राधिकार में होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है।

भारत सरकार ने समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 54.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्र प्रायोजित स्कीम, अर्थात "देश में गंभीर क्षेत्रों में जल निकास का सुधार" फरवरी, 2004 में अनुमोदित की। 31 मार्च, 2004 तक आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को 9.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 34 जल निकास संकुलता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र घाटी में 24, बराक घाटी में 8 एवं त्रिपुरा में 2 स्थित हैं। उनमें से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निष्पादन के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं:-

(1) हरंग जल निकास विकास स्कीम

(2) बरभांग जल निकास विकास स्कीम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "दिल्ली जल आपूर्ति एवं सीवरेज सुधार परियोजना" नामक प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को नवम्बर, 2004 में प्रस्तुत किया है जिसमें विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव में दिल्ली में मौजूदा गंदे जल संग्रह, सुधार तथा निपटान प्रणाली के विभिन्न नवीकरण को शुरू करने की योजना है।

बाढ़ प्रबन्धन/कटाव नियंत्रण के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2004 में गठित कार्य बल ने भी इस मामले का उल्लेख किया और दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना में कार्यान्वयन के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जल निकास सुधार के लिए स्कीम की पहचान की है।

*विवरण*

*2002-04 के दौरान प्रभावित राज्यवार क्षेत्र*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 2002 | प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 2003 | प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.000 | 0.287 | 0.000 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | नगण्य | 0.207 | 0.164 |
| 3. | असम | 1.187 | 0.932 | 2.851 |
| 4. | बिहार | 1.969 | 1.820 | 4.986 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | शून्य | 0.074 | – |
| 6. | गुजरात | 0.000 | – | 0 |
| 7. | गोवा | शून्य | – | शून्य |
| 8. | हरियाणा | 0.000 | नगण्य | 0.000 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.000 | 0.033 | नगण्य |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0.000 | – | – |
| 11. | झारखण्ड | शून्य | – | – |
| 12. | कर्नाटक | शून्य | 0.009 | – |
| 13. | केरल | 0.036 | – | – |
| 14. | मणिपुर | 0.000 | – | – |
| 15. | मध्य प्रदेश | 0.002 | 0.126 | 0.000 |
| 16. | महाराष्ट्र | 0.391 | 0.037 | नगण्य |
| 17. | मेघालय | 0.011 | 0.002 | 0.029 |
| 18. | मिजोरम | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19. | नागालैंड | 0.000 | 0.000 | – |
| 20. | उड़ीसा | 0.000 | 0.478 | – |
| 21. | पंजाब | 0.074 | 0.000 | नगण्य |
| 22. | राजस्थान | 0.000 | 0.073 | – |
| 23. | सिक्किम | 0.000 | नगण्य | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | तमिलनाडु | 1.280 | शून्य | – |
| 25. | त्रिपुरा | 0.012 | 0.006 | – |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0.111 | 2.355 | – |
| 27. | उत्तरांचल | शून्य | शून्य | – |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2.017 | 0.015 | 0.001 |
| 29. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | शून्य | – | – |
| 30. | चण्डीगढ़ | 0.000 | 0.000 | – |
| 31. | दमन एवं दीव | 0.000 | – | 0.000 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.000 | 0.049 | 0.000 |
| 33. | दिल्ली | शून्य | 0.000 | – |
| 34. | लक्षद्वीप | शून्य | 0.000 | – |
| 35. | पांडिचेरी | 0.000 | 0.000 | – |
| | कुल | 7.090 | 6.503 | 8.031 |

**जलाभाव के कारण नष्ट हुई फसलें**

**5584. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और कतिपय अन्य राज्यों में जलाभाव के कारण अधिकांश खड़ी फसलों को बचाया नहीं जा सका हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[अनुवाद]*

**जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

**5585. श्री मदन लाल शर्मा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु जम्मू और कश्मीर को कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) से (ग) पहाड़ी ढुलाई राजसहायता योजना के अधीन भारत सरकार प्रमुखतया पहाड़ी राज्यों में निर्धारित प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की सम्पूर्ण ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति करती है ताकि राज्य सरकारों को आंतरिक क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत जम्मू और

कश्मीर राज्य को वर्ष 2001-2002 में 3.45 करोड़ रुपये, वर्ष 2002-2003 में 4.62 करोड़ रुपये, और वर्ष 2003-2004 में 3.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

### बेरोजगारी की दर

**5586. श्री पी. करूणाकरन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से यह बात प्रकट हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार प्राप्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगाने हेतु हमारी योजना प्रक्रिया में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले वर्षों में बेरोजगारी की दर सतत बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो और अधिक रोजगार सृजित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) सरकार देश के कार्यबल में व्याप्त अल्प रोजगार के बारे में अवगत है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कामगारों के एक बड़े हिस्से को बेहतर रोजगार की आवश्यकता है।

(ख) सरकार बेरोजगारी की समस्या का इसके विभिन्न रूपों में सामना कर रही है। सरकार का लक्ष्य 10वीं योजनावधि के दौरान कृषि, सिंचाई, कृषि-वानिकी, लघु एवं मझौले उद्यमों, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं अन्य सेवाएं जैसे श्रम सघन क्षेत्रों पर विशेष बल के साथ लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का है। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाता है। देश के चुनिंदा 150 पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहले ही आरंभ किया जा चुका है।

### समुद्रतटीय राज्यों में क्षरणरोधी कार्य

**5587. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्रतटीय राज्यों क्षरण-रोधी कार्यों हेतु दी जाने वाले सहायता रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किन वैकल्पिक कदमों पर विचार किया जा रहा है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) और (ख) जी, नहीं। "गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य तटीय क्षेत्रों में गंभीर कटाव रोधी कार्य" पर 20.64 करोड़ रुपये की लागत से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2003-04 में स्वीकृत की गई थी तथा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आदेश के आलोक में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के पुनरीक्षण के भाग के रूप में 2005-06 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियां

**5588. श्री राजनरायन बुधौलिया:**
**श्री वाई.जी. महाजन:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में नकली कीटनाशक बनाने वाली कुछ फैक्ट्रियों के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) नकली पेस्टिसाइडों का उत्पादन वाली फैक्ट्रियों का पता लगने पर राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को ऐसे किसी उदाहरण की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

### राष्ट्रीय कृषक आयोग

**5589. श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'राष्ट्रीय कृषक आयोग' ने कृषकों द्वारा आत्महत्या, आत्महत्या के कारणों और सुधारात्मक उपायों, वर्षा आधारित कृषि प्रणाली, सूखे और बाढ़ की स्थिति, महिला कृषकों और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका आदि जैसे मूल मुद्दों जो कृषकों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले हैं पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट में अन्य किन-किन मुद्दों पर बल दिया गया है;

(घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रिपोर्ट की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ङ) जी हां। आयोग ने दिसम्बर, 2004 में "किसानों की सहायता तथा कृषि का बचाव करना (सविंग फारमर्स एंड सेविंग फारमिंग)" शीर्षक से अपनी प्रथम अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट गंभीर विपत्ति का सामना कर रहे कृषक परिवारों हेतु समेकित जीवन रक्षक सहायता कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने, कृषि में महिलाओं हेतु नई कार्य (डील), बागवानी क्रान्ति का सुदृढ़ीकरण और विस्तार करने, कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, फार्म जिंसों के व्यापार और उसके स्वच्छता और पादप स्वच्छता आयामों को बनाए रखने तथा बढ़ाने, ज्ञान केन्द्र के रूप में ग्राम तथा पशुधन की खाद्य और पौषाणिक सुरक्षा तथा आजीविकाओं से संबंधित है। यह रिपोर्ट सुनामी से प्रभावित मछुआरों और कृषक परिवारों के पुनर्वास तथा विपत्ति से बचाने, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण तथा महिलाओं हेतु ग्राम पंचायत महिला कोष जैसी प्रशासनिक पहलों को भी कवर करती है।

इस अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें आयोग के विचारार्थ विषयों के पूर्णतया अनुरूप नहीं है तथा सरकार इस मामले पर आयोग के साथ बातचीत कर रही है। आयोग द्वारा की गई कई सिफारिशें सरकार की विद्यमान स्कीमों तथा इस वर्ष के लिए वार्षिक योजना में शुरू की जाने वाली स्कीमों के अंतर्गत पहले ही कवर की जा चुकी हैं। ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों के संबंध में वित्त मंत्री ने पहले ही घोषणा की है कि यह पहल नाबार्ड द्वारा समर्थित होगी।

इन सिफारिशों की विभिन्न विभागों द्वारा जांच की आवश्यकता है जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

*[अनुवाद]*

## पर्यटन को बढ़ावा

**5590. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अब पांचवां बड़ा पर्यटक गंतव्य स्थल है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थान को किस प्रकार प्राप्त किया गया है;

(ग) पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में संस्कृति मंत्रालय से कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटकों के प्रवाह में और वृद्धि करने के लिए, एक एकीकृत मार्केटिंग एवं संवर्धनात्मक रणनीति और यात्रा व्यवसाय एवं राज्य सरकारों के सहयोग से एक सहक्रिया अभियान के माध्यम से, नियमित आधार पर पर्यटन का संवर्धन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) सांस्कृतिक पर्यटन के संवर्धन हेतु, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के निकट समन्वय से कार्य करता है।

## ई.एस.आई. योजना के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ

**5591. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत राज्यवार कितने कर्मचारी शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत सम्मिलित सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनायी गयी कर्मचारी बीमा योजना में बिजली का इस्तेमाल

करने वाले 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले कारखानों तथा बिजली का इस्तेमाल न करने वाले 20 या अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले कारखानों, दुकानों, होटलों, रेस्टोरैन्टों, प्रिव्यू थिएटरों सहित सिनेमाओं, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में 7500/- रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। बीमारी, प्रसूति, रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण अपंगता या मृत्यु जैसी आकस्मिक स्थितियों में अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभ दायरे में आने वाले कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे हैं। कर्मचारियों और साथ ही उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज*

(31.03.2004 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल कर्मचारियों की संख्या | बीमित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 525150 | 567500 |
| 2. | असम और मेघालय | 31400 | 35050 |
| 3. | बिहार | 31150 | 31300 |
| 4. | चंडीगढ़ | 27740 | 32700 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 23350 | 24300 |
| 6. | दिल्ली | 499900 | 573450 |
| 7. | गोवा | 73550 | 81700 |
| 8. | गुजरात | 440900 | 485300 |
| 9. | हरियाणा | 387150 | 431550 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 38250 | 44600 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 15300 | 18100 |
| 12. | झारखंड | 57850 | 76550 |
| 13. | कर्नाटक | 654000 | 756150 |
| 14. | केरल | 311150 | 353700 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 167850 | 187200 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1038800 | 1139600 |
| 17. | उड़ीसा | 109600 | 124650 |
| 18. | पांडिचेरी | 48550 | 54550 |
| 19. | पंजाब | 337900 | 371700 |
| 20. | राजस्थान | 246300 | 275050 |
| 21. | तमिलनाडु | 988850 | 1107000 |
| 22. | उत्तरांचल | 23700 | 24000 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 435900 | 464950 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 568000 | 652000 |
| | कुल (अखिल भारतीय) | 70,82,300 | 79,12,700 |

*[हिन्दी]*

## हड़ताल का अधिकार

**5592. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई श्रमिक संघों ने सरकार को हड़ताल के अपने अधिकार की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक संशोधन विधेयक लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में श्रमिक संघों के साथ कोई चर्चा की है या करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 और 23 के अंतर्गत जनोपयोगी सेवाओं और अन्य प्रतिष्ठानों दोनों में हड़ताल के अधिकार पर कतिपय प्रतिबंधों का निर्धारण किया गया है। परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत औद्योगिक कर्मकारों को हड़ताल के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है।

*[अनुवाद]*

**बी.टी. काटन की अवैध किस्में**

**5593. श्री डी. विट्टल राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी. काटन की अवैध किस्में तीव्रता से फैल रही हैं;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विनियामक एजेन्सियां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अथवा दोषियों को दंड देने में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बी.टी. काटन की अवैध किस्मों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि कुछ राज्यों, विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु में गैर-कानूनी बीटी कपास बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति की कुछ रिपोर्ट हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति और कृषि एवं सहकारिता विभाग ने समय-समय पर सभी बीटी कपास उत्पादन राज्यों को सलाह दी है कि वे नकली बीटी कपास बीजों के उत्पादकों, सप्लायरों और वैण्डरों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बीज विधानों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करें। इसके अलावा बीटी जीन की उपस्थिति/अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर को परामर्शी प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। बीज प्रमाणीकरण विभाग, तमिलनाडु द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह विश्लेषण करने के लिए कि इसमें वैध बीटी जीन है या नहीं, कपास के बीजों की जांच करने के लिए बीज प्रमाणीकरण निदेशालय, कोयंबटूर में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। पंजाब सरकार, जहां खरीफ 2005 के दौरान खेती किए जाने हेतु बीटी कपास की कीमतों का अनुमोदन किया गया है, द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने सभी फील्ड कर्मियों को सख्त अनुदेश जारी किए हैं कि वे जांच करे और यदि नकली बीज कोई हों, तो उनकी बिक्री बंद करें। उन्होंने इस मुद्दे पर किसानों को शिक्षित करने के लिए बड़े अभियान भी चलाए हैं।

गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वे नकली कपास बीजों की गैर-कानूनन बिक्री की जांच करने के लिए अपने गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं जिनमें सभी जिला कलेक्टरों को निदेश और कृषक समुदाय के लिए बड़ा जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। जून, 2004 तक 61751 किग्रा. संदेहास्पद बीटी कपास बीजों के लिए निरुद्ध लिया गया और कार्रवाई की गई थी।

*[हिन्दी]*

**लौह अयस्क के भण्डार**

**5594. श्री प्रदीप गांधी:**
**श्रीमती करूणा शुक्ला:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेषकर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध लौह अयस्क के भण्डारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लौह अयस्क के कितने भण्डारों को खानों के लिए स्वीकृत/आवंटित किया गया है और कितने भण्डारों को केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु आरक्षित रखा गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को लौह अयस्क भण्डारों को राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सी.एम.डी.सी. हेतु आरक्षित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) विवरण-I के अनुसार।

(ख) विवरण-II के अनुसार।

(ग) और (घ) खान मंत्रालय को छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा और कांकेर जिलों में लौह अयस्क के आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (सीएमडीसी) से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कतिपय जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*विवरण I*

*देश में राज्य-वार कुल लौह अयस्क के वर्तमान भण्डार*

*01.04.2000 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क के स्व-स्थाने भंडार*

*हेमेटाइट*

(हजार टन)

| राज्य | प्रमाणित | भावी | संभावित | योग |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 10050.03 | 15159.76 | 64092.99 | 89302.12 |
| बिहार | – | – | 55.00 | 55.00 |
| छत्तीसगढ़ | 993159.75 | 537553.61 | 747508.00 | 2278221.36 |
| गोवा | 461013.90 | 149372.41 | 119460.79 | 729847.10 |
| झारखण्ड | 2560232.67 | 334830.30 | 386019.29 | 3281082.26 |
| कर्नाटक | 795721.78 | 208747.25 | 311194.30 | 1315663.33 |
| मध्य प्रदेश | 47098.40 | 23520.99 | 81636.92 | 152256.31 |
| महाराष्ट्र | 106942.42 | 76939.35 | 89282.49 | 273164.26 |
| उड़ीसा | 1824172.68 | 762910.37 | 1590270.65 | 4177353.70 |
| राजस्थान | 2070.94 | 12682.11 | 5577.22 | 20330.27 |
| सम्पूर्ण भारत | 6800462.57 | 2121716.15 | 3395096.99 | 12317275.7 |
| | | *मैग्नेटाइट* | | |
| आंध्र प्रदेश | 43034 | 1266666 | – | 1309700 |
| असम | 4240 | – | – | 4240 |
| गोवा | 67358 | 5416 | 115218 | 187992 |
| झारखण्ड | 1343 | 3846 | 2358 | 7547 |
| कर्नाटक | 1653457 | 503872 | 1686610 | 3843939 |
| केरल | – | 26832 | 12304 | 39186 |
| महाराष्ट्र | 530 | 108 | – | 638 |
| राजस्थान | 15 | 60 | 464 | 539 |
| तमिलनाडु | – | – | 1433 | 1433 |
| सम्पूर्ण भारत | 1769977 | 1806850 | 1818987 | 5395214 |

[स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)]

*विवरण II*

| खान का नाम | स्थिति | अनुमानित खननयोग्य भंडार (मिलियन टन) |
|---|---|---|
| **सेल** | | |
| किरिबुरू | झारखंड | 44* |
| मेगाहाताबुरू | झारखंड | 26* |
| बोलानी | उड़ीसा | 154* |
| बरसुआ | उड़ीसा | 42* |
| काल्टा | उड़ीसा | 70* |
| राजहरा | छत्तीसगढ़ | 21* |
| दल्ली | छत्तीसगढ़ | 46** |
| झारनडल्ली | छत्तीसगढ़ | 13** |
| डुलकी सहित महामाया | छत्तीसगढ़ | 12** |
| दुपडगिरि खण्ड | कर्नाटक | 2.66* |
| *इस्को, बर्नपुर (सेल की सहायक कंपनी)* | | |
| गुआ | झारखण्ड | 158* |
| चिरिया | -वही- | 1121* |
| *1.03.2005 की स्थिति के अनुसार<br>**1.01.2005 की स्थिति के अनुसार | | |
| कुल:- | | 1709.66 |
| **एनएमडीसी** | | |
| बैलाडिला | छत्तीसगढ़ | 530 |
| दौणिमलै कुमारस्वामी | कर्नाटक | 170 |
| कुल | | 700 |
| *1.4.2004 की स्थिति के अनुसार | | |
| **केआईओसीएल** | | |
| कुद्रुमेख* | कर्नाटक | 340 |
| कुल | | 340 |

*माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30.10.2002 के आदेश के बाद यह खान बंद की जा रही है।

इस प्रकार, लौह अयस्क भंडारों की कुल मात्रा 2749.66 मिलियन टन है, जिनके लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खानें मंजूर की गई हैं/आबंटित की गई हैं तथा उनके लिए आरक्षित हैं।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक हेतु कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना**

**5595. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सुगंधित औषधीय पादपों, डाय प्लांट्स अंगूर, आम, नींबू, अनाज और आलू के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) से (ङ) संचालन समिति के अनुमोदन के बाद ही निधियां स्वीकृत की जाती है।

***विवरण***

| एईजेड | प्राप्ति की तारीख | जिले | अनुमानित निवेश (मूल्य लाख रु. में) | | | | अनुमानित निर्यात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | केन्द्र | राज्य | निजी | कुल | (मात्रा मी. टन में) |
| सुगंधित, औषधीय और रंजक पौधें | 12.03.03 | बंगलौर (ग्रामीण और शहरी), मैसूर, कामराजनगर, तुमकूर, सिमोगा, चिकमंगलूर, कुर्ग, दक्षिणी कन्नड, उत्तर कन्नड, बेलारी, रायचूर, कोपाल, बिदर, बेलगाम, धारवाड | 525.00 | 570.00 | 1158.00 | 2253.00 | 79575.00 |
| आम | 24.02.04 | बंगलौर (ग्रामीण और शहरी), कोलार, तुमकूर, बेलगाम, बिजापुर, हारवड, हावेरी और उत्तर कन्नड | 1026.00 | 619.00 | 2455.00 | 4100.00 | 20000.00 |
| अंगूर | 12.03.03 | बिजापुर बेलगाम | 690.00 | 690.00 | 827.00 | 2207.00 | 9523.64 |
| अनार और नींबू | 08.09.03 | बंगलौर (ग्रामीण और शहरी), कोलार, तुमकूर, चित्रदुर्गा, दावानागेरे, सिमोगा, मैसूर, कामराजनगर, माण्डया, कोडागु, दक्षिणी कन्नड, ऊडूपी, हासन, चिकमंगलूर, बेलगाम, बिजापुर, बांगालकोट, धारवाड, गडग, हावेरी, उत्तर कन्नड, गुलबर्ग, रायचूर, कोपाल, बेलारी, बिदर | 231.25 | 231.25 | 462.50 | 925.00 | 3500.00 |

**औषध मूल्य देयता समीक्षा समिति की सिफारिशें**

**5596. श्री मुनव्वर हसन:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध मूल्य देयता समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर डी.पी.ई.ए. का एक मामला समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी और औषधों के नाम क्या हैं और कितनी धनराशि अधिक ली गई है; और

(ग) उक्त निर्णय की सिफारिश के क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रपुंज औषध जेंटामायसिन सल्फेट के मामले में मेसर्स स्टैण्डर्ड फार्मास्युटिकल रेमेडीज को अपनी ओर से 41.75 लाख रु. का एक मांग नोटिस भेजा गया था। जब यह मामला औषध मूल्य देयताएं समीक्षा समिति (डीपीएलआरसी) को संदर्भित किया गया तो समिति ने पाया कि मेसर्स स्टैण्डर्ड फार्मास्युटिकल रेमेडीज जेंटामायसिन सल्फेट पर आधारित सूत्रयोगों का विनिर्माण नहीं करती है तथा मांग छोड़ देने की सिफारिश की गई।

**उर्वरकों का उत्पादन**

**5597. श्री दुष्यंत सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक उत्पादन हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष 2004-05 के दौरान इस संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल की गयी है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना और वर्तमान संयंत्रों के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) 10वीं योजना के अनुसार कार्य दल ने विद्यमान संयंत्रों में 100% क्षमता का उपयोग किया जाना स्वीकार किया है, पोषक तत्वों के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजना में नाइट्रोजन और फास्फेट का अनुमानित उत्पादन निम्नवत होने की संभावना है:-

(लाख मी. टन)

| वर्ष | नाइट्रोजन (एन) | फास्फेट (पी) |
|---|---|---|
| 2002-2003 | 120.58 | 52.31 |
| 2003-2004 | 121.74 | 52.31 |
| 2004-2005 | 121.74 | 52.31 |
| 2005-2006 | 121.74 | 52.31 |
| 2006-2007 | 129.28 | 52.31 |

वर्ष 2004-05 के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन 113.30 लाख मी. टन और फास्फेट का उत्पादन 39.93 लाख मी. टन हुआ।

(ख) और (ग) जी नहीं, केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने या विद्यमान संयंत्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

**इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास**

**5598. श्री जुएल ओराम:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा देने हेतु सरकारी तथा निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए कोई शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कारण कितने लोग विस्थापित हुए हैं अथवा हो रहे हैं; और

(घ) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा भू-विस्थापितों के उपयुक्त पुनर्वास हेतु उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी और मुआवजा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए, अधिग्रहित की गई भूमि से बेदखल किए गए भू-स्वामियों को मुआवजा आदि देने का उत्तरदायित्व, भूमि के अधिग्रहण के समय राज्य सरकारों द्वारा तय

की गई शर्तों/किए गए करारों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार और संयंत्र प्राधिकारियों का है। पुनर्वास पैकेजों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए करारों के एक अंग के रूप में और निर्धारित शर्तों के अधीन सामान्यत: भूमि से बेदखल किए गए लोगों को रोजगार में वरीयता देने का प्रावधान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम ''एन.एम.डी.सी.'' ने अपने प्रस्तावित आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए बस्तर, छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि अधिग्रहित की है। चूंकि, इस निजी भूमि में कोई रिहायशी इकाई नहीं थी, इसलिए इसके अधिग्रहण के कारण कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ। जहां तक निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संबंध है, उनसे संबंधित सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

(घ) राज्य सरकारों और संयंत्र प्राधिकारियों के बीच हुए करार के आधार पर विस्थापित परिवारों को बहुउद्देशीय हाल, स्कूल बिल्डिंग, मुफ्त डिस्पेंसरी, सहायता केन्द्र, वृक्षारोपण और उद्यान कार्यकलाप जैसी विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनसे विस्थापित परिवार अपनी आजीविका कमा सके। इसके अलावा, कई मामलों में विस्थापित परिवारों को नि:शुल्क आवास स्थल दिए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकारों और संयंत्रों ने भी इन पुनर्वास कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

**नमभूमि का संरक्षण**

**5599. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र (एम ए सी ओ एन) ने तेजी से समाप्त हो रही नमभूमि के बारे में चेताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नमभूमि समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर नमभूमि के संरक्षण की योजना हेतु कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा):** (क) और (ख) सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रस्तुत ''इनलैण्ड वाटर लैण्डस आफ इंडिया कन्जर्वेशन प्रीआरटीर्ज'' नामक रिपोर्ट में 10 राज्यों में स्थित 72 जिलों में 2 हैक्टेयर और उससे अधिक आकार की नमभूमियों के बारे में सूचना प्रस्तुत की गई है। अध्ययन की गई श्रेणी में 33 जिलों की नमभूमियों के स्थानिक कमी से गुजरने की सूचना मिली है। यद्यपि इन निष्कर्षों के कोई संपोषक साक्ष्य नहीं हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नमभूमि समिति ने देश में 66 नमभूमियों का अभिनिर्धारण किया है जिनमें से 39 पिछले वर्ष ही अभिनिर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को सर्वेक्षण और सीमांकन, कैचमेंट क्षेत्र शोधन, मत्स्यपालन विकास, खरपतवार हटाने, जैवविविधता संरक्षण, प्रदूषण निवारण, पारि-पर्यटन, अग्निशमन उपस्कर की खरीद, शिक्षा और जागरूकता आदि जैसे संरक्षण कार्यों को करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जा रही है।

**छोटी कंपनियों के कामगारों को ई.पी.एफ. सुविधाएं**

**5600. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत न्यूनतम कामगारों की संख्या को 20 कामगार से घटाकर 10 कामगार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि छोटी कंपनियों/प्रतिष्ठानों के कामगारों को ई.पी.एफ. सुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) से (ग) कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या घटाकर 20 से 10 करने सहित, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) द्वारा 09.07.2002 को आयोजित की गयी अपनी 157वीं बैठक में विचार किया गया था। सरकार द्वारा इस संबंध में सभी संगत पैरामीटर्स पर विचार करने के बाद उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

**शहतूश व्यापार का विनियमन**

**5601. डा. एम. जगन्नाथ:**
**श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहतूश उद्योग पर लगा प्रतिबंध हटाने तथा इसे वैध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पूरे मामले की जांच हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या शहतूश व्यापार को वैध बनाने से भविष्य में संकटाप्पन तिब्बती एंटीलोप प्रजाति लुप्त हो जाएगी;

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार तेजी से कम हो रहे एंटीलोप का संरक्षण किस तरह से करने का है; और

(छ) शहतूश व्यापार से प्रतिबंध हटाने के पश्चात् सरकार को कितनी आय होने का अनुमान है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां, वस्त्र मंत्रालय ने मामले की छान बीन के लिए एवं विशेषज्ञ समिति गठित की है। इसे अभी अपनी रिपोर्ट देनी है।

(ङ) शहतूश के व्यापार को कानूनी रूप देने से तिब्बत-एन्टीलोप की उत्तरजीवितता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

**मछली उत्पादन**

**5602. श्री सुग्रीव सिंह:**
**श्री रामदास आठवले:**
**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में मछली उत्पादन हेतु राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) मछली उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजनार्थ अलग से बोर्ड गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक गठित किए जाने और क्रियात्मक बनाए जाने की आवश्यकता है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) विभाग द्वारा मत्स्य उत्पादन के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, मत्स्य उत्पादन का अनुमान अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिलक्षित किया जाता है। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा चालू वित्त वर्ष के लिए प्रतिलक्षित मत्स्य उत्पादन क्रमश: 60.50 लाख टन, 62.50 लाख टन, 65.10 लाख टन तथा 69.80 लाख टन है। इन प्रक्षेपणों की तुलना में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए वास्तविक उत्पादन क्रमश: 62.00 लाख टन तथा 63.99 लाख टन है।

(ख) मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए दसवीं योजना के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना की व्यवहार्यता पर प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है।

**गोदामों की स्थिति**

**5603. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कई गोदाम रेलवे स्टेशनों से दूर स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम के उक्त गोदामों में खाद्यान्नों की ढुलाई पर भारी व्यय करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा वार्षिक रूप से कितना घाटा उठाया जा रहा है;

(घ) सरकार द्वारा इन अनावश्यक ढुलाई से होने वाले घाटों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में 2005-06 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदामों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रेल शीर्ष से भंडारण डिपुओं तक स्टाक की ढुलाई अपरिहार्य है और इसे प्रचालन लागत में शामिल किया जाता है।

(घ) ढुलाई की मात्रा का युक्तिकरण करके इस खाते पर व्यय न्यूनतम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम पूरा प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रेल शीर्ष से लाने ले जाने के लिए हैंडलिंग और ढुलाई ठेके प्रतिस्पर्धी दरों पर आवंटित किए जा रहे हैं।

(ङ) 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के पास 8.67 लाख टन [7.41 लाख टन ढकी हुई और 1.26 लाख टन कैप (खुली)] खाली क्षमता है जो खाद्यान्नों के स्टाक की भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

*[हिन्दी]*

**भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार**

**5604. श्री जीवाभाई ए. पटेल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न कार्यालयों और डिपो में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में सूचित किए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जिन अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

***विवरण I***

*वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में सूचित किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या*

| क्र.सं. | अनियमितता का स्वरूप | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अवैधानिक परितोषण ग्रहण करना/आय से अधिक परिसम्पत्तियां | 6 | 9 | 8 |
| 2. | खाद्यान्नों का दुर्विनियोजन | 98 | 153 | 95 |
| 3. | लेखाओं का गबन/दुर्विनियोजन | 23 | 13 | 18 |
| 4. | बेकार स्टाक का दुर्विनियोजन/गोदामों का निर्माण | 23 | 13 | 15 |
| 5. | घटिया स्टाक की खरीद | 651 | 729 | 480 |
| 6. | हैंडलिंग और ढुलाई ठेकों का आवंटन | 14 | 6 | 12 |
| 7. | मार्गस्थ/भंडारण हानियां | 760 | 713 | 488 |
| 8. | प्रशासनिक खामियां/विविध | 191 | 206 | 103 |
| | जोड़ | 1766 | 1842 | 1219 |

*विवरण II*

*वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे*

| क्र.सं. | लगाए गए दंड का स्वरूप | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति | 55 | 56 | 37 |
| 2. | रैंक में कमी | 87 | 66 | 39 |
| 3. | समय-वेतनमान में कमी | 435 | 420 | 361 |
| 4. | वेतनवृद्धि को रोकना | 262 | 146 | 168 |
| 5. | भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन से वसूली | 1149 | 964 | 1346 |
| 6. | प्रोन्नति रोकना | 12 | 12 | 6 |
| 7. | निन्दा | 425 | 427 | 489 |
| | जोड़ | 2425 | 2091 | 2446 |
| 8. | जारी की गई चेतावनी/माफी/बंद किए गए मामले | 428 | 375 | 412 |
| | सकल जोड़ | 2853 | 2466 | 2858 |

*[अनुवाद]*

**गुजरात में अतिथि गृहों/हॉस्टलों की स्थापना**

**5605. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र द्वारा गुजरात में जामनगर, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद और सूरत में अतिथि गृह/हॉस्टल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कृषि विज्ञान केन्द्र**

**5606. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
**श्री रघुनाथ झा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक स्वीकृति कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार उनमें से कितने कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं और कदाचार की गम्भीर शिकायतें हैं; और

(ग) निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु तथा इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मार्च, 2005 तक 451 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) को स्वीकृति प्रदान की है इनमें से 445 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों में अनियमितताओं और कदाचार की कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों की निगरानी आठ क्षेत्रीय समन्वयक यूनिटों द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय समन्वयकों द्वारा कृषि विज्ञान

केन्द्रों को जारी की जाने वाली निधियां निष्पादन समीक्षा, उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्ति और इसके सत्यापन से जुड़ी हुई हैं।

*विवरण*

*कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार सूची*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | कुल |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 01 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 22 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 04 |
| 4. | असम | 14 |
| 5. | बिहार | 25 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 09 |
| 7. | दिल्ली | 01 |
| 8. | गोवा | 02 |
| 9. | गुजरात | 17 |
| 10. | हरियाणा | 18 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 12 |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | 08 |
| 13. | झारखंड | 17 |
| 14. | कर्नाटक | 23 |
| 15. | केरल | 14 |
| 16. | लक्षद्वीप | 01 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 34 |
| 18. | महाराष्ट्र | 32 |
| 19. | मणिपुर | 03 |
| 20. | मेघालय | 05 |
| 21. | मिजोरम | 03 |
| 22. | नागालैंड | 03 |
| 23. | उड़ीसा | 21 |
| 24. | पांडिचेरी | 02 |
| 25. | पंजाब | 15 |
| 26. | राजस्थान | 32 |
| 27. | सिक्किम | 02 |
| 28. | तमिलनाडु | 26 |
| 29. | त्रिपुरा | 02 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 53 |
| 31. | उत्तरांचल | 12 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 12 |
| | कुल | 445 |

*[हिन्दी]*

**कृषि विपणन का विकास और सुदृढ़ीकरण**

**5607. श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
**श्री मो. ताहीर:**
**श्री मुन्शी राम:**
**श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
**श्री रनेन बर्मन:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि विपणन प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु उपायों के संबंध में सुझाव देने हेतु समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार द्वारा इस संबंध में निर्मित नीतियों में खामियों को भी उजागर किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार विपणन आधार के विस्तार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(1) विनियमित मंडियों की संस्था को अधिशासित करने वाले विद्यमान विधिक ढांचे की जांच करने तथा ऐसे सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधान, जो देश में प्रतिस्पर्धी विपणन संरचना की वृद्धि को अवरुद्ध करता है, को सरकार द्वारा हटाए जाने की आवश्यकता है।

(2) सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसानों द्वारा कृषि उत्पादों के सीधे विपणन में मूल्यों में उनके शेयर को अधिकतम करने को बढ़ावा दे।

(3) मूल्य संबंधी जोखिम को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के साथ घरेलू मंडियों को जोड़ने को सुकर बनाने के लिए वायदा व्यापार हेतु वस्तुओं की सूची में अधिक वस्तुओं को जोड़ा जाना चाहिए।

(4) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को निधियों के वर्धित प्रवाह को प्रेरित करने के लिए तथा मूल्य जोखिम प्रबंधन में सुधार करने के लिए कृषि जिंसों हेतु राष्ट्रीय भांडागारण प्राप्ति प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(5) सरकार की ऋण नीति ऐसी होनी चाहिए कि वह रियायती पुन: वित्तपोषण की सुविधा के साथ रेहन वित्तपोषण को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के रूप में मानते हुए समर्थन करे।

(6) सरकार के लिए आवश्यक है कि वह (क) उत्पाद नियोजन (ख) मंडी सूचना (ग) मंडियों को सुरक्षा प्रदान करने (घ) वैकल्पिक/प्रत्यक्ष विपणन, (ङ) ग्रेडिंग और पैकेजिंग सहित उन्नत विपणन सेवाओं, और सामूहिक विपणन के लाभ के संबंध में किसानों को सलाह देने हेतु कृषि क्षेत्र में विपणन विस्तार, प्रशिक्षण और अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे।

(ग) समिति ने देश में कृषि विपणन के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न वैधानिक सुधारों तथा साथ ही नीतियों और कार्यक्रम की पुन: उन्मुखता पर सुझाव दिए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य सरकारों को निजी और सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी मंडियों के विकास तथा सीधा विपणन और संविदा कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु कृषि विपणन अर्थात् कृषि उत्पादन विपणन (विनियमन) अधिनियम (एपीएमसी एक्ट) से संबंधित राज्य के कानून में संशोधन करने की सलाह दी गई है। निजी क्षेत्र को मंडी अवसंरचना परियोजनाएं शुरू करने हेतु आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों से कृषि उत्पाद मंडियां स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन में तथा उन क्षेत्रों के विनियमन रहित करने में, जहां नई मंडियां एपीएमसी अधिनियम के क्षेत्राधिकार से स्थापित की जाएंगी, सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

*[अनुवाद]*

**व्यापारिक घरानों द्वारा पर्यावरण का बचाव**

**5608. श्री सनत कुमार मंडल:**
**श्री राजेश वर्मा:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में पर्यावरण के बचाव के प्रति व्यापारिक घरानों/बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा पर्यावरण का ध्यान रखने अथवा उन्हें इसके प्रति अधिक जिम्मेवार बनाने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना):** (क) और (ख) कारपोरेट घरानों को पर्यावरण के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार ने पहलें की हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साथ कई पारस्परिक बैठकें करने के बाद पर्यावरण की सुरक्षा हेतु मार्च, 2003 में सामूहिक जिम्मेदारी के संबंध में एक चार्टर प्रस्तुत किया गया था। यह चार्टर अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों की 17 श्रेणियों की पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए एक रोड मैप और संबंधित स्टेकहोल्डरों की भागीदारी के लिए एक वचनबद्धता है।

*[हिन्दी]*

**प्लास्टिक हेतु कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि**

**5609. श्री अतीक अहमद:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा प्लास्टिक हेतु कच्चे मालों के मूल्य में अंधाधुंध

वृद्धि की वजह से देश के सैकड़ों प्लास्टिक उत्पादन एकक बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) प्लास्टिक कच्चे माल अर्थात् पालीमर, मुक्त व्यापारिक सामग्री हैं और इनका देश में आयात ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के तहत किया जाता है। अत: पालीमरों की घरेलू कीमतें सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों के अनुसार निर्धारित होती हैं तथा इनका सरकार द्वारा विनियमन नहीं किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बहुत वृद्धि हुई है जिससे देश में प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले यूनिटों हेतु कच्चे माल के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। केवल मूल्य वृद्धि के कारण किसी प्लास्टिक उत्पादक यूनिट के बंद होने संबंधी कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं है। पालीमरों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने वित्तीय विधेयक 2005-06 में पालीमरों पर सीमा शुल्क 15% से कम करके 10% करने का प्रस्ताव किया है।

*[अनुवाद]*

**नई राष्ट्रीय उर्वरक नीति**

**5610. श्री जी. विनोद कुमार:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव उर्वरकों आदि सहित सभी उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसी नई राष्ट्रीय उर्वरक नीति को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार किये जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ग) सरकार एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें कृषि खाद, हरी खाद, वानस्पतिक खाद तथा जैव-उर्वरकों जैसे कार्बनिक उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों के सन्तुलित एवं विवेकसम्मत उपयोग पर आधारित मृदा परीक्षण सम्मिलित है।

*[हिन्दी]*

**उत्पाद पेटेंट प्रणाली से प्रभावित कृषि लागत**

**5611. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
**श्री मुन्शीराम:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 2005 से उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई प्रणाली से कृषि लागत प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि बीजों और रसायनों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कृषि में उपयुक्त होने वाले कीटनाशकों को उक्त प्रणाली से बाहर रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**औषधियों को लाइसेंसमुक्त करना**

**5612. श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने और अधिक औषधियों को लाइसेंसमुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) और (ख) भेषज नीति, 2002 के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा स्वीकृत सभी प्रपुंज औषधों, उनके सभी मध्यवर्तियों तथा फार्मूलेशनों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई है जो कि समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन है:-

(1) पुनर्संयोजक डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषध,

(2) वे प्रपुंज औषधें जिनके लिए न्यूक्लिक अम्लों का प्रभावी तत्वों के रूप में अन्त:स्फूर्त उपयोग अपेक्षित है, और

(3) विशिष्ट सैल/ऊतक लक्षित फार्मूलेशन।

**उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता**

**5613. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार उपभोक्ता जागरूकता के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित देश में विभिन्न संगठनों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उक्त संगठनों के निष्पादन का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन):** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान प्राप्त कर रहे संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 1992 और उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान मंजूरी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें। उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की सिफारिश के आधार पर मंजूर किया जाता है। संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति उपभोक्ता कल्याण कोष की सहायता से स्थापित जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है। संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन विभिन्न मदों से संबंधित अनुदानों का उपयोग अनुदान रिलीज होने के 12 महीने के भीतर कर लें जिनके लिए अनुदान की मंजूरी मिली है। परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात संगठनों को मंजूरी पत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार की एफ आर 19-ए में उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2002-03 में जारी किया गया कुल अनुदान (रु. में) | 2003-04 में जारी किया गया कुल अनुदान (रु. में) | 2004-05 में जारी किया गया कुल अनुदान (रु. में) | 2005-06 में जारी किया गया कुल अनुदान (चालू वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | 23,47,000 | 1,15,53,000 | शून्य |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | – | – | – | शून्य |
| 3. | असम | – | 3,42,000 | 4,21,000 | शून्य |
| 4. | बिहार | – | 5,93,588 | 2,16,000 | शून्य |
| 5. | छत्तीसगढ़ | – | – | 26,44,000 | शून्य |
| 6. | दिल्ली | 2,50,000 | 53,65,691 | 91,19,235 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गोवा | – | 50,000 | – | शून्य |
| 8. | गुजरात | 2,50,000 | 6,75,000 | 59,05,000 | शून्य |
| 9. | हरियाणा | – | 67,500 | – | शून्य |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | – | – | – | शून्य |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | – | – | 99,000 | शून्य |
| 12. | झारखण्ड | – | 2,50,000 | – | शून्य |
| 13. | कर्नाटक | 3,66,000 | 17,96,000 | 74,55,300 | शून्य |
| 14. | केरल | 2,50,000 | 3,15,000 | – | शून्य |
| 15. | मध्य प्रदेश | – | 17,40,300 | 25,20,500 | शून्य |
| 16. | महाराष्ट्र | 4,80,000 | 7,06,000 | 62,93,000 | शून्य |
| 17. | मणिपुर | 15,75,000 | 18,18,500 | 19,63,000 | शून्य |
| 18. | मेघालय | – | – | – | शून्य |
| 19. | मिजोरम | – | – | 1,26,000 | शून्य |
| 20. | नागालैण्ड | – | 5,29,200 | 7,31,500 | शून्य |
| 21. | उड़ीसा | 1,85,000 | 8,35,000 | 1,22,83,050 | शून्य |
| 22. | पंजाब | – | – | 10,00,000 | शून्य |
| 23. | राजस्थान | 2,48,100 | 4,40,000 | 81,73,500 | शून्य |
| 24. | सिक्किम | – | 6,75,000 | – | शून्य |
| 25. | तमिलनाडु | 2,89,000 | 12,17,000 | 68,61,400 | शून्य |
| 26. | त्रिपुरा | – | – | 7,70,000 | शून्य |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 75,000 | 69,46,400 | 36,67,500 | शून्य |
| 28. | उत्तरांचल | 3,85,000 | 8,42,800 | 13,55,200 | शून्य |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,44,000 | 16,25,500 | 86,39,200 | शून्य |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | – | शून्य |
| 31. | चण्डीगढ़ | – | – | 88,000 | शून्य |
| 32. | दादरा व नगर हवेली | – | – | – | शून्य |
| 33. | दमण व दीव | – | – | – | शून्य |
| 34. | लक्षद्वीप | – | – | – | शून्य |
| 35. | पांडिचेरी | 2,50,000 | 2,94,000 | 1,35,000 | शून्य |

**अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में भारत**

**5614. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पर्यटन हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं सृजित करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता है?

**पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी):** (क) और (ख) भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र बनाने के उद्देश्य से, सामरिक मार्केटिंग शुरूआतों के साथ-साथ, देश में पर्यटन अवसंरचना के उन्नयन के लिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक दो-मूंही रणनीति अपनाई गई है।

(ग) पर्यटन क्षेत्र में निवेश विभिन्न खंडों द्वारा किया जाता है, जिनमें निजी, सार्वजनिक, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियां सम्मिलित हैं।

*[हिन्दी]*

**पुन:चक्रण और पुन: शोधन हेतु कम्पनियों का पंजीकरण**

**5615. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पुन: चक्रण और पुन: शोधन हेतु कम्पनियों के पंजीकरण में कदाचार संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीपीसीबी ने हाल ही में महाराष्ट्र में रायगढ़ की विशुद्ध रसायन प्राइवेट लिमिटेड को संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा उठाई आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए लाइसेंस प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना):** (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 2003 में यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपशिष्ट आयल और प्रयोग किए जा चुके आयल के पुन:चक्रण और पुन:शुद्धिकरण के लिए पंजीकरण मंजूर करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) मैसर्स विशुद्ध रसायन प्राइवेट लि. जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के आवेदन के संबंध में पता चला है कि यूनिट को केवल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित सहमति और प्राधिकरण मंजूरी मिलने के बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**विशेष विद्यालयों को बंद करना**

**5616. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के बाल श्रमिकों हेतु विशेष विद्यालयों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विद्यालयों को पुन: खोलने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**डेयरी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन**

**5617.श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किए गए;

(ख) आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत सभी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजनाओं की सफलता की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या व्यापक रणनीति तैयार की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** (क) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन को नौवीं पंचवर्षीय योजना से पहले शुरू किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रसायनों और उर्वरकों की उत्पादन लागत**

**5618. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसायनों और उर्वरकों की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकसित देशों में रसायनों और उर्वरकों की उत्पादन लागत पता लगाने का कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) से (ङ) तीन खतरनाक रसायनों को छोड़कर रसायन उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। रसायनों के उत्पादन और मूल्य-निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, सरकार द्वारा रसायनों के उत्पादन की लागत पर निगरानी नहीं रखी जाती है।

जहां तक देश में उर्वरकों की उत्पादन लागत का संबंध है यह इस्तेमाल किए गए फीडस्टाक के प्रकार और उसकी लागत पर निर्भर करता है। फीडस्टाक जितना महंगा होगा उतनी ही स्वदेशी उर्वरकों के उत्पादन की लागत अधिक होगी। वर्तमान में स्वदेशी यूरिया के उत्पादन की लागत आयातित यूरिया की लागत से कम है। स्वदेशी यूरिया के उत्पादन की मौजूदा भारित औसत लागत 8494 रुपए प्रति मीट्रिक टन है और आयातित यूरिया की लागत (सी एण्ड एफ) 11073 रुपए प्रति मी. टन है। दूसरे देशों में उर्वरकों के उत्पादन की लागत पर अलग से कोई निगरानी नहीं रखी जाती है।

देश अपने स्वदेशी डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) के उत्पादन के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। डी ए पी उत्पादकों द्वारा अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की लगभग पूरी मात्रा का आयात किया जाता है। इसी प्रकार, जो इकाइयां राक फास्फेट का इस्तेमाल करती हैं और फास्फोरिक एसिड का स्वयं उत्पादन करती है, वे भी अपनी पूर्ण आवश्यकता के लिए आयातित राक फास्फेट और आयातित सल्फर पर आश्रित हैं। अत: स्वदेशी डी ए पी की लागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के मूल्यों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है।

यूरिया इकाइयों की नई मूल्य निर्धारण योजना (एन पी के), जो 1.4.2003 से लागू हुई थी, में दक्षता पर बल दिया गया है। यूरिया इकाइयों के लिए पूर्व-निर्धारित ऊर्जा मानदण्डों को चरण-II अर्थात् 1.4.2004 से प्रभावी बनाया गया है।

**इमारती एवं जलावन लकड़ी के पेड़ों को काटा जाना**

**5619. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की कटाई का मुख्य कारण निरन्तर इमारती एवं जलावन लकड़ी के पेड़ों को काटा जाना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इमारती एवं जलावन लकड़ी के स्थान पर अन्य विकल्पों को उचित एवं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अन्य देशों द्वारा वित्त पोषित वन संरक्षण योजनाओं को लागू कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ममोनारायन मीना ):** (क) जी, नहीं। वनों की कटाई के कई कारण हैं जैसे कि इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की अवैध कटाई सहित विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमियों का अन्यत्र प्रयोग, अतिक्रमण, झूम खेती आदि। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ईंधन लकड़ी के गट्ठे ले जाने से वनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ख) वनों पर जैवी दबाव (ईंधन तथा इमारती लकड़ी के लिए) कम करने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है:-

(1) सरकार वनों के बाहर सफेदा, पोपलर, सिल्वर ऑक आदि जैसी वृक्ष प्रजातियों की रोपाई को प्रोत्साहन दे रही है।

(2) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, इमारती लकड़ी के विकल्प जैसे बैम्बू मैट आधारित पैनल प्रोडक्ट तथा बैम्बू लेमिनेट के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में जुटा हुआ है।

(3) बांस अनुप्रयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन भी बांस क्षेत्र के विकास के लिए तरीके खोज रहा है।

(4) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुकिंग, हीटिंग तथा लाइटिंग संबंधी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि बायोगैस, (सामुदायिक, सांस्थानिक/रात्रि-मृदा-आधारित बायोगैस संयंत्रों को कवर करते हुए), उन्नत चूल्हा, सोलर कुकर तथा सोल वाटर हीटिंग प्रणाली को सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मंत्रालय के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। 7 राज्यों के वन विभागों द्वारा 3000 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 8 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, 2005-06 के दौरान क्रियान्वयन के लिए जापान बैंक फार इंटरनेशनल का-आपरेशन द्वारा क्रमश: 779 करोड़ तथा 564 करोड़ के परिव्यय के साथ दो परियोजनाएं नामश: पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना चरण II तथा तमिलनाडु वनीकरण परियोजना चरण II स्वीकृत की गई है।

***विवरण***

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | परियोजना | राज्य का नाम | सहायता एजेंसी | परियोजना अवधि | लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना | हरियाणा | जे.बी.आई.सी. | 2004-05 से 2009-10 | 286 |
| 2. | राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना | राजस्थान | जे.बी.आई.सी. | 2003-04 से 2008-09 | 442 |
| 3. | आंध्र प्रदेश सामुदायिक वानिकी परियोजना | आंध्र प्रदेश | विश्व बैंक | 2002-03 से 2006-07 | 653 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना | हिमाचल प्रदेश | अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग-यू.के. | 2002-03 से 2006-07 | 55 |
| 5. | पंजाब वनीकरण परियोजना-II | पंजाब | जे.बी.आई.सी. 2006-07 | 2002-03 से 2006-07 | 264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | इंडो-जर्मन छंगार पारि-विकास परियोजना | हिमाचल प्रदेश | जर्मनी सरकार | 1999-2000 से 2004-05 | 30 |
| 7. | पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना | कर्नाटक | जे.बी.आई.सी. | 1997-98 से 2004-05 | 722.489 |
| 8. | तमिलनाडु वनीकरण परियोजना | तमिलनाडु | जे.बी.आई.सी. | 1997-98 से 2004-05 | 547.72 |

**विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जलापूर्ति परियोजनाएं**

**5620. श्री बालेश्वर यादव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही विश्व बैंक प्रायोजित जलापूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस समय इनकी स्थिति क्या है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कितनी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव):** (क) सिंचाई तथा जल आपूर्ति के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | सहायता राशि मिलियन अमेरिकन डालर में | शुरू/पूर्ण होने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) | 170.00 | फरवरी, 1999<br>30.9.2005 |
| 2. | केरल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना | 65.50 | जनवरी, 2001<br>31.12.2006 |
| 3. | द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना | 151.60 | फरवरी, 2002<br>31.12.2007 |
| 4. | उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना | 149.20 | मार्च, 2002<br>31.10.2007 |
| 5. | राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना | 140.00 | मार्च, 2002<br>31.3.2008 |
| 6. | कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना | 98.90 | जून, 2002<br>31.1.2009 |
| 7. | द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना | 181.00 | अक्तूबर, 2003<br>30.9.2009 |
| 8. | कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना | 39.50 | अप्रैल, 2004<br>31.3.2007 |
| 9. | मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना | 394.02 | नवम्बर, 2004<br>30.09.2010 |

(ख) तीन परियोजनाओं नामशः आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनः संरचना परियोजना (सिंचाई घटक), केरल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना तथा कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना को दसवीं योजना के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

**रोजगार संबंधी योजना**

**5621. श्री थावरचन्द गेहलोतः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीबी उपशमन और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन-कौन सी नयी योजनाएं आरंभ की गई हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ योजनाओं के नामों को बदल दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और बजट में कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए बजटीय आबंटन में कितनी वृद्धि की गई है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव):** (क) चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन हेतु कोई नई योजना आरंभ नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

**अपराह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** मैं, श्री राम विलास पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2001/05]

(ख) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2002/05]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2003/05]

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2004/05]

(तीन) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2005/05]

---

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विजय हान्डिक ):** मैं, श्री संतोष मोहन देव की ओर से वर्ष 2003-2004 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण (खंड एक से तीन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2006/05]

*[हिन्दी]*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2007/05]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2005 जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 342(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 343(अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कतिपय अनंतिम उर्वरकों के संबंध में विनिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2008/05]

*[अनुवाद]*

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीना ):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) ऐनीमल वेल्फेयर बोर्ड आफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐनीमल वेल्फेयर बोर्ड आफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2009/05]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 281(अ) जो 2 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उसमें अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट सहित जैवचिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक रसायनों, औद्योगिक ठोस अपशिष्टों और नगर निगम ठोस अपशिष्टों से संबंधित मानकों और नियमों के उल्लंघन के लिए किसी उद्योग अथवा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारियों को निदेश जारी करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2010/05]

*[हिन्दी]*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कांतिलाल भूरिया ):** डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा (9) की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2005 जो 3 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2011/05]

(2) केंद्रीय भांडागारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2012/05]

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

**महासचिव:** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 28 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित नौसेना (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2005 को जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 27 अप्रैल, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

महोदय, मैं 28 अप्रैल, 2005 को राज्य सभा द्वारा पारित नौसेना (संशोधन) विधेयक, 2005 सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

### (एक) कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब कार्यसूची की मद संख्या 9 पर चर्चा होगी। श्री शरद पवार, अब सभा पटल पर अपना वक्तव्य रख सकते हैं। आप अपने वक्तव्य का प्रथम पृष्ठ पढ़ सकते हैं और शेष वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

**कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-2 के माध्यम से जारी किए गए माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थाई समिति (2004-2005) के प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि संबंधी स्थाई समिति ने कृषि और सहकारिता विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदान मांगों की जांच की और इसे 17.8.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया।

इस प्रतिवेदन में 16 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। समिति की इन सिफारिशों की कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में ध्यानपूर्वक जांच की गई है। सरकार ने अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन पर पहले ही कार्यवाही कर दी गई है/शुरू कर दी गई है। कृषि संबंधी स्थाई समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही/स्थिति दर्शाने वाला विवरण में संलग्न है।

की गई कार्यवाही संबंधी उत्तर समिति को 5 जनवरी, 2005 को भेज दिये गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद, शेष मंत्रियों, जिन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें ऐसा करना होगा, अन्यथा मुझे इसके परिणाम के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे माननीय मंत्रियों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर दिये हैं और उन पर समुचित चिन्ता दर्शाई है।

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

### (दो) वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*[अनुवाद]*

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग 2 के तहत जारी किए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में वाणिज्य विभाग के संबंध में अनुदान मांगों (2004-05) से संबंधित स्थाई समिति की 65वीं

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 2013/05।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 2014/05।

[श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन]

रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री इलेंगोवन, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

**श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन:** महोदय, यह केवल दो पृष्ठ का वक्तव्य है।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप इसे पढ़ना चाहते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं।

**श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन:** (1) स्थाई समिति ने दिनांक 12 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में वाणिज्य विभाग की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच की थी। उसकी रिपोर्ट दिनांक 18 अगस्त, 2004 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी थी। रिपोर्ट में 31 सिफारिशें की गयी थीं।

(2) समिति की सिफारिशें मुख्यत: निर्यात गारंटी निगम (ई सी जी सी) की स्कीमों के समय पर अनुमोदन, रबड़ बागान विकास स्कीम, मसालों के निर्यात संवर्धन तथा चाय बागान निधि, निधियों के उपयोग, स्कीमों/विशिष्ट कार्यक्रमों की समीक्षा, माने गए निर्यातों पर शुल्क वापसी से संबंधित शुल्क वापसी के लंबित मामलों के निपटान, काजू बोर्ड का गठन, कृषि निर्यात जोनों के कार्यकरण की निगरानी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना, दिसम्बर, 2005 में हांगकांग, चीन में डब्ल्यू टी ओ के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कार्यनीति के निर्धारण के लिए अंतर्मंत्रालयी परामर्श, राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों तथा शीर्षस्थ उद्योग एसोसिएशनों के साथ परामर्श आदि से संबंधित हैं।

(3) 31 सिफारिशों में से सरकार ने 30 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एक मामले में अर्थात् काजू बोर्ड के गठन के लिए पैरा 13.3 के जरिए की गयी सिफारिश के संबंध में सरकार ने समिति की उक्त सिफारिश को इसलिए स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसमें लागत की मितव्ययिता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग में व्यापार में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रचालनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की प्रवृत्ति है जिसे उद्योग तथा निजी उद्यमियों पर छोड़ दिया जाना ही बेहतर होगा।

(4) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी 30 सिफारिशों में से 25 सिफारिशों के संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली गयी है। 5 मामलों में कार्यवाही पूरी होने वाली है जो निम्नलिखित है:—

(क) पैरा सं. 5.2 - ब्रांड एम्बैसडर नेटवर्क प्रारंभ करना।

(ख) पैरा सं. 6.5 - विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन।

(ग) पैरा सं. 7.4 - खाद्यान्न निर्यात नीति।

(घ) पैरा सं. 11.7 - रबड़ के प्रयोग को बढ़ाने तथा सड़कों को उन्नत करने के लिए स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन।

(ङ) पैरा सं. 17.3 - डी जी सी आई एंड एस को सुदृढ़ करना।

(5) मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए प्रत्येक सिफारिश पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** इस वक्तव्य के लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### खेलों के संवर्धन और खेल परिसरों के विकास के लिए और अधिक अवसंरचना सृजित किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री किशन सिंह सांगवान-अनुपस्थित; श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर।

**श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर** (कृष्णनगर): महोदय, मैं माननीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर आकृष्ट करती हूं तथा उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस पर व्यक्तव्य दें:

"देश में खेलों के संवर्धन और खेल परिसरों के विकास के लिए और अधिक अवसंरचना सृजित किये जाने की आवश्यकता।"

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने इस विषय का विशेष रूप से चयन किया है।

***युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त):** महोदय, मुझे इस माननीय सभा में बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 2015/05।

इसके अलावा, मैं श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर को बधाई देता हूं क्योंकि वह स्वयं एक खिलाड़ी हैं और उन्होंने दो स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है।

मैं माननीय संसद सदस्यों का ध्यान देश में खेलों के संवर्धन और खेल परिसरों के विकास के लिए और अधिक अवसंरचना सृजित करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। खेलों के संवर्धन की जिम्मेवारी मुख्यत: राष्ट्रीय खेल महासंघों (एन एस एफ) की है। तथापि भारत सरकार, खेलों का आधार विकसित करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और प्रतिभा की खोज करने के बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देती है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य-योजनाएं निम्नानुसार हैं:—

(1) संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ, पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेल वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एलटीडीपी) को अन्तिम रूप देना और क्रियान्वित करना;

(2) उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना;

(3) प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों का गहन प्रशिक्षण;

(4) टीमों के साथ-साथ भारतीय प्रशिक्षकों को विदेश में गहन प्रशिक्षण;

(5) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए संबंधित महासंघों को वित्तीय सहायता;

(6) उत्कृष्ट बालकों एवं बालिकाओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि वे पोषणिक आहार, खेल उपस्कर सहायता प्राप्त कर सकें तथा खेलों को भविष्य के रूप में अपना सकें। खेलों से संबंधित विषयों में अनुसंधान करने के लिए महिलाओं को भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं;

(7) ''प्रतिभा की खोज और प्रशिक्षण'' और ''राष्ट्रीय खेल विकास निधि'' से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण और देश तथा विदेश में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को सहायता;

(8) स्कूलों में खेलों तथा ग्रामीण खेलों का विकास करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(9) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचन्द पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। ''अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार'' की योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं; और

(10) मंत्रालय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन भी उपलब्ध कराता है। दयनीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों का एक राष्ट्रीय कल्याण कोष है।

भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के माध्यम से सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर प्रतिभा की खोज और प्रशिक्षण द्वारा खेलों का विकास करने में राज्य सरकार के प्रयासों का भी संवर्धन करता है। वर्तमान में उदीयमान खिलाड़ियों की खोज करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:—

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (रा.खे.प्र.प्र.): इस योजना की मुख्य अवधारणा प्रतिभा की वैज्ञानिक रूप से खोज करते हुए उसी स्कूल में खेलना और अध्ययन करना है। इस योजना के अंतर्गत 8-14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2005-2006 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 25 नवोदय विद्यालयों को शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(2) सैन्य बाल खेल कम्पनी (सै.बा.खे.क.): सेना के अनुशासित वातावरण और अवस्थापना का उपयोग करने के लिए सेना के सहयोग से यह योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 8-14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें प्रवेश दिया जाता है। योग्य प्रशिक्षार्थियों को सेना में शामिल किया जाता है। 8 मौजूदा सै.बा.खे. कम्पनियों के अलावा, वर्ष 2005-2006 के दौरान क्रियान्वित किये जाने के लिए 10 और कम्पनियों को स्वीकृत किया गया है।

(3) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (भा.खे.प्रा.प्र.के.): इन केन्द्रों को राज्य सरकारों की सहायता से जूनियर स्तरीय खिलाड़ियों (14-21 वर्ष) को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। राज्य सरकारें अवस्थापना और भा.खे.प्रा. वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

[श्री सुनील दत्त]

(4) विशेष क्षेत्र खेल (वि.क्षे.खे.): इस योजना का उद्देश्य अगम्य जनजातीय, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के लिए प्रतिभा की खोज करना और उनका पोषण करना है। इस योजना के अंतर्गत 14-21 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2005-2006 के दौरान दो नए केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(5) उत्कृष्टता केन्द्र (उ.के.): इस योजना के अंतर्गत सीनियर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 17-25 वर्ष के आयु वर्ग में प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

उपरोक्त प्रयासों के अलावा, पिछले कुछ वर्षों से खेलों के विकास में एकीकृत क्षेत्रों का भी सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, एक सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी मैसर्स नाल्को ने एथेन्स ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण को 1.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई। सी.आई.आई. ने भी एथेन्स ओलम्पिक खेलों से पूर्व एक वर्ष के लिए कुश्ती और मुक्केबाजी खेल विधा को अपनाया।

मंत्रालय विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि (रा.खे.वि.नि.) भी संचालित करता है। सरकार इस दिशा में बराबर का योगदान देती है और खेलों का विकास करने के लिए और खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए सृजित निधि का उपयोग करती है। निधि में योगदान करने वाले को कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है। मंत्रालय ने रा.खे.वि.नि. में योगदान जुटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के साथ-साथ औद्योगिक संगठनों से सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किए हैं। इसके प्रारम्भ होने से निधि में दो करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त किया गया है। रा.खे.वि.नि. के अन्तर्गत कई खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की गई है। मैं हर्ष के साथ आपको सूचित करता हूं कि ओलम्पिक खेलों में स्वतंत्रत भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर इस निधि के अंतर्गत एकमात्र सबसे बड़े लाभार्थी हैं। उन्हें प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सहायता हेतु एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न खेल क्रियाकलापों के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों को लगभग 104.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसमें से, लगभग 42 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2004-2005 के दौरान जारी की गई थी। वर्ष 2004-2005 के दौरान प्रशिक्षण के लिए लगभग 200 खिलाड़ियों को सहायता दी गई थी। विभिन्न महासंघों को सहायता की मात्रा उनकी "वरीयता", "सामान्य" और "अन्य" में वर्गीकरण द्वारा संचालित होती है।

जिस योजना के अंतर्गत सहायता संचालित होती है उसमें प्रत्येक श्रेणियों में भुगतान की जाने वाली अधिकतम सहायता का उल्लेख होता है। क्रिकेट खेल विधा "अन्य" श्रेणी में आती है। तदनुसार, भारतीय महिला क्रिकेट संघ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए सहायता प्राप्त करता है। तथापि, पुरुष क्रिकेट का प्रोत्साहन और विकास करने के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) को सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

इसी प्रकार 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवस्थापना सृजित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। 31.3.2005 तक खेल अधिसंरचना का सृजन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को राज्य सरकार/नगर पालिकाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों/स्कूलों से खेल अवस्थापना का सृजन, खेल और उपस्करों की खरीद और खेल मैदानों का विकास करने के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान और सिन्थेटिक सतह स्थापित करने के लिए अनुदान जैसे प्रस्तावों को प्राप्त करने की शर्त पर केन्द्रीय प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया था।

दिनांक 1.4.2005 से इन योजनाओं को राज्य को स्थानान्तरित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है और तदनुसार आगे से राज्य सरकार को खेल सुविधाओं, जिसमें उनके राज्यों में खेल परिसर भी शामिल हैं, का निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से निधि उपलब्ध करानी होगी।

मंत्रालय की राज्य खेल अकादमी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार/केन्द्र शासित शासन और एक सहयोगी प्रयास के रूप में एक प्रायोजक द्वारा संयुक्त रूप से एक अकादमी स्थापित करने का प्रावधान है। खेलों में प्रतिभा की खोज करने और उन्हें पोषित के लिए अकादमी को प्रायोजित करने वाले एकीकृत क्षेत्र और व्यक्ति विशेष द्वारा अकादमी का प्रबन्ध करने की सम्भावना है। खिलाड़ियों के लिए खेल अवस्थापना भारतीय खेल प्राधिकरण के 5 क्षेत्रीय केन्द्रों, उप केन्द्रों और भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों आदि प्रशिक्षण केन्द्रों में भी उपलब्ध है।

महोदय, मुझे आपसे यही कहना है।

*[हिन्दी]*

**श्री ज्योर्तिमयी सिकदर** (कृषनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और खेल की दुनिया से मेरा बहुत ही नजदीक का रिश्ता रहा था, इसलिए खेल की दुनिया में परेशानियां और समस्याएं, अच्छाई और बुराई के साथ मैं परिचित रही हूं। करीब एक वर्ष से मैं एच.आर.डी. कमेटी की मैम्बर भी रही हूं। खिलाड़ियों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जब मैंने स्पोर्ट्स में भाग लिया था, तब भी जिन-जिन परेशानियों का सामने मुझे करना पड़ा था, आज भी खिलाड़ियों के सामने वही परेशानियां हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आज तक खेल को शिक्षा का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? जब तक खेलकूद को शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाया जायेगा, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि दूसरे मंत्रालयों से पूछें और एक नई खेल नीति बनायें और खेलों को पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाये और स्कूल से ही बच्चों को खिलाड़ी चुनना आवश्यक है।

वैसे तो हमारे यहां क्रिकेट और टेबल टेनिस को बहुत ही महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत में जो बहुत से खेल हैं, जैसे फुटबाल, हॉकी और एथलेटिक्स हैं, इन सभी खेलों के लिए हम देखते हैं कि हॉकी में हम ओलम्पिक में पहले गोल्ड मैडल लेकर आते थे, लेकिन आज फाइनल में पहुंचना भी बहुत दूर की बात है। फुटबाल में एशियन गेम्स में हमें गोल्ड मैडल मिलता था। आज एशियन गेम्स में फुटबाल में फर्स्ट राउंड में आउट हो जाते हैं। आज फुटबाल के लिए हमें विदेशों से खिलाड़ियों को लेकर आना पड़ रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि जो गांवों के खेल हैं, उनका विकास करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा के लिए जो 'साइ' का प्रोसेस है, यह प्रोसेस बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी-अभी कोलकाता में जो 'साई' ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लिया था, उसमें ये सिर्फ इंग्लिश पेपर में एडवरटाइजमेंट दे देते हैं तो गांव का खिलाड़ी कौन इंग्लिश पेपर पढ़ता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि स्कूल में कम से कम इन्फोर्मेशन दे दी जाये तो फिर गांव के खिलाड़ियों को मालूम पड़ेगा कि 'साई' में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ले रहे हैं।

हम सभी यह सोचते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी ओलम्पिक में गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला रहे हैं? सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से किसी सरकार ने खेल के विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया है। वर्ष 1975 में एक रूरल विमन फेस्टिवल की शुरुआत की गयी थी, किन्तु आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। आज भी ब्लाक लेवल के लिए एक हजार रुपए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तीन हजार रुपये और स्टेट लेवल के लिए दस हजार रुपये ही दिए जाते हैं। ऐसे में हम कैसे यह आशा रख सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीत कर ले आएंगे?

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेल वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं को अन्तिम रूप देगा और योजनाओं को क्रियान्वित करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि किन खेलों के विकास के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से परामर्श और सहायता ली जाती है? मुझे वर्ष 1998 में दो गोल्ड मेडल मिले, किन्तु आज तक मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब बोलने का मौका मिला है और जनता ने यह मौका दिया है।

**श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर:** माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा कि कोचेज को शिक्षा देने के लिए विदेश में भेज रहे हैं। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विदेशी कोच रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगी कि हम अपने कोचेज को विदेश में क्यों भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास 1440 से 1500 के अंडर में कोचेज हैं और उनको 15000 से 20000 रुपए महीना तनख्वाह दी जाती है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि विदेश से जो कोचेज आ कर हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इससे अच्छा विदेशी कोच ला कर हमारे देश के कोचिज को ट्रेनिंग दिलवाई जाए। इससे परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे और पैसा भी कम खर्च होगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है, वह बहुत कम है। खेल पर शोध करने के लिए जो स्कोलरशिप दी जाती है, वह किसको दी जाती है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में खेलों तथा ग्रामीण खेलों का विकास करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गांवों से हम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करते हैं, किंतु गांवों में बुनियादी ढांचा तक तैयार नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छे स्टेडियम तक नहीं हैं। केरल तथा देश के अन्य भागों जैसे बैंगलूर और पटियाला को देखने से हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। यदि हम प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना चाहते हैं तो हमें कम-से-कम अच्छे

[श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर]

मैदान, साफ पीने का पानी और अच्छे शौचालयों की सुविधा को उपलब्ध करवाना होगा। इन बुनियादी चीजों की हमारे देश में बहुत कमी है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल कोचिज को दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। इन पुरस्कारों में भी पारदर्शिता नहीं है। सन् 1998 के एशियन गेम्स में मुझे दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला था। मेरी साथी खिलाड़ी, जिसको थर्ड मेडल मिला था, उसको वर्ष 1990 और वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, किन्तु मुझे नहीं दिया गया। कुछ समय बाद मुझे भी पुरस्कार दिया गया था। इसलिए मेरी मांग है कि इन पुरस्कारों के वितरण में पारदर्शिता होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मंत्रालय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन भी उपलब्ध कराता है। मैं पेंशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कागजों में तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ दिया जाता है, किंतु वास्तव में उन्हें उतना फायदा प्राप्त नहीं होता है। जो खिलाड़ी ओलम्पिक और एशियन खेलों में मेडल ले कर आते हैं, उनको लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसने पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ा कर 3500 रुपये कर दिया है, किंतु इसमें भी खिलाड़ी का गुजारा सही तरह से नहीं हो पाता है। जिस खिलाड़ी को मेडल मिलता है, उसकी आयु तीस वर्ष होने के बाद उसे पेंशन दी जाती है। मुझे वर्ष 1998 में गोल्ड मेडल मिला था। जब मेरी आयु तीस वर्ष हुई तो मैंने पेंशन के लिए एक पत्र लिखा था। किंतु वर्ष 2004 तक मुझे इस संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही मुझे पेंशन मिलनी शुरू हुई है। जब मैं लोक सभा की सदस्य बनी, साथ ही साथ एचआरडी कमेटी की सदस्य बनी, इसके बाद मुझे पेंशन मिलनी शुरू हुई। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** पेंशन लेने के लिए एमपी बनना होगा।

**श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर:** वर्तमान में उदीयमान खिलाड़ियों की खोज करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने के बारे में कहना चाहती हूं। मैं खेल मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगी कि आप इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। 1440 से 1500 के करीब सहायक कोचेज हैं जिनको 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के करीब तनख्वाह मिलती है। आप देखें कि एक कोच के पास कितने खिलाड़ी हैं और वह हर साल क्या प्रदर्शन कर रहा है, इसका भी लेखा-जोखा होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 15-20 साल से एक कोच के पास शायद दस खिलाड़ी हैं, जिनमें एक भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं है।

आपने सैन्य बाल खेल कम्पनी के बारे में बताया। पूना में ऐसी एक कम्पनी है। मैं खेल जगत से आई हूं। मैम्बर बनने के बाद मुझे बहुत जगहों से फोन आते हैं। मुझे वहां से भी एक फोन आया कि उसके लिए शायद 90 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। वह सही तरह से खर्च नहीं हो रही है और स्पोर्ट्समैन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए।

एथेन्स ओलम्पिक - कामनवैल्थ गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं। उनके लिए जो धनराशि दी गई है, वह बहुत कम है। ओलम्पिक खेलों में गोल्ड मेडल लेने के बारे में देखें तो हमारा देश आजाद होने के बाद चीन आजाद हुआ। लेकिन ऐवार्ड लेने के मामले में वह सबको टक्कर दे रहा है और हम एक श्री राठौर को ही लेकर बैठे हैं। खेलों के लिए धनराशि बढ़ानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कम से कम हम काफी समय के पश्चात् एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): और वह भी पहली बार।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने एक महत्वपूर्ण विषय लिया है।

*[हिन्दी]*

**श्री ज्योर्तिमयी सिकदर:** क्रिकेट को काफी महत्व दिया जाता है। लेकिन गांवों में ग्रामीण खेलों जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी और फुटबाल आदि पर थोड़ा ध्यान देने से हम आगे बढ़ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप प्रश्न पूछिए।

**श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर:** भारत के खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है। साल में 'साई' में सिर्फ पांच प्रतिशत खिलाड़ियों को ही नौकरी मिलती है। कुछ दिन पहले केरल में रोइंग के एक स्पोर्ट्समैन ने आत्महत्या कर ली। अगर खिलाड़ियों को पेंशन दी जाए तो वे आत्महत्या क्यों करेंगे। खिलाड़ियों के लिए नौकरी भी निश्चित की जानी चाहिए। हर डिपार्टमैंट की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कुछ प्रतिशत होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

इस विषय में और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मंत्री जी खेलों के बारे में थोड़ा ध्यान दें। भारत के पास बहुत टेलैंट है। आप पैसा दे देते हैं, लेकिन वह सही तरह से खर्च नहीं हो पाता।

आप फैडरेशन को पैसे दे देते हैं, लेकिन वह पैसा कैसे खर्च करता है, इसका लेखा-जोखा भी लेना चाहिए। फैडरेशन दो टर्म्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक-एक फैडरेशन बीस-बीस साल तक होता है। कबड्डी में दो-दो फैडरेशन बना रखे हैं। फैडरेशन पर भी कंट्रोल होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ नियमों का पालन करना है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आप बैठ जाइये।

केवल दो माननीय सदस्यों ने अपनी सूचनाएं दी थीं, कभी-कभी अध्यक्ष चार सदस्यों को भी अनुमति दे देते हैं। परन्तु आप केवल खड़े हो जाएं और अपना हाथ उठा दें, यह नहीं हो सकता है—मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। किसी प्रणाली का तो पालन किया जाना चाहिये।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** केवल दो और सदस्यों को अनुमति दी जायेगी।

*[हिन्दी]*

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप भाषण मत दीजिए, सिर्फ प्रश्न पूछिए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के वक्तव्य के बाद श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर ने खेल संवर्धन और परिसरों के विकास के बारे में जो तमाम बातें बताईं, वह बहुत ही सोचनीय और निन्दनीय विषय है। खेलों को बढ़ावा देने में बहुत सी खामियां हैं। जैसे अभी श्रीमती सिकदर ने कहा, हम एशियन गेम्स में केवल श्री राठौर के पदक लाने से ही बहुत खुश हैं,

जबकि आप क्रिकेट, हॉकी या ऐथलेटिक्स में देखिये, उसमें हमें शून्य पदक मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खेल का सवाल जीवन से जुड़ा हुआ है। इससे आदमी का लाइफ स्टाइल पूरा बदल जाता है। मैं चाहूंगा कि खेल को स्कूलों के पाठ्यक्रम में लाया जाये। दूसरा, खेल को शिक्षा और रोजगार से जोड़िये। जब आप खेल को रोजगार से जोड़ेंगे तब जाकर हमारे यहां के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप प्रश्न पूछिये।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** दूसरा, आपने अभी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में तमाम बातें कही हैं। युवक मंगल दल का भी आपने गठन किया है। लेकिन आज ब्लाक स्तर पर जो खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों को मानदेय बहुत कम मिलता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांवों में बड़े प्रतिभावान, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनके लिए ब्लाक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाये। अगर जिले में न बने तो ब्लाक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बने ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, वे आगे निकल सकें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** वे खिलाड़ी जिले स्तर या यू.पी. स्तर पर खेल सकें। युवक मंगल दल को मजबूत बनाया जाये और मानदेय अनुदान ज्यादा दिया जाये जिससे वे खिलाड़ी प्रोत्साहन पा सकें। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप प्रश्न पूछिये। केवल सुझाव देने की बात नहीं है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार:** इसके साथ-साथ खेलों में जो सट्टेबाजी होती है, उस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** खेलों में सट्टेबाजी नहीं होती।

*[अनुवाद]*

**श्री निखिल कुमार:** कृपया केवल प्रश्न पूछिये। यह अवसर केवल स्पष्टीकरणों हेतु प्रश्न पूछने के लिये है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं। आपके भाषण की और अनुमति नहीं दी जायेगी। श्री निखिल कुमार।

**श्री निखिल कुमार** (औरंगाबाद, बिहार): धन्यवाद, महोदय।

माननीय मंत्री ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर ने अपने जोरदार भाषण में कुछ संगत मुद्दे उठाए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं और अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं में हमारे अत्यधिक कमजोर प्रदर्शन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। हम कुछ खेल विधाओं में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया करते थे।

**अध्यक्ष महोदय:** हां, इसमें बड़ी तेजी से गिरावट आई है। यह अत्यधिक चिंता की बात है और मैं इसके बारे में खुश नहीं हूं।

**श्री निखिल कुमार:** मैं चीन का उदाहरण देता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था। तत्पश्चात् उन्होंने निर्णय लिया कि वे तब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगे जब तक कि वे स्वयं इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

मैं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु हमारी सरकार और हमारे खिलाड़ियों में कुछ तो दृढ़ता होनी चाहिये कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप अपना प्रदर्शन करेंगे। क्या मंत्रालय-माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि अगले 5-10-15 वर्षों में दृढ़तापूर्वक कुछ किया जायेगा और उन वर्षों के दौरान कोई लक्षण निर्धारित किया जायेगा जिससे कि हम इन मानकों को प्राप्त कर लेंगे और तभी हम अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे? धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं मंत्री महोदय से पहला यह सवाल पूछना चाहता हूं कि करीब एक दशक पहले पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी आन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमैंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के खेल के मैदान में जो परफोर्मैंस है, उसे सुधारने के लिए एक रिपोर्ट दाखिल की थी। मैं सक्सेसिव मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसी मंत्री ने यह जवाब दिया कि वह रिपोर्ट उन्होंने देखी है या उनके मंत्रालय ने उस पर गौर किया है? एक दशक में और भी बहुत कुछ होना चाहिए। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? अभी आपने बाध्य किया कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखकर एक्शन टेकन रिपोर्ट दे। उस कमेटी के श्री पी. उपेन्द्र चेयरमैन थे। मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। हम लोगों ने पूरे देश में घूमकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उस रिपोर्ट को ढूंढकर उसके सुझावों को इम्प्लीमैंट करने की कोशिश करेंगे?

दूसरा प्रश्न यह है कि कालिंग अटैंशन के मोशन में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की गयी है। मैं फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत कायल नहीं हूं कि और भी ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पर बना दिये जायें क्योंकि जितनी फैसिलिटीज क्रिएट की गयी हैं, मैं नहीं समझता कि हमारे देश में उसका आप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। एक स्टेडियम करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया है लेकिन देखा जाये तो खेल के लिए उसकी आकूपैंसी साल में 2,10,15 या 40 दिन से ज्यादा नहीं है। चूंकि आजकल ऐसा होता है, ऐसा कुछ प्राइवेट अरेंजमैंट हैं कि आप फीस दो और मैम्बरशिप लो, इस तरह से उस स्टेडियम का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। जबकि चाइना, ब्राजील या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाकर देखें तो राउंड दी क्लाक अलग-अलग बैचेज आ रहे हैं। वे एक ही फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ट्रेनीज और दूसरे लोग भी उनका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे देश में मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए कोई ऐसा कानून लाए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, चाहे वह फेडरेशन्स के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर प्राइवेट बाडीज के पास हो, उनका आप्टिमल युटिलाइजेशन किया जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसकी अनिश्चित संख्या नहीं हो सकती है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, मैं उस राज्य से हूं जहां से पी.टी. ऊषा ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं माफी चाहता हूं। कृपया बैठ जाइये। मैं पहले ही कुल चार माननीय सदस्यों को अनुमति दे चुका हूं।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** तो यदि मैंने सूचना क्यों दी है?

**अध्यक्ष महोदय:** आपने सूचना दी होगी परन्तु केवल सूचना देने मात्र से आप बोल नहीं सकते हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल माननीय मंत्री का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** हमारे राज्य में सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइये।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** महोदय, मैंने सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं अनुमति नहीं दूंगा। अनेक माननीय सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन, आप अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। आपने ध्यानाकर्षण की सूचना देनी आवश्यक नहीं समझी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे नौ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। क्या मैं सभी को पुकारूंगा? मैंने कुल चार सदस्यों का नाम पुकारा है। कृपया व्यवधान न डालें।

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील दत्त:** आपकी अनुमति से, मैं केरल से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने पी.टी. ऊषा के बारे में कहा है। मुझे याद है जब उसने वहां पर अपनी स्वयं की अकादमी आरंभ की थी, तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने अपनी जेब से उसे 50,000/- रुपये दिये थे। वह एक शुरूआत थी। यह एक सम्मान है जो हम इस प्रकार के व्यक्तियों को देते हैं। उस समय मैं मंत्री नहीं था। उस समय मैं केवल एक साधारण संसद सदस्य था। मैंने महसूस किया कि उसने राष्ट्र के लिए महान कार्य किया है। आज, केरल सरकार ने उसे 25 एकड़ भूमि दी है और वह वहां पर ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। उसकी सहायता करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसने देश के नाम और गौरव को ऊंचा किया है।

**अध्यक्ष महोदय:** उसकी महान सेवाओं की हम सब प्रशंसा करते हैं।

**श्री सुनील दत्त:** श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर, जिन्होंने पुरस्कार और पदक जीते हैं, एक महान महिला हैं।

*[हिन्दी]*

इन्होंने बहुत-सी चीजें पूछ ली हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरे दफ्तर में आएं, वहां बैठकर मैं इनके साथ एक-एक प्वाइंट पर डिस्कस करूंगा। अगर आप कहें कि मैं इतने सारे प्रश्नों को इसी समय उत्तर दे दूं तो यह शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इनको आमंत्रित करता हूं और मैं इनको लंच भी खिलाऊंगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसमें बहुत से मुद्दे सम्मिलित हैं। अत: इसमें मध्याह्न भोजन से रात्रि भोजन तक का समय लग जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री सुनील दत्त:** सबसे ज्यादा सवाल इन्होंने पूछे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी जवाब भी देंगे, लेकिन केवल कुछ प्रश्नों का ही जवाब दें।

**श्री सुनील दत्त:** खेल के मैदान में इन्होंने मेडल जीते हैं, अगर आप लोग भी लाएंगे तो मैं आपको भी बुलाऊंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि स्कूल पाठ्यक्रम में स्पोर्टस को एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि खेल एक ऐसा मैदान है जो एक अच्छा इन्सान बनाता है। यह एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक तैयार करने की प्रक्रिया है। क्योंकि खेल के मैदान में जो फैसले होते हैं, वे किसी तलवार या बन्दूक से नहीं होते हैं, बल्कि खिलाड़ी के हुनर और ताकत से होते हैं। खेल में जो हारता है वह भी हाथ मिलाता है और जीतता है वह भी हाथ मिलाता है। इससे दोस्ती और भाईचारा बढ़ता है। जैसे अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ। पाकिस्तान से जितने भी लोग यहां आए, उन्हें यहां जो उत्साह, प्यार और मोहब्बत मिली, उसके लिए सभी ने हमारी तारीफ की। महोदय, मेरे लिए एक प्राब्लम है यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। मैं दोनों के बीच फंसा हुआ हूं। एक तरफ तो फैडरेशन्स हैं और दूसरी तरफ से स्टेट्स हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में अगर किसी को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिएं तो वह हैं हमारे स्पोर्ट्समैन।

माननीय सदस्या ने जो बातें कहीं हैं, मैं इनसे एग्री करता हूं। हमारे पास जो भी रिकमंडेशंस आती हैं, वे फैडरेशन की तरफ से आती हैं। फैडरेशन एक आटोनामस बाडी है। वही निर्णय लेती है। उसमें एक आब्जर्वर होता है। फैडरेशन ही यह काम देखती है कि किसका चयन करना है और किसे बाहर भेजना है। इस बारे में वह हमें लिखती है। मैं समझता हूं मेरा मंत्रालय इस माहौल में एक मनी लैंडर की तरह है। जैसे पैसा देना उसका काम होता है, ठीक वही काम हमारा है। लेकिन मनी लैंडर तो सूद भी लेता है, हम वह भी नहीं ले सकते। इसलिए स्पोर्ट्स को कंक्रेट सब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, फिर हम पालिसी बना सकते हैं। हम खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर मैं डिटेल में देख सकता हूं। अभी फैडरेशन ही यह सारा काम करती है कि किस खिलाड़ी का चयन करना है और किसे बाहर भेजना है। हम सिर्फ पैसा देते हैं। स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया यानि 'साई' ऐसा विभाग है, जिसके सेंटर्स विभिन्न जगहों पर हैं। वहां जो भी बैस्ट फैसिलिटिजी हो सकती हैं, हम देते हैं। आखिर में

*[अनुवाद]*

मैं यह बताना चाहूंगा कि युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसे व्यक्ति अधिक महत्व देते हैं। मुझे खुशी है कि आपने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात कही क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम खेलों और युवक कार्यक्रमों को और अधिक महत्व दें। यह इसलिए क्योंकि यदि हम अच्छे युवक तैयार करते हैं तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अत:, मैं यह महसूस करता हूं कि खेलों और युवक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय:** इस देश में एक राष्ट्रीय युवक आयोग क्यों नहीं होना चाहिए?

**श्री सुनील दत्त:** जी हां, महोदय। मैं आमतौर पर यह सोचता हूं कि हमारे पास युवकों के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। किसी दिन मैं इस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। यदि इस कार्यक्रम को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए तो यह बहुत सहायक होगा। किन्तु इस मंत्रालय के 400 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ आप इस कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर सकते। अत:, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस मंत्रालय को कुछ और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो मैं आश्वासन देता हूं कि सभी की पेंशनों में वृद्धि हो जाएगी और माननीय सदस्या ने जो समस्याएं उठाई हैं, उनका समाधान किया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

एक माननीय सदस्य ने सवाल किया था। उसमें भी यही सवाल पैदा होता है।

*[अनुवाद]*

हमने फैडरेशनों के साथ बैठकें कीं और उनकी मांगों पर चर्चा की। हम उन मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। फैडरेशनों के माध्यम से खिलाड़ी हमसे संपर्क करते हैं। फैडरेशन मेरे मंत्रालय और खिलाड़ियों के बीच एक संपर्क का कार्य करते हैं। खिलाड़ियों के लिए क्या आवश्यक है, उन्हें कितनी धनराशि दी जानी है ऐसी मांगें हम तक खेल फैडरेशनों के माध्यम से पहुंचती हैं। खेलों से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचन्द पुरस्कार आदि। हमारे पास कुछ समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता शीर्ष खेल प्रतिभाओं द्वारा की जाती है और शीर्ष स्तर के खिलाड़ी जिसके सदस्य बनते हैं वे यह निर्णय लेते हैं कि ये पुरस्कार किन्हें दिए जाएं। ये सभी स्वतंत्र निकाय हैं जो कि निर्णय लेती हैं।

अब यदि कोई अन्य सदस्य कोई प्रश्न करना चाहता है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** किसी दिन हमें इस संबंध में पूरी चर्चा करनी चाहिए।

**श्री सुनील दत्त:** महोदय, यह ठीक रहेगा।

**अध्यक्ष महोदय:** हम नियम 193 के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि हमने एक अच्छी शुरूआत की है।

---

**अपराह्न 12.44 बजे**

## बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक,* 2005

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** हम मद संख्या 12 को लेंगे। श्रीमती कान्ति सिंह विधेयक को पुर:स्थापित करेंगी।

*[हिन्दी]*

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि:

"बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 2.5.2005 में प्रकाशित।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती कान्ति सिंह:** मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करेगी।

श्री हन्नान मोल्लाह।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा का ध्यान एक अत्यधिक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उसके पड़ोसी जिलों में बैक्टीरिया से होने वाली एक बहुत घातक बीमारी—बैक्टीरिया से होने वाला एक प्रकार का गर्दन तोड़ बुखार (मैनिनजाइटिस) फैला हुआ है।

ऐसी जानकारी मिली है कि इस अत्यधिक संक्रामक, अलग प्रकार के मैनिनजाइटिस जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है, से पहले ही दिल्ली में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। दो मौतों की जानकारी बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल से मिली है। इस बीमारी से पीड़ित कम से कम एक दर्जन मरीजों का इलाज इस अस्पताल में चल रहा है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज 'एम्स' और गंगा राम अस्पताल में भी चल रहा है। इस बीमारी से एक और मौत की जानकारी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण अस्पताल से मिली है।

इस बीमारी के कथित लक्षण खांसी, ठंड लगना, बुखार, लाल चकते पड़ना, रक्तचाप कम होना आदि हैं और यह एक संक्रामक बीमारी है। हालांकि, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है तथापि, चिंताजनक स्थिति और मरीजों में हड़बड़ी को देखते हुए, इसे महामारी का रूप धारण करने से रोकने की आवश्यकता है।

अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बीमारी के विषय में जांच कराने के विषय में कदम उठाए और इसके कारणों का पता लगाए कि इस बीमारी का एक महामारी का रूप लेने से रोकने के लिए इस पर कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक गंभीर मामला है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, प्रकृति की मानव को जो बेजोड़ देनें हैं उनमें से जल एक है। प्रकृति ने हमें जल तो दे दिया लेकिन उसके प्रयोग की व्यवस्था प्रकृति के हाथों में न होकर मानव के हाथ में है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख मिलियन क्युबिक मीटर जल हमें विभिन्न माध्यमों से मिलता है। करीब 1 लाख 869 मिलियन क्युबिक मीटर जल हमें नदियों के माध्यम से मिलता है। पर्याप्त जल होने के बावजूद भी प्रति-व्यक्ति जल की उपलब्धता बहुत कम है। उसका कारण यह है कि जल संचय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 65 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार जल उपलब्ध नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली जैसे शहर में भी जल की उपलब्धता बहुत कम है। जब मैंने जल के संचय की बात कही है तो इस बार के बजट में उसके लिए केवल 100 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 700 जलाशयों की मरम्मत एवं पुन: निर्माण का काम होगा।

अध्यक्ष जी, पिछले एक दशक में तीन लाख जलाशय पूरे देश में बंद हो गये हैं। इसलिए एक तरफ जहां जल संचय की आवश्यकता है वहीं दूसरी तरफ जो दौलत भारत सरकार जल संचय के नाम पर देती है उसका समुचित उपयोग हो, ऐसा एक तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता है। दिल्ली जल बोर्ड को वर्ष 2004-2005 में 714 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, लेकिन केवल 454 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ। इतना ही नहीं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चन्द्रावल, हैदरपुर और वजीराबाद की जो योजनाएं बनाई गयी थीं, वह भी अधूरी पड़ी हैं। सीजीए की एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी का जल मानव प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यमुना जल को साफ करने के लिए 872 करोड़ रुपया दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी सफाई की जगह यमुना का पानी पहले से ज्यादा गंदा हुआ। दिल्ली में प्रतिदिन 719 मिलियन गैलन प्रदूषित पानी पैदा होता है जिसमें 335 मिलियन पानी ट्रीट किया जाता है जबकि ट्रीट करने की क्षमता ज्यादा है। एक तरफ आवंटित धन का प्रयोग नहीं होता है और दूसरी तरफ जल की बरबादी हो रही है। दिल्ली के उपभोक्ता को साढ़े चार रुपए प्रति लीटर पैसा देना पड़ता है जबकि वाटर ट्रीटमैंट का खर्चा दिल्ली में सबसे कम है। दिल्ली में एक मिलियन गैलन पानी को शुद्ध करने हेतु 18 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, मैं आपको इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको संक्षेप में तथा मुद्दे पर ही बोलना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन:** मुम्बई में 22 हजार और बंगलौर में 35 हजार रुपए ...*(व्यवधान)* दिल्ली में सबसे अधिक पैसा पानी के नाम पर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जल को संचय करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, भिन्न-भिन्न जल परियोजनाओं के लिए जो धन आवंटित किया जाता है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह देखा जाए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। अभी अप्रैल का महीना गया है। मई और जून में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे खेद है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन:** पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मचेगी। सरकार पानी के सवाल पर गम्भीर हो। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको सात से दस मिनट तक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे खेद है। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। यह समय केवल मामले का उल्लेख करने के लिए है और यह कोई वाद-विवाद नहीं है। हमने कम से कम 15 सदस्यों को बोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है और प्रत्येक को बोलने के लिए अधिकतम तीन मिनट के लगभग मिलेंगे। आप दस मिनट नहीं ले सकते। कृपया संक्षेप में और सटीक बात कहें।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देश में मिट्टी बनाने वाला प्रजापति समाज आज भुखमरी के कगार पर है। लालू जी द्वारा पेश रेल बजट पास होने के बाद मिट्टी के कुल्हड़ों का प्रचलन शुरू हुआ लेकिन देखा गया है कि ट्रेन से लेकर प्लेटफार्म तक और यहां तक कि सैंट्रल हाल में लोग प्लास्टिक की बोतल और गिलास में कभी-कभी पानी पीते देखे गए हैं। इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार काफी चिन्तित थी। उसने मिट्टी के खनन के लिए पट्टा भी दिया। उनकी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी लोगों को ओहदा देने की बात रखी है लेकिन इनकी बराबर यही मांग रही है कि इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। आज इनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का कारण अनुसूचित जाति में शामिल नहीं होना है। प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन पूरे देश में बनाते हैं। यहां तक कि हमारे लिए मकान के ऊपर छाने के लिए खपरैल को भी बनाते हैं। आज इनके सामने भुखमरी की स्थिति है। मैं चाहूंगा कि सरकार इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करे ताकि इनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर विकास हो सके।

**अपराह्न 12.54 बजे**

## सदस्य द्वारा निवेदन

### भारतीय वायुसेना की वी.आई.पी./वी.वी.आई.पी. उड़ानों के उपयोग को अधिशासित करने वाले दिशानिर्देशों के दिसम्बर, 2003 में कथित उल्लंघन के बारे में

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री वरकला राधाकृष्णन—उपस्थित नहीं। अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, तहलका आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन सौंपे जाने के छह सप्ताह पूर्व।

आयोग के सभापति, सदस्यों तथा अधिवक्ताओं सहित वायुसेना के यान में पुणे, अहमदाबाद, शिरडी तथा मुंबई की यात्रा पर गए थे। विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भारतीय वायुसेना के यानों के उपयोग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित हैं। आयोग के कुछ अधिवक्ताओं को भारतीय वायु सेना के विशेष चार्टर्ड वीआईपी वायुयान द्वारा सैर-सपाटा कराया गया।

उन्होंने इन सभी स्थानों की यात्रा की। इस यात्रा का कारण यह दिया गया कि वे अस्त्र प्रणाली से रूबरू होना चाहते थे। उन्होंने सिडनी की भी यात्रा की। मेरी समझ में नहीं आता है कि वे सिडनी जैसे स्थान की यात्रा कर वे किस प्रकार से अस्त्र प्रणाली से अन्तरंग हो सकते थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय का आतिथ्य भी स्वीकार किया। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** हम दिशानिर्देशों के उल्लंघन की बात कर रहे हैं न कि आतिथ्य की।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बसुदेव आचार्य:** जब वे हथियारों की खरीद की जांच कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया उसका उल्लेख न करें। आप पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय वायुसेना के वायुयानों के उपयोग हेतु कोई अनुमत दिशानिर्देश हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, वायुसेना के वायुयान के उपयोग हेतु दिशानिर्देश मौजूद हैं। रक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं—मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। तहलका आयोग के सभापति को उन वीवीआईपी वायुयान उपयोग करने की अनुमति कैसे दी गई, जिन्हें प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाता है। उन्हें वायुयान उपयोग करने की अनुमति दी गई। मैं जानना चाहूंगा कि क्या रक्षा मंत्रालय अथवा रक्षा मंत्री ने उन्हें वायुसेना के यानों के उपयोग की अनुमति दी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसमें दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। यदि इसमें दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है तो इस संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

---

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र शेखर दूबे** (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय के एफए एंड सीएओ विभाग के अंतर्गत एकाउंट्स विभाग तथा कैश एंड पे विभाग कार्यरत है। भारत सरकार के पांचवें वेतन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों ने उसे अनुचित बताते हुए वेतनमान पुन: निर्धारित करने की मांग की। उनकी मांगों पर विचार करते हुए रेल मंत्रालय ने एकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार भी कर दिया, परंतु एक ही विभाग में कार्यरत कैश एंड पे विभाग के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिल सका। इन लोगों के द्वारा अनेक बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे इन कर्मियों में भारी आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एफए एंड सीएओ विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों को भी उचित वेतनमान रेल मंत्रालय से दिलाया जाए ताकि एकाउंट्स विभाग तथा कैश एंड पे विभाग को पांचवें पे कमीशन द्वारा निर्धारित वेतनमान में किसी प्रकार की विषमता न रहे।

*[अनुवाद]*

**प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन** (वेल्लौर): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र वेल्लौर में तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल एक्सप्रोसिव लि. के नाम की एक कंपनी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग, खनन तथा कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन करती है। कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा एन-जी आधारित विस्फोटकों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी प्रकार, भारत एक्सप्रोसिव लि. ललितपुर, उत्तर प्रदेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब, भारत एक्सप्रोसिव लि., ललितपुर पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल एक्सप्रोसिव लि. पर से लगा प्रतिबंध नहीं उठाया गया है। इसके कारण, वेल्लौर, कटपड़ी में स्थित इस कंपनी में कार्यरत एक हजार से भी अधिक मजदूर घबराए हुए हैं तथा अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित हैं। उनका कहना है कि इस कंपनी में उत्पादित विस्फोटक आतंकवादियों तथा उग्रवादियों द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे हैं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

वे यह भी कहते हैं कि हमारे द्वारा उत्पादित गोलियां, चाकू तथा यहां तक कि ट्यूबलाइट भी शायद अपराधियों द्वारा उपयोग की जा रही है। इस दुरुपयोग के कारण ट्यूबलाइटों, चाकुओं तथा गोलियों का उत्पादन नहीं रोका गया है। इसलिए, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्रोसिव लिमिटेड जो कि एक सरकारी कंपनी है, को इन वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने तथा यह कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाए। इन पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए तथा इसमें कार्यरत सैकड़ों मजदूरों को भयमुक्त किया जाए। उन्हें वहां गारंटी दी जाए। ...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 1.01 बजे**

## सदस्य द्वारा निवेदन

### भारतीय वायुसेना की वी आई पी/वी वी आई पी उड़ानों के उपयोग को अधिशासित करने वाले दिशानिर्देशों के दिसम्बर, 2003 में कथित उल्लंघन के बारे में—जारी

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। रक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ऐसे नहीं चलेगा। यह उन पर निर्भर करता है।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य:** लेकिन मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं किसी माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता हूं।

**श्री वसुदेव आचार्य:** चूंकि वे यहां मौजूद हैं, वे उत्तर दे सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** उत्तर देना, पूर्ण रूप से उन पर निर्भर करता है। मैं उनसे नहीं कह सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** एक मिनट रुकिए।

**रक्षा मंत्री ( श्री प्रणब मुखर्जी ):** मैं अवश्य ही तथ्य का पता लगाऊंगा तथा सभा को सूचित करूंगा।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री वरकला राधाकृष्णन। आप वहां से अपनी बात कह सकते हैं। मैं मुद्दा परिवर्तन की अनुमति दूंगा। आपका मामला 'उड़ान का शुभारंभ' से संबंधित है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से सरकार को निदेश देने का अनुरोध करूंगा कि सत्र के चालू होने पर भारत सरकार द्वारा समारोह का आयोजन न किया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि त्रिवेंद्रम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। मैं यहां उपस्थित नहीं हो पाया। समाचार-पत्रों में ऐसी खबर छपी थी कि बैठक में गणपूर्ति भी नहीं थी। जब ऐसे हालात हैं तो भारत सरकार को सत्रावधि में समारोह आयोजित नहीं करने चाहिएं। इस प्रकार का एक निदेश भी है जिसका संबंधित मंत्री द्वारा उल्लंघन किया गया है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस पर विचार करूंगा।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** यही नहीं, मुझे यह भी बताने की अनुमति दी जाए कि एयर इंडिया ने त्रिवेंद्रम में एक समारोह का आयोजन किया। मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। त्रिवेंद्रम का एक भाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इस समारोह का आयोजन एयर इंडिया ने किया था। मुख्य मंत्री तथा यहां तक कि विधान सभा सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था तथा वे दौरे पर दुबई भी गए। मुझे बताया तक नहीं गया *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इसकी जांच करूंगा।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** *केरल से लोक सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे संसद सदस्य एल डी एफ से संबंधित हैं। इन लोगों का एक राजनैतिक उद्देश्य है...

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** इस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा। यह एक सामान्य नीतिगत मुद्दा है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि इसके बाद, सत्र के दौरान इस प्रकार के भव्य समारोहों का आयोजन न किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अधीर चौधरी आपके द्वारा दी गयी सूचना बहुत ही अस्पष्ट है।

*[अनुवाद]*

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, खादी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतीक है। यह आत्म-निर्भरता के प्रति उत्साह को दर्शाता है। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शो किया गया था। वह शो पूरी तरह से अनैतिक था।

महोदय, महात्मा गांधी की पहचान खादी से है। किन्तु, यदि खादी को प्रोत्साहित करने के लिए कामुकता और महिलाओं के अर्ध-नग्न शरीरों की प्रदर्शनी की जाती है तो मैं समझता हूं कि यह इसका सीधा अपमान है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप कह सकते हैं कि 'अनुचित परिधानों' का प्रयोग किया जाता है।

**श्री अधीर चौधरी:** यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की भावनाओं का सीधा अपमान है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बोर्ड के अधिकारियों को ऐसा करने से रोके और उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक स्वतन्त्र देश है।

**श्री अधीर चौधरी:** यह बहुत अपमान की बात है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर अधिकांश राष्ट्रीय नेता पैदा हुए हैं, वहां खादी को प्रोत्साहित करने के नाम पर इस प्रकार की अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय:** चौधरी लाल सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

श्री अनवर हुसैन

**श्री अनवर हुसैन** (धूबरी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, विमको द्वारा धुबड़ी में असम मैच कंपनी को बंद करने से गंभीर समस्या पैदा हो गई है। 1926 से इसके शुरू होने के बाद से यह एक लाभ में चलने वाली कंपनी रही है। इस उद्योग के साथ लगभग 1500 परिवार प्रत्यक्ष रूप से और 5000 परिवार अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके बंद होने से ये सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा वृक्षों को काटने पर रोक लगाने संबंधी निर्णय को इस उद्योग को बंद करने का कारण बताया गया है। परन्तु यह उद्योग कागज से भी माचिस की तीलियां बनाता है। अत: सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बीच, असम राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कहा है कि वह इस उद्योग का अधिग्रहण करने को तैयार है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दे और इस गंभीर समस्या का यथासंभव समाधान करे।

इस बीच, विमको बचाओ समिति काफी वर्षों से आंदोलन कर रही है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार इस मामले को उचित महत्व दे।

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा, अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.06 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.02 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।*

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

## नियम 377 के अधीन मामले*

**उपाध्यक्ष महोदय:** सर्वप्रथम, हम मद संख्या 13 'नियम 377 के अधीन मामले' पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसे कार्यवाही का भाग समझा जाएगा।

*...(व्यवधान)*

*सभा पटल पर रखे गए।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मल्होत्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?

*[अनुवाद]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं।

### (एक) गुजरात में बलसाड़ और खेरगांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की रेल क्रासिंग पर एक पुल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**श्री किसनभाई वी. पटेल** (बलसाड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बलसाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर खेरगांव और बलसाड़ शहर की क्रासिंग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, खेरगांव से बलसाड़ जाने के लिए बलसाड़ शहर की ओर खेरगांव की तरफ के लाखों नागरिकों को रोज इधर से उधर आना-जाना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो कि अहमदाबाद और मुम्बई को जोड़ती है, को पार करना पड़ता है। इस मार्ग पर इतना अधिक यातायात है कि इसको पार करने में कभी-कभी घण्टों लग जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड़ की जनता बार-बार विभिन्न स्तरों पर इस क्रासिंग पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल बनाने की मांग कर चुकी है किन्तु वह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

महोदय, इस राजमार्ग पर वगलधरा-जारगांव क्रासिंग जिस पर कि यातायात भी तुलनात्मक रूप से कम है, सरकार ने पुल निर्माण कर रखा है। खेरगांव-बलसाड़ क्रासिंग पर पुल के अभाव में यातायात इतना अव्यवस्थित हो जाता है कि यहां पर दुर्घटना होना सामान्य सी बात हो गई है। इन दुर्घटनाओं में यहां के नागरिक शिकार होते हैं और इस अव्यवस्था के दौरान हजारों-लाखों वाहन न केवल करोड़ों रुपये का ईंधन व्यर्थ करते हैं बल्कि यहां के नागरिक अमूल्य समय भी व्यर्थ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बिना किसी विलम्ब के बलसाड़ शहर और खेरगांव को जोड़ने वाली क्रासिंग पर एक पुल का निर्माण कराया जाए।

*[अनुवाद]*

**(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-फरीदाबाद खंड को चौड़ा करने और बदरपुर-फरीदाबाद-नोएडा फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री अवतार सिंह भडाना** (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली के बेहर करीब फरीदाबाद एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। रोज लाखों कामगारों और व्यवसायियों का यहां आना-जाना लगा रहता है। इसके अलावा आगरा हाइवे पर पड़ने के कारण यहां से भारी तादाद में अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्टों की भी आवाजाही लगी रहती है। इसलिए आगरा राजमार्ग के फरीदाबाद में पड़ने वाले भाग पर यातायात बहुत बढ़ गया है और जोखिम भरा हो गया है। केन्द्र द्वारा आगरा राजमार्ग के फरीदाबाद खंड का उचित विकास न किए जाने के कारण संभावित निवेशक भी फरीदाबाद की बजाय पड़ोस के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अन्य जिलों में रुचि ले रहे हैं। इससे फरीदाबाद में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। फरीदाबाद की जनता लम्बे अर्से से इस भाग को चौड़ा बनाने की मांग करती रही है। इसके अलावा तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री स्व. श्री राजेश पायलेट ने फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाला फ्लाईओवर बनाने का वादा किया था किन्तु इस पर आगे कोई काम नहीं हुआ।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आगरा राजमार्ग में दिल्ली-फरीदाबाद खंड को चौड़ा करने, बदरपुर फ्लाईओवर और फरीदाबाद-नोएडा फ्लाईओवर के निर्माण के लिए अविलंब निर्देश जारी करें।

**(तीन) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 का पालक्काड तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): धर्मपुर एक प्राचीन नगर है। पांडव एक वर्ष (अज्ञातवास के तेरहवें वर्ष) के लिए विरदापुरम में रहे। विरदापुरम को आजकल धर्मपुर के नाम से जाना जाता है। यहां प्राचीन किले और अन्य स्मारक स्थित हैं। प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। पोलाची एक अन्य महत्वपूर्ण नगर है जो कि नारियल और नारियल उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। करूर वस्त्र और हाथ से बनी अन्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले ही नागापट्टीनम-करूर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-67 घोषित कर चुका है। पोलाची-डिन्डीगुल-करूर मार्ग एक राज्य राजमार्ग है। पोलाची केरल राज्य की सीमा पर स्थित है। धर्मपुर-करूर मार्ग मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र पलानी में वेलाकोइल विधान सभा खंड से गुजरता है। प्रतिदिन हजारों गाड़ियां, वैन और अन्य वाहन करूर से गुजरते हैं जो कि मुलानुर-धर्मपुर-पोलाची मार्ग से केरल को जोड़ता है।

अत:, यह उपयुक्त है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-67 को केरल में पालक्काड तक बढ़ाया जाए। यह दोनों राज्यों को जोड़ देगा।

मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग-67 को पालक्काड तक बढ़ाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

**(चार) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिसिंह चावड़ा** (बनासकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा प्रत्येक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है। यहां पर कोई उद्योग नहीं है एवं साक्षरता का स्तर भी अन्य जिलों से बहुत नीचा है। यहां के लोगों के जीवन का एकमात्र सहारा कृषि एवं डेयरी है। परन्तु मरूभूमि धीरे-धीरे इस जिले में आ रहा है एवं क्षार भूमि का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है जिसके कारण किसानों की भूमि अभी पहले जैसी उपजाऊ भी नहीं है। पेय जल का अत्यंत अभाव है। लोगों को पेय जल लेने के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ रहा है। यहां की सड़कों की दयनीय स्थिति है। इस क्षेत्र के जितने तालूका हैं वहां की म्यूनिसिपलिटी बहुत ही घाटे में चल रही है जिसके कारण छोटे-छोटे शहरों में आम सुविधा भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस जिले को अन्य जिलों की तरह विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिये जाने की अति आवश्यकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के विकास के लिए केन्द्र स्तर पर एक विशेष पैकेज जारी करने की कृपा करेंगे क्योंकि विकास योजनाओं की राशि पर्याप्त नहीं है।

**(पांच) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में भूकंप के संभावित खतरे से निपटने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**प्रो. चन्द्र कुमार** (कांगड़ा): मैं सरकार का ध्यान भूकंप वैज्ञानिक रोजट बिल्हम की इस चेतावनी की ओर आकृष्ट करना

चाहता हूं कि कांगड़ा क्षेत्र विनाशकारी भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। हाल ही में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, 1905 में कांगड़ा जिले में आए भूकंप की शताब्दी के अवसर पर सी.एस. के कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हि.प्र.) में तीन दिनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहां भूकंप वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी कि कांगड़ा क्षेत्र रिक्टर पैमाने पर 8.6 से अधिक की तीव्रता वाले भयंकर भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। भूकंप वैज्ञानिकों ने एक अन्य भूकंप की चेतावनी दी थी। हिमालय क्षेत्र में लोगों पर हाल ही में आए सूनामी से अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले एक भयंकर भूकंप की संभावना को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। अत:, केन्द्र और राज्य सरकारों को इस समस्या के समाधान हेतु रणनीति का एक खाका तैयार करना चाहिए ताकि इन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूकंप के संभावित खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके।

**(छह) देश से आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाये जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी): दुनिया भर में पैदा होने वाले कुल आम की करीब 50 फीसदी से ज्यादा पैदावार भारत में होती है। इसी तरह दुनिया भर में पाई जाने वाली 1595 किस्मों में से एक हजार से ज्यादा किस्में भारत में पाई जाती हैं और दुनिया के सभी देशों, खासकर ब्रिटेन, अमेरिका, अरब अमीरात, कुवैत, सउदी अरब और कनाडा में भारत के आमों की बहुत ज्यादा मांग है। इन देशों को आम निर्यात से देश को करीब एक अरब डालर से ज्यादा आमदनी होती है। इसके बावजूद अफसोस है कि हमारे देश से आम के कुल उत्पादन का सिर्फ 0.2 फीसदी आम एक्सपोर्ट होता है। सन् 1997-98 में 43 हजार मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट हुआ था जबकि सन् 1999-2000 में आम का एक्सपोर्ट घट कर सिर्फ 35 हजार मीट्रिक टन रह गया है। इसके बाद के सालों में भी आम एक्सपोर्ट अच्छा नहीं रहा।

इसलिए मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मार्फत आम को लंबे समय तक प्रिजरवेशन के लिए और देश से आम के निर्याथ को बढ़ाने के लिए कोई कारगर नीति तैयार करें।

**(सात) उत्तर प्रदेश में आनंदनगर रेल जंक्शन से महाराजगंज और धुंधली रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता**

**श्री पंकज चौधरी** (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): मेरे संसदीय क्षेत्र का जनपद महाराजगंज मुख्यालय रेलमार्ग से जुड़ा न होने के कारण जनता को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। रेल मंत्रालय द्वारा आनन्द नगर जंक्शन से बरास्ता महाराजगंज होते हुए धुंधली रेल स्टेशन तक नई रेल लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण किया गया था। इस रेल लाइन के निर्माण से जनपद मुख्यालय तो रेल मार्ग से जुड़ेगा ही साथ ही बिहार की तरफ से आने वाली गाड़ियों को भी एक नया मार्ग-लखनऊ-कानपुर-दिल्ली आदि स्थानों पर जाने को भी मिलेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में जनपद महाराजगंज मुख्यालय को रेलमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए तथा इसके लिए आनंदनगर जंक्शन रेल स्टेशन से बरास्ता महाराजगंज होते हुए धुंधली रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन बिछाने की अनुमति दी जाए।

**(आठ) केन्द्रीय विद्यालय के 327 प्रधानाचार्यों को पुन: नियुक्त किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री जी. करूणाकर रेड्डी** (बेल्लारी): मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय के 327 प्रिंसीपलों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है जिनमें से 140 प्रिंसीपलों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें नियमित किया गया था। मंत्रालय ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए 187 प्रिंसीपलों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेजने का भी निर्देश दिया था।

तत्कालीन केन्द्र सरकार ने स्नातकोत्तर अध्यापकों और कुछ वाइस-प्रिंसीपलों को प्रतिनियुक्ति पर प्रिंसीपल बनाने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करके खुले विज्ञापन के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रिंसीपलों की भर्ती की थी। स्नातकोत्तर अध्यापकों को भी प्रिंसीपल के रूप में चयनित किया गया था। देश भर में लगभग 45% केन्द्रीय विद्यालय और 4-1/2 लाख छात्रों की शिक्षा जल्दबाजी में लिए गए इस एक निर्णय से प्रभावित हो रही है।

मैं केन्द्र सरकार से इन 327 केन्द्रीय विद्यालय प्रिंसीपलों की पुन: नियुक्ति करने का अनुरोध करता हूं ताकि इन छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

**(नौ) "भूदान आंदोलन" के अंतर्गत दान में प्राप्त भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में बांटे जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिभाऊ राठौड़** (यवतमाल): महोदय, संत विनोबा भावेजी ने भूदान यज्ञ मण्डल चलाया था और उस यज्ञ में देश भर के

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

किसानों ने लाखों एकड़ भूमि दान में देने की घोषणा की। यह दान की भूमि भूमिहीन लोगों में बांटी जानी थी, काफी वर्षों के बाद भी हजारों एकड़ भूमि दानदाताओं के पास पड़ी हुई है, जो कि भूमिहीनों में नहीं बांटी गई है।

अत: सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश पारित करने का कष्ट करें।

**(दस) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खेजरामाफी और बहादुरपुर के बीच एक सड़क के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर): मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (म.प्र.) के राहतगढ़ विकास खंड के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा खेजरामाफी से बहादुरपुर मार्ग को पैकेज क्रमांक 3313 में 7.25 कि.मी. मार्ग के लिए स्वीकृति दी गई थी। इस बारिश के दोनों में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस 7 कि.मी. की दूरी को पैदल पार करना भी कठिन हो जाता है। पहाड़ों एवं जंगलों के बीच होने से कई रोगी अस्पताल नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वन विभाग द्वारा इस मार्ग के निर्माण के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन ने इस मार्ग के निर्माण को बंद कर इसके स्थान पर अन्य तीन मार्गों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है जिससे इस मार्ग के गांवों में पुन: घोर निराशा एवं आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि खेजरामाफी से बहादुरपुर मार्ग के निर्माण संबंधी वन विभाग की अनुमति दिलाने तथा शीघ्र ही सड़क बनवाने का सहयोग करें।

**(ग्यारह) कर्नाटक में नेलोमंगला और तुमकुर के बीच नवनिर्मित सड़क पर स्थानीय लोगों द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने में आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): मैं माननीय सभा का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र तुमकुर में नेलोमंगला से तुमकुर सड़क परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे मार्च, 2005 के अंतिम सप्ताह के दौरान कार्यान्वित किया गया था तथा जिस अनुदानग्राही (कन्सेशनेयर) को वहां तैनात किया गया था उसने यात्रियों से टोल टैक्स एकत्रित करना शुरू कर दिया। परियोजना के अनुदानग्राहियों को इस आधार पर परियोजना का कार्यभार सौंपा गया था कि उन्हें सड़क के निर्माण हेतु निवेश को वहन करना पड़ेगा तथा वे एक विशिष्ट अवधि में टोल टैक्स संग्रहित कर पैसा वसूल करें। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय लोगों तथा व्यवसायिक आवागमन की सुविधा के लिए परियोजना में रियायती पास का कोई प्रावधान नहीं है। 5 अप्रैल, 2005 से वहां काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन चिंताजनक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि 18 अप्रैल, 2005 तक सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह टोल टैक्स संग्रहण के संबंध में आम जनता की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ़ने हेतु बिना किसी विलम्ब के सकारात्मक कदम उठाए।

**(बारह) पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम और पुरूलिया के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता**

**श्री रूपचन्द मुर्मू** (झाड़ग्राम): दक्षिण-पूर्वी रेल के अंतर्गत झाड़ग्राम और पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन के निर्माण की काफी समय से लंबित मांग है। झाड़ग्राम तथा पुरूलिया, पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के अधिकतर निवासी अ.ज./अ.ज.जा. श्रेणी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हैं। झाड़ग्राम के लोगों को खड़गपुर तथा आद्रा से होते हुए पुरूलिया जाना पड़ता है जो कि झाड़ग्राम तथा पुरूलिया के बीच की दूरी से दोगुना रास्ता है। यदि सरकार इस मांग को पूरा कर दे तो इससे सैकड़ों लोग लाभान्वित होंगे। बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे पिछड़े क्षेत्र का भी विकास होगा। इसलिए, मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह झाड़ग्राम और पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन के निर्माण की इस काफी समय से लंबित मांग को पूरा करें।

**(तेरह) ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड अथवा बाढ़ की घटनाओं के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराकर उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर): देश में आगजनी की अनेकों घटनाएं होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित होता है। गांव में गरीब का अगर मकान आग में नष्ट हो जाए तो उसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। अगर आग में रसोई

नहीं जले तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलता है एवं खड़ी फसल और पड़ी फसल को आग लग जाए तो मुआवजा नहीं मिल पाता है। यह भी एक तरह से न्यायसंगत नहीं है। अगर पूरा घर जले एवं रसोई जलने से बच जाए तो भी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए एवं खड़ी फसल और पड़ी फसल बाढ़ या आग से नष्ट होती है तो भी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ या आग से गांव के किसी आदमी का घर नष्ट हो जाता है उसके लिए अंदिरा आवास उपलब्ध करवाना चाहिए।

सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मुआवजा दिए जाने के नियमों को परिवर्तित किया जाए और आग एवं बाढ़ से जिन लोगों के घर नष्ट होते हैं, उन्हें इंदिरा आवास की सुविधा दी जाए।

**(चौदह) बिहार के पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर और निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता सूची को बने हुए करीब एक वर्ष होने वाला है। बिहार के कई क्षेत्रों में इस योजना पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए डी.पी.आर. बन गया है, किन्तु पटना संसदीय क्षेत्र में प्रथम फेज में एक भी सड़क नहीं ली गई है, जबकि प्राथमिकता में (1) फूलवारी मिशन तथा घरामचक तक, (2) दीदारगंज चैक पोस्ट से फतेहपुर गौरीचक पथ, (3) बेगमपुर दौलतपुर पथ, (4) खेमनीचक से मनोहरपुर कछुआरा पथ, (5) पराना दानापुर से मानस अकिलपुर, (6) मठियापुर से आसोपुर लखनी बिगहा, (7) दुल्हिन बाजार से शहरामपुर, (8) नगवां से कराई, (9) विक्रम सदीसोपुर पथ को वरीयता दी गई है। वहां की जनता में काम शुरू न होने के कारण काफी आक्रोश है। इन ग्रामीण सड़कों के बन जाने से वहां की जनता को काफी सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वरीयता क्रम के अनुसार पटना संसदीय क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से अधिक धन मुहैया कराकर और डी.पी.आर. बनाकर कार्य जल्द शुरू करवायें क्योंकि बहुत जल्द वर्षा आने वाली है, इसलिए वहां कार्य वर्षा से पहले आरम्भ कराने की कृपा करें, ताकि वहां की ग्रामीण जनता को राहत मिल सके।

**(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता**

**श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद** (फतेहपुर): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर (उ.प्र.) की ओर केन्द्रीय सरकार तथा खासकर माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, यह कहना चाहता हूं कि दिनांक 9-10 मार्च, 2005 को जनपद फतेहपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भयानक ओलावृष्टि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप खेतों में लगी रबी, दलहन तथा तिलहन फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। स्थानीय किसान इस प्राकृतिक आपदा से भुखमरी के कगार पर आ गये हैं।

अत: मैं भारत सरकार तथा कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि अविलम्ब किसानों के हुए नुकसान का आकलन और भरपाई हेतु केन्द्रीय टीम फतेहपुर जनपद सहित उत्तर प्रदेश के प्रभावित जनपदों में भेजी जाए, ताकि किसानों को मुआवजे/राजकीय सहायता की राशि मिल सके। धन्यवाद।

**(सोलह) मनमाड और तिरूपति के बीच एक नई रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने के अलावा मनमाड-काचीगुडा रेल खंड पर अजंता और एलोरा एक्सप्रेस रेल सेवा बहाल किए जाने की आवश्यकता**

**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** (परभनी): महोदय, काचीगुड़ा से मनमाड के बीच ब्राड गेज रेलवे लाइन बन चुकी है। इस रेलवे खंड पर जब मीटर गेज थी तो अजंता एवं एलोरा एक्सप्रेस रेल सेवा इस खंड पर चलती थी। जब से यह ब्राड गेज रेलवे लाइन में बदली गई है, इस खंड के शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के पास कोई परिवहन के उपयुक्त साधन नहीं हैं। अत: इस ब्राड गेज रेलवे लाइन पर उपरोक्त रेलवे सेवा जैसे पहले चलती थी, उन्हें पुन: चलवाया जाए। साथ ही साथ नांदेड़ रेलवे मंडल की ओर से एक प्रस्ताव मनमाड से तिरूपति जाने हेतु एक रेल सेवा चालू करने हेतु आया है जो रेलवे बोर्ड के स्तर पर कई वर्षों से लंबित है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से लोग तिरूपति आते-जाते हैं। उनको इससे लाभ मिलेगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मनमाड से काचीगुडा रेलवे खंड में अजंता एक्सप्रेस एवं एलोरा एक्सप्रेस रेल सेवा पुन: शुरू की जाए एवं नांदेड़ रेलवे मंडल में मनमाड से तिरूपति जाने हेतु एक नई रेल सेवा के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसे मंजूर किया जाए।

**(सत्रह) उड़ीसा के कटक में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): केन्द्रीय विद्यालय का उद्देश्य न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को लाभ पहुंचाना बल्कि देश में ऐसी स्कूली शिक्षा प्रदान करना है जो लोगों की पहुंच में हो तथा गुणवत्ता युक्त हो जिससे उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके तथा स्कूली शिक्षा को गति दी जा सके। इसलिए, वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है ताकि उन राज्यों में जहां राज्य सरकार स्कूल चलाने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्वयं का परिसर निर्माण करने तक भूमि तथा किराया मुक्त परिसर उपलब्ध कराने को तैयार है वहां अधिक केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की जा सके। कटक में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है चूंकि वहां स्थापित एकमात्र विद्यालय में क्षमता से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

विद्यार्थियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययन करने की मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है तथा कटक, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काफी संख्या है, में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना आवश्यक है। केन्द्रीय विद्यालय के नए परिसर के निर्माण के पश्चात् मौजूदा केन्द्रीय विद्यालय नई जगह स्थानान्तरित हो गया है तथा कटक में केन्टोनमेंट रोड स्थित पुराना परिसर खाली पड़ा है। यदि संगठन कटक में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय शुरू करता है तो उड़ीसा सरकार ने उसके लिए स्थान उपलब्ध कराने की इच्छा प्रकट की है। कटक में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता तथा तात्कालिकता के मद्देनजर, मैं सरकार से दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु विचार करने का अनुरोध करता हूं।

**(अठारह) दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**डा. एम. जगन्नाथ** (नगर कुरनूल): यद्यपि भारत के संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद भी यह समस्या गंभीर बनी हुई है जिसने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। देश में दलितों का उत्पीड़न तथा उनका सामाजिक बहिष्कार बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के 58 वर्षों के पश्चात् भी इस स्वतंत्र देश में किस प्रकार दलितों के साथ दुरव्यवहार किया जा रहा है इसकी नवीनतम मर्मस्पर्शी घटनाओं के कुछ उदाहरण देता हूं। राजस्थान के पाली जिले में बेडक्लान में एक दलित युवा तथा बिहार के मुंगेर जिले में एक दलित महिला के विरुद्ध अपराध की कुछ कथित घटनाएं हैं।

महोदय, पिछड़ा वर्ग जो इस देश की जनसंख्या का 54 प्रतिशत है, के कल्याण के लिए कोई पृथक निकाय मौजूद नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करे तथा विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक मंत्रालय स्थापित करे।

**(उन्नीस) गोमो रेलवे स्टेशन को नेताजी रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री बीर सिंह महतो** (पुरूलिया): नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जो कि देश भक्तों में अग्रणी थे, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए 18 जनवरी, 1941 को देश छोड़ा। उन्होंने गोमो रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 2 से पंजाब मेल पकड़ी। वह हैरिटेज टिकट घर जहां से उन्होंने टिकट खरीदा था अब भी मौजूद है। लेकिन वह कमरा अब परित्यक्त स्थिति में है।

वर्ष 1986 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री वेंकट सुबईया ने नेताजी सुभाष चद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया तथा यह घोषणा की कि गोमो रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष रेलवे स्टेशन होगा।

ऐतिहासिक महत्व तथा तत्कालीन बिहार राज्यपाल की उद्घोषणा के मद्देनजर, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी रेलवे स्टेशन रखा जाए।

**(बीस) मिजोरम के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए ए आई आर कार्यक्रम सुन सकने के लिए एफ एम टावर आइजवाल से ए आई आर कार्यक्रम रिले किए जाने की आवश्यकता**

**श्री वनलाल जावमा** (मिजोरम): आपके माध्यम से, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मिजोरम के दूर-दराज तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग ए आई आर आइजवाल स्टेशन द्वारा प्रसारित ए.आई.आर. के कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं।

इस संबध में, मैंने 24 सितम्बर, 2004 को संबंधित माननीय मंत्री से भेंट की थी तथा सुझाव दिया था कि अनुदेश जारी करें कि आइजवाल के ए आई आर कार्यक्रमों को आइजवाल एफ एम टावर द्वारा प्रसारित किया जाए जिससे समस्या को हल किया जा सकता है। मैंने इस मुद्दे को कई बार सरकार के समक्ष उठाया है लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं केन्द्र सरकार से, मिजोरम के दूरस्थ एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की प्रार्थना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि आइजवाल के एफ एम टावर से ए आई आर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं।

---

**अपराह्न 2.03 बजे**

## वित्त विधेयक, 2005—*जारी*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब हम मद सं. 14 वित्त विधेयक पर विचार करेंगे। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, 2005-06 के वित्त विधेयक की बहस में भाग लेते हुए हम बड़ी अजीब परिस्थिति में हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सदन का बहिष्कार कर रहे थे। बहुत दुखी मन से कर रहे थे और उसके बहुत से कारण हैं जो हम पहले बता चुके थे।

इस वित्त विधेयक में 3,51,200 करोड़ रुपये की रिवैन्यू रिसीट्स हैं और टैक्सेशन से कुल मिलाकर जो इनकम है, वह टैक्स रिवैन्यूज 2,73,466 करोड़ रुपये का है। एनडीए ने इस बात पर गहराई से विचार किया और इस बात पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वित्त विधेयक जो कि देश के अगले वर्ष की आर्थिक स्थिति के भाग्य का निर्णय करने वाला है, उसमें भाग लेना चाहिए। यद्यपि जो परिस्थितियां हैं, वे हमें विवश करती रहीं। ऐसा लगता है कि इस सरकार के मन में इस सदन में विरोधी पक्ष की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है।

जिस प्रकार के हालात पिछले दिनों पैदा हुए हैं, उनके कारण हमें बहुत दुखी मन से सदन का बहिष्कार करना पड़ा था। इस सरकार के काम का एक वर्ष का समय बीतने को आ रहा है। लगभग 15 दिन के बाद इस सरकार का एक वर्ष का समय पूरा हो जाएगा। इस बजट सत्र में फाइनेंस बिल पास होने के बाद या इस सत्र के बाद, लगभग एक साल का कार्य करने का इस सरकार को समय मिला है। इस एक वर्ष के समय में उपलब्धियों के नाम पर इस सरकार ने इस देश की जनता को क्या दिया है, यदि देखा जाए तो बहुत ही निराशाजनक परिस्थितियां हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया व्यवधान मत डालिए।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** इस एक वर्ष में डिटोक्सीफिकेशन के नाम पर केवल टोक्सीफिकेशन किया गया। जितने विभाग हैं उनका वशीकरण कर दिया गया। अपने कमिटेड गवर्नर, कमिटेड आफिसर, कमिटेड ज्यूडीशियेरी बनाने की कोशिश की गई और इस कार्य में एक वर्ष का समय लगाया गया। यूपीए सरकार ने जो वायदे अपने मेनिफेस्टो में किए थे या अपने मिनिमम कामन प्रोग्राम में रखे थे, उन सबको यहां रखने का अवसर नहीं है, क्योंकि हम यहां फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे ज्यादा जो विषम मामला है, वह भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार देश में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे किस तरह की भयावह परिस्थिति देश में पैदा हो रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत उल्लेख करना चाहता हूं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को पूरी तरह खतरे में डाला गया है। यहां मजदूरों के साथ विश्वासघात हुआ है, सरकारी कर्मचारियों के साथ विश्वासघात हुआ है। इस देश के अंदर जो महंगाई रोकने की बात की गई थी, वह महंगाई किस जगह पर पहुंचेगी, उसे भी आपको देखना चाहिए। आपने कहा था कि यहां पर हर एक आदमी को रोजगार प्रदान किया जाएगा और एक रोजगार गारंटी स्कीम लाई जाएगी। उस स्कीम का नामोनिशान तक नहीं है। उस स्कीम को पहले डाइल्यूट किया गया। उस स्कीम में बराबर कमी करते रहे। उससे संबंधित जो बिल है उसका आज किसी को पता नहीं है। मैं दावा करता हूं कि एक साल में एक करोड़ लोगों को रोजगारविहीन कर दिया गया। जो आपकी नीतियां रहीं उनके कारण एक करोड़ लोगों को रोजगारविहीन होना पड़ा है। इस सरकार ने कहा था कि लोगों को नये रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, उन्हें अभी तक रोजगार मुहैया नहीं कराए गए हैं। इस सरकार का यह दूसरा बजट है। पिछली जुलाई में आपने कहा था कि अगले बजट में लोगों को नए रोजगार प्रदान किए जाएंगे।

अब मैं फाइनेंस बिल की धाराओं पर आना चाहता हूं क्योंकि इस समय फाइनेंस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो ब्लैक मनी को निकालने और ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने नई कल्पना करके, यहां रखी थी और कहा था कि दस हजार रुपए निकालने पर टैक्स देना पड़ेगा, उस बिल में थोड़ा संशोधन करके दस हजार रुपए की सीमा को बढ़ा कर पच्चीस हजार रुपए कर दिया गया है। क्या कोई व्यक्ति अपनी तनख्वाह से, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई गरीब आदमी, मजदूर, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, कोई विधवा

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

अपने पैसे को बैंक में जमा कराए और जरूरत पड़ने पर उस पैसे को निकाले तो क्या उसे टैक्स देना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं यह चाहते हैं कि वे आदमी अपना पैसा बैंक में रखने की बजाए घर में रखें, कैश पैसा घर में रखें। बड़े-बड़े पूंजीपति या सरमायेदार अपना पैसा ब्लैक मनी के तौर पर अपने घर में रखें। अपना पैसा बैंक में जमा नहीं करवाएं। क्या ये बिल ब्लैक मनी को बाहर निकालने में मददगार सिद्ध हो सकता है? क्या इससे काला धन बाहर आ जाएगा? क्या दस हजार रुपए की सीमा बढ़ाकर पच्चीस हजार कर देने से काले धन पर कोई रोक लगेगी? यह बिल काले धन को बढ़ावा देने का सबसे खराब तरीका है।

यह काले धन को बढ़ाने की सबसे एट्रोशियस योजना है। मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लाए हैं। उन्होंने यह बिल लाकर कमाल कर दिया है। वे सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे ब्लैक मनी रूकेगी, क्या भ्रष्टाचार इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यहां 50 साल में एक भी प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति को जिस पर भ्रष्टाचार का, काले धन का, डिस्प्रोपोश्नेट एसेस्ट्स का आरोप लगा हो, किसी भी पार्टी ने उसे मंत्री नहीं बनाया। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दिए थे, दूसरी पार्टियों के मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दिए थे। वर्ष 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1950 में संविधान लागू हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, 55 वर्ष में एक व्यक्ति को किसी ने, भ्रष्टाचार के आरोप आने के बाद, ब्लैक मनी रखने का आरोप लगने के बाद, डिसप्रपोर्शनेट असैट का आरोप लगाने के बाद और जब ये आरोप तय हो जाएं, तब मंत्री पद पर नहीं रखा, लेकिन आप तो पहले उन्हें मंत्री पर रखते हैं, फिर उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय देते हैं। जब मंत्री ही आरोपित होगा, तो आप कैसे आशा करते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा? यदि गंगा को उसके उदगम स्थल, गंगोत्री में ही विषैला कर दिया जाएगा, तो आप कैसे आशा रखते हैं कि पूरे देश में गंगा शुद्ध रहेगी। आप उस पर हाथ डालते, उसे रोकने की कोशिश करते, एक मैसेज देने की कोशिश करते।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने इसे जस्टीफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है। कौन कहता है कि उनका अधिकार नहीं है। वे जिसे चाहें मंत्री बना दें, यह बात ठीक है। संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि वे ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि जो जेल में हो, उसे मंत्री बनाया जाए या जो आतंकवादी हो, उसे मंत्री बनाया जाए। जब किसी पर आरोप तय हो जाएं तब ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो फिर आप कश्मीर में जो आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं उन्हें अथवा किसी बहुत बड़े आतंकवादी को या दाउद इब्राहीम को मंत्री पद पर नियुक्त कर दें, आपको कौन रोकता है। आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। फिर आप उन्हें क्यों मंत्री नहीं बनाते? संविधान में कहीं कोई रोक नहीं है। जैसे मैंने पहले के उदाहरण दिए कि पिछले 55 साल में ऐसा एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जबकि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिस पर आरोप तय हो गए हों। यदि यह सरकार चारों तरफ से भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी और फिर आप 10 हजार रुपए की बजाय 25 हजार रुपए बैंक से नकद निकालने पर टैक्स लगाएं और यह कहें कि हमने 10 हजार की बजाय 25 हजार रुपए कर दिया है और इस प्रकार बड़ी मेहरबानी की और फिर यह कहें कि यह प्रावधान ब्लैक मनी निकालने के लिए किया गया है। इसलिए जो व्यक्ति बैंक से 25 हजार रुपए निकालेगा, उस पर टैक्स लगेगा, तो कैसे काम चलेगा।

महोदय, मैंने अभी टर्म डिपाजिट की बात कही कि यदि एक विधवा अपना धन दो या तीन साल की अवधि के लिए फिक्स डिपाजिट में जमा कराती है और अवधि पूरी होने पर यदि वह उसे निकालती है और यदि धन 25 हजार रुपए से ज्यादा होगा, तो उस पर टैक्स लगेगा। आप कहते हैं कि यह बहुत थोड़ी राशि है। टैक्स काटना, उसका हिसाब रखना आदि एक तरफ काम बढ़ाएगा, यह सवाल नहीं है और न मैं ऐसा कह रहा हूं। सवाल तो यह है कि जो इस प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है, वह गलत है और गलत तरीके से लगाया जा रहा है। इस प्रकार के टैक्स की कल्पना ही बिल्कुल गलत है। यदि आप ब्लैक मनी निकालना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि देश में जितने भी बेनामी ट्रांजैक्शन्स हैं, उन सब पर आप पूरी तरह से रोक लगा दें। उस पर रोक लगाने का तरीका यह है कि हर आदमी को आइडेंटीफाई किया जाए और एक नैशनल रजिस्टर आफ सिटीजन हो, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसे एक नंबर दिया जाए और कोई भी ट्रांजैक्शन उस नंबर के बिना न हो सके। यदि आप ऐसा करेंगे, तो पाएंगे कि सारे बेनामी ट्रांजैक्शन्स रूक जाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं?

महोदय, देश के हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने और उसे एक नंबर देने तथा जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वह उस नंबर के बिना न हो, ऐसा करने पर पीछे काफी दिनों तक चर्चा होती रही, लेकिन ऐसा होने से रोका गया। इसलिए रोका गया, क्योंकि बंगलादेश से लोग आ रहे हैं। यदि ऐसा हो जाएगा, तो बंगला देश के लोगों का आना रूक जाएगा। यदि बंगला देश से लोगों का आना रूक जाएगा, तो इन्हें चिन्ता है कि कहीं इनका वोट बैंक न रूक जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक

का रजिस्ट्रेशन न करके आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि सारे देश में एक नैशनल सिटीजन रजिस्ट्रेशन हो जाए, हरेक का एक नम्बर हो जाए, उसके बिना कोई ट्रांजैक्शन न हो, तो आप इस देश में ब्लैक मनी जनरेट होने पर पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं। ऊपर से आप कहते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी की जो 10 हजार की बजाय 25 हजार रुपए बैंक से निकालने पर टैक्स लगा दिया। मैंने टर्म डिपाजिट की बात कही।

महोदय, दूसरी बात यह है कि किसी अस्पताल में किसी व्यक्ति को अपने हार्ट का आपरेशन कराना है, तो अस्पताल वाले सीधा कहेंगे कि पहले डेढ़ लाख रुपए कैश जमा कराओ, चैक नहीं चलेगा। अब वह बेचारा हार्ट पेशेंट पहले बैंक से नकदी निकालने जाए, फिर टैक्स दे और अपनी व्हाइट मनी पर टैक्स दे, ब्लैक मनी पर कोई टैक्स नहीं। फिर आप कहें कि आपने बड़ी मेहरबानी कर दी, जो 10 हजार की बजाय 25 हजार रुपए पर टैक्स लगाने का प्रावधान कर दिया।

महोदय, मैं दूसरी बात सीनियर सिटीजन के बारे कहना चाहता हूं। उस दिन जब मैंने यह बात कही, तो श्री पी. चिदम्बरम जी ने कहा था कि यह तो हमारी कांस्टीट्यूएंसी है और समय आने पर मैं उन पर चर्चा करूंगा। अब उन्होंने बातचीत कर के जो अमेंडमेंट पेश किया है, उसमें डेढ़ लाख से बढ़ाकर उसे 1 लाख 85 हजार रुपए किया है और यह कहा है कि अब उसे रु. 1 लाख 85 हजार रुपए छूट होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम जी से पूछना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि पिछले साल सीनियर सिटीजन को 20 हजार रुपए की रिबेट थी। उसमें जसवंत सिंह जी ने 20 हजार रुपए की रिबेट दी। तब उन्होंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था कि जो सीनियर सिटिजंस हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी होती है, वे 65 वर्ष से ऊपर के होते हैं, इसलिए उन्हें आम आदमी से ज्यादा रिबेट मिलनी चाहिए और उन्होंने 20 हजार रुपए टैक्स का रिबेट दिया था। आपने क्या दिया? इसे छोड़ दीजिए कि एक लाख रुपए तक हिन्दुस्तान के हर आदमी को, चाहे वह 20, 21, 22 या 24 साल का है, उसे एक लाख की छूट है। उसके ऊपर डेढ़ लाख तक दस परसैंट है, डेढ़ लाख पर उसके जो पांच हजार रुपए बचे, यह पांच हजार रुपए टैक्स बनता है। अगर आपने लिमिट एक लाख 85 हजार की है, जिसका रेशनेल मुझे समझ में नहीं आया। इस तरह आपने 35 हजार रुपए और बढ़ाए हैं, उसका साठ हजार रुपया बनता है, तो सात हजार रुपए और पांच हजार रुपए मिला कर 12 हजार रुपए बचे। आपने 20 हजार से 12 हजार रुपए सिटिजंस के लिए कर दिए। यहां आपके पीछे बैठे हुए सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग सीनियर सिटिजंस की बहुत हिमायत करते हैं कि उन्हें लाभ पहुंचना चाहिए। वहां आज तक 20 हजार रुपए की छूट थी और इस वर्ष भी है, आपने अगले वर्ष 12 हजार रुपए की कर दी। आप उसे एक लाख 85 हजार करते, लेकिन आपने टोटल बढ़ा दिया। मैंने कहा कि एक लाख हरेक को है, एक लाख को हिन्दुस्तान में प्रेमजी भाई को भी है, जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसे भी एक लाख की छूट है। आपने सीनियर सिटिजंस को क्या अलग से छूट दी है? आपने उसे पहले पांच हजार की दी थी, अब उसे बढ़ा कर 12 हजार कर दिया। आपने 20 हजार क्यों नहीं की? जब उसे एक रिबेट मिली हुई थी, उसे भी आपने कट कर दिया, उसे भी आप नीचे 60 परसैंट पर ले आए। मैं समझता हूं कि उनके साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। आप अभी भी इस बात पर विचार करें।

महोदय, कम से कम यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था, कि सब सीनियर सिटिजंस के ऊपर इस तरह अन्याय एवं अत्याचार हो जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस 20 हजार रुपए को वैसे ही रखें, आप एक लाख 85 हजार पर क्यों जाते हैं? आप यह रखें कि सीनियर सिटिजंस को जैसे पहले छूट मिल रही थी, वैसे ही मिलती रहेगी। आपने उस छूट को इसमें से बहुत ज्यादा कम किया है और इस तरह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है।

महोदय, दूसरी महिलाओं की बात है। सोनिया जी महिलाओं की बहुत बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं का बहुत प्रचार कर रही है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं सब कुछ चलाया है। हालांकि महिला आरक्षण बिल लाने में यह पार्टी पूरी तरह असफल रही है। इस बिल पर आपने एक साल में एक मीटिंग भी नहीं बुलाई। ...*(व्यवधान)*

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री ( श्री रामविलास पासवान ):** अब बुला रहे हैं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** जब भी आएगा, तब यही कहेंगे कि बुला रहे हैं, परन्तु एक वर्ष बीत गया, अभी तक इन्होंने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। सब जगह डिलिमिटेशन हो गया, हर स्टेट में हो रहा है, सब जानते हैं। आपका हर स्टेट में डिलिमिटेशन चल रहा है और डिलिमिटेशन हो गया तो फिर सीटें कहां से बढ़ेंगी, फिर कहां से आरक्षण होगा? महिलाओं की सीटें बढ़ाने के लिए श्री शिवराजजी पाटील ने कहा था कि 30 परसैंट सीटें बढ़ा देंगे तो सीटें बढ़ेंगी। ये डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है और अगर डिलिमिटेशन की बात छोड़ भी दी जाए, बंगाल और सब जगह यह हो रहा है, डिलिमिटेशन हिन्दुस्तान भर में कम्पलीट कर देंगे, तब कहां से सीटें बढ़ेंगी। मैं यह कह रहा हूं कि जो छूट महिलाओं को मिली हुई थी, पांच हजार रुपए की टैक्स में छूट थी, एक लाख रुपए की सब को छूट, पुरुषों को एक लाख रुपए

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

तक और महिलाओं को पांच हजार की छूट थी, दस परसैंट का टैक्स, एक लाख से डेढ़ लाख तक है। डेढ़ लाख को पांच हजार की छूट आपने कर दी। आपने पहले एक लाख 25 हजार किया था अब उसे बढ़ा कर एक लाख 35 हजार रुपए कर दिया। एक लाख 35 हजार का मतलब साढ़े तीन हजार रुपए की उसे छूट हुई। श्री जिदम्बरम जी, अगर मेरा अर्थमेटिक गलत नहीं है तो साढ़े 35 हजार पर साढ़े तीन हजार की छूट, दस परसैंट के हिसाब से हुई, पांच हजार का कम करके साढ़े तीन हजार कर दिया, उसे जो पांच हजार मिल रही थी, आपने उसे 3500 रुपए कर दिया।

महोदय, वैसे महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है, श्रीमती सोनिया जी महिलाओं के लिए देश भर में जाकर जगह-जगह बैठकें करती हैं, फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? आपने क्यों पांच हजार रुपए की छूट को साढ़े तीन हजार रुपए किया? आप अगर पांच हजार से साढ़े सात हजार करते, आप ये कहते कि यहां एक लाख की बजाए महिलाओं का एक लाख 75 हजार रुपए तक इनकम होगी तो उन्हें छूट रहेगी, परन्तु आपने उसे कम कर दिया और एक लाख 35 हजार रुपए पर ले आए, यानी केवल साढ़े तीन हजार रुपए। आप क्यों इन फीगर्स में पड़े, आप पुरानी छूट ही कायम रखते। आपने सीनियर सिटिजंस को 20 हजार रुपए की रिबेट दी है, मैंने इसमें लिख कर दिया है कि आप इसे 20 हजार रुपए से बढ़ा कर 25 हजार रुपए तक करिए और महिलाओं की पांच हजार की बजाए साढ़े सात हजार करिए, तब समझ में आए कि आपकी कांस्टीट्यूएंसी थी, आपने नर्स किया है।

तब तो समझ में आये कि आपकी कांस्टीट्वेंसी थी, आपने उनको नर्स किया, उन पर अत्याचार करो, अन्याय करो, रक्त शोषण करो और फिर कहो कि नहीं-नहीं, हम तो उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सीनियर सिटीजंस और महिलाओं के साथ यह स्थिति हुई है। एक और बात केवल गवर्नमेंट की ही नहीं, सभी एम्पलाइज के बारे में है। उन सभी एम्पलाइज को आम व्यापारियों से, बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट से इन सबसे अलग रखने के लिए यहां पर जसवन्त सिंह जी ने पिछले वर्ष भी अपने बजट भाषण में यह कहा था कि ये जो एम्पलाइज हैं, जो वैतनिक क्लास है, इनका सीधा पैसा जमा हो जाता है, ये कर वंचना नहीं कर सकते, इसलिए इनका स्टैण्डर्ड डिडक्शन मैं बढ़ा रहा हूं और यह स्टैण्डर्ड डिडक्शन बढ़ना चाहिए। पिछले साल स्टैण्डर्ड डिडक्शन 30 हजार रुपए था। इस बार आपने पूरा खत्म कर दिया, समाप्त ही कर दिया, स्टैण्डर्ड डिडक्शन उड़ा ही दिया। 12 हजार रुपये उनको इण्टरैस्ट पर छूट मिलती थी, आप फिर उसी आर्ग्यूमेंट में आ जाएंगे कि मैंने जनरल एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी है, 50 हजार से एक लाख रुपये कर दी है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि वह तो हर एक के लिए है। 50 हजार रुपए से एक लाख रुपये हर इण्डस्ट्रियलिस्ट को मिल रही है, गवर्नमेंट एम्पलाइज को, आम एम्पलाइज को या दुकान पर काम करने वाले को क्या है, उसे जो 30 हजार रुपये का स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिल रहा था और 12 हजार रुपये इण्टरैस्ट पर छूट थी, उस 42 हजार रुपये की मिलने वाली छूट को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। यह सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है, आम कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। चाहे वह छोटी दुकान पर काम करने वाले एम्पलाइज हैं या किसी जगह पर क्लर्क के तौर पर काम करते हैं, सब के साथ यह अन्याय है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो छूट बाकी लोगों को मिलती है, इनको वह छूट मिलने का एक आधार था, एक कारण था। वह यह था कि इन लोगों के टैक्स का पैसा सीधे बैंक में जाता है, इसलिए चूंकि वे उसमें से कुछ बचा नहीं सकते, इसलिए उस छूट को रखा गया था। यह तीसरी चीज है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत की गई है, इसलिए इसे इसमें से वापस करना चाहिए।

आपने फ्रिंज बैनीफिट्स में बड़े लम्बे चौड़े एमेंडमेंट्स इसमें किये हैं। परन्तु उसमें से फ्रिंज बैनीफिट के नाम पर आम आदमी को मिलने वाले उनके जो सामूहिक छोटी-छोटी चीजें उनको मिलती थीं, चाहे वह सामूहिक तौर पर उनका कोई फंक्शन था, कोई एडवरटाइजमेंट था, सामूहिक तौर पर ऐसी सब चीजें थीं, उनको समाप्त करके आप एम्पलाइज पर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है कि जो टैक्स लगेगा, वह एम्पलायर के ऊपर है, लेकिन फिर वे सुविधाएं एम्पलाइज को क्यों देंगे। इसलिए इन सब चीजों का, फ्रिंज बैनीफिट की चीज का भी हम विरोध करते हैं कि वह नहीं होना चाहिए।

आपने बीच में सर्विस टैक्स में बहुत इन्क्रीज किया। सर्विस टैक्स में इन्क्रीज करने के कारण मकान बनाना महंगा हो गया। अब अगर 10 से ज्यादा महान होंगे तो 7.5 परसेंट सर्विस टैक्स लग गया, इसलिए मकान बनाने में महंगे होंगे। थोड़े दिनों में इण्टरैस्ट रेट बढ़ेगा, वह बच ही नहीं सकता। जब उनका इण्टरैस्ट रेट भी बढ़ जायेगा तो छोटे-छोटे मकान बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए आप जो यहां पर आम, छोटी-छोटी चीजों को सर्विस टैक्स के नैट में लाये हैं, उनके बारे में आज विचार करने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त बहुत सी बातों में कहा जा रहा है कि यह रुपया जो यहां पर है, यह रुपया कैसे आयेगा, कहां से आयेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां पर बैंकों के नान परफार्मिंग असैट्स हैं, इसको आपने एक पेपर सर्कुलेट किया था, एक जवाब दिया है और उसमें यह कहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने 2002 से लेकर 2004 के बीच में काफी कम किया है। इस सरकार ने, एन.डी.ए. की सरकार को नान परफोर्मिंग असैट्स को निकालने के लिए जितना काम किया, आपने उस सवाल के जवाब

में उसका पूरा उल्लेख किया है और यह कहा है कि हां, वह 56 हजार करोड़ रुपये से कम होकर काफी कम हुआ है, परन्तु फिर भी आपने यह कहा है कि उनके नाम हम साया नहीं कर सकते। बहुत दिनों से यह मांग चल रही थी कि उनके नाम क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते। देश का 60 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है, आप एक्ट में एमेण्ड कर लीजिए। एक्ट को एमेंड करके जो 60 हजार करोड़ रुपया दबाकर बैठे हैं, उनसे निकलवाइये। आप जिक्र तो करते हैं, अभी ई.पी.एफ. पर रेट बढ़ाकर 9.5 परसेंट कर दिया तो 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, हाय यह 800 करोड़ रुपया कहां से आयेगा। 60 हजार करोड़ रुपया दबाकर बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं। आप कोई एमेंडमेंट करें या उस रुपये को निकालने का तरीका निकालें, जो 60 हजार करोड़ रुपया उनके पास है। लोगों के पास जो इंकम टैक्स के एरियरर्ज हैं, वह रकम भी इतनी ही है, कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की रकम भी इतनी है। कुल-मिलाकर दो लाख करोड़ रुपये बनता है। एक साल का टोटल रैवेन्यू भी इतना नहीं है, जितनी उनकी देनदारियां हैं। वे काफी बड़े-बड़े लोग हैं और उन लोगों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। हम चाहते हैं कि उनसे रुपये वसूल किए जाएं। ऐसे मनी लांडरिंग और पे न करने के तरीकों को रोकने के लिए यदि एक्ट्स को बदलना भी पड़े तो यह सदन हमेशा उसके लिए तैयार रहा है। परन्तु वही बात आती है कि वे कौन लोग हैं, इसे देखने की जरूरत है।

एक बात मैं गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस सेशन के शुरू होने के पहले एक आर्डिनेन्स लेकर लाए थे और वह आर्डिनेन्स यह था कि आईटीसी से लगभग आठ सौ करोड़ रुपये वसूल करना है। अरबों रुपये वसूल करने के लिए एक आर्डिनेन्स लाया जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, आर्डिनेन्स से पहले यह शब्द इसमें लिखे हैं।

*[अनुवाद]*

"चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति जी इससे सहमत हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें उन्हें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।"

*[हिन्दी]*

तत्काल एक्शन की जरूरत है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। 15 दिन का इंतजार भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह आर्डिनेन्स लाया जा रहा है। आर्डिनेन्स के नीचे महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हैं। जब यह आर्डिनेन्स आ गया, आर्डिनेन्स सदन में रख दिया गया और सदन में पर्दे के पीछे क्या हुआ, वहां पर क्या बातचीत हुई, यह मुझे मालूम नहीं है? फिर आर्डिनेन्स लैप्स हो गया। उपाध्यक्ष जी, यह तरीका है राष्ट्रपति जी को बीच में लाने का कि आप एक आर्डिनेन्स लाएं और आर्डिनेन्स में राष्ट्रपति जी की तरफ से कहें कि पार्लियामेन्ट सैशन में नहीं है इसलिए आसमान गिर जाएगा, यदि आर्डिनेन्स नहीं लाए। *.....* उस पर यहां विचार तक न करें। यहां बिल आ गया और बिल को पास न करें—क्या यह ब्लैकमेलिंग का तरीका नहीं है? क्या यह बुली करने का, ब्लैकमेलिंग करने का, भ्रष्टाचार करने का तरीका नहीं है कि आप एक आर्डिनेन्स लाएं, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर कराएं, हिन्दुस्तान में उसे लागू कर दें और फिर उसको लैप्स हो जाने दें। *...* तो यह लोगों को कहने का अधिकार है और ऐसा कहने से लोगों को कैसे रोका जा सकता है? यदि इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा, इस तरीके से आर्डिनेन्स लाया जाएगा ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** वे गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

**श्री पी. चिदम्बरम:** क्या उन्होंने इसकी सूचना दी थी। महोदय, क्या वे आपकी अनुमति से आरोप लगा रहे हैं? क्या वे ऐसा आरोप लगा सकते हैं? वे आरोप लगा रहे हैं कि रिश्वत ली जाती है। क्या वे ऐसा आरोप लगा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं देखूंगा कि कोई आरोप लगाया गया है या नहीं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने केवल यही कहा कि लोग ऐसा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)* प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आप अध्यादेश की आलोचना कर सकते हैं या अध्यादेश के व्यपगत होने की आलोचना कर सकते हैं। यह आप रिश्वत लेने का आरोप कैसे लगा सकते हैं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने ऐसा नहीं कहा।

**श्री पी. चिदम्बरम:** आपने ऐसा कहा था।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता।

**श्री पी. चिदम्बरम:** कृपया आप अपना आरोप वापस लीजिए। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** परन्तु यदि लोग ऐसा कहते हैं, कि कोई उन्हें ऐसा कहने से नहीं रोक सकता क्योंकि ऐसी ही स्थिति है ...*(व्यवधान)*

---

*...*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्होंने कह दिया जो कुछ कहना था। *...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** उपाध्यक्ष महोदय, चिदम्बरम जी, अपने भाषण में यह बता दें कि यह लैप्स क्यों होने दिया गया? यदि आप अध्यादेश लाए थे तो आपने उसे व्यपगत क्यों होने दिया? क्यों नहीं आपने इसे यहां पास करवाया। यह तरीका हमेशा वही लोग अपनाते हैं, जो बुलिंग और ब्लैकमेलिंग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं वैट के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। देश में वैट को लागू कर दिया गया है। इतने दिन हो गए हैं वैट को लागू किए हुए किन्तु अभी भी उसमें रोज बदलाव किए जा रहे हैं, रोज वैट की मीटिंग हो रही है। वैट को कभी एक राज्य तोड़ देता है, तो कभी दूसरा राज्य दोड़ देता है। क्यों नहीं पहले इन चीजों पर गौर किया गया? क्यों नहीं व्यापारियों से बात की गई? क्यों नहीं सारे राज्यों को एक साथ लागू करने के लिए कहा गया? आपने इस देश के दो टुकड़े कर दिए, एक वैट राज्य और एक नान वैट राज्य। क्या कभी ऐसा होता है? आप कह रहे हैं कि वैट 112 देशों में लगा हुआ है। क्या किसी देश में ऐसा है कि आधे देश में वैट लगा हुआ है और आधे देश में नहीं लगा हुआ है? *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री पी. चिदम्बरम:** पांच वर्षों तक आपने 'वैट' का समर्थन किया या नहीं *...(व्यवधान)* आपके वित्त मंत्री ने वैट का समर्थन किया था या नहीं? *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** हम पांच साल तक यही बात कह रहे थे तभी हमने वैट को लागू नहीं किया। *...(व्यवधान)*

**श्री सन्दीप दीक्षित** (पूर्वी दिल्ली): आप फोन करके कहते थे कि इसे लागू कीजिए। आप ही की सरकार, आप ही के वित्त मंत्री कहा करते थे कि इसे लागू कीजिए। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** वैट लागू करने के लिए यहां से कहा गया, लेकिन पांच साल तक इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वह सारे देश में एक साथ लागू नहीं हो रहा था। यह स्टेट सब्जैक्ट है, सैंटर का नहीं है। स्टेट्स को फैसीलिटेट करने के लिए ऐसा किया गया। इसीलिए हमने कहा कि जब सारे राज्य तैयार हो जाएंगे, तब इसे लागू करेंगे। दूसरा कारण यह था कि सैंट्रल सेल्स टैक्स बीच में से खत्म किया जाएगा। तीसरी बात यह कही गई कि व्यापारियों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालें। 1995 से 2004 तक इसे इसलिए लागू नहीं किया गया ताकि सबसे बातचीत हो जाए, सारे राज्य इसे एक साथ लागू करें और बीच के लूपहोल्स खत्म हो जाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और हड़बड़ाहट में लागू कर दिया। मुझे बताया गया कि इनकी कमेटी ने उसे रद्द कर दिया। डिफैंस की कैंटीन में, पिछले सौ साल से, जहां तक मैं जानता हूं, जब से डिफैंस कैंटीन बनी थी, सेल्स टैक्स माफ था। जो सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, उनके परिवार के लोगों को सेल्स टैक्स से छूट थी। अचानक उन सबको वैट के दायरे में डाल दिया गया। वे कई करोड़ लोग हैं। उनको वैट में डालकर, उन्हें मिलने वाली हर चीज को 10-15 प्रतिशत महंगा कर दिया। आखिर वे डिफैंस के लोग हैं। मैंने सुना है कि यह बात कमेटी में रखी गई और आपकी कमेटी ने कह दिया कि हम इसे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आम सैनिक, जवान पहाड़ों में जाकर लड़ते हैं, कारगिल में जाकर लड़ते हैं और आप उनके परिवार को मिलने वाली कैंटीन की सुविधा में वैट लागू करके उनको सेल्स टैक्स के दायरे में क्यों ले आए। आपने करोड़ों जवानों के साथ यह एक तरह का विश्वासघात किया। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** (गढ़वाल): इसका मुनाफा वेल्फेयर के लिए जाता है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

उन्होंने यह बात मानी है कि *...(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह व्यवसायिकी संगठन नहीं है *...(व्यवधान)* यह व्यवसायिकी लेन देन नहीं है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

यह व्यापारिक काम नहीं है जो आप मुनाफा बना रहे हैं। इससे जितना पैसा मिलता है, वह सब वेल्फेयर एक्टीविटीज में जाता है, यह सरकार को समझना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ़): मल्होत्रा जी, आप तो इनकम्पीटैंस का सर्टीफिकेट दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** बंसल जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** आपको क्यों कष्ट हो रहा है। आपके यहां भी बहुत सैनिक हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** खंडूडी जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** वैट को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप पहला आर्डर एकदम कर सकते हैं कि डिफैंस को जो सुविधा मिल रही थी, उसे सीधे तौर पर विदड्रा कर सकते हैं। डिफैंस सैंटर के अंडर है और डिफैंस की कैंटीन वगैरह आपके अंतर्गत आती है। यह सब्जैक्ट स्टेट का है, लेकिन आप उन्हे गाइड कर सकते हैं। मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ, इस बात का दुख हुआ कि जब यह बात रखी गई, तो इनकी वैट एम्पावरमैंट कमेटी, जिसके अध्यक्ष सीपीएम, बंगाल के मंत्री हैं, उन्होंने इसे आउटराइटली रिजैक्ट कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही भीषणतम स्थिति है, इसे जल्दी ठीक किया जाए। ऐसा नहीं हो कि जवान सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ें और उनके परिवार वालों को दिल्ली या देशभर में ऐजीटेशन करना पड़े। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप यहां समाचार पत्र नहीं दिखा सकते।

श्री मल्होत्रा, कृपया भाषण जारी रखिए।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैं सिर्फ एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं। हमारी फाइनैंस बिल या उससे पहले की चर्चा में बात नहीं हो सकी।

वह यह है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। परन्तु यह जरूर है कि डिफेंस के पैसे या बाकी चीजों में, जो बंगलादेश में हो रहा है, बंगलादेश के अंदर बीएसएफ के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे बीएसएफ के लोग मारे जा रहे हैं। वहां माइनोरिटीज के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, वह अलग है, नार्थ ईस्ट का मामला अलग है माओवादियों का अलग है। यह सब एक तरफ है, परन्तु कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीर से माइग्रेंट हैं, हमारा पहला देश है जिसमें देश में अपने ही लोग माइग्रेंट हैं। उनका इनकम टैक्स का मामला है। हर वर्ष यह मामला आपके पास आता है। हर वर्ष यह बात आती है कि कश्मीरी माइग्रेंट ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया केवल प्रो. मल्होत्रा के भाषण को सम्मिलित कीजिए।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** कश्मीरी माइग्रेंट को हर साल एप्लाई करना पड़ता है कि उनसे अभी इनकम टैक्स न लिया जाये। चूंकि इसका फाइनेंस बिल के साथ ताल्लुक है इसलिए कह रहा हूं कि सारे एग्जम्पशन्स में अगर आपने कश्मीरी माइग्रेंट पंडित या वहां से आये हुए दूसरे लोगों के लिए कुछ किया होता, उनको इनकम टैक्स में तब तक एग्जम्पशन मिलती कि जब तक वहां हालात नार्मल नहीं हो जाते और वे वापिस नहीं चले जाते। आपने कश्मीर के लिए इतने पैकेजेज निकाले, रेलवे के लिए पैकेजेज निकाले, श्री मन मोहन सिंह जी वहां गये, श्रीमती सोनिया गांधी वहां गयीं, उन्होंने वहां झंडियां दिखाईं लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए एक बार भी, मैं बहुत गंभीता से और जोर से कहना चाहता हूं कि अपने देश में रहने वाले लोग, अपने यहां के पांच लाख लोग, जो माइग्रेंट होकर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके लिये कोई पैकेज नहीं है। उनके लिए नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं है, उनके वापिस जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इनकम टैक्स में भी ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइये। आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। *...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** उपाध्यक्ष महोदय, उनके घरों में गये लेकिन उनके घर ही नहीं हैं। *...(व्यवधान)* वे वैली में किसके पास गये? वैली में एक आदमी नहीं रह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि अपने देश के लोग अपने ही देश में रिफूजी बनकर रहें। *...(व्यवधान)* श्रीनगर में उन्हें जाने का मौका नहीं मिल रहा। *...(व्यवधान)* मुझे मालूम है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, आप उन्हें चुप कराइये। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइये। *...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आपोजिशन तीन दिन तक नहीं थी। इन लोगों के मन में जो आया, वह बोले। यह साइड बिल्कुल खाली था, मैदान खाली था। लगातार ये लोग बिल्कुल निराधार, असत्य, मनमानी, शरारतपूर्ण भाषण करते रहे। उसे सारे देश ने देखा। यहां पर इस बात को बोलने के लिए हमें रोका जा रहा है। यहां बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान से *...(व्यवधान)* मैं आपको बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

कृपया इन्हें कहिए, मुझे परेशान न करें। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक साधारण बात उठाई थी *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया परेशान मत कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आप सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि श्री मल्होत्रा जी के बाद अन्य पार्टियों के सदस्यों को भी बोलने के लिए समय मिलेगा, तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। कृपया माननीय सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** महोदय, इन्होंने कहा है कि मुजफ्फराबाद से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को श्रीनगर में उनकी जायदाद वापस की जा रही है, उनको वहां बसाया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी पंडित वहां जाकर नहीं बस सकते हैं। पाकिस्तान से आने वालों को उनकी जायदाद वापस कर दी जाए, इसके लिए रास्ता खोला जा रहा है, बिना पासपोर्ट लिए उनके आने के लिए बसें चलाई जा रही हैं परन्तु कश्मीरी पंडितों को सरकार इन्कम टैक्स में रिबेट या एग्जम्प्शन देने के लिए तैयार नहीं है। यहां उनके लिए कोई पैकेज नहीं है और वहां राज्य में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनको नौकरियां देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वहां एक लाख पचास हजार नौकरियां दी जाती हैं तो उनमें से एक भी कश्मीरी पंडितों को नहीं दी गयीं। यहां पर आप इस तरह का भेदभाव करते हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फाइनेंस बिल आज हमारे सामने है। इसमें सभी वर्गों के साथ भीषण अन्याय हुआ है। वित्त मंत्री जी सीनियर सिटिजन्स, महिलाओं, और खासकर इम्प्लाइज विरोधी प्रावधानों तथा वैट आदि बातों को वापस लें, अन्यथा हम इस बिल का कड़ा विरोध करते हैं और इसे जन विरोधी बताते हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्रीमती रेनुका चौधरी, कृपया व्यवधान मत डालिए। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ़): महोदय, मुझे माननीय श्री मल्होत्रा जी को आज इस चर्चा में भाग लेते हुए देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। काफी अर्से बाद *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया परेशान मत कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, आज काफी समय बाद इस सदन में व्यवस्थित तरीके से चर्चा हुई है। मुझे इस बात की खुशी है। इसके साथ ही मुझे कुछ अफसोस भी है। अफसोस इस बात का है कि मल्होत्रा जी ने लोगों को गुमराह करने, बातों को तोड़ने-मरोड़ने और अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी राय को बदल लेने की अपनी पुरानी आदत को छोड़ा नहीं है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

अब आपकी पार्टी का सदस्य बोल रहा है, कम से कम उसे तो डिस्टर्ब मत कीजिए।

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं समझता था कि वित्त विधेयक पर आज जो चर्चा हो रही है, उसमें सरकार की उन नीतियों की सभी लोग सराहना करेंगे क्योंकि आज सारी दुनिया कह रही है कि भारत एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर रहा है। लेकिन इनकी अपनी राय है क्योंकि पहले भी इन्होंने दो बार राष्ट्रपति के मोशन आफ थैंक्स पर चर्चा नहीं करने दी है। आज इन्होंने पूरी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के लिए इस बात को चुना है। फिर भी मुझे खुशी है कि कम से कम यहां चर्चा हुई है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री की सरकार में ऐसे लोग मंत्री हैं जिनको मंत्री नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री मल्होत्रा जी की याददाश्त बहुत अच्छी है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया बाधा मत डालिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** लेकिन शायद समय के साथ मल्होत्रा जी भूल गए होंगे। उस वक्त के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 दिसम्बर, 1999 को इस हाउस में जो कहा था, मैं उसमें से कुछ लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

"संविधान और विधान किसी मंत्री को कोई पद ग्रहण करने से केवल इसलिए नहीं रोक सकता कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है अथवा न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप निर्धारित किए गए हैं। मंत्रीपरिषद में कौन शामिल होगा यह प्रधानमंत्री के विवेकाधिकारों में से एक है।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था,

"मंत्रीपरिषद में कौन शामिल होगा यह प्रश्न प्रधान मंत्री के विवेक और राजनीतिक औचित्य पर निर्भर है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का अंतिम निर्णय अनेक परिस्थितियों से संबंधित है।"

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): उस समय उन पर क्या आरोप थे? ...*(व्यवधान)*

**श्री खारवेल स्वाईं** (बालासोर): उन्होंने किस संदर्भ में यह कहा था? यह राजनीतिक आन्दोलन से संबंधित था या भ्रष्टाचार से? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** स्वाईं जी, आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, मुझे नहीं पता कि आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है या नहीं। मैं अभी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं। यदि आपने उन्हें अनुमति दी है तो मैं बैठ जाता हूं। अन्यथा मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

मैं समझ रहा था कि शायद ये नाम नहीं सुनेंगे। मैं जब इनकी यादाश्त की बात करता हूं, तो लगता है ये कोई बात सुनना नहीं चाहते। मैंने जो नाम लिया, वह हमारे देश के एक महान नेता का है। मैंने यह कहा है कि उस समय के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था। ...*(व्यवधान)* मैं कोई बात अपने आप नहीं बोल रहा हूं। मैं शब्द-ब-शब्द वही पढ़ कर सुना रहा हूं, जो उस समय के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 07.12.1999 को लोक सभा में कहे थे। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** यह किस संदर्भ में कहा गया था? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** अगर सहनशक्ति इतनी कम है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे अपनी बात कहने दें, क्योंकि मुझे और भी कुछ कहना है। ...*(व्यवधान)* मैं उस समय के प्रधान मंत्री जी का बयान पढ़ रहा हूं, तो उसमें अगर असत्य कुछ बात है, तो आपके पास रिकार्ड है, आप स्वयं देख सकते हैं। लेकिन जो शब्द मैंने कहे हैं, उनमें अगर कुछ असत्य हो, तो मैं गुनहगार माना जाऊंगा? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** स्वाईं जी, आप बैठ जाएं।

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इसका सीधा संबंध वित्त विधेयक से नहीं है। लेकिन इस बात का यहां जिक्र हुआ है इसलिए मैं समझता हूं कि शायद इसका इस विधेयक से ताल्लुक है। यहां पर कहा गया कि रोजगार गारंटी योजना का क्या हुआ। इस वर्ष के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि फूड फार वर्क के तहत 150 जिलों में काम शुरू हुआ है। अगर आप चाहें, तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। हमारे देश में लोकतंत्र है। संसद में अलग-अलग विभागों की स्थाई समितियां बनी हुई हैं। उनमें हमारे सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर सदस्य मनोनीत होते हैं। उसी हिसाब से उन समितियों के सभापति भी मनोनीत होते हैं। उन स्थाई समितियों में एक रूरल डेवलपमेंट की भी स्थाई समिति है। जब केन्द्र सरकार ने रोजगार गारंटी बिल संसद में पेश किया था, तो 2004 में उस समिति में वह बिल विचार के लिए गया था। क्या कारण है कि स्थाई समितियों का आपके सदस्यों द्वारा बायकाट हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** सिर्फ एक दिन बायकाट किया था।

*[अनुवाद]*

यह अत्यन्त आपत्तिजनक है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** उस समिति के चेयरमैन भी आपके ही सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि वह बिल वहां से यहां आए और यहां चर्चा हो। जब वह बिल यहां पेश हुआ था तो आपने कहा था कि इसे पहले स्टेंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जाए, वहां चर्चा हो और उसके बाद यहां भी चर्चा हो। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं कि रोजगार गारंटी बिल

के बारे में क्या हुआ, तब मैं आपको यह बता रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि उस बिल का क्या हुआ। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने चेयरमैन को कहें कि वह बताएं कि क्या हुआ। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने चेयरमैन से कहें कि वह इस बिल को हाउस में वापस भेज दें।

हम यहां उस पर बहस करें और उसको पास करें। लेकिन उतनी देर के लिए हमने काम को रोका नहीं। करीब 150 जिलों में फूड फार वर्क का प्रोग्राम लगा दिया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि उसमें प्रोग्राम क्या है। इस वर्ष 4 हजार 20 करोड़ रुपया लगाना है। वर्ष 2006 में 5400 करोड़ रुपया लगाना है। उसमें 50 लाख मीट्रिक टन फूड-ग्रेन्स के लिए है और आगे के लिए एलोकेशन 11 हजार करोड़ रुपये की होगी। आप भूल गये हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय बोलते हुए कहा था कि जब पूरे देश में इस स्कीम को चालू करेंगे तो पैसा मैं लाऊंगा, यह हमारा वायदा है, आप बिल तो यहां लाइये। मेरा कहना यह है कि किसी चीज पर तो हमें मिलकर काम करना है। किसी चीज पर जब हम बात करते हैं तो बहस की बात भी आ जाती है, एक दूसरे को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, यह होता है, लेकिन आप बात तो करिये ताकि हम भी उसका जवाब दे पाएं। मुझे खुशी है कि आपने इसका जिक्र तो किया और मुझे यह कहने का मौका मिला। दो बार मुझे बोलना था।

*[अनुवाद]*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर।

*[हिन्दी]*

मुझे पार्टी ने शुरूआत करने का मौका दिया था लेकिन दोनों बार यहां क्या होता रहा? यहां शोर होता रहा। इसके बाद आपने बेनामी ट्रांजेक्शन्स का जिक्र किया। मुझे खुशी है कि आपने बेनामी ट्रांजेक्शन्स की बात की। आप 6 साल शासन में रहे और उन 6 वर्षों में लोगों ने क्या कहा? आपकी सरकार ने एक रास्ता अख्तियार कर रखा था और आज सुझाव दिया जा रहा है लेकिन हमारी सरकार ने उसको ठुकराया नहीं है नेशनल आइडेंटिटी काड्र्स बनने चाहिए। हम भी उसके हक में हैं और उसके लिए प्रावधान भी हैं और वह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी है। लेकिन मुझे उसमें थोड़ा ताज्जुब यह बात जानकर हुआ कि माननीय आडवाणी जी ने कहा था और मैंने उसका स्वागत किया था। लेकिन हमारा कहना है कि उसकी हालत इलैक्टोरेल कार्ड जैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी यह नहीं कहा था कि मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इसलिए लाना चाहता हूं कि बेनामी ट्रांजैक्शन्स बंद हो जाएंगे। उसका लक्ष्य दूसरा है और उसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। हम उसको बेनामी ट्रांजेक्शन्स बंद करने के लिए करना चाहते हैं। उसमें बैन का प्रावधान है। अगर आपने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुना, उनके विचारों को समझने की कोशिश की तो मेरा उसमें थोड़ा मतभेद हो सकता है लेकिन इन्होंने कहा था कि केश निकासी टैक्स जो है वह टैक्स के लिए नहीं, वह ऐसे कारनामों को रोकने के लिए है। उसमें कुछ लोगों को शंका और डर हुआ और हमारे जैसे लोगों को भी लगा कि दस हजार रुपया निकालना है तो टैक्स क्यों लगे। लोकतंत्र है।

*[अनुवाद]*

सरकार को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और लोग जो कहते हैं वास्तव में उसका सम्मान करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है।

*[हिन्दी]*

लेकिन उसका मखौल उड़ाया गया। कहा गया कि उसको सिर्फ 25 हजार कर दिया गया लेकिन आगे नहीं देखा कि उसमें क्या है? माननीय मल्होत्रा जी ने सोचा होगा कि हाउस में नहीं जाएंगे इसलिए उन्होंने उसे पढ़ा नहीं है। उसमें यह भी कहा गया है कि सैविंग-फंड एकाउंट में नहीं होगा, सैविंग एकाउंट एगजम्प्ट कर दिया है और उसके साथ लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा किनको नहीं मिलेगा? आप और मैं, यहां के सदस्य, शायद मल्होत्रा साहब भी यह नहीं समझ सकते हैं कि जो बेनामी काम करते हैं, किन तरीकों से करते हैं, हमें लगता है कि बैंक में पैसा कहां जाएगा। लेकिन मल्होत्रा जी, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको मालूम है कि बेनामी ट्रांजैक्शन्स कैसे होती है, शायद इसीलिए उनको बचाने के लिए आप कहना चाहते हैं मत करें। आज यह सरकार बेनामी ट्रांजैक्शन को बंद करना चाहती है। एनपीए का आपने जिक्र किया कि बैंकों में बहुत ज्यादा पैसा लोगों की तरफ हो रहा है। हमें भी बहुत चिंता है। इसलिए हम बार-बार कह रहे थे कि आप कुछ कीजिए। 6 वर्ष के लिए आपको मौका मिला था। मेरा पूछने का हक नहीं बनता लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं किया, कौन-कौन लोग उस वक्त थे, क्या कारण थे? मैं इल्जाम लगाना नहीं चाहता, लेकिन आपने जैसे इल्जाम लगा दिया। लेकिन दो दिन पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था कि एक जिम्मेदारी है। एक समय था जब एनपीए 7 प्रतिशत होते थे, आज एनपीए 3 प्रतिशत पर आ गये हैं और इनका यह संकल्प है कि एनपीए को कम करके दो प्रतिशत पर ले आएंगे। एनपीए क्या होता है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि सरकार में रहते एक जिम्मेदारी है। पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार कहना

[श्री पवन कुमार बंसल]

शुरू कर देगी कि इस कम्पनी में ऐसा है कल को उसका नुकसान उसके मुलाजिमों को भी हो सकता है। स्टील का आपके सामने उदाहरण है। व्यापार में उतार-चढ़ाव आते हैं। स्टील इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था। कीमतें गिरी, नुकसान हुआ। लोगों को दो क्वार्टर के लिए पैसा नहीं दे पाए तो एनपीए डिक्लेयर कर दी और कह देंगे कि

*[अनुवाद]*

यह कम्पनी घाटे में चली गई है।

*[हिन्दी]*

इसका रिजल्ट क्या होगा? लोग उससे भागना शुरू करेंगे। नतीजा यह होगा कि वह कम्पनी बंद हो जाएगी। जिन मुलाजिमों की आप बात करते हो, उनको सड़क पर आना पड़ेगा। क्या आप यह चाहते हो? अगर आप समझते हो कि इसमें गड़बड़ है तो उसकी बात कीजिए। अगर आप कहते हैं कि इन केसिज में देरी हो रही है तो उनके लिए बात कीजिए। सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि उसमें देरी नहीं होगी। वे जिन आदमियों का जानबूझ कर पैसा नहीं दे रहे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई सम्भव होगी, जो कार्रवाई करनी होगी वह की जाएगी, यह सरकार का संकल्प है। सरकार इस बात पर दृढ़ है और वह उस पर खड़ी रहेगी। हम जिम्मेदारी समझते हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, मैंने शुरू में कहा था कि मुझे यह जानते हुए थोड़ा सा दुख हुआ है कि ये आदत क्यों नहीं छोड़ी जा रही है? क्या एक बात स्पष्ट नहीं है कि पर्सनल इनकम टैक्स के जो प्रावधान हैं, उनसे एक-एक इन्सान को फायदा हुआ है? क्या कोई खड़ा हो कर कह सकता है कि उन्हें जितना पैसा 6 साल तक देते रहना पड़ा, क्या उतनी ही आमदनी पर आज उनसे ज्यादा देना पड़ेगा? क्या कोई कह सकता है? आज से 6 वर्ष पहले आपका एक नारा और वायदा था कि इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट को बढ़ा कर एक लाख रुपए कर देंगे। आपने उसे नहीं किया। पहले साल हमारी सरकार ने कहा कि कम से कम एक लाख रुपए वाले आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपने उसका विरोध किया।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** वे ऐसा नहीं कर सके।

**श्री पवन कुमार बंसल:** माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वह इस मुद्दे का पुन: अवलोकन करेंगे। लगभग 1.4 करोड़ लोगों को इससे लाभ पहुंचा कर प्रशासन की क्षमता में सुधार करने के पश्चात् उन्हें इसका लाभ मिला है।

*[हिन्दी]*

एक जिम्मेदारी के साथ बात करते हुए जो मुद्दे होने चाहिए, उनके अनुसार सुधार लाए गए। टैक्स रेट बढ़ाया गया और शासन में कुशलता लायी गई। उसके बाद आज क्या किया है? आपके सामने टैक्स स्लैब है। उसके तहत एक लाख रुपए तक सब के लिए टैक्स में छूट दी गई है। उसके बाद जो हमेशा घपले होने का स्कोप रहता था, मैं कहता नहीं, वह समय के साथ की बात होती है लेकिन एक लाख रुपए की और छूट कर दी, कहीं भी कोई बचत योजना में पैसा लगाना चाहता है तो वह कहीं भी लग सकता है, एक लाख रुपए की छूट हो गई।

सीनियर सिटिजन के लिए जो प्रावधान थे, ठीक है, उसे डेढ़ लाख रुपए किया था जिस की हम लोगों ने यहां बात की, हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, इनको मिले, इन्होंने इस बात को सोचा, उनको 1 लाख 85 हजार कर दिया। मुझे हिसाब लगाना बिल्कुल नहीं आता। इस कारण मैं उसका जिक्र नहीं करता, मैं जिस जमात से तालुक रखता हूं, हिसाब आना चाहिए था लेकिन हिसाब नहीं लगा पाया लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीनियर सिटिजन की अगर दो लाख रुपए इनकम उस वक्त थी और दो लाख रुपए इनकम आज है तो मल्होत्रा साहब हिसाब लगा कर बता दें, मैं उसे मानूंगा कि वे उस वक्त कितना इनकम टैक्स पे करते थे, और अब कितना करेंगे? इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें कि आपने यह कर दिया, या सभी के लिए कर दिया, यही इनकी आदत थी, सभी लोगों को उलझा कर रखने की कोशिश करते थे। हम आपको ये दे रहे हैं, वे दे रहे हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि किसी के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया शाइनिंग की बात कह दी। सामने देख लिया कि वह किन के लिए चमक रहा था?

**अपराह्न 2.59 बजे**

**[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]**

*[हिन्दी]*

चमकाना है तो एक-एक इन्सान के भविष्य को चमकाना चाहिए। वह कांग्रेस और यूपीए का संकल्प है। यूपीए में सभी

एकत्रित होकर आपस में इस बात का फैसला करके बैठे हैं कि जो जिम्मेदारी देश के लोगों ने डाली है, उसे हम निभाएंगे।

महिलाओं की बात कही गई। उनके लिए 1 लाख 25 हजार ग्रैस होल्ड लिमिट रखी थी। उसके बाद उसे बढ़ा कर 1 लाख 35 हजार रुपए किया है। अब डेढ़-डेढ़ हजार का हिसाब लगा रहे हो। मैं अब फिर आपको वही कह रहा हूं। हम भी चाहते थे कि शायद ऐसा करना अच्छा होता लेकिन जिम्मेदारियां हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यह क्यों नहीं कहा, यह उनके लिए क्यों नहीं किया? क्या आप पैसे ऊपर से गिरा कर दे रहे हो, पूजा कर रहे हो कि पैसा आ गया, उनके पाकिट्स भर गए और बांटना शुरू कर दिया लेकिन बांटा नहीं। कहीं प्लान करना है, किसी जगह में टैक्स लगाना है, कहीं से पैसा बचाना है, दूसरी तरफ जो जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करना है।

**अपराह्न 3.00 बजे**

अब पैसा कहां से अएगा, क्या पूजा करेंगे या कोई लाकर पैसे का ढेर लगा देगा और आप बांटना शुरू कर देंगे या आप पैसा ऊपर से गिरवाकर दे रहे हैं। क्या ऐसा होगा? जब कोई सरकार में होता है तो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। उन्हें समझना चाहिए कि उनको क्या करना है। एक बात मैं दोहराता हूं कि बेशक महिलाएं हों, सीनियर सिटिजन हों या कोई भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हो, उसे आज भी टैक्स पहले से कम देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा।

आपने अपनी तरफ से एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड के बारे में प्रधानमंत्री का जो संकल्प था, उसे पूरा किया है और ब्याज दर साढ़े नौ परसेंट बढ़ायी गई है। हमने कहां कहा कि इसमें नुकसान है, हमने कहा है कि उसका इम्पलीकेशन इतना है। महोदय, इन शब्दों को मैं नहीं समझता कि कहां से नुकसान शब्द ले लिया। इसमें सौ करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। उस फर्क को पूरा करना है, वह पैसा कहीं से लाना होगा। वह पिछले वर्ष की बात थी जबकि नया साल तो इस वक्त से शुरू हुआ है। यह उस वक्त की बात थी जब जिम्मेदारी आपकी थी। आपकी जिम्मेदारी को आज कांग्रेस ने निभाया है। आप उस वक्त उलझ गए थे, घबरा गए थे कि क्या करें। आप हिसाब नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि प्रबंध करने का सिस्टम नहीं था। आपको पता नहीं था कि इसे मैनेज कैसे करें। आपका काम आज इस सरकार ने किया है। उस वक्त जो ऐलान किया गया था, आज उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम इसे पूरा करेंगे और उसके लिए तरीके सरकार ढूंढेगी।

महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि डिलिमिटेशन की बात कहां से आई। डिलिमिटेशन का कोई ताल्लुक अगर महिलाओं की रिजर्वेशन से है, तो डिलिमिटेशन उसी हिसाब से होंगी जैसे हो रही हैं। आपने कानून बनाए, आपके कानून को हमने समर्थन दिया। ये डिलिमिटेशन्स उसी कानून के तहत हो रही हैं। हम और आप इकट्ठे बैठें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले छः वर्षों में आपने कितनी बार पार्टी की मीटिंग बुलाई, आपने कितनी बार आम सहमति, एक राय बनाई, जिसका जिक्र आप शुरू में किया करते थे। आपने कितनी बार ऐसा किया?

महोदय, एक बात मुझे बिल से हटकर कहनी पड़ेगी कि इनवर्ड और आउटवर्ड छः विजिट ऐसे हुए हैं, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री गए या बाहर से आए, उनसे हमेशा राय ली गई है। वैट का जिक्र किया गया, वैट किसने शुरू किया? तब आप घबरा गए, जब मुश्किलें सामने आएंगी तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल के समय आप रास्ता तय कर सकते हैं, उसके बिना आप नहीं कर सकते। जब आप घबरा गए थे, तब हमें बात संभाली, उसका ताल्लुक रेट के साथ नहीं है। यह एक इंसीडेंटल बात है कि यह वैट का मामला है। आप कुछ समय इसके लिए दीजिए। आप जिनको बात कह रहे हैं, जिनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन लोगों को समझाएं कि समय के साथ आप सभी को फायदा होगा। आप राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझें। आपने पच्चीस वर्ष पूरे किए हैं और इसे मनाया है। पच्चीस साल बहुत उच्छी उम्र हो जाती है, पच्चीस साल के नौजवान मैच्योर होते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। *...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** महोदय, आपने 125 वर्ष पूरे किए हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, पच्चीस वर्ष के बाद मैच्योरिटी आनी चाहिए, मैच्योरिटी के साथ काम होना चाहिए। आप उन लोगों को बताएं कि इससे फायदा होगा, रेट का इसके साथ ताल्लुक नहीं है।

आपने डिफेंस की बात कही, उनको भड़काने की बात की। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता। उसमें आपने क्या किया? कारगिल का जिक्र किया गया। कारगिल के समय में क्या हुआ, यह पूरा देश जानता है। कारगिल के नाम पर क्या होता रहा है, यह पूरे देश के सामने है इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। आपने इसके लिए क्या किया, एक लालीपाप थमा दिया कि हम आपको वोट का अधिकार दे रहे हैं। आप चाहे कहीं भी बैठे रहें, आप वोट डाल सकेंगे। आपने सोचा कि सभी लोग आपको वोट डाल देंगे। लेकिन जनरल खंडूड़ी को भी वोट नहीं डाला *...(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** प्रोक्सी वोट से बहुत कष्ट हो रहा है *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** जनरल खंडूडी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** वहां सड़कों का उद्घाटन करते रहे। जनरल खंडूड़ी उन सड़कों का भूमि पूजन करते रहे, जिनका एक्वीजिशन भी नहीं हुआ था। वे समझते नहीं थे। *...(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** आप वहां पर नहीं थे, आपको जानकारी नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए जिसमें आप पकड़े जाएं। बीजेपी ने सैनिकों के लिए जितना किया है आपने उतना पचास सालों में नहीं किया *...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मुझे खुशी होती अगर आप बात को कबूल करते। अगर उन्होंने कुछ कहा होता तो मैं धन्यवाद करता, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी भावनाओं को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं किया। लेकिन क्या किया गया, ऐसे लोगों को सैनिक वैलफेयर अफसर लगा दिया *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** आप मेरी बात सुनिए। *...(व्यवधान)* कारगिल के मार्टर भाइयों के लिए पचास हजार रुपए लेकर उनको देना था।

*.....* और फिर कहा गया कि यह फिजूल बात है लेकिन यह सब आपके सामने है। आप किन लोगों के लिये कह रहे हैं? आपने ऐलान कर दिया कि जो शहीद हुये हैं, उनकी माताओं, बहनों, विधवाओं और उनके भाइयों को पैट्रोल पम्प दिये जायेंगे। यह जानकर हमें खुशी हुई और हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। लेकिन आप ने उन लोगों के लिये क्या किया?

*[हिन्दी]*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** आपने आर्मी के लिये जो कमेंट्स पास किये, क्या आप को जानकारी है?

*[अनुवाद]*

उस समय आपने ऐसे बयान दिए जिसमें कि सेना का मनोबल कम हुआ।

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** जब यू.पी.ए. की सरकार आई *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप समाप्त करिये। माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आना है। आप कृपया आसन से को-आपरेट करिये।

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। इस सरकार के सी.एम.पी. को सारा देश पढ़ सकता है। उसके तहत जितने कार्यक्रम हैं, वे सब को मालूम हैं। मैंने एक बिल का जिक्र किया था और कई ऐसे बिल हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में पड़े हुये हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि जितने एन.डी.ए. के चेयरमैन हैं, वे उन रिपोर्ट्स को सदन में जल्दी लेकर आयें।

सभापति जी, एन.डी.ए. वाले फौजियों की बातें करते हैं। जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है, हमारे रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री की हिदायत से एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है और उसमें फौजियों के वेलफेयर के लिये काम होता है। क्या इन लोगों को नये डिपार्टमेंट पर एतराज है?

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** आप फौजियों को हवाई ख्वाब मत तिखाइये।

**श्री पवन कुमार बंसल:** अगर आपको एतराज है, तो आप देखते रहिये। उसका अच्छा फल निकलेगा।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** यह आपको महंगा पड़ेगा।

**श्री पवन कुमार बंसल:** अभी ये लोग कारगिल की बातें कर रहे थे। जो लोग यूनिफौर्म पहने हुये थे, इन लोगों ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है लेकिन जो इनके साथ बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*[अनुवाद]*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी:** महोदय, वे श्री मुन्शी के इसारे पर बोल रहे हैं। श्री चिदम्बरम, यह दुर्भाग्य की बात है कि एक वरिष्ठ सदस्य स्वयं की बात नहीं बोल सकता।

*[हिन्दी]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यही कहूंगा।

*[अनुवाद]*

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान यू.पी.ए. सरकार अपनी जिम्मेदारियों, अपने समक्ष दूसरी और ऐतिहासिक लक्ष्य को समझती है। हम देश की जनता द्वारा हमारे ऊपर डाली गई ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों को जानते हैं।

*[हिन्दी]*

जहां तक वैट का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन लोगों ने जनता को गुमराह करने का काम किया है, उनसे ऐसे वायदे किये हैं, ऐसे सब्ज-बाग दिखाये हैं परन्तु लोगों को काम नहीं किया। इसलिये मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुये कार्य किया है। जहां तक टैक्स स्ट्रक्चर का सवाल है, मैं मानता हूं कि इसे सिम्पलीफाई करना चाहिये। उसमें लोगों को न जाने कितनी दुविधायें और उलझनें होती थीं, उसे दूर करके साधारण रूप दिया गया है। डिबेट में कहा गया है कि आने वाले समय में हम एक साधारण बिल लायेंगे जिससे सब लोग इनकम टैक्स के मामले को समझ सके। यह बहुत ही आसान होगा। हमारा एक लक्ष्य टैक्स बेस बढ़ाने का है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को उसमें एतराज नहीं होना चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि वह एक ऐसा माहौला बना दें कि जो भी टैक्स दे, वह खुशी-खुशी दे, उसे असुविधा का सामना न करना पड़े। और वह गौरव से कहे कि "मैं इस देश का करदाता हूं।" उसके लिए स्पेशल प्रोवीजन हो। ऐसा नहीं हो कि जो इंसपैक्टर राज बना दिया गया था, यदि वह किसी व्यापारी के पास जाता था तो उसे चोर समझा जाता था। व्यापारी हमेशा देश के लिये अपना हिस्सा डालता है, देश की प्रगति में योगदान देता है। उसे समझना चाहिये कि यह उसका कर्त्तव्य है और उसका लक्ष्य है जिसे वह पूरा करना चाहेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कानून बना है, उसकी पालना ठीक ढंग से होनी चाहिये। उस कानून को और कुशल बनाना होगा। लेकिन सामने बैठे हुये लोगों ने क्या दिया-एक मृग तृष्णा। यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन जो वास्तविकता है, जो असली बात है, जो मुश्किलें हैं, उनका सामना हम लोग कर रहे हैं कि कैसे पैसा इकट्ठा करना है लेकिन समस्याओं के बीच में जाकर बातचीत का रास्ता अख्तियार करके सचमुच में किया जा सकता है। हमारी विचारधारा पर लोकतांत्रिक मन: स्थिति का प्रभाव होना चाहिए। मन में यह विचार होना चाहिये, भावना होनी चाहिये कि लोकतंत्र का मतलब केवल शोर नहीं, उसका मतलब बातचीत है। हमारी कांग्रेस पार्टी उसमें विश्वास रखती है और उस पर विश्वास करती रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): महोदय, यद्यपि किसानों के आर्थिक संकट संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत एक विशाल आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश का सेवा क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है और अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग यह महसूस करता है कि यदि भारत को कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में तदनुसार कमी की कीमत पर 20 प्रतिशत के आस-पास सेवाओं संबंधी अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करनी है तो हम निश्चित रूप से अमरीकी अर्थव्यवस्था के बराबर आ सकते हैं।

यह इस संबंध में यह कहना है कि दसवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि संबंधी अनुमान और 7 प्रतिशत के आस-पास इसे पाने की संभावना महत्वपूर्ण है। इस पर अर्थशास्त्रियों योजना बनाने वालों और राजनैतिक नेताओं द्वारा वाद-विवाद और चर्चा की जा रही थी। अगले तीन वर्षों में 8.2% जी.डी.पी. वृद्धि को बनाये रखने की भारत से आशा करते हुये एशियाई विकास बैंक (ए.डी.पी.) ने अद्यतन अपने देश विशेष रणनीति और कार्यक्रम (एस.एस.पी.) में यह माना है कि यह देश द्रुतगति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सुझाव दिया गया है कि मूल रणनीति को सामाजिक विकास और अच्छे शासन द्वारा समर्थित अवसंरचना को सबसे ज्यादा वरीयता दी जानी चाहिये।

कृषि और ग्रामीण विकास जिसका गरीबी उन्मूलन पर तत्काल प्रभाव होगा, के संबंध में ध्यान स्वत: ही चला जाता है। परन्तु सरकारी आंकड़ों में विसंगतियों के साक्ष्य से सरकारी गरीबी रेखा की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यहां इस बात का उल्लेख करना अनावश्यक है कि सराहनीय आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिये हमारे सभी बजटीय अनुमान और प्रावधान इस गरीबी उन्मूलन, जो कि दोषपूर्ण है, पर आधारित है। गरीबी का 'पूर्ण' दृष्टिकोण व्यक्ति द्वारा कोई 'वस्तु' खरीदने के लिये खर्च करने हेतु अपेक्षित व्यय के रूप में गरीबी रेखा को

[श्री भर्तृहरि महताब]

देखता है। तथापि, मुद्रास्फीति और बदलती हुई उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं से भारत में 'सरकारी गरीबी रेखा' जो तीन दशक पहले न्यूनतम आहार पोषण पर आश्रित थी, अब एक उचित मानदंड नहीं रह गई है अथवा न्यूनतम आहार पोषण पाने की कीमत का सही संकेत भी नहीं है।

जब गरीबी रेखा सही नहीं है और संदेहजनक है तो आप किस प्रकार से महत्वपूर्ण तरीके से वृद्धि को पाने संबंधी प्रस्ताव करते हैं और कैसे प्रगति करते हैं? आपकी योजना और प्रस्ताव के कारण सामाजिक विकास हेतु कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु प्रावधान इस आधार रेखा जो गरीबी रेखा है पर आधारित है। जब वह दोषपूर्ण है तो आप किस प्रकार से यह आशा करते हैं कि वृद्धि होगी। मैं नहीं जानता हूं कि क्या माननीय वित्त मंत्री ने कभी भारत में किसी तेज यात्री रेलगाड़ी में यात्रा की है और क्या कभी किसी एक्सप्रैस रेलगाड़ी के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की है। मैंने यात्रा की है और कई सदस्यों ने भी यात्रा की है। मैं केवल भीड़ के कारण स्तब्ध नहीं हूं अपितु गरीबी के कारण स्तब्ध हूं जो कि पिछले 15 वर्षों में बढ़ी है।

हम डेढ़ दशक से सुधार प्रक्रिया कर रहे हैं और हम समाजवाद को खत्म कर रहे हैं तथा हम यथासंभव सबसे सक्षम तरीके से भारत की गरीबी की समस्या से निपट रहे हैं। इस प्रक्रिया के प्रतिपाद आंकड़े बता सकते हैं परन्तु क्या आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि गरीबी घट रही है? रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते हुये हमारे में से कई व्यक्ति गरीबी में कमी को क्यों नहीं देखते हैं? हम अपने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की संख्या में स्पष्ट कमी को क्यों नहीं देखते हैं? 15 वर्षों से सुधार प्रक्रिया जारी है। यह वर्ष 1947 से 1991 तक हमारी समाजवादी अवधि का तीसरा भाग है। यदि 15 वर्षों में असंख्य लोग गरीबी से बच गये हैं तो हमें अपने चारों ओर गरीब लोग कम दिखाई देने चाहिये। परन्तु ऐसी बात नहीं है। हम इस तरीके से जिसकी दोषपूर्ण आधारशिला है, भारत नहीं बना सकते हैं।

अब, मैं दूसरे मुद्दे अर्थात् शिक्षा की बात करता हूं। लगभग पिछले एक वर्ष से शिक्षा उपकर लागू है जिससे प्राथमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर पर संस्थान का वित्त-पोषण किया जाना है। आज भारत में साक्षरता दर 65% है। यह संतोषजनक नहीं है। सरकारी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में से केवल 47 बच्चे ही आठवीं कक्षा में पहुंचते हैं। हाल ही में ''सभी के लिये शिक्षा'' संबंधी यूनेस्को रिपोर्ट में वर्ष 2015 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के निराशाजनक कार्यनिष्पादन को दर्शाया है।

मेरी तीसरी बात ऊर्जा के संबंध में है। वर्तमान में ऊर्जा का उत्पादन केवल राज्य क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है। अब कई निजी कंपनियां रक्षित संयंत्रों की स्थापना कर रही हैं और विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत भी बेच रही हैं। पूर्व में दूसरी पांच वर्षीय योजना से किसी राज्य में उत्पादित ऊर्जा का उपयोग उसी राज्य में किया जाता था तथा अन्य राज्यों को ऊर्जा के बेचने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था। इस संबंध में एक संवैधानिक प्रावधान है जिसमें ऊर्जा की बिक्री पर शुल्क लगाने से रोका गया है। परन्तु अब एन.टी.पी.सी. और कई निजी कंपनियां एक स्थान पर अथवा राज्य में ऊर्जा का उत्पादन कर रही हैं परन्तु अन्य राज्य में उसको बेच रही हैं। उत्पादन करने वाले राज्य में संसाधनों की कमी है। जल संसाधन का उपयोग किया गया है और वातावरण में प्रदूषण भी है। ऊर्जा के निर्यात की अनुमति देकर राज्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करके भी कुछ नहीं पाते हैं। मेरा आपको यह सुझाव है कि-क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय को इसके बारे में बहुत कम करना है और एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक है—वित्त मंत्रालय उन राज्यों की मदद करने हेतु इस पर कार्रवाई कर सकता है जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। यहां मेरी यह बात विचारणीय है कि जब किसी राज्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है और दूसरे राज्य में उसका उपयोग होता है तो इसके ऊपर शुल्क लगाया जा सकता है और यह शुल्क राजकोष में जमा किया जा सकता है अथवा केन्द्र द्वारा संबद्ध राज्य को समुचित धनराशि मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिये। किसी ऐसे तंत्र अथवा तरीके का सृजन किया जा सकता है जहां केन्द्र उस राज्य विशेष के इस पहलू को जांच कर सकता है।

मेरे पास दो और मुद्दे हैं। यद्यपि ऊर्जा के मुद्दे पर मैं आशा करता हूं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड अथवा अन्य ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्यों को बहुत लाभ मिलेगा। हाल ही में दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अप्रत्यक्ष करों में कमी करने की बात कही गई है 'जिससे देश में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी और इसने कर छूट को समाप्त करने का भी सुझाव दिया है। जैसा कि उसमें सुझाव दिया गया है दसवीं योजना का वित्त-पोषण कर राजस्व में बढ़ोत्तरी हेतु केन्द्र की समर्थता पर निर्भर करेगा जिसमें छूटों को तेजी से हटने की आवश्यकता होगी। इसके साथ-साथ, यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्ष कर वसूली में 2000 करोड़ रुपये की कमी होने की संभावना है।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

**श्री भर्तृहरि महताब:** उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004-2005 हेतु आकलन के बावजूद वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् अप्रैल

के पहले सप्ताह में अत्यधिक शेष राशि संचयन की आशा की गई है। निस्संदेह वे आंकड़े वित्त मंत्रालय के पास होने चाहिये। प्रत्यक्ष कर में 2000 करोड़ रुपये की कमी आने की संभावना है। सरकार ने आरम्भ में 2004-2005 के दौरान प्रत्यक्ष कर से 1.39365 लाख करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य रखा था, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अधिकतम 1.33 लाख करोड़ रुपये ही संग्रह किये जा सकेंगे। इससे देश में चल रहे वर्तमान विकासात्मक कार्यों पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं अपने राज्य उड़ीसा की बात करता हूं। उड़ीसा लम्बे समय से केन्द्र से विशेष सहायता की मांग करता रहा है। हमारी राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज की भी मांग की जा रही थी। चूंकि उड़ीसा प्रगति की ओर अग्रसर है—वहां अनेक उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं विशेषकर इस्पात और इस्पात क्षेत्र जिनमें कोयला और लौह अयस्क का उपयोग किया जा रहा है, बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जा रहे है और भारी निवेश किया जा रहा है—आवश्यकता इस बात की है कि उड़ीसा सरकार को केन्द्र से पर्याप्त सहायता मिले। इन नये उद्योगों से जो अपने निर्मित उत्पादों का निर्यात करेंगे, उड़ीसा को वित्तीय और राजस्व के रूप में काफी फायदा नहीं होगा। केन्द्र को सहायता देनी चाहिये और यदि केन्द्र उड़ीसा के अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास के लिये विशेष पैकेज नहीं देता है तो उड़ीसा विकास नहीं कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह** (भीलवाड़ा): महोदय, मैं बहस में भाग लेने और वित्त विधेयक, 2005 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि संसद में बजट पर चर्चा तीन भागों में होती है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, वृद्धि दर और रोजगार जैसे सामान्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। दूसरे भाग में विभिन्न मंत्रालयों या उनकी अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। इन पर भी विस्तृत चर्चा होती है। विनियोग विधेयक पर चर्चा की जाती है जिसके साथ मांग का भाग समाप्त होता है। अन्ततः हम वित्त विधेयक पारित करने के चरण में पहुंच जाते हैं।

बजट पारित करने का अन्तिम चरण बजटीय कार्य पूरा करने हेतु वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट कर संबंधी प्रस्तावों तक ही सीमित रहता है। मैं यह जानता हूं और मुझे यह कहना चाहिए कि प्रत्येक वित्त मंत्री यह कहता है कि वह कर-प्रक्रिया और आयकर अधिनियम को सरल बनाना चाहता है। एक समय यह बजट आयकर अधिनियम को सरल बनाने वाला एक आदर्श बजट प्रतीत हो रहा था। जब जनता से वसूली शुरू की गई, तो उन्होंने महसूस किया कि सरल बनाने की बजाय उसने पूरी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है। आम आदमी यह महसूस करता है कि यह अधिक जटिल है और इसमें और अधिक फार्म भरने पड़ेंगे जो कि किसी आदमी के लिए स्वयं करना संभव नहीं है। लेकिन, वित्त मंत्री ने सोचा कि कोई व्यक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेंट या आयकर अधिवक्ता की मदद के बिना ही अपना कर-मूल्यांकन कर सकेगा तथा स्वयं ही ये फार्म भर लेगा। लेकिन, उन्होंने यह सही नहीं किया है।

अब, विस्तार से चर्चा करें। कर-प्रक्रिया का सबसे अधिक विवादित पहलू अतिरिक्त लाभों पर कर के रूप में है। अब यह अतिरिक्त लाभ के रूप में ही सामने आया है। मेरा भी कारपोरेट जगत से संबंध रहा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी अच्छी कम्पनी में काम करना चाहता है और मुझे याद है कि मैं किसी बहुत ही बढ़िया कम्पनी में काम करता था। उन दिनों बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं थी। लेकिन यह एक ऐसी कम्पनी थी जो 30 वर्ष पूर्व देश में कारपोरेट जगत की प्रथम दस कंपनियों में से थी।

लेकिन अतिरिक्त लाभ के बारे में आप समझते हैं कि यह वह नहीं है जो आपके हाथ में होता है या जो पैसा आपके हाथ में आता है, लेकिन यह वह है जो कम्पनी आपकी देखभाल पर खर्च करती है। अब, अतिरिक्त लाभ पर भी कर लगा दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि कारपोरेट जगत की जिम्मेवारी बढ़ गई है। इसलिए, वे आपको कम दे रहे हैं; वे आपका शोषण कर रहे हैं तथा जो व्यक्ति उस कम्पनी में निष्ठा के साथ कार्य करेंगे उन्हें लगेगा कि उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। वास्तव में किसे नुकसान होगा?

पहले तो कम्पनी स्वयं ही है क्योंकि उस पर दोहरा कराधान है। वे कर पर भी कर देते हैं। वित्त मंत्री ने कारपोरेट जगत का कर 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन, इसके साथ-साथ, उन पर अतिरिक्त लाभों की वास्तविक जिम्मेवारी बनती है। इसका अर्थ यह है कि उस पर दोहरा कर होगा जो 30 प्रतिशत कर के अलावा अतिरिक्त लाभों पर भी कर रहे हैं जो नियोक्ता द्वारा लिया जा रहा है। इस तरह, वास्तव में जिसकी हानि हो रही है, वह शेयर धारक है। उन्हें बोनस मिलता है; उन्हें अन्य लाभ भी मिलते हैं। तब यह होगा कि कम्पनी शेयरधारकों को कम लाभ देगी। यदि शेयर धारक को कम लाभ मिलता है, तो इसका अर्थ यह है कि देश की प्रगति नहीं हो रही है; कम्पनियां अच्छा काम नहीं कर रही हैं। इसलिए, इस विषय में कुछ संतुलन बनाया जाना चाहिए।

अब मैं बैंकों से प्रतिदिन 10000 रुपये से अधिक की राशि निकालने पर कर के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आज हमें समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर मिली कि वह सीमा 10000

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संशोधनों में किया गया है।

**श्री पी. चिदम्बरम:** यह संशोधनों में है।

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह:** हां, यह केवल 25000 रुपये है। मैंने यह पढ़ लिया है।

आप बैंकों में निवेश करते हैं, और आप अपना पैसा साधारणत: बैंकों में जमा रखते हैं। वित्त मंत्री सोचते हैं कि जो कोई व्यक्ति अपने सफेद धन जो उसने कमाया है और बैंक में जमा किया है, से पैसा निकालने पर 0.1 प्रतिशत कर लगाकर कालाधन रोक सकेंगे। वित्त मंत्री महोदय, विश्व में किसी अन्य देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपको यह विचार कहां से प्राप्त हुआ है कि इससे कालाधन रोका जा सकेगा। जब आप कुछ वर्ष पूर्व भी वित्त मंत्री थे, तब आपके मन में कालाधन रोकने के कुछ विचार आये होंगे। आपने कुछ योजनाओं पर विचार किया था जो काला धन बाहर निकाल सकती थीं। देश में कालाधन संबंधी यह बुराई समाप्त की जा सकती है, लेकिन बैंक से निकाली गई राशि पर इस तरह कर लगाकर नहीं। आज, 20000 रुपये कितनी राशि है? आप 20000-25000 रुपये से क्या खरीद सकते हैं? यदि आप विदेश नहीं जा जा रहे हैं, बल्कि चेन्नई या ऐसी अन्य जगह ही जा रहे हैं और कुछ खरीदना चाह रहे हैं। आपको अपनी तीन से पांच दिनों की जरूरतों के लिए ही इसके अधिक पैसे की आवश्यकता होगी। आप हमेशा उन व्यक्तियों को ही सुविधा में क्यों डालते हैं जो अद्यतन उपलब्ध कार्डों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं? आप उनसे ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं कि वे नकद राशि साथ न लेकर चलें और हमेशा कार्ड ही प्रयोग करें? ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छानुसार पैसा प्रयोग करना चाहते हैं। कुछ भी है, यह उनका पैसा है जो उन्होंने कमाया है और बैंक में जमा किया हुआ है।

अन्त में, मैं इस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा कि कुछ आय से 1 लाख रुपये की कुल कटौती कर प्रावधान एक सराहनीय कदम है। कर पद्धति जिसमें नई ईईटी के अंतर्गत पैसा निकालने के लिए काफी भ्रम होता है। इसके अतिरिक्त, बचत सुविधाओं और इसमें बकाया के संबंध में उल्लेख किया गया है। पीपीएफ या एनएससी के मामले में क्या होने वाला है, इसे आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें क्योंकि सरकार का उन व्यक्तियों से यह वायदा था जो पीपीएफ या एनएससी लेते हैं। मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या होने वाला है। कृपया उसका उत्तर यथा संभव दीजिये।

अंत में, मैं यह दोहराता हूं कि वित्त विधेयक में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनमें विशेषत: 95,312 करोड़ रुपये का घाटा है जो कि 1.144 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा है जो शून्य आधारित बजट के एफआरबीएम अधिनियम के स्तर तक हमें नहीं ले जा सकता है।

**श्री के.एस. राव** (एलूरू): महोदय, मैं वित्त विधेयक में वित्त मंत्री महोदय द्वारा लाये गए कुछ अच्छे प्रस्तावों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ बिन्दुओं पर ही ध्यान केन्द्रीत करना चाहूंगा। जिसका कारण यह है कि मुझे कम समय दिया गया है। मैं सभा में अपने उन अनुभवों का जिक्र करना चाहूंगा जो अपने चुनाव क्षेत्र के गांवों में जाकर लोगों से बातचीत के दौरान हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने वित्त मंत्री महोदय को प्रत्यक्ष कर की ब्याज दर में कटौती करने के लिए बधाई दी है। मूलत: मैं वित्त मंत्री महोदय से एक बात ही जोर देकर कहना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों कमजोर होती जा रही है। वह मूलत: ऊंची ब्याज दर के कारण ही है। मैंने देखा कि पश्चिम और मुस्लिम देशों में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है। मुस्लिम देशों में ब्याज नहीं लिया जाता है। थोड़ा-बहुत ब्याज जो वे लेते हैं वह उद्यमियों या उधार लेने वालों से थोड़ा निजी भागीदारी के माध्यम से लिया जाता है। परन्तु कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। बाजार में उच्च ब्याज दर होने के कारण अमीर लोग बिना किसी प्रयास के धन अर्जित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपके पास धन है तो आप घर बैठे ही प्रत्येक वर्ष सुनिश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोगों को आलसी बने रहने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों को जोखिम संबंधी निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं और न ही हम उन्हें उत्पादकता से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

ब्याज दरों से केवल विनिर्माताओं बल्कि कृषकों पर भी असहनीय बोझ पड़ रहा है। हमने देखा कि हाल ही में देश के अनेक भागों में कृषकों ने आत्महत्या की हैं। ऐसा ब्याज के बोझ के कारण हुआ है। सार्वजनिक संस्थाओं में धन उपलब्ध होने के कारण वे निजी साहूकारों से इस आशा से ऋण लेते हैं कि वे अपनी थोड़ी-बहुत भूमि से कुछ कमा लेंगे। वे साहूकारों से लगभग 24, 36 या 48 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेते हैं। वे कितना ही प्रयास क्यों ना करें यदि प्रकृति उनका साथ नहीं देती है तो वे ऋण जाल में फंस जाते हैं जिसे वे कई वर्षों तक चुका नहीं पाते हैं। यदि लगातार तीन वर्षों तक भी अच्छी फसल होती है तब भी वे अपना ऋण नहीं लौटा सकते हैं। उनके द्वारा आत्म हत्या करने का यही कारण है। यदि किसी भी कारण से दो वर्षों तक फसल बरबाद होती है तो वे बच नहीं सकते। इसलिए कृषकों

तथा विनिर्माण उद्योग के लिए ब्याज दरों में व्यापक कमी की जानी चाहिए।

यह कहना सही है कि कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में डाली गई रकम जिस पर एक निश्चित आय प्राप्त होती है आगामी वर्षों में इसके मूल्य में मुद्रा स्फीति के कारण कभी नहीं आनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। ब्याज दर और मुद्रास्फीति में संतुलन निश्चित रूप से होना चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा बनाए जा रहे प्रस्ताव में लोगों को बचत करने और किसी उत्पादकता से जुड़े क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसे निजी तौर पर अन्य व्यक्तियों या सरकार को ब्याज पर धन देने के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। यदि कोई व्यक्ति एक लाख रुपये बचा कर 10 या 11 प्रतिशत ब्याज पर किसी वित्तीय संस्था में जमा करता है तो उसका निर्णय यह दर्शाता है कि उसने विनिर्माण इकाई या किसी एक व्यक्ति के हाथों में वित्तीय संस्था के माध्यम से निवेश किया है। परन्तु उस व्यक्ति को जिसने यह पैसा बचाया है उसे किसी उद्योग या स्थानीय कारोबार जिसका उसे ज्ञान है, में यह पैसा निवेश करने की सुविधा दी जाए तो वह अपने ज्ञान का उपयोग करके सही निवेश करेगा।

सार्वजनिक संस्थाओं में जमा लाखों करोड़ों रुपये के उपयोग को बैंकर या वित्तीय संस्था के अध्यक्ष को दुरूपयोग करने की अनुमति देने की बजाए यह बेहतर होगा कि विकल्प पैसा बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाए। मुझे माननीय वित्त मंत्री को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ब्याज की घटी दरों से अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। आज हम देश के अनेक भागों में लोगों को मकान, उपभोक्ता वस्तुएं, मोटर साइकिल, कार आदि खरीदते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऋण कम ब्याज पर मिल रहा है और यह आसानी से मिल जाता है। इसके कारण विनिर्माण उद्योग सहित समस्त अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। यदि उनको धन उपलब्ध नहीं होगा तो वे यह सब नहीं कर सकते हैं।

कम ब्याज दर से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी तथा मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी। ब्याज दर वृद्धि के कारण कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप गरीब और बचत करने वालों पर बोझ पड़ेगा। अत: मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि ब्याज दर के अध्ययन पर जोर दें और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, कृषकों और छोटे विनिर्माताओं के लिए इसमें कटौती करें। सरकार द्वारा बड़े विनिर्माताओं के लिए भी कम ब्याज दर पर निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दर 1.5 से 2 प्रतिशत है तो हमारी ब्याज दर 9 से 14 प्रतिशत क्यों हो? मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि इसमें कमी नहीं की जा सकती है। महोदय, निर्धन लोग बड़ी आशा और उम्मीद से प्रधान मंत्री राहत कोष से कुछ निधि प्राप्त करने हेतु संसद सदस्यों से संपर्क करते हैं। संसद सदस्य की हैसियत से निर्धन लोगों के लिए कुछ राहत हेतु हम भी बड़ी आशा से लिखते हैं। परन्तु एक महिने में एक व्यक्ति के लिए भी हम इस कोष से कुछ भी सहायता देने में असमर्थ हैं। हम उन्हें कोई भी नकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वित्त मंत्री को प्रधान मंत्री राहत कोष में तत्काल ही भारी राशि जमा करनी चाहिए परन्तु इस कोष में अंशदान और दान करने वाले व्यक्तियों को वित्त मंत्री द्वारा कम से कम कर में छूट दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि इस पर पहले ही शत-प्रतिशत कर में छूट है। परन्तु इस छूट के बावजूद दानकर्त्ता यह सोच सकता है कि उसे अपनी दान की राशि में 60 से 65 प्रतिशत हानि हो सकती है क्योंकि उसे छूट के तहत मात्र 35 से 38 प्रतिशत मिलते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रधान मंत्री राहत कोष में दान करने वाले व्यक्तियों के लिए राहत में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि संसद सदस्यों के माध्यम से इस कोष से गरीब लोगों को सीधे सहायता मिलती है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा किसानों को तिलहन उत्पादन हेतु बढ़ावा देने से संबंधित है। आज हमारा देश भारी मात्रा में खाद्य तेल का आयात कर रहा है। यदि हम तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने जैसे लाभ देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक करके किसानों को बढ़ावा दें तो हमारे किसानों को फायदा होगा न कि अन्य देशों को, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि विभिन्न किस्मों की फसलों को उगाने और तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनाएं जिससे कि आयात कम किया जा सके इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लाभ हमारे किसानों को मिलेगा न कि अन्य देशों को। जब हमारे किसानों में देश में ही तिलहनों की पैदावार हेतु क्षमता, ज्ञान और उद्यमशीलता है तो हम तेल का आयात क्यों करें? हमारे देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रगतिशील किसान हैं जो तिलहनों के उत्पादन में सक्षम हैं, देश की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तथा हमारे देश के अन्य भागों में खाद्य तिलहनों का निर्यात कर सकते हैं। बदले में इससे फसल विविधीकरण में भी सहायता मिलेगी। जब हमारे किसान एक क्षेत्र विशेष में एक ही तरह की फसल उगाने के आदी हो जाते हैं, तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और बाजार में मूल्यों में गिरावट आती है, उनकी आय में कमी आती है। इस प्रक्रिया से हमारे किसानों को भारी नुकसान होता है।

**सभापति महोदय:** कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री के.एस. राव:** महोदय, मुझे दस मिनट का समय दिया गया है। मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषकों को राजसहायता देने से धन की बर्बादी नहीं होती। मेरा यह मानना है कि स्थानीय कृषकों और गरीब लोगों को राजसहायता देने से धन बर्बाद नहीं होगा। वास्तव में इससे विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलेगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री से स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू करने के बारे में विचार करने का भी अनुरोध करता हूं। यदि लोगों के कौशल को बढ़ाया जाएगा तो आय अपने आप बढ़ेगी और इससे उत्पादन लागत को कम करने में भी सहायता मिलेगी। यद्यपि हमारे देश में बड़ी संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ हैं, फिर भी ऐसे कुशल लोगों की कमी है जो अधिक उत्पादन कर सकें। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह देखें कि उद्योगों में लोगों को संभावित आवश्यकता की तुलना में अधिक लोगों को दक्ष बनाना अनिवार्य करने की दृष्टि से उद्योगों को सर्वोत्तम प्रोत्साहन कैसे दिया जाये।

मैं एक बात के लिए उनसे पुन: आग्रह करूंगा। मैंने माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था और पूछा था कि क्या वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर सकते हैं। सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्य बीमा में शामिल निगमित क्षेत्र की कम्पनियों को जीवन बीमा के साथ इस बीमा को सांविधिक बना देने से उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि उनके लिए जीवन बीमा एक लाभदायक मद है और स्वास्थ्य बीमा अंतिम मद। अत: कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं करना चाहता, परंतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसे अनिवार्य बनाए जाने पर विचार करना चाहिए और 30 प्रतिशत प्रीमियम केवल स्वास्थ्य बीमा के लिए होना चाहिए तथा ये इन निगमों पर लागू होना चाहिए जो जीवन बीमा में शामिल हैं। माननीय मंत्री को इस पर सोचना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार गांवों में 60 वर्ष की आयु से ऊपर गरीब लोगों को जो असहाय और निराश्रय हैं और जिनकी स्थिति दयनीय है, पेंशन देने के संबंध में भी सोचना चाहिए। असंगठित क्षेत्र और गांवों की गरीब जनता जो अत्यन्त दुख भोग रही है उनके लिए निधियां प्रदान करने संबंधी प्रावधान को बढ़ाना चाहिए।

इसी प्रकार, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शिक्षा ऋण के संबंध में ब्याज दर को घटाकर चार या पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए। मैं उन निर्धन विद्यार्थियों, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं, को सुनिश्चित ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें बधाई देता हूं पर ब्याज दर कम होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन और आशा करता हूं कि वे और अधिक सुधारवादी बनेंगे।

[हिन्दी]

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, फाइनेंस बिल पर चर्चा चल रही है। हम भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। मात्र तीन-चार बिन्दुओं पर हम माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। एक बिन्दू यह है कि काला धन रोकने और निकालने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया कि 10 हजार रुपये की जो निकासी करेगा, उस पर टैक्स लगेगा, जब सदन में इस पर चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने आग्रह किया तब आपने इसे 25 हजार रुपये कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह काला धन निकालने का तरीका है या काला धन बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि सब जानते हैं कि जिन लोगों के पास ज्यादा पूंजी है, वे उस पूंजी को कैसे और कहां रखते हैं। वित्त मंत्री जी इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि वे इस मंत्रालय का संचालन करते हैं। इसलिए उनको जानकारी होगी। जो लोग बैंकों में पैसे रखते हैं, वे देहाती इलाकों में रहने वाले मजदूर किसान या मजदूरी पर आधारित लोग हैं। आपने कृषि को कर से मुक्त किया है। कृषि से जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को गांव के किसान बैंक में रखते हैं। पहले किसान बैंक में इतना पैसा जमा नहीं करते थे लेकिन इधर परिस्थितियां बदली हैं। चारों तरफ अपराध और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग समझते हैं कि अगर बैंक में पैसा रहेगा तो यह सुरक्षित रहेगा। हालांकि हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देना, सरकार की जवाबदेही बनती है। इसमें चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, सभी विफल रही हैं। उसी विफलता के कारण लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। अगर पैसा थोड़ा भी हो तब भी वे उसे बैंक में जमा करते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे।

अब जब आप उस पैसे पर टैक्स लेना शुरू करेंगे तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे क्योंकि देहात में जब बच्चियों की शादी होती है या गांव के गरीब लोग बीमार होते हैं, तो इलाज के लिए, आपरेशन के लिए दिल्ली जैसे शहर में आते हैं जहां एक ही किश्त में उनसे पैसा ले लेते हैं। जब कोई किसान अपनी कमाई का पैसा, मजदूरी का पैसा बैंक में जमा करता है, उस पैसे को जब वह अपनी बेटी के विवाह के लिए या अपने इलाज के लिए निकालेगा तो आप उस पर टैक्स वसूलेंगे। इसका मतलब यह है कि आप सरकारी बैंकों में पैसा जमा मत कीजिए। जब उसके पैसे की सुरक्षा वहां नहीं है तो वह निजी बैंकों की तरफ बढ़ेंगे। सरकार की नीयत निजी बैंकों को, जो निजी उद्योगपति हैं, उनको प्रोत्साहन देने और उनके बैंकों में पैसा जमा कराने की है।

एक तरह से सरकार की साजिश निजी बैंकों को मुनाफा कमाने देने की चल रही है कि लोगों को उनमें पैसा जमा कराने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि उससे भी लोग प्रताड़ित हैं। कौन-कौन से बैंक अभी तक गांवों में आए हैं और गांवों के लोगों को लूटकर भाग गये हैं। फिर हम आपसे कहते हैं कि इस पर थोड़ा सा आप विचार करिए कि कैसे गांवों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय किसानों की परिस्थिति को देखकर पैसा निकालने वाले लोगों को टैक्स मुक्त किया जा सके। यह गांवों, किसानों और मध्यम वर्ग के हित में होगा।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि 25,000 रुपये तक जो व्यक्ति पैसा निकालेगा, उस राशि पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री जी, हम एक बात जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसमें विधान सभा के लिए शायद 15 लाख और लोक सभा के लिए 25 लाख रुपये तक आपने खर्च का प्रावधान बनाया है। सारे लोग जानते हैं कि चुनाव चंदे के पैसे से होते हैं। हम लोगों की छोटी पार्टी है, हम भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है, करोड़ों में खेलकर चुनाव लड़ने का काम करती हैं, हमें नहीं लगता है कि कोई पार्टी अपने घर में पैसे पेड़ पर रखती होगी कि उसे हिलाकर पैसा गिरा लेती होगी और उससे चुनाव लड़ लेती होगी। कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। वह पैसा चंदा ही एक साधन हो सकता है। आपने 25 लाख रुपये का चुनाव पर खर्च करने का अधिकार दिया है कि हम 25 लाख रुपये तक चुनाव पर खर्च कर सकते हैं। उसी समय यदि किसी ने 25 लाख रुपये का चैक दिया और आप उस वक्त उस पर टैक्स लगाइएगा तो 25 लाख रुपये पर लगभग 8 लाख रुपया टैक्स होगा। तब उस परिस्थिति में दो ही रास्ते होंगे कि या तो जो चुनाव का हिसाब दिया जाता है, उसमें चोरी की जाए और नहीं तो कहीं अलग से इन्तजाम किया जाए अन्यथा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये सब अव्यावहारिक बातें हो रही हैं और इन अव्यावहारिक बातों पर वित्त मंत्री जी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए नहीं तो इसका एक और तरीका है कि सरकार चुनाव खर्च का जिम्मा ले और चुनाव लड़ाए, लोगों का एक मंच बना दे और हम दल के लोग वहां भाषण दें, इस तरह की व्यवस्था करा दे। इस तरह का नया कानून बनाना, लोगों को उलझाने वाला कानून बनाना और लोगों को मूर्ख बनाने वाला कानून हमारी समझ में कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा।

तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की चर्चा इस सदन में चल रही है। हम भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं समझ पाते हैं। ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार की परिभाषा की व्याख्या आज आपको नये ढंग से करनी होगी। भ्रष्टाचार की जड़ हम मानते हैं कि जो पहले सामाजिक कार्यकर्ता होते थे, जो राजनैतिक लोग होते थे, उनको एक पहरेदार के रूप में बैठाया जाता था कि खजाने की आप पहरेदारी करिए लेकिन अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पैसे के ढेर पर बैठाया जा रहा है। अब जो चुनाव होते हैं, वे 4-5 स्तर पर होते हैं, मुखिया से लेकर जिला परिषद् विधान सभा लोक सभा तक और जिस ढंग को प्रक्रिया लादी गई है, उसमें हम आपको खुलकर कहना चाहते हैं कि आपने पंचायतों को जो रुपया देने का काम किया है, पहले वह रुपया प्रखंड के माध्यम से खर्च होता था, पदाधिकारियों के माध्यम से खर्च होता था और जो प्रखंड के प्रतिनिधि होते थे, वे उसकी निगरानी करते थे। आज आपने उनको चैक काटने का अधिकार दे दिया है। जब उनको चैक काटने का अधिकार दे दिया है तो मैं वित्त मंत्री जी, आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उन सब चैकों की जांच करवा लीजिए, ऐसे चैक काटने वाले 90 से 95 प्रतिशत तक मुखिया आज जेल में होंगे। सारे पैसे की बंदरबांट होती है, लूट होती है, लोग लुटते हैं और कल तक जिस पदाधिकारी के हाथ से रुपया खर्च होता था, आज उस पर दाग लग रहा है। अधिकारी उसकी निगरानी कर रहे हैं। जन प्रतिनिधि जहां निगरानी करने का काम करते थे, आज उस निगरानी में क्या होता है कि दोनों हिस्सेदार हो जाते हैं।

उसी तरह जिला परिषद में आप हर जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपया भेज रहे हैं। वित्त मंत्री जी, एक बार आप समीक्षा करवाइए कि जो पैसा आप भेज रहे हैं, वह खर्च किस ढंग से होता है और धरातल पर कितना प्रतिशत पैसा उतरता है? एम.एल.ए. और एम.पी. फंड तो सत्यानाश का कारण बना हुआ है। हम आपसे सीधे शब्दों में कहते हैं कि कोई एम.पी. कमीशन लेता है यहीं लेता है, उसे हम नहीं जानते हैं लेकिन लोगों के मन में एक शंका बनी हुई है कि जो पैसा जाता है, इसमें. कमीशनखोरी होती है। उदाहरण के लिए आपने डिपार्टमेंटल वर्क शुरू कराया, तो जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके कार्यकर्त्ता समझते हैं कि पैसा आपने लिख दिया, काम हम कराएंगे और चूंकि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के नाम से वह पैसा होता है और एक-एक के जिम्मे 2-2 और 3-3 ब्लाकों का काम संभव नहीं हो पाता है तो वे किसी न किसी को पैटी कांटेक्ट में देते हैं और हम दावे के साथ कहते हैं कि 40 से 45 प्रतिशत तक की उसमें कमीशनखोरी होती है। जब आप निगरानी करने वालों को खजाने पर बैठाएंगे, जिन पर निगरानी होती थी, वे आपके प्रति कितनी आस्था रखेंगे, कितना विश्वास रखेंगे और आप कैसे समझते हैं कि उन पर अंकुश लगाइएगा? इसलिए हम तो यह निवेदन करेंगे कि सांसद निधि को समाप्त कर दीजिए, इससे सांसदों की सेहत में सुधार आएगा। इसी प्रकार आप राज्य सरकारों से भी बात करके विधायक निधि को भी समाप्त कर दीजिए। यदि आप इन सब कामों को करेंगे तभी आपके प्रतिनिधि निगरानी की हैसियत में

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

रहेंगे अन्यथा तो हम तो यही मानते हैं कि जैसे महाभारत में शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि सत्ता पर कब्जा जमाना है तो खजाने का ताला खोलकर धन लोगों में बांटों, इससे कम से कम कुछ लोग तुम्हारे समर्थन में आ ही जाएंगे। हमें लगता है कि समर्थन जुटाने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप इस तरह से खजाने को लुटाने का काम कर रहे हैं। धरातल पर जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। कल तक जिन अधिकारियों, आईएएस और आईपीएस को हम लोग कहते थे कि ये देश के कर्णधार हैं, वे आज बाढ़ जैसी घटना के संबंध में आपने देखा कि किस तरह खजाने को लूटने में लगे हैं। एक कलेक्टर ने जिस बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव भी नहीं जा सकती थी, वहां ट्रकों से माल भेजना दिखाकर 18 करोड़ रुपए का घपला कर दिया। जहां लोग जीने और मरने की स्थिति में फंसे हुए थे, वहां भी एक आईएएस ने इतना बड़ा घोटाला किया। उन पर निगरानी रखने का क्या तरीका होगा? केवल कागजी शेर बनने से काम नहीं चलेगा। आप कागजी खेल से बचिए और देश को भी बचाइए।

महोदय, बेरोजगारी की भी चर्चा हुई है और हमारे एक मित्र ने बेरोजगारी हटाने और रोजगार बढ़ाने का तरीका बताया है फूड फार वर्क प्रोग्राम और कहा कि इससे रोजगार मिल रहा है और बेरोजगारी समाप्त हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तरह की अव्यावहारिक बातों पर इस सदन में कब तक चर्चा होती रहेगी। फूड फार वर्क प्रोग्राम जिस तरह से चलता है और उसमें जिस तरह से काम किया जा रहा है उन सब बातों पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। वित्त मंत्री जी, हमारी नजर से रोजगार उसे कहते हैं जिससे रोजी-रोटी चलती है, जो बराबर मिलता है। वैसे तो हमारे यहां गांवों में लोग दूसरों के खेत में मेहनत-मजदूरी करके भी रोजी-रोटी चला लेते हैं, खेत जोतकर और पटवन करके भी रोजी चलाते हैं। लेकिन आप फूड फार वर्क कार्यक्रम में यह जो पैसा और अनाज भेजते हैं, वह केवल कागजी हिसाब है। इसका पैसा तो केवल कागजों पर दिखाया जाता है कि इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो और सारा अन्न खुले बाजार में बिकता है।

**सभापति महोदय:** कृपया आसन की ओर मुखातिब होकर अपनी बात कहिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और रोजगार घट रहा है। महोदय, हाथ से काम होता था, उससे अनेक पद सृजित होते थे। लेकिन आज देश डेवलप हो गया है, नई-नई मशीनें और तकनीकें आ गयी हैं, कई आदमियों का काम मशीनों की सहायता से अकेला आदमी कर लेता है। कम्प्यूटर के माध्यम से एक ही आदमी पूरी फैक्टरी का निरीक्षण कर लेता है। इसके कारण आज पद घट रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है। अगर देश में पदों का सृजन नहीं होगा तो उससे अन्य नुकसानों के साथ ही अपराध बढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है। आज जितना अपराध बढ़ रहा है, उसके पीछे बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन कीजिए। इसके बारे में मैं एक सूझाव देना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेरोजगारी घटाने में मदद मिलेगी। आज तो बीए, बीएससी, एमए, डाक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और वे छोटी-छोटी नौकरियों के लिए सिफारिश करे हैं कि हमें किसी प्राइवेट कंपनी में ही लगवा दीजिए। इस समय तो मीडिया में भी नौकरी पाने के लिए लोग टेलीफोन करने के लिए कहते हैं, चाहे नौकरी लगे या न लगे। वोट की जरूरत के चलते, उनके लिए टेलीफोन भी करना पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि आप योग्यता के आधार पर आप कुछ पैसा और कुछ समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, जैसे मैट्रिक पास के लिए दो लाख और वापसी की समय सीमा दो साल। इसी प्रकार अलग-अलग योग्यताओं के हिसाब से अलग-अलग धनराशि और समय सीमा तय कर दीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि इस समय सीमा के बाद इस पैसे की किस्तों में वापस ले लिया जाएगा। इससे मेरा मानना है कि उस समय सीमा के भीतर ही वह व्यक्ति उस पैसे से न केवल अपने जीवनयापन के लिए रोजगार बना लेगा, बल्कि वह आपका ऋण भी लौटा देने के योग्य बन जाएगा। मेरा मानना है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश हित में आपको ऐसा करना चाहिए।

**अपराह्न 4.00 बजे**

अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है। हम इनके जवाब के समय जानना चाहेंगे कि ऐसा करने से मूल्यों में कितना अंतर पड़ा है? इस तरह से कागजी खेल खेलकर इन्होंने मूल्यों को बढ़ाने का कार्य किया है और इस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी मूल्य-वृद्धि की ओर देश को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री रेवती रमन सिंह** (इलाहाबाद): मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को ईमानदार और काबिल मिनिस्टर मानता हूं। इसीलिए जब यह सरकार बनी तो उस समय यह कहा गया कि यह बजट क्लीन बजट के रूप में प्रस्तुत होगा। मान्यवर, मैं एक बात के लिए इनको और बधाई दूंगा कि जहां जीडीपी पहले 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया था, उसको इन्होंने सात प्रतिशत पर पहुंचाने का काम किया है और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन

मान्यवर, मेरे हिसाब से इसमें कुछ खामियां भी दिखाई पड़ती हैं और यह ठीक है कि जहां कुछ अच्छाईयां होंगी वहां कुछ खराबियां भी होंगी। इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी दिखाई पड़ती है वह यह है कि अभी वैल्यू एडिड टैक्स आपने लगाया जोकि देश के कई राज्यों में लागू है और कई राज्यों में लागू नहीं है। लेकिन आज स्थिति क्या है? एक अप्रैल से वैल्यू-एडिड टैक्स लगा और आज दो मई है। एक महीने से ज्यादा समय हो गया है लेकिन अभी भी पूरे देश में कंफ्यूजन बरकरार है। आज लोगों को यह पता नहीं है कि किस वस्तु पर कितना प्रतिशत वैल्यू-एडिड टैक्स लगा या नहीं लगा। मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूं। अभी डीजल पर एक महीने के बाद टैक्स कम हुआ लेकिन एलपीजी पर कम होगा कि नहीं, यह निर्णय आज तक नहीं हो पाया है। बहुत सारी चीजों पर कंफ्यूजन बरकरार है। जहां टैक्स लगा है और जहां नहीं लगा है ऐसे बहुत से राज्य हैं और यूपी, राजस्थान और कई राज्यों से लोग सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं लेकिन दिल्ली या दूसरे राज्यों में जहां वैल्यू-एडिड टैक्स लगा है वहां से सामान नहीं खरीद रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह का जो कंफ्यूजन है उसे वह शीघ्र समाप्त कराएं और समयबद्ध तरीके से समाप्त कराएं। अभी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं और पूरे सदन की यह राय है कि 25 हजार रुपया आपने बैंक से निकालने का प्राविजन किया हैं। लेकिन अगर प्लेन का दो बार का टिकट खरीदना पड़े तो 25 हजार से ज्यादा रुपया निकालने की जरुरत पड़ती है। हमें लखनऊ आना-जाना है और दो टिकट खरीद, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेडिकल बिल देना है, उस पर भी हमें यह टैक्स देना पड़ेगा। यह आम आदमी को देना पड़े, यह उचित नहीं होगा। इसके पीछे पता नहीं क्या लाजिक है जो मेरे जैसे आदमी को कम से कम समझ नहीं आता कि इससे ब्लैकमनी कैसे रोकेंगे? हमारे हिसाब से वह इससे कहीं नहीं रुकती है। ब्लैकमनी वालों के दूसरे तरीके के धंधे हैं। उनके कई प्रकार के लूप-होल्स हैं। आप पहले भी दूसरी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं और आपको पूरी तरह से मालूम है कि ब्लैकमनी का धंधा कैसे चलता है, लेकिन हम 25-30 हजार रुपए बैंक से निकालें तो हमें टैक्स देना पड़े, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब जवाब दें तो कृपया तमाम सदन के सदस्यों को भी समझाने का काम करें कि इससे कैसे ब्लैकमनी रुकेगी और इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है।

इसी तरह से फिसकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है जो चिन्ता का विषय है। इसमें दो राय नहीं है कि आपका एक तरफ जीडीपी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ फिसकल डेफिसिट बढ़ रहा है। यह कम होने की बजाय बढ़ रहा है। पहले की सरकारों ने कहा और आपने भी कहा कि हम इसे कम करेंगे लेकिन आज तक वह कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है जो बहुत चिन्ता का विषय है। आप इसे कैसे कम करेंगे? हम चाहेंगे कि जब आप जवाब दें तो इस संबंध में भी बोलने का काम करें।

देश के 65 फीसदी लोग जो गांवों में रहते हैं, वे किसान हैं और खेती पर आधारित हैं। उनके लिए बजट में जो प्रावधान किया है वह बहुत ही कम है। इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। अमेरिका और दूसरे देशों में किसानों को सबसिडी के रूप में सीधे छूट दी जाती है लेकिन आप जो छूट देते हैं वह इंडस्ट्री को चली जाती है या बिचौलियों के पास चली जाती है। चूंकि समय कम है, मैं एक बात कह कर खत्म करूंगा। आप नाबार्ड से 5 परसैंट पर कर्जा लेते हैं और किसानों को साढ़े नौ-दस परसैंट पर कर्जा देते हैं जिस पर ब्याज भी लगता है, चक्रवर्ती ब्याज भी लगता है। इसके कारण किसान बड़ी संख्या में तमाम राज्यों में आत्महत्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसका 6 या 7 परसैंट से ज्यादा बैंक रेट नहीं होना चाहिए। आप इस पर विचार करिए।

*[अनुवाद]*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, मैं तत्काल कार्यवाही के लिए वित्त मंत्री और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा।

हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यदि 70 प्रतिशत जनता खुश रहेगी तो राष्ट्र भी काफी खुश रहेगा। हमारे देश में इस कृषि क्षेत्र को क्या हुआ? उत्तरोत्तर सभी सरकारों ने कृषि समुदाय के बारे में बात की पर किसी ने उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं आंध्र प्रदेश का एक उदाहरण दे रहा हूं। बजट और वित्त विधेयक पर अनेक सदस्यों ने भाषण दिया है। सबने कई बातें कही है जैसे कि यह एक अच्छा बजट है 'यह किसानों का बजट है' यह आर्थिक विकासोन्मुख बजट है। हमारे देश में पिछले एक वर्ष में हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने भी इस सभा में कहा था कि यह एक शर्मनाक बात है तो इसके क्या कारण हैं? कृषक समुदाय आत्महत्याएं क्यों कर रहा है? इस संबंध में क्या अब तक कोई आकलन किया गया है। केन्द्र सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार को सत्ता में आए अब एक वर्ष हो गया है। इन बारह महीनों में हम किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को क्यों नहीं रोक पाए हैं। *...(व्यवधान)*

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा): एन.डी.ए. सरकार के दौरान सबसे अधिक आत्महत्याएं की गईं *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री के. येरननायडु के भाषण के आलवा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सांम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** महोदय, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं ...*(व्यवधान)* मैंने जितनी बार भी इस मुद्दे को उठाया है उन्होंने एन.डी.ए. और टी.डी.पी. सरकारों को दोष दिया। ठीक है, वे हमें दोषी ठहरा सकते हैं। पर इस बार जनादेश यू.पी.ए. सरकार को मिला है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने गत एक वर्ष में क्या किया ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री के. येरननायडु के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** ठीक है एन.डी.ए. और टी.डी.पी. सरकारें इसे नियंत्रित नहीं कर पाईं पर इसे नियंत्रित करने के लिए इस सरकार ने क्या किया। मैं यह पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, घरेलू उत्पादों में वृद्धि मुख्यत: तीन घटकों पर निर्भर करती है। पहला सेवा क्षेत्र, दूसरा उद्योग और तीसरा कृषि। यदि कृषि क्षेत्र का निष्पादन अच्छा होता है तो जी.डी.पी. में भी वृद्धि होगी। यू.पी.ए. सरकार के घोषणापत्र में जी.डी.पी. में सात से आठ प्रतिशत तक वृद्धि करने का उल्लेख है। यदि कृषि में अच्छा निष्पादन होता है तो जी.डी.पी. में आठ प्रतिशत से ज्यादा विकास होगा। गत एक वर्ष में कृषि का विकास केवल लगभग 1.1 प्रतिशत की दर से हुआ इसीलिए हम केवल 6.9 प्रतिशत विकास दर तक ही पहुंच पाए हैं और सात प्रतिशत को भी नहीं छू पाए हैं। देश की यही स्थिति है।

न्यूनतम गारन्टी मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सरकार ने किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने और उन्हें धान, मिर्च, तम्बाकू आदि की फसल उगाने के लिए कहा है। सरकार प्रत्येक फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। जब किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा तो भारत सरकार और राज्य सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? क्या सरकार द्वारा अब तक किसी विशेष निधि का गठन किया गया है? यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता और उन्हें अपने उत्पाद की सस्ते दामों पर बिक्री करनी पड़ती है, तो वह इस देश में कैसे जीवित रह पाएंगे?

आंध्र प्रदेश में, मिर्च का उत्पादन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष में बैठे हमारे साथी इस बात को जानते हैं। तम्बाकू का उत्पादन करने वाले किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वे बाजारों में अपनी इस हजारों टन मिर्च की फसल को जला रहे हैं। आंध्र प्रदेश में यही स्थिति है। इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है? यदि हमारे पास भारत सरकार द्वारा सृजित कोई विशेष निधि है, तो सरकार को बाजार मध्यस्थता योजना के अंतर्गत उसमें से तुरंत सहायता देकर बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, तो हमें उसके अनुसार खरीद करनी चाहिए। अन्यथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है? यह मेरा प्रश्न है।

इसीलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि हम कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, यदि यह सरकार किसान हितैषी है, तो सरकार जब और जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, उन्हें तदनुसार वस्तुओं की खरीद के लिए 2000 करोड़ रुपये की एक बड़ी (कॉरपस) निधि सृजित करनी चाहिए। यदि मूल्य सही हैं, तो सरकार को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि हताशा के कारण बिक्री की जाती है या यदि कोई आपदा है, तो भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वस्तुओं की खरीद करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। यही मेरी मांग है।

जहां तक कृषक समुदाय को ऋण का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हमारे देश में किसानों को उचित ऋण नहीं मिल रहा है। लगभग 70 प्रतिशत किसान ऊंची दरों पर साहूकारों से ऋण ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश हैं कि बैंकों को 18 प्रतिशत ऋण केवल कृषक समुदाय को देना चाहिए। स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया है कि मार्च, 2004 तक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों ने कृषि को अग्रिम के रूप में निवल बैंक ऋण का क्रमश: 15.41 प्रतिशत और 15.81 प्रतिशत ही ऋण प्रदान किया है। उसमें से, लघु और सीमांत किसानों का भाग कितना है? मंत्री जी को इसका उत्तर सभा में देना चाहिए। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उन्हें 18 प्रतिशत ऋण भी नहीं मिला है। यह स्थायी समिति के प्रतिवेदन में है। लेकिन, माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि वे अगले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर रहे हैं। हाल ही में, मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र में बताया गया कि अब भी बैंकर गारंटी मांगते हैं। यही सच्चाई है। इसीलिए, पिछले सत्र में, मैंने वित्त मंत्री से पूछा था कि वह समितियां गठित करने में क्यों हिचकिचा रहे थे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए सतर्कता और निगरानी समितियां हैं। वे संसद सदस्यों को उनके

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय चुनाव क्षेत्रों में यह जानने के लिए कि बैंकर उनको कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं, सरकार के निर्देशों के अनुसार, योजनाओं की समीक्षा हेतु नियुक्त क्यों नहीं करते। आप संसद सदस्यों को एसएलबीसी और जिला बैंक समीक्षा समिति जैसी शक्तियां क्यों नहीं देते। संसद सदस्य उनमें उपस्थित होकर सभी बैंकों के अधिकारियों को बुलाएंगे और यह देखेंगे कि क्या वे इसे ठीक से कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं, क्या निवल ऋण का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया जा रहा है या नहीं और क्या ऋण को 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दिया जा रहा है या नहीं। वे इन सब बातों की निगरानी कर सकेंगे। कल वे बैंकरों को भारत सरकार निर्देशों की जानकारी दे सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में सतर्कता और निगरानी समितियों जैसी समितियों की तरह हाल ही में, माननीय मंत्री ने समितियां गठित की हैं वित्त मंत्रालय को सरकार के निर्देशों आदि के उचित कार्यान्वयन के लिए उन समितियों के संबध में भी विचार करना चाहिए।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** महोदय, मैं अपनी बात शुरू ही कर रहा हूं। मैं सभा के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे रखूंगा।

तीसरा मुद्दा यह है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राजशेखर रेड्डी ने एसएलबीसी की बैठक में निर्देश दिये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी निर्देश दिये हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। यह रिकार्ड में शामिल कर लिया गया था। इसलिए, बैंकरों को उन्हें सहायता नहीं देनी चाहिए जो भी कपास, मिर्च और तम्बाकू जैसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसा क्यों है? एक तरफ तो आप अपनी फसल पद्धति में विविधता लाने की बात कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यहां तक नेल्लौर, ओंगोल और कुछ अन्य जिलों में काली मिट्टी केवल तम्बाकू के लिए उपयुक्त है। तब, किसान तम्बाकू के अलावा किसी और फसल का उत्पादन नहीं करेंगे। वे विविधता कैसे ला सकते है? यदि आप बैंकरों को उन्हें ऋण देने से मना करते हैं ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** केवल एक मिनट का समय और लूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

तब, बेरोजगारी गारन्टी अधिनियम भी है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं यूपीए सरकार की प्रशंसा करता हूं। यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश के सभी भागों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों के लिए कम से कम सौ दिन की रोजगार गारंटी संबंधी कानून तुरंत बनाने का वायदा किया था। यह यूपीए सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन है। विगत 12 माह में क्या किया गया? ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल, वह इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। श्री येरननायडु के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं नहीं समझता कि जब श्री पवन कुमार बंसल ने अपना भाषण दिया था, मेरे प्रिय मित्र श्री येरननायडु उपस्थित थे। स्थायी समिति के सभापति जो इस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, वह श्री कल्याण सिंह है ...*(व्यवधान)* श्री बंसल ने यह कहा-कि सरकार की स्थिति यह है-स्थायी समिति को इस सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दीजिए और हम विधेयक पारित कर देंगे। वास्तव में, श्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि इस सत्र में उन्हें प्रतिवेदन प्राप्त करने दीजिए। यदि आप चाहें तो हम किसी अन्य दिवस को बैठक करेंगे, और विधेयक पारित कर देंगे। लेकिन, उन्हें पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दीजिए।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** महोदय, आप केवल स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप इसे अन्यथा कार्यान्वित क्यों नहीं कर लेते? स्थायी समिति की सिफारिशें हमेशा ही होती हैं। आप को उनको कार्यान्वित करने से कौन रोकता है? ...*(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, थोड़ी देर इन्तजार कीजिए। संसदीय नियमों में अब यह अपेक्षित है कि प्रत्येक विधेयक को किसी स्थायी समिति को भेजा जाएगा। यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थायी समिति को भेजा गया है। क्या स्थायी समिति को उस विधेयक की सूचना सभा में नहीं देनी चाहिए? आप अपने अन्दर ही क्यों नहीं झांकते और अपने ही सदस्य को क्यों नहीं पूछते कि वह इसकी सूचना क्यों नहीं दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** इसे लागू करना, लोगों को रोजगार देना बिल्कुल अलग बात है। आपने पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया?

*[हिन्दी]*

आपने एक करोड़ आदमियों को क्यों बेरोजगार कर दिया?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय यदि आप गारंटी चाहते हैं तो गारंटी कानून द्वारा दी जानी चाहिए। विधेयक स्थायी समिति के सामने है। शिकायत यह है कि हम कानून द्वारा रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कि हम कानून द्वारा रोजगार की गारंटी चाहते हैं। कृपया विधेयक को सभा में प्रस्तुत करें। हम किसी और दिन बैठकर विधेयक पारित करेंगे। आप खड़े होकर यह क्यों नहीं कहते हैं कि आप सभा को विधेयक की जानकारी देंगे? *...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी): आपने इसे समिति के पास भेजने में 9 महीने क्यों लगाए? *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री पवन कुमार बंसल:** दिसम्बर में विधेयक, स्थायी समिति के पास भेजा गया था *...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मेरे विद्वान मित्र यह अजीब तर्क दे रहे हैं। छह वर्षों में उन्होंने इस प्रकार के विधेयक पर विचार ही नहीं किया। हम विधेयक लाते हैं और इसे स्थायी समिति को संदर्भित करते हैं। मेरे विद्वान मित्र कहते हैं कि दिसम्बर में इसे समिति को भेजा गया। उनका कहना है कि विधेयक को पारित करने को लेकर वह बहुत उत्सुक हैं लेकिन उनका कहना है कि सभा को इसके बारे में जानकारी देने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त नहीं है।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** तुरन्त लाये जाने की बजाय आप इसे 10 महीने बाद लायें, और फिर उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री येरननायडु के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** सभापति महोदय, यूपीए की अध्यक्ष भी यहां बैठी हैं। मैं सब पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आपने यह घोषणापत्र दिया है। पूरी सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपने विधेयक प्रस्तुत किया है। केवल तीन महीने पहले इस विधेयक को अपने सभा में प्रस्तुत किया। यदि आपने सत्र के बीच में इसे प्रस्तुत किया होता, तो अब तक यह पारित हो जाता। इसी कारण मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

दूसरी बात, इस बीच भी आप यह काम कर सकते हैं। यह आपका घोषणा पत्र है। यह यूपीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपने काम के बदले अनाज कार्यक्रम केवल 150 जिलों में ही लागू क्यों किया? यदि आप इसे पूरे देश में लागू करते तो विधेयक का उद्देश्य पूरा होता। आपने क्या किया? आपने इस कार्यक्रम को केवल 150 जिलों में लागू किया। आंध्र प्रदेश को ही लीजिए। माननीय प्रधान मंत्री ने राज्य के आठ जिलों में इस योजना का उद्घाटन किया। ठीक है। इसके संभवत: लोगों को रोजगार मिल रहा है।

**सभापति महोदय:** श्री येरनायडु, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** मुझे केवल पांच मिनट और बोलने की इजाजत दे। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आंध्र प्रदेश के जिन आठ जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया है, वहां बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में 23 जिले हैं।

**सभापति महोदय:** श्री येरननायडु आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** आठ जिलों में काम के बदले अनजा कार्यक्रम लागू किये जाने से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश के बाकी जिलों का क्या? वहां गरीबी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग वहां भी हैं। वहां बेरोजगार लोग हैं। लेकिन हम उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, सब कुछ परास्त हो जाता है। अत: आपसे मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को पारित कर काम के बदले अनाज कार्यक्रम पूरे देशभर में लागू किया जाना चाहिए। तभी सब लोगों को रोजगार मिलेगा। आप इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले दो-तीन महीनों में हासिल कर लें। मेरी आपसे यही मांग है।

मान लीजिए कि विधेयक के पारित किये जाने के 4 महीने बाद आप राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, संपूर्ण रोजगार योजना और अन्य कार्यक्रमों को मिला देते हैं। तब आप इसे पूरे देश में लागू कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आप क्या कर रहे हैं? ऐसे में आपका घोषणापत्र, आपका आश्वासन पूरा नहीं होगा। अत: मैं आपसे यह मांग कर रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय:** श्री येरननायडू, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** जहां तक पेयजल की बात है, उसके लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिक मिशन है। हमारे देश की समस्यायें विशेष तरह की हैं। कुछ राज्यों में आर्सेनिक की समस्या है। कुछ राज्यों का पानी पीने योग्य नहीं है, कहीं आर्सेनिक की समस्या है। इससे पहले जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, तब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विशेष योजना चलाई गई थी। यदि कोई राज्य किसी परियोजना के लिए धनराशि की मांग करता है तो उसके लिये होने वाले व्यय का 75% केन्द्र सरकार वहन करेगी और 25% हिस्से का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि किसी राज्य में आर्सेनिक या कोई अन्य समस्या थी तो उसका समाधान किया गया। अपनी चुनौतियों से निपटने हेतु राज्यों के पास निधियां है।

**श्री पी. चिदम्बरम:** किसने समाप्त की? *...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** मैं इसकी मांग करता हूं।

संयुक्त मोर्चा सरकार में आप मंत्री थे, और मैं भी मंत्री था। वह योजना हमने शुरू की थी। अब मैं इस सरकार से पूछता हूं कि उस योजना का क्या हुआ वित्त मंत्री के नाते आप उस कार्यक्रम से अवगत हैं। एनडीए सरकार के जाने के बाद राज्यों के हित में आपको उक्त योजना को शुरू करना चाहिए। उस योजना में कुछ भी गलत नहीं है। मेरा कहना है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार ने उस योजना को शुरू किया था।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने उस योजना का उल्लेख किया जो संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा शुरू की गई थी और जो बाद में बंद कर दी गई थी। हमने अब क्या घोषणा की है? मुझे उम्मीद है कि जो कहा गया उस पर आपने ध्यान दिया होगा। ''सभी पेयजल योजनाओं को अब राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत लाया जा रहा है।'' उन बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया गया है। उन मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है। गत वर्ष अर्थात 2004-05 से अब तक, कवर न की गई 31,355 ग्रामीण बस्तियों को पेयजल प्रदान किया गया है। वर्ष 2005-06, के दौरान और अधिक बस्तियों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तत्पश्चात, जल की गुणवत्ता बढ़ाने अर्थात आर्सेनिक तथा अन्य तत्वों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में लगभग 2.16 लाख बस्तियों में, मैं इस मिशन हेतु परिव्यय बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं *...(व्यवधान)* जरा रुकिए *...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** आप केवल अन्य राज्य कह रहे हैं *...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** ये बुरी तरह प्रभावित राज्य हैं *...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** कुछ अन्य राज्यों का क्या अर्थ है? *...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** आपको इस प्रकार चिल्लाना नहीं चाहिए *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** त्रिपाठी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं इस मिशन हेतु वर्तमान वर्ष में 3,300 करोड़ के परिव्यय को बढ़ाकर अगले वर्ष में 4,750 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं'' ताकि इस समस्या पर ध्यान दिया जा सके।

**श्री किन्जरपु येरननायडु:** सभापति महोदय, 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाना ठीक रहेगा। बजट राजस्व आय बढ़ रही है, योजना परिव्यय भी बढ़ रहा है, इससे मंत्रालय का योजना परिव्यय भी बढ़ रहा है। इसलिए, जो भी मंत्री महोदय ने कहा है वह ठीक है। वे विशेष समस्या वाले राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तथा अन्य राज्यों के लिए धनराशि दे रहे हैं लेकिन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत आप जो धन उपलब्ध करा रहे हैं आप उसी में से राज्य सरकारों को विशेष प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए भी कह रहे हैं। संयुक्त मोर्चा की सरकार में इन समस्याओं के लिए एक विशेष राशि थी। आप मंत्रालय के शीर्ष की जांच भी कर सकते हैं। आप जो भी राज्यों को आवंटित कर रहे हैं उन सबको एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, क्या राज्य इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर पाएंगे। पूर्व में संखिया तथा प्रत्येक ऐसी समस्या के लिए विशेष केन्द्रीय कार्यक्रम था। यदि यह सच है तो इन सभी समस्याओं से प्रभावित राज्यों के लिए आप और अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से यही मेरी मांग है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** श्री वीरचन्द्र पासवान। आपको केवल पांच मिनट बोलने के लिए मिलेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्री वीरचन्द्र पासवान** (नवादा): सभापति जी, मैं वित्त विधेयक 2005-06 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि आपने समय निर्धारित कर दिया है, मैं देश के समक्ष उपस्थित कुछ बिंदुओं की चर्चा यहां करना चाहूंगा।

[श्री वीरचन्द्र पासवान]

हमारे देश के वित्त मंत्री एक सुलझे हुए वित्त मंत्री हैं और काफी लंबा अनुभव उनको है। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन के सामने जो परिस्थितियां हैं, आज देश के सामने जो आर्थिक चुनौती है और देश के लोगों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं, उनके अनुरूप ही कार्य करके हम देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। हर साल बजट आते हैं और हर साल वित्त विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। जब बजट का समय आता है और वित्त विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं तो देश के लोग बड़ी उम्मीदें बांधे रहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी चीजें इसमें से उभरकर आएंगी जो देश की तकदीर को बदल देंगी, देश में खुशहाली लाएंगी, लेकिन देश के लोगों को मोटे तौर पर निराशा ही हाथ लगती है।

सभापति जी, हमारे देश में सभी जातियों, धर्मों और मजहब के लोग रहते हैं। इसलिए तमाम लोगों की भावनाओं का यदि हम ध्यान नहीं रखें तो देश में खुशहाली नहीं आ सकती।

महोदय, हम चुनावों में जाते हैं। हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहां की जो जनता है, उसमें सम्प्रभुता है, वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और उम्मीद करती है कि देश के समक्ष जो फायनेंस बिल प्रस्तुत हो, वह ऐसा हो जो उसके नुमाइन्दों, जनप्रतिनिधियों के दर्शन के अनुरूप हो, उनके विचार उसमें दिखाई पड़ें, लेकिन फायनेंस बिल देखने के बाद यह परिलक्षित होता है कि वह उनके दर्शन, उनके विचारों के अनुरूप न होकर किसी तंत्र के द्वारा निर्धारित है।

**अपराह्न 4.31 बजे**

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज बड़ी चिन्ता का विषय है कि हमारा डैफीसिट काफी तेजी से बढ़ रहा है। उसे घटाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर हमारे समक्ष खड़ी है। जनता आज महंगाई के कारण परेशान है। आज डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली उसका बुरा असर जनता पर ही पड़ता है। उसका खमियाजा जनता को ही भुगतान पड़ता है। आप जब भी डीजल की कीमत बढ़ाते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। उसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज गवर्नमेंट का बहुत सारा खजाना इसमें बर्बाद हो रहा है। उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। यह सब्सिडी कालाबाजारियों और बिचौलियों द्वारा हड़प ली जाती है। आज हम केरोसिन आयल पर सब्सिडी दे रहे हैं। सब लोगों को मालूम है कि केरोसिन आयल सब्सिडी देने के बावजूद खुले बाजार में जरूरतमंद लोगों को 20 से 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। इसमें सब्सिडी के रूप में देश की संचित निधि का बहुत सारा धन खर्च कर दिया जाता है। उस सब्सिडी के माध्यम से जिन लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिलती है। यदि केरोसिन आयल के 100 टैंकरों पर सब्सिडी दी जाती है, तो उनमें से 95 टैंकर कालाबाजार में बेच दिये जाते हैं और केवल 5 टैंकर ही मुश्किल से जरूरतमंद लोगों में पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा कालाबाजारियों और बिचौलियों को हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें स्थिर रखी जाएं और केरोसिन आयल पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह चूंकि जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए केरोसिन आयल को नियंत्रण से मुक्त रखा जाए और उसे दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने पर विचार किया जाए।

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देश का किसान आज तक त्रस्त है। यह देश गांवों और किसानों का देश है। जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आज किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के किसानों को बिजली के अभाव में डीजल से, इंजन आयल से खेती करनी पड़ती है और इस प्रकार से उसे एक घंटे में 45 से 50 रुपए व्यय करने पड़ते हैं। यदि यही काम बिजली उपलब्ध हो और उससे किया जाए तो मात्र दो या ढाई रुपए में किया जा सकता है। इसलिए हम केरोसिन आयल पर सब्सिडी देकर कालाबाजारियों और बिचौलियों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आप एक-दो साल के लिए यह सब्सिडी बन्द कर दें और देश के शत प्रतिशत किसानों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु यदि वचनबद्ध हो जाएं और अपने वचन के अनुसार बिजली उपलब्ध करा दें, तो मैं समझता हूं कि देश के किसान खुशहाल होंगे, उनसे जुड़े हुए मजदूर खुशहाल होंगे, उन्हें रोजी-रोटी कमाने के अवसर मिलेंगे और उग्रवाद तथा अलगाववाद तक रोक लगेगी। बेरोजगारी और भुखमरी के कारण देश में जो अलगाववादी और उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगेगी।

महोदय, जब गरीबों को, उनके परिवारों को रोटी नहीं मिलती है, तो उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। उग्रवाद से लड़ने के लिए, हमें देश के हर प्वाइंट पर, जगह-जगह, बहुत बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस रखनी पड़ती है, उन पर हजारों हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि आपको हजारों हजार करोड़ रुपए बचाने हैं, तो आपको किसानों को मजबूत करना होगा, देश की खेती को मजबूत करना होगा और बिजली जैसी

समस्याओं को समयबद्ध तरीके से, एक निश्चित काल में हल करना होगा और निश्चित तौर पर किसानों को बिजली उपलब्ध करानी होगी। तब हमारे देश के किसानों को राहत मिलेगी। तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, उन्हें बढ़ावा मिलेगा और देश आर्थिक प्रगति करेगा। देश में आयकर में जो बढ़ोत्तरी की गई है, वह व्यावहारिक नहीं है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को पूर्ण रूप से आय कर से मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वह आमदनी नहीं होती है, जितनी उन्हें परेशानी मानसिक और आर्थिक तौर पर झेलनी पड़ती है। अगर आप देश की तरक्की और आर्थिक खुशहाली चाहते हैं तो गांव के लोगों को भी वह वित्तीय सुविधा मिलनी चाहिए, जो शहर के लोगों को मिलती है। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि देश के ग्रामीण विकास और वित्तीय विकास के लिए जो 196 रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी, उन तमाम ग्रामीण बैंकों को मिला कर एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाया जाए, ताकि गांव के किसानों एवं मजदूरों को वही सुविधा मिले, जो शहर के लोगों को मिलती है। इसलिए वास्तव में अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो गांव, किसानों और मजदूरों के लिए भी सोचिए। सभापति महोदय, फूड फोर वर्क पर बहुत चर्चा होती है, साल में सौ दिन काम की गारंटी देते हैं। 365 दिन का एक साल होता है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री वीरचन्द्र पासवान, आप अब नहीं बोल सकते हैं। आप पहले ही सात मिनट बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)**

**श्री प्रकाश पराजंपे** (ठाणे): जब आप सदन में बोल रहे थे वे आपके बोलने के तरीके की ही नकल कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री वीरचन्द्र पासवान:** आप हमें यह बताएं कि वह बाकी के 265 दिन कहां खाएगा? क्या अंग्रेजों की तरह सौ दिन का भोजन देकर उसे सिर्फ जिन्दा रखना चाहते हैं, उसे रोजी-रोटी देकर सम्मानजनक जिन्दगी जीने का संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसे अक्षुण्ण रखना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में देश को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, देश को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, देश के पुरातन गौरव को लाना चाहते हैं तो दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर देश के हित में, देश की जनता हमसे जो चाहती है, देश की जनता ने हमें सदन में भेजने का जो काम किया है, उसके अनुरूप काम करें और देश में खुशहाली लाने का काम करें। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री वीरचन्द्र पासवान, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें। आपने बहुत बाधा उत्पन्न की है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री वीरचन्द्र पासवान:** सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब श्री अनंत गंगाराम गीते जी बोलेंगे। प्रत्येक वक्ता को केवल पांच मिनट दिए जाएंगे। यह माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया समय है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** एनडीए के सब माननीय सदस्य जितना बोलना चाहें, उतना बोल सकते हैं, यह तय हो चुका है।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): सभापति महोदय, सदन में फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के दौरान जो चर्चा बजट पर हुई, लगभग वही चर्चा फिर से फाइनेंस बिल पर यहां हो रही है। यह चर्चा इसलिए यहां हो रही है और अपोजिशन की तरफ से खास तौर पर ये बातें इसलिए उठाई जा रही हैं, क्योंकि बजट के बाद सारे देश में इस प्रकार का माहौल खड़ा हो गया कि यह एक ड्रीम बजट है, गरीबों, किसानों और मजदूरों का है, ग्रामीण बजट है और बेरोजगारी को हटाने वाला है। देश की खुशहाली का बजट है, इस प्रकार का माहौल बनाया गया।

सभापति महोदय, दो महीने बीत गए हैं। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा, आपने जो कहा, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री अनंत गंगाराम गीते, आप बहुत ही विद्वान सदस्य हैं यदि आप उन्हें संबोधित करेंगे तो आप भाषण समाप्त नहीं कर पाएंगे। आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति महोदय, मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। पिछले दो महीने में जो माहौल बनाया गया था, वह माहौल, वास्तविकता धीरे-धीरे देश के लोगों के सामने आ गई। आज यह स्थिति है, जैसे श्री येरननायडु जी बोल रहे थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के किसानों की आत्महत्या का जिक्र यहां किया। पिछले दो महीनों में भी आत्महत्याएं हुई हैं, बेरोजगारी भी बढ़ गई और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की गति थी, वह गति भी दुर्भाग्य से आज रुक गई है। वित्त मंत्री जी आंकड़ों के खेल में माहिर हैं, बिल्कुल बाजीगर हैं। वे आंकड़ों के जाल में इस प्रकार से फंसाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे वे स्वयं भी उस जाल में फंस गये। इसलिए जब मल्होत्रा जी ने आज कुछ मुद्दे यहां पर रखे, उसमें खास तौर से पैंशनर्स के बारे में था। जब यहां पर वित्त मंत्री जी बजट भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था, जैसे ही पैंशनर्स का विषय आया कि यह आपका क्षेत्र नहीं है, पैंशनर्स का हमारा क्षेत्र है। आज सचमुच पैंशनर्स को क्या मिल रहा है। आज देश के सारे पैंशनर, जो 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, वे सारे दुखी हैं। पिछले साल उन्हें जो लाभ मिल रहा था, आज उन्हें उससे भी कम लाभ मिल रहा है। जैसे यहां पर मल्होत्रा जी ने कहा, उनको 20 हजार रुपये की छूट मिलती थी, जो सहूलियत आम आदमी को दी है, उससे भी ज्यादा 20 हजार रुपये की रिबेट उन्हें मिल रही थी, जो अभी 12 हजार रुपये पर आ गई है तो उन्हें आठ हजार रुपये का घाटा हो गया। महिलाओं को जो पांच हजार रुपये का बैनीफिट रिबेट के तौर पर मिल रहा था, वह 3500 रुपये पर आ गया तो डेढ़ हजार रुपये का घाटा हो गया।

मैं ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में कुछ बातें यहां पर इसलिए रख रहा हूं कि काफी चर्चा एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम के बारे में हुई, उसके विधेयक के बारे में यहां पर अभी माननीय मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण यहां पर दिया है। यह माहौल बनाया गया है कि जब यह विधेयक आयेगा और देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह विधेयक आना है, हम भी उस विधेयक का स्वागत करते हैं। जब विधेयक आयेगा, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जिन योजनाओं को इस देश में चलाया गया था, खास तौर पर बेरोजगारी को हटाने के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं तो सारी रोजगार की हैं, लेकिन रोजगार कहां से मिले और रोजगार दिलाने के लिए ग्रामीण विकास है। आज की स्थिति ऐसी है, जब वित्त मंत्री जी यहां पर बजट भाषण दे रहे थे, उन्होंने कई आंकड़े दिये और हर वर्ष पिछले वर्ष से इस साल की उन्होंने तुलना की और यह साबित करने की कोशिश की कि इस साल हमने ज्यादा प्रावधान किया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, मै उसका विरोध नहीं करना चाहता कि सचमुच बजट में आपने ज्यादा प्रावधान किया है। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2003-2004 में जो प्रावधान किया गया था और एक्चुअल जो डिस्बर्समेंट हुआ है, उसके ऊपर जो खर्च हुआ है, यूटीलाइजेशन हुआ है, उसके आंकड़े आप सदन के सामने रखें और वर्ष 2004-05 अब खत्म हो चुका है, 2004-2005 में कितना यूटीलाइजेशन हुआ, कितना एमाउण्ट आपने डिस्बर्स किया। वास्तविकता यह है कि आज ग्रामीण विकास की लगभग सारी योजनाएं आज रुकी हुई हैं। उनकी गति बिल्कुल रुक गई हैं। एक उदाहरण मैं यहां पर दूंगा। खास तौर पर पेयजल की योजनाएं हैं, एन.डी.ए. की सरकार के समय स्वजलधारा योजना सारे देश में काफी लोकप्रिय रही, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए स्वजलधारा योजना चलाई गई थी। उसमें राज्यों को आबंटन किया जाता था और उसके मुताबिक राज्यों को धन दिया जाता था। उसका शत-प्रतिशत यूटीलाइजेशन हमने देखा था, उसमें धन की कमी होती थी। जैसे अब भी यहां पर वित्त मंत्री जी ने कहा कि अब सारी योजनाओं को राजीव गांधी मिशन के नाम के तहत एक छत के नीचे सारी ड्रिंकिंग योजनाएं लायें, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में जब तक इनका राज है, उसके सिवा कोई दूसरा नाम और हो भी नहीं सकता। मेरे पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। जो स्वजलधारा योजना एन.डी.ए. के समय में चलाई गई, उसके लिए जो कंडीशंस थीं, वे एकदम सिम्पल योजना थी। ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पानी का स्केयरसिटी एरिया है, जहां पर पानी का दुर्भिक्ष है, वहां यह योजना लागू थी। जहां तक पानी की कमी है, उस क्षेत्र के लिए योजना 25 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत की न हो और दस प्रतिशत वहां की जनता की भागीदारी हो। केवल ये तीन शर्तें इस योजना के लिए रखी गई थीं। इसलिए यह योजना सारे देश में पोपुलर हुई। जैसे ही सरकार बदली इस योजना का नाम स्वजलधारा धारा से बदलकर जलस्वराज कर दिया गया। मुझे नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इसके साथ-साथ आपने जो सात शर्तें लगायी हैं, जैसे आपने उसमें वीमन इम्पावरमेंट को जोड़ दिया है, ग्रामीण स्वच्छता को जोड़ दिया है, गांव की आर्थिक स्थिति और एससीएसटी को भी उसमें जोड़ दिया है। आज उस योजना की स्थिति यह है कि इन योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से प्रपोजल आना मुश्किल हो गया है। आपने योजना के तहत धन तो बढ़ा दिया किन्तु वह धन आपकी तिजोरी से जा नहीं पाएगा। उसको आपने रोक दिया है। सारा काम ठप्प हो गया है। आप इस योजना

के बारे में जांच कीजिए। जिस योजना को मैं सदन के सामने बता रहा हूं, आप इसकी जांच कीजिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** माननीय सदस्य यह एक्सपलैन कर दें कि उन्हें इस बात से आपत्ति क्या है? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री गीते जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** कृपया बैठे रहें। मैं इस मुद्दे पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** श्री गीते जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्यों श्री गीते के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासौर): जो प्राब्लम उठा रहे हैं, उसका आपको समाधान करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम ):** जब श्री अनंत गंगाराम गीते जी मंत्री थे वे क्या कर रहे थे? वही सब हो रहा था। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** आप शोर मचा सकते हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदय:** मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि श्री गीते एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे बोल सकते हैं। आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे:** क्योंकि वे व्यवधान डाल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदय, हम आपका समर्थन करते हैं ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने इस तरह का प्रावधान वित्त मंत्रालय के द्वारा किया है। ...*(व्यवधान)* मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप इसकी जांच करवा लें। मैं एमपीलेड्स के बारे में बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री गीते, आपका समय पूरा हो गया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सदन पर प्रतिपक्ष का अधिकार है। इसलिए, आप अपनी बात जारी रखें। यह सदन आपका है। आपके सहयोग के बिना, सदन का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जब भी आप सदन में उपस्थित हों, कृपया जितनी शीघ्रता से संभव हो अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। स्वजलधारा योजनाओं में प्रपोजल नहीं आ रहे हैं तो फण्ड यहां से भेजने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। प्रावधान करने से क्या मिलेगा? लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए। उसमें जिस प्रकार बाधा आ रही है, उन सारी बाधाओं को हटाने की आवश्यकता है और किसी भी स्कीम को सिमप्लीफाई करने की आवश्यकता है। हमें जनता को पीने के लिए पानी देना है। सोचना यह चाहिए कि हम उनको किस प्रकार पानी दे पाएंगे।

मैं यहां एक उदाहरण एमपीलैड के बारे में देना चाहता हूं। जब एनडीए की सरकार थी, हम दो इंस्टॉलमैंट्स में फंड डिस्बर्स किया करते थे-फर्स्ट इंस्टॉलमैंट अप्रैल एंड तक जाती थी, सैकिंड इंस्टॉलमैंट जुलाई एंड में जाती थी। प्रोग्राम इम्पलीमैंटेशन मंत्री श्री ऑस्कर फर्नान्डीज यहां नहीं हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें उन्होंने एमपीलैड के बारे में सारे सांसदों से राय ली। मैं उस समय उनके ध्यान में यह बात लाया था कि पिछला पूरा साल खत्म हो गया। पूरे एक साल में आपने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमैंट भेजी है। सैकिंड इंस्टॉलमैंट यह कहकर नहीं भेजी कि फंड डैवलपमैंट के लिए दिया जाता है, बैंक में रखने के लिए या उस पर इंटरस्ट लेने के लिए नहीं दिया जाता। जब मैं उनके ध्यान में यह बात

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

लाया कि जो रूरल एरियाज में काम करने वाले हैं, खास तौर से जो कोस्टल एरिया या पहाड़ी एरिया में हैं, वहां पर साल में चार महीने वर्षा होती है। चार महीने वहां डैवलपमेंट का कोई काम नहीं होता। एक टैक्नीकल बात और है। जब किसी को कोई कान्ट्रैक्ट एवार्ड होता है, तब उस कौन्ट्रैक्टर को कौन्ट्रैक्ट पीरियड दिया जाता है, चाहे छः महीने का हो, एक साल का हो या दो साल का हो। जब कौन्ट्रैक्टर को एक साल का पीरियड दिया गया है, जब कौन्ट्रैक्ट ऐवार्ड होता है, तब उसे सौ प्रतिशत पैमेंट नहीं की जाती। उसे 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत पेमैंट की जाती है। पेमैंट एजेंसी के पास जाती है, कौन्ट्रैक्टर के पास नहीं जाती। उसका पीरियड एक साल का है, तो नेचुरली एक साल में ऐवार्ड किया हुआ कार्य एक साल में खत्म नहीं होना है। आपके रिकार्ड में यह दिखाई देगा कि कलैक्टर के पास बैलेंस एमाउंट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस कलैक्टर के पास, उस सांसद के पास ज्यादा धन है। हमारे पास 5 करोड़ रुपये की मांग आती है लेकिन हमें मिलने वाला धन 2 करोड़ रुपये है। इसलिए धन को रोकने का तरीका बंद करना चाहिए। आपको दो इंस्टॉलमैंट्स में पैसा देना है। यह नान-लैपसेबल फंड है। जब तक सदन का कार्यकाल है, तब तक यह नान-लैपसेबल फंड है।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। आपने फूड फार वर्क की बात की। आपने पूरे देश से डेढ़ सौ जिले चुने। इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम की घोषणा हुई। श्री पवार यहां बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं यहां महाराष्ट्र का उदाहरण यह बताने के लिए दे रहा हूं कि आपकी घोषणा का क्या परिणाम हुआ। आपने जैसे ही घोषणा की कि भारत सरकार की ओर से इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम चलाई जाएगी, सारे देश में उसका स्वागत किया गया, हमने भी उसका स्वागत किया, महाराष्ट्र ने भी उसका स्वागत किया, महाराष्ट्र ने भी उसका स्वागत किया। लेकिन उसका असर यह हुआ कि हमारे राज्य में कई वर्षों से जो इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम चल रही थी, उसके अंतर्गत एक साल में एक भी काम का एवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि भारत सरकार की ओर से इम्प्लायमैंट गारंटी स्कीम आने वाली थी। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदयः** श्री गीते, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** यह वास्तविकता है। ...*(व्यवधान)* आप जांच करवाइए। मैं अपने जिले का उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी भी जिले से जानकारी मंगवा लीजिए। जब से घोषणा हुई है, एक भी नया काम नहीं लिया गया। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, आप जानकारी मंगवा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): महाराष्ट्र में काम चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री रामदास आठवले, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि श्री गीते अभी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदयः** श्री गीते के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**सभापति महोदयः** श्री आठवले, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीतेः** मैं आंकड़ों के खेल का उदाहरण देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, सबको माचिस की आवश्यकता होती है।

मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस माचिस के निर्माण में जो मजदूर लगे हैं जो हैंड मेड माचिस बनाते हैं, उनके लिए उन्होंने इस बार के बजट में जीरो परसेंट टैक्स कर दिया है। यह अच्छी बात है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो माचिस हाथ से बनायी जाती है, उस पर पहले आठ परसेंट टैक्स लगता था, उसे आपने पूरा हटा दिया है। इसी प्रकार हमारे देश में आजादी से पहले कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो मशीन से माचिस को बनाते थे। उन उद्योगों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन पर 16 परसैंट टैक्स लगता था लेकिन इस बार के बजट में आपने उसे चार परसेंट कम किया है यानी 12 परसेंट टैक्स उस पर लगेगा। पहले इन दोनों का अंतर आठ परसेंट था लेकिन अब हैंड मैड पर जीरो परसेंट और मशीन से बनने वाली माचिस पर 12 परसेंट टैक्स लगेगा। इस प्रकार यह अंतर 12 परसेंट है। इस फर्क के कारण मशीन मेड माचिस 35 पैसे पड़ती है जबकि हैंड मेड माचिस 25 पैसे पड़ती है। जब मार्केट में 25 पैसे में माचिस मिलती है तो 35 पैसे में माचिस कौन खरीदेगा? आज स्थिति यह है कि विमको जैसी कम्पनियां बंद होने के कगार पर हैं। उन कम्पनियों में भी मजदूर काम करता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय, आपको इस पर सोचना चाहिए। ये सब छोटी-मोटी बातें हैं। अब आपने हाउसिंग मेकिंग के ऊपर भी टैक्स लगाया है। यदि कोई हाउसिंग सोसायटी 10 से अधिक मकान बनाती है तो उस पर आपने साढ़े 12 परसेंट सर्विस टैक्स लगा दिया है जो कल तक नहीं था। अब सब लोगों को मकान चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** श्री गीते आप 18 मिनट ले चुके हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते:** हमारे यहां मुम्बई में एसआरए की स्कीम चलती है जिसके अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाये जाते हैं। आज यदि कोई सोसायटी 10 से ज्यादा मकान बनाती है तो उस पर आपने साढ़े बारह परसेंट सर्विस टैक्स लगेगा। आपने घर महंगे कर दिये हैं। इससे पहले आपने स्टील और सीमेंट के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया। इस सबका प्रभाव हाऊसिंग मेकिंग के ऊपर हो रहा है, घर पर हो रहा है। ये मकान सिर्फ अमीर के लिए नहीं हैं बल्कि सबके लिए हैं। जो भी मकान बनेंगे, सोसायटी बनेगी जिसमें 10 से अधिक मकान होंगे तो उस पर साढ़े बारह परसेंट सर्विस टैक्स लगेगा। आज कोई भी सोसायटी 10 से कम मकान नहीं बनाती है चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहर में हो। जो सोसायटीज हैं, जो समूह हैं, उस बनाने के लिए मिनिमम 11 मैम्बर होने चाहिए। अब सोसायटीज के माध्यम से जो मकान बनेंगे, उनको आपने महंगा कर दिया है। फिर भी यह गरीबों का बजट है। फिर भी घर सस्ते मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी, पैंशनर्स, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र, किसानों को आपने क्या किया? ये सारी बातें हैं। इसलिए केवल आंकड़ों का जाल बिछाकर जो मायाजाल फैलाने का काम हुआ है, वह इन दो महीनों में धीरे-धीरे जनता के सामने आया है। आने वाले साल में यह सारा मायाजाल उजागर होगा। तब आपको पता चलेगा। *...(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी बने रहें, श्री चिदम्बरम जी को आप वित्त मंत्री कायम रखिए, उसका नतीजा आपको जरूर मिलेगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब मैं कुंवर मानवेन्द्र सिंह को बोलने की अनुमति देता हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** सोनिया गांधी जी, आप यहां उपस्थित है, संपूर्ण सदन की ओर से, मैं अपील करता हूं कि एमपी लैडस की राशि को 2 करोड़ से बढ़ा कर 3 करोड़ कर दिया जाए। आपके दल के सदस्य भी इसके पक्ष में है। यह भारत की सर्वोत्तम योजनाओं में से एक है। कृपया भ्रामक रिपोर्टों पर ध्यान न दें। चूंकि समिति ने भी इसकी सिफारिश की है इसलिए कृपया इसे 2 करोड़ से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये कर दें।

**श्री रामदास आठवले:** इसे 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा देना चाहिए *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** शोर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपने बोलने का मौका खो दिया है। कुंवर मानवेन्द्र सिंह आप बोल सकते हैं, यह आपका अधिकार है। मैं आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय दे रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह** (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** समय बढ़ाया नहीं जाएगा तथा आपको पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करना है। सत्ता पक्ष के लोगों के लिए समय इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि वे पिछली बार उपस्थित नहीं थे। आपको पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करना है।

*[हिन्दी]*

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो फाइनेंस बिल वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो विकास के लिए संसद सदस्यों को निधि दी जाती है, मैं समझता हूं कि पूरे हाउस के संसद सदस्य इससे सहमत होंगे कि वह दो करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं है।

**अपराह्न 5.00 बजे**

यह देखने में और सुनने में बहुत धनराशि लगती है मगर लोक सभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि यह धनराशि अपर्याप्त होती है। मैं सदन से आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस राशि को कम से कम 5 करोड़ रुपये कर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

**अपराह्न 5.01 बजे**

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

**श्री इलियास आज़मी** (शाहाबाद): जो जिले की योजनाएं सैंक्शन होती हैं, उनका एप्रूवल क्षेत्रीय सांसद से कराया जाए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गुढ़े** (अमरावती): अपोजीशन और रूलिंग पार्टी दोनों की मांग है। *...(व्यवधान)*

**श्री चंद्रकांत खैरे** (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): लोक सभा के सांसदों को 5 करोड़ देना चाहिए क्योंकि कई जगह विधायकों को 2-2 करोड़ रुपया मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आज़मी:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह क्या है?

**श्री इलियास आज़मी:** उपाध्यक्ष महोदय, यह दो करोड़ रुपया खत्म करा दें और ग्राम विकास की जो योजनाएं जिले से सी.डी.ओ. या डी.एम. सैंक्शन करते हैं, उनका एप्रूवल क्षेत्रीय सांसद से ले, उसके बाद वे लागू हों। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया सदस्य को परेशान न करें।

*[हिन्दी]*

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** उपाध्यक्ष जी, आप संसद के माननीय सदस्यों की सभी भावनाओं से अभी अवगत हुए हैं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन की भावना का ध्यान रखते हुए, सभी माननीय सदस्य का ध्यान रखते हुए, इस निधि को 5 करोड़ रुपया अवश्य करने की कृपा करेंगे। *...(व्यवधान)* यह देश कृषि प्रधान देश है और भारत सरकार की लगभग 80 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या जिसमें किसान और मजदूर देहात में रहते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और इस यूपीए सरकार और उसकी चेयर पर्सन सोनिया गांधी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज को समझा और इस बार इस बजट में उन देहात के किसानों और मजदूरों के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए काफी रुपया रखा गया है जिससे उनका विकास कार्य ठीक से हो सके।

चूंकि समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछले बजट में जो वचन दिया था कि किसानों को 30 प्रतिशत ऋण आवंटन बढ़ाया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कुंवर मानवेन्द्र सिंह, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** यह खुशी की बात है कि आपने इसके लिए आवंटन एक लाख पांच हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये कर दिया है। मगर मेरा आग्रह है कि किसान की दशा बेहद खराब है। बिजली और पानी के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, फर्टिलाइजर के रेट बढ़े हैं। इन सबके कारण आज किसान परेशान है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण कृपया व्यवधान न डालें।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री बंसल, आप सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या आप इस प्रकार उनसे चर्चा करेंगे?

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कुंवर मानवेन्द्र सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री आठवले, कृपया बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** आज यह स्थिति इसलिए है कि एनडीए सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। इसी कारण देश के अनेक भागों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गयीं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बजट में किसानों द्वारा होने वाली पैदावार का मूल्य निर्धारण खेती में होने वाले खर्च के अनुरूप होना चाहिए ताकि किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

बेरोजगारी की समस्या आज गंभीर होती जा रही है। देश के पढ़े-लिखे नवयुवक बेरोजगार हैं। यह एक देशव्यापी समस्या है और युवक-युवतियां परेशान है। मैं यह आग्रह करूंगा कि रोजगार न मिलने के कारण आज युवक अपराध और गलत रास्तों की ओर जा रहे हैं। यह स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इसे रोकने के लिए आज आवश्यक है कि सदन इस पर गंभीरता से ध्यान दे और पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी प्रोग्राम इस सदन के समक्ष लाया जाए।

महोदय, आज गांवों में विद्युत की कमी है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इसके लिए बजट में अधिक प्रावधान रखा जाए। विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए नदियों को रोककर बांध बनाए जाएं, जिससे हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा, जो सस्ती होगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए अधिक पानी मिल सकेगा, नहरों के जाल बिछेंगे और किसानों को सिंचाई के अधिक साधन मिलेंगे। बिजली का उत्पादन बढ़ने और खेतों में अधिक उत्पादन होने से देश में खुशहाली आएगी।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण कुंवर मानवेन्द्र सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कुंवर मानवेन्द्र सिंह, आप दस मिनट से अधिक ले चुके हैं। अब आप दो मिनट और मांग रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** महोदय, नदियों की सफाई के लिए बजट में प्रावधान नहीं है। महोदय, हर साल बरसात के मौसम में नदियों में बाढ़ आती है। नदियों में सिल्ट का जमाव बढ़ता जा रहा है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मुख्यत: बड़ी-बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पर जगह-जगह बांध बनाकर बिजली उत्पादन करें और नहरों का जाल बिछाएं जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी और बिजली का लाभ मिलेगा। इससे देश का किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने में सफल होगा। आज देश में लाखों एकड़ भूमि सूखी पड़ी है।

गांवों में आज भी पेयजल की समस्या है। देश को आजाद हुए करीब 56 वर्ष हो गए, आज भी हमारी माताएं और बहनें सिर पर बर्तन रख कर 1 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। मैं 1984 में लोक सभा में चुनकर आया था। मुझे याद है उस समय राजीव गांधी जी ने जल निगम योजना उत्तर प्रदेश में आरम्भ की थी। वहां पर जल निगम योजना के द्वारा एक बड़ी टंकी बनाई जाती थी और उससे पाइप लाइन के द्वारा तीन-चार गांवों को पानी दिया जाता था। पिछली एनडीए सरकार द्वारा उस योजना के लिए कोई पैसा नहीं दिये जाने के कारण उसकी दुर्दशा हो गई है और वह योजना आज ठप पड़ी है। जल निगम योजना के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से उन ग्रामीण लोगों की तरफ से प्रार्थना करूंगा कि वह इस योजना पर ध्यान दें और अधिक पैसा आवंटित करें, जिससे यह योजना चालू हो और लोगों को पीने का पानी मिल सके। इस तरह की योजना अन्य जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराकर शुरू की जाए, ताकि वहां भी लोगों को पीने का पानी मिल सके।

शहरों में भी कमोबेश यही हालत है। एनडीए सरकार के समय वहां भी कोई कार्य नहीं हुआ। स्वच्छ जल की जो गारंटी योजना की बात कही गई, उस पर अमल नहीं किया गया और वहां फिल्टरेशन प्लांट नहीं लगाए गए। मेरे संसदीय क्षेत्र मथुरा में यमुना नदी है। जब मैं पहले सांसद था, तो वहां यमुना नदी पर बैराज (गोकुल बैराज) योजना का प्रारम्भ हुआ था। उस समय नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। यह योजना उन्हीं के समय में पूरी हुई तथा यमुना पर बांध लगाकर पानी को रोका गया किन्तु यमुना नदी के पानी में लावारिस लोगों की लाशें

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

मिलती हैं। इसी तरह से लोग मृत पशुओं को वहां फेंक देते हैं एवं इससे वह पानी दूषित हो गया और सड़ रहा है। वहां की मछलियां भी मर रही हैं। मैंने स्वयं जाकर देखा है और वही दूषित जल क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद पीने के पानी के रूप में मथुरा शहर व वृन्दावन में सप्लाई किया जाता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर फिल्टरेशन प्लांट लगा कर उससे पीने के पानी की आपूर्ति की जाए। अन्यथा महामारी फैलने का भय नागरिकों में व्याप्त है।

सड़कों का बहुत बुरा हाल है। शहरों और देहातों में सड़कों को सुधारा जाए और प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत जो पैसा दिया जाता है, वह अपर्याप्त है, उसे बढ़ाया जाए। एक हजार की आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ने वाली बात भी पूरी नहीं हो पा रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत अधिक पैसे का अलाटमेंट करके हर गांव से जिला मुख्यालय को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब आप समाप्त करें।

**कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** मैंने जो सुझाव दिए हैं, उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और इतनी राशि की व्यवस्था करेंगे, जिससे वे विकास कार्य कार्यान्वित हो सकें।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती वी. राधिका सेलवी** (तिरूचेन्दूर): महोदय, वित्त विधेयक 2005-06 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने प्रिय नेता डॉ. कलैंगनार एम. करुणानिधि तथा तमिल तलपति एवं जुपिटर एम.के. स्टालिन का भी धन्यवाद करती हूं।

हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट एक आम आदमी का बजट है। इस बजट में, लोगों के समक्ष विभिन्न अच्छे पहलू रखे गए हैं। मध्यमवर्गीय लोगों के लिए आयकर सीमा को बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है जबकि महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह क्रमश: 1.25 लाख तथा 1.50 लाख रुपये है। मध्यम वर्ग को बहुत लाभ पहुंचा है क्योंकि एलपीजी पर लगे मूलभूत 8 प्रतिशत उत्पाद कर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। लघु उद्योग के लिए शुल्क छूट हेतु समाशोधन मूल्य 3.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था। अब इस वर्ष, इसे बढ़ा कर 40.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है।

सरकार, देश के छह अलग-अलग भागों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने की योजना बना रही है! उस सूची में तमिलनाडु का नाम नहीं है। मैं अपने माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह समुचित निधियां आवंटित करें, जिससे तमिलनाडु में भी इसी प्रकार का एम्स खोला जा सके।

सर्वशिक्षा अभियान जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार की चर्चा की गई है के माध्यम से, ग्रामीण शिक्षा को महत्व देने के लिए मैं अपने माननीय मंत्री को इसके लिए आवंटन को 3,057 करोड़ से बढ़ाकर 7,156 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मैं मानव संसाधन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा दूरसंचार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बाल कल्याण, सिंचाई, अवसंरचना, कृषि उत्पादकता तथा बागवानी विकास इत्यादि के विकास के लिए वित्त मंत्री के प्रबल समर्थन का स्वागत करती हूं।

हमारे देश में, बहुत से लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन लोगों की सहायता के लिए हमारे माननीय मंत्री ने प्रत्येक ऐसे परिवार के एक व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार का वचन दिया है। किसानों की सहायता हेतु, उर्वरकों की खरीद के लिए राजसहायता दी जाएगी। कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज दर को न्यूनतम रखा जाना चाहिए।

मैं सेतु समुद्रम परियोजना हेतु राशि आवंटित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जो प्रत्येक तमिल के लिए एक स्वप्निल परियोजना रही है तथा यह हमारे प्रिय नेता डा. कलैगनार की मांगों में से एक मांग भी रही है। मैं, अपने प्रिय नेता डा. कलैगनार की सेतु समुद्रम परियोजना के कार्यान्वयन की मांग को महत्व देने के लिए पुन: धन्यवाद करती हूं।

मुख्यत: शिक्षित बेरोजगार युवकों के बीच साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने के उद्देश्य से हमारे प्रिय नेता डा. कलैगनार और हमारे प्रिय दिवंगत, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री, थिरु मुरासोली मारन द्वारा संयुक्त रूप से नानगुनेरी में एक 'हाईटेक' पार्क की योजना तैयार की गई थी। इस हाईटेक पार्क के तैयार हो जाने पर, लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मैं इस परियोजना का जिक्र अपने पूर्व भाषण में भी कर चुकी हूं। अत: मैं माननीय मंत्री से इस कार्य में तेजी लाने का आग्रह करूंगी ताकि दक्षिणी राज्य के लोगों को इसका लाभ मिले। मैं आपसे इस पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए विनम्र निवेदन करती हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुचेन्दूर में बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। उनका काम केवल मछली पकड़ना है। सुनामी आपदा के दौरान उन्होंने अपनी जानें और आजीविका गंवा दी। केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु की राज्य सरकार को सुनामी फंड के रूप में धनराशि कम दी और उन्होंने इसे छलनी में बांट दिया है। यही कारण है

कि उन्हें जितना चाहिए था उतना नहीं मिल सका। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि कम से कम अब तो आप मछुआरों को आजीविका चलाने हेतु कम दर पर डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति कर सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को पहले ही कह दिया है। यह एक कड़वा सच है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूचेन्दुर में विद्यार्थी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसे सुचारू बनाया जाना चाहिए तथा शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को बिना किसी प्रतिभूति के ऋण उपलब्ध कराने हेतु आप महानुभाव द्वारा बैंकों पर दबाव डाला जाना चाहिए।

हमारे प्रिय नेता डा. कलैगनार ने केन्द्र सरकार से चेन्नै हवाई अड्डे का सुधार करने का अनुरोध किया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने हमारे प्रिय नेता कलैगनार का यथोचित सम्मान किया है तथा उस कार्य के लिए अपनी सहमति दे दी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से चेन्नै हवाई अड्डे का सुधार करने हेतु अपेक्षित राशि आवंटित करने का अनुरोध करती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब श्री उदय सिंह जी बोलेंगे। आप कृपया पांच मिनट तक ही अपना भाषण देंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप केवल पांच मिनट तक ही बोलें।

**श्री उदय सिंह** (पूर्णिया): मैं अपना भाषण केवल साढ़े चार मिनट में ही पूरा करने की कोशिश करूंगा।

महोदय, चाहे पेटेंट विधेयक हो या वैट हो या रोजगार गारंटी योजना हो, यह दूसरे पक्ष में बैठे मेरे माननीय मित्रों के लिए इस मुद्दे को पहले उठाने के लिए राजग को दोष देने हेतु अनायास ही एक सुरक्षा तन्त्र बन गया है। क्या हममें सभी यही समझते हैं कि सभी समकालीन और भावी उपाय राजग ने ही किए? जैसाकि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उल्लेख किया, हम इन्हें लागू करने से पीछे नहीं हटे थे। हम उन्हें थोपना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि इन्हें सभी स्वीकार करें।

इसलिए, हम इससे संबंधित कोई विधान लाना या इसे देश पर थोपना नहीं चाहते थे। हम यूपीए सरकार को यही बताने का प्रयास करते रहे हैं कि इन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करने का सर्वोत्तम उपाय सर्वानुमति है तथा मैं आशा करता हूं कि ये कभी न कभी हमारी सलाह मानेंगे।

माननीय वित्त मंत्री इस वर्ष के बजट और वित्त विधेयकों में वास्तव में कुछ अच्छा कार्य कर सकते थे-क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया-यदि वह इन लोगों की संगत में नहीं रहते जो बात सुनने से ही इंकार करते हैं, अच्छी सलाह भी सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए, यद्यपि मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहने वाला हूं, उसका उल्लेख शायद उनके उत्तर में या कहीं और दिखाई नहीं देगा तथापि मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री का कृषि क्षेत्र में ऋण देने पर बल और जिसके लिए उन्हें इतनी वाहवाही मिली, वह वास्तव में खोखली थी क्योंकि उसकी जमीनी सच्चाई भिन्न है। उदाहरण के लिए, मेरे अपने राज्य बिहार में, किसानों को भारी ब्याज दर का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में आम तौर पर ये किसानों की पहुंच से दूर हैं। कृषि ऋण में वृद्धि की घोषणा से न तो आत्महत्याएं रुकेंगी और न ही किसानों को कुछ लाभ होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि वित्त मंत्री को कृषि उत्पाद प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों हेतु अधिक धनराशि आवंटित करने पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया में रणनीतिक रूप से स्थापित की जाने वाली एक चीनी मिल, किसी भी बैंक से एक रुपया भी उधार लिये बिना, जो वैसे भी नहीं मिल पा रहा है, हजारों किसानों की जिन्दगी बदल सकती है। इसलिए, यही वह समय है जब वित्त मंत्री को हमारे किसानों को वास्तव में किस चीज की जरूरत है। क्या उन्हें 100 या 200 रुपये के ऋण की जरूरत है या उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता है? उन्हें पता चलेगा कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत है और मैं उनसे बिहार जैसे राज्यों में इसका पता लगाने के लिए एक दल का गठन करने का निवेदन करूंगा जो यह देखें कि वहां वास्तव में क्या समस्या है। अभी तो वे बिहार में ठीक ठाक काम कर पाएंगे क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है।

सामाजिक क्षेत्र का खर्च बढ़ाया गया है; लेकिन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि खर्च की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी, वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है। इस तरह के खर्चों की गुणवत्ता संबंधी किसी भी लेखापरीक्षा को कोई जिक्र नहीं है। कई बार, जब हम इस सभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं तथा जबकि मैं पहली बार चुनकर आया सदस्य हूं, हमें यह बताया जाता है कि ये राज्यों से संबधित विषय हैं। वे भले ही राज्यों से संबंधित विषय हों, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को यह समझाना बड़ा कठिन होता है कि हम चूंकि संसद सदस्य हैं इसलिए हम उन मुद्दों को सभा में नहीं उठा सकते तथा यह कि उन्हें विधायकों के पास जाना चाहिए। यह उत्तर शायद ही हम उन्हें दे सकते हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है।

अबसे पांच मिनट पहले जब मैं इस सभा में आया, मैं केन्द्रीय कक्ष में था, मैं अपने जिला मजिस्ट्रेट को पकड़ने का

[श्री उदय सिंह]

प्रयास कर रहा था क्योंकि मेरे जिले में चल रहे काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु कोई अन्न उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये सारी बातें खोखली हैं। इसलिए वास्तव में वहां कुछ किया जाना चाहिए। इंदिरा आवास योजना अन्त्योदय और अन्नपूर्णा योजना का भी यही हाल है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लाखों परिवार जिन्हें कागजों पर ही लाखों टन राशन दे दिया गया उन्हें इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, एक छटांग भी नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति सामने आए और यह साबित करे कि बिहार के किसी भी जिले में यह उपलब्ध है। मैं सिर्फ बिहार का ही जिम्मा ले सकता हूं-शेष भारत का नहीं कि जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को बीपीएल राशन का एक दाना भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए, यह बात करना कि यह 'आम आदमी' की सरकार है तथा गरीब लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, सरासर झूठ और बेतुकी बात है। यह उचित समय है कि वित्त मंत्री तथा यूपीए सरकार इस पर ध्यान दें।

इसमें किसी भी योजना स्कीम की समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। बहुत सी योजनाएं अब अप्रासंगिक हो गई हैं। उन्होंने अपना अर्थ ही खो दिया है; उन्हें या तो पुनर्गठित किए जाने अथवा वापिस लिये जाने की आवश्यकता है। उन्हें केवल एक पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाया जा रहा है। इस पर वित्त मंत्री द्वारा काफी गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। नकद आहरण पर कर लगाने का आपका प्रस्ताव एक बहुत ही प्रतिगामी कदम है।

**अपराह्न 5.25 बजे**

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

आप जैसे वित्त मंत्री से यह आशा नहीं थी। आपकी अच्छी साख है। यह आपके साथ है। यह एक प्रतिगामी कदम है। केवल मैं ही नहीं हम सभी की जानकारी में सुधार हुआ है। मेरे मित्र ने पूर्व में यह इंगित किया था कि इस प्रकार का कर विश्व में कहीं भी नहीं लगाया गया है। यह वास्तव में ठीक नहीं है। ब्राजील में यह कर लगाया गया। आस्ट्रेलिया में भी इस कर पर प्रयोग किया गया, जहां बैंक खाता उधार कर को 'बैड' कर के नाम से जाना जाता है। इन सभी देशों में यह वापिस लिए जाने की विभिन्न चरणों में है। यहां पर भी यह वापिस ले लिया जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा कर है जो बहुत ही प्रतिगामी है तथा हमें यह आश्चर्य होता है कि श्री चिदम्बरम जैसे वित्त मंत्री इस प्रकार का कोई कदम उठा सकते हैं।

वैट भी जल्द ही एक बहुत ही निरंकुश कर का अर्थधारण करता जा रहा है। अब वैट का अर्थ है बहुत अधिक निरंकुश कर। उदाहरण के तौर पर बिहार में, जूट पर 4 प्रतिशत की दर से वैट लगाया गया तथा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में कोई वैट नहीं है, इसलिए लोग लगभग मरणासन्न है।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण): यह सच है।

**श्री उदय सिंह** (पूर्णिया): मैडम कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा है। मेरा विचार है कि जूट, आलू, प्याज तथा अन्य ऐसे उत्पादों पर वैट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उत्पाद-विरोधी है। एक ओर, सरकार, किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है तथा वहीं दूसरी ओर वह उन्हें वैट के तहत लाने का प्रयास कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करें।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री के भाषण में 'स्पेशल परपस व्हीकल' की अस्पष्ट चर्चा की गई है। यह एसपीवी क्या है? क्या यह नई उधार विंडों का सृजन करने हेतु तैयार की गई है? अवसंरचना विकास वित्त कंपनी का क्या होगा? निश्चित रूप से आईडीएफसी का सृजन इस वित्तीय अवसंरचना हेतु किया गया था। इसलिए इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। मुझे नहीं मालूम, शायद आपको स्पष्टता पसंद नहीं है। मैं यह कहूंगा जितनी स्पष्टता होती उतना ही बेहतर होता है।

एक अंतिम बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वह यह है कि मैं अपने वरिष्ठ मित्र, श्री प्रभुनाथ सिंह का समर्थन करूंगा जिन्होंने कहा और सम्भवत: यह सभा की इच्छा तो नहीं है कि एमपीएलएडी निधि को समाप्त कर दिया जाए। मैं इसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं क्योंकि इससे हम वास्तव में संसद के सदस्यों के मान सम्मान में कमी कर रहे हैं। इस निधि के कारण वास्तव में हम उनके सम्मान को कम कर रहे हैं चाहे वह 2 करोड़ से या 20 करोड़ रुपये हो। संसद सदस्य का दर्जा किसी भी धनराशि के मुकाबले बहुत ऊंचा है। मेरा विचार है कि एक अदला-बदली होनी चाहिए, एक मुआवजे वाला एक्सचेंज ऑफर ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक लोकप्रिय सुझाव प्रतीत नहीं होता है।

**श्री उदय सिंह:** एमपीएलएडी निधि को इस दो करोड़ रुपये के बदले जिले की सभी योजनाओं पर संसद सदस्य तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति हो। मैं आपके समक्ष एक आंकड़ा रखता हूं। मेरी एक बहुत ही मोटे तौर पर की गई गणना के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान विधायक निधि के 100,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं मेरे तथा मेरे पड़ोस के निर्वाचन क्षेत्रों में

इस पैसे द्वारा अर्जित सर्वोत्तम परिसम्पत्ति के रूप में आपको केवल नाम पट्टिका ही मिलेगी, जिस पर यह लिखा होता कि अमुक संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मेरे विचार से यह धनराशि की पूरी तरह से बरबादी है तथा इसे वापिस ले लिया जाना चाहिए।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण): आम बजट चर्चा में भाग लेते हुए हमने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। यह वित्त विधेयक पर की जा रही चर्चा है। मैं कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहती हूं। यद्यपि, मेरे मन में कुछ मुद्दे हैं, जिसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी।

हमारे देश में कई योजनाएं चल रही हैं लेकिन कई योजनाओं के बजाय यदि हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे सड़क, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य या शिक्षा पर अधिक ध्यान दें तो परिणाम बेहतर होंगे। हमने कई योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना तथा इसी प्रकार की अन्य कई योजनाएं चलाई हैं लेकिन वास्तव में हम यह पाते हैं कि गांवों में भूख से मौतें हो रही हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उदाहरण के तौर पर, आंध्र प्रदेश में कई किसानों ने आत्महत्या की। मेरे राज्य में भी जनजातीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके विकास के लिए दी जा रही राशि उन तक नहीं पहुंच रही है। चाहे काम के बदले अनाज योजना हो या अंत्योदय योजना अथवा मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे-मील) अथवा कोई अन्य योजना हो परंतु भोजन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जिसके परिणामस्वरूप मुर्शिदाबाद के जलांगी जिले में अल्पसंख्यक संप्रदाय के पांच से छह लोगों की भूख के कारण मौत हो गई। इसके अलावा पुरुलिया जिले के बर्दवान तथा बागमुडी में भी भूख के कारण मौतें हुई थी। वहां न तो दवाएं थीं, न इलेक्ट्राल था, न भोजन या, न चिकित्सक थे, कुछ भी उपलब्ध न था। हर रोज भूख के कारण लोगों की मौत हो रही हैं। यहां तक कि आसनसोल में मौत की खबर मिली है। मैंने माननीय मंत्री, श्री शरद पवार को एक पत्र भी लिया था। उन्होंने यह कहते हुए मुझे उत्तर दिया कि राज्य सरकार ने वहां भूख से होने वाली किसी मौत की सूचना नहीं दी है। लेकिन मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि वहां भूख के कारण मौतें हुई हैं। मैं किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा रही हूं परंतु यह सत्य है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी कहा था कि अमलासोल में भूख के कारण मौतें हुई थी। यहां तक कि परसों के अखबारों में यह खबर छपी थी कि कोलकाता के साथ सटे हुए सोनारपुर में भोजन उपलब्ध नहीं है तथा वहां जनजातीय लोग रहते हैं। मैं समय की कमी के कारण, यहां कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा रही हूं। यदि आप देखें तो आप आंध्र प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में भी यही स्थिति पाएंगे।

सरकार को कार्यक्रम तैयार करना चाहिए तथा यह पता लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देना चाहिए कि कितने गांवों में भूख के कारण मौतें हो रही हैं। भगवान के लिए मामले की जांच के लिए एक दल अवश्य भेजिए। यह राजनैतिक मामला नहीं है। हमें इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। इसीलिए, मैं आपसे कुछ कदम उठाने तथा लोगों के प्रति कुछ न्याय करने का अनुरोध करना चाहूंगी ताकि लोग भूख से न मरें। भोजन न मिलने के कारण लड़कियों सहित स्कूली बच्चों, ने भी आत्महत्या की है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है1 कई बार हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं लेकिन ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा नहीं करते।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उनका ज्ञान भंडार बहुत विस्तृत है तथा वे एक बहुत अच्छे मंत्री हैं। उनकी भाषा बहुत अच्छी है। ये एक समान कर नीति क्यों नहीं बना पाए। कभी-कभी मेरे मन में यह प्रश्न उठता है। मैंने कई बार इस मुद्दे को इस सभा में भी उठाया है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपके कार्यकाल में ही उठा रही हूं। मैंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। यदि आप संसदीय अभिलेखों को देखें तो पाएंगे कि मैंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितने करों का भुगतान करना होता है? एक व्यक्ति को आपका, बिक्री कर, सेवा कर, सम्पत्ति कर इत्यादि का भुगतान करना होता है। यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र अथवा पंचायत क्षेत्र में साइकिल या वाहन से जाएं तो आपको कर के रूप में 15 रुपये देने पड़ते हैं। यदि आप किसी पुल से जाएं जो कंकरीट का न होकर केवल संकों की तरह बांस का ही हो। तब भी आपको कर के रूप में 15 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। लोग पैसा कहां से लाएंगे? ग्रामीण लोग कहते थे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने नारा दिया-भारत उदय। लेकिन लोगों ने हमें नकार दिया। अब आपने नारा दिया है कि यह एक लुभावना बजट है। ऐसा नहीं है कि आप खुश हैं, लेकिन देश कराह रहा है? आप राज्य सरकार से पूछिए कि लोगों को कितनी बार कर का भुगतान करना पड़ता है। लोग कहां जाए? आजकल विद्यालयों में किसी व्यक्ति को कितनी फीस देनी पड़ती है। आप शिक्षा उपकर ले रहे हैं। आप सुरक्षा उपकर ले रहे हैं। केन्द्र एवं राज्यों ने पैट्रोल पर भी उपकर लगाया है। लोगों को कितनी बार उपकर का भुगतान करना पड़ेगा? कभी कभी आम आदमी के बारे में भी सोचिये। वे भद्रजन हैं। वे नियमों व विनियमों का पालन करना चाहते हैं। वे करों का भुगतान करना चाहते हैं। अब आपने वैट प्रणाली लागू कर दी है। क्या इस प्रयोजनार्थ कोई चर्चा हुई थी? निस्संदेह, दूसरे देशों में वैट प्रणाली है। परंतु वे बिक्री कर नहीं लगाते हैं।

[कुमारी ममता बनर्जी]

वे सेवा कर भी नहीं लगाते हैं, वे कोई अन्य कर भी नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे देश में सभी प्रकार के कर लगाये जाते हैं, और इस देश के अब लोगों को वैट मूल्यवर्धित कर का भी भुगतान करना पड़ेगा। पश्चिमी देशों में, एक सामाजिक सुरक्षा योजना मौजूद है। वहां लोगों को बिक्रीकर तथा सेवा कर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वे केवल मूल्यवर्धित कर का भुगतान करते हैं। वैट पर निर्णय लेने वाली समिति के सभापति पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे। कुछ राज्यों ने वैट लागू करने पर सहमति जताई है तथा कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से इंकार किया है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि इस समय वे वैट लागू नहीं कर सकते हैं तथा उन्हें इस विषय पर परामर्श करना है तथा फिर वे इसे लागू करने का निर्णय लेंगे। सरकार को विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ विचार करना चाहिए तथा इसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेना चाहिए। मैं बड़े दुकानदारों के हितों की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे दुकानदार के हितों की वकालत कर रहा हूं जैसे चाय की दुकान चलाने वाले अथवा छोटे-मोटे दुकानदार। मैं गरीब तथा आम आदमी के हितों की पैरवी कर रहा हूं। पहले से ही बेरोजगारी मौजूद है तथा यदि वैट लागू होने से आम आदमी तथा गरीब व्यक्ति अपनी रोजी रोटी खो देना तो हम अपनी जवाबदेही, विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता खो देंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह किसी प्रकार के अहंकार का प्रश्न नहीं है तथा हमें एक दूसरे के साथ परामर्श करना चाहिए तथा फिर इस पर निर्णय लेना चाहिए ताकि कोई मतभेद न हों।

महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि कई राज्यों में अब तक जिला प्राधिकारियों अथवा राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह पता लगाए कि क्या राज्यों में बीपीएल सूची तैयार कर ली गई है। यदि यह तैयार नहीं की गई है, तो केन्द्र द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि एक निर्धारित अवधि के भीतर सूची तैयार कर ली जाये तथा बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं की पहुंच उन तक हों।

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यह सच है कि यहां वित्तीय समस्या है। आर्थिक संकट है। लेकिन क्या पिछले पन्द्रह सालों से गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों में फंसे हुए धन की वसूली हेतु सरकार उचित कदम नहीं उठा सकती है? एन.पी.ए. के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि काली सूची में दर्ज व्यक्तियों के पास बेकार पड़ी है। उन्होंने भारतीय बैंकों से पैसा लिया तथा उसे वापिस करने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने पैसा उधार तो लिया तथा इसे वापिस करना भूल गए, उद्योग बंद कर दिये तथा पुनः बेनामी तरीके से उसी बैंक से ऋण लिया। यह प्रक्रिया जारी है। अब सरकार ने बैंकिंग, दूरसंचार तथा सिविल विमानन क्षेत्रों ने 74 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी है। इसका अर्थ होगा कि इन क्षेत्रों का नियंत्रण विदेशी निवेशकों के पास रहेगा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इसके परिणामस्वरूप आम आदमी को ही कष्ट होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे काले धन से निपटने के लिए एक सुदृढ़ तथा व्यापक नीति लेकर आएं।

महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी धन केन्द्र सरकार राज्यों को दे रही है, क्या उसका उचित लेखा जोखा रखा जा रहा है तथा लेखापरीक्षा की जा रही है ताकि यह देखा जा सके कि क्या धनराशि का व्यय सार्थक तरीके से हो रहा है? वे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने प्राप्त धनराशि हेतु अपना लेखा-जोखा तथा लेखापरीक्षा प्रस्तुत किया है तथा वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है? इसका पता लगाने की कोई प्रणाली तो होनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार राज्यों को धन आवंटित कर रही है, तो यह देखने के लिए कि धन का उचित रूप से व्यय हुआ है या नहीं। एक लेखापरीक्षा तथा लेखा प्रणाली होनी चाहिए। आमतौर पर राजनैतिक कारणों से धनराशि आवंटित कर दी जाती है लेकिन यह देखने के लिए कि आवंटित धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है, कोई लेखापरीक्षा तथा लेखा प्रणाली मौजूद नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि यह उनके लिए यह एक लुभावना बजट तथा वामदलों के लिए एक उत्तम बजट हो सकता है। लेकिन वामदल इस सरकार को समाप्त करना चाहते हैं और वे इस सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए, सरकार को ऐसी बातों से सावधान रहना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** अब, हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। मैं चर्चा में भाग लेने के लिए विपक्ष के अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** महोदय, हमारे दल से दो और सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि आप उन्हें अनुमति दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** तब हमें चार और सदस्यों को बुलाना पड़ेगा। मैं अगली बार उन्हें पूरा मौका दूंगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी रहूंगा। जिन्होंने पिछले आठ घंटों में इस चर्चा में भाग लिया जो पिछले तीन दिनों से चल रही है। खास तौर पर मैं प्रमुख विपक्षी

दल तथा उसके गठबंधन के दलों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होने आज इस चर्चा में भाग लिया। मुझे बहुत निराशा हुई होती यदि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोई चर्चा नहीं होती अथवा पिछले वर्ष की भांति जब कोई भी चर्चा नहीं हुई थी और विपक्षी दल की अनुपस्थिति में भी कोई चर्चा नहीं हो पाई थी।

महोदय, इस सदन ने बजट तथा विनियोग विधेयक पहले ही पारित कर दिया है। इसलिए, गैर-वित्त विधेयक संबंधी मुद्दे जिन्हें आज तथा पिछले सप्ताह यहां उठाया गया है, पर चर्चा करने हेतु कोई अन्य मौका अथवा अवसर उपयुक्त होगा, मेरा विचार है कि मुझे इस समय वित्त विधेयक संबंधी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने गैर-वित्त विधेयक संबंधी मुद्दों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है तथा मैं प्रत्येक सदस्य को लिखित उत्तर दूंगा अथवा अन्य अवसर पर इन मुद्दों पर उत्तर दूंगा। लेकिन इस समय मैं वित्त विधेयक संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। बजट पर चर्चा के समय मैंने कहा था चर्चा किए गए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं वर्षांत आंकड़े उपलब्ध कराऊंगा, उदाहरण के तौर पर कृषि को ही लीजिए। मैंने बजट भाषण में ऐसा कहा था। सरकार के अन्य सदस्यों ने भी इसे दोहराया था। मैं इसे दोबारा दोहराता हूं। सरकार की योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2003-04 में जब हमने कार्यभार ग्रहण किया, तब 80000 करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में वितरित किये गये थे। हमने वर्ष 2004-05 में 1,05,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया। बजट भाषण में, मैंने कहा था कि हमें विश्वास है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। महोदय, इस सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 2004-05 को समाप्त वर्ष में तीन बैंकों यथा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से 1,05,000 करोड़ रुपये के निर्धारित कृषि ऋण के लक्ष्य के समक्ष 1,15,241 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। एक प्रकार से, वर्तमान वर्ष में इसने मेरे कार्य को बहुत मुश्किल कर दिया है, चूंकि मैंने कहा था कि हम इसे और 30 प्रतिशत बढ़ायेंगे। यदि यह एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये होता तब मैं इसे इस वर्ष एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा कर खुश होता। लेकिन अब हमने 1,15,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमारा कार्य और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम भरसक प्रयास करेंगे कि वर्तमान वर्ष के दौरान इसे और तीस प्रतिशत बढ़ा दिया जाए।

हमने वायदा किया था कि हम 50,00,000 नए किसानों को ऋण प्रणाली के तहत लाएंगे पिछले वर्ष 2004-05 के दौरान हमने इसमें 78,84,000 किसानों को शामिल कर एक उपलब्धि हासिल की।

शिक्षा ऋणों के संबंध में हमने कहा था कि हम इसे पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बढ़ाएंगे। वर्ष 2003-04 के दौरान, कुल 1983 करोड़ रुपये के 1,07,929 नए शिक्षा ऋण दिये गये थे। पिछले वर्ष के दौरान, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 3311 करोड़ रुपये के 1,65,791 ऋण दिए गए, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महोदय, इस वित्त विधेयक में हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के करों पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष इस सदन में कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैंने यह पढ़ा था और यह भी सुना था कि जो कुछ हमने पिछले वर्ष किया था, विपक्ष के माननीय सदस्य उसकी आलोचना कर रहे थे।

मैंने नोट किया कि वास्तव में उनकी आलोचना में ईर्ष्या का भाव भी शामिल था। जैसा कि मेरे प्रिय मित्र, श्री पवन कुमार बंसल जी ने इंगित किया कि पिछले छह वर्षों से वे यह वायदा कर रहे थे कि 1 लाख रुपये कि कर छूट सीमा को बढ़ायेंगे परंतु वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पिछले वर्ष किए गए हमारे प्रमुख कार्यों में कर छूट सीमा को एक लाख रुपये तक बढ़ाना भी शामिल था। तब मैंने यह कहा था कि जबकि कर छूट सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था तथापि यह सब कर दायरों पर लागू नहीं होगा। मैंने कहा था कि केलकर समिति की रिपोर्ट के अध्ययन पश्चात् इस वर्ष में इस पर पुनर्विचार करूंगा।

चर्चा के दौरान मुझे यह निराशा हुई कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कम से कम जिन्होंने आज तथा पिछले सप्ताह भाषण दिया था ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने, केलकर समिति की रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, जबकि इस समिति का गठन तात्कालिक सरकार द्वारा किया गया था। इस वर्ष हमने प्रत्यक्ष कर में सुधार को काफी हद तक पूरा कर लिया है। हम केलकर समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर चल रहे हैं। हमने सबको एक लाख रुपये की कर छूट दी है। हमने कर स्लैब की पुनर्समीक्षा की है। हमने कर दर को समायोजित किया है तथा हमने छूट सीमा बढ़ायी है।

और अधिक समय न लेते हुए, मुझे केलकर समिति के निष्कर्षों का शीघ्र उल्लेख करना है। केलकर समिति रिपोर्ट में यह कहा गया है कि:

> "इसलिए, कार्यबल यह सिफारिश करता है कि आप कर अधिनियम की धारा 16(1) के अंतर्गत मानक कटौती को समाप्त कर देना चाहिए।"

[श्री पी. चिदम्बरम]

धारा 88 (घ) तथा 88 (ग), जोकि वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं की कर छूट से संबंधित है, पर केलकर समिति सिफारिश करती है कि:

"धारा 88 के अंतर्गत कर छूट स्कीमों को समाप्त कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 88(ख) के अंतर्गत छूट को समाप्त कर दिया जाएगा। बढ़ी हुई छूट के मुद्देनजर, 65 वर्ष की आयु से कम की महिला करदाताओं को धारा 88(ग) के अंतर्गत प्राप्त छूट को समाप्त कर दिया जाएगा।"

धारा 80 (ठ) के अंतर्गत ब्याज के मुद्दे पर, समिति ने कहा:

"धारा 80(ठ) के अंतर्गत ब्याज आय तथा लाभांश के लिए आयकर आधारित कटौती समाप्त कर दी जाएगी।"

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** आप केलकर कमेटी की सिफारिशों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप उन सिफारिशों को मान रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** प्रो. मल्होत्रा, आपने इसका अध्ययन भी नहीं किया है। यदि आपने इसका अध्ययन किया है तथा इसकी आलोचना करते हैं तो, मैं इसका समर्थन करता। लेकिन आपने इसका अध्ययन भी नहीं किया है। इसलिए, मेरा विचार है कि आपने इस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया है।

जो हम कहना चाह रहे हैं वह यह है कि समिति ने इस मामले को उठाया तथा कई सिफारिशें की हैं। हमने क्या कार्यवाही की है? हमें प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना है। यहां कई छूटें दी गई हैं, रियायत तथा कर राहत देने के कई विधियां मौजूद हैं। इसलिए, हमने इसमें संपूर्ण सुधार किया है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह बहुत ही आसान है। हम कहते हैं कि एक लाख रुपये तक प्रत्येक व्यक्ति को कर छूट प्राप्त है। एक लाख के पश्चात् हम आपको बचत करने के बहुत से अवसर देते हैं। हम आपको यह बताने नहीं जा रहे हैं कि आप बचत कहां करोगे और कैसे करोगे। सरकार नागरिकों को यह नहीं बताती कि उन्हें किस तरह की प्रणाली में बचत करनी चाहिए, न ही सरकार किसी एक या दूसरी प्रणाली के पक्ष का समर्थन करती है। हमारा कहना है कि हम आपको 1 लाख रुपये की कुल छूट देते हैं और आप उन सतरह-अठारह बचत योजनाओं में से किसी एक में अपने मनचाहे तरीके से बचत करें। यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली को बहुप्रतीक्षित साफ सुथरा बनाने की योजना है। हमने यह प्रमुख सुधार किया है जिसको विश्लेषण, साक्ष्य नमूना अध्ययनों से प्रमाणित किया गया है; इसे कर विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से व्यापक परामर्श के पश्चात् लागू किया गया है; इसकी सिफारिश राजग सरकार द्वारा नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई थी। हमने अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हमने सभी सिफारिशों को नहीं माना है। हमने अपने विवेक का प्रयोग किया है। हमने इन सिफारिशों को स्वीकार करके एक प्रमुख कर सुधार कार्य किया है। मुझे यह कहते हुए निराशा हुई है कि प्रमुख विपक्षी दल को इस सुधार के प्रति अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यदि यह दल इसकी आलोचना करना चाहता है, तो आलोचना करे, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं इस उत्तर के साथ प्रसन्नचित्त रहूंगा। लेकिन, यदि यह आलोचना केलकर रिपोर्ट का अध्ययन किये बिना है, उस रिपोर्ट में दिये गये कारणों पर विचार किये बिना है, तो मैं केवल अपनी निराशा और दु:ख ही व्यक्त कर सकता हूं।

महिलाओं के संबंध में हमने कहा है कि हम कर छूट पद्धति से छुटकारा पाएंगे। हम इस छूट को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में हमने कहा कि हम कर छूट पद्धति से छुटकारा पाएंगे। हम इस छूट को बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करेंगे। यह उचित ही इंगित किया गया है कि थोड़े से मामलों में, मैं आपको संख्या थोड़ी देर में बताऊंगा, वास्तव में "मार्जिन" नकारात्मक प्रभाव है। इसलिए, मैंने कहा कि मैं इस समस्या से परिचित हूं, मैं इस समस्या के बारे में बताऊंगा। कुल मिलाकर, किसी वित्त विधेयक में हम कोई कर नहीं लगाते हैं; हम केवल कर का प्रस्ताव ही करते हैं। सभा उस प्रस्ताव को किसी न किसी तरह से पारित कर देगी। इस तरह वित्त विधेयक सभा में पेश किया जाना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए। मैं इस कर का प्रस्ताव कर रहा हूं। हां, मुझे यह बताया गया है कि मार्जिन संबधी कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना है। इसलिए, मैंने तब भी गर्व से कहा और अब भी गर्व से कहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं यूपीए सरकार का विशेष वर्ग है और हम उनके हितों की देखभाल करेंगे और हमने ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने रिबेट को 20 हजार रुपये से घटाकर 12 हजार रुपये कर दिया है।

*[अनुवाद]*

हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप वरिष्ठ नागरिकों की सेवा-सहायता करते-करते उनको भारी हानि पहुंचा रहे हैं।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, मुझे बताया गया कि प्रो. मल्होत्रा समाज विज्ञान के विशिष्ट प्राध्यापक हैं। इसलिए उन्हें आयकर विभाग के उन व्यक्तियों को कुछ श्रेय देना चाहिए जिन्होंने इस तालिका को तैयार किया है।

आओ वरिष्ठ नागरिकों के बारे में चर्चा करें। अब आपकी बात से ऐसा लगता है कि इस देश का प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक प्रभावित है। इस बात को याद करते हैं कि 1,50,000 रुपये से 2,00,000 रुपये की कर श्रेणी में वास्तव में कर दायरे में आने वाले और करदाता वरिष्ठ नागरिकों की संख्या केवल 1,51,377 ही है। यह वह संख्या है। करदाता कर निर्धारितियों की कुल संख्या गत दो वर्षों से एक समान रही है। अब सभी करदाताओं का 40 प्रतिशत वेतन भोगी करदाता हैं जिन्हें मानक-कटौती की छूट दी गई थी और 60 प्रतिशत बिना वेतन वाले वे करदाता हैं जिन्हें मानक कटौती की छूट नहीं दी गई थी। इसलिए हम उसी समानुपात को लागू करते हैं। या, हम इससे कुछ और अधिक उदार हो जाते हैं और थोड़ी नरमी बरतते हैं त्रुटिपूर्ण हो सकती है तो फिर हम 50 प्रतिशत का अनुपात भी लागू कर सकते हैं।

हम 103 करोड़ की जनसंख्या वाले सम्पूर्ण देश में मात्र 75,000 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, यदि कोई बचत नहीं की जाती-उन शब्दों पर ध्यान दें। आपके आकलन में त्रुटि यह है कि वे कुछ भी बचत नहीं करते हैं। वह पूर्णतया गलत है। आनुभविक साक्ष्य इसके पूर्णत: विपरीत हैं। आप यह क्यों कहते हैं कि वे कुछ बचत नहीं करते हैं? हमने इस श्रेणी के द्वारा की गई बचत के आंकड़े प्राप्त किये हैं। केलकर समिति ने अपनी तालिका में इसे प्रदर्शित किया है। केलकर समिति ने लाखों करदाताओं के नमूनों का अध्ययन किया है तथा यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वरिष्ठ नागरिक भी बचत करते हैं तथा उनकी बचत उनकी आय का लगभग 10 प्रतिशत है। लेकिन, तार्किक आधार पर मैं यह मान सकता हूं कि कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक तो हो सकते हैं जो बचत नहीं करते हों। अब हमारी गणना वही दर्शाती है जो वित्त विधेयक में यथाप्रस्तावित है, 1,38,000 रुपये और 1,80,000 रुपये की आयकर श्रेणी के बीच थोड़े से लोग मामूली रूप से प्रभावित हुए हैं। मैंने जो संशोधन आज पुर:स्थापित किया है उससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा। हमने समस्या का समाधान कर लिया है।

इसी प्रकार, यदि आप 10 प्रतिशत बचत की बात करते हैं जैसाकि केलकर समिति ने अपने अनुभव आधारित अध्ययन के आधार पर पाया है तो उससे न तो कोई प्रभावित हुआ है और न ही कोई प्रभावित होगा। इसी प्रकार, आप पेंशन भोगियो, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित रहे हैं। हम एक बहुत छोटी सी श्रेणी-पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों के विषय में बात कर रहे हैं। हमने इस बार जो किया है उससे वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति उस कर के दायरे के आंशिक नकारात्मक प्रभाव से बाहर निकल सकेगा। महिलाओं के मामले में, निस्संदेह रूप से ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। गणनाएं स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि एक बहुत छोटे से दायरे में आने वाले बहुत थोड़े से व्यक्तियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमने इसमें जो संशोधन किये हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा गया है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप पुराना रहने दीजिए, पुराने को क्यों हटा रहे हैं?

*[अनुवाद]*

यदि इसमें कोई नहीं है तो आप पहले वाली व्यवस्था को क्यों नहीं बनाए रखते? ...*(व्यवधान)* यदि कोई फर्क नहीं है तो पहली वाली व्यवस्था को बनाए रखें।

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं प्रो. मल्होत्रा को यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। उन्होंने पूछा है: अपने कर में छूट व्यवस्था को क्यों समाप्त किया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कर में छूट व्यवस्था को इसलिए समाप्त किया है क्योंकि कर में छूट व्यवस्था एक दोषपूर्ण व्यवस्था है; बचत कराने एवं राहत प्रदान करने का यह एक त्रुटिपूर्ण तरीका है। अब हम एक स्पष्ट, पारदर्शी व्यवस्था को अपना रहे हैं जिसमें नागरिकों को किसी भी प्रकार से बजट करने की स्वतंत्रता है। कर में छूट व्यवस्था, राज्य के किसी एक की अपेक्षा दूसरे तंत्र के प्रति पक्षपात को दर्शाता है। केलकर समिति ने यह सिफारिश की थी कि हमें कर में छूट व्यव्सथा से बाहर आकर सीधे कर बचत व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इसलिए, हमने सतर्कतापूर्वक कर बचत व्यवस्था को चुना है। अत: अब एक महिला के पास 1,35,000 रुपये के अतिरिक्त एक लाख रुपये होंगे। अत: 2,35,000 रुपये तक, कोई महिला विवेकपूर्ण तरीके से बचत करती है तो मुझे विश्वास है कि वह प्रो. मल्होत्रा की व्यवस्था की तुलना में और अच्छी प्रकार से बचत कर सकेगी-इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है ...*(व्यवधान)* एक वरिष्ठ नागरिक के मामले में 1,85,000 रुपये तक की आप पूर्ण रूप से कर मुक्त है। यदि वह अपनी आय का केवल 10 प्रतिशत को भी बचत करता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अनुभव यह दर्शाता है कि हर कोई बचत करता है।

मैं आपसे प्रभावित करने के उद्देश्य से पूछता हूं। यह प्रश्न पूर्णतया श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं। यदि वरिष्ठ नागरिक बचत नहीं करते हैं तो क्या हमें

[श्री पी. चिदम्बरम]

वरिष्ठ नागरिकों हेतु धारा 88ग को हटा देना चाहिए? यदि वरिष्ठ नागरिक बचत नहीं करते हैं तो हमने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्यों आरंभ की? क्या आपको पता है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 9 प्रतिशत ब्याज के अंतर्गत कितने लोगों ने खाते खुलवाएं हैं? तीन लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। अत:, इसका अर्थ है कि वरिष्ठ नागरिक बचत करते हैं। हम 75,000 अथवा 80,000 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि संख्या 60,000 के लगभग है। दूसरी ओर हम पाते हैं कि 9 प्रतिशत ब्याज के अंतर्गत केवल पिछले वर्ष ही तीन लाख वरिष्ठ नागरिक खाते खोले गए हैं। अत: मुझे खेद है कि ये सभी धारणाएं गलत हैं; कि वरिष्ठ नागरिक बचत नहीं करते, कि महिलाएं बचत नहीं करती, कि महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक यह नहीं जानते कि उनके हित में क्या है; और राज्य को यह बताना चाहिए कि किस प्रकार बचत की जाए, ये सब बातें गलत हैं। ये सभी धारणाएं गलत हैं। हमने व्यवस्था में सुधार किया है। प्रत्यक्ष करों में सुधार से मुझे आशा है कि इससे हमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की न केवल सदभावनाएं मिलेंगी अपितु इससे प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और प्रशासन में सुविधा भी होगी।

पिछले वर्ष, हमने कर संग्रहणों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए थे। मुझे बताया गया था कि ये महत्वाकांक्षी और अप्राप्य लक्ष्य है। इस वर्ष भी हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष अप्रत्यक्ष करों में 16.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष करों में 26.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि हाल के समय में सबसे अधिक वृद्धि है। केवल यही नहीं, यहां एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर कोई कहता है कि कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करो। अत: जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 1996-97 में 65 से घटकर 2003-04 में 5.38 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष इसमें सुधार हुआ है। यह सकल घरेलू उत्पाद के 5.38 प्रतिशत से बढ़कर 5.48 प्रतिशत हो गया।

इसी प्रकार, प्रत्यक्ष करों के संबंध में, प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 3.8 प्रतिशत था। 2004-05 में यह बढ़कर 4.27 प्रतिशत हो गया। अत: मुझे विश्वास है कि दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बदलाव आया है जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है। यदि हम कर सुधार, सरल कर प्रणाली, स्पष्ट कर दायरे और कर प्रावधानों और पारदर्शी कर प्रशासन को बनाए रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर राजस्व दोनों में वृद्धि कर सकते हैं।

**श्री खारबेल स्वाईं:** आप सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की बात कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या था और आपकी उपलब्धि क्या कर रही है? क्या आप इसका ब्यौरा देंगे? उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि यह महत्वाकांक्षी था या नहीं। कृपया आप हमें इसके बारे में बताएं।

**श्री पी. चिदम्बरम:** यह सब प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया था। मेरे विद्वान मित्र श्री स्वाईं को इसकी जानकारी होगी।

**सायं 6.00 बजे**

संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल कर संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान का समायोजन करना पड़ा क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि हुई, पैट्रोलियम कम्पनियों और बैंकों द्वारा कम भुगतान किया गया। इसे सभा के अनेक वाद-विवादों में स्पष्ट किया गया है। 3,00,000 करोड़ से कुछ अधिक निर्धारित कुछ लक्ष्य, जो संशोधित अनुमान में 3,05,714 करोड़ रु. है, में 1,458 करोड़ रु. की कमी आई है। संशोधित अनुमान में पर्याप्त ...*(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** चिदम्बरम जी, कृपया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का ब्यौरा अलग-अलग दीजिए।

**श्री पी. चिदम्बरम:** जी हां, मैं दे रहा हूं। अप्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान का 100.01 प्रतिशत था और प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान का 98.91 प्रतिशत था। मैं यह प्रश्न पूछने के लिए आपका आभारी हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, जब तक इस विषय पर बहस पूरी नहीं हो जाती सभा बैठक की अवधि बढ़ा दी जाये। मैं समझता हूं सभी इससे सहमत होंगे।

**श्री पी. चिदम्बरम:** अप्रत्यक्ष करों के मामले में मैं कुछ राहत की घोषणा करूंगा। प्रत्यक्ष करों के मामले में मैं कुछ संशोधन पेश करूंगा।

महोदय, प्रत्यक्ष करों के मामले में, हम मुख्य राहत महिलाओं को दे रहे हैं, हम इसे 125000 रु. से बढ़ाकर 135000 रु. कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम इसे 1,50,000 रु. से बढ़ाकर 1,85,000 रु. कर रहे हैं।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों पर आता हूं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, मैंने बजट में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते से सम्बद्ध मदों और उनके विशिष्ट आदानों पर 4 प्रतिशत सीवीडी लगाई है। मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया शांत रहिए। यह अति महत्वपूर्ण विषय है।

**श्री पी. चिदम्बरम:** मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मोबाइल हैन्डसैट के पुरजों और संघटकों पर सी.वी.डी. से छूट की मांग की गई है। आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि एक प्रमुख कम्पनी ने पहले ही भारत में हार्डवेयर विनिर्माण सुविधा का पता लगाने का निर्णय लिया है। एक और कम्पनी इस दिशा में कार्य कर रही है। मोबाइल हैन्डसैट में विनिर्माण को सरल बनाने के लिए मैं दूसरे पुरजों पर 4 प्रतिशत सी.वी.डी. की छूट का प्रस्ताव करता हूं। आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु यन्त्रचालित पोतों और गहरे समुद्री नौकाओं को बढ़ावा देने, पारिस्थितिकी अनुकूल तरीके में हमारे समुद्री संसाधनों के वैज्ञानिक तरीके से दोहन हेतु और समुद्री क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैं टूना मछली पकड़ने के लिए 'मोनो-फिलामैन्ट लांग लाइन सिस्टम'' पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तक करने और उत्पाद शुल्क में छूट द्वारा उन्हें प्रति शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

सोया प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं केवल सोया प्रोटीन पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। कृषि मंत्रालय द्वारा धान और गेहूं उगाने वाले किसानों की आय के स्पष्टीकरण के लिए कृषि मंत्री ने 2003-04 में एक कृषि बीमा योजना शुरू की थी। मैने यह पाया कि ऐसी ही एक योजना नामत: राष्ट्रीय कृषि बीमा के तहत प्रीमियम को सेवा कर से पहले ही छूट दी गई है। अत:, मैं कृषि आय बीमा योजना के तहत प्रीमियम को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। गत वर्ष के बजट में, घरेलू कम्प्यूटर उद्योग के संरक्षण हेतु मैंने भारत में आयातित कम्प्यूटरों पर 7 प्रतिशत का अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया था ताकि उनके आदानों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क को प्रतिसंतुलित किया जा सके। मुझे यह बताया गया है कि व्याख्या की समस्या के कारण कम्प्यूटर की कुछ श्रेणियां जैसे लैपटाप कम्प्यूटरों पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। मैं सभी कम्प्यूटरों, चाहें वे सीपीयू, मानीटर, माऊस और की बोर्ड के रूप में आयातित किये जाते या एक सेट अथवा किसी दूसरे ढंग से आयात किये जाने हों, पर एक समान 7 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

टायरकार्ड वस्त्र उद्योग ने यह अभ्यावेदन दिया है कि वह उनके आदानों पर भुगतान किये गये शुल्क का क्रेडिट का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके उत्पादन, नायलान टायरकार्ड वस्त्र पर 8% उत्पाद शुल्क लगता है जबकि उनके कच्चे माल नायलान पर 16% उत्पाद शुल्क लगता है।

उत्पाद शुल्क ढांचे में अनियमितता को हटाने के लिए मैं 840 डेनियर से ऊपर नायलान टायरकार्ड वस्त्र पर 8% से 16% तक वैकल्पिक उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, वैकल्पिक छूट की उपलब्धता जारी रहेगी।

अंतिम रूप से मैंने शीरे पर विशिष्ट शुल्क में 500 रुपये प्रति टन से 1000 रुपये प्रति टन तक वृद्धि की थी। चीनी उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों पर प्रतिक्रिया देते हुए और माननीय कृषि मंत्री के अनुरोध पर मैं बजट में प्रस्तावित शीरे पर शुल्क को 1000 रुपये प्रति टन से कम करके 750 रुपये प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य माननीय सदस्य ने अप्रत्यक्ष करों के बारे में कोई विशिष्ट मुद्दा उठाया था। इसीलिए, मैं यह मानता हूं कि सभी व्यक्ति अप्रत्यक्ष करों के बारे में सामान्यत: प्रसन्न है और कोई विशिष्ट मुद्दे नहीं है-जिनमें दो मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है-जो कथित रूप से विवादास्पद है। पहला नकद लेन-देन कर है और अन्य अनुषंगी लाभ कर है। परन्तु इससे पहले मैं आई.टी.सी. के बारे में बताना चाहता हूं।

महोदय, आई.टी.सी. एक ऐसा मामला है जो वर्ष 1987 में शुरू हुआ था। इसे व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है और इसे उच्चतम न्यायालय में स्वीकार किया गया था कि आई.टी.सी. द्वारा अनुसरित एक निश्चित कीमत प्रणाली के कारण खुदरा व्यापारी एम.आर.पी. से ऊंची कीमत पर सिगरेट बेच रहे थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है। उत्पाद शुल्क एम.आर.पी.-अधिकतम खुदरा कीमत पर एकत्र किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एम.आर.पी. से ऊंची कीमत पर बेचता है तब वह व्यक्ति राजस्व, जो वैध उत्पाद शुल्क है, से इन्कार कर रहा है।

अन्ततोगत्वा यह मामला उच्च न्यायालय तक गया था। उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णायक को मांग निर्धारित करने के लिए निर्देश दिये। न्याय निर्णायक ने आई.टी.सी. और विनिर्माता कंपनियों द्वारा देय शुल्क का निर्धारण किया था। यह मामला अधिकरण में अपील हेतु गया। अंतिम रूप से यह मामला जनवरी, 1999 में उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। इन कार्यवाहियों के लंबित रहने तक आई.टी.सी. ने लगभग 800 करोड़ रुपये की कुल मांग के विरुद्ध 350 करोड़ रुपये जमा किये।

6 नवम्बर, 2003 को उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि-वास्तव में यह समझौते के माध्यम से मुद्दे से निपटने के लिए पार्टियों हेतु व्यवहारत: एक निर्देश था। केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया था जिसने यह सिफारिश की कि उनके द्वारा प्राप्त की गई कानूनी सलाह के मद्देनजर सरकार का बहुत ही मजबूत मामला था और इसीलिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए और उन्हें इस मामले पर तर्क-वितर्क करना चाहिए।

[श्री पी. चिदम्बरम]

तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकट रूप में इस सिफारिश से प्रसन्न नहीं थे और यह कहा कि वे चर्चा चाहते हैं। यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष दो हफ्ते बाद आया था। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर यह टिप्पणी की कि पार्टियों को इस विवाद के समाधान हेतु गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। परामर्शदाता ने यह कहते हुए सरकार को लिखा कि 'उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी इसलिए मैं समझौते के माध्यम से इस मामले के समाधान हेतु आपको सलाह देता हूं।

बोर्ड ने अगले दिन इस मामले पर विचार किया और एक बार फिर यह मत व्यक्त किया कि सरकार को इस मामले संबंधी समझौता नहीं करना चाहिए। माननीय मंत्री ने यह नोट किया कि 'मैं इस मामले पर चर्चा चाहता हूं।' तत्पश्चात्, किसी भी वजह से कोई भी चर्चा नहीं हुई। फाइल बिना किसी चर्चा के और बिना किसी निर्णय के वहां पर पड़ी रही।

इस मामले के संबंध में फैसला 8 जनवरी, 2004 को सुरक्षित रखा गया और फैसले को सुरक्षित रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि 'अब हम इस मामले पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। आठ माह के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने 10 सितम्बर, 2004 को फैसला दिया। तुरंत ही बोर्ड ने 7 अक्तूबर को समीक्षा याचिका दर्ज की। यह उस स्तर पर है कि सरकार के राजस्व को बचाने के लिए अध्यादेश की उद्घोषणा की गई थी। हमारे पास 350 करोड़ रुपये थे और यदि अध्यादेश की घोषणा नहीं की जाती तो हमें तुरंत ही 350 करोड़ रुपये वापिस करने होंगे। वास्तव में एक कमिश्नर, जिसके पास थोड़ी सी जमा राशि थी, ने बहुत तत्परता से फैसले के पश्चात् तुरंत ही कुछ करोड़ रुपये वापिस किये थे। अतः, अध्यादेश की उद्घोषणा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि कोई भी रकम वापिस नहीं की गई है।

आई.टी.सी. ने उस चरण में यह प्रस्ताव किया कि निर्णय उनके पक्ष में होने के बावजूद वे मामले पर समझौता करने के इच्छुक हैं। मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात जिसके लिए मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं-मैंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार कहा था कि यह मामला समझौते के द्वारा हल किया जाना चाहिए। हमने एक अध्यादेश पारित किया है। मुकदमेबाजी पुनः आरंभ हो जाएगी। इसमें 10 या 20 वर्ष और लग जाएंगे। हमें पता नहीं कि हम मुकदमा जीतेंगे या हारेंगे। हम मुकदमा हार गए हैं। हमारी पुनरीक्षा याचिका भी खारिज हो गई है। जब आई.टी.सी. ने प्रस्ताव किया था तब हमें समझौता स्वीकार्य नहीं था। इसके बाद आई.टी.सी. ने बेहतर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के तहत-ये उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर की गई टिप्पणियों के अनुसार थी, मैं दोहराता हूं-ये मात्र टिप्पणियां या सुझाव थे। उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार टिप्पणी की कि सरकार ने 350 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं शेष राशि हेतु आप समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हम समझौता प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे जिसके तहत सरकार द्वारा वसूल की गई राशि को सरकार रख लेगी और शेष राशि पर सरकार दावा नहीं करेगी तथा कुछ करोड़ रुपये जो हमने आई.टी.सी. को तत्परता से लौटा दिये थे, आई.टी.सी. से पुनः वसूल कर लिये जाएंगे। इस बीच यह राशि वसूल कर ली गई है। महोदय, 350 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा हैं। हमने शेष राशि का दावा छोड़ दिया है और निर्णय के तहत उन्होंने भी अपना दावा छोड़ दिया है। मेरे विचार से यह समझौता 2003 में तभी कर लिया जाना चाहिए था जब उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा था कि दोनों पक्षों के समझौते हेतु यह उपयुक्त मामला है। फाइल से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन मंत्री बोर्ड की सिफारिश से संतुष्ट नहीं थे, परन्तु उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और मामले को वहीं छोड़ दिया। हमने निर्णय नहीं लिया है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदयः** आप बैठिए।

*[अनुवाद]*

मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः** पहले वे अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं फिर इसे व्यपगत होने देते हैं और तत्पश्चात् समझौता करते हैं।

**अध्यक्ष महोदयः** आपने अपनी बात कह दी है।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः** यह एक बहुत ही ...*(व्यवधान)* उन्होंने पहले समझौता क्यों नहीं किया?

*[हिन्दी]*

आर्डिनैंस लाने से पूर्व कम्प्रोमाइज करते, पहले फैसला करते।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयः** आपने सही मुद्दा उठाया है और उन्होंने उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वित्त मंत्री ने आपकी बात सुन ली है।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** एन.डी.ए. के दो सम्माननीय नेताओं ने सरकार को लिखा है कि अध्यादेश सही नहीं है इसे वापस ले लेना चाहिए। विपक्ष के दो सम्माननीय नेताओं ने कहा है कि अध्यादेश को वापस ले लेना चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बैठ जाइए।

**श्री पी. चिदम्बरम:** यदि हमने उनके सुझाव पर अध्यादेश वापस ले लिया होता तो हमें 800 करोड़ रुपये का नुकसान होता। हमने 350 करोड़ रुपये वसूल किए हैं *...(व्यवधान)* मैं प्रतिपक्ष नेता को प्रतिपक्ष के दो सम्माननीय नेताओं के नाम बताने के लिए तैयार हूं। हमने कहा कि यदि हम अध्यादेश वापस ले लेते हैं तो सरकार को 350 करोड़ रुपये वापस करने होंगे। अत:, जब समझौते का प्रस्ताव आया विपक्ष के दो नेताओं के सुविचारित सुझाव तथा पत्रों को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया कि यू.पी.ए. सरकार के लिए 350 करोड़ रुपये वापस करना सही नहीं होगा। एन.डी.ए. सरकार शायद यही करती। परन्तु हमने 350 करोड़ रुपये बचाने का तरीका ढूंढ़ा।

इसलिए, हमने इस मामले पर विचार किया। हमने आपके विचार को ध्यान में रखते हुए 350 करोड़ रुपये रखने का निर्णय लिया और समझौतों को स्वीकार किया न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के तहत समझौते को रिकार्ड करने और अध्यादेश को व्यपगत होने *...(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** क्या आप मुझे एक मिनट की मोहलत दे सकते हैं?

**जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** यह एकदम स्पष्ट है, आप संदेह क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री ने आपकी बात मान ली है।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** मेरा विचार है कि इस पूरे मुद्दे में आपने एक बात को शामिल नहीं किया है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श के विरुद्ध बार-बार किसी ने सरकार को सुझाव दिया। क्या इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही की गई है? उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो बार-बार यह कहते रहे कि उनका मामला बहुत मजबूत स्थिति में है तथा संपूर्ण प्रकरण को 8-10 माह तक लंबित कर दिया। इसलिए हमें यहां यह मामला उठाना पड़ा *...(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व):** वह कौन सी बात है जो मंत्री जी को सदन में नामों का खुलासा करने से रोक रही है? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप इसे वित्त मंत्री पर छोड़ दें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आप बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको अपने वित्त मंत्री पर विश्वास होना चाहिए। वह बहुत ही काबिल मंत्री है। यदि आप सुझाव दे रहे हैं कि वाद-विवाद का किस प्रकार संचालन होना चाहिए, वे अपना ख्याल स्वयं रख सकते हैं। उन्होंने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी की बात मान ली है। उन्होंने प्रश्न किया है, वे इसका उत्तर देंगे।

*...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं भी एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रतिपक्ष का इसको स्वतंत्रता है।

**श्री पवन कुमार बंसल:** नाम बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। महोदय, आप वहां मौजूद नहीं थे *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री लाल सिंह, आप क्या कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** आप की अनुपस्थिति में, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि नाम बताए जाएं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है। माननीय मंत्री ने कुछ माननीय नेताओं से सहायता प्राप्त करने की बात स्वीकार की है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया आप बैठ जाएं। आपकी सीट वहां है।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अनिल बसु, आप उस सीट से बोल रहे हैं जो आपकी नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

वित्त मंत्री महोदय, कृपया आप भाषण शुरू कीजिए।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी का बहुत सम्मान करता हूं। वे हमारी स्थायी समिति के सभापति है। मुझे हमेशा उनकी बात का उत्तर देना पड़ेगा, अन्यथा मैं उनकी दृष्टि में सम्मान का स्थान नहीं पा सकूंगा। अब, मुझे ऐसी कोई सलाह नहीं दी गई थी। वह सलाह रा.ज.ग. सरकार को दी गई थी। यह सलाह की हमारा मामला सुदृढ़ है इसे बोर्ड द्वारा नकार दिया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है-मैं इन शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक कर रहा हूं-कि तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा भी इसे स्वीकार नहीं किया गया था। वे चर्चा चाहते थे। पुन: सलाह को दोहराया गया था। पुन: बोर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोबारा मंत्री ने इस पर सहमति नहीं दी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि मंत्री ने परामर्श के पक्ष अथवा उसके विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया। इसी दौरान, निर्णय आरक्षित था। जब हमने कार्यभार संभाला, तब छह माह से निर्णय आरक्षित रखा गया था। हमें चार माह पश्चात् ही निर्णय प्राप्त हुआ। इसलिए हमने जो भी किया वह चिरकालीन लंबित विवाद को सुलझाने हेतु राजस्व के सर्वोच्च हित में था *...(व्यवधान)*

मुझे हर्ष है कि हमने प्रतिपक्ष के प्रमुख सदस्यों द्वारा दिए गए परामर्श पर कार्यवाही नहीं की। हमने अपने विवेक से काम लिया।

**अध्यक्ष महोदय:** जी, हां। मंत्री महोदय आप अपनी बात जारी रखें।

**मोहम्मद सलीम:** हमें सदस्यों के नाम बताए जाने चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। केवल वित्त मंत्री का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** आप जानते हैं कि यदि आपको कुछ कहना है तो आपको अपनी सीट पर जाना पड़ेगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपने जो कहना था, कह लिया।

*...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** कुछ सदस्यों का अलग मत है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय वित्त मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने जनरल खंडूड़ी की बात मान ली है। उन्होंने उसका उत्तर दिया है, मैंने अनुमति दे दी है। यह स्वीकार करना उन पर निर्भर करता है। यदि आप सब सामूहिक रूप से खड़े होकर, अपनी बात कहेंगे-चूंकि आपमें से अधिकतर गलत सीटों पर हैं-इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सलीम।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री बसु, कृपया शांत रहें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** डा. चक्रवर्ती, आप बैठ जाएं। जब मैं बोलने के लिए खड़ा होऊं तो किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जी हां, वित्त मंत्री महोदय, यदि आप कुछ माननीय सदस्यों की बात मानना चाहेंगे तो यह एक अलग बात होगी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अन्यथा, वित्त मंत्री अपना भाषण जारी रखेंगे चाहे वे आपका सुझाव स्वीकार करें या नहीं। लेकिन आप सबको उठने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह पूर्णरूप से उन पर निर्भर करता है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री तोपदार, कृपया बैठ जाएं। उन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं केवल उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं *...(व्यवधान)* वे सदस्य कौन थे? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** वे इसे नहीं मान रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत आश्चर्यजनक है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): नाम बताने में आपत्ति क्या है? *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। एक बार मैंने कह दिया कि मैं इसकी कभी भी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले:** उन दो नामों का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं सभा की कार्यवाही स्थगित करके संबंधित सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं ऐसा करूंगा।

**कुमारी ममता बनर्जी:** मुझे नेता का नाम बताइए *...(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं बैंकों से नकद लेन-देन पर चर्चा करना चाहता हूं *...(व्यवधान)* यह एक गलत धारणा है कि बैंक में जो रकम रखी जाती है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया शांत रहिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामकृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जब तक वह अपनी बात पूरी नहीं करते हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री यादव, वाद-विवाद करने का एक तरीका होता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में इसे शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में इसे शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मेरी अनुमति के बिना किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्री जब तक अपनी बात पूरी नहीं करते, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

*...(व्यवधान)**

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं बैंक से लेन-देन पर कर संबंधी चर्चा पर वापस लौटना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी करनी चाहिए। वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री पी. चिदम्बरम:** एक आम गलत धारणा यह है कि बैंक में जो धन रखा जाता है वह काला धन नहीं होता। यदि वह धन बैंक में जाता है तो वह सन्देहास्पद खाता नहीं होता है। मेरा विश्वास है कि यह धन सही होता है। वास्तव में, बैंकिंग प्रणाली, धनशोधन का एक अच्छा खासा साधन है। इस देश में इस बात के व्यापक प्रमाण हैं कि धनराशि नकद जमा की जाती है; धनराशि नकद आहरित की जाती है; यह एक शहर में एक खाते में डाली जाती है और दूसरे शहर में दूसरे खाते से निकाली जाती है; और इलेक्ट्रानिकी से अन्तरण के इस युग में, बैंकिंग प्रणाली काले धन को सफेद धन में बदलने का एक सबसे आसान तरीका बन गया है। ऐसा नहीं है कि नकद लेन-देन पर कर को लगाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। बहुत से देशों में नकद धनराशि जमा करने और उसे निकालने पर दोनों पर नकद लेन-देन कर लगा हुआ है। बहुत सतर्क और कष्टदायक विचार-विमर्श के बाद हमने पाया कि यदि हम धन को नकद जमा करने पर कर लगाते हैं तो इससे हम लोगों को बहुत पीड़ा होगी। परन्तु हमें एक कर प्रणाली बनाई रखनी होगी और एक निश्चित सीमा से अधिक सभी नकद आहरणों पर कर लगाना होगा।

यह सीमा का एक प्रस्ताव है। आपने मेरे सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और मैंने आपकी चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैंने सभी बचत खातों को इन लेन-देनों से मुक्त कर दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि आम आदमी इसके दायरे से बाहर हो जायेगा। औसतन आम आदमी का बचत खाता होता है; बचत खाते इसके दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। अत:, हम किसकी बात कर रहे हैं?

दूसरी बात में आपसे पूछता हूं कि इस देश में कितने लोग ईमानदार करदाता है अथवा ऐसे कितने ईमानदार नागरिक हैं जो प्रतिदिन 10,000 रुपये आहरित करते हैं? आप सभी 10,000 रुपये की बात करते हैं किंतु आप एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ कर यह नहीं कहते कि एक ही दिन में 10,000 रुपये यदि आप चाहें तो प्रतिदिन 9999 रुपये निकाल सकते हैं, परन्तु इतना पैसा निकाल सकते हैं? हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपये प्रति वर्ष है। यदि प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपये प्रति वर्ष है तो, क्या कोई गंभीर रूप से यह कह सकता है कि इस देश में करोड़ों लोग, एक दिन में 10,000 रुपये निकालने पर लगने वाले इस कर से प्रभावित होंगे। मैं सोचता हूं कि यह एक आश्चर्यजनक तर्क है। तथापि, मैंने आपकी आलोचना का उत्तर दिया है। मैंने व्यक्तिगत और हिन्दू अविभाजित परिवारों के खातों हेतु इस सीमा को बढ़ाकर एक दिन में 25,000 रुपये और कारोबार के लिए 1 लाख रुपये कर दिया है। यह कहकर कि इससे करोड़ों व्यक्ति प्रभावित होंगे, हम किसकी बात कर रहे

हैं। सभी बचत खातों पर इससे छूट दी गई है। जिस किसी के पास भी बचत खाता है, जो सामान्यत: अधिकांश वेतन भोगी लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों के पास होता है, वे इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। वे जो भी राशि निकालना चाहें निकाल सकते हैं। परन्तु मुझे विश्वास नहीं है कि वे अपने जीवन में किसी एक दिन 25000 रुपये कभी भी निकालेंगे।

मेरे पास काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए बैंकिंग प्रणाली को उपयोग करने संबंधी पक्के प्रमाण हैं। यही कारण है कि मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। हमें इस अर्थव्यवस्था को चैक अर्थव्यवस्था में बदलना होना; हमें इस अर्थव्यवस्था को प्लास्टिक कार्ड, दोनों क्रेडिट और डेबिट कार्ड अर्थव्यवस्था में बदलना होगा और हमें इस अर्थव्यवस्था को बैंक ट्रांसफर अर्थव्यवस्था में बदलना होगा। एक शहर ऐसा है जहां काफी समय से जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है और जो आयकर के निर्धारिती नहीं है उन्होंने एक बैंक की एक शाखा में एक खाते में नकद 1 करोड़ रुपये से लेकर 98 करोड़ रुपये तक जमा किये हैं और उन्होंने 25 करोड़ रुपये से लेकर 62 करोड़ रुपये तक आहरित किये हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** वे ऐसा कैसे करते हैं?

**श्री पी. चिदम्बरम:** यह आहरित किया जाता है।

ऐसे खाते खुले हुए हैं जिनमें करोड़ों रुपये नकद जमा किये जाते हैं। यह धन किसी अन्य व्यक्ति, जो आप कर निर्धारिती नहीं है, जिनके पास 'पैन' कार्ड नहीं है, के खाते में अन्तरित किये जाते हैं और तब यह धनराशि आहरित की जाती है। एक अथवा दो महीने की अवधि में इस प्रकार 200 करोड़ रुपये जमा किये गए। मैं आपको उदाहरण दूंगा। तत्पश्चात्, इस धनराशि को निकाला जाता है। 1 करोड़ अथवा पचास लाख रुपये आहरित किये जाते हैं।

यदि मुझे इसकी जानकारी रखनी है और एक बार जब कर लागू हो जाता है, तो रुपयों में निकाली गयी राशि की जानकारी प्राप्त हो तो मुझे सभी नकद लेन-देनों पर लगाना होगा-यह एक लघु कर है।

मैं यह नहीं पूछूंगा कि आपने 25,000 रु. क्यों निकाले? क्या मैं मूर्ख हूं जो ऐसा प्रश्न पूछूंगा। मैं यह सब पूछ कर अपना समय बरबाद नहीं करना चाहता परन्तु यदि मुझे लाखों और करोड़ों रुपयों में निकासियों का पता चलता है तो मैं यह जानने के लिए ये कौन लोग हैं उन लोगों की जानकारी एकत्र करूंगा ...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं:** लेकिन आप लेखापरीक्षा की जानकारी कैसे रखेंगे?

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे करूंगा।

**श्री खारबेल स्वाईं:** मैं अपनी धनराशि निकालूंगा और इसे कहीं और खर्च कर दूंगा।

**श्री पी. चिदम्बरम:** स्वाईं जी, कृपया इस प्रावधान को पारित करने में सहयोग दीजिए। मैं छह महीने बाद आकर आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है।

**श्री खारबेल स्वाईं:** आप छह महीने बाद इसके बारे में बताएंगे अभी नहीं।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया बीच में न बोले।

**श्री पी. चिदम्बरम:** यहां कुछ लोगों का मामला है जिन्होंने अल्पावधि में 110 करोड़ रु. नकद जमा किये और लगभग दो महीने की छोटी अवधि में 32 करोड़ रु. की निकासी की। इनमें से कोई भी निर्धारिती नहीं है। रिजर्व बैंक ने इस मामले की छानबीन की।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंकों की सभी चार शाखाओं ने फलां-फलां में कार्य कर रहे अपने अधिकारियों द्वारा परिचय/हस्ताक्षर अनुप्रमाणन के आधार पर खाते खोले थे और श्री फलां के खातों और उसके अन्य संबंधित खातों में बड़ी संख्या में और अव्याप्त्येय नकद लेन-देनों की अनुमति दी। संबंधित बैंकों ने लेन देनों जिसमें बड़ी धनराशि शामिल थी कि अनुमति देने के बावजूद श्री फलां फलां और अन्य संबंधित खाता धारकों के व्यवसाय, कारोबार और स्थानीय पते की जांच नहीं की। खाताधारकों की इस घोषणा को, कि वे आयकरदाता नहीं हैं, बिना किसी सत्यापन के पड़ताल के स्वीकार कर दिया गया।

आगे यह बताया गया है कि बैंक के कर्मचारियों ने बताया था कि उनके मुख्य कार्यालय ने भारी राशि के लेन-देन हेतु कोई अनुदेश अथवा दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे जब कि फलां फलां बैंक की शाखाओं ने मुख्य कार्यालय के अनुदेश का पालन नहीं किया।

यह भी बताया गया है कि अधिकांश खातों को अक्तूबर 1999 से अप्रैल 2000 के बीच 'अपडेट' किया गया था। संबंधित बैंकों की मुम्बई शाखाओं से टेलीग्राफिक ट्रान्सफर/एमटी/डीडी के माध्यम से खातों में भारी राशि जमा की गई। खातों से निधियों की भारी राशि में नकद में निकासी की गई। किसी व्यक्ति नाम से खाता धारक ने मुम्बई में खातों में नकद जमा किया। अक्तूबर 1999 से अप्रैल 2000 की अवधि के दौरान इसी बैंक की

[श्री पी. चिदम्बरम]

कोयम्बटूर, त्रिचुर, इरनाकुलम और पालघाट शाखाओं में लगभग 76.55 करोड़ रु. जमा किए गए और इस पूरी रकम को तुरन्त निकाल लिया गया। खाते में केवल अल्प राशि छोड़ दी गई।

मैं जिस विशेष मामले की बात कर रहा हूं वह 30 अक्तूबर 1999 और 25 नवम्बर 2000 के बीच का लेन देन है अर्थात एक वर्ष एक माह के बीच 207 करोड़ रु. की निकासी की गई और एक अन्य मामले में 20 अक्तूबर, 1999 से 13 अगस्त, 2002 के बीच 217 करोड़ रु. नकद निकासी की गई। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे देखने दीजिए कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। हम लोगों से यह नहीं पूछेंगे कि आपने 25,000 रु. अथवा 30,000 रु. क्यों निकाले। आप ऐसा क्यों करते हैं। परन्तु मुझे कर संबंधी जानकारी होनी चाहिए। जब हमें प्रत्येक बैंक की शाखा, जो पूरी जानकारी देने के लिए बाध्य हैं, से पूरी सूची मिल जाएगी, तभी हम खेदजनक लेन देन का सही सही पता लगा पायेंगे। कृपया मेरे निर्णय पर विश्वास कीजिए। अत्यंत सतर्क जांच के बाद हमने इसे प्रारंभ किया है। आपकी भर्त्सना के बाद हमने 25,000 रु. की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दिया है। हमने बैंक के सभी बचत खातों को छूट दी है। मैं आपका सहयोग चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में संशोधन को वापस लेंगे। *...(व्यवधान)*

अंत में अतिरिक्त लाभ कर की बात करेंगे। अतिरिक्त लाभ कर के बारे में एक दो टिप्पणियां की गई थीं। मैं आपको बता दूंगा कि क्या किया जा रहा है। अतिरिक्त लाभ की अभी परिकल्पना की गई है। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में बताया है। ऐसे कई भत्ते और अनुलाभ हैं जिन पर कर नहीं लगाया गया है। अब अनेक देशों में अतिरिक्त लाभ पर कर लगाया जाता है। भारत में 1997 में इस पर कर लगाया जाता था जिसे 'डिसअलावस्स रूट' कहा जाता था। परंतु 'डिसअलावन्स रूट' से आय कर अधिकारियों को स्वनिर्णय की शक्तियां प्राप्त हो गईं। अत: 1997 में मैंने स्वनिर्णय को समाप्त करने के लिए इस धारा में संशोधन कर दिया और कहा कि 'हम इस राशि पर कर नहीं लगाएंगे। परन्तु हमने देखा कि निगम क्षेत्र की प्रभावी कर दर, अत्यंत कम रहा है। जब कर दर 35 प्रतिशत थी तब निगम क्षेत्र की प्रभावी कर दर केवल 20 प्रतिशत थी। अत: परिकल्पित कर प्रणाली द्वारा हम उस भाग पर कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पष्टत: अनुलाभ, लाभ है परन्तु नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हाथों में कर के बिना ही जा रहा है *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री तूफानी सरोज** (सैदपुर): सदन की चिंता है कि एमपी लैड के बारे में भी बताएं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् हमने तीन प्रमुख संगठनों, सीआईआई, एसोचैम और फिक्की को बुलाया। हमने चार्टर्ड अकाउन्टैन्टस की भी सहायता ली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों का अध्ययन किया। उन्होंने हर बात की जांच की। मुझे अपने अधिकारियों से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिन्होंने उनके साथ व्यापक रूप से कई दिनों तक परामर्श किया और अब हमने इस प्रस्ताव में परिवर्तन किये हैं। हमें जो अतिरिक्त लाभ लगे हमने उन लाभों को कर से छूट दी है परन्तु उन्हें वे वैध कारोबार व्यय लगे। अतिरिक्त लाभ के आधार को हमने सभी मामलों से सिवाय चार के, 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

यह एक परिकल्पित कर है। परिकल्पित कर आवश्यक है क्योंकि आपको कल्पित लेखाकरण पद्धति से बचना है। लोग व्यय के वर्गीकरण को खाते के एक शीर्ष से निकालकर दूसरे शीर्ष में डाल सकते हैं। अत: यदि हमारे पास एक परिकल्पित कर होगा और लेखाकारण शीर्षों की एक व्यापक सूची होगी और एक समान आधार होगा तो कर अपवंचन की गुंजाइश अत्यंत कम हो जाएगी। हम सम्पूर्ण स्वनिर्णय को हटा रहे हैं। अब हम उन्हें एक कर लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र दाखिल करने के लिए कह रहे हैं जिसमें उसके लेखा परीक्षक द्वारा बताया जाएगा कि नए अध्याय में शामिल विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ये व्यय किये गये हैं। संशोधन में सम्पूर्ण अध्याय को बदल दिया गया है। यदि कर लेखा परीक्षक प्रभावित करता है कि ये शीर्ष हैं तो अधिकारी के पास स्वनिर्णय की शक्ति नहीं होगी। आयकर अधिकारी को वह कर संबंधी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र स्वीकार करना है जब तक कि वह जाली प्रमाणपत्र न हो। हम लेखापरीक्षक के उस प्रमाणपत्र को स्वीकार करेंगे।

चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान अपने दिशा-निर्देश और लेखाविधि मानदण्ड निर्धारित करेगा। इस व्यय पर आधार 20% की दर से होगा और उस आधार पर 30% कर लगाया जायेगा। इसे निगमित कर दर में जोड़ा जाता है यह मानते हुये कि प्रत्येक कंपनी प्रत्येक व्यक्ति को लाभ देती है-अब मैं सबसे महत्वपूर्ण मामले को ले रहा हूं-जो प्रत्येक कर्मचारी हेतु इस अध्याय में सूचीबद्ध है और इससे उस कंपनी के प्रभावी कर दर में 1 से 1.5% के बीच वृद्धि होगी। अत: प्रभावी दर में आज लगभग 20% अथवा 21% से लगभग 21% अथवा 22% तक वृद्धि होगी जबकि अनुसूचित दर अभी भी 30% है।

जब फिनलैंड से माननीय मंत्री हमारे यहां आये थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रभावी कर दर कितनी है और मैंने कहा कि यह 20% है। उन्होंने कहा कि यह एक कर संबंधी बचाव की

जगह है; और मुझे अपनी कंपनियों को भारत जाने के लिए कहना चाहिए। यह इस कारण है क्योंकि उनके देश में प्रभावी कॉरपोरेट कर दर 40% के आस-पास है और यह इस कारण है क्योंकि उन्हें निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे अन्य लाभ मिलते हैं। आज हमारी प्रभावी कर दर 20% है। हमें अवश्य ही प्रभावी कर दर को अनुसूचित दर में बदलना चाहिए। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कारपोरेट को थोड़े सा अधिक कर देना होता है। इसीलिए मैं संपूर्ण सभा से संशोधनों जिन्हें मैंने व्यापक परामर्श के पश्चात् अभी प्रस्तुत किया है, का समर्थन करने हेतु कहता हूं। इसके लिए व्यापक समर्थन है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक वाणिज्य मंडल ने प्रत्येक प्रस्ताव जिसे मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं को स्वीकार किया है। परन्तु, व्यापक स्तर पर वे सोचते हैं कि जो हमने किया है वह तर्कपूर्ण और सही है। मैं संपूर्ण सभा से नये अनुषंगी लाभ कर का समर्थन करने हेतु कहता हूं ताकि हम इस सरकार हेतु कुछ ज्यादा राजस्व एकत्र कर सके।

मेरे विचार से मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दों का उत्तर दे दिया है परन्तु अभी भी वैट बचा हुआ है। वैट केन्द्रीय कर नहीं है। वैट राज्य कर है। वैट में बिक्री कर को बदलना निहित है। मैं वैट नहीं लगा रहा हूं। हम वैट नहीं लगा रहे है। वैट को लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमने पिछले छह वर्षों के दौरान राज्य वित्त मंत्रियों को बैठक बुलाने और एकमत होने की सुविधा दी है। मुझे अत्यधिक विनीत भाव से यह कहने दीजिए। वैट स्वतंत्र भारत में किया गया एकल महत्वपूर्ण कर सुधार है। यह राज्य स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधार है। 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। सभी वित्त मंत्री श्वेत पत्र जारी करने पर सहमत हुए है। किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की थी जब फरवरी माह में श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ था। परन्तु आज कुछ राज्यों की वैट के संबंध में अलग राय है। मुझे खेद है कि कुछ राज्यों को, जो उन्होंने पिछले 6-7 वर्षों में वायदा किया उसे पूरा करना चाहिए। इन वित्त मंत्रियों की 79 बैठकें हुई है। परन्तु मैं आश्वस्त हूं कि वे इसे लागू कर देंगे।

जहां तक सी.एस.डी. कैंटीन पर वैट का संबंध है कोई भी एक जैसी पद्धति नहीं है। वैट से पहले भी कुछ राज्य सी.एस.डी. कैंटीन में की गई बिक्री के संबंध में बिक्री कर लगा रहे थे। जो राज्य पहले बिक्री कर लगा रहे थे वे अब वैट लगाया है। कई राज्यों में सी.एस.डी. कैंटीन बिक्री के संबंध में बिक्री कर नहीं था। वे वैट नहीं लगा रहे है। अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई है और अधिकार प्राप्त समिति ने सामान्यत: इस मामले पर चर्चा की है। यदि मैं कहता तो इस प्रकार कहता कि यदि सीएसडी कैंटिनों में वैट लागू होने से पूर्व बिक्री कर के संबंध में कोई भी स्थिति होती तो मैं राज्य सरकारों को सी.एस.डी. कैंटीनों को वैट से छूट देने की सलाह देता और मैं अब यह करूंगा।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:** धन्यवाद। कृपया उसे करें।

**श्री पी. चिदम्बरम:** यह मेरी सलाह है। परन्तु यह ऐसा मामला है जिसमें मैं केवल अपनी राजी करने संबंधी निपुणता का उपयोग कर सकता हूं। मैं ऐसा करूंगा। परन्तु मैं यह भी चाहता हूं कि आप अपनी सरकारों के साथ राजी करने संबंधी निपुणता का उपयोग करें और सभी राज्य सरकारों को कहे कि वे सी.एस.डी. कैंटीन बिक्री को वैट से छूट दे। हम अपनी राजी करने संबंधी निपुणता का उपयोग करेंगे। प्रत्येक पार्टी को वैट से सी.एस.डी. कैंटीन बिक्री को छूट देने के लिए किसी भी राज्य में पार्टी सरकार को मनाने के लिए अपनी राजी करने संबंधी निपुणता का उपयोग करना चाहिए। मैं सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा और सभी जवान और सभी सैनिक सभी राज्य सरकारों के प्रति आभारी होंगे।

परन्तु हमारा मत बहुत ही स्पष्ट है कि हम उनसे चाहते हैं कि वे सी.एस.डी. कैंटीन संबंधी बिक्री को वैट से छूट दें

महोदय, मेरे ख्याल से मैंने कर से संबंधित सभी मुददों का उत्तर दे दिया है। रत्न और आभूषणों के संबंध में सेवा कर के कुछ मुद्दे थे ...*(व्यवधान)* मैं पहले समाप्त करूंगा। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उनके समाप्त करने के पश्चात् आप, यदि कोई हो तो, स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, शिक्षा कर के संबंध में आपको आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 2004-05 हेतु शिक्षा कर से अनुमानित प्राप्तियां 5,010 करोड़ रुपये थी और सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीम पर अनुमानित व्यय तथा सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीम हेतु पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान, जिनकी पूर्ति शिक्षा कर द्वारा पूरी होनी थी, 8,035 करोड़ रुपये था। इसीलिए, हमने 5,010 करोड़ रुपये एकत्र किए थे परन्तु हमने 8,035 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। उसी तरह चालू वर्ष के लिए शिक्षा कर से अनुमानित प्राप्ति 6,975 करोड़ रुपये है। परन्तु हम 11,220 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसीलिए, संपूर्ण शिक्षा कर को खर्च किया जा रहा है। वास्तव में सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना पर अधिक खर्च किया जा रहा है।

प्रारंभिक शिक्षा कोष की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई है। यह अंतिम स्तर पर है। अब मंत्रिमंडलीय टिप्पण तैयार है। मंत्रिमंडल द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् इसकी औपचारिक रूप

[श्री पी. चिदम्बरम]

से घोषणा की जायेगी परन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा कोष समाप्त न होने वाली निधि होगी और इस शिक्षा उपकर का कोई भी भाग किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया जायेगा। यह केवल सर्वशिक्षा अभियान अथवा मध्याह्न भोजन योजना हेतु खर्च किया जाएगा।

महोदय, कश्मीर अप्रवासियों के संबंध में आयकर के बारे में कुछ प्रश्न थे। महोदय, इसकी पहली बार घोषणा वर्ष 1992 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। आदेश दिनांक 1-1-92 को धारा 119(2)क के अंतर्गत पारित किया गया था जिसके अंतर्गत रिटर्न दर्ज करने अथवा अग्रिम कर आदि के भुगतान न करने में विलंब हेतु आयकर अधिनियम की धारा 234क और 234ख के तहत लिया जाने वाला ब्याज छोड़ दिया गया है। एक अन्य आदेश दो और मूल्यांकन वर्षों हेतु लाभ देते हुये धारा 119(2)क के तहत दिनांक 20.12.1993 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः पारित किया गया था। ये वो आदेश है जिन्हें वर्ष-दर-वर्ष जारी रखा गया है। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी मौलिक अथवा अतिरिक्त कार्य नहीं किया। इसकी घोषणा 1992 या 1993 में की गई थी। इस सरकार के सत्ता में आने पर हमने इससे अलग कुछ भी नहीं किया। दिनांक 21.6.04 को हमने उसी आदेश को जारी रखा जो 1992 और 1993 में लागू था। अतः कश्मीरी अप्रवासी इससे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं हुए हैं। हमने उन्हें छूट दी है। कोई भी उन पर मुकदमा नहीं चला रहा है और कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। यदि ऐसा कोई विशेष मामला है जिसमें किसी आयकर अधिकारी ने उत्साह में आकर कोई कार्यवाही की है तो कृपया मुझे उसके बारे में बताइए। परन्तु हमारी नीति स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार ने 1992-93 में जो प्रारंभ किया था उसे वर्ष दर वर्ष जारी रखा गया और हमने भी इसे जारी रखा है तथा इसे अगले मूल्यांकन वर्ष में भी जारी रखेंगे।

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह:** एन.एस.सी. और वी.पी.एफ. के लाभ के बारे में क्या हुआ? यह लाभ उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं।

**श्री पी. चिदम्बरम:** हमने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।

मैंने आपका भाषण सुना। आप ई.ई.टी. के बारे में बात कर रहे थे। कृपया बजट भाषण सावधानी से पढ़िए। हम ई.ई.टी. कर प्रणाली शुरू नहीं कर रहे हैं। हमने केवल विश्व की विभिन्न प्रणालियों के बारे में बताया है और कहा है कि हम एक समिति नियुक्त करेंगे जो इसकी जांच करेगी और हमें सलाह देगी ...*(व्यवधान)*

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह:** आप लाभ का क्या करेंगे?

**श्री पी. चिदम्बरम:** जो लाभ पहले दिया जाता था वह अब भी दिया जाएगा। हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।

महोदय, मेरे ख्याल में मैंने वित्त विधेयक संबंधी प्रत्येक मुद्दे का जवाब दे दिया है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या हो गया है?

...*(व्यवधान)*

**श्री तरित बरण तोपदार** (बैरकपुर): महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। अप्रत्यक्ष कर के बारे में मेरा मानना है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के कर ढांचे को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष कर के संबंध में एक लम्बी प्रक्रिया के पश्चात अतिरिक्त लाभों के संबंध में उत्पाद काफी कम है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका क्या प्रश्न है?

**श्री तरित बरण तोपदार:** मैं पेट्रोलियम कर ढांचे के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, उन्होंने इस मुद्दे का उत्तर नहीं दिया है।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, यह एक मुद्दा है कि हमने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में जो परिवर्तन किए हैं वे राजस्व निष्प्रभावी (न्यूट्रल) नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं कि यह गलत धारणा कहां से उत्पन्न हुई है। यह पैट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन से उत्पन्न हुई हैं।

कृपया बजट भाषण पढ़िए। बजट भाषण के पैरा 135 के अंतर्गत 0.50 पैसे का एक नया अतिरिक्त उपकर लगाया गया है। पैरा 137, 138 और 139 पैट्रोलियम संबंधी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित है। इन दोनों को पैरा 136 द्वारा अलग-अलग किया गया है जो एक अलग विषय से संबंधित है। पैट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने कई दिनों तक बैठक की और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की उस 'निष्प्रभाव' दर का परिकलन किया जिस दर पर राजस्व निष्प्रभावी होगा। पैट्रोलियम मंत्रालय की सहमति के पश्चात् ही सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में, जो परिवर्तन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उनका राजस्व पर असर पड़ेगा और हमने इन्हें बजट में शामिल किया है। इस मुद्दे पर मेरे पास पैट्रोलियम मंत्रालय की सहमति है। मैंने कुछ दिन पहले पैट्रोलियम मंत्री को यह मुद्दा स्पष्ट किया था और उन्होंने प्रेस को बताया था

कि वे यह पूर्णत: स्वीकार करते हैं कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में किए गए परिवर्तनों का राजस्व पर असर होगा। मेरे पास अंतिम आंकड़े हैं और इनका राजस्व पर असर होगा।

पैरा 135 में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के वित्तपोषण के उद्देश्य से 0.50 पैसे का अतिरिक्त उपकर लगाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-III, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-I, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II जो उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम क्षेत्र है, से बाहर है। अब हम भारत के सभी घनी आबादी वाले सभी क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं राज्य राजधानियों को इससे जोड़ रहे हैं। इसमें भारी धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अधिक राशि की आवश्यकता हुई। अत: इसके वित्त पोषण हेतु हमने 0.50 पैसे का अतिरिक्त उपकर लगाया। इससे लगभग 3,000 करोड़ रु. का लाभ होगा और मुझे लगता है कि स्थायी समिति ने इन्हीं 3000 करोड़ रु. के लिए कहा है कि ये इसे राजस्व सकारात्मक बनाते हैं। अत: मेरा मानना है कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में किए गए परिवर्तन पूर्णत: राजस्व निष्प्रभावी (न्यूट्रल) हैं। यदि संसद द्वारा अतिरिक्त उपकर की अनुमति दी जाएगी तो आपको 3,000 करोड़ रु. प्राप्त होंगे और यदि संसद इसकी अनुमति नहीं देती तो आपको 3,000 करोड़ प्राप्त नहीं होंगे। परन्तु मेरा यह सविनय निवेदन है कि यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-III शुरू करना चाहते हैं तो अतिरिक्त उपकर की आवश्यकता है। अन्यथा भारत के अधिक भाग इसमें शामिल नहीं होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश भाग शामिल नहीं हैं। हमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-III और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। अत: इस अतिरिक्त उपकर का प्रस्ताव रखा गया है।

**श्री वसुदेव आचार्य:** क्या इस उपाय द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, फुटकर कीमत में किसी भी वृद्धि से निस्सन्देह ग्राहक प्रभावित होगा। परन्तु याद रहे, माननीय पेट्रोलियम मंत्री उचित अवसर पर इसका जवाब देंगे। वर्ष 2003-2004 में भारतीय बास्किट का औसत मूल्य 28 डालर एक बैरल था। वर्ष 2004-2005 में औसत मूल्य 39 डालर एक बैरल बढ़ गया। 2005-2006 में पहले 32 दिनों में औसत मूल्य 50 डालर एक बैरल के नजदीक था। अत: सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या मूल्य में कोई वृद्धि की जानी चाहिए। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका मैं वित्त विधेयक संबंधी वाद-विवाद में जवाब दूं। इस मुद्दे पर सरकार को निर्णय लेना है। परन्तु इस मुद्दे पर निर्णय होने से पहले हम लोगों और माननीय सदस्य की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि केन्द्रीय मंत्री मंडल मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और एक उचित निर्णय होगा।

मेरे विचार से, मैंने वित्त विधेयक संबंधी सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले:** अध्यक्ष महोदय, मैं एमपीलैड के बारे में कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** महोदय, मैं सादर यह बताना चाहूंगा कि एम.पी.एल.ए.डी. योजना का मामला वित्त विधेयक के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। एम.पी.एल.ए.डी. योजना एक अत्यंत व्यापक प्रश्न है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है और सभा के नेता और माननीय अध्यक्ष द्वारा इस मुद्दे पर जो कहा जाएगा उससे हमारा मार्गदर्शन होगा। परन्तु माननीय अध्यक्ष के कक्ष में अथवा एक उपयुक्त समिति में इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

एमपी लैड योजना के मुद्दे पर जवाब देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।

प्रो. मल्होत्रा का एक ही संशोधन है और श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु यहां मौजूद नहीं है। मुझे यकीन है कि नकदी आहरण बैंकिंग लेन-देन तथा दी जाने वाली कर रियायत के संबंध में मेरा स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् प्रो. मल्होत्रा अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** मेरा प्रश्न यह है कि ...

*...(व्यवधान)*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** महोदय, मेरे संशोधन मौजूद हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** इन पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री सुधांशु सील** (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम): महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने रत्न तथा आभूषणों पर सेवा कर संबंधी कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। मंत्री स्पष्टीकरण देना चाहते थे, पर वे दे नहीं पाए।

**श्री पी. चिदम्बरम:** रत्न तथा आभूषणों पर सेवा कर के संबंध में कुछ उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों ने कटाई तथा पालिशिंग गतिविधियों के आऊटसोर्स को 'सेवा' मान लिया। मैंने पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं तथा ऐसे अनुमोदन जारी किए जा रहे हैं कि यह 'सेवा' नहीं है बल्कि विनिर्माण का ही एक भाग है तथा आऊटसोर्स किए गए भाग पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जाएगा। इससे माननीय अध्यक्ष महोदय के पत्र का भी उत्तर मिल जाता है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं एम पी लैड्स पर किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल हाइवेज के बारे में चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक नियम बनाया गया है जिसके अनुसार 40 प्रतिशत राशि राज्य में केन्द्र सरकार इनवैस्ट करेगी और 60 प्रतिशत राशि का इनवैस्टमेंट प्राइवेट पार्टीज करेंगी। बिहार राज्य में अभी तक कोई टैंडर नहीं हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह बिहार के नेशनल हाइवेज के लिये पूरे तौर पर सपोर्ट देकर राशि देने की व्यवस्था करेंगे?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** हम सब इसका समर्थन करेंगे: प्रत्येक सदस्य इसका समर्थन करेगा।

प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

**खण्ड 2**

संशोधन किया गया: आयकर

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए,-

'परन्तु ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी और पूर्व वर्ष के दौरान किसी पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभाव रखेंगे मानो "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पैंतीस हजार रुपए" शब्द रखे गए थे:

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में जो पहले अनुसूची के भाग 3 पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की आयु का या उससे अधिक है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचासी हजार रुपए" शब्द रखे गए थे:'। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22, "परन्तु" के स्थान पर, "परन्तु यह भी कि" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है....

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपका मामला उठाया जाएगा। वे प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत हैं तथा वे अत्यंत कुशल लोग हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप संशोधन की एक प्रति उन्हें दे सकते हैं? संशोधनों की प्रतियां पहले ही परिचालित कर दी गई थी।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या उससे क्लैश नहीं होंगे?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आप किसी संशोधन पर और संशोधन का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैंने इसी खण्ड पर संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसी खण्ड में संशोधन हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपके संशोधन पर चर्चा की जाएगी।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** संशोधन कब लाया जाएगा? क्या इसे मतदान के पश्चात् लाया जाएगा?

**श्री पी. चिदम्बरम:** संशोधन संख्या 15 तथा 16, खण्ड 2 पर लागू होते हैं। आपका संशोधन खण्ड 6 पर लागू होता है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** जो सीनियर सिटिजन्स और वुमैन का 65 साल की उम्र वाला अमेंडमेंट है।

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम:** कृपया मेरी बात सुनिए। आपको इस प्रस्तावित संशोधन, खण्ड 6 से संबंधित है। आपके द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1, खण्ड 6 से संबंधित है; आपके द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 2 खण्ड 30 से संबंधित है; तथा आपके द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 खण्ड 31 से संबंधित है। यह खण्ड 2 है।

**अध्यक्ष महोदय:** जब हम खण्ड संख्या 6 पर आएंगे तब आपके संशोधन पर विचार किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

प्रश्न यह है कि:-

"कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खण्ड 3 तथा 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खण्ड 5**

*धारा 10क का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 23-24, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। 5

"परन्तु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व आय की कोई विवरणी नहीं देता है"।(17)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खण्ड 6**

*धारा 16 का संशोधन*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** अध्यक्ष महोदय, जो सीनियर सिटिजन्स का मामला है, इन्होंने सारी चीजों में एक्सप्लेन कर दिया है। मैं सब कुछ स्पष्ट करने नहीं जा रहा हूं। मैं यही कहूंगा कि, जो बाकी सबको मिला है, उससे ज्यादा सीनियर सिटिजन्स के लिए पहले ही बीस हजार रुपये थे, उसे इन्होंने कम करके 12 हजार रुपए कर दिया है। मैं इसे मूव करना चाहता हूं। मैं मानक कटौती की बात पर कर रहा हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** अब कोई भाषण नहीं होगा।

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

पृष्ठ 4, पंक्ति 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

*धारा 16 का संशोधन*

"6. आयकर अधिनियम की धारा 16 में, खण्ड (1) के स्थान पर 1 अप्रैल, 2006 से निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

(1) ऐसे निर्धारिती के मामले में जिसकी वेतन से आय, इस खंड के अधीन किसी कटौती की अनुमति से पूर्व,-

(क) पांच लाख से अधिक नहीं होती है, अधिकतम पैंतीस हजार रुपये की कटौती;

(ख) पांच लाख रुपये से अधिक होती है, पच्चीस हजार रुपये की राशि की कटौती।"

**अध्यक्ष महोदय:** मैं अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान हेतु रखता हूं।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु-अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है कि:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 7 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

[अध्यक्ष महोदय]

**खंड 21**

*नई धारा 80ग का अंत:स्थापन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 47, ''कर से प्रभार्य उसकी आय में से'' का लोप किया जाए। 21

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 21 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 22 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 30**

*धारा 88ख का लोप*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** सीनियर सिटिजन्स को जो पहले बीस हजार रुपये की टैक्स में रिबेट थी, वह कायम रहनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यह मेरा अमैन्डमैन्ट है।

*[अनुवाद]*

मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

पृष्ठ 11, पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

*धारा 88ख का संशोधन*

''30, आयकर अधिनियम की धारा 88ख में, 1 अप्रैल, 2006 से ''बीस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (2)

**अध्यक्ष महोदय:** मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 2 की सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सुरेश प्रभु-उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 30 विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 30, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 31**

*धारा 88ग का लोप*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** सर, यह महिलाओं के बारे में है। महिलाओं को जो पहले पांच हजार रुपये की रिबेट मिलती थी, उसे आपने कम करके साढ़े तीन हजार रुपए कर दिया है। महिलाओं को जो रिबेट पहले मिल रही थी, वह उन्हें मिलनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

मैं प्रस्ताव करता हूं:

*[हिन्दी]*

कि पृष्ठ 11, पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

*धारा 88ग का संशोधन*

''31. आयकर अधिनियम की धारा 88ग में, 1 अप्रैल, 2006 से ''पांच हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''सात हजार पांच सौ रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (3)

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक सदस्य ने वित्त विधेयक पर एक बहुत अच्छी बहस में योगदान दिया। हम इसे मर्यादित तरीके से करें।

*[हिन्दी]*

आप शांत रहिए।

*[अनुवाद]*

मैं. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 32 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**अध्यक्ष महोदय:** कुमारी ममता बनर्जी ठीक थीं। विचारार्थ एक खंड होना चाहिए था। वह केवल एक तरह का कर चाहती थीं। उससे मुझे मदद मिलती।

**खंड 37**

*नए अध्याय बारह-ज का अंत:स्थापन*

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 11, पंक्ति 45 से 46 का लोप किया जाए। (19)

पृष्ठ 11, पंक्ति 47, "(i)" के स्थान पर, "(i)" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

पृष्ठ 11, पंक्ति 48, "(iii)" के स्थान पर, "(ii)" प्रतिस्थापित किया जाए। (21)

पृष्ठ 12, पंक्ति 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(iii) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं किंतु धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन छूट के लिए पात्र या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यासों या संस्थाओं को अपवर्जित करते हुए;"। (22)

पृष्ठ 12, पंक्ति 2, "(v) के स्थान पर, "(iv)" प्रतिस्थापित किया जाए। (23)

पृष्ठ 12, पंक्ति 3, "(vi) के स्थान पर, "(v)" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

(श्री पी. चिदम्बरम)

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

*सीमांत फायदे।*

115बख. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "सीमांत फायदों" से नियोजन के लिए कोई ऐसा प्रतिफल अभिप्रेत है, जिसका निम्नलिखित के रूप में उपबंध किया गया हो,-

(क) कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा जो किसी नियोजक द्वारा, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, अपने कर्मचारियों को (जिनके अंतर्गत भूतपूर्व कर्मचारी भी है या हैं), प्रतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा, उपलब्ध कराई गई हो;

(ख) कोई नि:शुल्क या रियायती टिकट जो नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों को निजी यात्राओं के लिए उपलब्ध कराई गई हो; और

(ग) कर्मचारियों के लिए किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में नियोजक द्वारा कोई अभिदाय।

(2) सीमांत फायदे नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए समझे जाएंगे, यदि नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति (जिसके अंतर्गत कोई क्रियाकलाप भी है, चाहे ऐसा क्रियाकलाप आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता हो अथवा नहीं) के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रयोजनों पर कोई व्यय उपगत किया है या उनके लिए कोई संदाय किया है, अर्थात्:-

(क) मनोरंजन;

(ख) नियोजक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए प्रत्येक प्रकार के आतिथ्य का उपबंध, चाहे खाद्य या सुपेयों की व्यवस्था के रूप में हो या किसी भी प्रकार से किसी अन्य रीति में हो और चाहे ऐसी व्यवस्था किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा या रूढ़ि या पृथा के कारण की गई हो या नहीं किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है-

(1) नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्यालय या कारखाने में उपलब्ध कराए गए खाद्य या सुपेयों पर कोई व्यय या उसके लिए संदाय;

(2) ऐसे संदत्त वाउचरों पर कोई व्यय या उनके द्वारा संदाय, जो अंतरणीय नहीं है और केवल संयुक्त भोजन स्थल या दुकानों पर ही उपयोग के योग्य हैं;

(ग) सम्मेलन (किसी सम्मेलन में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के लिए फीस से अन्यथा)।

**स्पष्टीकरण**-इस खंड के प्रयोजन के लिए वाहन, पर्यटन और यात्रा (जिसके अंतर्गत विदेश यात्रा भी है) पर, किसी सम्मेलन के संबंध में होटल या आवास और भोजन पर कोई व्यय सम्मेलन के प्रयोजनों के लिए उपगत होने वाला व्यय समझा जाएगा;

(घ) प्रचार सहित विक्रय संवर्धन:

परंतु विज्ञापन पर ऐसा कोई व्यय, जो-

(1) किसी मुद्रण (जिसके अंतर्गत जर्नल, सूचीपत्र या कीमत सूचियां भी हैं) में या इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा परिवहन पद्धति

[अध्यक्ष महोदय]

से किसी प्रकार के विज्ञापन पर व्यय (जिसके अंतर्गत किराया भी है) है;

(2) कोई प्रेस सम्मेलन या कारबार कन्वेन्शन, मेला या प्रदर्शनी कराने, या उसमें भाग लेने के लिए व्यय है;

(3) किसी सरकारी अभिकरण या व्यवसाय संगम अथवा निकाय द्वारा प्रायोजित किसी खेलकूद घटना या किसी अन्य घटना के प्रयोजन पर व्यय है;

(4) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी आदेश द्वारा प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना के किसी प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन पर व्यय है;

(5) चिह्नों, कलाकृति, पेन्टिंग, ध्वजाओं, चंदोवाओं, सीधे डाक, विद्युत दृश्यात्मक प्रस्तुतियों, छत्रियों, विज्ञापन पट्टों, कलाकार नामपट्टों के रूप में विज्ञापन पर या विज्ञापन के ऐसे अन्य माध्यम के रूप में, व्यय है; और

(6) उक्त खंड (1) से खंड (5) के प्रयोजनों के लिए किसी विज्ञापन अभिकरण को संदाय के रूप में व्यय है,

विक्रय संवर्धन पर, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है, व्यय नहीं समझा जाएगा;

(ङ) कर्मचारी कल्याण;

**स्पष्टीकरण**-इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई कानूनी बाध्यता पूरी या उपजीविकाजन्य खतरे कम करने या नियोजक द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल या औषधालयों में प्राथमिक उपचार सुविधाओं का उपबंध करने के लिए उपगत कोई व्यय या उसके लिए किया गया संदाय कर्मचारी कल्याण के लिए कोई व्यय नहीं समझा जाएगा;

(च) वाहन, पर्यटन और यात्रा (जिसके अंतर्गत विदेश यात्री भी है);

(छ) होटल आवास और भोजन सुविधाओं का उपयोग;

(ज) मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है), अनुरक्षण और उन पर अवक्षयण की रकम;

(झ) वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण तथा उन पर अवक्षयण की रकम;

(ञ) पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है) उपयोग;

(ट) प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुरक्षण;

(ठ) उत्सव समारोह;

(ड) स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग;

(ढ) किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग;

(ण) दान; और

(त)छात्रवृत्तियां।'।

पृष्ठ 12, पंक्ति 42 से पंक्ति 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,- (26)

"(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेषाधिकार, सेवा, प्रसुविधा या सुख-सुविधा के अंतर्गत ऐसी परिलब्धियां नहीं हैं, जिनके संबंध में कर्मचारी द्वारा कर का संदाय किया जाता है या वह संदेय है।"।

पृष्ठ 12, पंक्ति 47 से पंक्ति 49 और पृष्ठ 13, पंक्ति 1 से पंक्ति 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,- (27)

*सीमांत फायदों का मूल्य।*

'115बग. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, सीमांत फायदों का मूल्य निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात्:-

(क) वह खर्च, जिस पर धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट फायदे नियोजक द्वारा आम जनता को उपलब्ध कराएं जाते हैं, इसमें से उसके कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा संदत्त या उनसे वसूल की गई रकम को, यदि कोई हो, घटा दिया गया हो:

परंतु उस दशा में, जहां धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय उक्त धारा की उपधारा (2) के किसी अन्य खंड में सम्मिलित किए जाते हैं, वहां ऐसे अन्य खंड के अधीन सम्मिलित किए गए कुल व्यय को सीमांत फायदों के मूल्य की संगणना करने के लिए उक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यय की रकम में से घटा दिया जाएगा।

(ख) धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अभिदाय की वास्तविक रकम;

(ग) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत;

(घ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ठ) से खंड (त) में निर्दिष्ट व्ययों का पचास प्रतिशत।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) होटल के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान, पर "पांच प्रतिशत" होगा;

(ख) संरचना के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" होगा;

(ग) भेषजीय औषधियों के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115 बख की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" होगा;

(घ) कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" होगा;

(ङ) मोटर कार द्वारा यात्रियों या माल को ले जाने के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ज) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" होगा;

(च) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल को ले जाने के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (झ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य शून्य के रूप में लिया जाएगा।'।

पृष्ठ 15, पंक्ति 19 में "115ब-झ" के स्थान पर "115बझ" प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**सायं 7.00 बजे**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 38 और 39 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

**खंड 40**

*धारा 139 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 14 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

'(3) पहले परन्तुक में,-

(अ) "पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय" शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ष के दौरान, विद्युत के उपभोग के संबंध में पचास हजार रुपए या अधिक का व्यय उपगत होता है या पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (3) का लोप करें;'। (29)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 40, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 41 से 44 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

**खंड 45**

*धारा 153 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17, पंक्ति 13 और 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

[अध्यक्ष महोदय]

'(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर" उपधारा (1), उपधारा (1अ), उपधारा (1आ) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण 1 के परंतुक में, "उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (2अ) में", शब्दों, कोष्ठकों अंकों और अक्षर के स्थान, पर "उपधारा (1), उपधारा (1अ), उपधारा (1आ), उपधारा (2) और उपधारा (2अ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।'। (30)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 45, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 46 से 47 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

**खंड 48**

*धारा 194क का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17, पंक्ति 44 में, "निधि या कंपनी" के स्थान पर "कंपनी या निधि" प्रतिस्थापित किया जाए। (31)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 48, संसोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 48, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 49 से 66 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

**खंड 67**

*धारा 28ज का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"'(ङ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अधिसूचित नियमों के अनुसार माल के उद्गम का अवधारण और उससे संबंधित विषय।'"; (32)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 67, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 67, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 68 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 69**

*धारा 128क का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 20,-

पंक्ति 30 और 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

'सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (5) में, "और सीमाशुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त और सीमाशुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे।'। (33)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 69, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 69, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 69 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 70**

*धारा 129क का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 20,-

पंक्ति 34 और पंक्ति 35 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"'(1ख) (i) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(ii) खंड (i) के अधीन गठित प्रत्येक समिति, यथास्थिति, दो मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों या दो सीमाशुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी।'''; (34)

पृष्ठ 20,-

पंक्ति 37 में ''मुख्य'' शब्द का लोप किया जाए। (35)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

***खंड 70, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।***

***खंड 71 से 77 विधेयक में जोड़ दिए गए।***

**खंड 78**

*धारा 35क का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22,-

पंक्ति 39 और 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

'78. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35क की उपधारा (5) में, ''और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर, ''मुख्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त'' शब्द रखे जाएंगे। (36)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 78, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 79**

*धारा 35ख का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22,-

पंक्ति 43 से पंक्ति 45 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

'''(1ख) (i) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(ii) खंड (i) के अधीन गठित प्रत्येक समिति, यथास्थिति, दो मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों या दो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी।'''; (37)

पष्ठ 22,-

पंक्ति 47 में 'मुख्य' शब्द का लोप किया जाए। (38)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

''कि खंड 79, संसोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

***खंड 79, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।***

***खंड 80 से 93 विधेयक में जोड़ दिए गए।***

**खण्ड 94**

*परिभाषा*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने दस हजार रुपये के विड्राल को 25 हजार रुपये किया है और यह कहा है कि ईमानदार करदाता को ह्रास नहीं किया जाएगा और यह सिर्फ काले धन को रोकने के लिए रखा गया है। इस आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन संख्या-4 को वापिस लेता हूं।

*[अनुवाद]*

मैं संशोधन की सूचना के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 31 पंक्ति 12 से 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"(क) किसी अनुसूचित बैंक में रखे गए किसी खाते में (किसी बचत बैंक खाते से भिन्न) किसी एकल दिवस को निम्नलिखित से अधिक के नकद के निकाले जाने का (किसी भी रीति से) संव्यवहार करना,-

(1) पच्चीस हजार रुपए, यदि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, के खाते से इस प्रकार निकाले जाते हैं;

(2) एक लाख रुपए, यदि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति के खाते से इस प्रकार निकाले जाते हैं; या

(ख) किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को निम्नलिखित से अधिक की उस बैंक से एक या अधिक आवधिक निक्षेप के, परिपक्वता पर या अन्यथा नकदीकरण के संबंध में प्राप्ति का संव्यवहार करना-

(1) पच्चीस हजार रुपए, यदि ऐसे आवधिक निक्षेप या निक्षेपों को किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के नाम में रखा जाता है;

(2) एक लाख रुपए, यदि ऐसे आवधिक निक्षेप या निक्षेपों को, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है।"। (39)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 94, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 94 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 95**

*बैंककारी नकद संव्यवहार कर का प्रभार*

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** अध्यक्ष जी, मैं अपने इस संशोधन संख्या-5 को भी वापिस लेता हूं।

*[अनुवाद]*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 31, पंक्ति 21 से 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"95. (1) इस अध्याय के आरंभ से ही, 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, प्रत्येक ऐसे कराधेय बैंककारी संव्यवहार के मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर से बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैंककारी नकद संव्यवहार कर,-

(i) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, उपखंड (i) में निर्दिष्ट उस व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या उक्त खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके खाते से किसी अनुसूचित बैंक से नकद निकाला जाता है;

(ii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा जो आवधिक निक्षेप या निक्षेपों के नकदीकरण पर नकद प्राप्त करता है,

संदेय होगा।

परन्तु कई बैंककारी नकद संव्यवहार कर संदेय नहीं होगा यदि आवधिक निक्षेप या निक्षेपों की रकम बैंक के किसी खाते में जमा की जाती है।"। (40)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 95, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 95, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले:** श्री मल्होत्रा जी, आप यह बहुत अच्छा कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक भावना है। हमें लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। हम सभी उसके लिए वचनबद्ध हैं। इसलिए हमें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। सभा के सभी दलों से यह अपेक्षा की जाती है।

**खंड 96**

*कराधेय बैंककारी संव्यवहार का मूल्य*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 31, पंक्ति 35 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"96. कराधेय बैंककारी संव्यवहार का मूल्य निम्नलिखित होगा,-

(i) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में निकाली गई नकद रकम;

(ii) धारा 94 के खंड (क) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में आवधिक निक्षेप या निक्षेपों के भुनाने पर नकद रकम।"। (41)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 96, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 96, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 97**

*बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण तथा वसूली*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 31 पंक्ति 40 में "या खंड (iii)" का लोप किया जाए।(42)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 97, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 97, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 98 से 103 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 104**

*सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति*

संशोधन किया गया:

पृष्ट 32 पंक्ति 52 में "निकासी" का लोप किया जाए। (43)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 104, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 104, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 105 से 124 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**प्रथम अनुसूची**

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 39,-

"पंक्ति 24 से 32 का लोप किया जाए।"(6)

पृष्ठ 39,-

"पंक्ति 33 से 39 का लोप किया जाए।"(7)

**अध्यक्ष महोदय:** मैं अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 6 और 7 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 39, पंक्ति 25 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

[अध्यक्ष महोदय]

"आयकर की दरें

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जहां कुल आय 1,35,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नही; |
| (2) | जहां कुल आय 1,35,000 रु. से अधिक है किंतु 1,50,000 रु. से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,35,000 रु. से अधिक हो जाती है; |
| (3) | जहां कुल आय 1,50,000 रुपए से अधिक है किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक नहीं है | 1,500 रु. धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु. से अधिक हो जाती है; |
| (4) | जहां कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक है; | 21,500 रु. उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक हो जाती है;"(44) |

पृष्ठ 39, पंक्ति 34 से 39 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

"आयकर की दरें

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जहां कुल आय 1,85,000 रुपए से अधिक नहीं है। | कुछ नही; |
| (2) | जहां कुल आय 1,85,000 रुपये से अधिक है किंतु 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,85,000 रु. से अधिक हो जाती है; |
| (3) | जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है | 13,000 रु. धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,50,000 रु. से अधिक हो जाती है; (45) |

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*पहली अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।*

*दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।*

**तीसरी अनुसूची**

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 65, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

(i) पेटेन्ट या सांपत्तिक औषधियां, उन औषधियों से भिन्न जो अनन्य रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथिक या जैव-रसायनी है;

(ii) औषधियां (पेटेन्ट या सांपत्तिक से भिन्न), उनसे भिन्न जो अनन्य रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव-रसायनी पद्धतियों में उपयोग की जाती है।

स्पष्टीकरण-इस शीर्ष के प्रयोजन के लिए, "पेटेन्ट या सांपत्तिक औषधियों" से अभिप्रेत है कोई औषध या औषधीय निर्मित, किसी भी रूप में हो जो, आंतरिक या बाह्य उपचार में उपयोग के लिए या मनुष्यों अथवा पशुओं में बीमारियों के निवारण के लिए हो, जिस पर या तो उसके ऊपर ही या उसके आधान पर या दोनों पर कोई नाम हो जो किसी मोनोग्राफ में, औषध कोष, सूत्रसंहिता या अन्य प्रकाशनों, अर्थात्:-

(क) भारतीय औषधकोश;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय औषधकोश;

(ग) भारतीय राष्ट्रीय सूत्रसंहिता;

(घ) ब्रिटिश औषधकोश;

(ङ) ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स;

(च) ब्रिटिश वैटर्नरी कोडेक्स;

(छ) यूनाइटेड स्टेट्स औषधकोश;

(ज) नेशनल फार्मुलैरी आफ दि यू.एस.ए.;

(झ) डेन्टल फार्मुलैरी आफ दि यू.एस.ए.;

(ञ) स्टेट फार्मकपिआ आफ दि यू.एस.एस.आर.;

में निविर्दिष्ट नहीं है या जो व्यवसाय चिह्न अधिनयम, 1999 (1999 का 47) के अधीन कोई ब्रांड नाम अर्थात् कोई नाम या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय चिह्न या कोई अन्य चिह्न जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेखन है जो उस औषधि के संबंध में यह उपदर्शित करने के लिए प्रयोजन के लिए या इसलिए कि यह उपदर्शित हो सके कि उस औषधि और स्वामी के रूप में या अन्यथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना नाम या चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यवसाय के अनुक्रम में कोई संबंध है, उस औषधि के संबंध में उपयोग किया जाता है।'। (46)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।*

*चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।*

**आठवीं अनुसूची**

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 73-

पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'(5क) अध्याय 51 में, टिप्पण 3 में, "5109" के स्थान पर, "5109 या 5110, रंजक वस्तुएं" रखें;

(5ख) अध्याय 52 में, टिप्पण 2 में, "5205 और 5206" के स्थान पर, "5205, 5206 और 5207" रखें;

(5ग) अध्याय 52 में, टिप्पण 4 में, "5207 या 5208 या 5209" के स्थान पर, "5208 या 5209 या 5210 या 5211 या 5212" रखें;

(5घ) अध्याय 54 में,-

(क) टिप्पण 2 में, "5402 और 5403" के स्थान पर, "5402, 5403 और 5406" रखें;

(ख) टिप्पण 3 में, "5403" के पश्चात्, "अथवा 5404" अंत:स्थापित करें;

(5ङ) अध्याय 55 में,-

(क) टिप्पण 2 में, "5510" के पश्चात्, "अथवा 5511" अंत:स्थापित करें;

(ख) टिप्पण 4 में, "5515" के पश्चात्, "अथवा 5516" अंत:स्थापित करें; (47)

पृष्ठ 73,-

पंक्ति 14 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'(6क) अध्याय 58 में, टैरिफ मद 5805, 00 10, 5805 00 20 और 5805 00 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(6ख) अध्याय 70 में, टिप्पण 6 में, "7015" के स्थान पर, "7013" रखें;

पृष्ठ 73,-

पंक्ति 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'(8) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9017 20 10 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी।'। (49)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि आठवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*आठवीं अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।*

**नौवीं अनुसूची**

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 74 में, पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'(घ) शीर्ष 8704 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| "8704 10 | - | राजमार्गों से इतर प्रयोग के लिए परिकल्पित डम्पर: |
| 8704 10 90 | - | अन्य इ. 8%"।' (50) |

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि नौवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*नौवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।*

**दसवीं अनुसूची**

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 94 में, पंक्ति 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"5802 20 00 - रोंआदार तौलिया कपड़ा और मानव निर्मित फाइबर का समरूप बुना हुआ रोंआदार तौलिया फैब्रिक व.मी. 8%"।'। (51)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि दसवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*दसवीं अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।*

*ग्यारहवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।*

**बारहवीं अनुसूची**

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 99 में, पंक्ति 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"5406 10 00 - पालिएस्टर का संश्लिस्ट फिलामेंट सूत कि.ग्रा. 1%।"। (52)

पृष्ठ 100 में, पंक्ति 35 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"8704 10 - राजमार्गों से इतर प्रयोग के लिए परिकल्पित डम्पर:

8704 10 90 - अन्य (जिसमें पेट्रोल चालित से भिन्न, मोटरयान सम्मिलित नहीं है) इ. 1%।"। (53)

(श्री पी. चिदम्बरम)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि बारहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*बारहवीं अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।*

*खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**श्री पी. चिदम्बरम:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं सभा के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों का उनके सहयोग तथा उनकी प्रभावी सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वित्त विधेयक पर एक बहुत ही अच्छी चर्चा हुई तथा उतना ही स्पष्ट उत्तर भी मिला। धन्यवाद।

अब सभा कल 3 मई, 2005 पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.18 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 मई, 2005/13 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती अनुराधा चौधरी<br>मोहम्मद शाहिद | 501 |
| 2. | श्री बृज किशोर त्रिपाठी<br>श्री किसनभाई वी. पटेल | 502 |
| 3. | श्री सनत कुमार मंडल | 503 |
| 4. | श्री सुग्रीव सिंह<br>श्री आनंदराव विठोबा अडसूल | 504 |
| 5. | श्री रायापति सांबासिवा राव<br>प्रो. महादेवराव शिवनकर | 505 |
| 6. | श्री पवन कुमार बंसल | 506 |
| 7. | श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी<br>श्री महेश कनोडीया | 507 |
| 8. | श्री प्रबोध पाण्डा | 508 |
| 9. | श्री हरिसिंह चावड़ा<br>श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील | 509 |
| 10. | श्री टी.के. हमजा<br>श्री अनन्त नायक | 510 |
| 11. | श्री कैलाश मेघवाल | 511 |
| 12. | श्री ई. पोन्नुस्वामी<br>श्री रघुनाथ झा | 512 |
| 13. | श्री एन. जनार्दन रेड्डी<br>श्री असादूद्दीन ओवेसी | 513 |
| 14. | श्री बाडिगा रामकृष्णा<br>श्री गुरूदास कामत | 514 |
| 15. | श्री अधीर चौधरी<br>श्री निखिल कुमार | 515 |
| 16. | श्री राजेन गोहेन<br>श्री हेमलाल मुर्मू | 516 |
| 17. | श्री रवि प्रकाश वर्मा<br>श्री दुष्यंत सिंह | 517 |
| 18. | श्री रामदास आठवले | 518 |
| 19. | श्री बालासोवरी वल्लभनेनी | 519 |
| 20. | श्री कुलदीप बिश्नोई | 520 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 5488 |
| 2. | आदित्यनाथ, योगी | 5450 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 5417, 5514, 5558, 5614 |
| 4. | अहमद, श्री अतीक | 5398, 5559, 5609 |
| 5. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 5402, 5499, 5592 |
| 6. | आठवले, श्री रामदास | 5495, 5583, 5602 |
| 7. | आजमी, श्री इलियास | 5442 |
| 8. | 'बाबा', श्री के.सी. सिंह | 5465 |
| 9. | बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई | 5420, 5525, 5581 |
| 10. | बर्मन, श्री रनेन | 5607 |
| 11. | बेल्लारमिन, श्री ए.वी. | 5463 |
| 12. | बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह | 5448 |
| 13. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 5497, 5566 |
| 14. | बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र | 5399, 5494, 5565, 5616 |
| 15. | बोस, श्री सुब्रत | 5396, 5517 |
| 16. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 5450, 5478, 5588 |
| 17. | चन्देल, श्री सुरेश | 5405 |
| 18. | चन्द्र कुमार, प्रो. | 5466 |
| 19. | चौरे, श्री बापू हरी | 5404, 5500, 5567, 5618 |
| 20. | चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र | 5395, 5419, 5487, 5532 |
| 21. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 5519 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | चौधरी, श्रीमती अनुराधा | 5508, 5554, 5607 |
| 23. | चौधरी, श्री अधीर | 5435, 5448, 5506, 5570 |
| 24. | दासगुप्त, श्री गुरूदास | 5449, 5474 |
| 25. | देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र | 5462, 5511 |
| 26. | धनराजू, डा. के. | 5463 |
| 27. | गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव | 5441, 5469, 5526 |
| 28. | गमांग, श्री गिरिधर | 5411 |
| 29. | गांधी, श्रीमती मेनका | 5488 |
| 30. | गांधी, श्री प्रदीप | 5433, 5513, 5594 |
| 31. | गंगवार, श्री संतोष | 5432 |
| 32. | गाव, श्री तापिर | 5458 |
| 33. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 5454, 5550, 5621 |
| 34. | गोहेन, श्री राजेन | 5448, 5502, 5582 |
| 35. | गौड, श्री डी.वी. सदानन्द | 5479, 5547 |
| 36. | गुढ़े, श्री अनंत | 5469, 5530 |
| 37. | हमजा, श्री टी.के. | 5486, 5520, 5576 |
| 38. | हर्ष कुमार, श्री जी.वी. | 5446, 5524, 5580 |
| 39. | हसन, श्री मुनव्वर | 5457, 5533, 5596 |
| 40. | जगन्नाथ, डा. एम. | 5444, 5523, 5601 |
| 41. | जटिया, डा. सत्यनारायण | 5407 |
| 42. | जयाप्रदा, श्रीमती | 5556 |
| 43. | झा, श्री रघुनाथ | 5439, 5553, 5606 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 44. | जिन्दल, श्री नवीन | 5482 |
| 45. | जोगी, श्री अजीत | 5489, 5563 |
| 46. | जोशी, श्री प्रहलाद | 5476, 5521 |
| 47. | कनोडीया, श्री महेश | 5517, 5575 |
| 48. | करूणाकरन, श्री पी. | 5461, 5537, 5586 |
| 49. | खां, श्री सुनील | 5397 |
| 50. | खन्ना, श्री अविनाश राय | 5410, 5449 |
| 51. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 5471, 5545, 5591 |
| 52. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 5393, 5492, 5550, 5568, 5619 |
| 53. | कुन्नुर, श्री मंजुनाथ | 5430, 5510, 5595 |
| 54. | कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार | 5431, 5508, 5512, 5607 |
| 55. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 5556 |
| 56. | माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई | 5456, 5531, 5605 |
| 57. | महाजन, श्री वाई.जी. | 5419, 5478, 5529, 5588 |
| 58. | महतो, श्री बीर सिंह | 5437 |
| 59. | माहेश्वरी, श्रीमती किरण | 5395, 5532 |
| 60. | महताब, श्री भर्तृहरि | 5472 |
| 61. | मंडल, श्री सनत कुमार | 5490, 5608 |
| 62. | माने, श्रीमती निवेदिता | 5441 |
| 63. | मनोज, डा. के.एस. | 5445 |
| 64. | मेघवाल, श्री कैलाश | 5493, 5564 |
| 65. | मोदी, श्री सुशील कुमार | 5422, 5540, 5589 |
| 66. | मोघे, श्री कृष्णा मुरारी | 5429 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 67. | मो. ताहिर, श्री | 5431, 5508, 5554, 5607 |
| 68. | मोहिते, श्री सुबोध | 5400, 5539 |
| 69. | मुन्शी राम, श्री | 5508, 5554, 5607, 5611 |
| 70. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 5582 |
| 71. | मूर्मू, श्री रूपचन्द | 5458, 5556, 5612 |
| 72. | नायक, श्री ए. वेंकटेश | 5440, 5578 |
| 73. | नम्बाडन, श्री लोनाप्पन | 5425 |
| 74. | नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश | 5408 |
| 75. | नायक, श्री अनन्त | 5447, 5481, 5503, 5571 |
| 76. | निहाल चन्द, श्री | 5414 |
| 77. | निखिल कुमार, श्री | 5448 |
| 78. | ओराम, श्री जुएल | 5447, 5515, 5536, 5598 |
| 79. | ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. | 5394 |
| 80. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 5448, 5496, 5617 |
| 81. | पलनिसामी, श्री के.सी. | 5415 |
| 82. | पण्डा, श्री प्रबोध | 5507 |
| 83. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 5448, 5484 |
| 84. | पासवान, श्री रामचन्द्र | 5522 |
| 85. | पासवान, श्री सुकदेव | 5487 |
| 86. | पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार | 5481 |
| 87. | पटेल, श्री जीवाभाई ए. | 5460, 5519, 5604 |
| 88. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 5511, 5514, 5516, 5602 |
| 89. | पाठक, श्री ब्रजेश | 5423, 5528, 5583, 5584 |
| 90. | पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. | 5486, 5575 |
| 91. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 5441, 5562 |
| 92. | पिंगले, श्री देविदास | 5437, 5469, 5470, 5544 |
| 93. | पोन्नुस्वामी, श्री ई. | 5504, 5577, 5579 |
| 94. | प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर | 5485, 5487, 5550 |
| 95. | प्रसाद, श्री लालमणि | 5428, 5509, 5573 |
| 96. | पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. | 5448 |
| 97. | रामदास, प्रो. एम. | 5483 |
| 98. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 5491, 5577, 5579 |
| 99. | राणा, श्री रविन्दर कुमार | 5574 |
| 100. | राव, श्री के.एस. | 5561 |
| 101. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 5486, 5515, 5572, 5574 |
| 102. | राव, श्री डी. विट्टल | 5321, 5546, 5593 |
| 103. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 5441, 5449 |
| 104. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 5436, 5517, 5613 |
| 105. | रेड्डी, श्री जी एम. श्रीनिवासुलु | 5401, 5552 |
| 106. | रेड्डी, श्री एम. जनार्दन | 5601 |
| 107. | रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर | 5474 |
| 108. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 5557 |
| 109. | सांगवान, श्री किशन सिंह | 5416 |
| 110. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 5406, 5501, 5572 |
| 111. | सत्पथी, श्री तथागत | 5424, 5538, 5576, 5587 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 112. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 5448, 5467, 5541 |
| 113. | शाहीन, श्री अब्दुल रशीद | 5443, 5448, 5468, 5542 |
| 114. | शाहिद, मोहम्मद | 5431, 5508, 5534 |
| 115. | शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम | 5438 |
| 116. | शर्मा, श्री मदन लाल | 5455, 5530, 5585 |
| 117. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 5453, 5487, 5527, 5556, 5603 |
| 118. | शिवन्ना, श्री एम. | 5540, 5521, 5578 |
| 119. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 5431, 5508, 5512, 5611 |
| 120. | शुक्ला, श्रीमती करूणा | 5594 |
| 121. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 5464, 5555 |
| 122. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 5460 |
| 123. | सिंह, श्री चन्द्रभान | 5480 |
| 124. | सिंह, चौधरी लाल | 5426 |
| 125. | सिंह, श्री दुष्यंत | 5536, 5548, 5597 |
| 126. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 5418, 5526, 5615 |
| 127. | सिंह, कुंवर मानवेन्द्र | 5532 |
| 128. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 5439, 5553, 5606 |
| 129. | सिंह, श्रीमती प्रतिभा | 5434 |
| 130. | सिंह, श्री रेवती रमन | 5427 |
| 131. | सिंह, श्री सीताराम | 5478 |
| 132. | सिंह, श्री सुग्रीव | 5514, 5516, 5558, 5602 |
| 133. | सिंह, श्री सूरज | 5443, 5522 |
| 134. | सिंह, श्री उदय | 5435 |
| 135. | सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन | 5451 |
| 136. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह | 5518, 5575 |
| 137. | सुब्बा, श्री एम.के. | 5409 |
| 138. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 5475, 5530 |
| 139. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 5403 |
| 140. | थामस, श्री पी.सी. | 5425, 5477 |
| 141. | ठुम्मर, श्री वी.के. | 5459, 5535, 5557 |
| 142. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 5511, 5599 |
| 143. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 5543, 5590 |
| 144. | वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास | 5419, 5487, 5529 |
| 145. | वसावा, श्री मनसुखबाई डी. | 5459 |
| 146. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 5412, 5549 |
| 147. | वर्मा, श्री राजेश | 5608 |
| 148. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 5417, 5505, 5569, 5599 |
| 149. | विनोद कुमार, श्री बी. | 5487, 5560, 5610 |
| 150. | यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधू | 5526 |
| 151. | यादव, श्री एम. अंजनकुमार | 5535 |
| 152. | यादव, श्री बालेश्वर | 5392, 5498, 5620 |
| 153. | यादव, श्री गिरिधारी | 5437 |
| 154. | यादव, श्री राम कृपाल | 5487 |
| 155. | यादव, श्री सीता राम | 5574 |
| 156. | यास्खी, श्री मधु गौड | 5413, 5561 |
| 157. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 5452, 5551, 5600 |

## अनुबंध II

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 501, 504, 508, 509, 510, 511, 520 |
| रसायन और उर्वरक | : | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 512, 517 |
| पर्यावरण और वन | : | 506, 507, 513, 515, 516 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | |
| श्रम और रोजगार | : | 514, 518 |
| इस्पात | : | |
| पर्यटन | : | 519 |
| जल संसाधन | : | 502, 503, 505 |

*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 5398, 5400, 5401, 5402, 5409, 5410, 5417, 5420, 5427, 5434, 5436, 5438, 5444, 5447, 5450, 5452, 5454, 5458, 5460, 5461, 5463, 5468, 5472, 5475, 5476, 5479, 5480, 5482, 5483, 5492, 5495, 5496, 5501, 5504, 5508, 5512, 5514, 5517, 5521, 5522, 5525, 5526, 5528, 5529, 5530, 5534, 5536, 5539, 5540, 5542, 5544, 5546, 5548, 5549, 5551, 5554, 5555, 5557, 5562, 5565, 5576, 5578, 5584, 5589, 5593, 5595, 5602, 5606, 5607, 5617 |
| रसायन और उर्वरक | : | 5399, 5405, 5408, 5414, 5416, 5428, 5431, 5451, 5457, 5487, 5488, 5506, 5523, 5531, 5579, 5588, 5596, 5597, 5609, 5610, 5611, 5612, 5618 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 5404, 5419, 5425, 5429, 5443, 5485, 5500, 5509, 5550, 5568, 5569, 5572, 5575, 5585, 5603, 5604, 5613 |
| पर्यावरण और वन | : | 5392, 5394, 5418, 5430, 5432, 5435, 5441, 5442, 5446, 5448, 5456, 5459, 5465, 5466, 5467, 5470, 5471, 5477, 5478, 5481, 5499, 5502, 5503, 5510, 5518, 5524, 5541, 5543, 5545, 5559, 5560, 5564, 5567, 5570, 5580, 5599, 5601, 5608, 5615, 5619 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 5395, 5473, 5486, 5498, 5532 |
| श्रम और रोजगार | : | 5396, 5413, 5421, 5422, 5437, 5439, 5449, 5453, 5484, 5489, 5490, 5515, 5552, 5553, 5561, 5566, 5574, 5586, 5591, 5592, 5600, 5616, 5621 |
| इस्पात | : | 5397, 5433, 5474, 5491, 5513, 5533, 5558, 5571, 5594, 5598 |
| पर्यटन | : | 5415, 5423, 5445, 5455, 5469, 5505, 5511, 5535, 5537, 5590, 5605, 5614 |
| जल संसाधन | : | 5393, 5403, 5406, 5407, 5411, 5412, 5424, 5426, 5440, 5462, 5464, 5493, 5494, 5507, 5516, 5519, 5520, 5527, 5538, 5547, 5556, 5563, 5573, 5577, 5581, 5582, 5583, 5587, 5620. |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

### लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

### लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/29/2005 ( एन० )
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।